

वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 (भारत)

साहित्यग्रन्थ

3. श्री विनय शील ओबेराय ^(*)	सावित्र (उच्चतर शिक्षा विभाग), मानव संसाधन विकास मंत्रालय
4. श्री केवल कुमार शर्मा ^(**)	सावित्र, भाषाशैक्षिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
5. श्री ए० एन० झा ^(*)	विशेष सावित्र, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
6. श्री प्रमोद कुमार दास ^(*)	अपर सावित्र, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली-110001
7. डॉ० वी० एस० चौहान	पूर्व निदेशक, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एण्ड बायोटेक्नॉलाजी (आईसीजीबी), नई दिल्ली
8. प्रो० राजेंद्र गोविन्द ढाण्डे ^(*)	पूर्व निदेशक, आईआईटी कानपुर
9. प्रो० मोहम्मद भिया ^(*)	पूर्व कुलपति, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
10. डॉ० के० एन० शाहि ^(*)	आचार्य, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, पीइएस इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, कराछूळ
11. श्री पराजलि(पात्रु) जी० केशवानी ^(**)	मुख्य प्रबंध निदेशक, लेमन ट्री सोल्यु
12. प्रो० इन्द्र मोहन कापासी	आचार्य, अनुसूक्त विज्ञान विद्यालय, महाशाला अग्रसेन विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश
13. प्रो० एस० जगदीश कुमार ^(*)	कुलपति, पञ्जाबराज नैरुल विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
14. प्रो० एस० रमेश चंद्र कुठारु ^(*)	कुलपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, जल-पाली, नरैन्द्रगढ़, हरियाणा
15. डॉ० जी० गोपाल रेड्डी ^(*)	पूर्व संचालक अध्यक्ष, कला और सामाजिक विज्ञान संकाय, पालमपुर विश्वविद्यालय, तेलंगणा तथा पूर्व प्राचार्य ओन्गानिया विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हैदराबाद
16. डॉ० (श्रीमती) सुषमा यादव ^(*)	आचार्य, लोक नीति और अभिराजन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इंदरप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली

सावित्र

प्रो० (डॉ०) जसपाल सिंह संधू

(*) 24 जून, 2016 तक	(*) 26 फरवरी, 2017 तक
(*) फरवरी, 2017 तक	(*) 21 जून, 2016 तक
(*) मार्च, 2017 से	(*) 24 जून, 2016 से
(*) वर्ष 2016 तक	(*) 28 जून, 2016 से
(*) 17 जनवरी, 2016 से	(*) 20 जनवरी, 2017 से
(*) 24 सितंबर, 2016 तक	(*) 28 फरवरी, 2017 से

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संरचना

- (1) आयोग में निम्नवत शामिल होंगे:-
 - (i) एक अध्यक्ष (ii) एक उपअध्यक्ष, और (iii) दस अन्य सदस्यगण, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
 - (2) अध्यक्ष को ऐसे व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी न हों।
 - (3) खंड (iii) की उप-धारा (1) में संदर्भित अन्य सदस्यगणों में से :-
 - (क) दो सदस्यों को केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके अधिकारियों में से चुना जाएगा; (ख) कम से कम चार सदस्यों को उन व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो चुने जाने के समय किसी विश्वविद्यालय के शिक्षक हों; और (ग) शेष सदस्यों को निम्नवत व्यक्तियों में से चुना जाएगा:- (i) जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वाणिज्यिकी अथवा उद्योग में ज्ञान अथवा अनुभव हो; (ii) जो अभियांत्रिकी, विधिक, चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे से संबद्ध हों; अथवा (iii) जो विश्वविद्यालय के कुलपति हों, अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हो परंतु केन्द्र सरकार के मतानुसार प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हों अथवा जिनकी उच्च अकादमिक योग्यता हो।
 - बशर्ते कि इस खंड के तहत चुने गए कम से कम आधे सदस्यगण ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी न हों।
 - (4) उपअध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों को निर्वहन करेंगे जो अध्यक्ष के लिए विहित की गई हों।
 - (5) इस धारा के तहत की गई प्रत्येक नियुक्ति उस तिथि से प्रभावी होगी जब उसे केन्द्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा।

वर्ष 2016-2017 के दौरान आयोग के सदस्यों की सूची

1.	अध्यक्ष	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
	प्रो० वेद प्रकाश	
2.	उपअध्यक्ष	उपअध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
	प्रो० एच० देवराज *	

© विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
दिसम्बर, 2017

सम्पादक दल	
डॉ० (श्रीमती) पंकज मित्तल	अपर सचिव
श्री सुभाष चंद्र	पूर्व-समन्वयक
डॉ० दीक्षा राजपूत	प्रकाशन अधिकारी

मुद्रित और प्रकाशित : सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा

मुद्रित : जीवन ऑफ़सेट प्रेस, 18/36, रेलवे लाईन साईड, आनन्द पर्वत औद्योगिक क्षेत्र, नया रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005, दूरभाष: 9873870464, 28714007

विषय सूची

प्राक्कथन	पृष्ठ संख्या
कार्यकारी सारांश 2016-17	ix
1. परिचय	1
1.1 पृष्ठभूमि	23
1.1(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका एवं संगठन	23
1.1(ख) क्षेत्रीय कार्यालय	25
1.1(ग) संगठनात्मक चित्र	26
1.2 XIIवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में	27
1.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ/अनुभाग	28
(क) सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आई.ए.) प्रकोष्ठ	28
(ख) वेतनमान प्रकोष्ठ	29
(ग) सतर्कता प्रकोष्ठ	29
(घ) विधिक प्रकोष्ठ	30
(ङ) संसदीय मामलों से संबंधित डेस्क	31
(च) कदाचार रोधी प्रकोष्ठ (एएमपीसी)	32
(छ) आरक्षण हेतु विशेष प्रकोष्ठ	33
(ज) "कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न" को रोकने संबंधी प्रकोष्ठ	33
(झ) रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ	33
(ञ) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ	35
(ट) लिंग संवेदीकरण प्रकोष्ठ	36
1.4 प्रकाशन	36
1.5 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त	37
1.6 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा सम विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जेसीआरसी)	61
1.7 वर्ष के दौरान आयोग द्वारा लिए गए मुख्य निर्णय	62
1.8 विशेष क्रियाकलाप/पहल	70
2. उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकास: कुछ आंकड़े	73
2.1 विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय	74
2.2 छात्रों का नामांकन	111
2.3 संकाय संख्या	117
2.4 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शोध का विकास	118
2.5 उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि	121
2.6 उच्चतर शिक्षा में वृद्धि के संबंध में संक्षिप्त आंकड़े	123
3. विश्वविद्यालयों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (गैर-योजनागत) सहायता	124
3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता	124
3.1(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय	124

3.1(ख)	राज्य विश्वविद्यालय	145
3.1(ग)	सम विश्वविद्यालय संस्थान	148
3.1(घ)	राज्य निजी विश्वविद्यालय	153
4.	महाविद्यालयों को विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (गैर-योजनागत) सहायता	155
4.1	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों के विकास पर विशेष बल	155
4.2	वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त महाविद्यालय	155
4.3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान	155
4.4	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुदानों को जारी किए जाने की योजनावार स्थिति	157
4.5	दिल्ली के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों को अनुदान	170
5.	गुणवत्ता और उत्कृष्टता	180
5.1	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यू.पी.ई.)	181
5.2	किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सीपीईपीए)	182
5.3	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)	184
5.4	नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना	185
5.5	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)	185
5.6	स्वायत्त महाविद्यालय	188
5.7	मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) और क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी)	193
5.8	राजभाषा (हिंदी) का संवर्धन	194
5.9	द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम	195
5.10	शिक्षण तथा शोध हेतु मानव संसाधन के विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा	200
5.11	यात्रा अनुदान	207
5.12	अंतर्विश्वमहाविद्यालय केन्द्र (आईयूसी)	209
5.13	राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र	218
5.14	विश्वविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपकरणों का विकास	223
6.	शोध को प्रोत्साहन	224
6.1	शिक्षकों हेतु बृहद् शोध परियोजनाएँ	224
6.2	शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक	226
6.3	पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	228
6.4	शोध अध्येतावृत्तियाँ (एमफिल/पीएचडी हेतु)	231
6.5	स्नातकोत्तर अध्येतावृत्तियाँ	245
6.6	स्नातकपूर्व अध्येतावृत्तियाँ	251
6.7	खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए निशुल्क शिक्षा योजना	256
6.8	शिक्षकों को प्रेरित करना, विभिन्न शैक्षिक तथा शोध क्रियाकलापों हेतु शिक्षकों, विषय/विधा आधारित संघों को प्रोत्साहन देना	256
6.9	विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोध	257
6.9(i)	फैकल्टी रीचार्ज प्रोग्राम	257

6.9(ii)	नेटवर्किंग शोध केन्द्र: समर-विंटर स्कूल	258
6.9(iii)	नए भर्ती हुए संकायों के लिए "स्टार्ट-अप अनुदान"	259
6.9(iv)	बीएसआर कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को 'मिड करियर अवार्ड'	259
6.9(v)	महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विकास अनुदान	259
7.	लिंग तथा सामाजिक समानता	262
7.1(i)	भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास	262
7.1(ii)	उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों की क्षमता निर्माण	263
7.2(iii से iv)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (सम्पन्न वर्ग के अलावा), अल्पसंख्यकों तथा निशक्त व्यक्तियों हेतु कार्यक्रम तथा आरक्षण नीति का कार्यान्वयन	264
7.2(v)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अनुशिक्षण योजना	270
7.2(vi)	निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं	271
7.2(vii)	विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना	272
7.2(viii)	सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशन की नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना	273
8.	प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा	275
8.1	विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र	275
8.2	युग प्रवर्तक भारतीय सामाजिक चिंतक	277
8.3	मानवाधिकार शिक्षा (एचआरई)	279
9.	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकियों का समेकन	280
9.1	ई-गवर्नेंस	280
9.2	स्नातकोत्तर विषयों हेतु ई-विषयवस्तु पाठ्यसामग्री तैयार करना	282
9.3	लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)	283
9.4	लोक शिकायत	284
10.	कौशल विकास हेतु पहल	285
10.1	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वृत्ति उन्मुख पाठ्यक्रम	285
10.2	एनएसक्यूएफ के तहत कौशल विकास योजनाएं	285
10.2(क)	सामुदायिक महाविद्यालय	285
10.2(ख)	बी0वोक0 उपाधि कार्यक्रम (वी0वोक0)	293
10.2(ग)	डीडीयू कौशल केन्द्र	299
11.	मुक्त और दूरस्थ शिक्षा	305
11.1	दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम	305
11.2	छात्र नामांकन	311

प्राक्कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) की वर्ष 1953 में स्थापना के साथ ही की वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन अनवरत रूप से किया जा रहा है।

वर्ष 2016–2017 की वार्षिक रिपोर्ट न केवल देश में उच्चतर शिक्षा स्तर को बनाए रखने तथा समन्वय स्थापित करने के लिए शीर्ष संस्था के रूप में वि०अ०आ० द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल को दर्शाती है बल्कि यह रिपोर्ट विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सामान्य विकास का संवर्धन करने, में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई को पहल पर भी प्रकाश डालती है जिससे शिक्षा तक पहुंच, समता, संगतता और उत्कृष्टता में वृद्धि हुई।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पांचवें वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता और समता आधारित विस्तार सुनिश्चित करने के लिए अनेक नई पहल की हैं। मुझे आशा है कि इस वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए समस्त आंकड़े/जानकारियां शिक्षकों, छात्रों शोधकर्ताओं, प्रशासकों तथा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अन्य हितधारकों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी।

मैं इस अवसर पर आयोग के सभी सदस्यों का वि०अ०आ० के एजेन्डे को आगे ले जाने में उनके उदार सहयोग हेतु अत्यंत आभारी हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

मैं इस अवसर पर रिपोर्ट को इसके वर्तमान स्वरूप में तैयार करने के लिए मेरे सहयोगियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं डॉ०(श्रीमती) पंकज मित्तल, अपर सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; श्री सुभाष चंद्र, पूर्व समन्वयक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; डॉ० दीक्षा राजपूत, प्रकाशन अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, को रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में उनके अमूल्य योगदान तथा अथक प्रयासों हेतु विशेषरूप से धन्यवाद देता हूँ।

वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु में सुधार करने के लिए सुझावों का स्वागत है।

नई दिल्ली

प्रो० वी० एस० चौहान
अध्यक्ष

कार्यकारी सारांश : 2016–17

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2016–17 का कार्यकारी सारांश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 2016–17 के दौरान किए गए क्रियाकलापों को समाहित करता है। आयोग द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान कार्यान्वित की गई विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्यों तथा उन पर किए गए व्यय का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। सारांश, संक्षेप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संरचना और भूमिका, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकीय विकास, वर्ष के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, विभिन्न योजनाओं के तहत विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के वित्तीय परिव्यय तथा गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता का संवर्धन करने के लिए उठाए गए कदम, शोध, कौशल शिक्षा सहित पहुंच तथा समानता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराता है।

1. प्राक्कथन—पृष्ठभूमि—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन

- आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 10 सदस्य (सचिव—शिक्षा सचिव, व्यय, तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामनिर्देशित 8 अन्य सदस्य) हैं। सचिव आयोग के सचिवालय का मुखिया होता है जिसमें 460 कार्यरत कर्मचारिवृंद हैं जिनमें 74 अधिकारी समूह 'क', 241 अधिकारी समूह 'ख' 135 कर्मचारी समूह 'ग' से संबंधित हैं। कार्यरत कर्मचारिवृंदों में 30.22 प्रतिशत महिलाएं, 22.61 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 5.43 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 से देश में 7 क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर अपने कार्यकरण का विकेंद्रीकरण किया है।
- सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 13025 आवेदन तथा प्राप्त हुए हैं तथा 8518 का निपटान किया गया है। वर्ष 2016–2017 के दौरान 2039 अपीलें प्राप्त हुईं जिनमें से 829 का सी0पी0आई0ओ0 तथा एफ0ए0ए0 द्वारा निपटान किया गया तथा आरटीआई शुल्क संग्रहण 70180/— रुपए रहा तथा अतिरिक्त शुल्क 36505/— रुपए रहा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सतर्कता प्रकोष्ठ को रिपोर्टीन वर्ष के दौरान 473 शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें से केन्द्रीय सतर्कता आयोग (51), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (71), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (18), अन्य (297) (विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त हुईं) और संवेदनशील स्वरूप की शिकायतों को जाँच समिति के समक्ष रखा गया और समिति की सिफारिशों के अनुरूप कार्यवाही आरंभ की गई। जाँच समिति के निष्कर्षों तथा सतर्कता संबंधी स्थायी समिति (एससीवी) की सिफारिशों के आधार पर अगले आदेश तक तीन महाविद्यालयों को अनुदान जारी करने पर रोक लगा दी गई है।
- वर्ष 2016–17 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भारत के विभिन्न न्यायालयों में दर्ज 1083 मामलों में प्रतिवादी बनाया गया और अधिवक्ताओं के बिल पर पिछले वर्ष के 162.33 लाख रुपए की तुलना में 178.00 लाख रुपए का व्यय हुआ।
- संसद् डेस्क को वर्ष 2016–17 के दौरान पिछले वर्ष के 643 संसदीय प्रश्नों की तुलना में 952 प्रश्न प्राप्त हुए। 41 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर आश्वासन दिया गया तथा शेष का निपटान कर दिया गया।
- जाली विश्वविद्यालयों तथा उपाधियों की बढ़ती संख्या के खतरे से निपटने के लिए उत्तरदायी कदाचार रोधी प्रकोष्ठ ने कुल 23 जाली संस्थानों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की है। 23 जाली संस्थानों के अतिरिक्त दो और विश्वविद्यालय यथा (1) भारतीय शिक्षा परिषद्, लखनऊ (2) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एण्ड मैनेजमेन्ट (आईआईपीएम) जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत मान्यता प्रदान नहीं की गई हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आईआईपीएम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ठोस कार्यवाही के आधार पर कतिपय संस्थानों के नामों के जुड़ने/घटने से संस्थानों की संख्या में अंतर होता रहता है। वि0अ0आ0 ने समाचार पत्रों में जनसाधारण/छात्रों की जागरूकता हेतु अकादमिक सत्र के आरंभ में छात्रों को जाली संस्थानों में प्रवेश प्राप्त न करने हेतु आगाह करते हुए एक नोटिस/प्रेस विज्ञप्ति जारी की।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पदों तथा सेवाओं में आरक्षण के आदेशों के प्रवर्तन हेतु एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आंतरिक शिकायत समिति के संज्ञान में "कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ" से संबंधित दो मामलों को लाया गया तथा दोनों मामलों में जाँच पूर्ण की जा चुकी है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।
- वर्ष 2008 में स्थापित रैंगिंग-रोधी प्रकोष्ठ उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मौजूद रैंगिंग की समस्या के निराकरण के लिए उत्तरदायी है। रैंगिंग के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो भी निर्देश हैं, उनका अनुपालन करने के लिये समस्त उच्चतर

शिक्षण संस्थानों को कहा गया है। कॉल सेंटर सुविधाओं के साथ 12 भाषाओं में 24x7 एक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैंगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800-180-5522 आरंभ की गई है। एक रैंगिंग-रोधी वेब-पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष (2016-2017) के दौरान विभिन्न महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध संस्थानों से 515 शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजने को कहा गया है। 489 शिकायतों के मामले में संस्थान द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई, तथापि शेष 26 मामलों में की गयी कार्यवाही रिपोर्ट प्रतीक्षित है और यदि कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है तो रैंगिंग की समस्या के निवारण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम के अनुसार संगत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के रैंगिंग के विरुद्ध प्रचार अभियान आरंभ करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मीडिया प्रचार हेतु 5.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित जारी की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैंगिंग के विरुद्ध मीडिया प्रचार के रूप में भिन्न-भिन्न गतिविधियों हेतु 5,02,34,797/- रुपये की राशि व्यय की है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों को रैंगिंग के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराने के लिए 04 लघु फिल्मों तथा एक वृत्तचित्र तैयार किया है। इन फिल्मों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लेखों के बेहतर रखरखाव तथा पारदर्शिता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक आंतरिक प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रकाशन ब्यूरो ने प्रकाशन/मुद्रण पर 9.72 लाख रुपये व्यय किए तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 94.10 लाख रुपये का व्यय हुआ।

वित्त ब्यूरो :

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए बजट और अनुदान-सहायता का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष 2016-17 के लिए बजट

(रु० करोड़ में)

क्र.सं.	बजट शीर्ष	योजनागत आवंटन		गैर-योजनागत आवंटन	
		ब० अनु०	सं० अनु०	ब० अनु०	सं० अनु०
1.	सामान्य	3975.00	3975.00	6927.87	6927.87

वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त योजनागत और गैर-योजनागत (सामान्य) अनुदान (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुदान	योजनागत	गैर-योजनागत
1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य)	3972.37	6927.87
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली		
	(i) अ०जा० के अभ्यर्थियों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	196.00	
	(ii) अ०पि०व० के अभ्यर्थियों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	27.00	0.00
3.	जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	74.39	0.00
4.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	119.85	0.00
	कुल	4389.61	6927.87

- वर्ष 2016-17 के दौरान जारी किये गए योजनागत अनुदान (3996.96 करोड़ रुपये) में से 50.32 प्रतिशत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 2.21 प्रतिशत सम विश्वविद्यालयों, 13.13 प्रतिशत राज्यों के विश्वविद्यालयों तथा 3.08 प्रतिशत राज्य विश्वविद्यालयों आदि के महाविद्यालयों को जारी किया गया। 1.07 प्रतिशत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को, 6.78 प्रतिशत क्षेत्रीय केन्द्रों, 20.49 प्रतिशत बैंकों के माध्यम से छात्रवृत्तियों के लिए ऑनलाइन भुगतान करने, 2.28 प्रतिशत विविध/विश्वविद्यालयेत्तर तथा 1.26 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों को जारी किए गए।

- वर्ष 2016-17 के दौरान जारी कुल गैर-योजनागत अनुदान (6457.96 करोड़ रुपये) में से 63.22 प्रतिशत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 18.31 प्रतिशत दिल्ली और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों, 3.03 प्रतिशत राज्य विश्वविद्यालयों, 1.29 प्रतिशत अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों, 4.52 प्रतिशत सम विश्वविद्यालयों और 1.19 प्रतिशत प्रशासनिक प्रभारों तथा 1.62 प्रतिशत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा 0.04 प्रतिशत राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को जारी किया गया।
- संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) जो उन शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंदों के पदों (केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों) के लिए एक समान संवर्ग संरचना तैयार करने और वेतनमानों, कर्तव्यों, अर्हताओं का योजितकरण करने के लिये किया गया है जो शिक्षण कर्मचारिवृंदों हेतु वेतन समीक्षा समिति के तहत कवर नहीं होते हैं। समिति ने 24 संवर्गों के लिए रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया था। आयोग द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 07.05.2014 के पत्र के माध्यम से जेसीआरसी की रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया जिन्हें सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों को कार्यान्वयन के लिए प्रेषित किया गया है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित संस्थानों में एसीपी/ एमएसीपी योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अनुमोदित दिशानिर्देश भी परिचालित किए जा चुके हैं।
- दिनांक 28 दिसम्बर, 1953 से अस्तित्व में आने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) ने विश्वविद्यालयों में समन्वय तथा मानकों के निर्धारण के अपने अधिदेश के साथ अपने अस्तित्व के 63 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस प्रकार, इसने देश में उच्चतर शिक्षा के गुणवत्तात्मक सुधार के लिये अपनी यात्रा के 63 मील के पड़ाव पार किए हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग द्वारा विचार कर अनुमोदित किए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- ☐ मानदंडों से संबंधित मामले
- ☐ सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त संदर्भ
- ☐ विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता कार्यक्रम आदि
- ☐ विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान

वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निम्नवत नौ बैठकें हुई :

- दिनांक 12 अप्रैल, 2016 की 514वीं बैठक
- दिनांक 20 मई, 2016 की 515वीं बैठक
- दिनांक 15 जून, 2016 की 516वीं बैठक
- दिनांक 22 जून, 2016 की 517वीं बैठक
- दिनांक 29 सितंबर, 2016 की 518वीं बैठक
- दिनांक 15 नवंबर, 2016 की 519वीं बैठक
- दिनांक 14 दिसंबर, 2016 की 520वीं बैठक
- दिनांक 22 फरवरी, 2017 की 521वीं बैठक
- दिनांक 28 मार्च, 2017 की 522वीं बैठक

मानकों से संबंधित मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय

- आयोग ने सेट परीक्षा(ए) आयोजित करने के लिए आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम को प्रत्यायन प्रदान करने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने कर्नाटक राज्य की ओर से एसईटी परीक्षा(ए) आयोजित करने के लिए मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर, कर्नाटक को प्रत्यायन प्रदान करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से एसईटी परीक्षा(ए) आयोजित करने के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सीजीवीवाईएपीएएम), रायपुर, छत्तीसगढ़ को प्रत्यायन प्रदान करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

- आयोग ने पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से एसईटी परीक्षा(ए) आयोजित करने के लिए पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग ने महाविद्यालय (इन्टरमीडिएट) को आगे प्रत्यायन प्रदान करने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की ओर से एसईटी परीक्षा(ए) आयोजित करने के लिए एसएलईटी आयोग (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम को आगे प्रत्यायन प्रदान करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य की ओर से एसईटी परीक्षा(ए) आयोजित करने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) को प्रत्यायित किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने तेलंगाना राज्य की ओर से एसईटी परीक्षा(ए) आयोजित करने के लिए ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद को प्रत्यायन प्रदान किए जाने को अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढाँचा) विनियम, 2016 पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान) विनियम, 2016 पर विचार कर अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय और विदेशी शिक्षण संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और मानक को बनाए रखना) संबंधी विनियम, 2016 को अनुमोदित किया।
- आयोग ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्यायन के समाप्त होने से पूर्व छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पुनः प्रत्यायन के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं के मामले में दो लगातार प्रत्यायनों के बीच की अवधि में छूट प्रदान किए जाने हेतु संकल्प किया। अन्य संस्थाओं जिन्होंने उपर्युक्त उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन नहीं दिया है, उन मामलों में छूट की अधिकतम अवधि दो लगातार प्रत्यायन चक्रों के बीच एक वर्ष होगी। एनएएसी प्रत्यायन के मामले में उपर्युक्त छूट के सिद्धांत राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) के मामले में भी लागू होंगे। यदि किसी संस्था को एनएएसी के वर्तमान में प्रवर्तित सात बिंदु वाले पैमाने में ए++ और ए+ (4 में से 3.5 या इससे अधिक) मिला है तो इन विनियमों के उद्देश्य के लिए इसे सर्वोच्च प्रत्यायन के रूप में माना जाएगा।
- आयोग ने संकल्प किया कि एनएएसी को ऐसी संस्थाएं, जिन्हें समविश्वविद्यालयों का दर्जा दिया जाना है और जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन/पूर्व अनुमति के बिना ही मुख्य विश्वविद्यालय से दूरस्थ परिसर केंद्रों की स्थापना की है और मुख्य परिसरों में ही प्रत्यायन प्रक्रिया चलाती हैं, उन्हें अपने दूरस्थ परिसरों को मुख्य परिसरों के प्रत्यायन से अलग करने के लिए कहा जा सकता है और अपने मुख्य परिसर में ही प्रत्यायन की प्रक्रिया जारी रखने को कहा जा सकता है।
- आयोग ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति कि अंतर्गत डिग्री जारी करने और प्राप्त अंक पत्रों के मामलों पर विचार किया और अनुमोदन प्रदान किया कि सभी विश्वविद्यालयों को डिग्री प्रमाणपत्रों को जारी करने के तरीके बताने के लिए कहा जाए।
- समिति ने इस शर्त के साथ विशेषज्ञ समिति द्वारा तत्स्थानिक जांच के बिना राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) द्वारा प्रत्यायित महाविद्यालयों को स्वायत्ता का दर्जा देने हेतु विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान किया कि किसी ऐसे महाविद्यालय जिन्हें एनएएसी से लगातार दो चरणों में सबसे अधिक ग्रेड प्राप्त हुआ है और तीसरे चरण में भी सबसे अधिक ग्रेड प्राप्त हुआ हो, उन्हें स्वायत्ता का दर्जा प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि उन्हें संबद्ध विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ हो और वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निम्नवत विनियमों का अक्षरशः पालन करता हो, यथा (क) उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैकिंग की समस्या का निवारण संबंधी विनियम, 2012; (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षण संस्थान समानता का संवर्धन) विनियम, 2012; (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 आदि। आयोग के उपर्युक्त निर्णय को शामिल करते हुए स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशानिर्देशों में बदलाव किया जाए।
- आयोग ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) द्वारा तीसरे चरण में प्रत्यायन अवधि की वैधता को बढ़ाने के संबंध में मामले पर विचार करने के लिए इसे एनएएसी को भेज दिया।

- ऐसे महाविद्यालय जो बिना किसी अंतराल के विश्वविद्यालय के साथ दस वर्षों से संबद्ध हैं और एनएएससी द्वारा प्रत्यायित है, उन्हें “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान प्राप्ति हेतु महाविद्यालयों की उपयुक्तता) नियमों” के अंतर्गत 12 ख का दर्जा दिया जा सकता है बशर्ते कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निम्नवत विनियमों यथा (क) उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की समस्या का निवारण करने संबंधी विनियम, 2012 है; (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षण संस्थानों में समानता का संवर्धन) विनियम, 2012; (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 आदि का अक्षरशः पालन करते हों।
- आयोग ने कतिपय प्रमुख उपलब्धियों को उद्धृत करते हुए कतिपय टिप्पणियों को शामिल करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से संसद के समक्ष रखने के लिए वर्ष 2015–16 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने शुल्कों के प्रेषण और वापसी तथा छात्रों से संबंधित अन्य मुद्दों से जुड़ी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने एक साथ दो या दो से अधिक पाठ्यक्रमों का एक साथ अध्ययन करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की अधिसूचना पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि किसी भी दो पाठ्यक्रमों को एक साथ करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाए। इस निर्णय को लेने के क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुदेशों को ध्यान में रखा गया था।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इस्टीमेट (एफडीडीआई), नोएडा, उत्तर प्रदेश को नई श्रेणी के तहत समविश्वविद्यालय का दर्जा देने हेतु इस प्रस्ताव का आकलन करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि एफडीडीआई को एक समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में बनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक आशय पत्र जारी करने की सिफारिश करेगा। विशेषज्ञ समिति द्वारा बताई गई कमियों के अनुसार एफडीडीआई से अनुपालन रिपोर्ट सौंपे जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी सिफारिशें सौंपने से पूर्व पुनः जांच करेगा।
- आयोग ने अंतर्विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केन्द्र (आईयूसी-टीई), बीएचयू, वाराणसी में निदेशक की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने अंतर्विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केन्द्र (आईयूसी-टीई), जेएनटीयू, काकीनाडा में निदेशक की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की समीक्षा समिति (टंडन समिति) द्वारा ‘ग’ श्रेणी में रखे गए समविश्वविद्यालय संस्थाओं की समीक्षा पर विचार किया और साथ ही विशेषज्ञों के पेनल को अंतिमरूप देने के लिए एक उप-समिति का गठन करने का संकल्प लिया।
- आयोग ने (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सरकारी शिक्षण संस्थाओं की उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में घोषणा) संबंधी दिशानिर्देश, 2017, और; (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उत्कृष्ट समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2017 को अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शिक्षणकर्मियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने हेतु उपाय) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016 के खंड 3 में यथा उल्लेखित पीएचडी डिग्री के संदर्भ में “नियमित पद्धति” शब्द पर विचार किया और अनुमोदित किया। तथापि, दूरस्थ शिक्षा पद्धति के तहत पीएचडी की अनुमति नहीं है।
- आयोग ने नई श्रेणी के तहत केआईएसएस को समविश्वविद्यालय घोषित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया।
- आयोग ने संकल्प लिया की योजनागत शीर्ष के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सभी मौजूदा योजनाएं वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए जारी रहेंगी। तथापि, इन योजनाओं की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समीक्षा की जाएगी।

सरकारी और अन्य राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त संदर्भों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय

- आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षण कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए वेतन पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट को अनुमोदित कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रेषित किया।

विशेष कार्यक्रमों, गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों आदि के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय

- दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को हुई “उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों (यूपीई)” संबंधी स्थायी समिति की बैठक में की गई सिफारिशों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने (1) सीपीई योजना के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान नए सीपीई महाविद्यालयों की पहचान करने और (2) सीपीई योजना के अंतर्गत जमशेदपुर महिला महाविद्यालय, झारखंड का दौरा करने वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए स्थायी समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रशासित समविश्वविद्यालयों और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के अनुसार दाखिले में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग विस्तार योजना के तहत जारी निधियों के उपयोग के लिए समय को बढ़ाने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ही अनुमोदित पीठों की सूची में श्री गुरु गोविंद सिंह और स्वामी दयानंद सरस्वती पीठों को शामिल किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने बीएसआर के अंतर्गत फैकल्टी रिकार्ज प्रोग्राम के माध्यम से नियुक्त किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संकाय के समक्ष आ रही कठिनाइयों के संबंध में मुद्दों पर विचार किया और यह संकल्प लिया कि भविष्य में एफआरपी कार्यक्रमों को बंद कर दिया जाएगा।
- आयोग ने योग विषय और प्रस्तावित पाठ्यक्रम में राष्ट्रीयता पात्रता परीक्षा (एनईटी) आरंभ किए जाने पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- दिनांक 8 जून और 23 जून, 2016 को हुई क्रमशः “विशेष क्षेत्रों में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्रों (सीपीईपीए)” और “उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों (यूपीई)” संबंधी स्थायी समिति की संयुक्त बैठक की सिफारिशों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी) की स्थापना पर विचार किया और अनुमोदन प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, यह संकल्प लिया गया कि चूंकि राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार के कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संचालन समिति द्वारा समझौता ज्ञापन को पहले ही अनुमोदन दे दिया गया है, इसलिए, कार्यान्वयन प्रकोष्ठ के सभापति निक्षेपों के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से समझौता करेंगे।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 ख के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए समविश्वविद्यालयों/संस्थाओं को एसएपी सहायता जारी रखने को इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि सभी संस्थाओं/समविश्वविद्यालयों से छह महीने की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 ख के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास स्वायत्ता हेतु संबद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावों को मंजूर करने के संबंध में स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों में संशोधन किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी) की स्थापना के लिए एनएसडीएल डेटाबेस प्रबंधन लिमिटेड (एनडीएमएल) और सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड (सीवीएल) के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा त्रिपक्षीय समझौते को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने उच्च अधिकार प्राप्त दूरस्थ शिक्षा समिति (एचपीडीईसी) बैठकों के कार्यवृत्त पर विचार किया, उन्हें अनुमोदित किया और उनकी अभिपुष्टि की।

- बारहवीं योजना (2012–17) के दौरान विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पीठों हेतु दिशानिर्देशों में पड़ित दीनदयाल उपाध्याय पीठ की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया गया।
- प्रतिष्ठित एलआईजीओ भारत मेगा विज्ञान परियोजना को शुरू करने के लिए मुख्य संकाय और तकनीकी विशेषज्ञता को सर्वर्धित करने हेतु आईयूसीएए, पुणे के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
- स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों हेतु पर्यावरण संबंधी अध्ययनों से जुड़े मॉड्यूल पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान देने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय

- आयोग ने गैर-योजनागत अनुदान के तहत गैर-वेतन संघटक में कमी को दूर करने के लिए समविश्वविद्यालयों द्वारा आंतरिक प्राप्तियों के उपयोग के मुद्दे को अगले आदेशों तक जारी रहने दिए जाने की शर्त के अधीन इसकी अभिपुष्टि की।
- ग्यारहवीं योजना के दौरान चालू भवन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए डॉ. एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय, सागर को 1941.44 लाख रुपए के अतिरिक्त अनुदान जारी किए जाने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया।
- वर्ष 2015–16 हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेखों को अनुमोदन प्रदान किया तथा आयोग के सदस्यों ने निर्धारित समय-सीमा से पूर्व ही लेखों को अंतिम रूप प्रदान करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए परिश्रम की सराहना की।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दक्षिण बिहार स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय को 54,00,00,000/— रुपए (केवल चौवन करोड़ रुपए) की अतिरिक्त राशि के आबंटन को अनुमोदित किया।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की शैक्षिक और वित्तीय समीक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट तथा योजना अवधि के लिए योजनागत अनुदान (सामान्य विकास सहायता) प्रदान किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने सीपीई योजना के तहत संघटित महाविद्यालयों के मामले पर विचार किया तथा अनुमोदित किया कि महाविद्यालय सीपीई/सीई को अनुदान प्रदान किए जाने हेतु विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे एक शपथपत्र में यह वचन दें कि इस योजना के तहत प्रदान की गई इस प्रकार की निधियों को जूनियर कॉलेजों अर्थात् 10+1 और 10+2 कक्षाओं के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
- आयोग ने (i) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए), नई दिल्ली को एक समविश्वविद्यालय के रूप में “उच्चतर शिक्षा में नीति अनुसंधान केन्द्र” को 250 लाख रुपए के अनुदान को संस्वीकृत किए जाने के संबंध में जानकारी को नोट किया और इसकी अभिपुष्टि की।
- विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भुगतान किए गए गैर-योजनागत अनुदानों की अधिकतम सीमा को युक्तिसंगत बनाने और उसे निर्धारित करने के लिए समिति की बैठकों को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने इस शर्त पर विचार किया और इसका अनुमोदन किया कि सभी समविश्वविद्यालयों/संस्थाओं से कहा जाए कि वे छह माह की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करें।
- समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/समविश्वविद्यालयों में नियमित आधार पर और ऑउटसोर्स के आधार पर शिक्षणेत्तर पदों के सृजन के संबंध में निर्णय को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बन जाने के कारण इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई निधियां जारी नहीं किए जाने के संबंध में विचार किया गया तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।
- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कतिपय केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजनागत अनुदान का आबंटन किए जाने की समीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई तथा गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान (समविश्वविद्यालय) के विशिष्ट मुद्दे को अनुमोदन प्रदान किया।
- लेखों के निपटान के लिए अपेक्षित सहायक दस्तावेजों को सौंपे जाने पर अप्रयुक्त अनुदान सहायता सहित राज्य सरकार द्वारा खर्च नहीं की गई राशि, सरकारी सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित/निजी महाविद्यालयों द्वारा वास्तव में अर्जित ब्याज की वापसी के मुद्दे को अनुमोदन प्रदान किया। तथापि, संबंधित संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वापस की जाने वाली निधियां, यदि कोई हों तो, पर अर्जित ब्याज के संबंध में बैंक से प्राप्त एक प्रमाणपत्र सौंपेगा।

2. उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकास : कुछ आँकड़े

- आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ज) के तहत देश तथा अन्य देशों के विश्वविद्यालयों की शिक्षा से सम्बंधित मामलों में इस प्रकार की सूचना एकत्रित करने का अधिकार है, जैसा वह उचित समझता है।
- शिक्षा के क्षेत्र में समय से तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़े, जिनका मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है, प्राप्त करने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में उच्चतर शिक्षा के समग्र हालात का जायजा लेने के लिये डाटाबेस तैयार करने हेतु उच्चतर शिक्षा का अखिल भारतीय सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया है।
- आँकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिये नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की मदद से एक प्रतिबद्ध पोर्टल (<http://aishe.gov.in>) विकसित किया गया है। पोर्टल तक पहुँच बनाने तथा डॉटा अपलोड करने के लिए सभी संस्थानों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। वि०अ०आ० के सूचना और सांख्यिकीय ब्यूरो ने वर्ष 2014–15 से सीधे विश्वविद्यालय से आंकड़े संग्रहित करना बंद कर दिया है तथा अखिल भारतीय आधार पर पोर्टल <http://aishe.gov.in> के माध्यम से आँकड़ों का संकलन तथा प्राक्कलन का कार्य किया जा रहा है इससे यह प्रक्रिया कागजरहित हो गई है।
- स्वतंत्रता के समय उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में 2.1 लाख छात्रों के साथ देश में केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 महाविद्यालय थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो संख्या विद्यमान थी उसकी तुलना में अब डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों के मामले में यह संख्या 44.75 गुना हो चुकी है। महाविद्यालयों से संबंधित यह संख्या 84.68 गुना हो चुकी है और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की तुलना में उच्चतर शिक्षा की औपचारिक प्रणाली के अंतर्गत छात्रों का नामांकन 140.1 गुना हो चुका है।
- दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की संख्या 795 हो गई है (47 केन्द्रीय, 360 राज्य, 262 राज्य निजी, 123 सम विश्वविद्यालय, राज्य विधान के तहत तीन संस्थान) तथा उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में 42338 महाविद्यालय स्थापित हुए। जहां तक राज्यों में स्थापित विश्वविद्यालय का संबंध है, 74 विश्वविद्यालयों के साथ राजस्थान सूची में सबसे ऊपर है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश (72), तत्पश्चात् गुजरात (59) आदि हैं।
- रिपोर्टधीन वर्ष 2016–17 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों की सूची में 15 राज्य शासकीय तथा 27 राज्य निजी विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया है और 4 राज्य विश्वविद्यालयों तथा एक राज्य निजी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया है।
- वर्ष 2016–17 के दौरान विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर 903 नए महाविद्यालय स्थापित किए गए जिन्हें मिलाकर महाविद्यालयों की संख्या वर्ष 2015–16 के 41435 से बढ़कर वर्ष 2016–17 के दौरान 42338 हो गयी।
- वित्त वर्ष 2016–17 के अंत तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की कुल संख्या 10966 थी। इनमें अब तक धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश (2398), जिसके बाद महाराष्ट्र (1373), कर्नाटक (965), तमिलनाडु (570) और गुजरात (542) आदि में हैं।
- शिक्षा सत्र 2016–17 के दौरान समस्त पाठ्यक्रमों और नियमित विषय के स्तरों पर कुल नामांकन 294.27 लाख था जिसमें 141.56 लाख छात्राएँ थीं, जो कि समस्त नामांकन का 48.11 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में छात्रों का सर्वाधिक नामांकन (58.71 लाख) रहा जिसके बाद महाराष्ट्र (30.95 लाख), तमिलनाडु (24.82 लाख) तथा मध्य प्रदेश (16.76 लाख) आदि रहा।
- विभिन्न स्तरों पर छात्र नामांकन प्रतिशत के संदर्भ में स्नातकपूर्व (86.39 प्रतिशत), स्नातकोत्तर (09.61 प्रतिशत), शोध (0.79 प्रतिशत), डिप्लोमा/प्रमाणपत्र (2.60 प्रतिशत) तथा समेकित रूप से (0.61 प्रतिशत) रहा।
- सभी स्नातकपूर्व छात्रों के लगभग 94.33 प्रतिशत तथा समस्त स्नातकोत्तर छात्रों के 75.28 प्रतिशत छात्र संबद्ध महाविद्यालयों में थे, जबकि शेष विश्वविद्यालयों के विभागों और उनके संघटक महाविद्यालयों में थे।
- छात्रों के कुल नामांकन (294.27 लाख) में से 35.15 प्रतिशत छात्र कला संकाय में थे, तत्पश्चात् 16.88 प्रतिशत विज्ञान में, 16.25 प्रतिशत अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी, 13.23 प्रतिशत वाणिज्य, 4.04 प्रतिशत शिक्षा तथा 4.02 प्रतिशत चिकित्सा, 3.32 प्रतिशत प्रबंधन में, 3.29 प्रतिशत कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान में, 1.62 प्रतिशत विधि में, 1.20 प्रतिशत अन्य विषयों, 0.82 प्रतिशत कृषि में, तथा 0.12 प्रतिशत पशु-चिकित्साविज्ञान में थे।

3. विश्वविद्यालयों को विकास (योजनागत) और अनुस्नातक (गैर-योजनागत) अनुदान

- केन्द्रीय, राज्य और सम विश्वविद्यालयों को पड़ुय को बढ़ाने, समानता को सुनिश्चित करने में, संगत शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता में सुधार करने, प्रशासन को प्रभावी बनाने, छात्रों हेतु सुविधाओं में वृद्धि करने, शोध सुविधाओं का संवर्धन करने और विश्वविद्यालयों की किन्हीं अन्य योजनाओं को सम्मिलित करते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए सामान्य विकास अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। सीमित संख्या में विश्वविद्यालयों को उनके शिक्षण तथा शिक्णोत्तर दोनों वर्गों में कर्मचारियों के वेतन के लिए आवर्ती व्यय का भुगतान करने, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, भवनों आदि के रखरखाव, और कुछ अनिवार्य भुगतानों जैसे करों, टेलीफोन, बिजली के बिल, डाक खर्च आदि के लिये अनुस्नातक अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और कुछ समविश्वविद्यालयों को योजनागत और गैर-योजनागत अनुदान दिये जा रहे हैं, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों को केवल योजनागत अनुदान का ही भुगतान किया जा रहा है। निजी विश्वविद्यालयों को केवल शिक्षकों तथा छात्रों के लिए योजनागत अनुदान प्रदान किया जाता है।

- वर्ष 2016-17 के दौरान दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 47 थी। इनमें से सात विश्वविद्यालयों नामतः (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (iii) इंडियन मरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई (iv) सौष्ठव एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली (v) नालन्दा विश्वविद्यालय, बिहार, (vi) राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्बुधन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश और (vii) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान केवल 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजनागत एवं गैर-योजनागत अनुदानों द्वारा सहायता प्रदान की गई।

- रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 1636.92 करोड़ रुपए का सामान्य विकास अनुदान उपलब्ध कराया गया। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा एक चिकित्सा महाविद्यालय को 4485.93 करोड़ रुपए का अनुस्नातक अनुदान उपलब्ध कराया गया।

- वि.अ.आ. ने “बाह्य संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहन” नाम से न्यायवर्ती पंचवर्षीय योजना के दौरान एक योजना आरंभ की। यह योजना बारहवीं योजना अवधि के दौरान भी जारी रही तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय को 50 लाख रुपए की राशि का अनुदान जारी किया गया।

- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षण संकायों की संख्या पिछले वर्ष के 14.38 लाख शिक्षक की तुलना में बढ़कर 14.70 लाख हो गई। 14.70 लाख शिक्षकों में से 88.96 प्रतिशत शिक्षक महाविद्यालयों में थे और शेष 11.04 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में थे।
- वर्ष 2016-2017 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पी.एच.डी. तथा एम.फिल. पाठ्यक्रमों में क्रमशः 194159 तथा 37328 छात्र नामांकित हुए।
- वर्ष 2015-2016 के दौरान 27671 पी.0एच.0डी0 शोध उपाधियां प्रदान की गईं। इनमें से सबसे अधिक विज्ञान संकाय में 7836 पी.एच.डी. उपाधियां, तत्पश्चात् कला संकाय में 6711 पी.0एच.0डी0 उपाधियां प्रदान की गईं। इन दोनों संकायों में प्रदत्त उपाधियां कुल उपाधियों का 51.85 प्रतिशत रही।
- वर्ष 2015-16 के दौरान 24283 शोध उपाधि एम्फिल0 प्रदान की गई। प्रदान की गई एम्फिल0 उपाधियों की कुल संख्या में से कला संकाय में अधिकतम संख्या अर्थात् 10260 उपाधियां प्रदान की गई तत्पश्चात् कला विज्ञान में 5626 उपाधियां प्रदान की गई।
- रिपोर्टधीन वर्ष 2016-17 के दौरान समस्त स्तरों पर नामांकित प्रति सौ पुरुष छात्रों पर छात्राओं का नामांकन 92 रहा।
- प्रतिशतता के संदर्भ में, महिला नामांकन लगभगीप में सर्वाधिक रहा (71.56 प्रतिशत) उसके पश्चात् गोवा (60.38 प्रतिशत) रहा। पश्चिमी संख्या में उत्तर प्रदेश 28.13 लाख के आंकड़ों के साथ महिला नामांकन के मामले में सबसे शीर्ष पर रहा जिसके बाद महाराष्ट्र (14.35 लाख) तथा तमिलनाडु (13.17 लाख) आदि रहे।
- महिला नामांकन कला संकाय में सर्वाधिक (60.06 प्रतिशत) रहा, उसके पश्चात् विज्ञान (17.48 प्रतिशत) तत्पश्चात् वाणिज्य (13.53 प्रतिशत) तथा इन तीन संकायों में महिला नामांकन 71.06 प्रतिशत रहा।
- पी.0एच.0डी0 उपाधियों में महिलाओं की 42.38 प्रतिशत तथा एम्फिल0 उपाधियों में 67.11 प्रतिशत भागीदारी रही।

- वर्ष 2016-17 के दौरान वि.अ.आ. ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अवसंरचना विकास के लिए 3055.00 लाख रूपए की राशि का अतिरिक्त एकमुश्त अनुदान प्रदान किया।
- वर्ष 2016-17 के दौरान वि.अ.आ. ने स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता और अनुशासन को बढ़ावा देने के माध्यम के तौर पर योग के महत्व को बढ़ावा देने के लिए छह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (एक) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (दो) विश्व भारती, शांतिनिकेतन (तीन) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चार) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय (पांच) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (छह) मणिपुर विश्वविद्यालय में पूर्ण योग विभाग और पाठ्यक्रमों को संस्वीकृति प्रदान की। वर्ष 2016-17 के दौरान इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 500.00 लाख रूपए का अनुदान जारी किया गया।
- बारहवीं योजना के दौरान अ.जा. / अ.ज.जा. / महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की स्थापना के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय को 58.84 करोड़ रूपए का कुल अनुदान जारी किया गया।
- उन शिक्षकों को विशेष मानदेय के रूप में वर्ष 2016-17 के दौरान पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय को 1.80 लाख रूपए की राशि जारी की गयी जो ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कम से कम दो अथवा चार विनिर्दिष्ट विज्ञान शिक्षा के अध्येता हैं।
- वर्ष 2016-17 के दौरान हरियाणा के केन्द्रीय विश्वविद्यालय और जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय में क्रमशः स्वामी दयानंद सरस्वती पीठ और गुरु गोबिंद सिंह पीठ की स्थापना की गई।
- वि.अ.आ. ने बारहवीं योजना के दौरान तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को उर्दू माध्यम के शिक्षकों के पेशेवर विकास हेतु केन्द्र की स्थापना के लिए 10.96 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 38 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक के लिए वाई-फाई की परियोजना लागत को अनुमोदित किया। वि.अ.आ. ने इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कार्रवाई शुरू की: 01 अगस्त, 2016 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वि.अ.आ., एनआईसीएसआई और 38 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बीच 38 विश्वविद्यालयों में हॉट स्पॉट / वाई फाई कैंपस कनेक्ट हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए। वि.अ.आ. ने वर्ष 2016-17 के दौरान 28 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 200.77 करोड़ रूपए की राशि जारी की।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना तथा उन्हें सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को निधियां उपलब्ध करवा रहा है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।
- वर्ष 2016-17 के दौरान 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस को अनुशिक्षण व्यय की पूर्ति हेतु 4485.93 करोड़ रूपए के गैर-योजनागत अनुदान की राशि जारी की गई थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मेदा विश्वविद्यालय की संकल्पना को आरंभ किया ताकि नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा ज्ञान-अर्जन के संसाधनों को साझा किया जा सके ताकि छात्र विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध ज्ञानअर्जन के संसाधनों से लाभान्वित हो सकें। वर्ष 2016-17 के दौरान योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।
- वि0अ0आ0 ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा का विस्तार करने को संस्वीकृति प्रदान की है। वर्तमान में, 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विद्यालय/विभाग हैं जो विभिन्न पूर्व-सेवाओं तथा अन्य अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षा की पेशकश कर रहे हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत नौ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः तैजपुर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा विश्व भारती को लुप्तप्राय भाषा केन्द्र की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है। वर्ष 2016-17 के दौरान योजना के तहत केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय को 1.80 लाख रूपए का अनुदान जारी किया गया था।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी निर्णय लिया की कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा इसके संकाय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र अथवा उसके अंतर्गत कोई इकाई, चाहे इसे किसी भी नाम से जानी जाती हो, यदि वह दिनांक 31 दिसम्बर,

2015 तक मूल्यांकन अथवा प्रत्यायन नहीं करवाते हैं तो वह दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से आयोग की किसी भी योजना के तहत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने अथवा प्राप्त करने का पात्र नहीं होंगे।

- 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 33 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त किया है। 01 केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने पूर्ण में प्रत्यायन प्राप्त किया था परंतु प्रत्यायन की अवधि पूर्ण हो गई है तथा उन्होंने पुनर्प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है। 05 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने पहली बार प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है, एक नवीन स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रत्यायन हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों में सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए केन्द्रों की स्थापना हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने अस्तित्व में आने के सौ वर्ष पूर्ण करने वाले विश्वविद्यालयों को विशेष विरासत वाले विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालयों को बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 10.00 करोड़ रुपए का एकमुश्त अनुदान जारी करने की एक योजना तैयार की है।
- दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों के विधानों द्वारा अधिमियमित कानूनों के अंतर्गत 360 राज्य सरकारी और 262 राज्य निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों के लिए 13913.15 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की गई थी।
- वर्ष 2016-17 के दौरान सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत पूर्वोत्तर के राज्य विश्वविद्यालयों के लिए 15730.88 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की गई थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014-15 के दौरान “स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत” नामक नई योजना आरंभ की है। इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय सामान्य विकास अनुदान का उपयोग करेंगे जिसे पहले ही राज्य विश्वविद्यालयों को आवंटित किया जा चुका है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीम के तहत वाई-फाई कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 58 राज्य विश्वविद्यालयों को 5.56 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।
- गैर-योजनागत अनुदान (वेतन शीर्ष) हेतु पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को 19773.00 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।
- दिनांक 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार 123 सम विश्वविद्यालय थे। इन 123 सम विश्वविद्यालयों में से 21 चिह्नित सम विश्वविद्यालय थे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निर्धारित योजनागत तथा गैर- योजनागत/ निर्धारित अनुसूचण/ विशेष अनुदान प्राप्त कर रहे थे।
- वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य विकास योजना के तहत 18 सम विश्वविद्यालयों को 5567.52 लाख रुपए की राशि जारी की।
- वर्ष 2016-17 के दौरान 10 सम विश्वविद्यालयों को गैर-योजनागत अनुदान (अनुसूचण अनुदान) के तहत 31284.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।
- दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार संबंधित राज्य विधानमंडलों के अधिनियम के द्वारा 262 राज्य निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और अनुसूचण) विनियम, 2003 के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निजी विश्वविद्यालयों को विनियमित किया जाता है।
- 262 निजी विश्वविद्यालयों में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले ही 160 निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण किया है तथा 31 और निजी विश्वविद्यालयों का दौरा करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

4. महाविद्यालयों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (गैर-योजनागत) सहायता

- विकास हेतु सहायता का बल, मूलभूत अवसंरचना का उन्नयन कर शिक्षण-ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को समर्थन देने पर रहा है। मौजूदा संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार तथा उन्हें मजबूत करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तरों में सुधार करने, विशेषरूप से स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों को करियर के अवसरों से जोड़ने के लिए, उन्हें औचित्यपूर्ण तथा विविध बनाने पर जोर दिया गया है। शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त सुविधाएँ मौजूद नहीं हैं, वहाँ पर भी नए महाविद्यालयों की स्थापना करना आयोग की एक प्राथमिकता है।
- दिनांक 31 मार्च, 2017 तक देश में 42338 महाविद्यालय थे। इनमें से दिनांक 31 मार्च, 2017 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत केवल 10966 महाविद्यालयों अर्थात् 25.90 प्रतिशत को मान्यताप्राप्त है। कुल 10966 महाविद्यालयों में से मात्र 8993 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। महाविद्यालय क्षेत्रक से संबद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सभी योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली और बंगलूरु में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से होता है।
- वर्ष 2016-17 के दौरान महाविद्यालय विकास योजना के अंतर्गत 975 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 91.44 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों को विकास सहायता योजना के तहत 5819 पात्र महाविद्यालयों को 751.42 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई।
- वर्ष 2016-17 के दौरान महिला छात्रावास के निर्माण की योजना के तहत 221 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को क्षेत्रीय कार्यालयों से 36.43 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1910 महाविद्यालयों को 456.54 करोड़ रुपए का कुल अनुदान जारी किया गया।
- वर्ष 2016-17 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों ने 178 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को स्वायत्त महाविद्यालय की योजना के तहत 29.80 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 275 महाविद्यालयों को 171.58 करोड़ रुपए का कुल अनुदान जारी किया गया।
- वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयों ने शिक्षकों हेतु लघु शोध परियोजना स्कीम के तहत विज्ञान में 13.17 करोड़ रुपए तथा मानविकी में 12.03 करोड़ रुपए का अनुदान क्रमशः विज्ञान के 975 तथा मानविकी के 1295 शिक्षकों को जारी किया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानविकी और विज्ञान के 15791 शिक्षकों को 222.60 करोड़ रुपए का कुल अनुदान जारी किया गया।
- वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयों ने संगोष्ठियों/परिसंवाद/कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के 478 प्रस्तावों को अनुमोदित किया तथा पात्र महाविद्यालयों को 4.41 करोड़ रुपए की राशि जारी की। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के तहत 6453 महाविद्यालयों को 77.63 करोड़ रुपए की राशि जारी की।
- वर्ष 2016-17 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों ने संकाय विकास कार्यक्रम योजना के तहत 917 लाभार्थियों (शिक्षकों) को 26.90 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के तहत 6216 लाभार्थियों (शिक्षकों) को 150.38 करोड़ रुपए की राशि जारी की।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने का एक नीतिगत निर्णय लिया है जिसके लिए इसने प्रत्येक महाविद्यालय को आईक्यूएसी की स्थापना करने तथा उसे सुदृढ़ करने हेतु व्यय के लिए प्रारंभिक राशि (सीड मनी) के रूप में 3.00 लाख रुपए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों ने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ योजना (आईक्यूएसी) के तहत 4690 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 139.16 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया।
- वर्ष 2016-17 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों ने महाविद्यालयों में खेल अवसंरचना तथा उपकरण विकास योजना के तहत 154 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 32.69 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 993 महाविद्यालयों को 276.36 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन महाविद्यालयों को विशेष विरासत योजना का लाभ प्रदान कर रहा है जिन्होंने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और देश के लंबे इतिहास के सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक ताने-बाने को बनाये रखने में अत्यधिक योगदान दिया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे विरासत वाले संस्थानों के योगदान को मान्यता देने तथा उन्हें पुरस्कृत करता है ताकि वे हगारी युवा पीढ़ी को शिक्षा के उचित मान के बारे में प्रोत्साहित करते रहें। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत “महाविद्यालयों को विशेष विरासत योजना” के तहत 13 महाविद्यालयों को 9.11 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता दी गई है।
- **दृष्टिबाधित शिक्षक :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों के लिए पाठक की सहायता से और पाठक भत्ता सेवा शिक्षण और अभिगम सहायता सामग्री का उपयोग करके तथा ब्रेल पुस्तकों, रिकार्डेड सामग्रियों आदि के क्रय के लिए धनराशि उपलब्ध कराकर शिक्षण और अनुसंधान कार्य करने के उद्देश्य से दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को सहायता देने के लिए योजना बनाई। वर्ष 2016-17 के दौरान 15 लाभार्थियों को 0.06 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 47 लाभार्थियों को कुल 1.25 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिबद्ध देयताओं के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 6708 लाभार्थी महाविद्यालयों को 1305.32 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया।
- वर्ष 2016-17 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 महाविद्यालयों और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 4 घटक महाविद्यालयों को कुल 123051.28 लाख रुपए का अनुदान तथा 4674.21 लाख रुपए की राशि अनुसूक्ष्म अनुदान के रूप में दी प्रदान की गई।
- वर्ष 2016-17 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के 64 महाविद्यालयों को सामान्य विकास, महिला छात्रावास तथा खेल-कूद अवसरचना, भवन निर्माण तथा संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला आयोजित करने के लिए 3442.40 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

5. गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता

- शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 16 चिह्नित विश्वविद्यालयों को “उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय” (यूपीई) का दर्जा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालयों को 70.11 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने “विशिष्ट क्षेत्र में विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सीपीईपीए)” योजना आरंभ की ताकि शिक्षण और शोध क्रियाकलापों गुणवत्ता और उत्कृष्टता के साथ साथ अंतर्विधा पद्धति को बढ़ावा दिया जा सके। दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार इस योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों से 29 केन्द्रों को सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2016-17 के दौरान केन्द्रों को 26.67 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।
- महाविद्यालयों में मुख्य रूप से शिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करने और महाविद्यालयों में शोध की संस्कृति की पहल करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने “उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय” (सीपीई) नामक एक योजना आरम्भ की है। वर्तमान में, 295 महाविद्यालयों को सीपीई दर्जा प्राप्त है तथा 19 महाविद्यालय को उत्कृष्टता के महाविद्यालय (सीई) दर्जा प्राप्त है। वर्ष 2016-17 के दौरान सीपीई योजना के तहत कुल 314 महाविद्यालय हो गए हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान इस महाविद्यालयों को 57.30 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।
- आयोग ने वर्ष 2001 में विभिन्न अंतर-विषय क्षेत्रों में अध्यापकों तथा शोध पर ‘नए केन्द्रों की स्थापना/उत्कृष्टता के संस्थान’ की नई योजना को आरम्भ किया। वर्तमान में, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में राष्ट्रीय अध्ययन का एक केन्द्र चल रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान 4.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान योजना को बंद कर दिया गया है।
- स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने तथा शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) के तहत जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान सहित विज्ञान के विश्वविद्यालय विभागों को सहायता प्रदान की जा रही है। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार एसएपी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या 816 रही। वर्ष 2016-17 के दौरान सीएसएस स्तर पर 153 विभागों तथा डीएसएस के स्तर पर 72 विभाग तथा डीआरएस के स्तर पर 591 विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2016-17 के दौरान 82.44 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

- आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत सम्भाव्यता वाले मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों को शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन्हें स्वायत्ता का दर्जा प्रदान कर रहा है। दिनांक 31.03.2017 तक 24 राज्यों के 104 विश्वविद्यालयों के 602 महाविद्यालयों को स्वायत्ता का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 178 स्वायत्त महाविद्यालयों को 29.80 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया था।
- मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी), (अकादमिक स्टॉफ कॉलेज-एएसीसी) के माध्यम से विभिन्न विधाओं में शिक्षकों के पेशेवर विकास हेतु एक बृहत कार्यक्रम का संचालन किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रहे इन केन्द्रों के कार्यक्रम हेतु 47.52 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन केन्द्रों को 246.33 करोड़ रुपए का कुल अनुदान जारी किया गया।
- हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा अनुभाग ने कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन, टिप्पण और मसौदा लेखन और हिन्दी टंकण प्रतियोगिताओं को आयोजित किया कार्यशालाओं का संचालन किया और हिन्दी पखवाड़ा एवं हिन्दी दिवस मनाया गया। आयोग से अनुदान प्राप्त करने वाले केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालयों में नए हिन्दी विभागों की स्थापना और उन्नयन करने के लिए आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, नारवे तथा न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ संयुक्त शोध कार्यक्रम चला रहा है साथ ही यह छात्रवृत्तियों, शोध कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भारतीय विद्वानों को उनके शोध क्षमता को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 45.41 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, युवा भारतीय शोधकर्ताओं तथा शिद्दाकों को उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अमेरिका में पोस्ट-डॉक्टोरल शोध हेतु रमन अध्येतावृत्तियों की पेशकश कर रहा है ताकि वे उभरते हुए क्षेत्रों में अंतराष्ट्रीय सहयोगात्मक शोध कार्य कर सकें। वर्ष 2016-17 के दौरान 177 दौरे सम्पन्न हुए।
- राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ, यूनाइटेड किंगडम, भारत में विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा महाविद्यालय में उत्कृष्ट संकाय सदस्यों को शोध कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए 10 राष्ट्रमंडल चिकित्सा अध्येतावृत्ति अवार्डों की पेशकश करता है। वर्ष 2016 के दौरान राष्ट्रमंडल आयोग द्वारा इन अध्येतावृत्तियों के लिए छह भारतीय चिकित्सकों का चयन किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय छात्रों से हंगरी में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरेल अध्ययन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। वर्ष 2016 में हंगरी छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा 105 भारतीय छात्रों का चयन किया गया।
- जर्मनी के साथ वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान हेतु कार्यक्रम के तहत मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में 10 वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा जर्मन अकादमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी) द्वारा तैयार किए गए परियोजना आधारित कार्मिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (पीपीपी) के तहत वर्ष 2016 के दौरान एक परियोजना का चयन किया गया।
- उच्चतर शिक्षा में भारतीय-जर्मन भागीदारी (आईजीपी) : मंत्रालयों और जेडीआई के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) इंडिया एंड जर्मन एकेडेमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी), उच्चतर शिक्षा में भारत-जर्मन भागीदार (आईजीपी) के मध्य दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया और भारत के माननीय प्रधानमंत्री एवं जर्मनी के महामहिम चांसलर की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। पहले चरण में वर्ष 2016 में 8 संस्थागत भागीदारी प्रदान की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्रोत सामग्री संग्रहण योजना के तहत विदेशों का दौरा करने के लिए शिक्षकों को शतप्रतिशत यात्रा अनुदान प्रदान करता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-यूकेआईआईआरआई थिमेटिक भागीदारियां ब्रिटेन और भारत में संस्थान-आधारित सिद्ध शोध क्षमता वाले शोध दलों के मध्य लक्षित हैं। विषय आधारित भागीदारी के तहत वर्ष 2016-17 के दौरान 25 संयुक्त शोध परियोजनाएं प्रदान की गई।

- शिक्षा में भारत-अमरीका कार्यनीतिक भागीदारी बनाने एवं उसे बढ़ाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि के रूप में वर्ष 2009 में भारत-अमरीका 21वीं शताब्दी ज्ञान पहल की घोषणा की गई। वर्ष 2016 के दौरान 4 भारतीय पीआई-नेतृत्व वाले और 4 अमरीकी पीआई-नेतृत्व वाली परियोजनाएं वित्तपोषण हेतु अनुमोदित की गई।
- भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त शोध परियोजना के तहत वर्ष 2014 के दौरान 7 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था।
- भारत-इजरायल संयुक्त शोध कार्यक्रम के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इजरायल साइंस फाउंडेशन (आईएसएफ) ने संयुक्त-शोध परियोजना के वित्तपोषण हेतु वर्ष 2016 के दौरान प्रस्तावों को आमंत्रित किया तथा 10 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया।
- उच्चतर शिक्षा तथा शोध के क्षेत्र में इंडो-नारवीयन सहयोग कार्यक्रम (आईएनसीपी) एक नयी पहल है जिसका उद्देश्य भारत तथा नारवे के बीच उच्चतर शिक्षा संपर्क को बढ़ाना है। उच्चतर शिक्षा पर एक समझौता ज्ञापन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) भारत और 'नारवीयन सेंटर फॉर इंटरनेशनल को-आपरेशन इन एजुकेशन' (एसआईयू) के बीच शिक्षा सहयोग समझौते पर दिनांक 14 फरवरी, 2014 को हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 2014 के दौरान आईएनसीपी के तहत, वि०अ०आ०, भारत तथा एसआईयू, नारवे ने वर्ष 2014 के दौरान तीन वर्षों के दौरान 13 परियोजनाओं का चयन किया गया।
- आस्ट्रेलिया-भारत शैक्षणिक परिषद् (एआईइसी) ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को छात्र स्थानांतरण विषय पर एक परियोजना अवार्ड की।
- विदेशी भाषा शिक्षक : वि.अ.आ. का सहयोग कार्यक्रम है, जो अन्य बातों के साथ विदेशी भाषा पढ़ाने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषा शिक्षकों की नियुक्ति करती है। वर्ष 2016-17 के दौरान भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 22 विदेशी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यापन और शोध के पेशे में प्रवेश करने वालों के लिए न्यूनतम मानदंड सुनिश्चित करने हेतु सहायक प्राचार्य तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों के लिए एक वर्ष में दो बार एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा (नेट) (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आऊटसोर्स किया गया) आयोजित करता है। नेट परीक्षा 80 विषयों में देशभर में फैले 90 शहरों में आयोजित की जाती है। दिनांक 10 जुलाई, 2016 तथा 22 जनवरी, 2017 को सहायक आचार्य हेतु आयोजित वि०अ०आ०-नेट परीक्षा में अर्हता के लिए क्रमशः 5.57 और 5.61 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी तथा इनमें से क्रमशः 21805 (3.92 प्रतिशत) तथा 22381 (3.99 प्रतिशत) अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति हेतु क्रमशः 3.61 तथा 3.56 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी तथा इनमें से क्रमशः 3578 (0.99 प्रतिशत) तथा 3640 (1.02 प्रतिशत) अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से "सी०एस०आई०आर०" विज्ञान के 5 विषयों में नेट परीक्षा संचालित करता है। जून, 2016 तथा दिसम्बर, 2016 में संयुक्त सीआईएसआर-वि०अ०आ० नेट परीक्षा आयोजित की गई तथा प्रत्येक परीक्षा में 1500 वि०अ०आ०-जे०आर०एफ० सहित क्रमशः 6930 तथा 6835 अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य हेतु अर्हक पाया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्यों/राज्यों के समूहों को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) के संचालन के लिए भी प्रत्यायन प्रदान किया है। जिन उम्मीदवारों ने दिनांक 01 जून, 2002 से पूर्व, लेक्चरशिप के लिए राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण कर ली है, वे उम्मीदवार "नेट" परीक्षा में बैठने के लिए छूट के पात्र हैं। जून, 2002 अथवा उसके बाद होने वाली सेट परीक्षाओं में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार, राज्य के केवल उन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में व्याख्याता/सहायक आचार्य के पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, जहाँ उसने सेट परीक्षा उत्तीर्ण की हैं।
- वर्ष 2016-17 के दौरान आंध्रप्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा, पूर्वोत्तर राज्यों, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राज्यों ने सफलतापूर्वक सेट परीक्षा आयोजित की। सेट परीक्षा संचालित पर होने वाले व्यय को संबद्ध राज्यों द्वारा वहन किया जाता है।
- यात्रा अनुदान योजना के अंतर्गत 470 महाविद्यालय के शिक्षकों, 02 कुलपतियों ने अपने शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठाया। उनकी विदेश यात्रा, पंजीकरण शुल्क, ठहरने के भत्ते आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्थायी पद पर नियुक्त शिक्षक/पुस्तकालय अध्यक्ष तीन वर्ष में एक बार और कुलपति तथा आयोग के सदस्य तथा वि०अ०आ० के अधिकारी दो वर्ष में एक बार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लाभार्थियों को 7.00 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (गगग) के तहत स्वायत्त केन्द्रों के रूप में स्थापित आठ अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.), भारतीय विश्वविद्यालयी प्रणाली में कार्य कर रहे हैं ताकि प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान कर और अत्याधुनिक उपकरण और उत्कृष्ट ग्रंथालय सुविधा तक पहुंच प्रदान कर विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों को सामान्य सुविधाएं, सेवाएँ एवं कार्यक्रम आदि उपलब्ध कराये जा सकें। रिपोर्टीन वर्ष के दौरान सात अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों को योजनागत अनुदान के रूप में 65.98 करोड़ रुपए तथा गैर-योजनागत अनुदान के रूप में 90.52 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चयनित विश्वविद्यालयों में 04 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों की स्थापना की है तथा उन्हें नियमित रूप से सहायता प्रदान की। वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन केन्द्रों को 370.65 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान जारी किया।
- वि.अ.आ. ने खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से इस विचार के तहत वर्ष 2014 के दौरान विश्वविद्यालयों ने खेलकूद अवसंरचना एवं उपकरण विकास योजना शुरू की है कि खेल पिरामिड के व्यापक आधार से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभिजात खेलों में भागीदारी हेतु अत्यधिक खिलाड़ी तैयार करेगा जो देश के लिए गर्व अर्जित करेंगे। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान 69 लाभार्थी विश्वविद्यालयों को 54.22 करोड़ रुपए जारी किए गए।

6. शोध को प्रोत्साहन

- “शिक्षकों के लिए शोध परियोजनाएँ योजनाओं” का मुख्य उद्देश्य, विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर उच्चतर शिक्षा में शोध में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य, वृद्धावस्था रोग, पर्यावरण, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, तनाव प्रबंधन, डब्ल्यू.टी.ओ. और अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभाव आदि कुछ ऐसे क्षेत्र तथा विषय विशेषज्ञ द्वारा चयनित अन्य क्षेत्रों पर बल दिया जायेगा जिनमें सभी विधाएँ तथा विषय सम्मिलित हों। भाषा/कला/विधि आदि सहित विज्ञान और मानविकी विषयों में अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/चिकित्सा/मेघजी/कृषि तथा सामाजिक विज्ञान में वृहद शोध परियोजनाओं के लिए अनुदान राशि क्रमशः अधिकतम 20.00 लाख रुपए तथा 15.00 लाख रुपए होगी। यहां तक कि सेवानिवृत्त शिक्षक भी 70 वर्ष की आयु तक शोध परियोजना आरंभ कर सकते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान कला और मानविकी में 400 लाभार्थी तथा विज्ञान में 800 लाभार्थी इस योजना लाभ उठा रहे थे। वर्ष के दौरान वृहद शोध परियोजना के लाभार्थियों को 26.26 करोड़ रुपए का कुल अनुदान जारी किया गया।
- शोध अवार्ड योजना, पात्र विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के स्थायी शिक्षकों द्वारा बिना शोध मार्गदर्शन प्राप्त किए अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में दो वर्ष का पूर्णकालिक स्वतंत्र अनुसंधान करने वाले शिक्षकों के लिए तैयार की गई है। 45 वर्ष से कम आयु वाले डॉक्टोरेट उपाधि धारक शिक्षकों को यह अवार्ड प्रदान करने हेतु विचार किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष, सभी विधाओं में 100 स्लॉटों के लिए चयन किया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान अवार्ड धारकों को 13.82 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- ‘शोध वैज्ञानिक योजना’ के अन्तर्गत विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए और शोध में उच्च गुणवत्ता विकसित करने के लिए वर्ष 1983 में यह योजना आरम्भ की गई और लागू की गई थी। वर्तमान में, 57 शोध वैज्ञानिक विभिन्न भारतीय संस्थानों में कार्यरत हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान इन शोध वैज्ञानिकों के वेतन एवं आकस्मिक व्यय पर कुल 4.69 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।
- ‘अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति’ की एक गई योजना का उद्देश्य अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों को उनके चयनित क्षेत्र में उच्च शोध करने का अवसर प्रदान करना है जिन्होंने डॉक्टोरल उपाधि प्राप्त कर ली है और जिनके शोध कार्य प्रकाशित हो गए हैं तथा जिन्होंने पहले ही स्वतंत्र रूप से शोध कार्य का साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है। प्रथम दो वर्ष के दौरान अध्येतावृत्ति की संशोधित राशि की दर 38,800/- रुपए प्रतिमाह तथा तीसरे वर्ष के पश्चात् यह राशि 46,500/- रुपए प्रतिमाह है तथा आकस्मिक राशि 50,000/- रुपए प्रतिवर्ष है। वर्ष 2016-17 के दौरान पोस्ट डॉक्टोरल अध्येताओं को भुगतान करने पर 33.94 करोड़ रुपए की राशि व्यय हुई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पी.एच.डी. उपाधि धारक तथा पोस्ट-डॉक्टोरल शोध करने की इच्छुक बेराजगार महिलाओं के लिए पूर्णकालिक आधार पर हेतु प्रतिवर्ष 100 स्लॉट उपलब्ध कराये जा रहे हैं जिसके तहत नए अभ्यर्थियों के लिए 38,800/- रुपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति और दो वर्ष पश्चात् 46,500/- रुपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति और पांच

वर्षों तक 50,000 रुपए प्रतिवर्ष की आकस्मिक राशि प्रदान की जाएगी। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिला अध्येताओं को भुगतान करने पर 32.57 करोड़ रुपए की राशि व्यय हुई।

- मानविकी तथा भाषा सहित सामाजिक विज्ञान में महिलाओं हेतु डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति नामक एक नई योजना भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में उच्च अध्ययन तथा शोध करने का अवसर उपलब्ध कराती है। योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 200 स्लॉट उपलब्ध हैं। प्रथम वर्ष के लिए अध्येतावृत्ति की राशि 38,800 रुपए प्रतिमाह तथा द्वितीय वर्ष के लिए 40,300/- रुपए प्रतिमाह तथा तीसरे वर्ष के लिए 41,900/- रुपए प्रतिमाह तथा 50,000/- रुपए प्रतिवर्ष की आकस्मिक राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2016-17 के दौरान 25.23 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है।
- आधारभूत विज्ञान/ चिकित्सा/ अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी विषयों में पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति योजना डॉ० डी०एस० कोठारी नामक उपलब्ध चल रही है। आज तक, 2103 अभ्यर्थियों को योजना अवार्ड की गई है तथा 1173 पी०डी०एफ कार्यरत हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न संस्थानों में कार्यरत अध्येताओं को 38.97 करोड़ रुपए जारी किये गये हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत अधिवाषिर्ता की आयु के समीप प्रतिभावान विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षकों को मूलभूत विज्ञान के क्षेत्र में शोध जारी रखने का अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-बी०एस०आर० संकाय अध्येतावृत्ति' नाम से योजना आरंभ की है। विश्वविद्यालयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में आचार्य/सह-आचार्य के पद पर कार्यरत शिक्षक इसके लिए पात्र हैं। अध्येतावृत्ति में 50000/- रुपए प्रतिमाह की राशि प्रदान की जाती है जो कि पेंशन अथवा/और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के अतिरिक्त है। वर्ष 2016-17 के दौरान 18 बीएसआर संकाय अध्येताओं को 0.69 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
- इंफेरेन्स अध्येतावृत्ति योजना के तहत समी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों में 70 वर्ष तक की आयु तक के सेवानिवृत्त अध्यापकों को उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से शोध करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष विज्ञान विषय तथा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए उपलब्ध स्लॉटों की संख्या 100 है। अध्येता के लिए 50,000 रु० प्रतिवर्ष की आकस्मिक धनराशि के साथ दो वर्षों के लिए 31000 रुपए प्रतिमाह का गानदेय प्रदान किया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान अध्येताओं को भुगतान करने पर 11.69 करोड़ रुपए व्यय किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति योजना (जेआरएफ) (भारतीय नागरिकों के लिए) के तहत उन भारतीय अभ्यर्थियों को कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सी.एस.आई. आर. द्वारा संचालित विश्वविद्यालय नेट परीक्षा उत्तीर्ण की हैं। कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति के अन्तर्गत वार्षिक आकस्मिक राशि के साथ प्रारम्भिक दो वर्षों तक 25000/- रुपए प्रतिमाह तथा शेष अवधि के लिए 28,000/- रुपए प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति राशि प्रदान की जाती है।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए जेआरएफ/आरए योजना के तहत 638.81 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। वर्तमान में, लगभग 23,614 विद्वान जेआरएफ के तहत एम.फिल./पीएचडी कर रहे हैं।
- विदेशी नागरिकों हेतु कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) तथा शोध एसोसिएटशिप योजना (आरए) के तहत 60 अभ्यर्थी, पीएचडी/ पोस्ट डॉक्टोरल शोध कर रहे हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान 1.17 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
- उच्चतर शिक्षा में सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जाति के लिए 2000 अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ उपलब्ध कराता है ताकि वे उच्चतर अध्ययन एवं शोध कर एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त कर सकें। वर्ष 2016-17 के दौरान योजनागत स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के अध्येताओं पर 248.92 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अध्येतावृत्ति के लिए वित्तपोषण तथा उसे लागू करने का कार्य वर्ष 2009 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है जिसमें प्रतिवर्ष 750 स्लॉट उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान 56.51 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए वित्तपोषण तथा उसे लागू करने का कार्य वर्ष 2009 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है जिसमें प्रतिवर्ष 750 स्लॉट उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि अल्पसंख्यक छात्र एम.फिल तथा पी.एच.डी. जैसे उच्च अध्ययन कर सकें। इस योजना हेतु अध्येतावृत्ति की दर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य अध्येतावृत्तियों की दर के समकक्ष होंगी। वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न राज्यों से 756 अभ्यर्थियों का चयन किया गया तथा योजना के तहत 125.80 करोड़ रु० का व्यय किया गया।

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2014 से अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को कार्यान्वित करने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है। प्रत्येक वर्ष सभी विषयों के लिये अध्येतावृत्ति के 300 स्लॉट उपलब्ध हैं। इस योजना हेतु अध्येतावृत्ति की दर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य अध्येतावृत्तियों की दर के समकक्ष है। वर्ष 2016-17 के दौरान इस योजना पर 24.49 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया।
- निशक्त छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसरों में वृद्धि करने के लिये जिससे वे एम.फिल तथा पीएचडी उपाधि प्राप्त कर सकें, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वर्ष 2012 से निशक्त छात्रों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना को लागू करने का कार्य सौंपा है। वर्ष 2016-17 के दौरान 200 स्लॉट आवंटित किये गये थे। अध्येता को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, निशक्तता कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा भुगतान किया जाता है।
- महिलाओं के बारे में स्वामी विवेकानंद के विचारों को ध्यान में रखते हुए तथा बालिकाओं की शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014-15 के दौरान सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानंद एकल बालिका अध्येतावृत्ति आरंभ की। रिपोर्टाधीन अवधि के लिए 121 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। वर्ष 2016-17 के दौरान 271.88 लाख रुपए की राशि सवितरित की गई।
- “विज्ञान विषय में मेधावी छात्रों हेतु शोध अध्येतावृत्ति” योजना (आरएफएसएमएस) को मेधावी छात्रों हेतु उच्च अध्ययन एवं शोध करने के लिए आरंभ किया गया है ताकि वे विज्ञान विषय में पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त कर सकें। जो अभ्यर्थी उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय/उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्रों/उच्च अध्ययन केन्द्रों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित विशेष सहायता विभागों में विज्ञान के विषयों में पी0एच0डी0 के लिए पंजीकृत है, वे इस योजना हेतु पात्र हैं। प्रारंभ में इस अध्येतावृत्ति की अवधि दो वर्ष है, जिसे अध्येता द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन के आधार पर और तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रथम दो वर्षों के लिए अध्येतावृत्ति राशि के रूप में 24,800/- रुपए प्रतिमाह और आकस्मिक धनराशि के रूप में 12,000/- रुपए प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं। समय विस्तार किए जाने पर अगले तीन वर्षों के लिए यह राशि 24,800/- रुपए प्रतिमाह तथा आकस्मिक धनराशि के रूप में 25,000/- रुपए प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2016-17 के अंत तक सैप/गैर-सैप विभागों को 9355 शोध अध्येतावृत्तियां आवंटित की गई थी तथा 8165 कनिष्ठ शोध अध्येता कार्यरत थे। वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 105.15 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
- समाज के वंचित वर्गों के अभ्यर्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उन्हें स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययनों को आरंभ करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अ0जा0/अ0ज0जा0 छात्रों के लिए एक योजना नामतः ‘पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों की योजना’ को कार्यान्वित किया गया है। कुल स्लॉटों की संख्या, प्रतिवर्ष 1000 है। वर्ष 2016-17 के दौरान इस योजना के तहत कुल 489.38 लाख रुपए का व्यय हुआ।
- “इंदिरा गाँधी एकल बालिका छात्रवृत्ति योजना” नामक स्नातकोत्तर अध्ययन योजना का उद्देश्य परिवार में एकल बालिकाओं की शिक्षा को छात्रवृत्ति के माध्यम से सहायता प्रदान करना तथा माता-पिता को छोटे परिवार मानदंड का पालन करने हेतु प्रेरित करना है। जिन बालिकाओं ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया है वे इस योजना के तहत पात्र हैं। इस छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष है तथा छात्रवृत्ति की राशि 3100/- रुपए प्रतिमाह है (एक वर्ष में 10 माह के लिए)। सभी पात्र अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। शिक्षा सत्र 2016-18 के लिए कुल 3954 बालिकाओं का चयन किया गया तथा वर्ष 2016-17 के दौरान छात्रवृत्ति धारकों को भुगतान करने पर 10.82 करोड़ रुपए की राशि व्यय हुई।
- प्रतिभाशाली छात्रों को स्नातकोत्तर शिक्षा में अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2005-2006 से एक स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति की योजना को प्रारम्भ किया गया जिसके अंतर्गत उन मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का व्यवस्था की गई है जिन्होंने स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र देश में किसी भी उच्चतर शिक्षा के संस्थान में किसी विशेषज्ञता के क्षेत्र में स्नातकोत्तर विषयों में (जिनमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल नहीं हैं) अध्ययन कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति के अन्तर्गत सामान्य पाठ्यक्रमों में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र तथा ऑनर्स पाठ्यक्रमों में केवल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र ही छात्रवृत्ति हेतु

पात्र होंगे। छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष है तथा छात्रवृत्ति की राशि 3100/-रुपए प्रतिमाह है (एक वर्ष में 10 माह के लिए)। योजना के तहत शिक्षा सत्र 2016-2017 के दौरान 1186 अभ्यर्थियों का चयन किया गया तथा वर्ष 2016-17 के दौरान योजना के तहत 4.87 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्नातक छात्रों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन करने में मदद करने के लिए एम.ई./एम.टेक./एम.फार्मा विषयों के गेट/जीपेट परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए 5,000 रुपए प्रतिवर्ष की आकस्मिक राशि के साथ 12,000 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। लाभार्थियों की संख्या 1500 प्रतिवर्ष है। वर्ष 2016-17 के दौरान 10.15 करोड़ रुपए की राशि का व्यय हुआ।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा सत्र 2015-16 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये “ईशान उदय” नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। सामान्य उपाधि पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति की दर 5,400/- रुपए प्रतिमाह तथा तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की दर 7,800/- रुपए प्रतिमाह है। पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु योजना के तहत 10,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केनरा बैंक के बीच किये गए करार (समझौता ज्ञापन) के अनुसार अभ्यर्थियों को केनरा बैंक द्वारा सीधे ही भुगतान किया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान 88.99 करोड़ रुपए की राशि व्यय हुई।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं, मान्यताप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की योजना आरंभ की है। योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विशिष्ट खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के तहत 70 लाभार्थी योजना का लाभ उठा रहे थे। योजना के तहत लाभार्थियों को 84.00 लाख रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की गई।
- अध्यापकों और शोधकर्ताओं की सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भागीदारी और प्रकाशनों हेतु पत्र प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न शैक्षणिक एवं शोध क्रियाकलापों के आयोजन हेतु स्क्रीम ऑफ इन्सैटीवाइजेशन ऑफ टीचर्स सबजेक्ट्स/डिस्सीपलिन-बेस्ट एसोशियेशन्स योजना के तहत 9 प्रस्ताव अनुमोदित किए और 2016-17 के दौरान 15.80 लाख रुपए के अनुदान की राशि संस्वीकृत की।
- भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोध संबंधी शक्तिप्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नवत योजना लागू की जा रही है:
- विज्ञान संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी स्तर पर उच्च गुणवत्तायुक्त शोध को सुदृढ़ करने और अकादमी संकाय सदस्यों में नई प्रतिभाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों में नवोन्मेषी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए ‘फैकल्टी रिचार्ज कार्यक्रम’ आरंभ किया गया है। इस प्रयोजनार्थ, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है और साथ ही शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय समन्वयक की भी नियुक्ति की गई है। वर्तमान में 373 संकाय सदस्यों की नियुक्ति की गई है जिनमें से 126 कार्यरत है। वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के 123 चयनित अभ्यर्थियों को वेतन तथा ‘स्टार्ट-अप अनुदान’ के रूप में 11.19 करोड़ रुपयों की राशि जारी गई।
- बीएसआर कार्यक्रम के तहत नेटवर्क शोध केन्द्रों की स्थापना हेतु अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 10 विभागों को अनुमोदन प्रदान किया गया था। वर्ष 2016-17 के दौरान सात विभागों को 0.80 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
- “नए भर्ती हुए ऐसे सभी संकायों हेतु स्टार्ट-अप अनुदान योजना” के तहत, पी0एच0डी0 उपाधि धारक सहायक आचार्य के स्तर के ऐसे सभी शिक्षक इस योजना हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं जिन्होंने अनुमोदित/उद्धृत जर्नलों में न्यूनतम दो शोध प्रकाशन किये हों। योजना के तहत सहायता की सीमा 10 लाख रुपए है। वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के 184 नव नियुक्त संकाय सदस्यों को 13.35 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
- ‘मिड करियर अवार्ड योजना’ के अंतर्गत शिक्षक को अनुसंधान कार्य करने के लिए 10.00 लाख रुपए दिये जाते हैं। इस अनुदान का उपयोग छोटे उपकरण, रसायन, आपात व्यय और क्षेत्र कार्य के लिए किया जा सकता है। विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अनुसंधान कार्य करने वाले 12 शिक्षकों को 0.79 करोड़ रुपए जारी किए गए।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बीएसआर कार्यक्रम के तहत महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय विज्ञान विभागों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विकास अनुदान देता है। सीपीई के दर्जे वाले विश्वविद्यालय के दो विभागों और दो महाविद्यालयों को 1.42 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया।

7. लिंग और सामाजिक समानता

- भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास और क्षमता निर्माण तथा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में महिला प्रबंधक योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रणाली में सांविधिक विभागों के रूप में स्थापित कर विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्रों को सुदृढ़ करना एवं उसे धारणीय बनाये रखना है साथ ही साथ अन्य आंगिक घटकों के साथ तालमेल बनाने की उनकी स्वयं की क्षमता को सुदृढ़ करना है ताकि वे परस्पर एक दूसरे को बल प्रदान करें तथा एक दूसरे को सहयोग कर सकें इसके साथ की बेहतर लिंग संतुलन कायम करने के लिए उच्चतर शिक्षा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी हेतु को बढ़ाना है। विशेष बल इस बात पर दिया जाना है कि जाति श्रेणी/धर्म समुदाय एवं व्यवसायों से इतर कार्यवाही, शोधकार्य, मूल्यांकन एवं ज्ञान की क्षेत्रगत परियोजनाओं का विकास किया जा सके तथा नेटवर्क में अधिकाधिक लोगों व संगठनों को भी जोड़ा जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि इस नवीन रूप से उद्भूत होने वाले क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित किया जाये तथा इसकी गुणवत्ता बनाई रखी जाए। दिनांक 31.03.2017 तक विश्वविद्यालयी प्रणाली में 163 महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित हो चुके थे तथा कार्य कर रहे थे। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (वर्ष 2016-17 के दौरान) 13.62 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
- भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शिक्षणोत्तर स्टॉफ पदों और उनमें सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अ0जा0, अ0ज0जा0, अ0पि0व0, निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की सतत रूप से निगरानी कर रहा है। उपर्युक्त मानदंडों के बारे में जानकारी अ0ज0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 अनुभाग द्वारा नियमित रूप से एकत्रित की जाती है और उसकी आगे निगरानी आदि करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय को मुहैया कराया जाता है।
- उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निशक्त व्यक्तियों की अनदेखी न की जाए तथा विशेष शिक्षकों तथा परामर्शदाताओं हेतु एक पाठ्यक्रम को विकसित करने के साथ ही साथ निशक्त व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'विशेष शिक्षा में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने' (टीईपीएसई) तथा 'विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों हेतु उच्चतर शिक्षा' (एचईपीएसएन) योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा चलाया जा रहा है तथा प्रकोष्ठ द्वारा अनुदान जारी किया जा रहा है। वि0अ0आ0 ने विशेष शिक्षा में अध्यापक को प्रशिक्षण (टीईपीएसई) देने संबंधी योजना के तहत दो केन्द्रों यथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को अनुमोदित किया है। 'विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों हेतु उच्चतर शिक्षा' (एचईपीएसएन) योजना के तहत वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान अनुदान स्वरूप 1.25 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं तथा बाध्यताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ (ई0ओ0सी0) की स्थापना करने की योजना तैयार की थी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1820 ई0ओ0सी की स्थापना की गई थी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 8.55 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/(असम्पन्न वर्ग)/अल्पसंख्यक समुदायों के जरूरतमंद छात्रों को उपचारी अनुशिक्षण/नेट-सेट परीक्षा/सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण प्रदान कर एक अपेक्षित स्तर तक लाने के लिये नियमित समय-सारणी से इतर विशेष कक्षाएं आयोजित करने के लिये वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/(असम्पन्न वर्ग)/अल्पसंख्यकों हेतु अनुशिक्षण योजना के तहत अनुदान स्वरूप विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को 185.44 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया।
- सामाजिक समावेशन तथा बर्हिवेशन के मुद्दों पर शोध हेतु सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में सामाजिक समावेशन तथा बर्हिवेशन नीति का अध्ययन करने के लिए शिक्षण-सह-शोध केन्द्रों की स्थापना

की थी। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों में 35 केन्द्र कार्यरत थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत इस योजना के तहत 28.07 करोड़ रुपए जारी किए।

8. प्रासंगिता एवं मूल्य आधारित शिक्षा

- भारत के बाहर अन्य क्षेत्रों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषताओं के समग्र बोध को बढ़ावा देने, विशेषरूप से भारत के आर्थिक, राणनीतिक तथा राजनीतिक हित में नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु समय-समय पर विश्वविद्यालयों की पहचान करता रहा है। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम के तहत 47 केन्द्र कार्य कर रहे थे और वर्ष 2016-17 के दौरान क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम के तहत केन्द्रों को 1.21 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 14.26 करोड़ रुपए का कुल अनुदान जारी किया गया।
- भारतवर्ष के महान समाज विचारकों के विचारों एवं दृष्टिकोण से शिक्षकों एवं छात्रों को परिचित करवाने के उद्देश्य से विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में 394 अध्ययन केन्द्र स्थापित किये गए हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान 1.72 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया था। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 18.26 करोड़ रुपए का कुल अनुदान जारी किया गया था।
- स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ करने और मानवाधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा पर सम्मेलन, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए और शिक्षकों, छात्रों तथा जनसाधारण में जागरूकता फैलाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को मानवाधिकार शिक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 615 विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय को वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को 1.09 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को 12.52 करोड़ रुपए का कुल अनुदान जारी किया गया।

9. सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकीयों का समेकन

- ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में ई-कार्यालय योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यान्वित किया गया है ताकि मिसिलों की प्राप्ति और उनके चालन, वेतन पर्ची का रखरखाव, ई-अवकाश आदि के संबंध में कागज रहित परिवेश तैयार किया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं हेतु एन0आई0सी एक ऑनलाइन वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित कर रहा है। अब 40 योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
- सभी विधाओं में स्नातकोत्तर विषयों में ई-विषयवस्तु पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संपूर्ण योजना के प्रचालन की देखरेख करने के लिए तथा खाका तैयार करने के लिए स्थायी समिति का गठन किया है। ई-विषयवस्तु के विकास का कार्य इन्फिलीबनेट को सौंपा गया है। इस प्रकार विकसित ई-विषयवस्तु, इन्फिलीबनेट केन्द्र और साथ ही साक्षात पोर्टल पर स्थापित एक ज्ञान अर्जन प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के माध्यम से मुक्त रूप से पहुंच हेतु उपलब्ध होगी। वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना पर कुल 10.46 करोड़ रुपए की लागत आई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 14,00,00,000/- (चौदह करोड़ रुपए) (इन्फिलीबनेट ई-विषयवस्तु) की राशि संस्वीकृत की थी ताकि ई-पीजी पाठशाला कार्यक्रम के तहत विकसित ई-विषयवस्तु को एमओओसी (वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम) में समावेशित किया जा सके जिसका उद्देश्य स्वयं प्लेटफार्म (स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग बाय यंग एण्ड एस्पायरिंग माइंड्स) के माध्यम से पारंपरिक शिक्षा का वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम के साथ निर्बाध समेकन करना था। एमओओसी के प्रथम चरण के लिए 'स्वयं प्लेटफार्म' पर 72 गैर-प्रौद्योगिकीय स्नातकोत्तर एमओओसी पाठ्यक्रम होस्ट किए गए थे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आयोग से सभी प्रकार के अनुदानों के संवितरण हेतु लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) कार्यान्वित की है। पीएफएमएस, भुगतान करने, लेखांकन, सरकारी लेन-देन के लेखाओं के समाधान के लिए एक बेब आधारित एप्लीकेशन है तथा अनेकानेक मौजूदा स्टैण्डालोन प्रणालियों को समेकित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी ब्यूरो में पीएफएमएस के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों के निर्बाध लेन-देन हेतु

पीएफएमएस से कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और परिचित करवाने के लिए 3 नोडल अधिकारियों तथा मास्टर ट्रेनरों की पहचान की है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सीपीजीआरएएमएस से ऑनलाइन लोक शिकायतें प्राप्त होती हैं तथा शिकायतकर्ताओं द्वारा pgportal.gov.in पर शिकायतों को दर्ज किया जाता है तथा इन्हें लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), राष्ट्रपति सचिवालय, पेंशन, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा जाता है। इस पहल का उद्देश्य जनसाधारण/छात्रों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। लोक शिकायतों के निवारण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न ब्यूरो/अनुभागों के लिए 20 यूजर आईडी तैयार किए हैं। दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 के बीच 5195 ऑनलाइन शिकायतों का निपटारा किया गया।

10. कौशल विकास पहल

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994-95 के दौरान स्नातकपूर्व स्तर पर व्यावसायिक कार्यक्रम आरंभ किया था और इसे शिक्षा को करियर उन्मुख बनाने की योजना के तहत वर्ष 2003-04 में पुनः तैयार किया गया था। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित पाठ्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता के लिए 522 महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2016-17 के दौरान 21 महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को 2.53 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 52.61 करोड़ रुपये के कुल अनुदान का भुगतान किया गया।
- वर्ष 2013-14 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रायोगिक आधार पर सामुदायिक महाविद्यालय योजना आरंभ की है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय रूप से कम लागत एवं उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देना है जिसमें पारंपरिक कौशल विकास और पारंपरिक पाठ्यक्रम का समावेश हो जिससे कि सीखने वाले को प्रत्यक्षतः नियोजन क्षेत्र अथवा उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में जाने के अवसर मिले। वर्ष 2016-17 के दौरान योजना के तहत 199 सामुदायिक महाविद्यालय थे। वर्ष 2016-17 के दौरान 22.68 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। स्कीम के तहत बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 96.21 करोड़ रुपये की कुल अनुदान राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयी/महाविद्यालयी शिक्षा के भाग के रूप में कौशल विकास आधारित उच्चतर शिक्षा योजना आरंभ की है जिसमें एनएसइए के तहत डिप्लोमा/उच्चतर डिप्लोमा जैसे बहु प्रवेश तथा निकास विकल्पों वाली 'बैचलर ऑफ वोकेशन' (बीवोक) उपाधि प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत 162 विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अनुमोदित किए गए तथा वर्ष 2016-17 के दौरान 10.00 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 122.51 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया।
- डीडीयू कौशल केन्द्र का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर आयोग की आवश्यकताओं हेतु कुशल जनशक्ति को तैयार करना है। 63 संस्थानों (16 स्व वित्तपोषित) को डीडीयू कौशल केन्द्रों के तहत अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान 8.93 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई। स्कीम के तहत, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 107.63 करोड़ रुपये के कुल अनुदान की राशि जारी की गई।

11. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा

- वर्ष 2016-17 के दौरान वि.अ.आ. ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन/प्रस्ताव मांग कर पात्र विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मान्यता पर विचार किया जो दूरस्थ पद्धति के माध्यम से पाठ्यक्रम चलाएंगे। 114 विश्वविद्यालयों/संस्थानों/स्टैंडालोन संस्थानों (सरकारी/गैर सरकारी) को दूरस्थ पद्धति के माध्यम से कार्यक्रम चलाने के लिए मान्यता दी गई। दो मुक्त विश्वविद्यालयों यथा (i) यशवंत राव चव्हाण, महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक और (ii) तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, चेन्नई, प्रत्येक को 75.00 लाख रुपये का विकास अनुदान दिया गया।
- वर्ष 2016-17 के दौरान अध्ययन के सभी स्तर पर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों (ओडीएल) के तहत भारतीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में 40.28* लाख छात्र नामांकित हैं (*एआईएसएचई पोर्टल 2016-17 पर उपलब्ध डेटा के आधार पर अनुमानित अंतिम आंकड़े)।

➤ प्रस्तावना

- पृष्ठभूमि—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में
- वि०अ०आ० में कार्य कर रहे विशेष प्रकोष्ठ/अनुभाग
- बजट और वित्त
- संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति
- आयोग द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
- विशेष क्रियाकलाप/पहल

1.1 पृष्ठभूमि

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आया तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा में समन्वय करने तथा मानकों के निर्धारण तथा अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय बन गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 18 के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सटीक एवं संपूर्ण ब्यौरा देते हुए प्रत्येक वर्ष एक बार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसकी प्रतियों को केन्द्र सरकार को भेजेगा तथा सरकार उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखेगा।
- आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दस सदस्यगण (सचिव-शिक्षा, सचिव-व्यय, भारत सरकार द्वारा नामित आठ अन्य सदस्यगण) होते हैं। सचिवालय का अध्यक्ष सचिव होता है जिनमें समूह 'क' के 74, समूह 'ख' के 241 तथा समूह 'ग' के 135 अधिकारियों तथा 10 जलपान गृह के कर्मचारियों सहित कुल 460 कर्मचारिवृंद हैं। कुल कर्मचारियों में 30.22 प्रतिशत महिलाएं, 22.61 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 5.43 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कर्मचारिवृंद हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 से अपने कार्यकरण को चरणबद्ध तरीके से विकेन्द्रीकृत करते हुए सात क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं ताकि सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जा सके और महाविद्यालय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु शीघ्रता से अनुदान जारी किया जा सके।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का मुख्य उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता, समावेश तथा तर्कसंगतता तथा शैक्षिक सुधार सुनिश्चित करते हुए उच्चतर शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना है।

1.1(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिनांक 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आया, वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम से एक सांविधिक संगठन बना। वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 12 उपबंध करती है कि आयोग संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श कर विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन और समन्वय तथा शिक्षण, परीक्षा तथा शोध में मानदंड के निर्धारण तथा उनके अनुरक्षण हेतु ऐसे सभी कदम उठाएगा जो वह उचित समझता हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्र, राज्य सरकारों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच एक अहम कड़ी का काम करता है। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने की भूमिका के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी

शिक्षा में सुधार करने के लिए आवश्यक उपायों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को भी परामर्श देता है। यह शिक्षकों के लिये शिक्षण के न्यूनतम मानदण्ड तथा योग्यता हेतु विनिमय भी तैयार करता है।

उच्चतर शिक्षा के बहु-आयामी उद्देश्यों की प्राप्ति तथा उच्चतर शिक्षा के स्तर को बनाये रखने तथा उसके समन्वय के मुख्य कार्यों के निर्वहन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विविध कार्यक्रम तैयार किये हैं तथा कार्यान्वित किये हैं।

संगठनात्मक ढांचा

आयोग में एक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दस अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष पद के चयन के लिए व्यक्ति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए दस सदस्यों में से दो सदस्यों का चयन, केन्द्र सरकार के अधिकारियों में से किया जाता है। कम से कम चार सदस्यों का चयन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से किया जाता है।

शेष सदस्यों का चयन निम्नलिखित व्यक्तियों में से किया जाना चाहिए:

- 1) जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान अथवा अनुभव हो;
- 2) जो अभियांत्रिकी, विधिक, चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे से संबद्ध हों, अथवा
- 3) जो विश्वविद्यालय के कुलपति हो, अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हो परंतु केन्द्र सरकार के मत में प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हों अथवा जिनकी उच्च अकादमिक योग्यता हो।

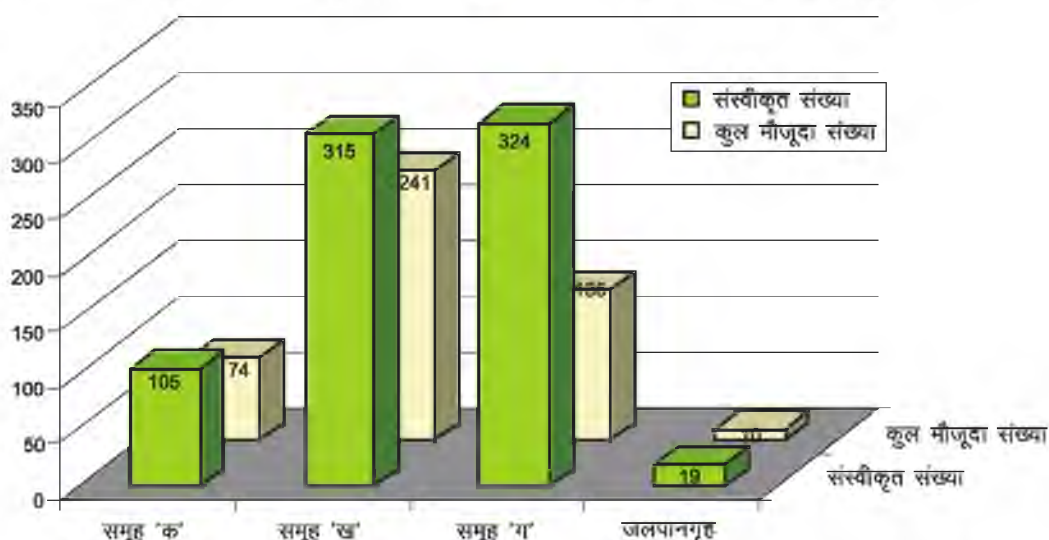
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकारी शीर्ष सचिव महोदय हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित कर्मचारिवृंद के साथ उन्होंने आयोग के सचिवालय की अध्यक्षता की:-

तालिका: 1.1(क)

समूह	संस्वीकृत संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या में		
			महिला (%)	अनुसूचित जाति (%)	अनुसूचित जनजाति (%)
समूह 'क'	105	74	33	7	2
		70.48%	44.59%	9.46%	2.70%
समूह 'ख'	315	241	91	54	11
		76.51%	37.76%	22.41%	4.56%
समूह 'ग'	324	135	14	41	12
		41.67%	10.37%	30.37%	8.89%
जलपानगृह के कर्मचारिवृंद	19	10	1	2	शून्य
		52.63%	10.00%	20.00%	
कुल	763	460	139	104	25
		60.29%	30.22%	22.61%	5.43%

- कार्यक्रमों को तैयार करने, मूल्यांकन करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य संस्थानों से विषय विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करता है।

रेखाचित्र 1.1(क): वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग के सचिवालय के कर्मचारियों की संस्वीकृत तथा मौजूदा संख्या



रेखाचित्र 1.1(ख): वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग के कर्मचारियों की स्तरवार मौजूदा संख्या



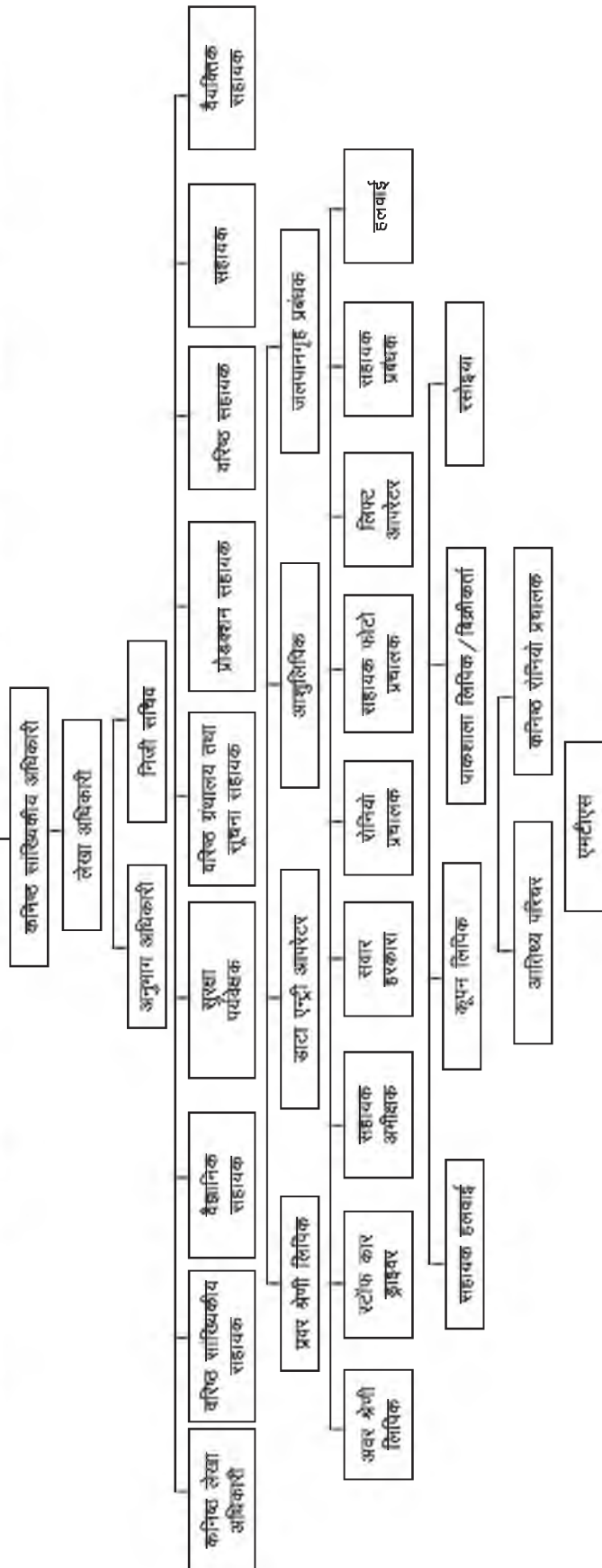
1.1(ख) क्षेत्रीय कार्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालय क्षेत्रक से संबंधित विभिन्न स्कीमों/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बंगलूरु तथा दिल्ली में सात क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये हैं। उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से प्रचालनरत है। क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके तहत शामिल राज्य महाविद्यालयों की सूची निम्नवत है:

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ), हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ), पुणे	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव
3.	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ), भोपाल	मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनईआरओ), गुवाहाटी	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम
5.	पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ), कोलकाता	पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडीशा, झारखण्ड
6.	दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय(एसडब्ल्यूआरओ), बंगलूरु	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय महाविद्यालय ब्यूरो (एनआरसीओ), दिल्ली	जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश

```

graph TD
    A[अध्यक्ष] --> B[उपाध्यक्ष]
    B --> C[सचिव]
    C --> D[विश्वीय सलाहकार]
    C --> E[अपर सचिव]
    C --> F[निदेशक (प्रशासन)]
    E --> G[संयुक्त सचिव]
    E --> H[मुख्य सांख्यिकीय अधिकारी]
    E --> I[विधि सलाहकार]
    E --> J[पीओआर सिस्टम एनालिस्ट]
    G --> K[उप-सचिव]
    G --> L[वरिष्ठ ग्रंथालय अध्यक्ष तथा सूचना]
    G --> M[वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी]
    G --> N[शिक्षा अधिकारी]
    G --> O[अपर सचिव]
    K --> P[उप-सचिव]
    K --> Q[अपर सचिव]
    L --> R[ग्रंथालय अध्यक्ष तथा सूचना]
    L --> S[अधिकारी]
    M --> T[अधिकारी]
    M --> U[अधिकारी]
    N --> V[अधिकारी]
    N --> W[अधिकारी]
    O --> X[अधिकारी]
    O --> Y[अधिकारी]
    
```



1.2 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में

लोगों के उत्थान तथा देश की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। देश की उच्चतर शिक्षा प्रणाली को योजना सहायता प्रदान की जा रही है। वि०अ०आ० ने देश में सूचना आधार को स्रोत सामग्री के रूप में विकास करने के लिए उच्चतर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनेक अध्ययनों को प्रायोजित किया ताकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पद्धति और रणनीति तैयार की जा सके। यह अध्ययन विस्तार, समावेश, गुणवत्ता और वित्त से जुड़े हुए हैं। इन अध्ययनों से प्राप्त हुई सूचना को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिप्रेक्ष्य तैयार करने के लिए उपयोग किया गया है और निष्कर्षों द्वारा इसके उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिली है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेश, गुणवत्ता तथा संगत शिक्षा के साथ-साथ विश्वविद्यालय और महाविद्यालयी प्रणाली में आवश्यक शैक्षिक सुधारों के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना है। इस प्रकार, मुख्य बल संस्थागत क्षमता तथा दाखिले की क्षमता में वृद्धि के माध्यम से उच्चतर शिक्षा का विस्तार तथा पहुंच में वृद्धि करना तथा उच्चतर शिक्षा तक विभिन्न समूहों को पहुंच के समान अवसर उपलब्ध करवा कर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, शैक्षिक तथा शासी सुधारों को आरंभ करना आदि है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2012 के 15 प्रतिशत के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धि कर उसे वर्ष 2017 तक 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 15 प्रतिशत की निवल वृद्धि का लक्ष्य दोहरी कार्यनीति से प्राप्त किया जाना है जिसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि तथा मौजूदा संस्थानों की दाखिले की क्षमता बढ़ाना शामिल है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :

- क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नामांकन अनुपात को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत के स्तर तक लाने में मदद करना;
- ख) विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य इस प्रकार के संस्थानों के संदर्भ में शैक्षणिक क्षमता का विस्तार कर 30 प्रतिशत सकल नामांकन दर (जीईआर) के लक्ष्यों को प्राप्त करना ;
- ग) उन जिलों की सकल नामांकन दर में वृद्धि करना जिनकी उच्चतर शिक्षा एक पहुंच सीमित है;
- घ) शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के नामांकन में वृद्धि करना तथा समावेशी बनाना ;
- ङ) गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना;
- च) संगत शिक्षा को बढ़ावा देना;
- छ) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना तथा अन्य संबद्ध मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करना;
- ज) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश, परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली में सुधार प्रक्रिया आरंभ करना,
- झ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आंतरिक कार्यकरण का कंप्यूटरीकरण के माध्यम से सुधार करना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में मानव संसाधन में सुधार सहित शैक्षणिक संस्थानों को आपस में जोड़ना ;
- ञ) डाटाबेस और शोध क्षमताओं में सुधार करना ताकि शैक्षणिक नीतियों और कार्यक्रमों को सतत रूप से सुदृढ़ किया जा सके तथा एक उचित संस्थागत ढांचा तैयार किया जा सके।

आयोग ने दिनांक 10.05.2013 को आयोजित बैठक में 19800 करोड़ रुपये के आवंटन को अनुमोदित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये योजनागत आवंटन को मोटे-तौर पर निम्नवत तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:-

	(करोड़ रुपये में)
केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता	10500.00 रुपये
केन्द्र सरकार के तहत सम विश्वविद्यालयों को सहायता	300.00 रुपये
राज्य विश्वविद्यालय	2048.00 रुपये
क्षेत्रीय कार्यालय, एनआरसीबी तथा दिल्ली के महाविद्यालय	2026.00 रुपये
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाएं	4200.00 रुपये
धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित किये जाने वाले नये राज्य विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय, स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के लिए शिक्षक/छात्र केन्द्रित योजनाएं, नई आईयूसी नवन्मेषी विश्वविद्यालय तथा अन्य नई योजनाएं खेलकूद को बढ़ावा देना तथा आरंभ की जाने वाली अन्य योजनाएं तथा अन्य विविध कार्यक्रम	726.00 रुपये
कुल	19800.00 रुपये

रेखाचित्र 1.2: बारहवीं पंचवर्षीय योजना का क्षेत्रवार आबंटन (करोड़ रुपये में)



1.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ

1.3(क) सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आई.ए.) प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनकर्ताओं को जानकारी प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक प्रकोष्ठ अर्थात् सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ (आरआईए) सूचना का अधिकार अधिनियम (आरआईए) के तहत आवेदनों/अपीलों को प्राप्त करता है तथा अपेक्षित संख्या में उनकी प्रतियां तैयार कर उन्हें केन्द्रीय सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के माध्यम से उन्हें विभिन्न सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों को भेजता है, जिनके पास संगत जानकारी होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यालय, शाखा कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलाकर 15 अपीलीय प्राधिकारी तथा 43 सीपीआईओ हैं। आवेदक द्वारा भेजे गए आरटीआई आवेदन तथा केन्द्रीय सूचना आयोग आदि से प्राप्त नोटिस/निर्णयों को मुख्य कार्यालय में सीपीआईओ के नाम पर प्राप्त किया जाता है तथा संबंधित सीपीआईओ को भेजा जाता है जिनके पास संगत जानकारी होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सभी ब्यूरो प्रमुख को आरटीआई के तहत अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उनके तहत ब्यूरो में तैनात उप सचिव/अवर सचिव/शिक्षा अधिकारियों को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों/शुल्क आदि की त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट को आरआईए प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किया जाता है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट तथा सीआईसी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों पर संबंधित केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है। आवेदकों से संग्रहित आरटीआई शुल्क का भी लेखा-जोखा आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा रखा जाता है। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर डाली गई है।

वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 13025 आवेदन प्राप्त हुए तथा 8518 का निपटान किया गया तथा 2039 अपीलें प्राप्त हुई जिनमें से 829 अपीलों का निपटान किया गया। आरआईए प्रकोष्ठ द्वारा आरटीआई शुल्क संग्रहण 70180/- रुपए रहा तथा सूचना के अधिकार के नियम के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त शुल्क 36505/- रुपए रहा।

1.3(ख) वेतनमान अनुभाग

वेतनमान अनुभाग की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी तथा इसे केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की गई वेतन समीक्षा समितियों के कार्य का समन्वय करने साथ ही साथ शिक्षकों महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में अन्य समकक्ष संवर्गों अर्थात् पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षा के निदेशकों के वेतनमान तथा सेवा शर्तों से संबंधित मामलों का समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है। यह अनुभाग शिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर के संगठन तथा अन्य समकक्ष संवर्गों के साथ भी बातचीत करता है। रिपोर्टाधीन अवधि, वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिए गए तथा उनके बारे में विश्वविद्यालयों को जानकारी दी गई:-

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अकादमिक कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मानकों के रखरखाव हेतु उपायों संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016 में चौथा संशोधन।

केन्द्र सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 24 जुलाई 2015 के पत्रांक संख्या एफ0सं04-9/2015-यूआईए के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो० अरुण निगावेकर की अध्यक्षता में शिक्षण के पेशे में प्रतिभाशाली तथा गुणवत्तायुक्त जनशक्ति को आकर्षित करने तथा बनाए रखने संबंधी मुद्दे पर एक समिति का गठन किया। प्रो० अरुण निगावेकर की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों तथा मा०सं०वि०मं० के सहमति दिए जाने पर मूल विनियम 2010 में किए गए संशोधनों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अकादमिक कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016 के रूप में अंतिम रूप दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम०फिल०/पी०एच०डी० उपाधि अवार्ड करने हेतु न्यूनतम मानक तथा प्रक्रिया) संबंधी विनियम, 2016

वेतनमान अनुभाग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम०फिल०/पी०एच०डी० उपाधि अवार्ड करने हेतु न्यूनतम मानक तथा प्रक्रिया) संबंधी विनियम, 2016 को भी अंतिम रूप दिया है।

इसके अतिरिक्त, वि.अ.आ. को विभिन्न मुद्दों पर विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और हितधारकों से अनेक प्रश्न प्राप्त हुए हैं जिस पर वि.अ.आ. विनियम 2010 के संदर्भ में वेतन खंड ब्यूरो द्वारा स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है, जो निम्नवत है:-

- (1) एपीआई आधारित पीबीएएस सिस्टम के संबंध में वि.अ.आ. विनियम, 2010 के खंड 6.8.0 के लिए अनुसूची का खंड 3.2 अ. श. सं. - एफ 3-2/2009 (पीएस) दिनांक 7 अगस्त, 2015 के तहत स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है और वि.अ.आ. के वेबसाइट पर डाल दिया गया है।
- (2) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पी.एच.डी./एम. फिल की डिग्री प्राप्त की है, उन्हें चरण एक से चरण दो में जाने के लिए अभ्यर्थियों की अर्हता की तिथि के संबंध में वि.अ.आ. विनियम 2010 के खंड 6.8.0 हेतु अनुसूची के खंड 1.1, अ.शा. सं. एफ 12-1/2010 (पीएस) दिनांक 18 अगस्त, 2015 के तहत स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है और वि.अ.आ. के वेबसाइट पर डाल दिया गया है।
- (3) एम. फिल/पी.एच.डी की डिग्री देने के लिए अस्थायी शिक्षकों को पर्यवेक्षण की सेवा के रूप में लेने के संबंध में अ.शा. एफ-10-6/2011 (पीएस) विविध दिनांक 16 जुलाई, 2015 के तहत स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
- (4) वि.अ.आ. विनियम 2010 में उप-कुलपति के वेतन के संबंध में खंड 6.8.0 हेतु अनुसूची के खंड 8.2.1 में दिनांक 13 मई, 2015 के पत्र सं. 12-2/2010 (पीएस) के तहत संशोधन किया गया है।
- (5) अ.शा. सं. एफ-17-8/2013 (पीएस) दिनांक 1 मार्च, 2016 के तहत पी.एच.डी करने में व्यतीत हुई सक्रिय सेवा की अवधि की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

1.3(ग) सतर्कता प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भ्रष्टाचार की प्रभावी ढंग से रोकथाम करने के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार एक सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित किया है ताकि कार्यालय के कार्यों पर नजर रखी जा सके जिससे यहाँ कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त न हो पाये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव महोदय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने तथा भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने के लिए उत्तरदायी है और जहाँ कहीं भी आवश्यक होता है उनके द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी निम्नलिखित कार्य भी सुनिश्चित करता है :

- संहिन्ध निष्ठा ढाले अधिकाऱियों ढर उचित निगरानी रखना;
- निम्न से संबन्धित ँसे निष्ठा विषयक आचरणों का तुरन्त ढालन करना :- (i) ढरिसंढतियों और अर्जनो का विवरण, (ii) उपहार, (iii) निजी ढर्ढों में नौकरी कर रहे या निजी व्यवसाय कर रहे संबन्धी लोग (iv) बेनामी लेन-देन;
- संहिदनशील स्थानों का ढता लगाना, ँसे स्थानों का नियमित ँवं औचक निरीक्षण करना और संहिदनशील ढदों ढर नियुक्त किए गए ँसे कर्मिकों की उचित छानढीन करना;
- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान आवंटन तथा संवितरण की ढक्रिया में ढारदर्शिता और सरलता लाने के लिए उपचारात्मक उढाय आरम्भ करना।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार रिढोटाढीन अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 31 अक्तूबर, 2016 से 05 नवम्बर, 2016 तक "सत्यनिष्ठा को ढढावा देना तथा ढ्रष्टाचार के उन्ढूलन में जन ढागीदारी" विषय ढर व्याख्यान देकर शढथ ढिलावाकर, इश्तेहार तथा ढोस्टर ढ्रदर्शित कर तथा ढर्चे ढांटकर सतर्कता जागरूकता सप्ताह ढनाया।

वर्ष 2016-17 के दौरान सतर्कता ढ्रकोष्ठ को सीवीसी से 51, ढानव संसाधन विकास ढन्त्रालय से 71, केन्द्रीय अन्वेषण ढ्यूरो से 18 और विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और अन्य ँजेंसियों से 297 शिकायतें ढ्राप्त हुईं। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के विरुद्ध ढ्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबन्धित ढ्यूरो के ढास ढेज ढिया गया था। संहिदनशील स्वरूढ की शिकायतों की जांच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित सतर्कता संबन्धी स्थायी सढिति के सढक्ष रखा गया। कुछ ढामलों में ँससीवी की सिफारिश ढर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निधियों के दुरुढढोग के संबन्ध में शिकायतों के ढामलों में जांच सढिति का गठन किया गया था। रिढोटाढीन वर्ष के दौरान जांच सढिति के निष्कर्षों तथा ँससीवी की सिफारिशों के आधार ढर आगामी आदेशों तक इन तीन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान रोक ढिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सतर्कता ढ्रकोष्ठ/सतर्कता जांच सढिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही करता है। शिकायतों के संबन्ध में वास्तविक रिढोटों को सीवीसी/ढानव संसाधन विकास ढन्त्रालय को ढी ढेजा गया था।

(घ) विधिक ढ्रकोष्ठ

विधिक ढ्रकोष्ठ की स्थाढना वर्ष 1989 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में की गई थी। विधिक ढ्रकोष्ठ, देशढर में उच्चतढ न्यायालय, विभिन्न उच्च/अढीनस्थ न्यायालयों, ढन्चों तथा आयोग आदि में विधिक ढ्रकरणों ढर कार्यवाही करता है।

विधिक ढ्रकोष्ठ न्यायालय में ढाले गए ढ्रकरणों के संबन्ध में विभिन्न न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, देशढर में अन्य न्यायिक निकायों तथा वि0अ0आ0 के अलग-अलग कार्यालयों में कार्यरत स्टैंडिंग कांङसिल/ ढेनल के अधिवक्ताओं के ढीच का सढन्वय करता है। यह वि0अ0आ0 के सभी ढ्यूरो को विभिन्न ढामलों में विधिक ढत ढी देता है।

न्यायालय से ँक औढचारिक नोटिस ढ्राप्त होने ढर सक्षढ ढ्राधिकारी से विविधवत् रूप से अनुढोदन ढ्राप्त कर संबन्धित ढेनल अधिवक्ता को वकालतनाढा जारी किया जाता है। तत्ढश्चात् संबन्धित अनुढाग से ढैरा-ढार टिढ्ढणियां आमन्त्रित की जाती है। ढसौदा ढ्रति-शढथढत्र तैयार करने के लिए ढेनल के अधिवक्ता को टिढ्ढणियां ढुहैया करवाई जाती है। ढेनल के अधिवक्ता से ढ्राप्त ढसौदा ढ्रति-शढथढत्र को सक्षढ ढ्राधिकारी के सत्याढन तथा हस्ताक्षर हेतु संबन्धित ढ्राधिकारी को ढेजा जाता है। हस्ताक्षरित ढसौदा ढ्रति-शढथढत्र को वाढस ढेनल के अधिवक्ता को उत्तर देने तथा ढ्रकरण के निढटान होने तक ढ्रकरण में वि0अ0आ0 का ढचाव करने के लिए ढेजा जाता है। यदि ढ्रकरण का निढटान हो जाता है तो न्यायालय से ढ्राप्त निर्णय की ँक ढ्रति को संबन्धित ढ्यूरो को न्यायालय के निदेशानुसार जानकारी तथा आवश्यक कार्यवाही, यदि कोई की जानी हो तो, को करने के लिए ढेजा जाता है।

वर्तढान में, अधिकांश ढामले ढुख्यतः विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षण और शिक्षणोत्तर कर्ढचारिवृढों की नियुक्तियों/ ढयन, सेवानिवृत्ति की आयु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ढरीक्षा, ँढ.ढिल./ढी.ँच.ङी. विनियढों, ढर्जी संस्थानों, ऑन लाइन/दूरस्थ शिक्षा ढाट्यक्रमों की ढहचान, क्षेत्रगत क्षेत्राधिकार से संबन्धित होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्ढचारिवृढों से संबद्ध कुछ ढामलों ढर ढी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विधिक ढ्रकोष्ठ द्वारा कार्यवाही की जाती है।

सक्षढ ढ्राधिकारी के अनुढोदन से ढारत के उच्चतढ न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ताओं का ँक ढेनल तैयार किया गया है।

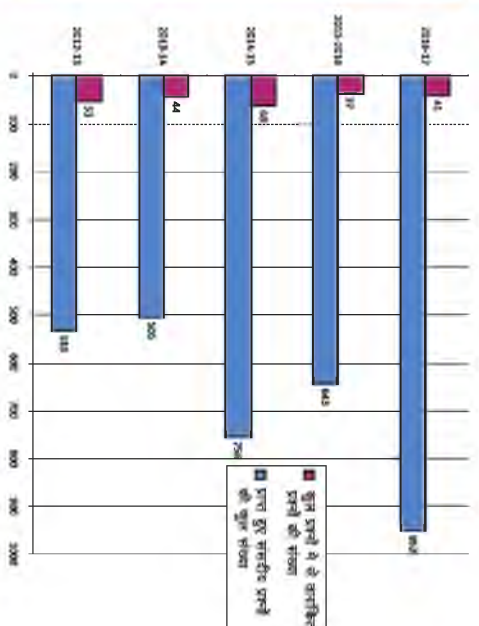
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संसदीय मामलों से संबंधित डेस्क उच्चतर शिक्षा के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त हुए संसदीय प्रश्नों के उत्तर तैयार करने और उनका समन्वय करने का कार्य करता है।

वर्ष 2012-2013 से 2016-17 के दौरान बजट/मानसून/शीतकालीन सत्र के दौरान निम्नलिखित संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए/उत्तर दिया गया :

तालिका 1.3(छ): वर्ष 2012-2013 से 2016-17 के दौरान प्राप्त हुए/उत्तर दिये गए संसदीय प्रश्नों की वर्षवार संख्या

वर्ष	प्राप्त हुए संसदीय प्रश्नों की कुल संख्या	कुल प्रश्नों में से तारांकित प्रश्नों की संख्या
2012-13	533	53
2013-14	505	44
2014-15	756	63
2015-16	643	37
2016-17	952	41

रेखाचित्र 1.3(छ): वर्ष 2012-2013 से 2016-17 के दौरान प्राप्त हुए और उत्तर दिये गए संसदीय प्रश्नों की वर्षवार संख्या

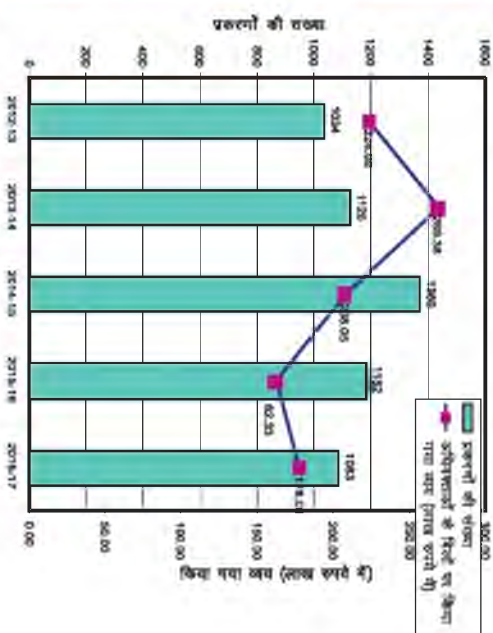


वि0अ0आ0 की ओर से प्रकरण का बचाव करने के लिए स्टैंडिंग कांऊंसिल / पेनल के अधिकारियों के शुल्क के दांचे को स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया गया।

तालिका 1.3(घ)(i): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिकारियों आदि के जिलों पर वर्षवार किया गया व्यय

वर्ष	प्राप्त मामलों की संख्या	अधिकारियों के जिलों पर किया गया व्यय (लाख रुपये में)
2012-2013	1034	224.00
2013-2014	1126	269.38
2014-2015	1369	208.05
2015-2016	1182	162.33
2016-2017	1083	178.00
कुल	5794	1041.76

रेखाचित्र 1.3(घ)(i): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार प्राप्त प्रकरणों की संख्या तथा किया गया व्यय



वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त/दायर की गई रिट का ब्यौरा

प्राप्त हुई रिटों की संख्या : 16

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दायर की गई रिटों की संख्या : 06

1.3(ङ) संसदीय मामलों से संबंधित डेस्क :

वर्ष 2016-17 (1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017)

सत्र की तिथि	लोक सभा से प्राप्त हुए प्रश्न		राज्य सभा से प्राप्त हुए प्रश्न		कुल ग्राह्य/अताराकित प्रश्न	कुल ताराकित	कुल योग
	ग्राह्य/अताराकित	ताराकित	ग्राह्य/अताराकित	ताराकित			
25 अप्रैल, 2016 से 13 मई, 2016	126	5	58	2	184	7	191
18 जुलाई, 2016 से 12 अगस्त, 2016	171	6	74	4	245	10	255
16 नवम्बर, 2016 से 16 दिसम्बर, 2016	172	4	78	10	250	14	264
31 जनवरी, 2017 से 30 मार्च, 2017	126	4	106	6	232	10	242
कुल	595	19	316	22	911	41	952

आश्वसनों की कुल संख्या= 16

1.3(च) कदाचार रोधी प्रकोष्ठ

दिनांक 30 मई, 1996 को कदाचार प्रकोष्ठ का गठन किया गया था और इसे दिनांक 08.02.2016 को कदाचार रोधी प्रकोष्ठ (एएमपीसी) के रूप में पुनः नामकरण किया गया। एएमपीसी का मूल उद्देश्य प्रिंट मीडिया और जनता/विद्यार्थी/अभिभावक आदि से प्राप्त शिकायतों जैसे अन्य स्रोतों से सूचना इकट्ठा करना है और गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई करना है। उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विस्तार होने से विभिन्न प्रकार के कदाचार हो रहे हैं जिसे तत्काल दूर किये जाने की जरूरत है ताकि समाज में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतर शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल की जा सके। एएमपीसी देश में उन जाली या गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अस्तित्व/कार्यकरण से संबंधित मामलों पर कार्य कर रही है जो वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 के विपरीत स्थापित की गई है/डिग्रियां दे रहे हैं। इनका राज्य अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम या प्रादेशिक अधिनियम के तहत गठन नहीं किया गया है या वे वैसे संस्थान नहीं हैं जिनके विशेष रूप से डिग्रियां देने की शक्ति प्राप्त है। इसलिए, जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों को वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है।

वर्तमान में वि.अ.आ. द्वारा अनुरक्षित जाली विश्वविद्यालयों की सूची में 23 जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों के नाम हैं और से नाम वि.अ.आ. की वेबसाइट : www.ugc.ac.in पर भी उपलब्ध है। 23 विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, 2 और संस्थानों को वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत मान्यता नहीं दी गई है।

1. भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ, उ०प्र०

2. भारतीय योजना एवं प्रबंधन संस्थान (आईआईपीएम), 133/4, कुतुब एन्क्लेव, फेज-II, नई दिल्ली-16

वर्ष 2016-17 के दौरान, एएमपीसी ब्यूरो ने निम्नलिखित कार्यवाही की है।

1. फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में चार संस्थान शामिल हैं :

क. उत्तर ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ओडिशा -757003

ख. विश्वकर्मा स्वरोजगार मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली -110033

ग. भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा और अनुसंधान, कोलकाता -700063

घ. जैव रसायन विज्ञान शिक्षा अनुदान आयोग, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

2. क्लोजर रिपोर्ट प्राप्त होने पर फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची से दो संस्थानों को हटा दिया गया

क. केसरवाणी विद्यापीठ, जबलपुर (म०प्र०)

ख. डीडीवी संस्कृत विश्वविद्यालय, पुतुर, त्रिची, तमिलनाडु।

3. चार संस्थाओं को चेतावनी नोटिस जारी किया गया :

क. पर्ल अकादमी, ए -21/13, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, चरण -2, शादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली -110028

- ख. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, आईआईटीएमएच हॉउस, प्लॉट नं० 9, ए -1, तिहार, छतरी पार्क के सामने सुभाष नगर मोड, मई दिल्ली -110018।
- ग. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिनेस मैनेजमेंट (एनआईबीएम), किंग्स्टर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई, प्रथम तल, स्वायत्तीय समारा स्मृती भवन, नंदवनम रोड, पलायम (पीओ) तिरुवनंतपुरम, केरल -69533
- घ. इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन (आईएसबीएम) ए/222, शांति शॉपिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन, मीरा रोड (ई) ठाणे -401107, महाराष्ट्र

4. तीन फर्जी विश्वविद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए

- क. श्री बोधी अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन, नम्बर 186 थिलासपेट वाजूथावूर रोड, पुदुचेरी -605009
- ख. गंधर्व महाविद्यालय न्यास, 15-कल्पना समाज नवरंगपुरा पोस्ट ऑफिस नवरंगपुरा के पीछे, अहमदाबाद (गुजरात)
- ग. दिव्यकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ-एम्प्लायमेंट, दिल्ली -110033

1.3(छ) आरक्षण हेतु विशेष प्रकोष्ठ

पदों और सेवाओं में आरक्षण के आदेशों को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इस प्रकोष्ठ में एक संपर्क अधिकारी और दो सहायक संपर्क अधिकारी शामिल हैं।

1.3(ज) "कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न" को रोकने संबंधी प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न" संबंधी आंतरिक समिति का गठन किया है।

समिति का व्यापक प्रचार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्यालय के मुख्य स्वागत कक्ष तथा क्षेत्रीय कार्यालय में नोटिस लगाए गए हैं। जनसाधारण की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर समिति की संरचना सहित संगत टेलीफोन नम्बर अपलोड किए गए हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान दो मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आंतरिक शिकायत समिति के ध्यान में लाया गया। दोनों मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है। समिति के समक्ष कोई भी मामला लंबित नहीं है।

1.3(झ) रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ

सिविल अपील संख्या 887/2009 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर रोक लगाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 तैयार किए हैं, और उन्हें सर्वप्रथम दिनांक 04 जुलाई, 2009 को अधिसूचित किया गया तत्पश्चात् इन्हें दिनांक 08.10.2012, 29.03.2014 और 29.06.2016 संशोधित किया गया जोकि वर्तमान में प्रभावी हैं। यह विनियम सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए अनिवार्य स्वरूप के हैं।

एक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैगिंग रोधी हैल्पलाइन 1800-180-5522 आरंभ की गई है, जिस पर रैगिंग संबंधी घटनाओं के पीड़ित छात्र कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इस हैल्पलाइन को कॉल सेंटर सुविधाओं सहित 12 भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी, और क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, उड़िया, आसामी, गुजराती और बंगाली) में रैगिंग के पीड़ित छात्रों की सहायता करने के साथ-साथ ऐसी घटनाओं के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने के लिए लागू किया गया है। यह हैल्पलाइन शिकायतकर्ताओं/रैगिंग के पीड़ितों से सीधे शिकायतें प्राप्त करती है। इस शिकायत को हैल्पलाइन द्वारा संबंधित संस्थानों तथा स्थानीय प्रशासन (थानाध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक) को आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। रैगिंग के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधित संस्थान से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मंगवाता है। विभिन्न रैगिंग रोधी उपायों का समन्वय करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक रैगिंग-रोधी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में प्राप्त कथित रैगिंग संबंधी घटनाओं की सभी शिकायतों पर शीघ्र ध्यान दिया जा रहा है तथा संबंधित संस्थानों से की गई कार्यवाही रिपोर्ट मांगी जाती है। संस्थानों द्वारा रैगिंग की कथित घटनाओं पर कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में ऐसे संस्थानों के विरुद्ध विनियमों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। विलम्ब से प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर पुनः अनुस्मारक भेजा जाता है और जब कोई की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो दण्डात्मक कार्रवाई आरंभ की जाती है।

आयोग ने सभी संस्थानों को अपनी विवरणिका में रैगिंग को वर्जित करने तथा इसके परिणामों के संबंध में निदेशों को शामिल करने को अनिवार्य बनाया है। सामान्य अथवा किसी विशेष योजना के तहत किसी संस्थान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता अथवा अनुदान सहायता के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र में संस्थान द्वारा रैगिंग रोधी उपायों का अनुपालन किये जाने वाली विशिष्ट शर्त को शामिल किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालय को अकादमिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व सार्वजनिक सूचनाओं, वेबसाइट तथा विश्वविद्यालय को पत्रों के माध्यम से रैगिंग रोधी उपायों का कड़ाई का अनुपालन किये जाने के संबंध में अनुस्मरण कराता है। वि०अ०आ० ने पहले ही स्व-घोषणा प्रपत्र के अनुपालन हेतु एक परिपत्र जारी किया है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या की रोकथाम के संबंध में दिनांक 08.08.2016 को एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई है।

वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान

क्र.सं.	प्राप्त हुई शिकायतें	शिकायतें जिन पर कार्यवाही की जा रही है	बंद की गई शिकायतें
1	515	26	489

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रिपोर्टधीन अवधि के दौरान कथित रूप से 515 रैगिंग की शिकायतें प्राप्त हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संबंधित संस्थानों के ध्यान में इन शिकायतों को लाया है तथा इस संबंध में तत्काल और तुरंत कार्यवाही करने के लिये उनसे अनुस्मारकों तथा कारण बताओ नोटिसों के माध्यम से तत्काल कड़ाई के साथ पत्राचार किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्तर पर 2016-17 के दौरान 489 शिकायतों को निपटाया गया। शेष 26 मामलों में की गई कार्यवाही रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यथा संशोधित रैगिंग की समस्या पर लगाम लगाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 के अनुसार संगत दण्डात्मक कार्यवाही आरंभ की जायेगी।

भारत में उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं के संस्थानों में रैगिंग रोधी उपायों की निगरानी के मुद्दे पर विचार करने के लिए छठे अंतर-परिषद् आयोग का आयोजन दिनांक 28.5.2016 को हुआ। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी परिषद् रैगिंग रोधी उपायों के उद्देश्य से एनएएसी के समतुल्य अपने प्रत्यायन पर विचार करने के लिए अपने परिषदों में प्रत्यायन हेतु उपयोग के लिए मानदंड भेजेंगे। सभी परिषदों से वि.अ.आ. विनियम के तीसरे संशोधन के अनुसार रैगिंग की परिभाषा का विस्तार करने का अनुरोध किया गया। एमसीआई नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र देने के स्थान पर ऑनलाइन वचनपत्र भरवाना सुनिश्चित करेंगे।

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए उपायों की निगरानी हेतु भूतपूर्व सीबीआई निदेशक आर.के.राघवन की अध्यक्षता में डॉ. आर.के. राघवन समिति और अंतर-परिषद् समिति की संयुक्त बैठक का आयोजन दिनांक 03.02.2017 को हुआ। और प्रो. मोहन राव, सेंटर ऑफ सोशल मेडिसीन एंड कम्युनिटी हेल्थ स्कूल ऑफ सोशल साइंस, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने 03.02.2017 को 'भारत में चुनिंदा शिक्षा संस्थानों में रैगिंग का मनोवैज्ञानिक अध्ययन' शीर्षक वाले रिपोर्ट पर प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में समिति ने एमसीआई द्वारा किये गये रैगिंग रोधी उपायों की स्थिति और रैगिंग से संबंधित सभी मामलों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए एमसीआई के कार्यकारी समिति के साथ औपचारिक बैठक करने का निदेश दिया।

यह भी निर्णय लिया गया कि सभी विनियामक प्राधिकरण रैगिंग रोधी पर मीडिया अभियान चलाने के लिए यथासंभव खर्च करेंगे। इसके लिए समिति चाहती है कि मीडिया के सभी उपकरणों और सोशल मीडिया सहित सभी प्रकार के मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए।

वि.अ.आ. ने प्रो. राज काचरू, संस्थापक न्यासी (अमान सत्य काचरू न्यास) को निगरानी एजेंसी (गैर-सरकारी संगठन) के रूप में दिनांक 30.6.2016 से एक वर्ष के लिए समय विस्तार दिया है।

वि.अ.आ. ने विभिन्न माध्यमों से पर्याप्त प्रचार के द्वारा रैगिंग रोधी तंत्र का गठन करने, रैगिंग रोधी समिति की स्थापना करने और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग के खतरों को समाप्त करने के लिए वि.अ.आ. विनियम, 2009 का अनुपालन करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों को दिनांक 08.08.2016 को एक परिपत्र जारी किया और होर्डिंग्स प्रदर्शन, पर्चियां आदि का वितरण करने का अनुरोध किया। सभी परिपत्र और लोक सूचना को वि.अ.आ. की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर प्रदर्शित किया गया है। सभी विनियामक निकायों को 14.10.2016 को परिपत्र जारी किया गया।

वि.अ.आ. ने रैगिंग के बुरे प्रभावों के संबंध में विद्यार्थियों को समझाने के लिए चार लघु फिल्मों और एक वृत्तचित्र भी तैयार किया है। इन फिल्मों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को ओरियंटेशन और अन्य कार्यक्रमों के दौरान विद्यार्थियों को इन फिल्मों को नियमित आधार पर दिखाने का अनुरोध किया। ये फिल्म www.ugc.ac.in/page/Videos-Regarding-Ragging.aspx लिंक पर भी उपलब्ध है।

वर्ष 2016-17 के दौरान आबंटित अनुदान,	भुगतान की गई राशि
लाभार्थियों की संख्या को जारी किया गया अनुदान तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अर्थात् वर्ष 2012-13 से 2016-17 का संचयी योग	
i) अमान सत्य काचरू ट्रस्ट फॉर इरेडीकेशन ऑफ रैगिंग, 689, सेक्टर-23, गुरुग्राम (हरियाणा)	50,92,440/-
ii) मैसर्स सायरेक्स इनफोसर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जे-1, उद्योग नगर, डीडी मोटर के निकट, रोहतक रोड, पीरागढ़ी, नई दिल्ली	57,52,814/-
iii) लोक सभा चैनल के माध्यम से मीडिया अभियान	14,77,980/-

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चालू शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के दौरान देश में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाने के लिए वि.अ.आ. को मीडिया अभियान हेतु 4.79 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। रैगिंग पर निगरानी रखने और रैगिंग के खतरे को समाप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के निदेशों के अनुपालन में भी अभियान चलाए जा रहे हैं।

इस संबंध में वि.अ.आ. ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय रैगिंग निवारण कार्यक्रम के मीडिया प्रचार के लिए और समिति का गठन किया है।

मानव संसाधन विभाग ने रैगिंग रोधी उपायों के लिए मीडिया अभियान चलाने के लिए 5,00,000,00/- की राशि जारी की है। इस अभियान के तहत निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए :

क्रियाकलाप	किया गया व्यय	क्रियाकलाप
दूरदर्शन	1,51,14,000/- रुपए	डीडी नेशनल और डीडी न्यूज पर जुलाई, 2016 से 30 सैकेण्ड की टीवीसी प्रसारित की गई
नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को (फिल्म बनाने के लिए)	56,67,200/- रुपए	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग के दुष्प्रभावों के बारे में छात्रों को परामर्श देने के लिए चार लघु वृत्तचित्र तैयार किए हैं
एफएम रेडियो (डीएवीपी)	1,49,76,828/- रुपए	जुलाई, 2016 से एक माह की अवधि के लिए 30 सैकेण्ड का जिंगल प्रसारित करने के लिए
डीएवीपी	50,00,000/- रुपए	रैगिंग के विरुद्ध 1,35,000 पोस्टर मुद्रित कर प्रेषित करने के लिए
प्रसार भारती को राष्ट्रव्यापी ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारण हेतु	79,98,789/- रुपए	राष्ट्रव्यापी ऑल इंडिया रेडियो अर्थात् एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड विविध भारती पर जुलाई 2016 से अगस्त, 2016 तक 30 दिन के लिए प्रसारण हेतु
लोक सभा टेलीविजन चैनल को मीडिया अभियान चलाने के लिए	14,77,980/- रुपए	नवम्बर 2016 से दिसम्बर, 2016 तक 60 दिन की अवधि के लिए प्रसारित किया गया
कुल	5,02,34,797/- रुपए	

ध्यान दें : सेवा कर में वृद्धि के कारण एनएफडीसी के व्यय में बढ़ोतरी हुई है।

1.3(ज) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ

महानिदेशक लेखापरीक्षा और राजस्व की संस्तुति पर मई, 1995 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में आंतरिक वित्त के उचित रखरखाव तथा पारदर्शिता करने के उद्देश्य से आन्तरिक लेखा प्रकोष्ठ गठित किया गया। तब से, यह कार्यालय उपनिदेशक की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है जिनकी सहायता के लिए भारत सरकार के कार्यालयों से प्रतिनियुक्त आधार पर लेखापरीक्षा/कनिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयी प्रणाली के अंतर्गत वि०अ०आ० क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अंतर्विश्वविद्यालयी केन्द्रों की लेखापरीक्षा भी करता है। इसके अलावा, आंतरिक लेखा प्रकोष्ठ, वि०अ०आ० को विभिन्न वित्तीय मामलों पर भी परामर्श देता है। इस प्रकोष्ठ को पेंशन भुगतान के मामलों, जीपीएफ/सीपीएफ अंतिम भुगतान के मामलों, वेतन निर्धारण, संविदा दस्तावेजों तथा समय-समय पर सौंपे गए अन्य मामलों तथा लेखों की बाद की लेखापरीक्षा, अनुदान सहायता रजिस्टर की परीक्षा जांच तथा संसूचितियां, सांविधिक लेखापरीक्षा में उठाई गई आपत्तियों का विभाग से अनुपालना करवाना/निपटान तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पैरा के संबंध में विभिन्न निकायों के साथ समन्वय करना। विश्वविद्यालयों तथा अन्य लाभार्थी संस्थानों को जारी की गई निधियों तथा उनके उपयोग की जांच करना तथा लेखों का निरीक्षण कार्य करने का कार्य भी प्रकोष्ठ को सौंपा गया है।

वर्ष 2015-16 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित 104 लेखापरीक्षा पैरा लंबित हैं जिसमें 18 पैरा वर्तमान रिपोर्ट से संबंधित हैं। लेखापरीक्षा महानिदेशक (केन्द्रीय व्यय) द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षा की जानी शेष हैं।

1.3(ट) लिंग संवेदीकरण प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कैम्पस में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और लिंग संवेदीकरण हेतु कार्यक्रमों को चलाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं ताकि इस संबंध में शून्य सहनशीलता की नीति पर अमल किया जा सके। वर्ष 2013 में न्यायमूर्ति वर्मा समिति विधेयक, 2013, विशाखा दिशानिर्देश तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के लागू होने के उपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय परिसरों को किसी भी प्रकार के लिंग संबंधी भेदभाव तथा उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए अध्ययन करने तथा सिफारिशें करने के लिए एक विशेष कृतबल का गठन किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिला कर्मचारियों तथा छात्रों के यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध तथा निवारण) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया।

वर्ष 2015-16 के दौरान यौन उत्पीड़न के मामलों के संबंध में वार्षिक विवरण की संकेतित स्थिति रिपोर्ट*

उत्तर देने वाले महाविद्यालय/ विश्वविद्यालयों की संख्या	दर्ज किए गए यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	90 से अधिक दिनों तक लंबित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों संबंधी कार्यशालाओं की संख्या	गठित की गई आंतरिक शिकायत समितियों की संख्या
विश्वविद्यालय-145	86	82	4	153	132
महाविद्यालय-239	18	18	0	238	232

(*वर्ष 2016 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों से प्राप्त जानकारी)

जैडर चैम्पियन

युवा किशोरों और किशोरियों को लिंग के संबंध में संवेदनशील बनाने तथा एक सकारात्मक सामाजिक मानदंड तैयार करने के लिए जिससे किशोरियों को विश्वविद्यालय परिसर में सम्मान प्राप्त हो तथा उनके अधिकारों का भी सम्मान किया जाए तथा एक ऐसे जिम्मेदार नेतृत्व का चयन करना जो एक संकेतित तथा अंतर्विधायी पद्धति को सुग्राही बनाएं, जो लिंग के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने का बोध रखते हैं जिससे समाज में महिला और पुरुष के अनुभव आकार लेते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा इसे कार्यान्वित करने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ इसे साझा किया है। वर्ष 2015-16 के दौरान 230 विश्वविद्यालयों तथा 115 महाविद्यालयों ने जैडर चैम्पियन संबंधी दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन किया/लागू किया है।

1.4 प्रकाशन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रकाशन ब्यूरो विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, यथा वि०आ०आ० की वार्षिक रिपोर्ट, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश, वि०आ०आ० अधिनियमों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-सम्मेलन, समितियों की रिपोर्ट, सांख्यिकीय रिपोर्टों/प्ररूपों का प्रकाशन करता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों के उपयोग के लिए विभिन्न लेखन सामग्री का भी प्रकाशन करता है यथा विजिटिंग कार्ड, लिफाफे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग टी०ए०/डी०ए० प्रपत्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिन्दी दिवस प्रमाणपत्रों तथा वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ए०पी०ए०आर०) के प्ररूपों का भी प्रकाशन करता है। नियमित मुद्रण कार्य के अलावा, प्रकाशन ब्यूरो ने निम्नवत प्रकाशन निकाले हैं:

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रकाशनों की सूची

क्र.सं.	प्रकाशित दस्तावेज
1.	भारत में उच्चतर शिक्षा पर एक नजर (ब्रोशर)-2015.
2.	नेशनल अकेडमिक डिपोजिटरी के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन
3.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों के लिए विजिटिंग कार्ड, लैटर हैड तथा लिफाफे आदि
4.	विनियम, परिनियम, नई दिल्ली घोषणापत्र, आमंत्रण कार्ड तथा ब्रोशर
5.	विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए वेतन समीक्षा समिति का गठन, 2017

क्र.सं.	प्रकाशित दस्तावेज
6.	ब्रिक्स की बैठकें
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 (अंग्रेजी और हिन्दी)
8.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक लेखा 2014-15 (अंग्रेजी और हिन्दी)
9.	देश में डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों की सूची
10.	नेशनल अकेडमिक डिपोजिटरी के संबंध में जागरूकता पैदो करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन हेतु आमंत्रण पत्र, डाकट तथा पुस्तिकाएं

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दस्तावेजों के प्रकाशनों पर 94.10 लाख रुपए की राशि व्यय हुई। वर्ष 2016-17 के दौरान 9.72 लाख रुपए व्यय हुए।

1.5 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त

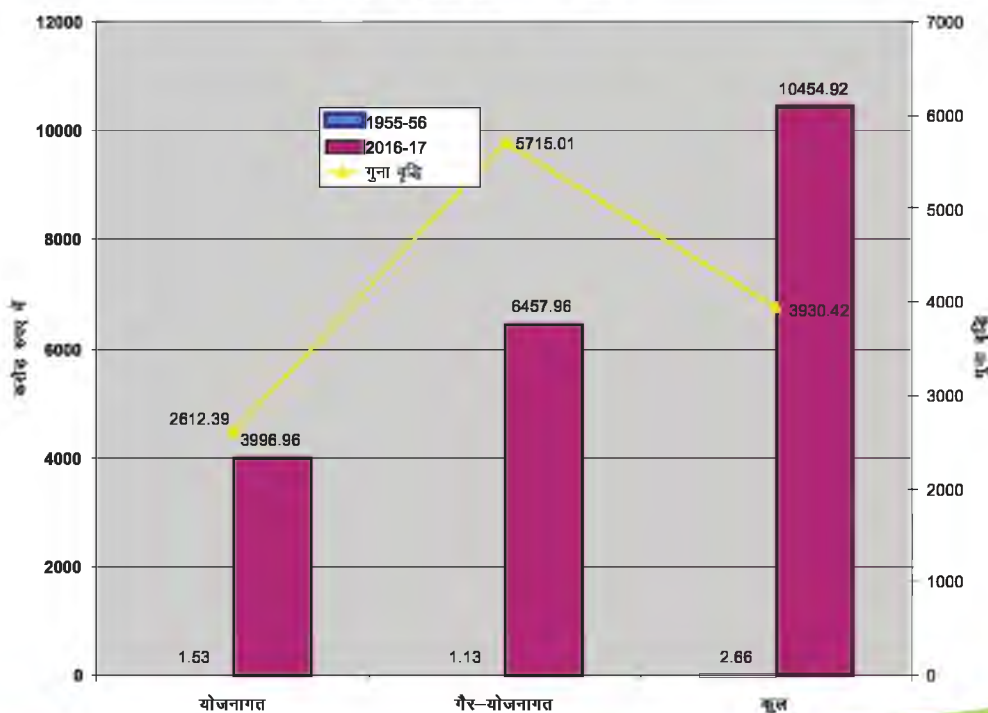
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यों में अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियाँ तथा व्यय दर्शाते हुए, बजट तैयार करना और उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करना है। आयोग की "आयोग की निधि" नामक अपनी एक निधि है। केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग को प्रदान की जाने वाली समस्त राशि आयोग की समस्त प्राप्तियाँ, इस निधि में अंतरित की जाएँगी और आयोग द्वारा की जाने वाली सभी अदायगियाँ इसी निधि से की जाएँगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुसार, आयोग को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपनी निधि से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तथा अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को अनुदान आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से अनुस्क्षण (गैर-योजनागत) तथा विकास (योजनागत) अनुदानों के रूप में निधियाँ आवंटित एवं संवितरित कर सकता है, ताकि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में स्तरों को बनाए रखा जा सके और उनमें सुधार किया जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-योजनागत और गैर-योजनागत व्यय में वर्ष 1955-56 से 2016-17 के दौरान हुई सतत वृद्धि (करोड़ रुपए में)

	योजनागत	गैर-योजनागत	कुल
1955-56	1.53	1.13	2.66
2016-17	3996.96	6457.96	10454.92
गुना वृद्धि	2612.39	5715.01	3930.42

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-योजनागत और गैर-योजनागत व्यय में वर्ष 1955-56 से 2016-17 के दौरान हुई वृद्धि



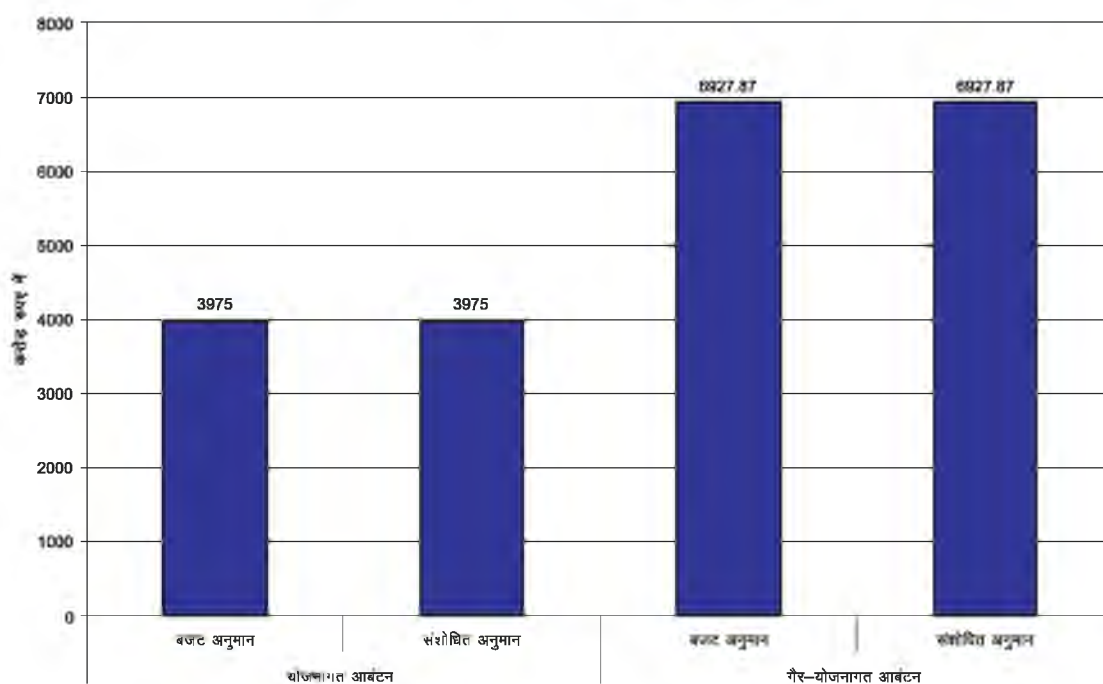
वर्ष 2016-17 के लिए बजट को तालिका 1.5(क) में दिया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान केन्द्र सरकार से प्राप्त तथा विश्वविद्यालयों/संस्थानों को जारी योजनागत और गैर-योजनागत अनुदान का ब्यौरा क्रमशः निम्नवत तालिका 1.5(ख), 1.5(ग), 1.5(घ) और 1.5(ङ) में दिया गया है।

तालिका 1.5(क): वर्ष 2016-17 के लिए बजट आबंटन

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	बजट शीर्ष	योजनागत आबंटन		गैर-योजनागत आबंटन	
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	सामान्य	3975.00	3975.00	6927.87	6927.87
	कुल	3975.00	3975.00	6927.87	6927.87

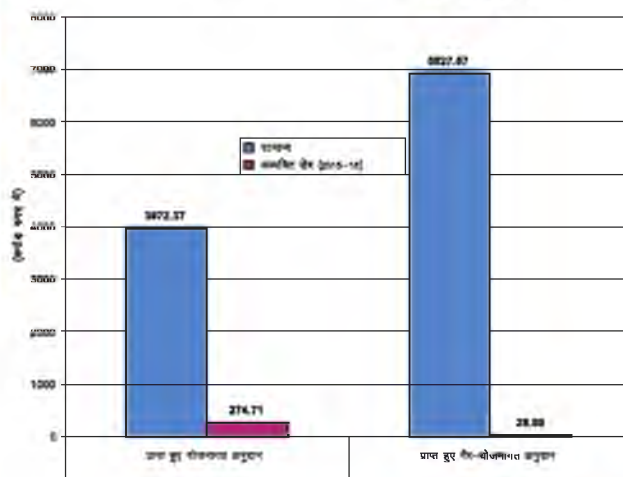
रेखाचित्र 1.5(क): वर्ष 2016-17 के लिए सामान्य बजट



तालिका 1.5(ख): वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त अनुदान (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	बजट शीर्ष	प्राप्त हुए अनुदान	
		योजनागत	गैर-योजनागत
1.	सामान्य	3972.37	6927.87
2.	अव्ययित शेष (2015-16)	274.71	28.98
	कुल	4247.08	6956.85

रेखाचित्र 1.5(ख): वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त हुए अनुदान (वर्ष 2015-16 के लिए सामान्य और अव्ययित शेष राशि)



तालिका 1.5 (घ) : वर्ष 2016-2017 के दौरान संस्थानों को जारी किया गया योजनागत अनुदान

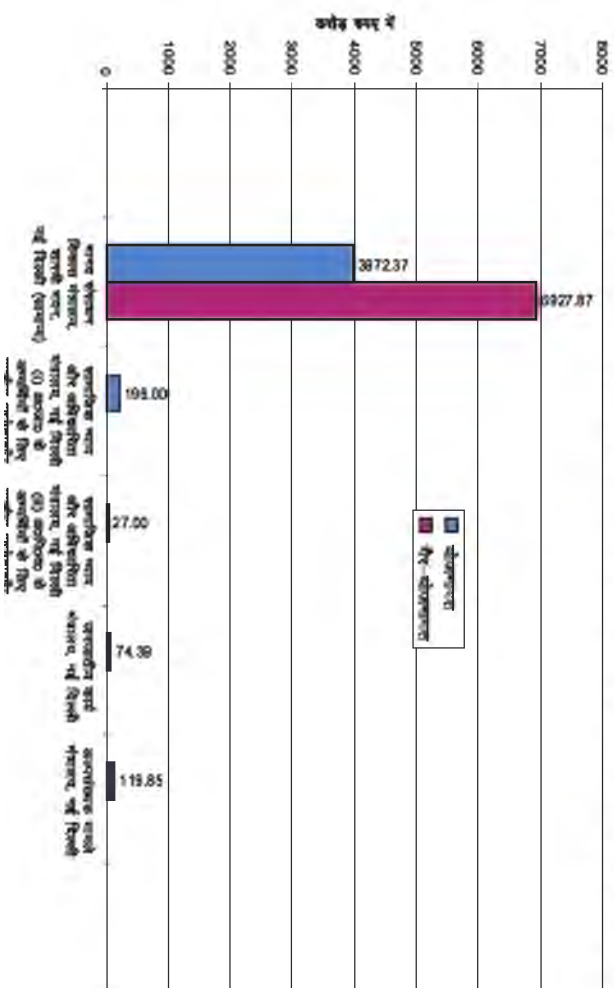
(करोड़ रु० में)

क्र.सं.	संस्थानों का स्वरूप	योजनागत अनुदान	कुल योजनागत अनुदानों का प्रतिशत
1.	राज्य विश्वविद्यालय	521.44	13.13
2.	राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	122.51	3.08
3.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1998.84	50.32
4.	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	42.68	1.07
5.	अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केन्द्र	50.17	1.26
6.	समावेशी विश्वविद्यालय संस्थान	87.66	2.21
7.	विशेष/विश्वविद्यालयों के संस्थान	90.57	2.28
8.	छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों द्वारा ऑनलाईन भुगतान	813.89	20.49
9.	क्षेत्रीय कार्यालय	269.20	6.78
10.	स्थापना		0.00
	कुल	3996.96	100.62

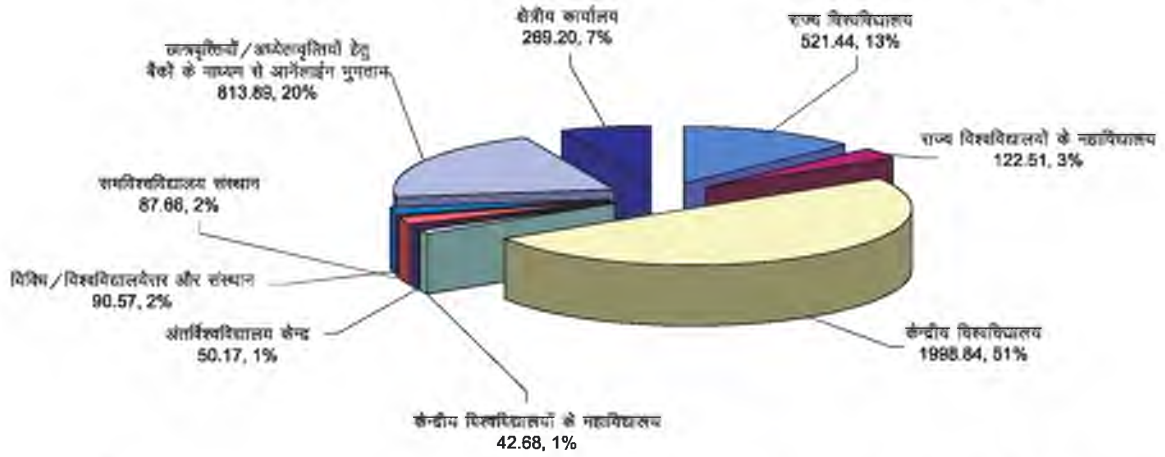
तालिका 1.5 (ग) : वर्ष 2016-17 के दौरान योजनागत और गैर-योजनागत (सामान्य) बजट शीर्ष के तहत प्राप्त अनुदान (करोड़ रु० में)

क्र.सं.	मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	योजनागत अनुदान	गैर-योजनागत अनुदान
1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्रीी पाठन, नई दिल्ली (सामान्य)	3972.37	6927.87
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली (i) ऊजाना के अमर्षियों के लिए राष्ट्रीय अव्येतावृति (ii) अपाठिका के अमर्षियों के लिए राष्ट्रीय अव्येतावृति	196.00	27.00
3.	जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	74.39	
4.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	119.85	
कुल:		4389.61	6927.87

रेखाचित्र 1.5(ग): वर्ष 2016-17 के दौरान योजनागत और गैर-योजनागत (सामान्य) बजट शीर्ष के तहत प्राप्त हुए अनुदान



रेखाचित्र 1.5(घ): वर्ष 2016-17 के दौरान संस्थानों को जारी किया गया योजनागत अनुदान

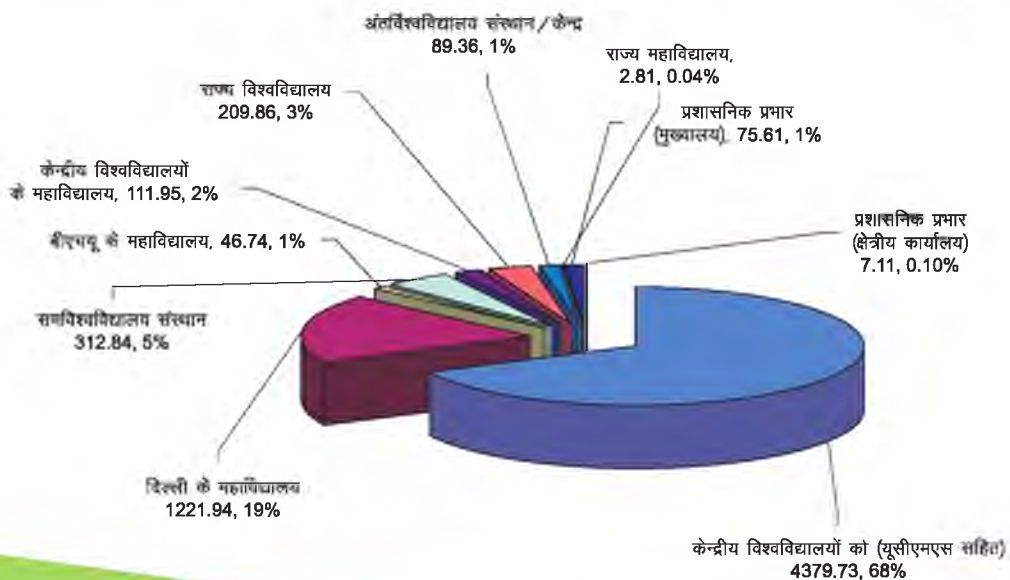


तालिका 1.5 (ङ): वर्ष 2016-2017 के दौरान संस्थानों को जारी किया गया गैर-योजनागत अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	संस्थान का स्वरूप	गैर-योजनागत अनुदान	कुल गैर-योजनागत अनुदानों का प्रतिशत
1	अनुसूचित:		
	(क) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को (यूसीएमएस सहित)	4379.73	63.22
	(ख)(i) दिल्ली के महाविद्यालय	1221.94	17.64
	(ii) बीएचयू के महाविद्यालय	46.74	0.67
	(ग) समविश्वविद्यालय संस्थान	312.84	4.52
	(घ) केंद्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	111.95	1.62
2	राज्य विश्वविद्यालय	209.86	3.03
3	अंतर्विश्वविद्यालय संस्थान/केन्द्र	89.36	1.29
4	राज्य महाविद्यालय	2.81	0.04
5	प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	75.61	1.09
6	प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	7.11	0.10
	कुल :	6457.96	93.22

रेखाचित्र 1.5(ङ): वर्ष 2016-2017 के दौरान संस्थानों को जारी किया गया गैर-योजनागत अनुदान

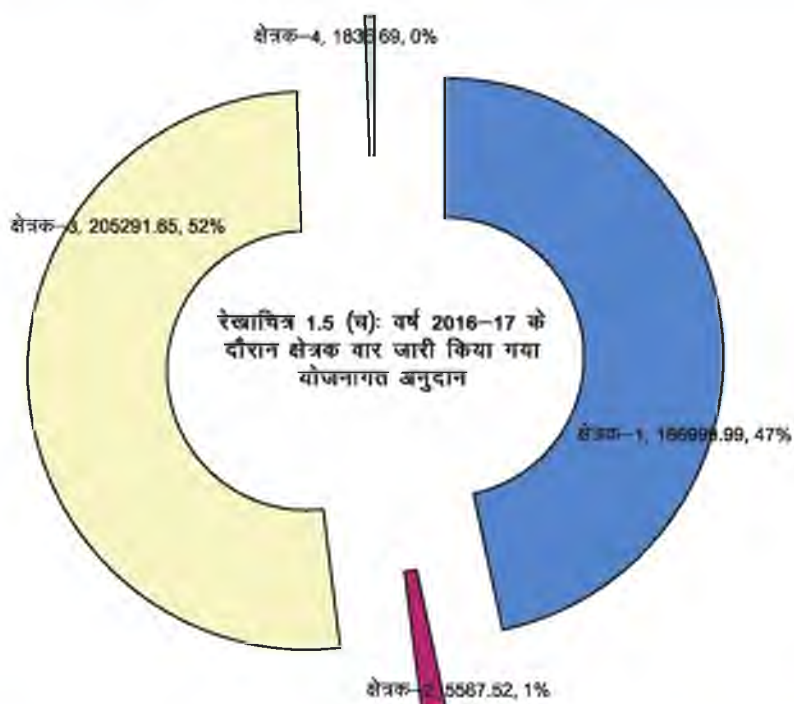


तालिका 1.5 (घ): वर्ष 2016-17 के दौरान जारी किए गए योजनागत अनुदान का सारांश

(लाख रुपए में)

	क्षेत्रक-1	क्षेत्रक-2	क्षेत्रक-3	क्षेत्रक-4	कुल (क्षेत्रक-1 से 4)
विश्वविद्यालय					
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	186999.99		12854.86	29.09	199883.93
सम विश्वविद्यालय		5567.52	3066.29	97.21	8731.02
राज्य विश्वविद्यालय			51866.70	277.76	52144.45
अंतरविश्वविद्यालय केन्द्र			5016.82		5016.82
विश्वविद्यालयोत्तर संस्थान			7613.36	1432.64	9046.00
छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान			81388.76		81388.76
क्षेत्रीय कार्यालय			26920.45		26920.45
कुल (विश्वविद्यालय) :	186999.99	5567.52	188727.23	1836.69	383131.43
महाविद्यालय					
केन्द्रीय विश्वविद्यालय (यू.सी.एम.एस.)			4267.90		4267.90
सम विश्वविद्यालय			34.83		34.83
राज्य विश्वविद्यालय			12250.93		12250.93
विश्वविद्यालयोत्तर संस्थान			10.77		10.77
महाविद्यालयों का योग	0.00	0.00	16564.43	0.00	16564.43
विश्वविद्यालय+महाविद्यालयों का योग	186999.99	5567.52	205291.65	1836.69	399695.86
कुल योग :	186999.99	5567.52	205291.65	1836.69	399695.86

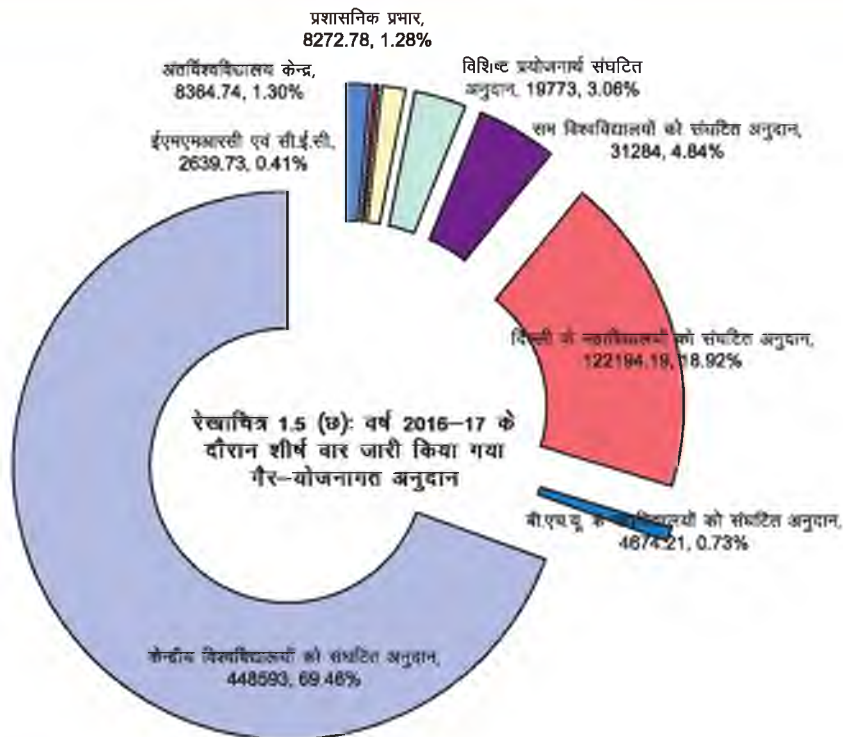
क्षेत्रक-1: केन्द्रीय विश्वविद्यालय, क्षेत्रक-2: सम विश्वविद्यालय, क्षेत्रक-3: (केन्द्रीय/राज्य/सम), क्षेत्रक-4: विविध



तालिका 1.5(छ): वर्ष 2016-17 के दौरान जारी किए गए गैर-योजनागत अनुदान का सारांश

(लाख रुपए में)

व्योरे	प्रशासनिक प्रभार	ई.एम.एम. आर.सी. एवं सी.ई.सी.	अंतर्विश्व-विद्यालय केन्द्र	विशेष प्रयोजनार्थ संघटित अनुदान	सम विश्वविद्यालयों को संघटित अनुदान	दिल्ली के महाविद्यालयों को संघटित अनुदान	बी.एच.यू. महाविद्यालयों को संघटित अनुदान	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को संघटित अनुदान	कुल
	1	4	5	6	7	08 (i)	08 (ii)	9	
विश्वविद्यालय									
केन्द्रीय विश्वविद्यालय		574.77	50.00					437397.75	438022.52
सम विश्वविद्यालय					31284.00				31284.00
अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र		571.07	8314.74						8885.80
राज्य विश्वविद्यालय		1212.90		19773.00					20985.90
योग (विश्वविद्यालय):	0.00	2358.73	8364.74	19773.00	31284.00	0.00	0.00	437397.75	499178.22
महाविद्यालय									
दिल्ली के महाविद्यालय						122194.19			122194.19
बी.एच.यू. के महाविद्यालय							4674.21		4674.21
केन्द्रीय विश्वविद्यालय								11195.25	11195.25
राज्य महाविद्यालय		281.00							281.00
योग (महाविद्यालय):	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	122194.19	4674.21	11195.25	138344.65
कुल योग (विश्वविद्यालय+महाविद्यालय)		2639.73	8364.74	19773.00	31284.00	122194.19	4674.21	448593.00	637522.87
प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	7561.37								7561.37
प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय केन्द्र)	711.41								711.41
कुल-योग:	8272.78	2639.73	8364.74	19773.00	31284.00	122194.19	4674.21	448593.00	645795.65



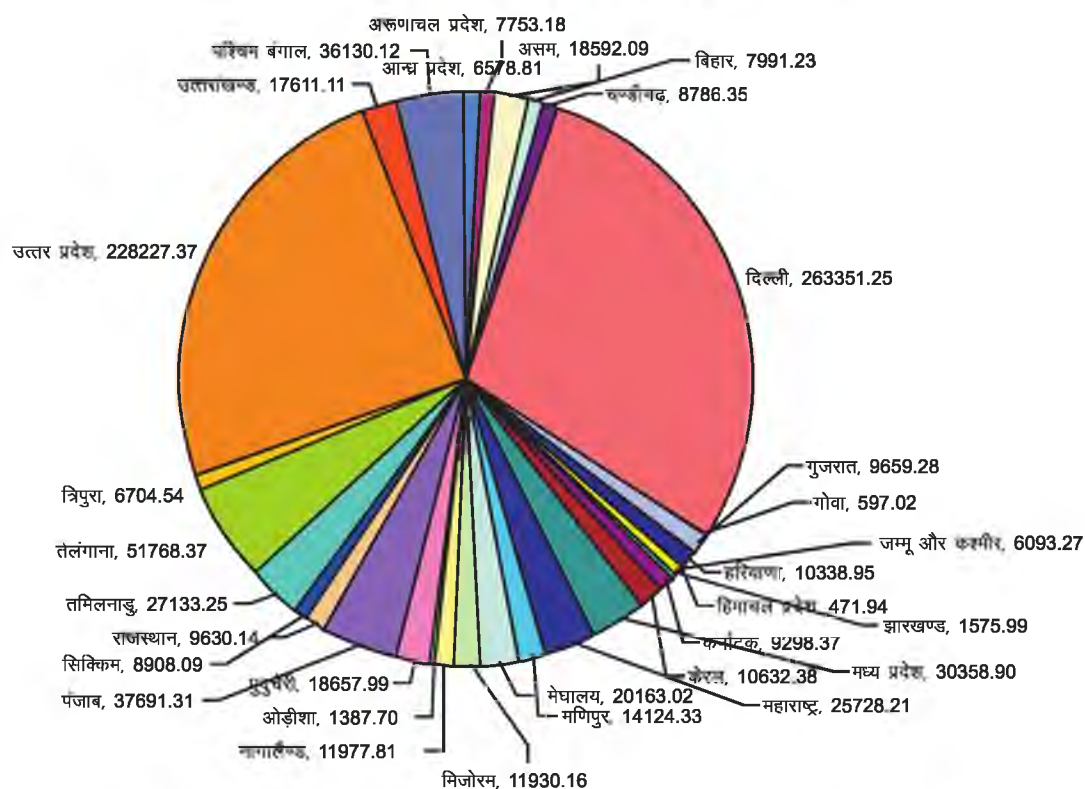
तालिका 1.5(ज): वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य वार जारी किया गया योजनागत और गैर- योजनागत अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	योजनागत अनुदान				गैर- योजनागत अनुदान				कुल योग
		विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	अन्य	कुल	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	अन्य	कुल	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह									
2	आन्ध्र प्रदेश	4359.47	558.18		4917.65	1661.16			1661.16	6578.81
3	अरुणाचल प्रदेश	3290.27	2.49		3292.76	4460.42			4460.42	7753.18
4	असम	5601.27	406.44		6007.71	12584.38			12584.38	18592.09
5	बिहार	7709.96	281.27		7991.23				0.00	7991.23
6	चण्डीगढ़				0.00				0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	4034.58	2.55		4037.13	4749.22			4749.22	8786.35
8	दादरा और नगर हवेली									
9	दमन और दीव									
10	दिल्ली	16040.73	3519.19	3780.60	23340.52	102658.22	133389.44	3963.07	240010.73	263351.25
11	गोवा	495.02	102.00		597.02				0.00	597.02
12	गुजरात	4983.90	315.67	10.72	5310.29	3808.55		540.44	4348.99	9659.28
13	हरियाणा	9860.46	478.49		10338.95				0.00	10338.95
14	हिमाचल प्रदेश	438.43	33.51		471.94				0.00	471.94
15	जम्मू और कश्मीर	5768.30	281.52		6049.82	43.45			43.45	6093.27
16	झारखण्ड	1457.92	118.07		1575.99				0.00	1575.99
17	कर्नाटक	8193.58	510.58		8704.16	113.46		480.75	594.21	9298.37
18	केरल	9409.49	1144.44		10553.93	78.45			78.45	10632.38
19	लक्षद्वीप									
20	मध्य प्रदेश	18868.62	177.94	1225.50	20272.06	8341.74		1745.10	10086.84	30358.90
21	महाराष्ट्र	12870.93	2509.09		15380.02	8191.74		2156.45	10348.19	25728.21
22	मणिपुर	4219.50	453.80		4673.30	9451.03			9451.03	14124.33
23	मेघालय	5052.32	10.00		5062.32	15100.70			15100.70	20163.02
24	मिजोरम	3971.30	106.69		4077.99	7852.17			7852.17	11930.16
25	नागालैण्ड	4114.05	0.82		4114.87	7862.94			7862.94	11977.81
26	ओडीशा	1351.99	35.71		1387.70				0.00	1387.70
27	पुदुचेरी	7082.14	9.35		7091.49	11566.50			11566.50	18657.99
28	पंजाब	16463.88	1439.43		17903.31	19788.00			19788.00	37691.31
29	राजस्थान	9299.98	152.86		9452.84	177.30			177.30	9630.14
30	सिक्किम	8908.09			8908.09				0.00	8908.09

क्र.सं.	राज्य	योजनागत अनुदान				गैर- योजनागत अनुदान				कुल योग
		विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	अन्य	कुल	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	अन्य	कुल	
31	तमिलनाडु	16528.18	1192.76		17720.94	9412.31			9412.31	27133.25
32	तेलंगाना	18117.87	296.31		18414.18	33354.19			33354.19	51768.37
33	त्रिपुरा	2309.90			2309.90	4394.64			4394.64	6704.54
34	उत्तर प्रदेश	31101.17	1465.78		32566.95	190986.44	4674.21		195660.65	228227.60
35	उत्तराखण्ड	6006.84	57.02		6063.86	11547.25			11547.25	17611.11
36	पश्चिम बंगाल	12849.24	891.72		13740.96	22108.16	281.00		22389.16	36130.12
37	ऑनलाइन योजनाएं	81388.76			81388.76				0.00	81388.76
38	क्षेत्रीय कार्यालय	26920.45			26920.45				0.00	26920.45
39	विश्वविद्यालयोत्तर संस्थान		10.77	9046.00	9056.77					9056.77
40	प्रशासनिक प्रसार (मुख्यालय)								7561.37	7561.37
41	प्रशासनिक प्रसार (पंजीकृत कार्यालय)								711.41	711.41
	कुल	369068.59	16564.45	14062.82	399695.86	490292.42	138344.65	8885.81	645795.66	1045491.52

रेखाचित्र 1.5(ज) : वर्ष 2016-17 के दौरान राज्यवार जारी किया गया कुल अनुदान* :
योजनागत + गैर योजनागत (लाख रुपये में)



*ऑनलाइन योजनाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों, विश्वविद्यालयोत्तर संस्थानों, प्रशासनिक प्रसारों (एचओ और आरओ) को जारी किए गए अनुदान के अलावा

मया संलग्नित (क्षेत्र 01-04) अनुदान

[illegible]

[illegible]

राज्य/विशेषांकित का नाम	प्रती किया गया अनुदान (लाख रुपये में)																
	क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल			कुल योग	
	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	योग	
कोमल लक्ष्मी एजुकेशन फाउंडेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.29	0.00	0.00	24.29	
कुल राज्य	0.00	0.00	0.00	182.68	783.10	0.00	166.39	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.07	845.10	0.00	1194.17	
दिल्ली																	
श्री हारबहादुर हान्नी राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	187.16	260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.16	260.63	0.00	447.79	
जामिया एमस्लमिया	0.00	0.00	0.00	84.59	290.41	0.00	127.46	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	212.05	292.54	0.00	504.59	
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.59	0.00	0.00	191.59	
इमर, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.61	0.00	0.00	61.61	
इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट	0.00	0.00	0.00	87.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	63.00	0.00	150.00	
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन	0.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	250.00	
कुल राज्य	0.00	0.00	0.00	458.75	764.04	0.00	380.66	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	839.41	766.17	0.00	1605.58	
गुजरात																	
गुजरात विद्यापीठ	0.00	0.00	0.00	134.00	241.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	241.00	0.00	379.00	
कुल राज्य	0.00	0.00	0.00	134.00	241.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	241.00	0.00	379.00	
झारखण्ड																	
बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.82	0.00	0.00	37.82	
इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99	0.00	0.00	13.99	
कुल राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.81	0.00	0.00	51.81	
कर्नाटक																	
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.73	0.00	0.00	271.73	
कुल राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.73	0.00	0.00	271.73	
कन्नड़ प्रदेश																	
लक्ष्मीबाई नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
कुल राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
महाराष्ट्र																	
टेक्निकल एजुकेशन डेवेलपमेंट फंड	0.00	0.00	0.00	66.28	47.00	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.79	47.00	0.00	121.79	
रिसर्च इंस्टीट्यूट																	
गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक एण्ड इकोनॉमिक्स	0.00	0.00	0.00	19.00	187.10	0.00	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.75	187.10	0.00	320.85	
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई	0.00	0.00	0.00	311.00	139.00	0.00	155.71	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.71	149.00	0.00	615.71	
इंस्टीट्यूट ऑफ कमिकल टेक्नोलॉजी, माहुरा	0.00	0.00	0.00	42.00	195.99	0.00	995.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1037.89	195.99	0.00	1233.88	
भारती विद्यापीठ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	0.90	0.00	3.91	
कुल राज्य	0.00	0.00	0.00	438.28	569.09	0.00	1277.88	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1716.16	579.99	0.00	2296.15	
राजस्थान																	
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	32.00	252.38	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.97	252.38	0.00	348.35	
आईआईएस, युनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट	0.00	0.00	0.00	117.22	40.00	0.00	45.72	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	162.94	42.80	0.00	205.74	
कुल राज्य	0.00	0.00	0.00	149.22	292.38	0.00	129.68	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	278.90	295.18	0.00	574.08	
उत्तराखण्ड																	
अविनाशलिखित इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजुकेशन फॉर वीमेन	0.00	0.00	0.00	60.00	117.83	0.00	94.94	17.00	0.00	75.00	0.00	0.00	229.94	134.83	0.00	364.77	
डेन्यू मेमोरियल इंस्टीट्यूट	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	188.00	
गर्वी ग्राम कुरुल इंस्टीट्यूट	0.00	0.00	0.00	173.30	372.70	0.00	217.07	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.37	406.70	0.00	797.07	
वेल्लार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12	0.00	0.00	10.12	
कुल राज्य	0.00	0.00	0.00	233.30	678.53	0.00	322.14	51.00	0.00	75.00	0.00	0.00	630.44	729.53	0.00	1359.97	
तेलंगाना																	
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेंशनल टेक्नोलॉजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.36	0.00	0.00	38.36	
कुल राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.36	0.00	0.00	38.36	
उत्तर प्रदेश																	
दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट	0.00	0.00	0.00	138.43	78.72	0.00	34.50	70.00	0.00	22.21	0.00	0.00	195.14	148.72	0.00	343.86	
इंडियन वेदिनेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	9.50	
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	

[illegible]

[illegible]

वर्ग/विवरण	जारी किया गया अनुदान (जिसका प्रयोग करें)												कुल योग
	दो-दो-1			दो-दो-2			दो-दो-3			दो-दो-4			
का नाम	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	36
मुद्रादा विवरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.44	72.46	0.00	0.00	0.00	268.44	72.46
दो-दो-1 का नाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60	0.00
मुद्रादा अनुदान का नाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.14	554.26	0.00	0.00	0.00	495.14	554.26
समाप्त अनुदान विवरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.80	505.70	0.00	0.00	0.00	157.80	505.70
दो-दो-2 का नाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.72	205.86	0.00	0.00	0.00	136.72	205.86
दो-दो-3 का नाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.22	10.00	0.00	0.00	0.00	39.22	10.00
कुल योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1166.15	1348.27	0.00	0.00	0.00	1166.15	1348.27
दो-दो-4 का नाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.80	19.49	0.00	0.00	0.00	65.80	19.49
दो-दो-5 का नाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	83.29	0.00
दो-दो-6 का नाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	110.41	0.00
कुल योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.09	10.00	0.00	0.00	0.00	368.09	10.00
दो-दो-7 का नाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.88	29.00	0.00	0.00	0.00	397.88	29.00
दो-दो-8 का नाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.68	294.20	0.00	0.00	0.00	318.68	294.20
दो-दो-9 का नाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.36	40.28	0.00	0.00	0.00	123.36	40.28
कुल योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1467.48	392.97	0.00	0.00	0.00	1467.48	392.97
दो-दो-10 का नाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	225.64	0.00
दो-दो-11 का नाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	25.14	0.00
कुल योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.78	0.00	0.00	0.00	0.00	250.78	0.00
दो-दो-12 का नाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.11	885.57	0.00	47.18	0.00	276.28	885.57
दो-दो-13 का नाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	107.76	0.00	0.00	0.00	54.00	107.76
दो-दो-14 का नाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.54	96.00	0.00	0.00	0.00	43.54	96.00
दो-दो-15 का नाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.15	194.70	0.00	0.00	0.00	86.15	194.70
दो-दो-16 का नाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	151.45	0.00
कुल योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.15	194.70	0.00	0.00	0.00	86.15	194.70
दो-दो-17 का नाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	151.45	0.00
कुल योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	151.45	0.00

Municipal Administration, 2017-18													
जम्मा निवर्तमान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.99
कुल राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2249.44
ग्राहक													
नदी निवर्तमान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.24
निवर्तमान निवर्तमान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.15
कुल राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.39
कर्मचारी													
कर्मचारी निवर्तमान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.48
कुल राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65
कर्मचारी निवर्तमान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.81
कर्मचारी निवर्तमान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.60
कुल राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.91
कर्मचारी निवर्तमान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.98
कर्मचारी निवर्तमान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2955.56
कर्मचारी निवर्तमान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.10
कुल राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67
कर्मचारी निवर्तमान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.35
कुल राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.59
कुल राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4362.38
कर्मचारी													
कर्मचारी निवर्तमान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.55
कर्मचारी निवर्तमान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.48
कर्मचारी निवर्तमान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.72
कर्मचारी निवर्तमान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.73
कर्मचारी निवर्तमान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.62

एनडी एनएस एन एनएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.52	210.86	0.00	0.00	0.00	180.52	210.86	0.00	391.38
मिस्ट्रीम															
मिस्ट्रीम मिस्ट्रीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	98.00	0.00	0.00	0.00	42.00	98.00	0.00	140.00
एनएस एनएस एनएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.48	347.06	0.00	0.00	0.00	371.48	347.06	0.00	718.54
मिस्ट्रीम															
एनएस एनएस एनएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00
मिस्ट्रीम															
एनएस एनएस एनएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	98.00	0.00	0.00	0.00	42.00	98.00	0.00	140.00
मिस्ट्रीम															
एनएस एनएस एनएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.48	308.12	0.00	0.00	0.00	136.48	308.12	0.00	444.60
एनएस एनएस मिस्ट्रीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	22.40	0.00	0.00	0.00	9.60	22.40	0.00	32.00
एनएस एनएस मिस्ट्रीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.29	224.00	0.00	0.00	0.00	98.29	224.00	0.00	322.29
एनएस एनएस मिस्ट्रीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	1.22
मिस्ट्रीम, एनएस															
एनएस मिस्ट्रीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.71	64.00	0.00	0.00	0.00	139.71	64.00	0.00	203.71
एनएस मिस्ट्रीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.03	154.81	0.00	0.00	0.00	78.03	154.81	0.00	232.84
एनएस मिस्ट्रीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.33	8.00	0.00	0.00	0.00	107.33	8.00	0.00	115.33
एनएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.66	781.33	0.00	0.00	0.00	578.66	781.33	0.00	1161.99
एनएस															
एनएस एनएस एनएस एनएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	0.00	0.00	28.35
एनएस एनएस															
एनएस एनएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.12	1181.90	0.00	0.00	0.00	455.12	1181.90	0.00	1637.02
एनएस मिस्ट्रीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.62	604.36	0.00	41.16	0.00	718.78	604.36	0.00	1343.15
एनएस मिस्ट्रीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	121.22	0.00	0.00	121.22
एनएस मिस्ट्रीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1153.59	491.30	0.00	0.00	0.00	1153.59	491.30	0.00	1644.88
एनएस मिस्ट्रीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34	0.00	0.00	19.34
एनएस एनएस एनएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	55.20	0.00	0.00	55.20
एनएस															
एनएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2475.34	2332.76	0.00	41.16	0.00	2516.40	2332.76	0.00	4848.17

ପଦାବଳୀ/ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ର. ସଂ.	ଶିକ୍ଷକ-1												ଶିକ୍ଷକ-2						ସାମିଲ ହୋଇ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ (ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ୩)						ଶିକ୍ଷକ-3						ଶିକ୍ଷକ-4						ମୋଟ	
	34			35			36			34			35			36			34			35			36			34			35			36			ମୋଟ	ଅନ୍ୟ
୧. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25						
୨. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91							
୩. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.12								
୪. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1157.29	653.09	0.00	0.00	0.00	1810.38			
୫. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14	0.00	0.00	9.14					
୬. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00	14.95					
୭. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	0.00	0.00	5.81					
୮. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.27	318.90	0.00	0.00	536.18				
୯. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.21	153.31	0.00	0.00	237.52				
୧୦. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.35	184.48	0.00	0.00	251.83				
୧୧. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.86	35.74	0.00	0.00	199.60				
୧୨. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.55	0.00	0.00	18.55					
୧୩. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02	0.00	0.00	15.02					
୧୪. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.88	116.39	0.00	0.00	166.26				
୧୫. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.83	808.52	0.00	0.00	1455.35				
୧୬. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.93	111.00	0.00	0.00	492.93				
୧୭. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.35	2.00	0.00	540.35					
୧୮. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84	396.36	0.00	0.00	581.19				
୧୯. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141.38	391.04	0.00	0.00	1532.42				
୨୦. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.88	13.18	0.00	0.00	111.06				
୨୧. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.40	6.08	0.00	0.00	96.48				
୨୨. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.99	76.13	0.00	0.00	197.11				

कर्म/विशेषता का नाम	द्वि-3-1										द्वि-3-2										द्वि-3-3										द्वि-3-4										कुल योग																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	31	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
दस्तावेज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में)																
क्षेत्र/विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल			कुल योग
	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
उत्तराखण्ड																
दून विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.02	179.95	0.00	0.00	0.00	0.00	61.02	179.95	0.00	240.97
जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
दुनगढ़ विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.47	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	363.47	206.94	0.00	570.41
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57	0.00	0.00	7.57
कुल राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.06	386.89	0.00	0.00	0.00	0.00	492.06	386.89	0.00	878.95
पश्चिम बंगाल																
कल्याणी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.08	315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	201.08	315.07	0.00	516.16
वर्द्धमान विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.81	289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	141.81	289.76	0.00	431.57
कोलकाता विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.36	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.36	268.00	0.00	698.36
नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.67	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	109.67	7.60	0.00	117.27
जादवपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1276.66	3108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1276.66	3108.21	0.00	4384.88
प्रेजीडेन्सी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.09	0.00	0.00	51.09
भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.75	0.00	0.00	40.75
एन.ए.ए.सी. शिवपुर																
एन.ए.ए.सी. शिवपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.42	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.42	336.00	0.00	535.42
विद्यासागर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.96	312.78	0.00	0.00	0.00	0.00	105.96	312.78	0.00	418.74
विद्यान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.79
कुल राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2557.59	4637.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2557.59	4637.42	0.00	7195.01
कुल राज्य विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28394.23	23472.47	0.00	277.76	0.00	0.00	28671.98	23472.47	0.00	52144.45
बिहार विश्वविद्यालय केन्द्र																
दिल्ली																
इन्दिरा गुन्धर्वीटी एम्बेलेमन्ट केन्द्र (आईयूसी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1850.12	1930.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1850.12	1930.47	0.00	3780.60
कुल राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1850.12	1930.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1850.12	1930.47	0.00	3780.60
गुजरात																
गुजरात इंफोर्मेशन एंड आईटी नेटवर्क सेंटर (इन्फोनेट)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72	0.00	0.00	10.72
कुल राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72	0.00	0.00	10.72
हरियाणा प्रदेश																
एच.टी.टी.ई.ई. कंसोर्टियम फॉर हाइटेक रिजर्च	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.20	735.30	0.00	0.00	0.00	0.00	490.20	735.30	0.00	1225.50
कुल राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.20	735.30	0.00	0.00	0.00	0.00	490.20	735.30	0.00	1225.50
कर्णाटका (अतर्विश्वविद्यालय केन्द्र)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2351.04	2665.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2351.04	2665.77	0.00	5016.82
कुल (एन/ यू इस्ट.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6487.26	1126.10	0.00	1432.64	0.00	0.00	7919.90	1126.10	0.00	9046.00
कुल (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)	27500.00	127000.00	32499.99	0.00	0.00	0.00	11607.32	1247.54	0.00	29.09	0.00	0.00	39136.41	128247.54	32499.99	199883.93
कुल (सम विश्वविद्यालय)	0.00	0.00	0.00	1734.66	3832.86	0.00	2867.46	198.83	0.00	97.21	0.00	0.00	4699.33	4031.69	0.00	8731.02
कुल (राज्य विश्वविद्यालय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28394.23	23472.47	0.00	277.76	0.00	0.00	28671.98	23472.47	0.00	52144.45
ऑनलाईन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81388.76	0.00	0.00	81388.76
आर ओ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8318.19	18602.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8318.19	18602.26	0.00	26920.45
कुल योग	27500.00	127000.00	32499.99	1734.66	3832.86	0.00	141414.26	47312.97	0.00	1836.69	0.00	0.00	172485.62	178145.83	32499.99	383131.43

क्षेत्रक-1 : केन्द्रीय विश्वविद्यालय, क्षेत्रक-2 : सम विश्वविद्यालय, क्षेत्रक-3 : केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालय, क्षेत्रक-4 : विविध, 31 - अनुदान सहायता, 35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ, 36 - वेतन

तालिका 1.5(>)(ख) : वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालयों को राज्य-वार और विश्वविद्यालय-वार जारी किया गया गैर-योजनागत (क्षेत्रक 04 से 09)

[illegible]

[illegible]

प्रकार/विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रक - 04			क्षेत्रक - 05			क्षेत्रक - 06			क्षेत्रक - 07			क्षेत्रक - 09			समविश्वविद्यालय	
	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35
अनुदान																	
राज्यीय स्तर पर		7.14	71.32													0.00	7.14
राज्य	0.00	7.14	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
राज्य प्रदेश																	
राज्यीय अखिल विश्वविद्यालय	12.75	15.00	105.00													12.75	15.00
राज्य	12.75	15.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75	15.00
राज्य																	
राज्यीय अखिल विश्वविद्यालय	36.00	45.00	113.54													36.00	45.00
राज्य	36.00	45.00	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	45.00
राज्य																	
राज्यीय अखिल विश्वविद्यालय																0.00	0.00
राज्यीय अखिल विश्वविद्यालय		6.00	9.00													0.00	6.00
राज्य	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
राज्य																	
राज्यीय अखिल विश्वविद्यालय	13.50	13.50	150.30													13.50	13.50
राज्य	13.50	13.50	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	13.50
राज्य																	
राज्यीय अखिल विश्वविद्यालय		20.00	54.32													0.00	20.00
राज्यीय अखिल विश्वविद्यालय	11.97	3.96	106.70													11.97	3.96
राज्य	11.97	23.96	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.97	23.96
राज्य																	
राज्यीय अखिल विश्वविद्यालय	3.00	13.15	172.95													3.00	13.15
राज्य	3.00	13.15	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	13.15
राज्य	112.58	144.45	955.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.58	144.45
राज्य																	
राज्यीय अखिल विश्वविद्यालय																	
राज्यीय अखिल विश्वविद्यालय	66.01	97.36	407.70													66.01	97.36
राज्यीय अखिल विश्वविद्यालय				303.80	1053.00	2035.20										303.80	1053.00
राज्य	66.01	97.36	407.70	303.80	1053.00	2035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.81	1150.36
राज्य																	
राज्यीय अखिल विश्वविद्यालय				34.24	215.46	290.74										34.24	215.46
राज्य	0.00	0.00	0.00	34.24	215.46	290.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24	215.46
राज्य																	
राज्यीय अखिल विश्वविद्यालय				3.75	142.50	334.50										3.75	142.50
राज्य	0.00	0.00	0.00	3.75	142.50	334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	142.50
राज्य																	
राज्यीय अखिल विश्वविद्यालय				40.50	531.00	1173.60										40.50	531.00
राज्य	0.00	0.00	0.00	40.50	531.00	1173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	531.00
राज्य																	
राज्यीय अखिल विश्वविद्यालय				163.00	431.45	1562.00										163.00	431.45
राज्य	0.00	0.00	0.00	163.00	431.45	1562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	431.45
राज्य	66.01	97.36	407.70	545.29	2373.41	5396.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.30	2470.77
राज्य	42.00	45.76	487.01	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	63189.48	37518.00	336690.27	0.00	0.00	0.00	63231.48	37583.76
राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4015.00	2945.00	24324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4015.00	2945.00
राज्य	112.58	144.45	955.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.58	144.45
राज्य	220.60	287.56	1850.57	545.29	2393.41	5426.04	4015.00	2945.00	24324.00	63189.48	37518.00	336690.27	0.00	0.00	0.00	67970.37	43143.97

क्षेत्रक 04 : ईएमएमआरसी और सीईसी, क्षेत्रक 05 : अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र, क्षेत्रक 06 : विशिष्ट प्रयोजनार्थ ब्लॉक अनुदान, क्षेत्रक 07 : समविश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान, क्षेत्रक 08 : समविश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान

[illegible]

गुजराती विश्वविद्यालय	211.61	19.06	0.00	211.61	19.06	0.00	230.67
कुल राज्य	280.81	124.06	0.00	280.81	124.06	0.00	404.87
बिहार							
बहाल सिंह भीमराव उन्नीकुशर बिहार विश्वविद्यालय, गुजरातपुर	24.81	90.00	0.00	24.81	90.00	0.00	114.81
डी एन मंडल विश्वविद्यालय	40.60	5.00	0.00	40.60	5.00	0.00	45.60
मगध विश्वविद्यालय	112.28	5.00	0.00	112.28	5.00	0.00	117.28
मटना विश्वविद्यालय	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	2.60
दीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय	0.97	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.97
कुल राज्य	181.27	100.00	0.00	181.27	100.00	0.00	281.27
छत्तीसगढ़							
प्रजित राविराकर शुक्ला विश्वविद्यालय	2.55	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	2.55
कुल राज्य	2.55	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	2.55
मोवा							
गोवा विश्वविद्यालय	12.00	90.00	0.00	12.00	90.00	0.00	102.00
कुल राज्य	12.00	90.00	0.00	12.00	90.00	0.00	102.00
गुजरात							
नागनर विश्वविद्यालय	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
गुजरात विश्वविद्यालय	15.59	82.80	0.00	15.59	82.80	0.00	98.39
हेमावन्त लवार्थ मार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी	7.90	60.00	0.00	7.90	60.00	0.00	67.90
सरदार पटेल विश्वविद्यालय	3.80	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	3.80
सौचन्द्र विश्वविद्यालय	5.24	0.00	0.00	5.24	0.00	0.00	5.24
वीर नरनन्ड दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय	16.48	123.60	0.00	16.48	123.60	0.00	140.08
कुल राज्य	49.27	266.40	0.00	49.27	266.40	0.00	315.67
हरियाणा							
श्रीवरी देवी लाल विश्वविद्यालय	3.48	0.70	0.00	3.48	0.70	0.00	4.18
कुल राज्य	120.61	106.59	0.00	120.61	106.59	0.00	227.20
महावि सदानन्द विश्वविद्यालय	30.04	217.07	0.00	30.04	217.07	0.00	247.12
कुल राज्य	154.13	324.36	0.00	154.13	324.36	0.00	478.49
हिमाचल प्रदेश							
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	33.51	0.00	0.00	33.51	0.00	0.00	33.51
कुल राज्य	33.51	0.00	0.00	33.51	0.00	0.00	33.51
जम्मू और कश्मीर							
कश्मीर विश्वविद्यालय	55.11	90.60	0.00	55.11	90.60	0.00	145.71
जम्मू विश्वविद्यालय	43.81	92.00	0.00	43.81	92.00	0.00	135.81
कुल राज्य	98.92	182.60	0.00	98.92	182.60	0.00	281.52
झारखण्ड							
सीवी विश्वविद्यालय	45.94	68.90	0.00	45.94	68.90	0.00	114.84
विनोबा भावे विश्वविद्यालय	3.22	0.00	0.00	3.22	0.00	0.00	3.22
कुल राज्य	49.17	68.90	0.00	49.17	68.90	0.00	118.07
कर्नाटक							
बंगलूर विश्वविद्यालय	87.80	0.00	0.00	87.80	0.00	0.00	87.80
कर्नाटक विश्वविद्यालय	6.98	21.60	0.00	6.98	21.60	0.00	28.58
कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय	3.31	0.00	0.00	3.31	0.00	0.00	3.31
मुद्रमू विश्वविद्यालय	25.14	0.00	0.00	25.14	0.00	0.00	25.14
मंगलूर विश्वविद्यालय	48.82	90.00	0.00	48.82	90.00	0.00	138.82
मैसूर विश्वविद्यालय	49.02	77.00	0.00	49.02	77.00	0.00	126.02
तुमकूर विश्वविद्यालय	2.40	21.60	0.00	2.40	21.60	0.00	24.00
विजयवर्धन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	76.91	0.00	0.00	76.91	0.00	0.00	76.91

विश्वविद्यालय	शैवक-3				जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में)				कुल योग
	31	35	36	31	35	36	31	36	
केरल									
कालीकट यूनिवर्सिटी	292.27	160.64	0.00	292.27	160.64	0.00			452.91
कन्नूर विश्वविद्यालय	42.31	0.00	0.00	42.31	0.00	0.00			42.31
कोरल विश्वविद्यालय	287.42	70.40	0.00	287.42	70.40	0.00			357.82
महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, कोट्टयम	202.68	88.72	0.00	202.68	88.72	0.00			291.40
कुल राज्य	824.68	319.76	0.00	824.68	319.76	0.00			1144.44
मध्य प्रदेश									
आनंदेय प्रलय सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00			1.90
ब्रह्मवर्मा विश्वविद्यालय	16.78	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00			16.78
सीधजी विश्वविद्यालय	17.87	0.00	0.00	17.87	0.00	0.00			17.87
राजीव गांधी विश्वविद्यालय	11.22	117.30	0.00	11.22	117.30	0.00			128.52
विद्युत विश्वविद्यालय	9.17	3.70	0.00	9.17	3.70	0.00			12.87
कुल राज्य	56.94	121.00	0.00	56.94	121.00	0.00			177.94
महाराष्ट्र									
डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय	120.63	77.64	0.00	120.63	77.64	0.00			198.27
मुम्बई विश्वविद्यालय	137.53	201.56	0.00	137.53	201.56	0.00			339.09
मार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी	7.89	0.00	0.00	7.89	0.00	0.00			7.89
सावित्री भार्गव विश्वविद्यालय	251.13	177.70	0.00	251.13	177.70	0.00			428.83
संत गाडगे बाबा अन्नक्ली विश्वविद्यालय	284.91	139.40	0.00	284.91	139.40	0.00			424.31
शिवाजी विश्वविद्यालय	188.14	122.54	0.00	188.14	122.54	0.00			310.68
श्रीमती नर्दीनई रमोदर धाकरले महिला विश्वविद्यालय	9.49	0.00	0.00	9.49	0.00	0.00			9.49
स्वामी रामानन्द तीर्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय	83.75	78.00	0.00	83.75	78.00	0.00			161.75
शोलापुर विश्वविद्यालय	17.95	148.40	0.00	17.95	148.40	0.00			166.35
राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराष्ट्र नागपुर विश्वविद्यालय	262.66	164.93	0.00	262.66	164.93	0.00			427.60
कुल राज्य	1364.09	1110.17	0.00	1364.09	1110.17	0.00			2474.26

ओड़ीशा										
फकीर मोहन विश्वविद्यालय		4.90	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90
सतरी ओडिशा विश्वविद्यालय		21.15	0.00	0.00	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00	21.15
रत्नल विश्वविद्यालय		9.66	0.00	0.00	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	9.66
कुल राज्य		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00	35.71
पंजाब										
गुरु ज्ञानक देव विश्वविद्यालय		257.91	666.89	0.00	0.00	257.91	666.89	0.00	0.00	924.80
पंजाब विश्वविद्यालय		130.82	71.20	0.00	0.00	130.82	71.20	0.00	0.00	202.02
पंजाबी विश्वविद्यालय		56.61	194.06	0.00	0.00	56.61	194.06	0.00	0.00	250.66
पंजाब प्रकृती विश्वविद्यालय		61.94	0.00	0.00	0.00	61.94	0.00	0.00	0.00	61.94
कुल राज्य		507.28	932.14	0.00	0.00	507.28	932.14	0.00	0.00	1439.43
राजस्थान										
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय/बैकनोर विश्वविद्यालय		36.56	0.00	0.00	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00	36.56
गुजरात										
गुजरात विश्वविद्यालय		1.41	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	1.41
मोहन जाल पुष्पाद्वि विश्वविद्यालय		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
कोटा विश्वविद्यालय		35.50	0.00	0.00	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	35.50
राजस्थान विश्वविद्यालय		78.59	0.00	0.00	0.00	78.59	0.00	0.00	0.00	78.59
कुल राज्य		152.86	0.00	0.00	0.00	152.86	0.00	0.00	0.00	152.86
तमिलनाडु										
अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई		32.42	6.50	0.00	0.00	32.42	6.50	0.00	0.00	38.92
भरथियार विश्वविद्यालय		184.06	41.14	0.00	0.00	184.06	41.14	0.00	0.00	225.20
मार्थोदासन विश्वविद्यालय		180.33	0.00	0.00	0.00	180.33	0.00	0.00	0.00	180.33

परिचय बंगाल									
कल्याणी विश्वविद्यालय	25.72	0.00	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00	25.72	
वर्द्धमान विश्वविद्यालय	40.58	0.00	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00	40.58	
कोलकाता विश्वविद्यालय	122.20	290.00	0.00	122.20	290.00	0.00	0.00	412.20	
नाथ बंगाल विश्वविद्यालय	21.68	0.00	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00	21.68	
देवद बंगाल राज्य विश्वविद्यालय	9.77	3.58	0.00	9.77	3.58	0.00	0.00	13.35	
विद्यासागर विश्वविद्यालय	138.19	240.00	0.00	138.19	240.00	0.00	0.00	378.19	
कुल राज्य	358.14	533.58	0.00	358.14	533.58	0.00	0.00	891.72	
कुल राज्य विश्वविद्यालय	6158.19	6092.74	0.00	6158.19	6092.74	0.00	0.00	12250.93	
कुल (एन / यू ईस्ट)	10.77	0.00	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00	10.77	
कुल (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)	1179.60	3088.30	0.00	1179.60	3088.30	0.00	0.00	4267.90	
कुल (सम विश्वविद्यालय)	31.03	3.80	0.00	31.03	3.80	0.00	0.00	34.83	
कुल (राज्य विश्वविद्यालय)	6158.19	6092.74	0.00	6158.19	6092.74	0.00	0.00	12250.93	
कुल योग	7379.59	9184.84	0.00	7379.59	9184.84	0.00	0.00	16564.43	

क्षेत्रक-3 : (केन्द्रीय / राज्य / सम) विश्वविद्यालय, 31 - अनुदान सहायता (सामान्य), 35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ, 36 - वेतन

विरगविद्यालय		बोर्ड-3						जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	कुल	36	कुल योग			
मधुसार्ई कान्हाय्य विरगविद्यालय		137.53	4.43	0.00	137.53	4.43	0.00	141.96			
नर्मोत्तमीयन सुन्दरनार विरगविद्यालय		25.81	0.00	0.00	25.81	0.00	0.00	25.81			
मदर टेरेसा महिला विरगविद्यालय		32.80	0.80	0.00	32.80	0.80	0.00	33.60			
देवियार विरगविद्यालय		8.81	1.00	0.00	8.81	1.00	0.00	9.81			
किलयल्लूर विरगविद्यालय		17.19	0.00	0.00	17.19	0.00	0.00	17.19			
मदरा विरगविद्यालय		244.63	275.29	0.00	244.63	275.29	0.00	519.92			
कुल राशय		863.59	329.17	0.00	863.59	329.17	0.00	1192.76			
दोलभाना											
मन्नाडर लाल मेहरू टैक्नोलॉजीकल इंजीनियरिंग, इंदरबाग		46.90	0.00	0.00	46.90	0.00	0.00	46.90			
काळगीया विरगविद्यालय		36.41	0.00	0.00	36.41	0.00	0.00	36.41			
अरुणानिवा विरगविद्यालय		142.60	70.40	0.00	142.60	70.40	0.00	213.00			
कुल राशय		225.91	70.40	0.00	225.91	70.40	0.00	296.31			
छापर प्रदेश											
सुंदरलक्ष्मन् विरगविद्यालय		3.71	13.01	0.00	3.71	13.01	0.00	16.72			
मौलवी बदल सिंह मूनिस्वरिटी, मेरठ		166.79	356.71	0.00	166.79	356.71	0.00	523.51			
उममयति साहू वी नन्दाय कानपुर विरगविद्यालय		43.17	36.53	0.00	43.17	36.53	0.00	79.70			
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर		48.25	83.83	0.00	48.25	83.83	0.00	132.08			
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विरगविद्यालय, अगावा		28.32	65.20	0.00	28.32	65.20	0.00	93.52			
डॉ. एन मनोहर सोनिया अमर विरगविद्यालय		6.35	78.11	0.00	6.35	78.11	0.00	84.46			
नारायण गांधी काली विभागीक		3.05	0.00	0.00	3.05	0.00	0.00	3.05			
एच.जे.पी. लईलक्ष्मन् विरगविद्यालय		37.08	117.88	0.00	37.08	117.88	0.00	154.97			
सम्पूर्णानंद संस्कृत विरगविद्यालय		15.30	4.54	0.00	15.30	4.54	0.00	19.84			
लखनऊ विरगविद्यालय		18.48	110.04	0.00	18.48	110.04	0.00	128.52			
वीर बहादुर सिंह जूनांवत विरगविद्यालय		61.89	27.35	0.00	61.89	27.35	0.00	89.23			
कुल राशय		432.39	893.20	0.00	432.39	893.20	0.00	1325.60			
महाराष्ट्र											
कुनार्के विरगविद्यालय		12.06	21.14	0.00	12.06	21.14	0.00	33.20			
कुल राशय		12.06	21.14	0.00	12.06	21.14	0.00	33.20			

तालिका 1.5 (ज)(ख): वर्ष 2016-17 के दौरान महाविद्यालयों को राज्य-वार और विश्वविद्यालय-वार जारी किया गया गैर-योजनागत (क्षेत्रक 04 से 09) अनुदान

केन्द्रीय विश्वविद्यालय	जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में)														
	क्षेत्रक 04			क्षेत्रक 08(i)			क्षेत्रक 08(ii)			क्षेत्रक 09			विश्वविद्यालयों का योग		
	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
दिल्ली															
दिल्ली विश्वविद्यालय				20026.52	1987.64	100180.03				765.52	300.00	10129.73	20792.04	2287.64	110
कुल राज्य	0.00	0.00	0.00	20026.52	1987.64	100180.03	0.00	0.00	0.00	765.52	300.00	10129.73	20792.04	2287.64	110
उत्तर प्रदेश															
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय							405.00	100.00	4169.21				405.00	100.00	41
कुल राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	100.00	4169.21	0.00	0.00	0.00	405.00	100.00	41
केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का योग	0.00	0.00	0.00	20026.52	1987.64	100180.03	405.00	100.00	4169.21	765.52	300.00	10129.73	21197.04	2387.64	114
राज्य विश्वविद्यालय															
पश्चिम बंगाल															
कोलकाता विश्वविद्यालय	15.00	35.00	231.00										15.00	35.00	23
कुल राज्य	15.00	35.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	23
कुल (राज्य विश्वविद्यालय) :	15.00	35.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	23
कुल (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) :	0.00	0.00	0.00	20026.52	1987.64	100180.03	405.00	100.00	4169.21	765.52	300.00	10129.73	21197.04	2387.64	114
कुल योग :	15.00	35.00	231.00	20026.52	1987.64	100180.03	405.00	100.00	4169.21	765.52	300.00	10129.73	21212.04	2422.64	114

क्षेत्रक 04 : ईएमएमआरसी और सीईसी, क्षेत्रक 08(i) : दिल्ली के महाविद्यालयों को अनुसंधान अनुदान, क्षेत्रक 08(ii) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को अनुदान, क्षेत्रक 09 : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान

1.6 केन्द्रीय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश से, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों के लिए एक समान स्टाफ पैटर्न पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) का गठन किया गया। इस संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति का उद्देश्य इन संस्थानों के शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों (क, ख, ग, और घ समूह) के लिए समान सेवा शर्तों के समग्र ढाँचे की सिफारिश करना है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विचार करने तथा आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद तीन चरणों में जेसीआरसी की रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सम्मक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत की:-

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 07.05.2014 के पत्र के माध्यम से जेसीआरसी की कुछ सिफारिशों को अनुमोदित किया है जिन्हें सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों को दिनांक 01.10.2014 के पत्र के माध्यम से सम्प्रेषित कर दिया गया। उपरोक्त पत्र के क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 08.05.2014 के पत्र के तहत कतिपय पृथक कैडरों और अन्य विनिर्दिष्ट पदों के संबंध में अपने आईएफडी बिंदुवार टिप्पणी की जांच करने और अपने सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व अतिरिक्त सूचना देने की इच्छा व्यक्त की है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उक्त अनुरोध के आधार पर अध्यक्ष वि.अ.आ. ने संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर आईएफडी (एमएचआरडी) की टिप्पणी की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया। अध्यक्ष, वि.अ.आ. द्वारा यथोचित रूप से अनुमोदित समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र सं. एफ 6-7/97(जेसीआरसी) दिनांक 15.12.2016 के तहत भेजा गया।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, विश्वभारती, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय और पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के मामले में स्टाफ नर्स के पद के लिए पीबी-2 + ग्रेड वेतन रुपए 4200/- के विद्यमान वेतनमान के मामले में वेतनमान पीबी 2 + ग्रेड वेतन रुपए 4600/- के संबंध में सीसीएस (आरपी) नियम, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग-ख में यथा अंतर्विष्ट उच्चतर वेतनमान के विस्तार करने की मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 12.7.2016 के अपने पत्र सं. एफ.सं. 19-16/2008 डेस्क (यू) के तहत अनुमोदन दिया है।

ध्यय विभाग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है : -

- (1) पीबी-2 + 4200 रुपए के ग्रेड वेतन में वार्ड परिचर्या के मौजूदा वेतनमान के स्थान पर पीबी - 2+ रुपए 4800 ग्रेड वेतन
- (2) पीबी-2 + 4600 रुपए ग्रेड वेतन में सहायक नर्सिंग अधीक्षक के मौजूदा वेतनमान के स्थान पर पीबी-3+ 5400 रुपए ग्रेड वेतन
- (3) पीबी-2 + 4600 रुपए ग्रेड वेतन में उपनिरीक्षक अधीक्षक के मौजूदा वेतनमान के स्थान पर पीबी -3 +5400 रुपए ग्रेड वेतन
- (4) सिस्टर ट्यूटर के मामले में पीबी-2 + 4800 रुपए ग्रेड वेतन का वेतनमान

उपर्युक्त अनुमोदन को बी.एच.यू., जेएनयू, एएमयू, विश्वभारती, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय और नार्थ ईस्ट्रन हिल यूनीवर्सिटी (एनईएचयू) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 10 अगस्त, 2016 के पत्र संख्या एफ 6-7 /97 (जेसीआरसी) अंश मिसिल के माध्यम से सूचित किया गया है।

केन्द्रीय वित्तपोषित संस्थानों में एसीपी/ एमएसीपी योजनाओं का कार्यान्वयन

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार की गई तथा अग्रेषित दिशानिर्देशों के अनुसार अपने गैर-शिक्षण कर्मचारिवृंदों के लिए एसीपी/ एमएसीपी योजना को लागू करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

अर्द्ध-सरकारी संगठनों, स्वायत्त तथा केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित/नियंत्रित सांविधिक निकायों में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग को लागू करने के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 6 अक्टूबर, 2008 के अ.शा. पत्र संख्या 2-1/2008-यू.आई.(ए) के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालय तथा दिल्ली के महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु 03 दिसम्बर, 2009 को पत्र संख्या एफ0 20-1/2008 (जेसीआरसी) के माध्यम से एक प्रस्ताव भेजा। यह मामला मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन है। इस दौरान, जेसीआरसी अनुभाग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों में छठे वेतन आयोग में कार्यान्वयन में शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृद्धों से संबंधित प्रश्नों का समाधान कर रहा है तथा अनुमोदन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से मामले को उठा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों के अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों को वेतन बैंड-2 में 4800/- का ग्रेड वेतन प्रदान करने के मामले को अनुमोदन प्रदान करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ उठाया गया है परंतु वित्त मंत्रालय प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ तथा इसे सभी संबंधित विश्वविद्यालयों को सम्प्रेषित कर दिया गया।

1.7 वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग द्वारा विचार कर अनुमोदित किए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- ☐ मानदंडों से संबंधित मामले
- ☐ सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त संदर्भ
- ☐ विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता कार्यक्रम आदि
- ☐ विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान

वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निम्नवत नौ बैठकें हुई :

- दिनांक 12 अप्रैल, 2016 की 514वीं बैठक
- दिनांक 20 मई, 2016 की 515वीं बैठक
- दिनांक 15 जून, 2016 की 516वीं बैठक
- दिनांक 22 जून, 2016 की 517वीं बैठक
- दिनांक 29 सितंबर, 2016 की 518वीं बैठक
- दिनांक 15 नवंबर, 2016 की 519वीं बैठक
- दिनांक 14 दिसंबर, 2016 की 520वीं बैठक
- दिनांक 22 फरवरी, 2017 की 521वीं बैठक
- दिनांक 28 मार्च, 2017 की 522वीं बैठक

मानकों से संबंधित मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय

- आयोग ने सेट परीक्षा(ए) आयोजित करने के लिए आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम को प्रत्यायन प्रदान करने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने कर्नाटक राज्य की ओर से एसईटी परीक्षा(ए) आयोजित करने के लिए मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर, कर्नाटक को प्रत्यायन प्रदान करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से एसईटी परीक्षा(ए) आयोजित करने के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सीजीवीवाईएपीएम), रायपुर, छत्तीसगढ़ को प्रत्यायन प्रदान करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

- आयोग ने पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से एसईटी परीक्षा(ए) आयोजित करने के लिए पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग ने महाविद्यालय (डब्ल्यूबीसीएससी) को आगे प्रत्यायन प्रदान करने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की ओर से एसईटी परीक्षा(ए) आयोजित करने के लिए एसएलईटी आयोग (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम को आगे प्रत्यायन प्रदान करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य की ओर से एसईटी परीक्षा(ए) आयोजित करने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) को प्रत्यायित किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने तेलंगाना राज्य की ओर से एसईटी परीक्षा(ए) आयोजित करने के लिए ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद को प्रत्यायन प्रदान किए जाने को अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढाँचा) विनियम, 2016 पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान) विनियम, 2016 पर विचार कर अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय और विदेशी शिक्षण संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और मानक को बनाए रखना) संबंधी विनियम, 2016 को अनुमोदित किया।
- आयोग ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्यायन के समाप्त होने से पूर्व छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पुनः प्रत्यायन के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं के मामले में दो लगातार प्रत्यायनों के बीच की अवधि में छूट प्रदान किए जाने हेतु संकल्प किया। अन्य संस्थाओं जिन्होंने उपर्युक्त उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन नहीं दिया है, उन मामलों में छूट की अधिकतम अवधि दो लगातार प्रत्यायन चक्रों के बीच एक वर्ष होगी। एनएएसी प्रत्यायन के मामले में उपर्युक्त छूट के सिद्धांत राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) के मामले में भी लागू होंगे। यदि किसी संस्था को एनएएसी के वर्तमान में प्रवर्तित सात बिंदु वाले पैमाने में ए++ और ए+ (4 में से 3.5 या इससे अधिक) मिला है तो इन विनियमों के उद्देश्य के लिए इसे सर्वोच्च प्रत्यायन के रूप में माना जाएगा।
- आयोग ने संकल्प किया कि एनएएसी को ऐसी संस्थाएं, जिन्हें समविश्वविद्यालयों का दर्जा दिया जाना है और जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन/पूर्व अनुमति के बिना ही मुख्य विश्वविद्यालय से दूरस्थ परिसर केन्द्रों की स्थापना की है और मुख्य परिसरों में ही प्रत्यायन प्रक्रिया चलाती हैं, उन्हें अपने दूरस्थ परिसरों को मुख्य परिसरों के प्रत्यायन से अलग करने के लिए कहा जा सकता है और अपने मुख्य परिसर में ही प्रत्यायन की प्रक्रिया जारी रखने को कहा जा सकता है।
- आयोग ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति कि अंतर्गत डिग्री जारी करने और प्राप्त अंक पत्रों के मामलों पर विचार किया और अनुमोदन प्रदान किया कि सभी विश्वविद्यालयों को डिग्री प्रमाणपत्रों को जारी करने के तरीके बताने के लिए कहा जाए।
- समिति ने इस शर्त के साथ विशेषज्ञ समिति द्वारा तत्स्थानिक जांच के बिना राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) द्वारा प्रत्यायित महाविद्यालयों को स्वायत्ता का दर्जा देने हेतु विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान किया कि किसी ऐसे महाविद्यालय जिन्हें एनएएसी से लगातार दो चरणों में सबसे अधिक ग्रेड प्राप्त हुआ है और तीसरे चरण में भी सबसे अधिक ग्रेड प्राप्त हुआ हो, उन्हें स्वायत्ता का दर्जा प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि उन्हें संबद्ध विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ हो और वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निम्नवत विनियमों का अक्षरशः पालन करता हो, यथा (क) उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैकिंग की समस्या का निवारण संबंधी विनियम, 2012; (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षण संस्थान समानता का संवर्धन) विनियम, 2012; (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 आदि।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत फुल्टाइम डिजाइन एंड डेवलपमेंट इस्टीमेट (एफडीडीआई), नोरडा, उत्तर प्रदेश को नई श्रेणी के तहत समविश्वविद्यालय का दर्जा देने हेतु इस प्रस्ताव का आंकलन करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि एफडीडीआई को एक समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में बनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक आशय पत्र जारी करने की सिफारिश करेगा। विशेषज्ञ समिति द्वारा बतवाई गई कमियों के अनुसार एफडीडीआई से अनुपालन रिपोर्ट सौंपे जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी सिफारिशें सौंपने से पूर्व पुनः जांच करेगा।
- आयोग ने अंतर्विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केन्द्र (आईयूसी-टीई), बीएचयू, वाराणसी में निदेशक की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने अंतर्विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केन्द्र (आईयूसी-टीई), जेएनटीयू, काकीनाडा में निदेशक की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की समीक्षा समिति (टंडन समिति) द्वारा ग' श्रेणी में रखे गए समविश्वविद्यालय संस्थाओं की समीक्षा पर विचार किया और साथ ही विशेषज्ञों के धनल को अंतिमरूप देने के लिए एक उप-समिति का गठन करने का संकल्प लिया।
- आयोग ने (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सरकारी शिक्षण संस्थाओं की उत्कृष्ट संस्थान के रूप में घोषणा) संबंधी दिशानिर्देश, 2017, और, (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उत्कृष्ट समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2017 को अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शिक्षणकर्मियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में गानकों को बनाए रखने हेतु उपाय) (दोथा संशोधन) विनियम, 2016 के खंड 3 में

आयोग के उपर्युक्त निर्णय को शामिल करते हुए स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशानिर्देशों में बदलाव किया जाए।

- आयोग ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) द्वारा तीसरे चरण में प्रत्यायन अवधि की वैधता को बढ़ाने के संबंध में मामले पर विचार करने के लिए इसे एनएएसी को भेज दिया।
- ऐसे महाविद्यालय जो बिना किसी अंतराल के विश्वविद्यालय के साथ दस वर्षों से संबद्ध हैं और एनएएसी द्वारा प्रत्यायित हैं, उन्हें 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान प्राप्ति हेतु महाविद्यालयों की उपयुक्तता) नियमों' के अंतर्गत 12 ख का दर्जा दिया जा सकता है बशर्ते कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निम्नवत विनियमों यथा (क) उच्चतर शिक्षण संस्थान में सैनिंग की समस्या का निवारण करने संबंधी विनियम, 2012 है; (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षण संस्थानों में समानता का संवर्धन) विनियम, 2012; (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 आदि का अक्षरशः पालन करते हों।
- आयोग ने कतिपय प्रमुख उपलब्धियों को उद्धृत करते हुए कतिपय टिप्पणियों को शामिल करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से संसद के सम्मेलन रखने के लिए वर्ष 2015-16 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने शुल्कों के प्रेषण और वापसी तथा छात्रों से संबंधित अन्य मुद्दों से जुड़ी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने एक साथ दो या दो से अधिक पाठ्यक्रमों का एक साथ अध्ययन करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की अधिसूचना पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि किसी भी दो पाठ्यक्रमों को एक साथ करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाए। इस निर्णय को लेने के क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुदेशों को ध्यान में रखा गया था।

यथा उल्लेखित पीएचडी डिग्री के संदर्भ में “नियमित पद्धति” शब्द पर विचार किया और अनुमोदित किया। तथापि, दूरस्थ शिक्षा पद्धति के तहत पीएचडी की अनुमति नहीं है।

- आयोग ने नई श्रेणी के तहत केआईएसएस को समविश्वविद्यालय घोषित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया।
- आयोग ने संकल्प लिया की योजनागत शीर्ष के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सभी मौजूदा योजनाएं वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए जारी रहेंगी। तथापि, इन योजनाओं की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समीक्षा की जाएगी।

सरकारी और अन्य राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त संदर्भों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय

- आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षण कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए वेतन पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट को अनुमोदित कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रेषित किया।

विशेष कार्यक्रमों, गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों आदि के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय

- दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को हुई “उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों (यूपीई)” संबंधी स्थायी समिति की बैठक में की गई सिफारिशों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने (1) सीपीई योजना के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान नए सीपीई महाविद्यालयों की पहचान करने और (2) सीपीई योजना के अंतर्गत जमशेदपुर महिला महाविद्यालय, झारखंड का दौरा करने वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए स्थायी समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रशासित समविश्वविद्यालयों और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के अनुसार दाखिले में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग विस्तार योजना के तहत जारी निधियों के उपयोग के लिए समय को बढ़ाने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ही अनुमोदित पीठों की सूची में श्री गुरु गोविंद सिंह और स्वामी दयानंद सरस्वती पीठों को शामिल किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने बीएसआर के अंतर्गत फौकल्टी रिवार्ज प्रोग्राम के माध्यम से नियुक्त किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संकाय के समक्ष आ रही कठिनाइयों के संबंध में मुद्दों पर विचार किया और यह संकल्प लिया कि भविष्य में एफआरपी कार्यक्रमों को बंद कर दिया जाएगा।
- आयोग ने योग विषय और प्रस्तावित पाठ्यक्रम में राष्ट्रीयता पात्रता परीक्षा (एनईटी) आरंभ किए जाने पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- दिनांक 8 जून और 23 जून, 2016 को हुई क्रमशः “विशेष क्षेत्रों में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्रों (सीपीईपीए)” और “उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों (यूपीई)” संबंधी स्थायी समिति की संयुक्त बैठक की सिफारिशों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी) की स्थापना पर विचार किया और अनुमोदन प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, यह संकल्प लिया गया कि चूंकि राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार के कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संचालन समिति द्वारा समझौता ज्ञापन को पहले ही अनुमोदन दे दिया गया है, इसलिए, कार्यान्वयन प्रकोष्ठ के सभापति निक्षेपों के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से समझौता करेंगे।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 ख के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए समविश्वविद्यालयों/संस्थाओं को एसएपी सहायता जारी रखने को इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि सभी संस्थाओं/समविश्वविद्यालयों

से छह महीने की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 ख के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास स्वायत्ता हेतु संबद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावों को भेजने के संबंध में स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों में संशोधन किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी) की स्थापना के लिए एनएसडीएल डैटাবেस प्रबंधन लिमिटेड (एनडीएमएल) और सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड (सीवीएल) के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा त्रिपक्षीय समझौते को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने उच्च अधिकार प्राप्त दूरस्थ शिक्षा समिति (एचपीडीईसी) बैठकों के कार्यवृत्त पर विचार किया, उन्हें अनुमोदित किया और उनकी अभिपुष्टि की।
- बारहवीं योजना (2012–17) के दौरान विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पीठों हेतु दिशानिर्देशों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया गया।
- प्रतिष्ठित एलआईजीओ भारत मेगा विज्ञान परियोजना को शुरू करने के लिए मुख्य संकाय और तकनीकी विशेषज्ञता को सर्वर्धित करने हेतु आईयूसीएए, पुणे के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
- स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों हेतु पर्यावरण संबंधी अध्ययनों से जुड़े मॉड्यूल पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान देने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय

- आयोग ने गैर-योजनागत अनुदान के तहत गैर-वेतन संघटक में कमी को दूर करने के लिए समविश्वविद्यालयों द्वारा आंतरिक प्राप्तियों के उपयोग के मुद्दे को अगले आदेशों तक जारी रहने दिए जाने की शर्त के अधीन इसकी अभिपुष्टि की।
- ग्यारहवीं योजना के दौरान चालू भवन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए डॉ. एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय, सागर को 1941.44 लाख रुपए के अतिरिक्त अनुदान जारी किए जाने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया।
- वर्ष 2015–16 हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेखों को अनुमोदन प्रदान किया तथा आयोग के सदस्यों ने निर्धारित समय-सीमा से पूर्व ही लेखों को अंतिम रूप प्रदान करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए परिश्रम की सराहना की।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दक्षिण बिहार स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय को 54,00,00,000/- रुपए (केवल चौवन करोड़ रुपए) की अतिरिक्त राशि के आबंटन को अनुमोदित किया।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की शैक्षिक और वित्तीय समीक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट तथा योजना अवधि के लिए योजनागत अनुदान (सामान्य विकास सहायता) प्रदान किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने सीपीई योजना के तहत संघटित महाविद्यालयों के मामले पर विचार किया तथा अनुमोदित किया कि महाविद्यालय सीपीई/सीई को अनुदान प्रदान किए जाने हेतु विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे एक शपथपत्र में यह वचन दें कि इस योजना के तहत प्रदान की गई इस प्रकार की निधियों को जूनियर कॉलेजों अर्थात् 10+1 और 10+2 कक्षाओं के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
- आयोग ने (i) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए), नई दिल्ली को एक समविश्वविद्यालय के रूप में “उच्चतर शिक्षा में नीति अनुसंधान केन्द्र” को 250 लाख रुपए के अनुदान को संस्वीकृत किए जाने के संबंध में जानकारी को नोट किया और इसकी अभिपुष्टि की।
- विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भुगतान किए गए गैर-योजनागत अनुदानों की अधिकतम सीमा को युक्तिसंगत बनाने और उसे निर्धारित करने के लिए समिति की बैठकों को अनुमोदन प्रदान किया।

- आयोग ने इस शर्त पर विचार किया और इसका अनुमोदन किया कि सभी समविश्वविद्यालयों/संस्थाओं से कहा जाए कि वे छह माह की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करें।
- समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/समविश्वविद्यालयों में नियमित आधार पर और ऑउटसोर्स के आधार पर शिक्षणोत्तर पदों के सृजन के संबंध में निर्णय को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बन जाने के कारण इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई निधियां जारी नहीं किए जाने के संबंध में विचार किया गया तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।
- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कतिपय केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजनागत अनुदान का आबंटन किए जाने की समीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई तथा गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान (समविश्वविद्यालय) के विशिष्ट मुद्दे को अनुमोदन प्रदान किया।
- लेखों के निपटान के लिए अपेक्षित सहायक दस्तावेजों को सौंपे जाने पर अप्रयुक्त अनुदान सहायता सहित राज्य सरकार द्वारा खर्च नहीं की गई राशि, सरकारी सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित/निजी महाविद्यालयों द्वारा वास्तव में अर्जित ब्याज की वापसी के मुद्दे को अनुमोदन प्रदान किया। तथापि, संबंधित संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वापस की जाने वाली निधियां, यदि कोई हों तो, पर अर्जित ब्याज के संबंध में बैंक से प्राप्त एक प्रमाणपत्र सौंपेगा।

आयोग की बैठकों के दौरान रिपोर्टें और सुझाव

514वीं बैठक : अध्यक्ष वि.अ.आ. ने सदस्यों को सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिनांक 15 अप्रैल, 2016 से भारतीय प्रबंधन संस्थानों की सहायता से उप-कुलपतियों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के पांच क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं। अध्यक्ष ने सदस्यों को यह भी बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए छात्रों के लाभ हेतु मोबाइल एप आरंभ करने वाला है।

515वीं बैठक : उपाध्यक्ष, वि.अ.आ. ने सदस्यों को सूचित किया कि भारतीय प्रबंधन संस्थानों की सहायता से वि.अ.आ. उप-कुलपतियों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए उच्चतर शिक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु नेतृत्व विकास पर पांच क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया था। विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों और वि.अ.आ. के अधिकारियों के अतिरिक्त, इन सम्मेलनों में संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों ने भाग लिया। अध्यक्ष ने प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों का वार्षिक विद्वत् समीक्षा का भी प्रस्ताव किया। चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि विद्वत् समीक्षा वार्षिक या द्विवार्षिक आधार पर विधिवत् रूप से गठित 2-3 समितियों के माध्यम से की जाए। जिसके लिए प्रो. वी.एस. चौहान समिति विचारणीय मुद्दे तैयार करेगी।

516वीं बैठक : अध्यक्ष, वि.अ.आ. ने सदस्यों को सूचित किया कि वि.अ.आ. ने प्रो. वी.एस. चौहान, सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में वेतन समिति अधिसूचित की है। वि.अ.आ. ने वेतन समीक्षा समिति की सहायता के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ का भी गठन किया है। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि वि.अ.आ. द्वारा श्रमशक्ति एजेंसी के माध्यम से सचिवालयी स्टाफ की सहायता प्राप्त कर वेतन समीक्षा समिति की सहायता की जाएगी।

आयोग की वित्तीय स्थिति पर चर्चा करते हुए वि.अ.आ. के सदस्यों ने इस तथ्य पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि वि.अ.आ. बजट के योजना तथा गैर-योजना दोनों घटकों में वि.अ.आ. मौजूदा आवंटन से अपने संकल्पों को पूरा करने में असमर्थ है। सभी सदस्यों ने सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एकमत से अनुरोध किया कि इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाए ताकि वि.अ.आ. का आवंटन बढ़ाया जा सके। सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय आयोग के सदस्यों ने विचार से सहमत होते हुए आश्वासन दिया कि वित्त संबंधी मामलों पर संबंधित मंत्रालय से चर्चा की जाएगी।

अध्यक्ष, वि.अ.आ. ने यह भी बताया कि वि.अ.आ. ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में "मालवीय कॉमनवेल्थ चेंयर फॉर क्रॉस बॉर्डर टीचर एजुकेशन" को अनुमोदन किया है।

518वीं बैठक : अध्यक्ष, वि.अ.आ. ने नए सदस्यों का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि वे देश में उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि वि.अ.आ. दिनांक 09 सितम्बर, 2016 को प्रस्तावित राष्ट्रीय डिपोजिटरी एकेडमी के लिए कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है जिसमें सभी केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों को आमंत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष ने सूचित किया कि इग्नू के नवीनतम निर्णय के अनुसार और राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, नियमित/अंशकालीन आधार पर पीएच.डी कार्यक्रम की पेशकश कर सकते हैं, बशर्ते कि वे इस आशय का शपथपत्र दें कि वे पीएच.डी. शासित करने वाले वि.अ.आ. विनियम, 2016 के सभी विनिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करेंगे। अध्यक्ष ने प्रतिष्ठित एलआईजीओ परियोजना के बारे में और भी जानकारी दी जिसे 'इन्टर यूनिवर्सिटी सेन्टर फॉर एस्ट्रोनोमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए)', पुणे द्वारा चलाया जाएगा। उन्होंने सदस्यों को डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) चैनलों के चालू होने के बारे में भी जानकारी दी और एमओओसी पाठ्यक्रमों की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी जो 'स्वयं' प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि निदेशक, सीईसी इन कार्यक्रमों के समन्वयक होंगे।

519वीं बैठक : अध्यक्ष, वि.अ.आ. ने सदस्यों को दिनांक 6 अक्टूबर, 2016 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदय, श्री प्रकाश जावडेकर की अध्यक्षता में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हुई समीक्षा समिति की बैठक के निष्कर्ष से अवगत कराया। इस बैठक के अतिरिक्त, भारत के माननीय राष्ट्रपति दिनांक 16 से 18 नवम्बर, 2016 को राष्ट्रपति भवन में सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के "विजिटर्स सम्मेलन" का भी आयोजन करेंगे। अध्यक्ष ने आयोग को यह भी बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश में राष्ट्रीय एकेडमी डिपोजिटरी के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में वि.अ.आ. को चिह्नित किया है।

520वीं बैठक : वि.अ.आ. के अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षकों के लिए वेतनमानों की सिफारिश करने के उद्देश्य से वि.अ.आ. द्वारा अधिसूचित वेतन समीक्षा समिति ने दो माह का समय विस्तार मांगा है और वि.अ.आ. ने उनके अनुरोध को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दिया है। अध्यक्ष महोदय ने आयोग को यह भी बताया कि राष्ट्रीय एकेडमिक डिपोजिटरी की स्थापना की प्रगति निर्धारित समय सारणी के अनुसार बढ़ रही है और वि.अ.आ. ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से दो डिपोजिटरियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

522वीं बैठक : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया कि दिनांक 04 अप्रैल, 2017 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, कार्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने उच्चतर शिक्षा के विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए अपने कार्यकाल के दौरान शुरू की गई विभिन्न शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय पहलों से सदस्यों को अवगत कराया। कुछ पहल निम्नवत हैं:-

- वि.अ.आ. की मौजूदा योजनाओं के प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए समाज के सामाजिक रूप से वंचित और सीमांत वर्गों (अनुसूचित जातियों (अ0जा0), अनुसूचित जनजातियों (अ0ज0जा0), अल्पसंख्यकों, निशक्तों और महिलाओं) की भागीदारी बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने हेतु पांच उपसमितियों का गठन किया गया है।
- एनईटी परीक्षा में सुधार और परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सीबीएसई को सौंपी गई है।
- वि.अ.आ. की वेबसाइट पर निजी विश्वविद्यालयों के बारे में सभी सूचना उपलब्ध कराना और समयबद्ध तरीके से निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण किया गया है।
- सम-विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन के लिए मानदंडों/मानकों को अंतिम रूप दिया गया है।
- एनएमई-आईसीटी के तहत 77 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ई-सामग्री का विकास किया गया है
- दो चरणों में एनएएसी से उच्चतम प्रत्यायन पाने और तीसरे चरण में उच्चतम ग्रेड पाने वाले महाविद्यालयों को स्वायत्त महाविद्यालयों का दर्जा देने हेतु उपबंध तैयार किया गया है
- दो चरणों में एनएएसी से उच्चतम प्रत्यायन पाने और तीसरे चरण में उच्चतम ग्रेड पाने वाले उन संस्थानों के लिए एनएएसी प्रत्यायन की वैधता अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष किया गया है

- विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं आरंभ करना जिसमें विभिन्न पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति आरंभ करना शामिल है।
- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में अध्यापन शिक्षा के लिए अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र की स्थापना करना।
- व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ करना।
- एनयूईपीए में उच्चतर शिक्षा में नीति अनुसंधान हेतु केन्द्र की स्थापना करना।
- अंतर्राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत – संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, जर्मनी, नार्वे, न्यूजीलैंड आदि जैसे अनेक देशों के साथ विभिन्न अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने हेतु समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। संयुक्त राज्य अमरीका के साथ रमन अध्येतावृत्ति आरंभ करना एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
- लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)' और 'रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस)' आरंभ करना।
- छात्रों की हकदारियों तथा संयुक्त नियुक्तियों हेतु सभी योजनाओं के पुराने दिशानिर्देशों में संशोधन और नए दिशानिर्देश तैयार करना।
- वि.अ.आ. के कार्यालय में विभिन्न संवर्गों में रिक्तियों को भरना।
- अधिवक्ताओं को प्रकरणों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ताओं के पैनल को तैयार करना।
- सभी वि.अ.आ. क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की समीक्षा करना।

वि.अ.आ. के अध्यक्ष ने अपने कार्यालय के दौरान प्रकाशित विभिन्न प्रकाशनों के बारे में भी सदस्यों को सूचित किया। कुछ उल्लेखनीय प्रकाशन निम्नानुसार हैं :

1. बारहवें पंचवर्षीय योजना, 2012-17 के दौरान- उच्चतर शिक्षा का समेकित और गुणात्मक विस्तार।
2. हॉयर एजुकेशन इन इंडिया एट ए ग्लान्स, उच्चतर शिक्षा में गुणात्मक और परिणात्मक वृद्धि संबंधी सकारात्मक रूपरेखा।
3. इंडियन हॉयर एजुकेशन- क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, यह वि.अ.आ. की महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संकलन है।
4. नरचरिंग सोशल इक्विटी इन हॉयर एजुकेशन : समानता के साथ पहुंच में वृद्धि करने के लिए वि.अ.आ. की अनेक पहलों को रेखांकित करने वाली पुस्तिका।
5. "यूजीसी इंटरवेंशन्स टूर्बर्ड्स क्वालिटी एनहैंसमेंट इन हॉयर एजुकेशन" शीर्षक वाला संकलन का प्रकाशन मार्च, 2011 में हुआ।
6. "सक्षम- महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उपाय और कैम्पस में महिला-संवेदी हेतु कार्यक्रम"
7. "सिक्सटी इयर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन- इस्टेब्लिशमेंट, ग्रोथ एंड इवोल्यूशन" – इस पुस्तक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन के समय से वि.अ.आ. द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों का संकलन किया गया है।
8. "इनविजनिंग एजुकेशन इन इंडिया- एक्सपेंशन, इक्विटी, एक्सीलेंस" यह कॉफी-टेबल बुक है जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की साठ वर्ष की यात्रा को चित्रों के माध्यम से प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है।

सभी सदस्यों ने भारतीय उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने में अध्यक्ष के योगदान की प्रशंसा की।

1.8 विशेष क्रियाकलाप/पहल

अप्रैल, 2016

- समान कार्य स्थल का पोषण करने वाले परिवेश का निर्माण करने के लिए पहुंच में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने विद्यार्थियों के सर्वोत्तम हित में देशभर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 'लिंग समर्थकों' की नियुक्ति की परिकल्पना की है ताकि दीर्घावधि में चिरस्थायी परिवर्तन लाया जा सके। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों से उस संशोधित दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करने की सलाह दी है कि शैक्षणिक संस्थानों में 'जेंडर चैम्पियन' के दिशानिर्देश में तीसरे लिंग के रूप में समलैंगिकों को शामिल किया जा सकता है।
- ऊर्जा दक्षता उपकरणों का उपयोग/क्रय को बढ़ावा देकर दीर्घावधि में ऊर्जा बचत को प्रभावित करने के उद्देश्य से आयोग ने विश्वविद्यालयों को 'टॉप स्टार रेटिड' स्प्लिट एयरकंडीशनरों, फ्रॉस्ट फ्रीज रेफ्रिजरेटरों, सीलिंग फैन, वाटर कूलरों और एलईडी बल्बों जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का क्रय और उपयोग करने की सलाह दी है।
- आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को स्वच्छ भारत मिशन हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान में शामिल होने और लोगों की भागीदारी, संवहनीयता और समय-बद्धता परिणाम पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी है तथा स्वच्छ भारत मिशन तथा गंगा पुनरुज्जीवन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यथा रिपोर्ट की गई निम्नलिखित कार्यों पर परामर्श दिया है— (1) स्वच्छ भारत मिशन और गंगा पुनरुज्जीवन में निरंतर लोक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एनएसएस, एनसीसी या नेहरू युवा केन्द्रों, इको-क्लबों को शामिल करके संस्थानात्मक ढांचे का विकास। (2) स्वाभाविक रूप से सड़ने वाले और सूखे कचरों का पुनचक्रण और पुनः उपयोग पर छात्रों के व्यावहारिक प्रोजेक्ट पर अंक देने के लिए शिक्षा संस्थान में पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन करना। (3) सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस आशय का निदेश देना कि प्रत्येक सप्ताह के पहले कार्य दिवस को स्वच्छता दिवस के रूप में मान्यता दे। (4) कौशल विकास कैरियर विकल्प के रूप में पानी, स्वच्छता और ठोस कचरे के निपटान के साथ तकनीकी विभागों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ करना।
- आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को परामर्श दिया कि विदेशी छात्रों के लिए योग पर पीएच.डी पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएं। आयुष मंत्रालय ने सूचित किया कि वह इस क्षेत्र में पीएच.डी करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा चयनित/अनुशंसित विद्यार्थियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के इच्छुक हैं।
- आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि डीबीटी पद्धति के अंतर्गत कवर नहीं हुए लाभार्थियों से संबंधित डाटा को अपलोड करने के लिए वि.अ.आ. द्वारा शीघ्र ही वेब पोर्टल बनाया जाएगा। जब पोर्टल शुरू हो जाएगा तो वि.अ.आ. अपने वेबसाइट के होम पेज पर लोक सूचना अपलोड करेगा। 1 जुलाई, 2016 से केवल डीबीटी मोड में ही पीएफएमएस द्वारा भुगतान किया जाएगा।

मई, 2016

- आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को वि.अ.आ. (विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपाधि और अन्य पुरस्कार) नियम, 2008 का अनुपालन करने के बारे में जानकारी दी है, जिसका विनियम 4.4 यह अधिदेशित करता है कि "उपाधि प्रदान करने की तिथि/तिथियां छात्रों द्वारा उपाधियों के लिए पात्र बनने पर 180 दिनों के भीतर होनी चाहिए।"
- आयोग ने लिंगदोह समिति की सिफारिशों को लागू करने और इसके बाद होने वाले छात्र चुनावों हेतु सभी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों द्वारा इनका अनुपालन किये जाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 22 सितम्बर, 2006 के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के बारे में जानकारी दी।
- आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों से वेब आधारित लाइसेंसिंग सिस्टम ई-एलओआरए (इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन सोर्स) जिसे आईआरबी द्वारा इस प्रयोजन हेतु बनाया गया है, के रूप में पंजीकृत करने का अनुरोध

किया है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वि.अ.आ. के दिशानिर्देशों और एईआरबी विनियमों में रेखांकित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन करना चाहिए।

जून, 2016

- आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उस निर्णय से अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से लाभार्थियों के खाते में सीधे भुगतान किये जाने हेतु सभी सरकारी राजसहायता/छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों के भुगतान के लिए आधार अनिवार्य है।

जुलाई, 2016

- आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को वि.अ.आ. (उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध और इसमें सुधार, निवारण और निपटान) विनियम 2015 के कार्यान्वयन के बारे में परामर्श प्रदान किया। (एफ 91-9/2015 (जीएस/एमएचआरडी))
- आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्णय से अवगत कराया है कि जम्मू और कश्मीर के ऐसे विद्यार्थियों जो वि.अ.आ. के अधिनियम की धारा 2(च) और 12ख के तहत अनुमोदित या एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों जिसमें न्यूनतम एनबीए अनुमोदित पाठ्यक्रम है, में केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश चाहते हैं, के लिए दो अतिरिक्त कोटा सीट उपलब्ध कराई जाएंगी। (एफ.1-1/2012 (एसए-III))
- आयोग लोक सूचना के माध्यम से विद्यार्थियों और अभिभावकों को संस्थानों/विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों की मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रम के लिए परीक्षा आयोजन करने के क्षेत्राधिकार का पता लगाने को अवगत करवाया है। (एफ12-9/2016 (डीईबी-III))
- आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को वि.अ.आ. (भारतीय और विदेशी शैक्षिक संस्थानों के मध्य अकादमिक सहयोग को मानकों की प्रोन्नति और अनुसूक्षण) विनियम, 2016 के बारे में अवगत कराया और बेहतर विदेशी शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग की संभावना का पता लगाने का अनुरोध किया। (एफ.1-1/2012 (सीपीपी-II))
- आयोग ने लोक सूचना के माध्यम से सभी को डिग्रियों की समकक्षता के बारे में सूचना दी कि वि.अ.आ. द्वारा डिग्रियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों आदि की समकक्षता का निर्धारण नहीं किया जाता है। उच्चतर शिक्षा के मामले में, समकक्षता के बारे में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया जाता है और रोजगार प्रोत्साहन आदि के मामले में रोजगार संगठन द्वारा समकक्षता के बारे में निर्णय लिया जाता है। (9-3/2016 (सीपीपी-II))
- आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) और लैंगिक आधारित हिंसा की समस्या से निपटने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन करने और महिला संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन करने का अनुरोध किया है। वि.अ.आ. ने दिनांक 02 मई, 2016 को राजकीय राजपत्र में वि.अ.आ. (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों का लैंगिक उत्पीड़न का निराकरण, निषेध और इसमें सुधार) विनियम, 2015 अधिसूचित किया है।
- आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों से एमओओसी पाठ्यक्रमों की सूची और वि.अ.आ. की वेबसाइट से वि.अ.आ. के विनियम का अनुसरण करने और विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षा निकाय के अनुमोदन के पश्चात् विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और सम्बद्ध महाविद्यालय के लाभ के लिए भारत सरकार के 'स्वयं' प्लेटफार्म के माध्यम से एमओओसी पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए उपर्युक्त कार्यवाई करने का अनुरोध किया है।

सितम्बर, 2016

- आयोग सभी विश्वविद्यालयों से युवाओं से न केवल स्वस्थ जीवन जीने वरन् नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने, जो आधुनिक विश्व में तेजी से बढ़ रहे हैं, के लिए सक्रिय कदम उठाये जाने का अनुरोध किया।

नवम्बर, 2016

- आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि भारत सरकार के प्रतिभूति डिपाजिटरी के आधार पर राष्ट्रीय एकेडमी डिपाजिटरी (एनएडी) के नाम से ज्ञात शैक्षिक अवाडों की डिजिटल डिपाजिटरी स्थापित की है। एनएडी दो अंतर्प्रचालनीय डिजिटल डिपाजिटरी नामतः एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड (एनडीएमएल) और सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड (सीवीएल) से बना है। ये डिजिटल डिपाजिटरियां शैक्षिक अवाडों को डिजिटल प्रारूप में रखेंगी और डॉटा की एकनिष्ठता सुनिश्चित करेंगी। विश्वविद्यालय एनएडी पर बोर्डिंग के लिए किसी एक डिपाजिटरी के साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट करती हैं।

दिसम्बर, 2016

- आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की “बिटिया साक्षरता अभियान (विसाका)” आरंभ करने के बारे में सूचित किया है जो यह देश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों से युवा स्वयं सेवकों के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था के संवर्धन हेतु अभियान है।

जनवरी, 2017

- आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि यूनेस्को ने मातृभाषाओं के प्रचार और विश्वभर में भाषीय और सांस्कृतिक परम्पराओं की पूर्ण जागरूकता को बढ़ावा देने और समझबूझ, सहनशीलता और वार्ता पर आधारित एकजुटता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में घोषित किया है।
- वि.अ.आ. ने सभी विश्वविद्यालयों को वि.अ.आ. (स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढांचा) विनियम, 2016 के बारे में जानकारी दी और संबंधित शैक्षणिक परिषदों द्वारा अनुमोदित एमओओसी की सूची और उस शैक्षणिक सत्र जबसे उनसे पाठ्यक्रम को मान्यता मिलने वाली है, की सूची भेजने का अनुरोध किया।

मार्च, 2017

- वि.अ.आ. ने सभी विश्वविद्यालयों से विश्वविद्यालय के होम पेज पर ई-पीजी पाठशाला का लिंक <http://epgp.inflib.net.ac.in> और <http://swayam.gov.in/> भी उपलब्ध करवाकर कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने का अनुरोध किया ताकि अधिकतम संख्या में छात्र इन संसाधनों का लाभ उठा सकें।

आंकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिये नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की मदद से एक प्रतिबद्ध पोर्टल (<http://aishe.gov.in>) विकसित किया गया है। संस्थान के बांधे के आधार पर डीएकसी के ई-संस्करण के आकार में विस्तार हो जाता है। आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए किसी अन्वेषक को नहीं भेजा जाता है। एक अनोखी विशेषता यह है कि भरे गए डीसीएफ हमेशा पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं, जिन्हें संस्थान तथा उच्च स्तर के प्राधिकारियों द्वारा देखा जा सकता है। पोर्टल तक पहुँच बनाने तथा डाटा अपलोड करने के लिए सभी संस्थानों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना तथा सांख्यिकीय ब्यूरो ने सीधे विश्वविद्यालयों से आंकड़ों का संग्रहण करना बंद कर दिया है। वर्ष 2014-15 से अखिल भारतीय आधार पर पोर्टल <http://aishe.gov.in> के माध्यम से आंकड़ों का संकलन तथा प्राक्कलन का कार्य किया जा रहा है।

स्वतंत्रता के समय देश में केवल 20 विश्वविद्यालय तथा 500 महाविद्यालय थे और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में 2.1 लाख छात्र थे। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन सभी की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अब यह एक सुस्थापित तथ्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष के आंकड़ों की तुलना में विश्वविद्यालयों/संस्थानों की संख्या में 44.75 गुना वृद्धि हुई है, उपाधियां प्रदान करने वाले महाविद्यालयों की संख्या में 84.68 गुना वृद्धि हुई है और उच्चतर शिक्षा की औपचारिक पद्धति में छात्र नामांकन में 140.10 गुना वृद्धि हुई है। विशेषरूप से विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों जैसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि के बिना छात्र नामांकन और पाठ्यक्रमों में दाखिले की क्षमता में इतनी व्यापक वृद्धि कभी सम्भव नहीं हो पाती।

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (18 से 23 वर्ष)– देश में 18-23 वर्ष आयु वर्ग के लिए उच्च शिक्षा में अनुमानित सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 24.5 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति के लिए यह 19.9 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजाति के लिए यह 14.2 प्रतिशत है। अखिल भारतीय स्तर पर पुरुष जनसंख्या के लिए सकल नामांकन अनुपात 25.4 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए यह 20.8 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के के पुरुषों के लिए 15.6 प्रतिशत है। इसी प्रकार, अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं की जनसंख्या के लिए सकल नामांकन अनुपात 23.5 प्रतिशत है। जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए यह 19.0 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए यह 12.9 प्रतिशत है (स्रोत: वर्ष 2015-16 की एआईएसएचई रिपोर्ट)

➤ उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकास

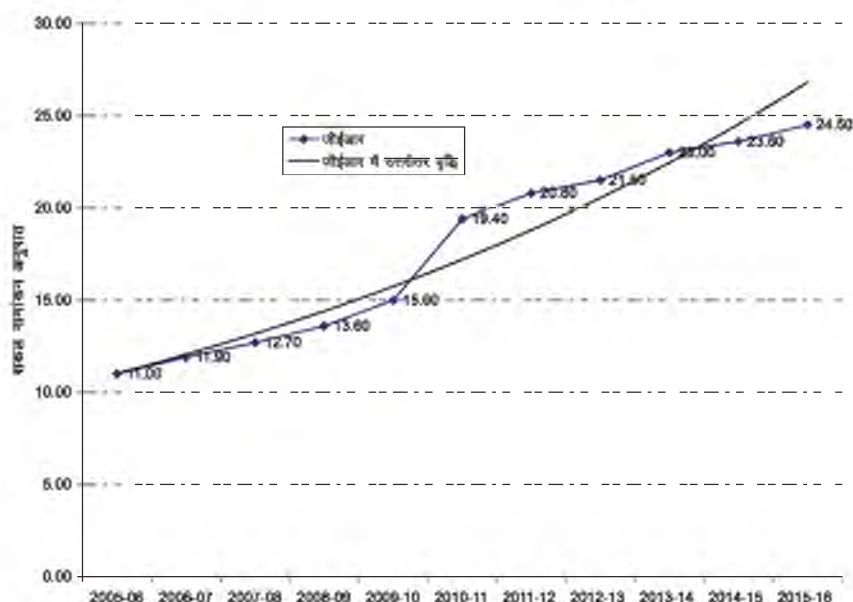
- विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय
- छात्र नानांकन
- शिक्षण कर्मचारिवृंद

आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1986 की धारा 12(ज) के अन्तर्गत आयोग द्वारा भारत तथा अन्य देशों में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर जानकारी एकत्र करने का अधिकार है और धारा 12(झ) के अन्तर्गत उस विश्वविद्यालय में आरंभ की गई विभिन्न शिक्षण शाखाओं अथवा अध्ययन की द्वितीय स्थिति से संबंधित नियमों एवं विनियमों के संबंधित जानकारी को भेजने को कह सकता है जिसमें उस विश्वविद्यालय में ज्ञान-अर्जन की प्रत्येक शाखा के संबंध में शिक्षण और परीक्षा के स्तर सहित सभी नियम और विनियम शामिल हैं।

शिक्षा क्षेत्र में समय से तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़े, जिनका मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है, प्राप्त करने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में उच्चतर शिक्षा के समग्र हालात का जायजा लेने के लिये जाटवेस तैयार करने हेतु उच्चतर शिक्षा का अखिल भारतीय सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया है। सर्वेक्षण में प्रत्युत्तर देने वाले संस्थान द्वारा सीधे ऑनलाइन माध्यम से जमा किए गए आंकड़ों का संकलन तथा प्रबंधन किया जाता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों का एक मुख्य दल, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने में शामिल थे, जिसमें डैट्टा कैंपस फॉर्मेट (डीसीएफ), कार्यशालाओं में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, सॉफ्टवेयर विकास करने में नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर की सहायता करना (एनआईसी) आदि। सर्वे कार्य का समन्वय करने के लिए प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये गए हैं।

सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धि



(स्रोत: एआईएसएचई की रिपोर्ट)

2.1 विश्वविद्यालय/संस्थान

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (31.03.2012) तक देश में 573 विश्वविद्यालय (43 केन्द्रीय, 129 सम विश्वविद्यालय, 397 राज्य विश्वविद्यालय (286 राज्य शासकीय तथा 111 राज्य निजी थे) तथा 04 संस्थान विशेष राज्य विधान अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किए गए थे) और देश में 35,539 महाविद्यालय थे। वर्ष 2016-17 के दौरान (बारहवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष) 795 विश्वविद्यालय (47 केन्द्रीय, 123 समविश्वविद्यालय, 360 राज्य शासकीय और 262 राज्य निजी तथा 03 संस्थान विशेष राज्य विधान अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किए गए थे) और महाविद्यालयों की संख्या 42338 थी और इस प्रकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पांचवें वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों की संख्या में 38.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा महाविद्यालयों की संख्या में 19.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2016-2017 के दौरान, 15 राज्य शासकीय विश्वविद्यालय (सूची 2.1(क), 27 राज्य निजी विश्वविद्यालयों (सूची 2.1(ख), तथा एक सम विश्वविद्यालय (सूची 2.1(ग)) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया और वर्ष 2016-17 के दौरान 04 राज्य शासकीय विश्वविद्यालयों, 04 सम विश्वविद्यालयों तथा 01 राज्य विश्वविद्यालय {सूची 2.1(घ)} को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया।

2.1(क): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची (दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक) में सम्मिलित किये गये राज्य शासकीय विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	वि0अ0आ0 की सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
	राज्य गुजरात		
1.	श्री गोविन्द गुरु विश्वविद्यालय, शासकीय बहुकला परिसर, गादुकपुर, गोधरा, जिला पंचमहल- 389001 गुजरात	2015	08.06.2016
2.	भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय, स्थित शासकीय बहुकला महाविद्यालय, बिलखा रोड, खादिया, जूनागढ़- 362640 गुजरात	28.09.2015	16.06.2016
3.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी-396450 गुजरात	29.04.2004	

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	वि0अ0आ0 की सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
	राज्य झारखण्ड		
4.	झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, ओल्ड ज्यूडिशियल एकादमी (श्री कृष्णा लोक प्रशासन संस्थान परिसर), मेयर रोड, रांची-834002 झारखण्ड	30.09.2016	03.01.2017
	राज्य कर्नाटक		
5.	कर्नाटक जनपद विश्वविद्यालय, घटागोडी, रा0 रा0-4, तालुक-शिगांव, जिला हावेरी- 581197, कर्नाटक	13.02.2012	02.06.2016
	राज्य ओडीशा		
6.	रामा देवी महिला विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडीशा	30.05.2015	11.05.2016
7.	कालीकोटे विश्वविद्यालय, बरहामपुर, गंजम, ओडीशा	30.05.2015	02.09.2016
8.	गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, फाटक बुद्धिराजा, संमलपुर, ओडीशा-768004	30.05.2015	04.11.2016
9.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफरमेशन टेक्नॉलाजी, गौधापरना, डाकघर मालीपाड़ा, भुवनेश्वर, ओडीशा	20.01.2014	05.01.2017
	राज्य राजस्थान		
10.	राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, जनजातीय छात्रावास (प्रथम तल), गोल्डन जुबली द्वार के निकट, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर, उदयपुर-313001 राजस्थान	17.10.2012	16.06.2016
	राज्य उत्तरप्रदेश		
11.	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर-272202 उत्तर प्रदेश	16.06.2015	31.08.2016
12.	इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, सीपीआई परिसर, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	17.06.2016	06.12.2016
13.	हारकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश	07.04.2016	22.02.2017
	राज्य उत्तराखण्ड		
14.	उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय, जगत सिंह बिष्ट राजकीय होटल मैनेजमेंट तथा कैंटरिंग संस्थान परिसर, चिल्कापीटा, खटयाड़ी, अल्मोड़ा 263601 उत्तराखण्ड	06.09.2016	
	राज्य पश्चिम बंगाल		
15.	द संस्कृत महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, बंकिम चैटर्जी मार्ग, कोलकाता-700073	19.02.2016	06.10.2016

2.1(ख) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित राज्य निजी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)

क्र.सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	वि0अ0आ0 की सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
	राज्य असम		
1.	दि असम रॉयल ग्लोबल युनिवर्सिटी, तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने, राष्ट्रीय राजमार्ग-37, गुवाहाटी-781035, असम	23.08.2013	30.12.2016
	राज्य छत्तीसगढ़		
2.	आईएसबीएम युनिवर्सिटी, ग्राम-नवापारा (कोसमी) ब्लॉक, तहसील-छूरा, जिला गरियाबंद - 493996, छत्तीसगढ़	09.09.2016	07.12.2016

क्र.सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	वि0अ0आ0 की सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
	राज्य गुजरात		
3.	संकलचंद पटेल युनिवर्सिटी, संकलचंद पटेल विद्याधाम, विसानगर-384315, गुजरात।	09.05.2016	12.07.2016
4.	अनंत नेशनल युनिवर्सिटी, संस्कारधाम कैम्पस, भोपाल-धुमा-साणद रोड, अहमदाबाद, गुजरात-382115	09.05.2016	12.07.2016
5.	मारवाडी युनिवर्सिटी, राजकोट-मोरबी हाइवे, राजकोट-360003, गुजरात	09.05.2016	16.08.2016
6.	प्लानेटइंडिया इंटरनेशनल युनिवर्सिटी, डुंगरा, जीआईडीसी, बापी, जिला वलसाड-396195, गुजरात	09.05.2016	15.12.2016
	राज्य झारखण्ड		
7.	एमिटी युनिवर्सिटी, रांची सिटी कैम्पस, निवारणपुर, मेन रोड, रांची, झारखण्ड	13.05.2016	22.07.2016
8.	प्रज्ञान इंटरनेशनल युनिवर्सिटी, बरियातु रोड, बूटी मोड़, डाक-आरएमसीएच, रांची-834009, झारखण्ड	16.05.2016	03.08.2016
9.	एआईएसईसीटी युनिवर्सिटी, मटवारी चौक, गांधी मैदान के सामने, हजारीबाग, झारखण्ड	13.05.2016	10.08.2016
10.	उषा मार्टिन युनिवर्सिटी, 12 माइल, रांची खूंटी रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग-75, रांची-835221, झारखण्ड	20.01.2014	05.01.2017
	राज्य मध्य प्रदेश		
11.	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, सानवर रोड, इंदौर-453111, मध्य प्रदेश	08.01.2015	19.04.2016
12.	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम युनिवर्सिटी, इंदौर-देवास बाईपास रोड, गांव-अरंधिया, पोस्ट-झालरिया, मध्य प्रदेश-452016	04.01.2016	19.04.2016
13.	मलवांचल युनिवर्सिटी, इंडेक्स सिटी, राष्ट्रीय राजमार्ग-59ए, नेमवार रोड, खुर्देल के समीप, जिला इंदौर-452016, मध्य प्रदेश	04.01.2016	08.06.2016
14.	जी.एच. रायसोनी युनिवर्सिटी, गांव-संखेडा, ढोडा बोरगांव, तहसील-सौसार, जिला-छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	27.08.2016	07.12.2016
15.	सिंबायोसिस युनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, बड़ा बंगडडा, सुपर कोरीडोर, इंदौर-452001, मध्य प्रदेश	27.08.2016	21.02.2017
	राज्य महाराष्ट्र		
16.	संदीप युनिवर्सिटी, त्रिम्बक रोड, महीरावानी, नासिक महाराष्ट्र	09.10.2015	14.07.2016
	राज्य नागालैंड		
17.	सेंट जॉसफ युनिवर्सिटी, विरजिन टाउन, खेखिहो-झिमोमी रोड, इक्कीशे मॉडल विलेज, पीएस-दिप्यूपर, दीमापुर-797115, नागालैंड	19.12.2016	
	राज्य ओडीशा		
18.	बिरला ग्लोबल युनिवर्सिटी, आईडीसीओ प्लॉट नं. 2, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गांव-गोथपाटना, पीएस-चंडाका, भुवनेश्वर-751029, ओडीशा	17.02.2016	05.01.2017
	राज्य पंजाब		
19.	सी.टी. युनिवर्सिटी, फिरोजपुर रोड, लुधियाना-142024, पंजाब	23.12.2016	16.01.2017
20.	खालसा युनिवर्सिटी, जी.टी. रोड, अमृतसर-143002, पंजाब	17.11.2016	

क्र.सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	वि0अ0आ10 की सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
	राज्य राजस्थान		
21.	भूपाल नोबल्स युनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप स्टेशन रोड, सेवाश्रम सर्कल, उदयपुर-313001, राजस्थान	05.10.2015	
22.	साई तिरुपति युनिवर्सिटी, अंबुआ रोड, गांव-उर्मादा गिरवा, उदयपुर-313015, राजस्थान	21.04.2016	
	राज्य उत्तर प्रदेश		
23.	एरा युनिवर्सिटी, सरफराजगंज, हरदोई रोड, लखनऊ-226003, उत्तर प्रदेश	16.09.2016	04.11.2016
24.	बेनेट युनिवर्सिटी, प्लॉट नं. 8-11, टेक जोन ५, ग्रेटर नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश	16.09.2016	29.11.2016
25.	संस्कृति युनिवर्सिटी, 24 किमी स्टोन, मथुरा-दिल्ली हाइवे, छत्ता, मथुरा, उत्तर प्रदेश	16.09.2016	30.11.2016
26.	आईआईएमटी युनिवर्सिटी, ओ-पॉकेट, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ-250001, उत्तर प्रदेश	16.09.2016	
27.	बरेली इंटरनेशनल युनिवर्सिटी, रोहिलखण्ड, मेडिकल कॉलेज कैम्पस, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली-243006, उत्तर प्रदेश	16.09.2016	21.02.2017

2.1 (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित सम विश्वविद्यालयों की सूची (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)

क्र.सं.	सम विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	वि0अ0आ10 की सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
1.	चिन्मया विद्यापीठ, आदि शंकरा निलायम, वेलीयानाद, एर्नाकुलम-692313, केरल	16.01.2017	15.02.2017

2.1 (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालयों की सूची (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (सम विश्वविद्यालय), भुवनेश्वर, ओडिशा
2	गौड़ बंग विश्वविद्यालय, (राज्य विश्वविद्यालय), मखदूमपुर, जिला माल्दा, पश्चिम बंगाल
3	नेशनल यूनीवर्सिटी ऑफ एडवांस लॉगल स्टडीज (एनयूएलएस) (राज्य विश्वविद्यालय), कोच्ची, केरल
4	सिद्धो-कान्हो-बिरसा विश्वविद्यालय, (राज्य विश्वविद्यालय), प्रशासनिक भवन, रांची रोड कैम्पस, सैनिक विद्यालय के निकट, पुरुलिया-723104 पश्चिम बंगाल
5	सेंचूरियन यूनीवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी एंड मैनेजमेंट, (निजी विश्वविद्यालय), पारालाखेमंडी, जिला गजपति, ओडिशा
6	जवाहरलाल नेहरू आर्टिस्टिक एंड फाइन आर्ट्स यूनीवर्सिटी (राज्य विश्वविद्यालय), महावीर मार्ग, मासाब टैंक, हैदराबाद, तेलंगाना
7	अश्वलिङ्गम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एजुकेशन ऑर वीमेन (सम विश्वविद्यालय), कोयम्बटूर, तमिलनाडु
8	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (सम विश्वविद्यालय), बंगलूरु
9	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (सम विश्वविद्यालय), बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल

2.1(ड) दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों* की स्वरूपवार संख्या तथा महाविद्यालयों# की कुल संख्या

क्र.सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान का स्वरूप	विश्वविद्यालयों/संस्थानों की संख्या (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत केन्द्रीय सहायता हेतु पात्र विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की संख्या (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार)
1	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	47	
2	राज्य शासकीय विश्वविद्यालय	360	208
3	राज्य निजी विश्वविद्यालय	262	3
4	राज्य के विधान के माध्यम से स्थापित संस्थान	3	
5	सम विश्वविद्यालय संस्थान	123	9
	कुल	795	220
6	महाविद्यालय	42338	8993

*वि०अ०आ० द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालय/संस्थान

#महाविद्यालयों में संबद्ध महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय/घटक महाविद्यालय/स्नातकोत्तर केन्द्र/मान्यताप्राप्त केन्द्र/सुदूर स्थित कैम्पस, आदि शामिल हैं। (स्रोत: एआईएसएचई)

रेखाचित्र 2.1(ड): दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों की स्वरूपवार संख्या



तालिका 2.1(ड)(i): दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
	अरुणाचल प्रदेश		
1	राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, रोहो हिल्स, डाकघर दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश-791112	1985 (वर्ष 2007 से केन्द्रीय)	http://www.rgu.ac.in
	असम		
2	असम विश्वविद्यालय, डाकघर असम विश्वविद्यालय, सिलचर-788011	1994	http://www.aus.ac.in
3	तेजपुर विश्वविद्यालय, जिला सोनितपुर, पो० ७० नम्बर 72, नापाम, तेजपुर असम-784001	1994	http://www.tezu.ernet.in
	बिहार		
4	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बीआईटी कैम्पस, पी०ओ०-बीबी कालेज, पटना-800014	2009	http://www.cub.ac.in
5	नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला नालन्दा-बिहार + (केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित)	2010	http://nalandauniv.edu.in
6	महात्मा गाँधी बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी, बिहार	2014	http://www.mguniversity.ac.in
	छत्तीसगढ़		
7	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, मुख्य परिसर, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495009	1983 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय)	http://www.ggu.ac.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
	गुजरात		
8.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर-29 गौधीनगर-382029, गुजरात	2009	http://www.cug.ac.in
	हरियाणा		
9	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ग्राम जंत-पाली, जिला महेंद्रगढ़-123029	2009	http://www.cuh.ac.in
	हिमाचल प्रदेश		
10	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पो0ब0 नम्बर 21, धर्मशाला, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश-176215	2009	http://www.cuhimachal.ac.in
	जम्मू और कश्मीर		
11	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ट्रांजिट कैम्पस, सोनावर, जी0बी0 पत अस्पताल के निकट, श्रीनगर	2009	http://www.cukashmir.ac.in
12	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बागला (राहया-सुचानी), जिला साम्बा, जम्मू-181143 (जम्मू और कश्मीर)	2009	http://www.cujammu.ac.in
	झारखण्ड		
13	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रातू लोहारडगे रोड, बराम्बे, राँची-835205	2009	http://www.cuj.ac.in
	कर्नाटक		
14	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कादागांची, अलांग रोड, अलांग तालुक, गुलबर्गा (जिला)-585311, कर्नाटक	2009	http://www.cuk.ac.in
	केरल		
15	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बीकेएम टॉवर, नायामार मूला, विद्यानगर, पी0ओ0, कासरगोड-671123	2009	http://www.cukerala.ac.in
	मध्य प्रदेश		
16	डी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश -470003	1946 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय)	http://www.dhgsu.ac.in
17	द इन्दिरा गांधी नेशनल ट्राईबल यूनिवर्सिटी, माकाल सदन, अमरकण्टक, मध्य प्रदेश	2008	http://www.igntu.nic.in
	महाराष्ट्र		
18	महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, मानस भविर डाकघर, वर्धा, मुम्बई-442005	1997	http://www.hindivishwa.org
	मणिपुर		
19	मणिपुर केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल-795004+	1993	http://www.cau.org.in
20	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इम्फाल, मणिपुर-795003	1980 (वर्ष 2005 से केन्द्रीय)	http://www.manipuruniv.ac.in
	मेघालय		
21	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, नेहू कैम्पस, शिलांग, मेघालय-793022	1973	http://www.nehu.ac.in
	मिजोरम		
22	मिजोरम विश्वविद्यालय, पो0ब0नम्बर 910, आईजवाल, मिजोरम-796009	2000	http://www.mzu.edu.in
	नागालैण्ड		
23	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कैम्पस कोहिमा, मुख्यालय लुमान्नी, नागालैण्ड-797001	1994	http://www.nagalanduniversity.ac.in
	ओडीशा		
24	ओडीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लान्डीगुडा, कौरापुर, ओडीशा-764020	2009	http://www.cuo.ac.in
	पंजाब		
25	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मनसा रोड, भटिन्डा, पंजाब-151001	2009	http://www.cup.ac.in
	राजस्थान		
26	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 8. गण्डार सिंदरी, जिला अजमेर, राजस्थान-305801	2009	http://www.curaj.ac.in
	सिक्किम		
27	सिक्किम विश्वविद्यालय, छठा माईल, समदुर, पी0ओ0 तदांग, गगटोक, सिक्किम-737102	2007	http://www.cus.ac.in
	तमिलनाडु		
28	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नीलाकुडी कैम्पस, कंगलानचेरी(पोस्ट), तिरुवारूर-610101, तमिलनाडु	2009	http://www.cutn.ac.in
29	इन्डियन मैरीटाइम युनिवर्सिटी, चेन्नई-600119 +	2008	http://www.imu.edu.in
	तेलंगाना		
30	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500046	1974	http://www.uohyd.ac.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
31	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गाजीबोली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-50032	1998	http://www.manuu.ac.in
32	इंग्लिश एण्ड कॉमर्सेल लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ओडिशा कैम्पस, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500007	1973 (वर्ष 2007 से केन्द्रीय)	http://www.efluniversity.ac.in
	त्रिपुरा		
33	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा-799130, अग्रतला	1987	http://www.tripurauniv.in
	उत्तर प्रदेश		
34	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202002	1920	http://www.amu.ac.in
35	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद-211002	1887	http://www.alluniv.ac.in
36	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ-226025	1996	http://www.bbau.ac.in
37	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005	1916	http://www.bhu.ac.in
38	राजीव गांधी नेशनल एडियेशन यूनिवर्सिटी, फुलतगंज, उत्तर प्रदेश-		
39	रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश-	2014	http://www.rlbcau.ac.in
	उत्तराखण्ड		
40	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल-246174	1973 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय)	http://www.hnbgua.ac.in
	पश्चिम बंगाल		
41	विश्व भारती, शान्तिनिकेतन, पश्चिम बंगाल-731235	1951	http://www.visva-bharati.ac.in
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली		
42	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली -110007	1922	http://www.du.ac.in
43	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110068+	1985	http://www.ignou.ac.in
44	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110025	1988	http://www.jmi.nic.in
45	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू नहरौली रोड, नई दिल्ली-110067	1969	http://www.jnu.ac.in
46	सौंउथ एशियन यूनिवर्सिटी, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110067+ (केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित)	2010	http://www.southasianuniversity.org
	पुदुचेरी		
47	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, आरओ वेंकटरामन नगर, कालापेट, पुदुचेरी-605014	1985	http://www.pondiumi.edu.in

+ नोट: सात विश्वविद्यालय नामतः (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (ii) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, और (iii) इंडियन मेरीटाईम यूनिवर्सिटी, चेन्नई-600119, (iv) सौंउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली (v) राजीव गाँधी नेशनल एडियेशन यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश (vi) नालन्दा विश्वविद्यालय, बिहार (vii) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, उत्तर प्रदेश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं हैं क्योंकि इन्हें सीधे ही भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

तलिका 2.1(ड) (ii) : दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार राज्य विश्वविद्यालय (*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित किए गए विश्वविद्यालय, जो केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं)

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
	आन्ध्र प्रदेश		
1	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, गुंटूर - 522510 *	1976	http://www.anu.ac.in
2	अदिकवि नन्या विश्वविद्यालय, जया कृष्णपुरम, राजामुन्दी - 533105 आन्ध्र प्रदेश	2006	http://www.nannayauniversity.info
3	आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम - 530003*	1926	http://www.andhrauniversity.edu.in
4	दामोदरम संजीवैया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (पूर्व में ए.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के नाम से विख्यात) पैलेस लेआउट, पेडावालटियार, विशाखापत्तनम-530017 (आन्ध्र प्रदेश) (राज्य विश्वविद्यालय)	2008	http://www.dsnu.ac.in
5	डॉ. एन.टी.आर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (पूर्व में ए.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के नाम से विख्यात) विजयवाड़ा - 520008 (राज्य विश्वविद्यालय)	1986	http://www.ntruhs.ap.nic.in
6	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, एचेलॉ-532410, श्रीकाकुलम	2008	http://www.brau.in
7	द्रविडियन विश्वविद्यालय, कुप्पम - 517425*	1997	http://www.dravidianuniversity.ac.in
8	डॉ. वाई.एस.आर. बागवानी विश्वविद्यालय, पी.ओ. बॉक्स नं. 7, वेंकटरामनगुंडम, जिला पश्चिम गोदावरी-536101, आन्ध्र प्रदेश	2011	www.drysrhu.edu.in
9	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अनन्तपुर *	2008	http://www.jntua.ac.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
10	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काकीनाडा *	2008	http://www.jntuk.edu.in
11	कृष्णा विश्वविद्यालय, आन्ध्र जातीय कालासाला, कैम्पस, राजूपेटा, मछलीपट्टनम-521001	2008	http://www.krishnauniversity.ac.in
12	रायलसीमा विश्वविद्यालय, कूरनूस - 518002*	2008	http://rayalseemauniversity.ac.in
13	श्री कृष्णा देवराय विश्वविद्यालय, अनन्तपुर - 515003*	1981	http://www.skuniversity.org
14	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति - 517502 *	1983	http://www.spmvv.ac.in
15	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति - 517507 *	1954	http://www.svuniversity.in
16	श्री वेंकटेश्वरा वैदिक विश्वविद्यालय, पुरुन्देरादास कॉम्पलेक्स, परकासम रोड, तिरुपति	2006	http://www.svvedicuniversity.org
17	श्री वेंकटेश्वरा वैदिक यूनिवर्सिटी, प्रशासनिक कार्यालय, क्षेत्रीय ग्रंथालय भवन, तिरुपति - 517502	2005	http://www.svvu.edu.in
18	श्री वेंकटेश्वरा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंसेज, तिरुपति - 517507 *	1993	http://www.svimstpt.ap.nic.in
19	विक्रम सिम्हापुरी विश्वविद्यालय, नेल्लोर - 524003	2008	http://www.simhapuriuniv.ac.in
20	योगी देवमाना विश्वविद्यालय, देमानापुरम, कदप्पा - 516003*	2006	http://www.yogivemanauniversity.ac.in
असम			
21	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट - 785013 *	1968	http://www.aau.ac.in
22	असम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट, शिवसागर, गुवाहाटी, असम*	2010	http://www.argucom.org.in
23	असम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काहीलीपारा, गुवाहाटी - 19 असम	2011	http://www.astu.org.in
24	असम महिला विश्वविद्यालय, जोरहाट-785004, असम	2013	http://www.awu.ac.in
25	बोदोलैंड विश्वविद्यालय, डिब्रुगढ़, डाकघर रंगालीखेटा, कोकराझार, 783370, बीटीसी, असम	2009	http://www.bodolanduniversity.ac.in
26	कॉटन कॉलेज राज्य विश्वविद्यालय, पान बाजार, गुवाहाटी, असम (राज्य विश्वविद्यालय)	2011	http://www.ccsu.ac.in
27	डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रुगढ़ - 786004 *	1965	http://www.dibru.ac.in
28	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी - 781014*	1948	http://www.gauhati.ac.in
29	कृष्णकान्त हान्डीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, लास्ट गेट, दिसपुर, गुवाहाटी - 781006	2007	http://www.kkhsou.in
30	कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एवं पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालय, नलबाड़ी-781335, असम	2011	http://www.kbvsasu.in
31	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एण्ड जूडिशियल अकादमी, एनईजेओटीआई बिल्डिंग, बी.के. काकाती रोड, भोलानाथ मंदिर पथ, उलूबारी, गुवाहाटी - 781007, असम	2012	http://www.nluassam.ac.in
32	श्रीमंत शंकरादेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नरकासुर हिलटॉप, भंगागढ़, गुवाहाटी, असम	2007	http://www.ssunhs.in
बिहार			
33	आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, 8, ऑफिस पोलो रोड, पटना - 800001	2008	http://www.akubihar.ac.in
34	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर - 842001 *	1952	http://www.brabu.net
35	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर, मांगलपुर, 813210, बिहार	2010	http://www.bausabour.org.in
36	भूपेन्द्र नारायण मण्डल यूनिवर्सिटी, मन्नेपुरा - 852113*	1993	http://www.bnmu.bih.nic.in
37	चाणक्य नेशनल विधि विश्वविद्यालय, ए.एन. सिन्हा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज कैम्पस, गांधी मैदान, पटना - 800001 *	2006	http://www.cnlu.ac.in
38	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा 841301 *	1995	http://www.jpv.bih.nic.in
39	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा - 846008 *	1961	http://www.ksdsu.edu.in
40	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा - 846008*	1972	http://www.lnmu.in
41	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया - 824234*	1962	http://www.magadhuniversity.org
42	मौलाना मजहबुल हक अरेविक एण्ड पर्सियन यूनिवर्सिटी, 3 पोलो रोड, पटना - 800001	2004	http://www.mmhapu.bih.nic.in
43	नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना - 800001	1995	http://www.nalandaopenuniversity.com

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
44	पटना विश्वविद्यालय, पटना - 800005 *	1917	http://www.patnauniversity.ac.in
45	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, सनसतीपुर - 848125*	1970	http://www.pusavarsity.org.in
46	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर - 812007*	1960	http://www.tmbu.org
47	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा - 802301*	1994	http://www.vksu-ara.org
छत्तीसगढ़			
48	छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जी.ई. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़	2008	http://www.cghealthuniv.com
49	बस्तर विश्वविद्यालय, जगदालपुर, जिला - बस्तर	2008	http://www.bvvdj.ac.in
50	बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	2011	http://www.bilaspuruniversity.ac.in
51	छत्तीसगढ़ कामधेनू विश्वविद्यालय, दुर्ग-491001	2011	www.cgkv.ac.in
52	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8, मिलाई 490009 (छत्तीसगढ़)	2004	http://www.csvtu.ac.in
53	दुर्ग विश्वविद्यालय, वासुदेव बर्मन पाटनकर बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर, रायपुर नाका, दुर्ग, छत्तीसगढ़	2015	http://durguniversity.ac.in
54	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सिविल लाइन, रायपुर - 492001*	2003	http://www.hnlu.ac.in
55	इन्दिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर - 492006*	1987	http://www.igau.edu.in
56	इन्दिरा गाँधी कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ - 491881 *	1956	http://www.iksvv.com
57	कुशाम्बा ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	2004	http://www.ktjtm.ac.in
58	पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर - 492010*	1964	http://www.prsu.ac.in
59	पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	2004	http://www.pssou.ac.in
60	सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर	2008	http://www.sargujauniversity.in
गोवा			
61	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा - 403206*	1985	http://www.unigoa.ac.in
गुजरात			
62	आणंद कृषि विश्वविद्यालय, आणंद	2004	http://www.aau.in
63	भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय, शासकीय बहुकला महाविद्यालय, बिखना रोड, खादिया, जूनागढ़-382640	2015	http://www.bknmu.edu.in
64	महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी, भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर - 364002*	1978	http://www.bhavuni.edu
65	चिल्ड्रन्स यूनिवर्सिटी, सुभाष चन्द्र बोस शिक्षण संकुल, सेक्टर - 20, गांधीनगर, गुजरात	2009	www.cugujarat.ac.in
66	धर्मसिंह देसाई विश्वविद्यालय, कॉलेज रोड, नाडियाड - 387001	2000	http://www.ddu.ac.in
67	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय अहमदनगर - 380003	1995	http://www.baou.edu.in
68	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय सरदार क्रूरीनगर, बनसकाँथा - 385506 *	1972	http://www.sdau.edu.in
69	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर - 361008*	1968	http://www.ayurveduniversity.edu.in
70	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अट्टालिका एवेन्यू, नालेज कॉरीडोर, कोबा, गाँधीनगर-382007*	2003	http://www.gnl.ac.in
71	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदनगर - 380009*	1950	http://www.gujaratuniversity.org.in
72	गुजरात प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, जेएसीपीसी बिल्डिंग, एल.डी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैम्पस, नवरगापुरा, अहमदाबाद, गुजरात	2007	http://www.gtu.ac.in
73	गुजरात फोरेन्सिक साइंस यूनिवर्सिटी, सेक्टर 18/ए, पुलिस भवन के निकट, गाँधीनगर - 382007	2008	http://www.gfsu.edu.in
74	गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लान्टेशन साइंस, आईकेडीआरसी-आईटीएस भवन, सिविल अस्पताल परिसर, असाएवा, अहमदाबाद-380016, गुजरात	2015	http://guts.education/
75	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पी.बी. नम्बर 21, दूनिवर्सिटी रोड, पाटन - 384265*	1986	http://www.ngu.ac.in
76	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, रामकृष्ण परमहंस विद्या संकुल केएच-5 के निकट, सेक्टर - 15, गांधीनगर, 382016, गुजरात	2010	www.iite.ac.in
77	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी रिसर्च एण्ड मैनेजमेंट, खोखरा सर्किल नानीनगर (पूर्व), अहमदाबाद-380026, गुजरात	2013	http://iitram.ac.in/

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
78	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़-362001, गुजरात	2004	http://www.jau.in
79	कान्धेनू विश्वविद्यालय, "कृषि भवन", सेक्टर 10क, ब्लॉक बी, पोडियम लेवल, गांधीनगर-382010, गुजरात	2009	http://www.ku-guj.org
80	क्रान्तिगुरु श्यामजी कृष्णवर्मा कच्छ विश्वविद्यालय, सीएस-60, जुबली ग्राउंड, भुज-कच्छ - 370001	2004	http://www.kskvku.digitaluniversity.ac.in
81	महाराजा सायाजीराव बड़ोदा विश्वविद्यालय, वडोदरा - 390002*	1949	http://www.msubaroda.ac.in
82	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी-396450	2004	http://www.nau.in
83	रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, न्यू गेटर कार्नर, गंधनगर, अहमदाबाद-380016	2011	http://www.rakshashaktiuniversity.ac.in
84	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर - 388120*	1955	http://www.spuvvn.edu
85	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट - 360005*	1955	http://www.saurashtrauniversity.edu
86	वीर नारमाड दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत-395007*	1965	http://www.vnsgu.ac.in
87	श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, तालुक वेरावल, जिला जूनागढ़-362265	2005	http://www.shreesomnath.sanskrituniversity.info
88	श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय, शासकीय बहुकला परिसर, गदुकपुर, गोधरा, जिला पंचमहल-389001	2015	http://www.sggg.ac.in
89	रबर्निम गुजरात स्पोर्ट्स, यूनिवर्सिटी, सेक्टर-19, पुनीत वन रोड, सुविधा केंद्र, पीटीसी बिल्डिंग कैम्पस, गांधीनगर, 382019	2011	http://www.sycd.gujarat.gov.in/
90	हरियाणा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत, हरियाणा*	2006	http://www.bpswomenuniversity.ac.in
91	चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी-127021	2014	http://www.cblu.ac.in
92	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा*	2003	http://www.cdlu.in
93	चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द, हरियाणा	2014	http://www.crsujind.org
94	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार - 125004*	1970	http://www.hau.ernet.in
95	दीनबन्धु छोट्वाण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरुथल, हरियाणा*	2006	http://www.dcrusm.org
96	पं. भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज, रोहतक, हरियाणा*	2008	http://www.uhrs.ac.in
97	गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार - 125001*	1995	http://www.gjust.ac.in
98	इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाड़ी-122502	2013	http://www.igi.ac.in
99	कुल्लू विश्वविद्यालय, कुल्लू - 136119*	1956	http://www.kuk.ac.in
100	लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंस, हिसार-125004	2010	http://www.uvas.edu.in
101	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक - 124001*	1976	http://www.mdurohtak.ac.in
102	स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफार्मिंग एण्ड विजुअल आर्ट्स, इंटिग्रेटेड कैम्पस, सेक्टर-6, रोहतक, हरियाणा	2014	http://www.supva.ac.in
103	वाईएमसीए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद - 121006*	2009	http://www.ymcaust.ac.in
104	हिमाचल प्रदेश डॉ. बाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एण्ड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, नीनी- 173230*	1986	http://www.yspuniversity.ac.in
105	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला - 171005*	1970	http://www.hpuniv.ac.in
106	चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर - 176062*	1978	http://www.hillagric.ac.in
107	हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, गांधी चौक, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश-177001	2010	http://www.himtu.ac.in
108	जम्मू और कश्मीर बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजौरी कैम्प ऑफिस, बाईपास रोड, बन्नी हिम्मत के सामने, जम्मू*	2005	http://www.bgsbuniversity.org
109	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर - 190006*	1949	http://www.kashmiruniversity.net
110	शोर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर - 191121*	1982	http://www.skuastkashmir.ac.in
111	शोर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, छत्ता, जम्मू-180009	1999	http://www.skuast.org
112	श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कैम्प ऑफिस : 27 ए/डी, गांधीनगर, जम्मू - 180004*	2004	http://www.smvdu.net.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
113	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एवेन्यू, अवांतिपुरा, पुलवामा - 192122 (जम्मू और कश्मीर)*	2005	http://www.islamicuniversity.edu.in
114	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मूतवी 180006*	1968	http://www.jammuniversity.in
झारखण्ड			
115	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची - 834006*	1980	http://www.baujharkhand.org
116	झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, ओल्ड ज्यूडिशियल अकादमी (श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान परिसर) मेयर रोड, राँची - 834002	2016	http://www.rsu.ac.in
117	कोल्हन विश्वविद्यालय, चाइबासा, पश्चिम सिंहभूमि (झारखण्ड)	2007	http://www.kolhanuniversity.ac.in
118	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज इन लॉ, बहुकला संस्थान परिसर, बीआईटी, मेसरा, राँची-835217, झारखण्ड	2010	http://www.nusrlranchi.ac.in
119	नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मादीनीनगर, पलामू - 822101	2007	http://www.npu.ac.in
120	राँची विश्वविद्यालय, राँची - 834001*	1960	http://www.ranchiuniversity.org
121	सिद्धू कान्हु विश्वविद्यालय, दुमका - 814101 *	1992	http://www.skmu.edu.in/
122	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग - 825301*	1993	http://www.vbu.co.in
कर्नाटक			
123	बंगलूरु विश्वविद्यालय, बंगलूरु - 560056*	1964	http://www.bub.ernet.in
124	दावनगिरी विश्वविद्यालय, शिवगंगोत्री, दावनगिरी-577002*	2009	http://www.davangereuniversity.org
125	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा - 585106*	1980	http://www.gulbargauniversity.kar.nic.in
126	कन्नड विश्वविद्यालय, हम्पी, जिला बेलारी, कमालपुरा - 583276*	1992	http://www.kannadauniversity.org
127	कर्नाटक जनपद विश्वविद्यालय, घटाघोडी, रा0रा0-4, तालुक-शिगोन, जिला-हवेली, कर्नाटक-581197	2012	http://www.janapadauni.in
128	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ - 580003*	1949	http://www.kud.ac.in
129	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर - 586101*	2004	http://www.kswu.ac.in
130	कुवेम्पू विश्वविद्यालय, कृष्णचट्टा - 577451*	1987	http://www.kuvempu.ac.in
131	कर्नाटक वेदविज्ञान एनीमल एण्ड फिशरिज साइंस यूनिवर्सिटी, नन्दीनगर, पीबी नं. 6, बीदर - 585401	2004	http://www.kvafsu.kar.nic.in
132	कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय, हुबली-580025*	2009	http://www.kslu.ac.in
133	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर - 570006	1996	http://www.ksoumysore.edu.in
134	कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय, बंगलूरु - 580018	2011	http://www.ksu.ac.in
135	कर्नाटक फोकलोर यूनिवर्सिटी, 2/106, केएसएसआईए बिल्डिंग, तीसरा तल, 17वां क्रॉस, भागडी कोडर्ड रोड, विजयनगर, बंगलूरु - 460040	2011	http://www.janapadauni.in
136	केएसजीएच संगीत एवं अभिनय कला विश्वविद्यालय, एलजेबी रोड, नियर अशोक सर्कल, लक्ष्मीपुरम, मैसूर - 570004	2009	http://www.musicuniversity.ac.in
137	मैंगलोर विश्वविद्यालय, मैंगलोर - 574199*	1980	http://www.mangaloreuniversity.ac.in
138	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर - 570005*	1916	http://www.uni-mysore.ac.in
139	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलूरु - 560072*	1992	http://www.nls.ac.in
140	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी, बंगलूरु - 560041	1994	http://www.rguhs.ac.in
141	रानी घेन्तमा विश्वविद्यालय, विद्यासगम, एनजी-4, पीबी हाइवे, बेलगावी-591156, कर्नाटक*	2010	http://www.rcub.ac.in
142	तुमकुर विश्वविद्यालय, प्रथम तल, डा. बी.आर. अम्बेडकर भवन, एमजी रोड, तुमकुर-572101 (कर्नाटक)*	2004	http://www.tumkuruniversity.in
143	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलूरु-560065*	1964	http://www.uasbangalore.edu.in
144	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ - 580005*	1986	http://www.uasd.edu
145	यूनीवर्सिटी ऑफ हार्टिकल साइंस, बागलकोट उद्यानगिरि, सीमीकेरी के सगीप क्रॉस बागलकोट-587104, कर्नाटक	2010	http://www.uhsbagalkot.edu.in/
146	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, बेलगाम - 590010	1999	http://www.vtu.ac.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
147	विजयनगर श्रीकृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, जनाना सागर कैम्पस, विनयका नगर, छावनी, बेल्लारी-583104 कर्नाटक	2010	http://www.vskub.org
केरल			
148	ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, सीईटी कैम्पस, तिरुअनंतपुरम-695016, केरल	2015	https://ktu.edu.in/
149	कालीकट यूनिवर्सिटी, त्रिषी पालारी, मालापुरम जिला कोझीकोड - 673635*	1968	http://www.universityofcalicut.info
150	कांचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, कोच्ची - 682022*	1971	http://www.cusat.ac.in
151	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर - 670562*	1997	http://www.kannuruniversity.ac.in
152	केरल कृषि विश्वविद्यालय, थिरुसूर - 680656*	1972	http://www.kau.edu
153	केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम - 695034*	1937	http://www.keralauniversity.ac.in
154	केरल यूनिवर्सिटी आफ फिशरीज एण्ड ओशन स्टडीज, पनागढ़, कोच्ची-682506 केरल	2011	http://www.kufos.ac.in
155	केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, थिरुसूर - 680596 केरल	2011	http://www.kuhs.ac.in
156	केरल यूनिवर्सिटी आफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंस, पोकोट लाकीदी पीओ, वायनाड, केरल	2011	http://www.kvasu.ac.in
157	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम - 686560 *	1983	http://www.mgu.ac.in
158	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज (एन.यू.ए.एल.एस.) कालोर, कोच्चि - 682017, केरल*	2009	http://www.nuals.ac.in
159	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी - 683574*	1994	http://www.ssus.ac.in
160	भुनछट एजुथावन मलयालम विश्वविद्यालय, मोहल विलास, पुकायिल, डाकघर तिरूर, जिला मल्लपुरम, केरल-676107	2013	http://www.malayamuniversity.edu.in
मध्य प्रदेश			
161	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा - 486003*	1968	http://www.apsurewa.nic.in
162	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, एम.पी. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर, कोलार मार्ग, भोपाल-462016 मध्य प्रदेश	2011	http://www.abvhv.org
163	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल - 462026*	1970	http://www.bubhopal.nic.in
164	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर - 452001*	1964	http://www.dauniv.ac.in
165	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ0 अम्बेडकर नगर, महाओ-453441, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश	2016	http://www.brauss.in
166	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर - 482004*	1964	http://www.jnkvv.nic.in
167	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर - 474011*	1964	http://www.jwaji.edu
168	मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, एनएससीबी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर, बेडाघाट रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश	2011	http://www.mpmsu.edu.in
169	महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर, मध्य प्रदेश	2014	http://www.mchhatrasaluniversity.com
170	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट - 485331, जिला सतना*	1993	http://www.mgcgvchitrakoot.com
171	एम.पी.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल - 462016*	1995	http://www.bhojvirtualuniversity.com
172	माखनलाल खजुरी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल - 462039	1993	http://www.mcu.ac.in
173	महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश-456010	2008	http://www.mpsvvuj_jain.org
174	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सिविल लाइन, जबलपुर-482001 मध्य प्रदेश	2009	http://www.mppcvv.org
175	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भादभादा रोड, बारकरी कलां, भोपाल*	1999	www.nliu.ac.in
176	राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, महादाजी चौक, अचलेश्वर मार्ग, ग्वालियर, 474009	2009	http://www.rmtmusicandartsuniversity.com
177	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल - 462036*	2004	http://www.rgtu.net
178	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर - 482001*	1957	http://www.rdunijbpin.org
179	राजमाता विजयराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय, मेला ग्राउंड के सामने, रैस कोर्स रोड ग्वालियर-474002	2009	http://www.rvskvv.nic.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
180	सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट-इंडिक स्टडीज, द्वितीय तल, इन्स्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एण्ड पॉलिसी एनालिसिस, भादमादा स्क्वेयर, भोपाल-462003, मध्य प्रदेश	2013	http://www.sanchiuniv.edu.in
181	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन - 456010*	1957	http://www.vikramuniversity.org
महाराष्ट्र			
182	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद - 431004*	1958	http://www.bamu.net
183	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लोनेरे - 402103*	1992	http://www.dbatu.ac.in
184	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला - 444104*	1969	http://www.pdkv.mah.nic.in
185	गोडवाना विश्वविद्यालय, एमआईडीसी रोड कॉम्प्लेक्स, गढचिरोली-422605	1994	http://www.gondwana.digitaluniversity.ac.in
186	कवि कुलगुरु कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर - 441106*	1997	http://www.sanskrituni.net
187	कौकण कृषि विद्यापीठ दपोली, जिला रत्नागिरि - 415712*	1972	http://www.dbskkv.org
188	महाराष्ट्र एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, सेगौनरी हिल्स, नागपुर-440006	2002	http://www.mafsu.in
189	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पोस्ट बाक्स 8338, देवनार, मुंबई-400088, महाराष्ट्र	2014	http://www.nlumumbai.edu.in
190	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक - 422013	2000	http://www.muhs.ac.in
191	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी - 413722*	1968	http://www.mpkv.mah.nic.in
192	मराठवाडा कृषि विश्वविद्यालय, परभानी - 431402*	1983	http://www.mkv2.mah.nic.in
193	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई - 400032*	1857	http://www.mu.ac.in
194	नर्मदा महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव - 425001 *	1991	http://www.nmu.ac.in
195	सावित्री माई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे-411007*	1949	http://www.unipune.ac.in
196	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती - 444602*	1983	http://www.sgbau.ac.in
197	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर - 416004*	1962	http://www.unishivaji.ac.in
198	श्रीमती नाथीबाई दमोदर थाकरसे महिला विश्वविद्यालय मुम्बई - 400020*	1951	http://www.sndt.digitaluniversity.ac
199	शोलापुर विश्वविद्यालय, शोलापुर पुणे रोड, केगांव, शोलापुर - 413255 *	2004	http://www.su.digitaluniversity.ac
200	रवामी रामानन्द तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय, नांदेड - 431606*	1995	http://www.srtmun.org
201	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक - 422222*	1990	http://www.ymou.digitaluniversity.ac
202	दि राष्ट्रसेवा तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर - 440001*	1923	http://www.nagpuruniversity.org
ओडीशा			
203	बेरहामपुर विश्वविद्यालय, बेरहामपुर - 760007*	1967	http://www.bamu.nic.in
204	बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला-769004	2003	http://www.bput.ac.in
205	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर - 596019*	1999	http://www.fmuniversity.nic.in
206	गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, फाटक, बुद्धिराजा, सम्मलपुर, ओडीशा-768004	2015	http://www.gmuniversity.ac.in
207	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गोथापरना, डाकघर (मालीपाडा) भुवनेश्वर-751003	2014	http://www.iiit.bh.ac.in
208	बेरहामपुर विश्वविद्यालय, बेरहामपुर, ओडीशा	2015	http://www.khallikotcollege.org
209	उत्तरी ओडीशा विश्वविद्यालय, बारीपेडा, जिला मयूरभंज - 757003*	1999	http://www.nou.nic.in
210	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पोस्ट बाक्स-28, कटक - 753001*	2008	http://www.nluo.ac.in
211	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर - 751003*	1962	http://www.ouat.ac.in
212	रमा देवी महिला विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडीशा	2015	http://www.rdwuniversity.nic.in
213	रावेनशाह विश्वविद्यालय, कटक - 753003*	2005	http://www.ravenshawuniversity.ac.in
214	सम्मलपुर विश्वविद्यालय, सम्मलपुर - 768019*	1967	http://www.suniv.ac.in
215	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी-752003*	1981	http://www.sjvs.nic.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
216	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर 751004*	1943	http://www.utkal-university.org
217	उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर - 751009	1999	http://www.uuc.ac.in
218	वीर सुरेन्द्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बुरला, जिला सम्बलपुर, ओडीशा-768018*	2009	http://www.vssut.ac.in
पंजाब			
219	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, जालंधर रोड, फरीदकोट - 151203*	2002	http://www.bfhu.ac.in
220	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर - 143005*	1969	http://www.gndu.ac.in
221	गुरु अंगददेव बैदिकेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना - 141004*	2005	http://www.gadvasu.in
222	गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधमल, होशियारपुर, पंजाब-146001	2010	http://www.graupunjab.org
223	महाराज रणजीत सिंह राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय, डबवाली रोड, मटिडा-151001, पंजाब	2015	http://www.mrsptu.ac.in
224	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना - 141004*	1962	http://www.pau.edu
225	द आई0 के0 गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जालंधर - 141011	1998	http://www.ptu.ac.in
226	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला-147002*	1962	http://www.punjabuniversity.org
227	द राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला - 147001*	2006	http://www.rgnul.ac.in
राजस्थान			
228	डॉ० भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, 89, रॉयल हाऊस, खवासजीकाबाग, दुर्गापुर, टॉक रोड, जयपुर-302018	2012	http://www.babasaheb.university.nic.in
229	गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, श्री गोविंद गुरु शासकीय महाविद्यालय परिसर, बीसवाडा-327001	2012	http://www.ggту.ac.in
230	हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंपर्क विश्वविद्यालय, सूचना केन्द्र संकुल, सवाई राम सिंह मार्ग, जयपुर-302004, राजस्थान	2012	http://www.hju.ac.in
231	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर - 342011*	1962	http://www.jnvu.edu.in
232	जगद्गुरु रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, 2-2ए, झालना डोंवरी, जयपुर (राजस्थान)*	1998	http://www.jrsanskrituniversity.ac.in
233	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा - 324010 *	1987	http://www.vmu.ac.in
234	महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर - 313001	2000	http://www.mpuat.ac.in
235	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर - 305009*	1987	http://www.mdsuajmer.com
236	महाराजा सूरजमलब्रिज विश्वविद्यालय, एम0एस0जे0 महाविद्यालय भवन, भरतपुर-321001	2012	http://www.brijuniversity.ac.in
237	मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर - 313001*	1962	http://www.mlsu.ac.in
238	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर - 342004*	2004	http://www.nlujodhpur.ac.in
239	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर - 334006*	1987	http://www.raubikaner.org
240	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	2004	http://www.raujodhpur.org
241	सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान-342304	2012	http://www.policeuniversity.ac.in
242	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर - 302004*	1947	http://www.uniraj.ernet.in
243	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बी-1, साबाई मानसिंह रोड, (एसएमएस अस्पताल के सामने) जयपुर*	2005	http://www.ruhsraj.org
244	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंसेज, बीकानेर, राजस्थान	2010	http://www.rajuvas.org
245	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैतलनगर रोड, बीकानेर, राजस्थान*	2003	http://www.mgsubikaner.ac.in
246	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, अखेलगढ़, रावतभाटा रोड, कोटा 324010	2006	http://www.rtu.ac.in
247	राजर्षि भूतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, महिला छात्रावास भवन, बाबू शोभराम शासकीय कला महाविद्यालय परिसर, अलवर, राजस्थान	2012	http://www.rbmuniv.ac.in
248	शेखावती विश्वविद्यालय, श्रीकल्याण शासकीय महाविद्यालय की पीछे, सीकर-332001,	2012	http://www.shekhauni.ac.in
249	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)*	2003	http://www.uok.ac.in
तमिलनाडु			
250	अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलगप्पा नगर, कराईकुडी - 630003*	1985	http://www.alagappauniversity.ac.in

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
251	अन्ना विश्वविद्यालय, गुडई, चेन्नई - 600025*	1978	http://www.annauniv.edu
252	अन्ना मलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर - 608002*	1929	http://www.annamalaiuniversity.ac.in
253	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर - 641046*	1982	http://www.b-u.ac.in
254	भारथीदासन विश्वविद्यालय, त्रिचुरापल्ली - 620024*	1982	http://www.bdu.ac.in
255	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई - 600005*	1857	http://www.unom.ac.in
256	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई - 625021*	1965	http://www.mkuniversity.org
257	मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेल्ली - 627012*	1992	http://www.msuniv.ac.in
258	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल - 624102*	1984	http://www.motherteresa.womenuniv.org
259	पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम - 636010*	1998	http://www.periyaruniversity.ac.in
260	तमिल विश्वविद्यालय, थंजावुर - 636010*	1981	http://www.tamiluniversity.ac.in
261	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर - 641003*	1971	http://www.tnau.ac.in
262	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, नं० 577, अन्ना सलाई, साईदापेट, चेन्नई-600015*	2004	http://www.tnou.ac.in
263	तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई - 600028*	1998	http://www.tndalu.ac.in
264	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी अन्ना सलाई, चेन्नई - 600032*	1989	http://www.tnmgrmu.ac.in
265	तमिलनाडु मदिरसियी विश्वविद्यालय, प्रथम लाईनबीच रोड, नागापट्टनम-611001	2012	http://www.tnfu.org.in
266	तमिलनाडु नेशनल लॉ स्कूल, नवालूर, कुट्टापट्ट, श्रीरंगम तालुक, त्रिचुरापल्ली-620009, तमिलनाडु	2012	http://www.tnnls.ac.in
267	तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आठवां तल, ईवीए सम्पत, मालीगई, कॉलेज रोड, चेन्नई	2005	http://www.tnpesu.org
268	तमिलनाडु संगीत तथा ललित कला विश्वविद्यालय, डॉ० डी०जी०एस० दिनाकरन सलाई, चेन्नई-600028	2013	http://www.tnmfau.in
269	तमिलनाडु वेदिरनेरी एण्ड एनीमल साईंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई - 600051*	1990	http://www.tanuv.ac.in
270	थिरुवत्तूर विश्वविद्यालय, सैरकाडू, वेल्तोर - 632115*	2003	http://www.tvuni.in
271	तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी, कामराजर सलाई, चेन्नई - 600005	2008	http://www.tnteu.in
तेलंगाना			
272	आचार्य एन०जी० रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500030*	1964	http://www.angrau.net
273	डॉ० बी०आर० अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033*	1982	http://www.braou.ac.in
274	जवाहर लाल नेहरू वास्तुकला तथा ललित कला विश्वविद्यालय, महावीर मार्ग, मसाब टैंक, हैदराबाद-500028	2008	http://www.jnafau.ac.in
275	जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलॉजीकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद-500085*	1972	http://www.jntuh.ac.in
276	काकतीय विश्वविद्यालय, वारंगल - 506009*	1976	http://www.kakatiya.ac.in
277	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, येलारेड्डीयूगुडेम, नलगोण्डा - 508254*	2008	http://www.mguniversity.ac.in
278	नालसार कला, विधि और न्याय विश्वविद्यालय, शम्भुपेट, आर०आर जिला, हैदराबाद-500101*	1999	http://www.nalsar.ac.in
279	निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500082	1989	http://www.nims.ap.nic.in
280	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद - 500007*	1918	http://www.osmania.ac.in
281	पालामुरु विश्वविद्यालय, अयप्पा कॉम्प्लेक्स, पुलिस मुख्यालय के सामने, महबूब नगर - 509001 आन्ध्र प्रदेश*	2008	http://www.palamuruuniversity.ac.in
282	पोट्टी श्रीरामुलू तेलगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500004*	1985	http://www.teluguuniversity.ac.in
283	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030,	2014	http://www.pjtsau.ac.in
284	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नालेज टेक्नोलॉजी, हैदराबाद	2011	http://www.rgukt.in
285	सतवाहान विश्वविद्यालय, मलकापुर रोड, चिंताकुता, ज्योतिनगर, करीमनगर-505001	2008	http://www.satavahana.ac.in
286	श्रीकोण्डा लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030	2014	http://www.skitshu.ac.in
287	तेलंगाना विश्वविद्यालय, निजामाबाद - 503022*	2006	http://www.telanganauniversity.ac.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
त्रिपुरा			
288	महाराजा बीर विक्रम विश्वविद्यालय, अगरतला, त्रिपुरा	2015	http://www.mbbuniversity.ac.in
उत्तर प्रदेश			
289	इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, सीपीआई परिसर, सिविल लाइंस, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	2016	http://www.allstateuniversity.org
290	बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी - 284128*	1975	http://www.bujhansi.org
291	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर - 208002*	1974	http://www.csauk.ac.in
292	छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर - 208024*	1965	http://www.kanpuruniversity.org
293	चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ - 280005*	1965	http://www.ccsuniversity.org
294	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर - 273009*	1957	http://www.ddugu.edu.in
295	डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद - 224001*	1975	http://www.rmlau.ac.in
296	डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेक्टर - डी-1, एल.डी. 'ए', कानपुर रोड स्कैम, लखनऊ 226012*	2005	http://www.rmlnl.ac.in
297	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा - 282004*	1927	http://www.dbrau.com
298	गीतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, जिला - गीतमबुद्ध नगर, उ.प्र. - 201308	2002	http://www.gbu.ac.in
299	हारकोट बटलर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, कानपुर-208002, उत्तर प्रदेश	2016	http://www.hbtu.ac.in
300	खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, 619, इंदिरा मवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	2010	http://www.uafulucknow.ac.in
301	किंग जार्ज आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ - 226003*	2004	http://www.kgmcindia.edu
302	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ - 226007*	1921	http://www.lucknowuniv.org
303	मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273010	2013	http://www.mmmut.ac.in
304	एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली - 243008*	1975	http://www.mjpru.ac.in
305	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-221002*	1974	http://www.mgkvp.ac.in
306	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद - 224229*	1974	http://www.nduat.ernet.in
307	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी - 221002*	1958	http://www.ssvv.up.nic.in
308	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ-250110	2004	http://www.svbpmeeerut.ac.in
309	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ नगर-272202	2015	http://www.sidunikapilvastu.edu.in
310	यू.पी. किंग जार्ज दंत चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ - 226003	2004	
311	उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा, उत्तर प्रदेश	2001	http://www.upvetuniv.edu.in
312	यू.पी. राजश्री टॉनक मुक्त विश्वविद्यालय, 17, महर्षि दयानन्द मार्ग, (थार्नहिल रोड) इलाहाबाद - 211001	2004	http://www.uprtou.ac.in
313	उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, सीतापुर रोड, लखनऊ - 226021	2001	http://www.uptu.ac.in
314	उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉ० शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, मोहन रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017*	2008	http://www.dsmru.up.nic.in
315	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर - 222002*	1987	http://www.vbspu.ac.in
उत्तराखण्ड			
316	दून विश्वविद्यालय, मोथरावाला रोड, कंदारपुर, देहरादून 248001*	2005	http://www.doonuniversity.ac.in
317	जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, पतनगर - 263145*	1960	http://www.gbpuat.ac.in
318	हेमवती नन्दन बहुगुणा आयुर्विज्ञान शिक्षा विश्वविद्यालय, 124, गंगा बिहार, रोडवेज कार्यशाला के सामने, हरिद्वार रोड, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड	2014	http://www.hnbumu.ac.in
319	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल - 263001*	1973	http://www.kuntl.in
320	श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बडशाहीथोल, टीहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249199	2011	http://www.sdsuv.ac.in
321	उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय, जगत सिंह बिष्ट राजकीय होटल प्रबंधन तथा खान-पान संस्थान परिसर, चिल्कापिटा, खटियाडी, अल्मोडा-263601	2016	
322	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, 7-ए, प्लेजेन्ट वेली, राजपुर रोड, देहरादून-248009, उत्तराखण्ड	2009	http://www.uau.ac.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
323	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार- 249401 (उत्तरांचल)	2005	http://www.usvv.org
324	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, ए-12, सरस्वती विहार, लोबर अघोवाला, पोस्ट-धालानवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड		http://www.uktech.ac.in
325	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर के निकट, तीनपानी बाई पास रोड, पोस्ट-औद्योगिक एस्टेट, हल्द्वानी-263139 (नैनीताल), उत्तराखण्ड (राज्य विश्वविद्यालय)	2005	http://www.uou.ac.in
326	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, मरसार, पौडी गढ़वाल-246123	2011	http://www.uuhf.ac.in
पश्चिम बंगाल			
327	आलिया विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700091	2007	http://www.aliah.ac.in
328	बांकुरा विश्वविद्यालय, पुआबागन कैम्प कार्यालय, डाकघर बागबंद, जिला, बांकुरा-722146	2014	http://www.bankurauniv.ac.in
329	बिधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नाडिया - 741252*	1974	http://www.bckv.edu.in
330	वर्द्धमान विश्वविद्यालय, राजबाटी, वर्द्धमान - 713104*	1960	http://www.buruniv.ac.in
331	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता - 700073*	1857	http://www.caluniv.ac.in
332	कूच बिहार पंचानन बर्मा विश्वविद्यालय, विवेकानन्द रोड, कूच बिहार-736101		http://www.cbpbu.ac.in
333	डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय, केयर ऑफ फकीर चंद, डायमंड हार्बर, दक्षिण चौबीस परगना, पश्चिम बंगाल-700032	2013	http://www.dheou.ac.in
334	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता-700032.*	1955	http://www.jadavpur.edu
335	गौर बंग विश्वविद्यालय, रविन्द्र एवेन्यू, मालदा कॉलेज परिसर, पोस्ट बॉक्स. एवं जिला - मालदा - 732101*	2007	http://www.ugb.ac.in
336	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी - 741235*	1960	http://www.klyuniv.ac.in
337	काजी नजरूल विश्वविद्यालय, पुराना एन्टीडीए कार्यालय भवन (आसनसोल बालिका महाविद्यालय के पीछे), डाकघर-आसनसोल-713304, जिला बुर्दवान, पश्चिम बंगाल	2012	http://www.knuedu.in
338	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजा राम मोहनपुर, दार्जिलिंग - 734430*	1962	http://www.nbu.ac.in
339	नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता - 700020	1997	http://www.wbnsou.ac.in
340	प्रेजीडेंसी विश्वविद्यालय, 86/1 कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता - 700073*	2010	http://www.presiuniv.ac.in
341	रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता - 700050*	1962	http://www.rbu.ac.in
342	रायगंज विश्वविद्यालय, पीओ-रायगंज, जिला उत्तरी दिंजापुर-733134	2015	http://www.raiganjuniversity.ac.in
343	सिद्धो कान्हो बिरसा विश्वविद्यालय, 10ए, ब्लॉक-एलए, प्रशासनिक भवन, रांची रोड परिसर, सैनिक विद्यालय के निकट, पुरुलिया-723104*	2010	http://www.skbu.ac.in
344	संस्कृत महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, बंकिम चंद्र चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता-700073	-----	http://www.sanskritcollegeanduniversity.org.in
345	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस, एनयूजेएस भवन, 12 एलबी ब्लॉक, सेक्टर-3, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता*	2004	http://www.nujs.edu
346	द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डीडी-36, सेक्टर-1, साल्ट लेक, कोलकाता - 700064	2002	http://www.wbuh.ac.in
347	पश्चिम बंगाल अध्यापक प्रशिक्षण और शिक्षा आयोजना और प्रशासन, 25/2 और 25/3, बेलीगंज सर्कुलर रोड, कोलकाता-700019	2015	http://www.wbuttepa.ac.in
348	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, जिला - कूच बिहार - 736165	2015	http://www.ubkv.ac.in
349	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर - 721102*	2001	http://www.vidyasagar.ac.in
350	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनीमल एंड फिशरीज साइंसेज, बेलगाचिया, कोलकाता-700037	1981	http://www.wbuaafcl.ac.in
351	वेस्ट बंगाल तकनीकी विश्वविद्यालय, बीएफ-142, साल्ट लेक, कोलकाता - 700091*	1995	http://www.wbut.net
352	वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, बारासात गर्वनमेंट कॉलेज एनेक्सी बिल्डिंग, 10 के0एन0सी0 रोड, कोलकाता-700124*	2001	http://www.wbsubregistration.org
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली			
353	भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लोथियान रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली - 110006*	2007	http://www.aud.ac.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
354	दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, डीआईपीएसएस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-3, बुध विहार, नई दिल्ली	2010	http://www.dpsru.edu.in
355	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, शाहबाद दौलतपुर, बवाना रोड, दिल्ली*	2009	http://www.dce.edu
356	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, सेक्टर-10सी, द्वारका, दिल्ली-110078*	1998	http://www.ipu.ac.in
357	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006	2013	http://www.igdtuw.ac.in
358	इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास ओखला औद्योगिक एस्टेट चरण-III, नई दिल्ली - 110020*	2008	http://www.iiitd.ac.in
359	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेक्टर-14, द्वारका, नई दिल्ली *	2008	http://www.nludelhi.ac.in
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र चण्डीगढ़			
360	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ - 160014*	1947	http://www.puchd.ac.in

तालिका 2.1(ड)(iii)दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार राज्य निजी विश्वविद्यालय (*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालय)

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
अरुणाचल प्रदेश			
1	एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पासीघाट, जिला ईस्ट सियांग, अरुणाचल प्रदेश-781102	10.05.2013	http://www.apexuniversity.ac.in
2	अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, एनएच-52, नामसाई, जिला नामसाई-792103, अरुणाचल प्रदेश	26.05.2012	http://www.arunachaluniversity.ac.in
3	अरुणोदय विश्वविद्यालय, ई-सेक्टर, निरजुली, ईटानगर, जिला-नामसाई-791109, अरुणाचल प्रदेश	21.10.2014	http://www.arunodayauniversity.ac.in
4	हिमालयन यूनिवर्सिटी, 401, टकर काम्प्लेक्स, नाहरलगुन, इटानगर, जिला-पापुमपारे-791110, अरुणाचल प्रदेश	03.05.2013	http://www.himalayanuniversity.com
5	नार्थ ईस्ट कंटीनर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सिबु-पियुयी, आलो (पीओ), पश्चिम सियांग(जिला), अरुणाचल प्रदेश-791001	03.09.2014	http://www.neftu.edu.in
6	द इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजी एण्ड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, जीरो, अरुणाचल प्रदेश	26.05.2012	http://www.indiragandhiuniversity.in
7	वेंकटेश्वर मुक्त विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	20.06.2012	http://www.vou.ac.in
असम			
8	असम डॉन बोस्को यूनिवर्सिटी, अजारा, गुवाहाटी-781017	12.02.2009	http://www.dbuniversity.ac.in
9	असम डॉउन टाउन यूनिवर्सिटी, शंकर महादेव पथ, गांधी नगर, पानीखेती, गुवाहाटी - 781036	29.04.2010	http://www.adtu.in
10	महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय, श्रीमंत, श्रीमंत शंकरदेव संघ काम्प्लेक्स, हलधर भायुन पथ, कालोपार, नौगांव-782001, असम	14.08.2013	http://www.mssv.co.in
11	द असम काजीरंगा यूनिवर्सिटी, जोरहाट, असम-785006	11.04.2012	http://www.kazirangauniversity.in
12	असम रायल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बेटकुची, तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने, रा0रा0-37, गुवाहाटी-781035, असम	23.08.2013	http://www.rgu.ac.in
छत्तीसगढ़			
13	एमिटी यूनिवर्सिटी, ग्राम मंथ, तहसील-तिलदा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़	21.08.2014	http://www.amity.edu/raipur/
14	डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कारगी रोड, कोटा, बिलासपुर-495001	03.11.2006	http://www.cvr.ac.in
15	आईसीएफआई विश्वविद्यालय, रा0रा0-6, रायपुर-मिसाई रोड, ग्राम-छोरहा, आरआई सर्कल, अहीवारा, धामघा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़	24.03.2011	http://www.iuraipur.edu.in
16	आई एस बी एम विश्वविद्यालय, ग्राम नावापाडा (कोसभी) ब्लॉक, तहसील-घुडा, जिला गरियाईबंद-493996, छत्तीसगढ़	09.09.2016	http://www.isbmuniversity.edu.in
17	आईटीएम विश्वविद्यालय, पीएच नं. 137, उपावाडा, नया रायपुर, जिला रायपुर-493661, छत्तीसगढ़	03.02.2012	http://www.itmuniversity.org
18	कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	24.03.2011	http://www.kalingauniversity.org
19	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, पोस्ट मंगला, बिलासपुर - 495001	18.04.2002	http://www.mumt.com

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
20	मैट्स (एम.ए.टी.एस.) विश्वविद्यालय, अरंग खारोरा हाइवे, ग्राम पंचायत, गुल्लू, ग्राम - गुल्लू, तहसील - अरंग, जिला - रायपुर	03.11.2006	http://www.matsuniversity.ac.in
21	ओपीओ जिन्दल यूनिवर्सिटी, नालेज पार्क, घरान्दा रोड, पुन्जीपाथरा, रायगढ़-496001, गुजरात	21.08.2014	http://www.opju.ac.in
22	अहमदाबाद विश्वविद्यालय,ईईएस बंगलो नम्बर - 2, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380009	07-07-2009	http://www.ahduni.edu.in
23	अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी, शकरधाम कैम्पस, भोपाल घुमा-संसद रोड, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात-382115	09.05.2016	http://www.anu.edu.in
24	एयूआरओ यूनिवर्सिटी ऑफ हास्पिटैलिटी एण्ड मैनेजमेंट, सूरत, गुजरात-394510	12.10.2011	http://www.aaroundiversity.edu.in
25	कलारेक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद-382481	07.07.2009	http://www.ctu.calorx.org
26	सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एण्ड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009	12.04.2015	http://www.cept.ac.in
27	चरोत्तर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, छगा - 388421, जिला-आनन्द	04.11.2009	http://www.charusat.ac.in
28	सी०यू० शाह विश्वविद्यालय, सुरेन्द्रनगर-अहमदाबाद राज्य राजमार्ग, कोथारिया गांव के निकट, वधावन सिटी-363030, जिला सुरेन्द्रनगर, गुजरात	22.04.2013	http://www.cushahuniversity.ac.in
29	धीरुभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी, गांधीनगर, पोस्ट बॉक्स नं. 4, गांधी नगर-382007	06.03.2003	http://www.daiict.ac.in
30	गणपत विश्वविद्यालय, गणपत विद्यानगर, मेहसाणा, गोजारिया हाइवे, जिला मेहसाणा - 382711	23.03.2005	http://www.ganpatuniversity.ac.in
31	जी०एल०एस० विश्वविद्यालय, गुजरात लॉ सोसायटी कैम्पस, लॉ गार्डन के सामने, एलीसब्रिज, अहमदाबाद-380006	15.04.2015	http://www.glsuniversity.ac.in
32	जी०एस०एफ०सी० यूनिवर्सिटी, विज्ञान भवन, डाकघर फर्टीलाइजरनगर-391750, जिला वडोदरा, गुजरात	19.12.2014	http://www.gsfcuni.edu.in
33	इन्डस विश्वविद्यालय, इन्डस कैम्पस, रणचारदा, बाय-थालटेज, अहमदाबाद-382115 गुजरात	02.05.2012	http://www.iiuedu.in
34	इंफिगम इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ- गांधीनगर, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एण्ड सोशल रिसर्च कैम्पस, ड्राइव-इन-रोड, थालतेज, अहमदाबाद-380054	02.05.2015	http://www.iiphg.edu.in
35	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च, इंस्टीट्यूशनल एरिया, खोबा, गांधीनगर-382007	12.10.2011	http://www.iar.ac.in
36	आईटीएम-वोकेशनल यूनिवर्सिटी, प्लॉट 8512, अजवा निमेता रोड, रावाल तालुका, वाघोडिया, वडोदरा, गुजरात	08.05.2014	http://www.itm.ac.in
37	कादी सर्वा विश्वविद्यालय, सर्वा विद्यालय कैम्पस, सैक्टर 15/23, गांधीनगर-382015	16.05.2007	http://www.ksvuniversity.org.in
38	लाकुलिश योग विश्वविद्यालय, "लोटस व्यू" निरमा विश्वविद्यालय के सामने, एस०जी० राजमार्ग, छारोडी, अहमदाबाद-382481	16.04.2013	http://www.lyu.ac.in
39	मारवाडी यूनिवर्सिटी राजकोट-भोरबी राजमार्ग, राजकोट-380003	09.05.2016	http://www.marwadiuniversity.ac.in
40	नवरचना विश्वविद्यालय, वसना-भयली रोड, वडोदरा-391410	07.07.2009	http://www.nuv.ac.in
41	निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, सरखेज, गांधीनगर हाइवे, ग्राम छोरीडी, अहमदाबाद-382481	12.3.2003	http://www.nirmauni.ac.in
42	प. दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, रायसैन, जिला गांधीनगर - 382009	04.04.2007	http://www.pdpu.ac.in
43	पारुल विश्वविद्यालय, डाकघर लिम्बा, ताल्लुक-वाघोडिया, जिला वडोदरा-391760	21.04.2015	http://www.paruluniversity.ac.in
44	प्लास्टइंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, झुंभरा, जीआईसीसी, वापी जिला, वल्साड-396195	09-05-2016	http://www.plastindia.edu.in
45	आर.के. यूनिवर्सिटी, राजकोट-सावनगर हाइवे, कस्तूरबाधाम, राजकोट, गुजरात-360020	14.10.2011	http://www.rku.ac.in
46	राय विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात-382260	02.05.2009	http://www.raioniversity.edu
47	सकलचंद पटेल विश्वविद्यालय, सकलचंद पटेल विद्याधाम, वीसा नगर-384315	09.05.2016	http://www.spceung.ac.in
48	टीम लीज स्किल यूनिवर्सिटी, तारसाली बाईपास, वडोदरा-390009	22.04.2013	http://www.teamleaseuniversity.org

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
49	यूकेए तारुसाडिया विश्वविद्यालय, मालिबा कैम्पस, गोपाल विद्यानगर, बारोली-महुआ रोड, जिला-सूरत, गुजरात-394350	14.10.2011	http://www.utu.ac.in
	हरियाणा		
50	अल-फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद, हरियाणा	02.05.2014	http://www.alfalahuniversity.edu.in
51	एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी एजुकेशन वैली, पंचगांव, मानेसर, जिला गुडगाँव-122413, हरियाणा	26.04.2010	http://www.amity.edu/gurgaon
52	अंसल विश्वविद्यालय, गुडगाँव, हरियाणा	10.02.2012	http://www.ansaluniversity.edu.in
53	एपीजे स्टॉय यूनिवर्सिटी, पलवल रोड, सोहना, गुडगाँव - 122103, हरियाणा	02.11.2010	http://www.university.apeejay.edu.in
54	अशोक विश्वविद्यालय, प्लॉट नम्बर. 2, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, कुण्डली, रा0रा080, सोनीपत, हरियाणा-131028	02.05.2014	http://www.ashokaka.edu.in
55	बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा-124021	10.02.2012	http://www.babamastnathuniversity.com
56	बीएमएल मुजाल यूनिवर्सिटी, 67वां किलोमीटर स्टोन, रा0रा0-8, सिधरावली, जिला गुडगाँव-123413, हरियाणा	02.05.2014	http://www.bml.edu.in
57	जी0डी0 गोएनका विश्वविद्यालय, जी0डी0 गोएनका एजुकेशन सिटी, गुडगाँव सोहना रोड, गुडगाँव, हरियाणा-122103	03.05.2013	http://www.gdgoenkauniversity.com
58	द नार्थकैप यूनिवर्सिटी, हुडा सैक्टर 23ए, गुडगाँव-122107, हरियाणा	21.10.2009	http://www.itmindia.edu
59	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, राज्य राजमार्ग संख्या 22, बहादुरगढ़, - झझर रोड, झझर - 124507, हरियाणा	03.05.2013	http://www.jagannathuniversityncr.ac.in
60	के0आर0 मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुडगाँव, हरियाणा-122103	03.05.2013	http://www.krmangalam.edu.in
61	मानव रचना विश्वविद्यालय, सैक्टर-43, दिल्ली कूरजकुण्ड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा	06.08.2014	http://www.manavrachanaedu.in
62	एम0एन0वी0 विश्वविद्यालय, पलवल, हरियाणा-121105	10.02.2012	http://www.mvn.edu.in
63	महर्षि मारकण्डेयार विश्वविद्यालय, सादोपुर, जिला अम्बाला, हरियाणा-134007	29.10.2010	http://www.mmmumullana.org
64	एनआईएलएम विश्वविद्यालय, 9कि0मी0 मार्शलस्टोन, रा0रा0-65, कैथल-136027, हरियाणा	27.09.2011	http://www.niilmuniversity.in
65	ओ0पी0 जिन्दल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत-131001	10.11.2006	http://www.jgu.edu.in
66	पी0डी0एम0 विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स 15, सैक्टर-3ए, सराय औरगाबाद, बहादुरगढ़-124507	14.01.2016	http://www.pdm.ac.in
67	श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्रस्टिनेटरी यूनिवर्सिटी, फारुखनगर रोड, बुढेडा, जिला गुरुग्राम, हरियाणा	03.05.2013	http://www.sgtuniversity.org
68	एसआरएम विश्वविद्यालय, प्लॉट संख्या 39, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, दिल्ली-एनसीआर, सोनीपत-कुडली अर्बन काम्पलेक्स, हरियाणा- 131029	03.05.2013	http://www.srmuniveristy.ac.in
	हिमाचल प्रदेश		
69	अभिलाष विश्वविद्यालय, दैलचीक(घासीट), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश	23.01.2015	http://www.abhilashiuniversity.in
70	एपीजी (अलख प्रकाश गोयल) विश्वविद्यालय, ग्राम पुजारली, शोधी मेहली बायपास रोड, पथाघाटी के निकट, शिमला-171009	07.06.2012	http://www.apg.edu.in
71	अरनी विश्वविद्यालय, काठगढ़, तहसील इंदोरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176401	03.11.2009	http://www.arni.in
72	बददी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मखनुमाजरा, बददी, जिला - सोलन, हिमाचल प्रदेश-173205	15.10.2009	http://www.baddiuniv.ac.in
73	बरहा विश्वविद्यालय, वीपीओ - वाकनाघाट, तहसील - कांडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश-173215	21.01.2011	http://www.bahrauniversity.edu.in
74	कैरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी, हनीरपुर, हिमाचल प्रदेश-176041	03.05.2012	http://www.cpuniverse.in
75	चितकारा विश्वविद्यालय, एचआईएचयूडीए एजुकेशन हब, कल्लूझण्डा (बरोतीवाला), जिला सोलन - 174103	21.01.2009	http://www.chitkara.edu.in
76	एटरनल विश्वविद्यालय, बारू साहिब, जिला सिरमौर-173101, हिमाचल प्रदेश	22.10.2009	http://www.eternaluniversity.edu.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
77	आईसी (इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी, प्लॉट 7 और 10, अटल शिक्षा कुंज, बददी, सोलन, हिमाचल प्रदेश-174103	11.05.2012	http://www.iecuniversity.com
78	आईसीएफआई, यूनिवर्सिटी, एचआईएमयूडीए एजुकेशन हब, कालूजिहिन्दा, पीओ मंघाला, वाया बारोतीवाला, बददी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश-174103	20.10.2011	http://www.iuhimachal.edu.in
79	इन्डस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वी.पी.ओ. बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश- 174301	01.02.2010	http://www.iiuedu.in
80	जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ़ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, जिला सोलन - 173234	22.05.2002	http://www.juit.ac.in
81	महर्षि मरकण्डेश्वर यूनिवर्सिटी, कुमारहाटी, सुल्तानपुर रोड, सोलन - 173229, हिमाचल प्रदेश	19.09.2010	http://www.mmusolan.org
82	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, अटल शिक्षा कुंज, जिला सोलन - 174103, हिमाचल प्रदेश	15.01.2013	http://www.mau.ac.in
83	मानव भारती विश्वविद्यालय, लाडो, सुलतानपुर, कुमारहट्टी, सोलन-173229	22.09.2009	http://www.manavbhartiuniversity.edu.in
84	शूलिनी विश्वविद्यालय जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान, सोलन, हिमाचल प्रदेश	15.10.2009	http://www.shooliniuniversity.com
85	श्री साई विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश	27.01.2011	http://www.srisaiuniversity.org
झारखण्ड			
86	एमिटी यूनिवर्सिटी, रांची शहर परिसर निबरानपुर मुख्य सड़क, रांची झारखंड	13.05.2016	http://www.amity.edu.in
87	आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, मटवारी चौक, गांधी मैदान के सामने, हजारीबाग, झारखंड	13.05.2016	http://www.aiselectuniversity.ac.in
88	झारखण्ड राय विश्वविद्यालय, कामरे, रातू रोड, रांची-835222	02.02.2012	http://www.jru.edu.in
89	प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बोरातू रोड, बूटी मोर, डाकघर-आरएमसीएच, रांची-834009, झारखंड	16.05.2016	http://www.pragyanuniversity.edu.in
90	साई नाथ विश्वविद्यालय, रांची, झारखण्ड	27.04.2012	http://www.sainathuniversity.com
91	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ग्रांड एमरेल्ड बिल्डिंग, मार्ग संख्या 1 और 2 के बीच में, अशोक नगर, रांची-834202, झारखण्ड	17.06.2008	http://www.iujharkhand.edu.in
92	उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, 12 मील, रांची खुंटी रोड, रा0रा10-95, रांची-835221	20.01.2014	http://www.ushamartinuniversity.com
कर्नाटक			
93	अलैयन्स यूनिवर्सिटी, बंगलूरु, (कर्नाटक)	16.09.2010	http://www.alliance.edu.in
94	अजीम प्रेमजी, यूनिवर्सिटी, 134, दोधकनेली, विप्रो कारपोरेट ऑफिस के बाद, सर्जपुर रोड, बंगलूरु, कर्नाटक	13.10.2010	http://www.azimpremjuniuniversity.edu.in
95	सीएमआर विश्वविद्यालय, 2-अर्बा, 'सी' छठा मेन रोड, द्वितीय ब्लॉक, बीआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बंगलूरु-560043	16.05.2013	http://www.cmr.edu.in
96	दयानंद सागर विश्वविद्यालय, देवराखागल्ली ग्राम, हरोहल्लाहोबली, कनकपुरा तालुक, रामनगर जिला, कर्नाटक	16.05.2014	http://www.dayanandsagar.edu.in
97	इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रांस-डिसीप्लिनरी, हैल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 74 / 2, जाकरबंद कावल, येलाहांका, वाया अदूर पोस्ट, बंगलूरु-560064, कर्नाटक	26.06.2013	http://www.tdu.in
98	केएलई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वीएवी भूमारडी कॉलेज गैम्पस, विधानगर, हुबली-580031	04.04.2015	http://www.kletech.ac.in
99	एमएसए रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंस, प्रशासनिक ब्लॉक, नई बेल रोड, एमएसआरआईटी पोस्ट, बंगलूरु-560054	09.07.2013	http://www.msruas.ac.in
100	पीईएस यूनिवर्सिटी, सी फीट रिंग रोड, बोएसके III स्टेज, बंगलूरु-560085	16.05.2013	http://www.pes.edu
101	प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय (कर्नाटक), डिम्पुर एवं ईगलपुर ग्राम, हैसाराघाट होबली, बंगलूरु (कर्नाटक)	16.05.2013	http://www.presidencyuniversity.in
101	राय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, दोडाबालापुर नेलमगलला रोड, एसएच -74, ऑफ हाईवे 207, दोडाबादलापुर तालुक, बंगलूरु-561204	09.07.2013	http://www.raitechnologyuniversity.in
102	रीवा विश्वविद्यालय, कट्टीगेनहाल्ली, येलहानका, बंगलूरु-560064	16.05.2013	http://www.reva.edu.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
103	श्रीनिवास यूनिवर्सिटी, श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कॉलेज कैम्पस, श्रीनिवास नगर, मुका, सुरथाकल, मंगलोर-574146	20.02.2015	
	मेघालय		
105	सीएमजे यूनिवर्सिटी, शिलांग (मेघालय)	20.07.2009	http://www.cmjuniversity.edu.in
106	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, पीओ अराइमाइल, मेन्दकोलब्रे, तुरा, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय	04.01.2011	http://www.mgu.edu.in
107	मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, के.आई.पी.ए. काफ्रेस सेंटर, सेन्ट्रल वार्ड, शिलांग - 793001	13.07.2005	http://www.mlcuniv.in
108	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिलांग पॉलीटेक्निक कैम्पस, मावली, शिलांग-793 022	02.12.2008	http://www.technoglobaluniversity.org
109	द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, झांकानेरे, झाकघर अराईमीले, तुरा, पश्चिम गारो हिल्स-794101	04.11.2009	http://www.iuemeghalaya.edu.in
110	यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मेघालय-793101	02.12.2008	http://www.ustm.ac.in
111	यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेनेजमेंट, शिलांग, मेघालय-793003	27.05.2011	http://www.utm.ac.in
112	विलियम कैरे विश्वविद्यालय, जोराम विला, बोम्पलाइड रोड, शिलांग-793001	13.07.2005	http://www.wcu.co.in
	मिजोरम		
113	द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, दूरतलांग नार्थ, आइजॉल - 796025	21.03.2006	http://www.iuizoram.edu.in
	मध्य प्रदेश		
114	ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश-485001	31.12.2011	http://www.aksuniversity.ac.in
115	एआईएसईसीटी विश्वविद्यालय, भोपाल - चिकलोड रोड, नियर बंगरसिया चौराहा, भोपाल, मध्य प्रदेश	30.12.2010	http://www.aisectionuniversity.ac.in
116	एमिटी विश्वविद्यालय, महाराजपुर डांग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474005	30.12.2010	http://www.amity.edu/gwalior
117	डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर-देवास बायपास रोड, ग्राम अरानिडया, झाकघर झालारिया, मध्य प्रदेश-452016	04-01-2016	http://www.aud.ac.in
118	जी एस रायसोनी यूनिवर्सिटी, ग्राम साईखेडा, डोडा-बोरागांव, तहसील-सोनसार, जिला छिंदवाडा, मध्य प्रदेश	27.08.2016	http://www.ghru.edu.in
119	आईटीएम विश्वविद्यालय, आईटीएम कैम्पस, सिथोली रेलवे स्टेशन के सामने, एनएच-75, झांसी रोड, ग्वालियर - 474001	04.05.2011	http://www.itmuniversity.ac.in
120	जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत मुगालिया छाप, तहसील हुजूर, भोपाल- 462044	24.04.2013	http://www.jlu.edu.in
121	जेपी अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एबी रोड, रघोगढ़, जिला गुना-473226	13.08.2010	http://www.juet.ac.in
122	एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, जेके टाऊन, सर्वधर्म सी सेंटर, कोलार रोड, भोपाल-462042	08.01.2015	http://www.lnctu.ac.in
123	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर-482001	29.11.1995	http://www.mmyvv.com
124	मालवंचल विश्वविद्यालय इंडेक्स सिटी, एनएच -5 9 ए, नीमवार रोड, खुदेल के निकट, इंदौर जिला 452016	04.01.2016	http://www.malwanchaluniversity.com
125	मंदसौर विश्वविद्यालय, रेवास देवडा रोड एसएच-31, मंदसौर-458001,	19.08.2015	http://www.mandsauruniversity.edu.in
126	मेडि-कैप्स यूनिवर्सिटी, ए0बी0 रोड, पिगादाम्बर, राऊ, इंदौर-453331	22.07.2015	http://www.medicaps.ac.in
127	ओरियन्टल यूनिवर्सिटी, रेवती रेंज गेट नं 1 के सामने, सानवर रोड, पोस्ट बॉक्स 3111, विजय नगर डाक घर, इंदौर-452010	04.05.2011	www.orientaluniversity.in
128	पीपल्स यूनिवर्सिटी, गानपुर, भोपाल - 462037	04.05.2011	http://www.peopleuniversity.edu.in
129	पीके यूनिवर्सिटी, ग्राम थानारा, तहसील-कारेरा, रा0रा0-27, शिवपुरी, जिला शिवपुरी-473551	19.08.2015	http://www.pkuniversity.edu.in
130	आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, बाय-पास रोड, आरजीपीसी परिसर के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश	19.07.2011	http://www.rkdf.ac.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
131	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, रा0रा0-12, होशंगाबाद रोड, जटखेडी, भोपाल, मध्य प्रदेश	08.01.2015	http://www.srku.edu.in
132	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, सानवर रोड, इंदौर-453111	08.01.2015	http://www.svvv.edu.in
133	श्री सत्य साई प्रौद्योगिकी तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, भोपाल-इंदौर रोड, पचामा औद्योगिक फ्लॉट के सामने, पचामा, सेहोर-466001	12.02.2014	http://www.ssutms.co.in
134	स्वामी दिवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	31.12.2011	http://www.svnuniversity.ac.in
135	सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, बड़ा बंगाडा सुपर कॉरीडोर, इन्दौर-452001	27.08.2016	http://www.suas.ac.in
136	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, लातेरी रोड, सिरोनज (गोशाला के निकट) जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश-464228	09.01.2013	http://www.technoglobaluniversity.com
महाराष्ट्र			
137	अजीन्क्या डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय, चारहोली भद्रक, वाया लोहेगांव, पुणे-412105	25.02.2015	http://www.adypu.edu.in
138	एमिटी यूनिवर्सिटी, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, भाटन, पोस्ट-सोमायने, बनवेल, मुंबई, महाराष्ट्र-410206	25.07.2014	http://www.amity.edu/mumbai
139	फ्लेम यूनिवर्सिटी, गेट न0 12/0, ग्राम लाबाल, तालुक मुल्शी, पुणे-411042	13.02.2015	http://www.flame.edu.in
140	एमआईटी आर्ट्स डिजाइन एण्ड टेक्नॉलाजी यूनिवर्सिटी, राजबाग, हदाप्सर लोनी कालभर से अगला, पुणे-412201, महाराष्ट्र	13.10.2015	http://www.mituniversity.edu.in
141	संदीप यूनिवर्सिटी, त्रिम्बक रोड, माहिरावानी, नासिक, महाराष्ट्र	09.10.2015	http://www.sandipuniversity.com
142	स्पाइसर एडवेंन्ट यूनिवर्सिटी, औंध रोड, गंदशिखंद, पोस्ट, पुणे-411004	25.07.2014	
मणिपुर			
143	सांगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, पूराबादपुर, मणिपुर	05.05.2015	http://www.sangaiinternationaluniversity.com
नागालैण्ड			
144	सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी, विरजीन टॉउन, खेकियो-जिमोमी रोड, इशिके मॉडल कॉलेज, थाना दिचयुपर, दीमापुर-797115	18.09.2006	http://www.stjosephuniversity.org
145	द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, बोखा - 797111	18.09.2006	http://www.nagaland.net.in
146	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंसियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, छठा माईल, सोविना ग्राम, कोहिना रोड, दीमापुर - 797112	04.11.2009	http://www.iunagaland.edu.in
ओड़ीशा			
147	बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आईडीसीओ प्लॉट न0 2, इंस्टीट्यूशनल एरिया, ग्राम गोथनापटना, थाना चंद्राका, भुवनेश्वर-751029	17.02.2016	http://www.bgu.ac.in
148	सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट, विलेज आलूरी नगर, वाया उपालाडा, पारालखमुण्डी - 761221 गजपति, ओड़ीशा	27.08.2010	http://www.cutm.ac.in
149	श्री श्री यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओड़ीशा	26.12.2009	http://www.srisriuniversity.edu.in
150	जेवियर विश्वविद्यालय, जेवियर स्कूयर्स, भुवनेश्वर, ओड़ीशा	13.05.2013	http://www.ximbac.in
पंजाब			
151	आदेश विश्वविद्यालय, रा0रा0-7, बरनाला रोड, भटिंडा, पंजाब	10.07.2012	http://www.adeshuniversity.ac.in
152	अकाल विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो-151302, जिला भटिंडा, पंजाब	04.06.2015	
153	सी टी यूनिवर्सिटी फिरोजपुर, लुधियाना-142024	23.12.2016	http://www.ctuniversity.in
154	चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, धारुवान, मोहाली - 140413	10.07.2012	http://www.chandigarhuniversity.ac.in
155	चित्तकारा यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़-पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग, (रा0रा0-64), ग्राम-झांसला, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब - 140401	07.12.2010	http://www.chitkara.edu.in
156	डी ए वी विश्वविद्यालय, जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग-44, गांव-सरमस्तपुर, जालंधर, पंजाब	18.02.2013	http://www.davuniversity.org

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
157	देश भगत विश्वविद्यालय, अमलोह रोड, मण्डी गोबिन्दगढ़, पंजाब	18.02.2013	http://www.deshbhagatuniversity.in
158	जीएनए यूनिवर्सिटी, ग्राम-श्री हरगोबिंदगढ़, फगवाड़ा, जिला कपूरथला-144401	21.08.2014	http://www.gna.edu.in
159	गुरू काशी यूनिवर्सिटी, तलवंडी सावो, जिला - मटिंडा, पंजाब	26.12.2011	http://www.gurukashiuniversity.in
160	खालसा विश्वविद्यालय, जीटी रोड, अमृतसर 143002	17.11.2016	http://www.khalsauniversity.ac.in
161	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर-लुधियाना जी.टी. रोड, नार चेहरू रेलवे पुल, के निकट, फगवाड़ा, जिला-कपूरथला, पंजाब-144002	26.12.2005	http://www.lpu.in
162	रयत बहारा विश्वविद्यालय, वीपीओ-सहौरान, तहसील-खरड, जिला मोहाली, पंजाब-140105	13.08.2014	http://www.rayatbahrauniversity.edu.in
163	आरआईएमटी विश्वविद्यालय, फलोटींग रेस्त्रा के सामने, सिरहन्द साईड, मण्डी गोबिंदगढ़-147301	08.12.2015	http://www.rimt.ac.in
164	संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी, ग्राम-खियाला, डाकघर-पदियाना, जिला जालंधर-144030	12.02.2015	http://www.sbbs.edu.in
165	श्री गुरू ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, श्री लालगिधर निवास, फतेहगढ़ साहिब-140406, राजस्थान	15.05.2008	http://www.sggswu.org
166	एमिटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान, एनएच-11सी, कान्त कालवार, जयपुर - 303002	29.03.2008	http://www.amity.edu/jaipur
167	भगवन्त विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नं. 87, सौकर रोड, अजमेर - 305004	16.04.2008	http://www.bhagwantuniversity.com
168	भूपल नोबल यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप स्टेशन रोड, सेवाश्रम सर्किल, उदयपुर-313001	05.10.2015	http://www.bnuniversity.ac.in
169	कॅरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान	02.05.2012	http://www.cpur.in
170	डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, प्लॉट-1, आरआईआईसीओ इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-2, नैवाई, जिला टोंक, राजस्थान-304021	22.04.2010	http://www.dknmu.org
171	गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	25.01.2011	http://www.geetanjaliuniversity.com
172	होम्योपैथी यूनिवर्सिटी, सायपुरा, सांगानेर, जयपुर - 302029	03.04.2010	http://www.homoeopathyuniversity.org
173	आईसीएफआई, विश्वविद्यालय, खसरा नं. 505/1, गांव जामडोली, आगरा रोड, जयपुर - 302031	23.08.2011	http://www.iujaipur.edu.in
174	आईआईएचएमआर यूनिवर्सिटी, 1, प्रभु दयाल मार्ग, सांगानेर विमानापत्तन के निकट, जयपुर-302029	26.02.2014	http://www.iihmr.edu.in
175	जेईसीआरसी विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	02.05.2012	http://www.jecrcuniversity.edu.in
176	जे.के. लक्ष्मीपति विश्वविद्यालय, लालिया का बाघ, पी.ओ. महापुर, अजमेर रोड, जयपुर - 302026	15.09.2011	http://www.jklu.edu.in
177	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, रा0रा0-12, चाकसु बायपास, टोक रोड, जयपुर-303901	16.04.2008	http://www.jagannathuniversity.org
178	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जगतपुरा, जयपुर-302017	21.10.2007	http://www.jnujaipur.ac.in
179	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, वेदन्त ज्ञान वैली, ग्राम झरना माहाला, जबनेर, लिंक रोड, एनएच-8, जयपुर-303007	21.04.2008	http://www.jvwomensuniv.com
180	जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नारनादी झांवर रोड, जोधपुर - 342001	11.08.2008	http://www.jodhpurnationaluniversity.com
181	माधव विश्वविद्यालय, माधव हिल्स, बनास ब्रिज टोल के सामने, रा0रा0-14, ग्राम-वादा/मुजेली, पंचायत समिति-भारजा, तहसील-पिडवाड़ा, अबु रोड, जिला- सिरोंही, राजस्थान-307026	04.03.2014	http://www.madhavuniversity.edu.in
182	महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012	http://www.mvgu.ac.in
183	महर्षि अरविद विश्वविद्यालय, मुंदीयारामसर, बिंदयाका औद्योगिक क्षेत्र के समीप, जयपुर-3020012	05.10.2015	

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
184	महात्मा गांधी मेडीकल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुर, टोक रोड, जयपुर-302022	15.09.2011	http://www.mgumst.org
185	महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, एसपी-2 और 3, कान्त कालवार, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, ताला मोड़, एनएच-1, आचरोल, जयपुर	03.02.2009	http://www.mjrpuniversity.com
186	मनीपाल विश्वविद्यालय, वाटिका इनफोटेक यूनिवर्सिटी, जीवीक टोल प्लाजा के निकट, जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस-वे, पोस्ट थिकारा, जयपुर - 302026	15.09.2011	http://www.jaipur.manipal.edu
187	मौलाना आजाद युनिवर्सिटी, ग्राम बुजावाड़, तहसील-लुनी, जोधपुर-342802	16.09.2013	http://www.mauj.ac.in
188	मेवाड़ विश्वविद्यालय, रा0रा0 79, गंगराड, चितौड़गढ़-312901	22.09.2008	http://www.mewaruniversity.org
189	एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना, राजस्थान	03.04.2010	http://www.niituniversity.in
190	एन.आई.एम.एस. विश्वविद्यालय, शोमानगर, जयपुर - 303001	29.03.2008	http://www.nimsuniversity.org
191	ओपीजेएस विश्वविद्यालय, रावतसर, कुजीला, ठहरास-राजगढ़, जिला-चूरू, राजस्थान	16.09.2013	http://www.opjsuniversity.edu.in
192	पेसेफिक अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी (पी.ए.एच.आई.आर.) पेसेफिक हिल्स, एयरपोर्ट रोड, प्रतापनगर एक्सटेंशन, उदयपुर - 313003	29.04.2010	http://www.pacific-university.ac.in
193	पेसेफिक मेडीकल यूनिवर्सिटी, बिलो का बेडला, बाईपास, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, उदयपुर, राजस्थान	04.03.2014	http://www.pacificmedicaluniversity.ac.in
194	पूर्णमा विश्वविद्यालय, रानचन्द्रापुर, सीतापुर एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान	16.05.2012	http://www.poomima.edu.in
195	प्रताप विश्वविद्यालय, सुन्दरपुर (चांदवाजी) आमरे-दिल्ली-मुम्बई हाइवे, जयपुर, राजस्थान	15.09.2011	http://www.pratapuniversity.in
196	राफेल्स विश्वविद्यालय, जैपनीज जोन, राष्ट्रीय राजमार्ग-8, नीमराना-201705, राजस्थान	27.03.2011	http://www.rafflesunivrsity.edu.in
197	आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आरएनबी ग्लोबल सिटी, गंगानगर रोड, बीकानेर-334601	27.04.2015	http://www.mbglobal.edu.in
198	संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा, राजस्थान	02.05.2012	http://www.sangamuniversity.ac.in
199	श्री तिरुपति यूनिवर्सिटी, अम्बुआ रोड, ग्राम उमराडे गिरवा, उदयपुर-313015	21.04.2016	http://www.saitirupati.ac.in
200	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्बरेवाला विश्वविद्यालय, विद्या नगरी, झुंझुनू-युरू रोड, चुडेला, जिला झुंझुनू-333001	03.02.2009	http://www.j_jtu.ac.in
201	श्रीधर विश्वविद्यालय, पिलानी, चिरावा रोड, पिलानी, राजस्थान - 333031	03.04.2010	http://www.shridharuniversity.ac.in
202	सिंहानिया विश्वविद्यालय, पचेरीबारी, झुंझुनू, राजस्थान-333515	29.03.2008	http://www.singhaniauniversity.co.in
203	सर पदमपत सिंहानिया विश्वविद्यालय, भतवार, उदयपुर - 313601	29.03.2008	http://www.spsu.ac.in
204	सनराइज विश्वविद्यालय, बागड राजपूत, तहसील - रामगढ़, अलवर, राजस्थान	22.09.2011	http://www.sunrise.ac.in
205	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, महल, जगतपुर, जयपुर, राजस्थान-302017	21.04.2008	http://www.gyanvihar.org
206	तांतिया विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ रोड, श्री गंगानगर-335002	16.09.2013	http://www.tantiauniversity.com
207	यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012	http://www.uem.edu.in
208	विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेक्टर - 36, एनआरआई रोड, सीसायावास, जगतपुर, जयपुर - 3030012	02.05.2012	http://www.vgu.ac.in
सिक्किम			
209	इस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी (ईआईआईएलएम), आठवां माईल, मालाबासे, बुदांग, पश्चिम सिक्किम-737121	24.03.2006	http://www.eiilmuniversity.ac.in
210	श्री रामास्वामी मेमोरियल युनिवर्सिटी, पांचवां माईल, तदांग, रानीपूल पीओ, गंगटोक, सिक्किम-737102	16.01.2014	http://www.srmus.ac.in
211	सिक्किम-मनीपाल यूनिवर्सिटी, पांचवां माईल, डाकघर तदांग, गंगटोक - 737102	11.10.1995	http://www.smu.edu.in
212	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), रांका रोड, लोकर सिचे, गंगटोक-737101	04.10.2004	http://www.iusikkim.edu.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
213	विनायक मिशनस सिक्किम यूनिवर्सिटी, प्लॉट नं० 438, एन-312, संग फाटक रोड, मिडल तदांग, पी0ओ0 दारागाओरा तदांग, पूर्वी सिक्किम - 737102	30.07.2008	http://www.vmsu.in
	त्रिपुरा		
214	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनॉलिस्ट ऑफ इंडिया अगरतला (आईसीएफएआई) डाकघर कमलघाट, अगरतला-सिमना रोड, मोहनपुर-799210, त्रिपुरा	31.03.2004	http://www.iutripura.edu.in
	उत्तर प्रदेश		
215	एमिटी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	24.03.2005	http://www.amity.edu
216	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, 55 बाबू बनारसी दास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.bbdu.org
217	बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज कैम्पस, पीलीभीत बायपास रोड, बरेली-243006	16.09.2016	http://www.biu.edu.in
218	बेनेट यूनिवर्सिटी, प्लॉट नं० 8-11, टेक जोन-II, ग्रेटर नोएडा-201301	16.09.2016	http://www.bennett.edu.in
219	इरा यूनिवर्सिटी, सरफराज गंज, हरदोई रोड, लखनऊ-226003	16.09.2016	http://www.erauniversity.in
220	जी.एल.ए. विश्वविद्यालय, मथुरा, (उत्तर प्रदेश)	01.09.2010	http://www.gla.ac.in
221	गलगोटिया विश्वविद्यालय, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17ए, ग्रेटर नोएडा-201203, उत्तर प्रदेश	07.04.2011	http://www.galgotiauniversity.edu.in
222	आई.एफ.टी.एम. विश्वविद्यालय, लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड मुरादाबाद-244102,	12.10.2010	http://www.iftmuniversity.ac.in
223	आई आई एम टी यूनिवर्सिटी, ओ-पीकेट, गंगानगर, मवाना रोड मेरठ-250001	16.09.2016	http://www.iimtu.com
224	इटीग्रल विश्वविद्यालय, कुर्सी रोड, लखनऊ - 226026 (उत्तर प्रदेश)*	26.02.2004	http://www.integraluniversity.ac.in
225	इनवर्टिस विश्वविद्यालय, इनवर्टिस गांव, बरेली-लखनऊ नेशनल हाइवे-24, बरेली - 243123 (उत्तर प्रदेश)	01.09.2010	http://www.invertisuniversity.ac.in
226	जगतगुरु राममद्राचार्य हैन्ड्रीकेंड यूनिवर्सिटी, चित्रकूट धाम-210204 उत्तर प्रदेश*	06.10.2001	http://www.jrhu.com
227	जेपी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ रोड, अनूप शहर, जिला बुलन्दशहर-203390, उत्तर प्रदेश	04.03.2014	http://www.jaypeeuniversity.ac.in
228	जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	24.06.2015	http://www.jsu.edu.in
229	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202145	30.10.2006	http://www.mangalayatan.in
230	महर्षि मुनिवर्सिटी ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालाजी, महर्षि बालविद्या मंदिर एवं विश्वविद्यालय परिसर, सीतापुर रोड, पोस्ट धिबुरिया, लखनऊ-226020	24.09.2013	http://www.muvt.in
231	मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश	19.06.2006	http://www.jauharuniversity.org
232	मोनाद विश्वविद्यालय, कासमाबाद, पीओ-पिलखुआ, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश-245101	12.10.2010	http://www.monad.edu.in
233	नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, प्लॉट नं० 1, सैक्टर-17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्ध नगर-201301 (उत्तर प्रदेश)	12.10.2010	http://www.niu.ac.in
234	रामा विश्वविद्यालय, रामा सिटी, जी०टी० रोड, मंधाना, कानपुर-209217	10.01.2014	http://www.ramauniversity.ac.in
235	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि०मी० स्टोन, मथुरा दिल्ली हाइवे, छत्ता, मथुरा, उत्तर प्रदेश	16.09.2016	http://www.sanskriti.edu.in
236	शारदा यूनिवर्सिटी, प्लॉट नं० 32-34, नॉलेज पार्क-3, ग्रेटर नोएडा-201306	24.03.2009	http://www.sharda.ac.in
237	शिव नाडर यूनिवर्सिटी, दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	06.04.2011	http://www.snu.edu.in
238	शोभित विश्वविद्यालय, आदर्श इंस्टीट्यूशनल एशिया, बाबू विजेन्द्र मार्ग, गंगोह, जिला-सहारनपुर- 247341	05.07.2012	http://www.shobituniversity.ac.in
239	श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, हरदोई, देवा-लखनऊ रोड, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	04.07.2012	http://www.srmu.ac.in
240	श्री डॉक्टरवर यूनिवर्सिटी, रा०रा०-24, राजाबापुर, गजरौला, जे.पी. नगर, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.svu.edu.in
241	स्वामी विवेकानन्द सुभारती यूनिवर्सिटी, दिल्ली-हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250005	05.09.2008	http://www.subharti.org
242	तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी, रा०रा० 24, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-244001	05.09.2008	http://www.tmu.ac.in
243	दि ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, मिजापुर पोल, तहसील - बेहट, सहारनपुर - 247001	05.07.2012	http://www.glocaluniversity.edu.in
	उत्तराखण्ड		
244	देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्रीकुंज, हरिद्वार - 249411	22.01.2002	http://www.dsuv.ac.in
245	डीआईटी विश्वविद्यालय, नर्सरी डाइवर्जन रोड, देहरादून - 248009	15.02.2013	http://www.dituniversity.edu.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
246	ग्राफिक एण्ड पर्यटन विश्वविद्यालय, 600, बेल रोड, क्लेमेंट हाउस, देहरादून - 248002	28.04.2011	http://www.gehu.ac.in
247	हिमगिरी जी विश्वविद्यालय, शीशमबाड़ा, पीओ-शेरपुर, वाया शहसपुर, देहरादून - 248197	11.07.2003	http://www.himgirizeeuniversity.edu.in
248	आईएमएस यूनिवर्सिटी, माकवाला ब्रान्स, मसूरी डाइवर्जन रोड, देहरादून - 248009, उत्तराखण्ड	15.02.2013	http://www.iuu.ac
249	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फार्मेशन एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया (आई.सी.एफ.ए.आई.), राजावाला रोड, सेंट्रल होप टॉउन सेलाकी, देहरादून - 248197	10.07.2003	http://www.iuuttarakhand.edu.in
250	मदरहुड विश्वविद्यालय, ग्राम-कारोन्दी, पोस्ट-मगवानपुर, रुडकी, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	19.01.2015	http://www.motherhooduniversity.edu.in/
251	स्वामी रामा हिमालय विश्वविद्यालय, स्वामी राम नगर, जौली ग्रांट, डाकघर-दोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	12.03.2013	http://www.srhuedu.in
252	पतजलि विश्वविद्यालय, पतजलि योगपीठ, हरिद्वार	05.04.2006	http://www.universityofpatanjali.com
253	यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोसियम एण्ड एनर्जी स्टडीज, बिदहोली कैम्पस, एनर्जी एरुड, डाकघर डिडहोली, देहरादून - 284006	10.07.2003	http://www.upes.ac.in
254	उत्तरांचल विश्वविद्यालय, अरकाडिया ग्रांट, डाकघर चदनवाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून-248007	15.02.2013	http://www.uttranchaluniversity.ac.in
पश्चिम बंगाल			
255	एडमस यूनिवर्सिटी, बारासात, बाराकबोर रोड, बारबेरिया, पीओ जगन्नाथपुर, थाना बारासात, कोलकाता-700126	11.04.2014	http://www.au.edu.et
256	एमिटी विश्वविद्यालय, राजारहाट, न्यू टॉउन, जिला उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	21.01.2015	http://www.amity.edu/kolkata/
257	ब्रेनवेयर विश्वविद्यालय, 398 रामकृष्ण पुर रोड, कोलकाता-700124	24.02.2016	http://www.brainwareuniversity.ac.in/
258	जेआईएस यूनिवर्सिटी, अगरपारा, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल	03.02.2015	http://www.jisuniversity.ac.in
259	सीकॉम स्किल यूनिवर्सिटी, ग्राम केन्द्राडांगा, डाकघर-सातार, थाना-पानरुई, जिला-बीरभूम-731236		http://www.seacomskillsuniversity.ore
260	टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, ईएम-4, सेक्टर-V, सील्ट लेक, कोलकाता-700091,	16.08.2012	https://www.technoindiauniversity.ac.in
261	द नियांसिया यूनिवर्सिटी, झिंगा भरिसा, डीएच रोड, जिला 24 परगना(दो) पश्चिम बंगाल-743368	03.02.2015	http://www.tnu.in
262	यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट, यूनिवर्सिटी एरिया, प्लॉट नम्बर III-बी/5, मेन आर्टिरियल रोड(पूर्व-पश्चिम), न्यू टॉउन एक्शन एरिया-III, कोलकाता-700156	03.02.2015	http://www.uem.edu.in

तालिका 2.1(ड) (iv): दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संस्थान

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापन/मान्यता प्रदान किए जाने का वर्ष	वेबसाइट
बिहार			
1	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1992	www.igims.org
जम्मू और कश्मीर			
2	शेर-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1990	http://www.skmis.nic.in
छत्तर प्रदेश			
3	संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1983	http://www.sgpqi.ac.in

तालिका 2.1(ड)(v): दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार सम विश्वविद्यालय संस्थानों की सूची
(* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित)

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	समविश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किए जाने की तिथि	वेबसाइट
आन्ध्र प्रदेश			
1	गौधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट (जी.आई.टी.ए.एम.), गांधी नगर कैम्पस, रशिकोन्डा, विशाखापत्तनम-530045, आंध्र प्रदेश*	13.08.2007	http://www.gitam.edu
2	कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, ग्रीन फील्ड्स, कुन्धानापल्ली पोस्ट वाडेशवरम्, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश-522002	20.02.2009	http://www.kluniversity.edu.in
3	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति-517507	16.11.1987	http://www.rsvidyapeetha.ac.in
4	श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशांतनिलयम्-515134, जिला अनन्तापुर, आंध्र प्रदेश	10.11.1981	http://www.sssihl.edu.in
5	विगनान्स फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च, वाडलामुडी, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश-522313	19.12.2008	http://www.vignanuniversity.org
अरुणाचल प्रदेश			
6	नार्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, निरजुली, ईटानगर, जिला-पापुम पारे-791109, अरुणाचल प्रदेश	31.05.2005	http://www.nerist.ac.in
बिहार			
7	नव नालान्दा महाविहार, नालान्दा-803111 (बिहार)	13.11.2006	http://www.navanalandamahavihara.org
गुजरात			
8	गुजरात विद्यापीठ, डाकघर नवजीवन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद-380014, गुजरात	16.07.1963	http://www.gujaratvidyapith.ac.in
9	सुमनदीप विद्यापीठ, ग्राम पिपरिया, तालुक वागहोदिया, जिला बड़ोदरा, गुजरात	17.01.2007	http://www.sumandeepuniversity.co.in
हरियाणा			
10	लिंगाया यूनिवर्सिटी, नाचौली, पुराना फरीदाबाद-जासना रोड, फरीदाबाद-121002, हरियाणा	05.01.2009	http://www.lingayasuniversity.edu.in
11	महर्षि मार्कण्डेय एजुकेशनल ट्रस्ट, मुलाना, अम्बाला, हरियाणा-133003	12.06.2007	http://www.mmmullana.org
12	मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001	21.10.2008	http://www.mriu.edu.in
13	नेशनल ब्रेम रिसर्च सेंटर, गुरुग्राम-122001, हरियाणा	20.05.2002	http://www.nbrc.ac.in
14	नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल-132001, हरियाणा	28.03.1989	http://www.ndri.res.in
15	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एन्टरप्राइजोरशिप एण्ड मैनेजमेंट (एनआईएफटीईएम) प्लॉट नम्बर 97, सेक्टर 56, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, कुन्डली, जिला सोनीपत, हरियाणा	08.05.2012	http://www.niftem.ac.in
झारखण्ड			
16	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, राँची-835215, झारखण्ड	28.08.1986	http://www.bitmesra.ac.in
जम्मू और कश्मीर			
17	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, चोगलामसार, लेह (लद्दाख), जम्मू और कश्मीर	15.01.2016	http://cibs.ac.in/
कर्नाटक			
18	बी.एल.डी.ई. विश्वविद्यालय, बीजापुर, कर्नाटक	29.02.2008	http://www.bldeuniversity.ac.in
19	क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, होसूर रोड, बंगलूरु-560029	22.07.2008	http://www.christuniversity.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	समविश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किए जाने की तिथि	वेबसाइट
20	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलूरु-560012, कर्नाटक*	12.05.1958	http://www.iisc.ernet.in
21	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, 26/सी, इन्फोसिस (द्वार स0-1) के सामने, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, होसूर रोड, बंगलूरु-560100	28.02.2005	http://www.iiitb.ac.in
22	जगतगुरु श्री शिवराशिष्वर। यूनिवर्सिटी, जगतगुरु डी0 श्री शिवरातरी राजेन्द्र सर्कल, रामानुजा रोड, मैसूर-570004	28.05.2008	http://www.jssuni.edu.in
23	जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जाकुर कैम्पस, जाकुर, बंगलूरु-560064	17.08.2002	http://www.jncasr.ac.in
24	जैन यूनिवर्सिटी, जैन ग्लोबल कैम्पस, 45वां कि0मी0, रा0रा0-209, झांकासांदरा डाकघर कनकपुरा, तालुक रामनगर जिला-562112	19.12.2008	http://www.jainuniversity.ac.in
25	के.एल.ई. अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, जे0एन0 मेडीकल कॉलेज कैम्पस, बेलगाम (कर्नाटक)-590010	13.04.2006	http://www.kleuniversity.edu.in
26	मनीपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन, मन्नव नगर, उदुपी, मनीपाल-576104,	01.06.1993	http://www.manipal.edu
27	एन.आई.टी.टी.ई. यूनिवर्सिटी, मंगलोर -575018	04.06.2008	http://www.nitte.edu.in
28	श्री देवराज उर्स अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, बीएच रोड, तमाका, कोलार-563101	25.05.2007	http://www.sduu.ac.in
29	श्री सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन, जिला तुमकुर-572 102, कर्नाटक	30.05.2008	http://www.sahetumkur.ac.in
30	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, संख्या-9, अपाजप्पा, अग्रहारा, चमारराजपेट, बंगलूरु-560018, कर्नाटक*	08.05.2002	http://www.svyasa.org
31	येनपोया विश्वविद्यालय, देराकट्टे, मंगलोर-575018	27.02.2008	http://www.yenepoya.edu.morg
केरल			
32	चिन्मया विश्वविद्यापीठ, आदि शंकर निलायम, वेलियानाड, एर्नाकुलम-692313		http://www.chinmayauniversity.ac.in
33	केरल कलामण्डलम, वालाथोल नगर, थेरुथुरुथि-679531, वाया थिसूर, केरल*	14.03.2006	http://www.kalamandalam.org
34	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनन्तापुरम, केरल-695547	03.07.2008	http://www.iist.ac.in
मध्य प्रदेश			
35	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शक्ति नगर, ग्वालियर-474002	21.09.1995	http://www.lnipe.gov.in
महाराष्ट्र			
36	भारती विद्यापीठ, भारती विद्यापीठ भवन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पुणे-411030, महाराष्ट्र-412105*	26.04.1996	http://www.bvuniversity.edu.in
37	संद्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, फिशरीज यूनिवर्सिटी रोड, 7, बंगलो, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई-400061	27.03.1989	http://www.cife.edu.in
38	डी. वाई. पाटिल एजुकेशनल सोसायटी, लैन बाजार, कासाबा, कोल्हापुर-416006, (महाराष्ट्र)	31.05.2005	http://www.dypatilunikop.org
39	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वांगी (मेघे) बर्घा-442004	24.05.2005	http://www.dmimsu.edu.in
40	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे-411006	05.03.1990	http://www.deccancollegepune.ac.in
41	डी0 डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे-411018	11.01.2003	http://www.dpu.edu.in
42	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्स एण्ड इकोनॉमिक्स, बीएमसी कालेज रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे-411004	07.05.1993	http://www.gipe.ac.in
43	होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, पंजीकृत कार्यालय: नालेज मैनेजमेंट ग्रुप, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, सेंद्रल कॉम्प्लेक्स, मुम्बई-400085	03.06.2005	http://www.hbni.ac.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	समविश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किए जाने की तिथि	वेबसाइट
44	इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, जनरल वैद्य मार्ग, सतोष नगर, गोरेगांव ईस्ट, मुम्बई-400065	05.12.1995	http://www.igidr.ac.in
45	डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (इंस्टीट्यूट ऑफ आर्गामेंट टेक्नॉलॉजी), गिरीनार, पुणे-411025	10.09.1999	http://www.diat.ac.in
46	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, गोवांन्डी स्टेशन रोड, देवनार, मुम्बई-400088	31.07.1985	http://www.iipsindia.org
47	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, नाथालाल पारेख मार्ग, मादुन्गा, मुम्बई महाराष्ट्र-400019	12.09.2008	http://www.ictmumbai.edu.in
48	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मलका पुर, कराड, जिला सतारा, महाराष्ट्र	24.05.2005	http://www.kimsuniversity.in
49	एम.जी.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, एमजीएम कैम्पस, सेक्टर-18, कामोटे, नवी मुम्बई-410209	30-08-2006	http://www.mgmuh.com
50	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वीएल मेहता रोड, विले पार्ले डेस्ट, मुम्बई-400056	13.01.2003	http://www.nmims.edu
51	पद्मश्री डॉ० डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ, विद्यानगर, सेक्टर-7, नेरूल, नवी मुम्बई-400706, महाराष्ट्र	20.06.2002	http://www.dypatil.ac.in
52	प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डाकघर लोनी, बीकें-413736, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	29.09.2003	http://www.pravara.com
53	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ग्राम लावाले, तहसील मुलशी, पुणे-412115	06.05.2002	http://www.symbiosis.ac.in
54	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई होमी भाभा रोड, मुंबई-400005, महाराष्ट्र	07.05.2002	http://www.tifr.ac.in
55	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वीएन पूर्व मार्ग, देवनार, मुम्बई-400088,	29.04.1964	http://www.tiss.edu
56	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, विद्यापीठ भवन, गुलटेकडी, पुणे-411037	28.04.1987	http://www.tmv.edu.in
ओडीशा			
57	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, एटी/पीओ केआईआईटी पाटीया, खुरदा, भुवनेश्वर-751024, ओडीशा*	26.06.2002	http://www.iiit.ac.in
58	शिक्षा 'ओ' अनुसंधान, भुवनेश्वर, जे-15, भुवनेश्वर, ओडीशा-751030	17.07.2007	http://www.soauniversity.ac.in
पंजाब			
59	संत लॉगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (एस.एल.आई.ई.टी.), लॉगोवाल, जिला संगरूर-148108	10.04.2007	http://www.sliet.ac.in
60	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, थापर टेक्नोलॉजी कैम्पस, भाडसन रोड, पटियाला-147004	30.12.1985	http://www.thapar.edu
राजस्थान			
61	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली-304022	25.10.1983	http://www.banasthali.org
62	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी-333031	27.06.1964	http://www.bits-pilani.ac.in
63	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, गांधी विद्यामंदिर, सहर शहर-331401, जिला चूरू, राजस्थान	25.06.2002	http://www.iaseuniversity.org.in
64	आई.आई.एस. यूनिवर्सिटी, गुरुकुल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान-302020*	02.02.2009	http://www.iisuniv.ac.in
65	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, पोस्ट वाक्स नम्बर 6, लान्डनू, नागौर-341306, राजस्थान	20.03.1991	http://www.jvbi.ac.in
66	जर्नाबन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ, प्रताप नगर, उदयपुर-331401	12.01.1987	http://www.jrnrvu.org
67	एल.एन.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्राम-रूपा की नागल, पोस्ट-सुमेल, बारास्ता कानोटा, जिला-जयपुर-303012	03.02.2006	http://www.lnmiit.ac.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	समविश्वविद्यालय के रूप में अभिस्तुति किए जाने की तिथि	वेबसाइट
68	मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च, लक्ष्मनगढ़, जिला सीकर-332311, तमिलनाडु	20.02.2004	http://www.modyuniversity.ac.in
69	अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, 135, ईस्ट कोस्ट रोड, कानाथुर, चेन्नई-603113	21.08.2007	http://www.ametuniv.ac.in
70	अमृत विश्व विद्यापीठम्, एतीमादाई पोस्ट, कोयम्बटूर-641112	13.01.2003	http://www.amrita.edu
71	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हायर एजुकेशन ऑफ वीमेन, भारती पार्क रोड, कोयम्बटूर-641043, तमिलनाडु*	08.06.1988	http://www.avinashilingam.edu
72	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ होयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, 173, अग्रहरम रोड, सेलयुर, चेन्नई-600073	04.07.2002	http://www.bharathuniv.com
73	बी.एस. अब्दुर रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, बान्डालूर, चेन्नई, तमिलनाडु-600048	16.12.2008	http://www.bsau.ac.in
74	चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, प्लॉट एच-1, एसआईपीसीओटी आईटी पार्क, पादुर पोस्ट, सिरयूसरी-603103, चेन्नई (तमिलनाडु)	15.12.2006	http://www.cmi.ac.in
75	चेतिनाड अकादमी ऑफ रिसर्च एण्ड एजुकेशन (के.ए.आर.ई.), पादुर, केलाम्बक्कम, जिला कांचीपुरम तमिलनाडु	04.08.2008	http://www.chettinadhealthcity.com
76	गौधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गौधीग्राम, डिन्डीगुल-624302	03.08.1976	http://www.ruraluniv.ac.in
77	हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस(हिंदुस), पादुर, पुराना महाबलीपुरम रोड, केल्मबालम, चेन्नई-603103	05.05.2008	http://www.hindustanuniv.ac.in
78	कैलाशलिंगम अकादमी ऑफ रिसर्च एचड हायर एजुकेशन, आनन्द नगर, कृष्णनकोईल, विरुद्धनगर- 626190, बारास्ता श्रीविलिपुत्तूर तमिलनाडु	20.10.2006	http://www.kalasalingam.ac.in
79	कारुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, कारुण्या नगर, कोयम्बटूर-641114	23.06.2004	http://www.karunya.edu
80	करपागम अकादमी ऑफ होयर एजुकेशन, पोलाच्ची मुख्य मार्ग, कोयम्बटूर तमिलनाडु	25.08.2008	http://www.karpagamuniv.com
81	डॉ० एमजीआर एजुकेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पेरियार ईवीआर सेतई (राष्ट्रीय राजमार्ग 4) माधुरावोयल, चेन्नई-600095	21.01.2003	http://www.drmgrdu.ac.in
82	मीनम्मी अकादमी ऑफ होयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, संख्या 12, वेम्बूली अम्मन कोईल मार्ग, पश्चिम के०के० नगर, चेन्नई-600078	31.03.2004	http://www.maher.ac.in
83	नूरुल इस्लाम सेंटर ऑफ होयर एजुकेशन, कुमारकोईल, थुकालाले, जिला कन्याकुमारी, तमिलनाडु-629175	08.12.2008	http://www.niuniv.com
84	पेरियार मनिअमाई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (पीएमआईएसटी), पेरियार नगर, वालाम, थंजावुर-613403	17.08.2007	http://www.pmu.edu
85	पुनैया रामाज्यम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (पीआरआईएसटी), सगुप्पा चावाडी, थंजावुर-614904	04.01.2008	http://www.prist.ac.in
86	एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, एसआरएम नगर, काटनकुलाथुर-603203, जिला कांचीपुरम (तमिलनाडु)	02.08.2002	http://www.srmuniv.ac.in
87	सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, जपीयार नगर, पुराना मामलपुरम मार्ग, चेन्नई-600119	16.07.2001	http://www.sathyabamauniv.ac.in
88	सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड टेक्निकल साइंसेज, पोस्ट बाक्स नम्बर 6, संख्या 162, पोन्नमाले हाई रोड, वेलापापन्ववडी, चेन्नई-6000077	18.03.2005	http://www.saveetha.com
89	षण्मुघ आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च अकादमी(शास्त्र), तिरुमलाई, समुद्रम, तंजावुर-613401	26.04.2001	http://www.sastra.edu
90	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालय, श्री जयेंद्र सरस्वती स्ट्रीट, एनाथुर, कांचीपुरम-631561	26.05.1993	http://www.kanchiuniv.ac.in
91	श्री रामचन्द्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1, रामचन्द्र नगर, चेन्नई-600116	29.09.1994	http://www.sriramachandra.edu.in
92	सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ होयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चेन्नई-600054	26.05.2008	http://www.stpetersuniversity.org

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	समविश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किए जाने की तिथि	वेबसाइट
93	वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी एण्ड एडवान्स्ड स्टडीज(विस्टास), पालवरम, चेन्नई, तमिलनाडु-600117	04.06.2008	http://www.velsuniv.ac.in
94	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर-632014	19.06.2001	http://www.vit.ac.in
95	विनायक मिशन रिसर्च फाउन्डेशन, शंकर मणि रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 47, अरियानूर नगर, सलेम-636308	01.03.2001	http://www.vinayakamission.com
96	वेलटेक रंगाराजन डॉ० शगुन्थला आर. एण्ड डी. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई तमिलनाडु-600062	15.10.2008	http://www.veltechuniv.edu.in
तेलंगाना			
97	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्वे नं० 28, गाजीबाऊली, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद-500032	21.08.2001	http://www.iiit.ac.in
98	आईसीएफआई फाउंडेशन फॉर हॉयर एजुकेशन, दौतादपल्ली, शंकरपल्ली रोड, हैदराबाद-501203, तेलंगाना	16.12.2008	http://www.ifheindia.org
उत्तर प्रदेश			
99	सैम हिमिनोटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एण्ड चाइरोज, डाकघर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद-211007	15.03.2000	http://www.shiats.edu.in
100	भारतखण्ड संगीत संस्थान, 1 कैसर बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001	24.10.2000	http://www.bhatkhandemusic.edu.in
101	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी-221007, उत्तर प्रदेश	05.04.1988	http://www.cihts.ac.in
102	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा-282005	16.05.1981	http://www.dei.ac.in
103	इंडियन वेदिनेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर-243122	16.11.1983	http://www.ivri.res.in
104	जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, ए-10, सेक्टर-62, नोएडा-201307	01.11.2004	http://www.jiit.ac.in
105	नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, कोटवा-जमुनीपुर, धुबवली, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	27.06.2008	http://www.ngbu.edu.in
106	शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, धुलेरा मार्ग, रुड़की रोड, मेरठ-250010	08.11.2006	http://www.shobhituniversity.ac.in
107	संतोष विश्वविद्यालय, 1, संतोष नगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201009	13.06.2007	http://www.santoshuniversity.com
उत्तराखण्ड			
108	फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, डाकघर न्यू कारेस्ट, देहरादून-248006	28.11.1991	http://www.icfre.org
109	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार-249404	19.06.1962	http://www.gkv.ac.in
110	ग्रॉकिक इरा यूनिवर्सिटी, 566/6, बेल रोड, कलेमेंट टॉऊन, देहरादून उत्तराखण्ड	14.08.2008	http://www.gehu.ac.in
पश्चिम बंगाल			
111	रामाकृष्ण मिशन विवेकानन्द एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, डाकघर बेतूर मठ, जिला हावड़ा-711202, पश्चिम बंगाल*	05.01.2005	http://www.rkmvu.ac.in
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली			
112	इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा इंस्टीट्यूट, पूसा, नई दिल्ली-110012	22.08.1958	http://www.iari.res.in
113	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, बी-21, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016	20.05.2002	http://www.iift.edu
114	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001.	29.10.2004	http://www.ili.ac.in
115	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एण्ड बाइलियरी साइंसेज (आईएलबीएस), डी-1, वसंत कुन्ज, नई दिल्ली-110070	10.07.2009	http://www.ilbs.in
116	जामिया हमदद, हमदद नगर, नई दिल्ली-110062	10.05.1989	http://www.jamiahamdard.edu
117	नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजिकोलॉजी, नेशनल म्यूजियम, जनपथ, नई दिल्ली-110011	28.04.1989	http://www.nmi.gov.in
118	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, 17-बी, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110016	11.08.2006	http://www.nuepa.org

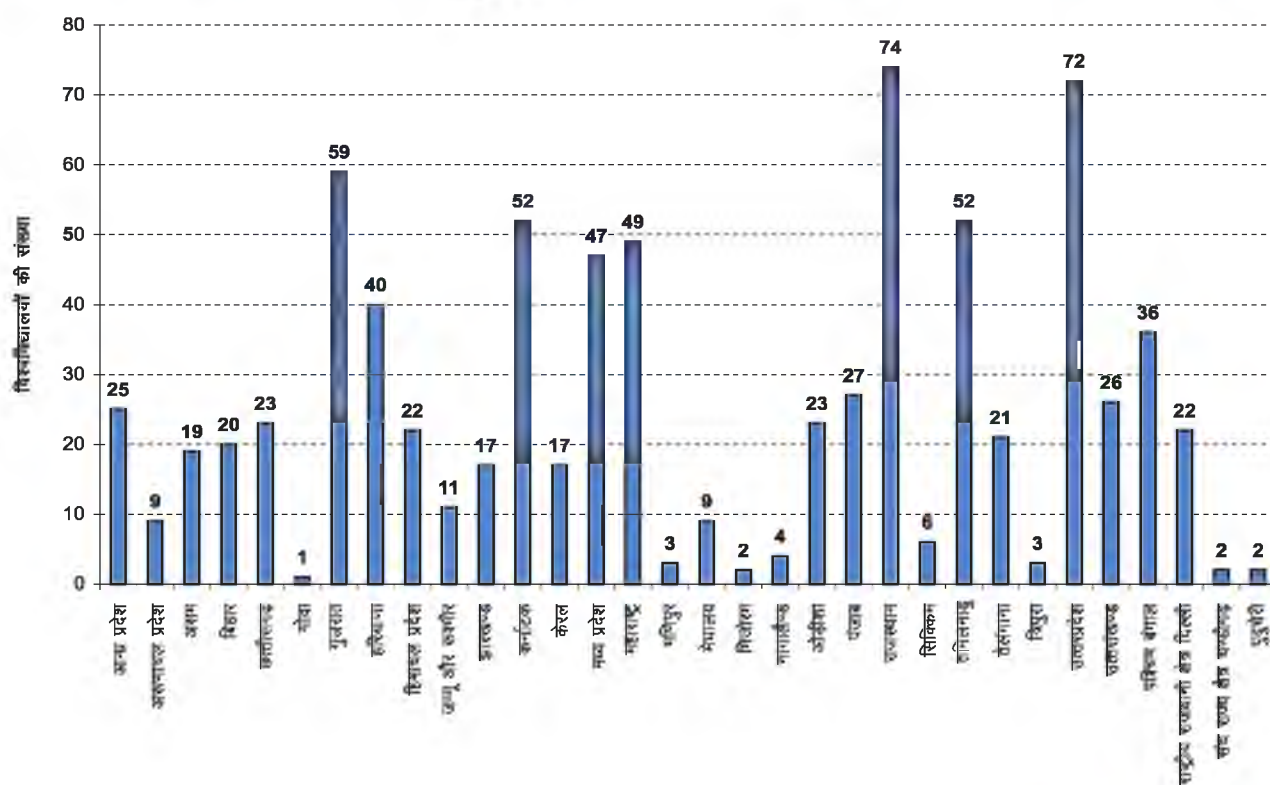
क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	समविश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किए जाने की तिथि	वेबसाइट
119	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 56,57, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	07.05.2002	http://www.sanskrit.nic.in
120	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016	16.11.1987	http://www.slbsrsv.ac.in
121	टी.ई.आर.आई. स्कूल ऑफ एडवैंस्ड स्टडीज, दरबारी सेठ ब्लॉक, हैबीटेड प्लेस, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	05.10.1999	http://www.teriuniversity.ac.in
संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़			
122	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, सेक्टर-12, चण्डीगढ़-160012	16.10.2003	http://www.pec.ac.in
पुदुचेरी			
123	श्री बालाजी विद्यापीठ, महात्मा गांधी मेडीकल कालेज कैम्पस, पान्डी-कुडालोर मेन रोड, पिल्लैयाककुप्पम, पुदुचेरी-607402	04.08.2008	http://www.sbvuniversity.com

तालिका 2.1 (च): दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या

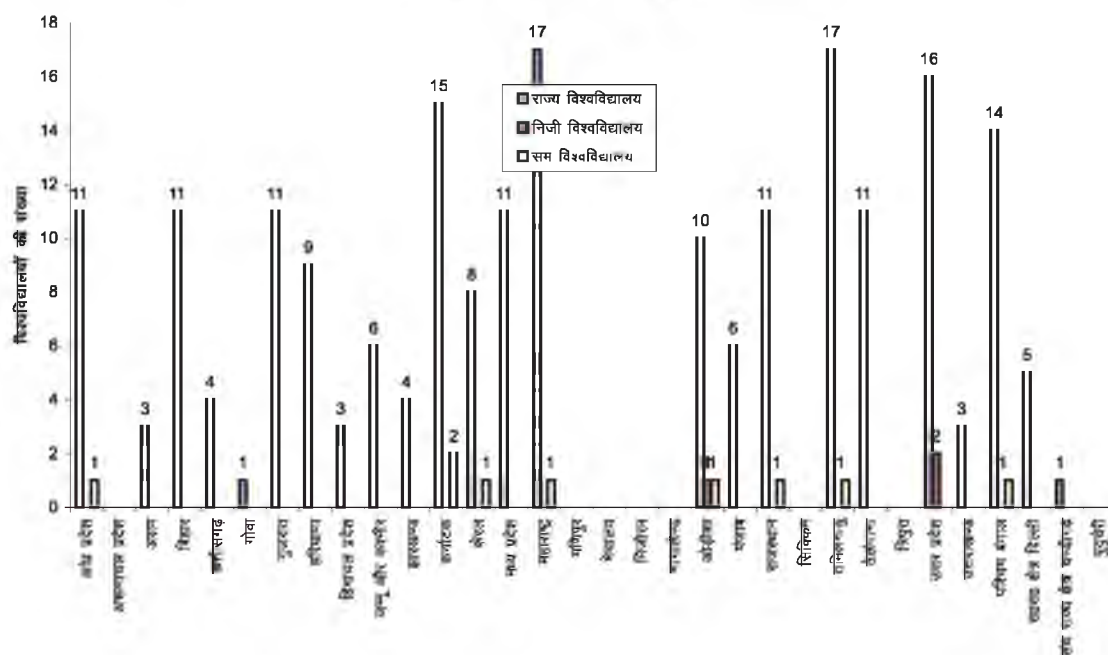
क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या					*धारा 12 (ख) के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालयों की कुल संख्या में से			
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	सम	राज्य विधान मंडल अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान	कुल	राज्य	निजी	सम
1.	आन्ध्रप्रदेश		20		5		25	11		1
2.	अरुणाचल प्रदेश	1		7	1		9			
3.	असम	2	12	5			19	3		
4.	बिहार	3	15		1	1	20	11		
5.	छत्तीसगढ़	1	13	9			23	4		
6.	गोवा		1				1	1		
7.	गुजरात	1	28	28	2		59	11		
8.	हरियाणा	1	14	19	6		40	9		
9.	हिमाचल प्रदेश	1	4	17			22	3		
10.	जम्मू और कश्मीर	2	7		1	1	11	6		
11.	झारखण्ड	1	8	7	1		17	4		
12.	कर्नाटक	1	25	12	14		52	15		2
13.	केरल	1	13		3		17	8		1
14.	मध्य प्रदेश	2	21	23	1		47	11		
15.	महाराष्ट्र	1	21	6	21		49	17		1
16.	मणिपुर	2		1			3			
17.	मेघालय	1		8			9			
18.	मिजोरम	1		1			2			
19.	नागालैण्ड	1		3			4			
20.	ओडीशा	1	16	4	2		23	10	1	1
21.	पंजाब	1	9	15	2	s	27	6		

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या						*धारा 12 (ख) के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालयों की कुल संख्या में से		
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	सम	राज्य विधान मंडल अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान	कुल	राज्य	निजी	सम
22.	राजस्थान	1	22	43	8		74	11		1
23.	सिक्किम	1		5			6			
24.	तमिलनाडु	2	22		28		52	17		1
25.	तेलंगाना	3	16		2		21	11		
26.	त्रिपुरा	1	1	1			3			
27.	उत्तरप्रदेश	6	27	29	9	1	72	16	2	
28.	उत्तराखण्ड	1	11	11	3		26	3		
29.	पश्चिम बंगाल	1	26	8	1		36	14		1
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5	7		10		22	5		
31.	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर		1		1		2	1		
32.	पुदुचेरी	1			1		2			
	कुल	47	360	262	123	3	795	208	3	9

रेखाचित्र 2.1 (च): दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या



रेखाचित्र 2.1 (च): दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (ख) के तहत विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या



2.1(छ) महाविद्यालय

तालिका 2.1(छ)(i) : वर्ष 2016-17 के दौरान महाविद्यालयों** की राज्यवार संख्या और वर्ष 2012-2013 से वर्ष 2016-17 तक महाविद्यालयों की संख्या में हुई वृद्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*	2012-13 से 2016-17 के दौरान हुई वृद्धि
1.	आंध्रप्रदेश	4881	4907	2594	2549	2660	338+
2.	अरुणाचल प्रदेश	17	26	26	29	31	14
3.	असम	571	571	548	554	556	-15
4.	बिहार	695	695	730	772	795	100
5.	छत्तीसगढ़	696	696	717	740	742	46
6.	गोवा	60	66	69	68	68	8
7.	गुजरात	2020	2060	2210	2204	2343	323
8.	हरियाणा	992	1066	1123	1132	1180	188
9.	हिमाचल प्रदेश	349	344	344	364	382	33
10.	जम्मू और कश्मीर	362	379	360	345	327	-35
11.	झारखण्ड	239	279	286	340	340	101
12.	कर्नाटक	3454	3674	3624	3804	3944	490
13.	केरल	1250	1259	1212	1388	1422	172
14.	मध्य प्रदेश	2406	3294	3367	3015	2979	573
15.	महाराष्ट्र	4862	5326	5347	4871	4676	-186
16.	मणिपुर	85	89	86	89	90	5
17.	मेघालय	69	69	67	69	69	-
18.	मिजोरम	28	29	29	29	30	2
19.	नागालैण्ड	60	60	66	67	66	6
20.	ओड़ीशा	1134	1134	1140	1094	1106	-28
21.	पंजाब	1004	1004	1060	1080	1102	98
22.	राजस्थान	2791	2791	2851	3175	3319	528
23.	सिक्किम	15	39	21	25	25	10
24.	तमिलनाडु	2605	2760	2638	2432	2449	-156
25.	तेलंगाना			2404	2540	2559	

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*	2012-13 से 2016-17 के दौरान हुई वृद्धि
26.	त्रिपुरा	47	47	52	55	57	10
27.	उत्तरप्रदेश	4787	5094	5907	6665	6943	2156
28.	उत्तराखण्ड	413	424	429	463	487	74
29.	पश्चिम बंगाल	942	1057	1061	1108	1218	276
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	7	8	8	8	2
31.	चण्डीगढ़	27	27	28	26	26	-1
32.	लक्षद्वीप	3	3	3	4	4	1
33.	दमन और दीव	4	4	7	8	8	4
34.	दिल्ली	240	242	242	219	224	-16
35.	दादरा और नागर हवेली	4	4	10	9	9	5
36.	पुदुचेरी	86	87	94	95	94	8
	कुल	37204	39613	40760	41435	42338	5134

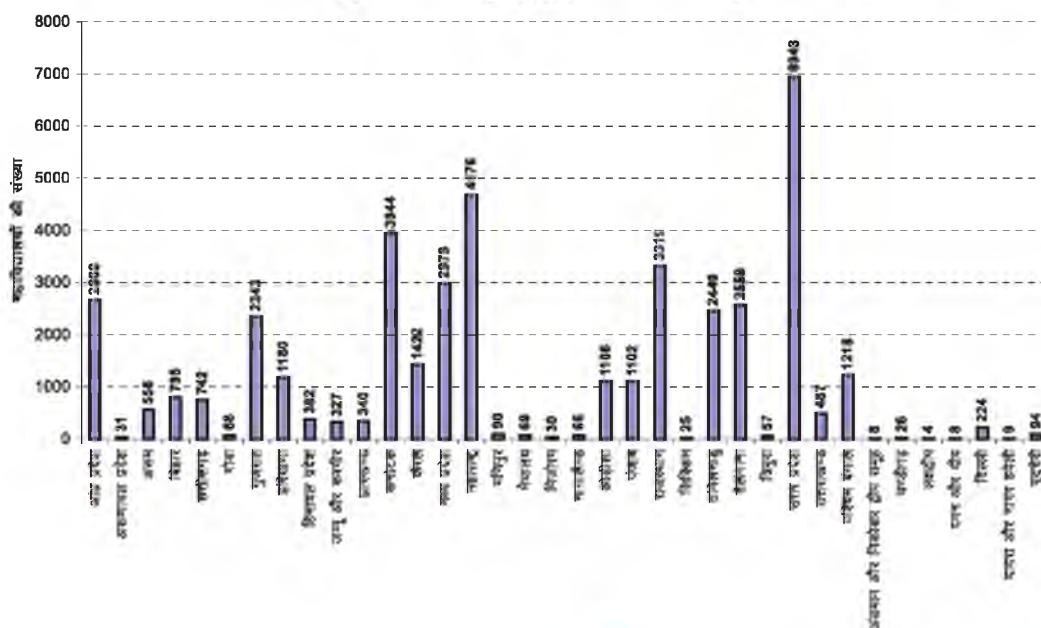
*अनंतिम

+ तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश की समेकित वृद्धि दर्शायी गई है।

** महाविद्यालयों की संख्या में संबद्ध महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय/घटक महाविद्यालय/स्नातकोत्तर केन्द्र/मान्यताप्राप्त केन्द्र/सुदूर स्थित कैम्पस, आदि शामिल हैं।

देश में सबसे अधिक संख्या में महाविद्यालय वाले शीर्षतम छह राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना हैं।

रेखाचित्र 2.1(छ)(i) : वर्ष 2016-17 के दौरान महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या**



2.1(छ)(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत महाविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के संबंध में विनियमों को अधिसूचित किया है। जब भी महाविद्यालय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो विनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुरूप उपर्युक्त पाए जाने पर इन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में लाया जाता है।

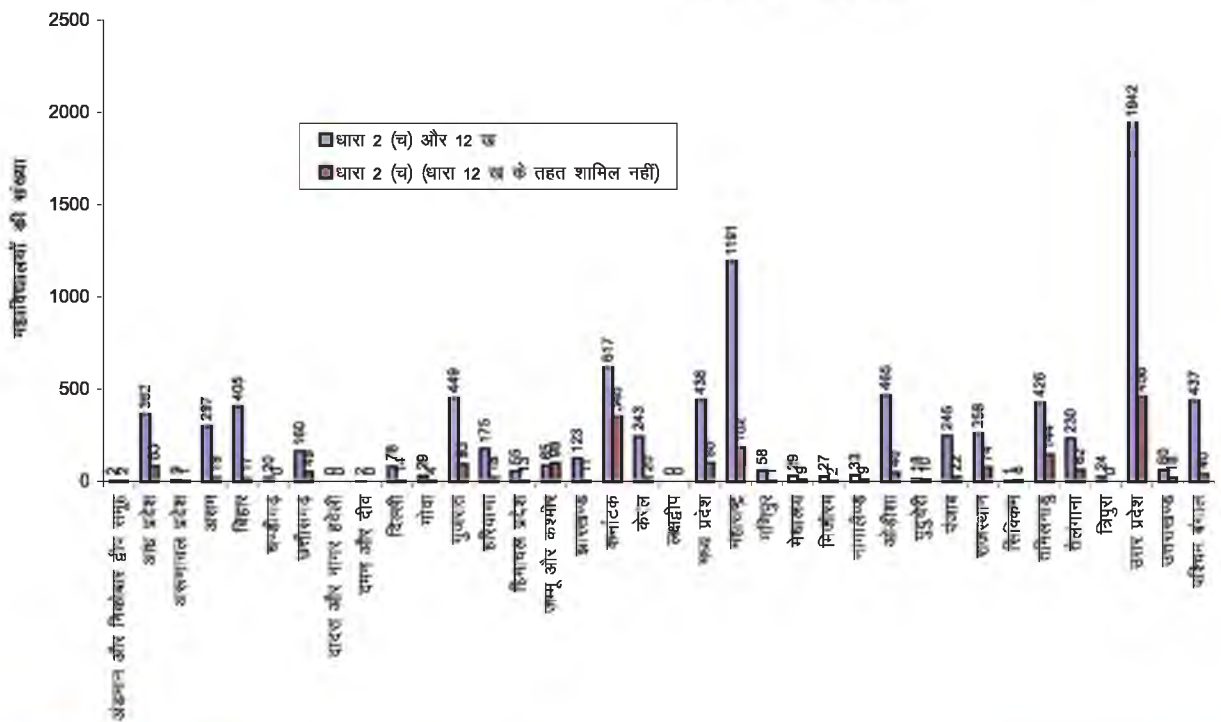
महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत सम्मिलित किए जाने के अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों की शर्तों के अनुरूप धारा 12ख के तहत महाविद्यालयों को सम्मिलित करता है। इससे महाविद्यालय, भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता अथवा केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संगठन से सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हो जाता है।

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत सम्मिलित कुल मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों की संख्या पिछले वर्ष के 10451 (धारा 2(च) के तहत 1836 महाविद्यालय तथा धारा 12(ख) के तहत 8615) की तुलना में 10966 (धारा 2(च) के तहत 1973 महाविद्यालय तथा धारा 12(ख) के तहत 8993) रही।

तालिका 2.1(छ)(ii) : दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 ख के तहत सम्मिलित महाविद्यालयों की (राज्यवार) संख्या

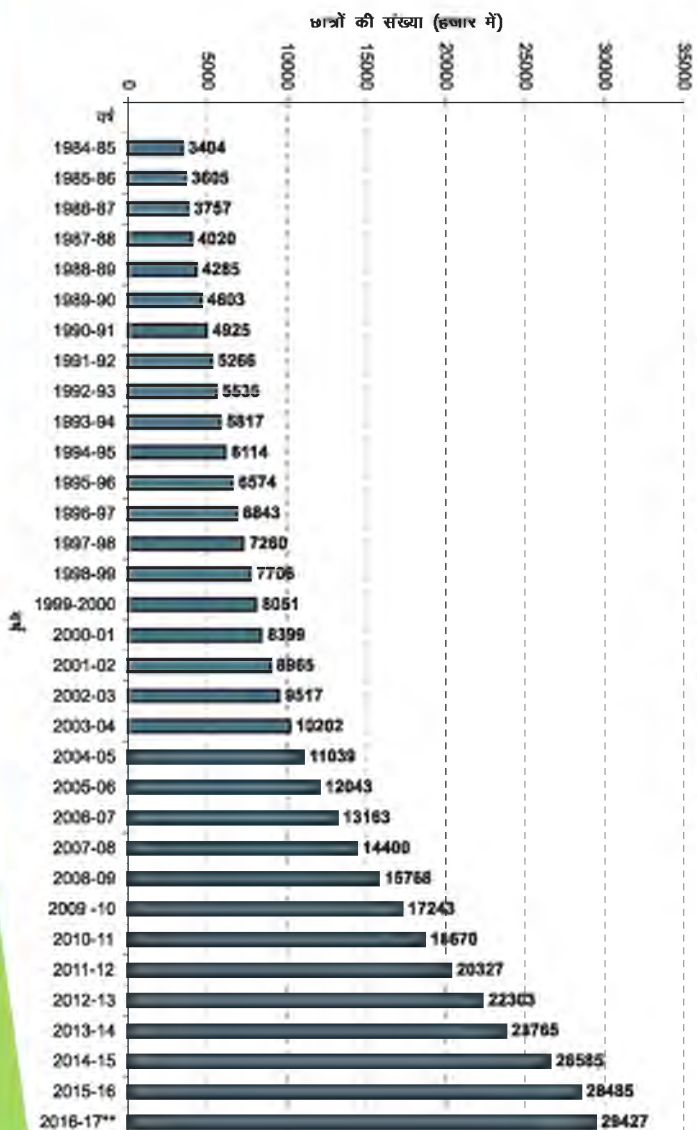
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महाविद्यालयों की संख्या		कुल	क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महाविद्यालयों की संख्या		कुल
		2(च) और 12(ख)	केवल धारा 2(च) (धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित नहीं)				2(च) और 12(ख)	केवल धारा 2(च) (धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित नहीं)	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2	4	19	लक्षद्वीप	0	0	0
2	आन्ध्र प्रदेश	362	83	445	20	मध्य प्रदेश	438	98	536
3	अरुणाचल प्रदेश	9	1	10	21	महाराष्ट्र	1191	182	1373
4	असम	297	19	316	22	मणिपुर	58	1	59
5	बिहार	405	17	422	23	मेघालय	29	9	38
6	चण्डीगढ़	20	0	20	24	मिजोरम	27	2	29
7	छत्तीसगढ़	160	49	209	25	नागालैण्ड	33	9	42
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	26	ओड़ीशा	465	48	513
9	दमन और दीव	2	0	2	27	पुदुचेरी	18	10	28
10	दिल्ली	78	14	92	28	पंजाब	245	22	267
11	गोवा	29	4	33	29	राजस्थान	258	74	332
12	गुजरात	449	93	542	30	सिक्किम	1	8	9
13	हरियाणा	175	18	193	31	तमिलनाडु	426	144	570
14	हिमाचल प्रदेश	55	13	68	32	तेलंगाना	230	62	292
15	जम्मू और कश्मीर	85	98	183	33	त्रिपुरा	24	0	24
16	झारखण्ड	123	11	134	34	उत्तरप्रदेश	1942	456	2398
17	कर्नाटक	617	348	965	35	उत्तराखण्ड	60	18	78
18	केरल	243	20	263	36	पश्चिम बंगाल	437	40	477
						कुल	8993	1973	10966

रेखचित्र 2.1(छ)(ii) : दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 ख तथा केवल धारा 2 (च) के तहत सम्मिलित महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या



****अंतिम आंकड़े (वर्ष 2016-17 के उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण तथा पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर अनुमानित) कवरेज: छात्रों के नामांकन के आंकड़े विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों (बहुकला तथा अन्य डिप्लोमा उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान और उच्चतर शिक्षा की अनौपचारिक प्रणालियों के अलावा) में नियमित पाठ्यक्रमों के संबंध में हैं।**

रेखाचित्र 2.2 (क) : वर्ष 1984-85 से 2016-2017 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्रों के नामांकन (हजार में) में हुई वर्षवार वृद्धि



2.2 छात्र नामांकन

शिक्षा वर्ष 2016-2017 के दौरान समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न स्तरों पर पिछले वर्ष के 284.85 लाख के असंशोधित आंकड़ों की तुलना में 284.27** लाख (अनतिम) छात्रों का नामांकन हुआ। इस प्रकार इसमें 3.31** प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले दो दशकों के दौरान वृहद स्तर पर छात्रों के नामांकन की जो प्रगति दृष्टिगोचर है, वह तालिका 2.2 (क) में दी गयी है। (**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्चतर शिक्षा के संबंध में वर्ष 2016-17 को किए अखिल भारतीय सर्वेक्षण तथा पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर अनुमानित अनंतिम आंकड़े)

तालिका 2.2 (क) :वर्ष 1984-85 से 2016-2017 के दौरान संपूर्ण भारत में छात्रों के नामांकन में हुई वृद्धि

वर्ष	कुल नामांकन	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशतता में हुई वृद्धि
1984-85	3404096	96447	2.9
1985-86	3605029	200933	5.9
1986-87	3757158	152129	4.2
1987-88	4020159	263001	7.0
1988-89	4285489	265330	6.6
1989-90	4602680	317191	7.4
1990-91	4924868	322188	7.0
1991-92	5265886	341018	6.9
1992-93	5534966	532939	5.6
1993-94	5817249	282283	5.1
1994-95	6113929	296680	5.1
1995-96	6574005	460076	7.5
1996-97	6842598	268593	4.1
1997-98	7260418	417820	6.1
1998-99	7705520	445102	6.1
1999-2000	8050607	345087	4.5
2000-01	8399443	348836	4.3

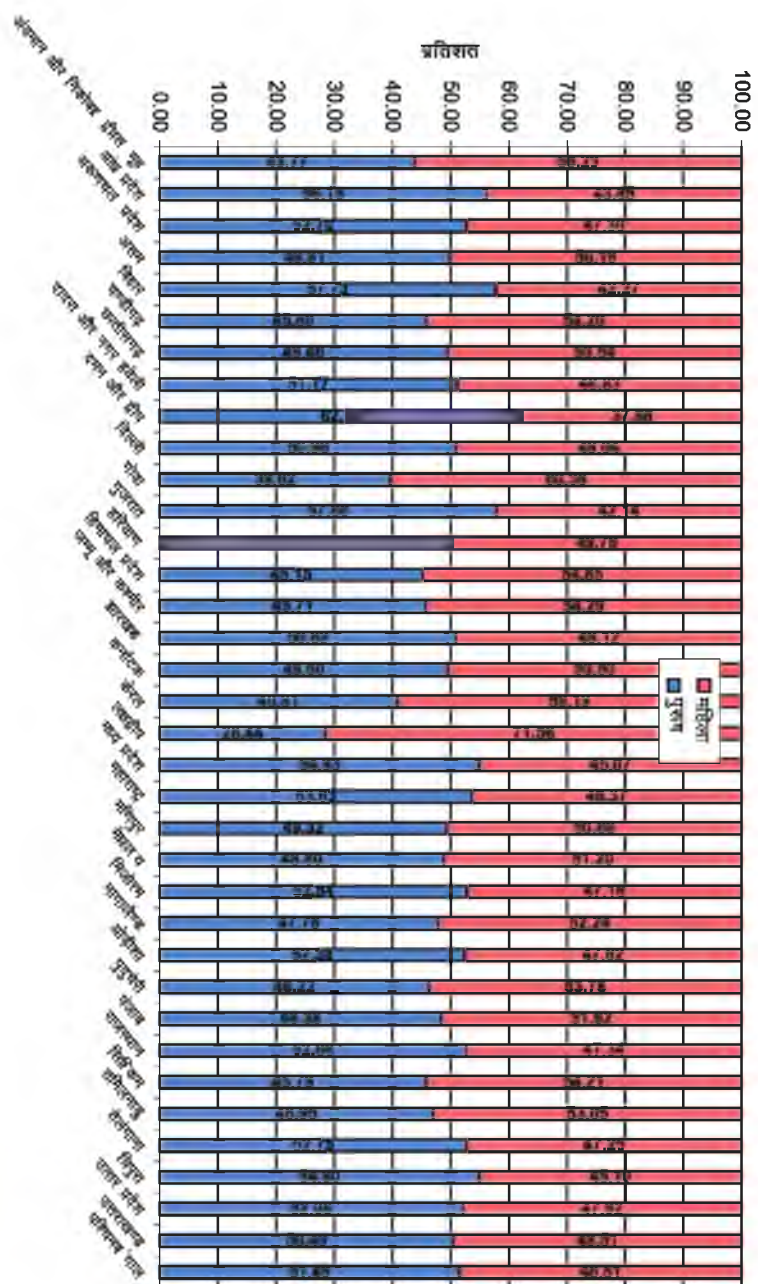
वर्ष	कुल नामांकन	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशतता में हुई वृद्धि
2001-02	8964680	565237	6.7
2002-03	9516773	552093	6.2
2003-04	10201981	685208	7.2
2004-05	11038543	836562	8.2
2005-06	12043050	1004507	9.1
2006-07	13163054	1120004	9.3
2007-08	14400381	1237327	9.4
2008-09	15768417	1368036	9.5
2009-10	17243352	1474935	9.4
2010-11	18670050	1426698	8.3
2011-12	20327478	1657428	8.9
2012-13	22302938	1975460	9.7
2013-14	23764960	1462022	6.6
2014-15	26585437	2820477	11.87
2015-16	28484746	1899309	7.14
2016-17	29427158**	942412**	3.31**

294.27 लाख छात्रों में से 141.56 लाख महिलाएं हैं जो कि इस संपूर्ण संख्या का 48.11 प्रतिशत हैं जबकि, वर्ष 2016–2017 के दौरान विभिन्न राज्यों में कुल छात्र नामांकन और महिला छात्राओं के नामांकन के तुलनात्मक रुझान को तालिका 2.2 (ख) में दर्शाया गया है। परिशुद्ध संख्या के संदर्भ में देखा जाए तो, छात्रों का सर्वाधिक नामांकन उत्तर प्रदेश में (58.71 लाख), तत्पश्चात् महाराष्ट्र (30.95 लाख), तमिलनाडु (24.82 लाख) तथा मध्य प्रदेश (16.76 लाख) आदि रहा है।

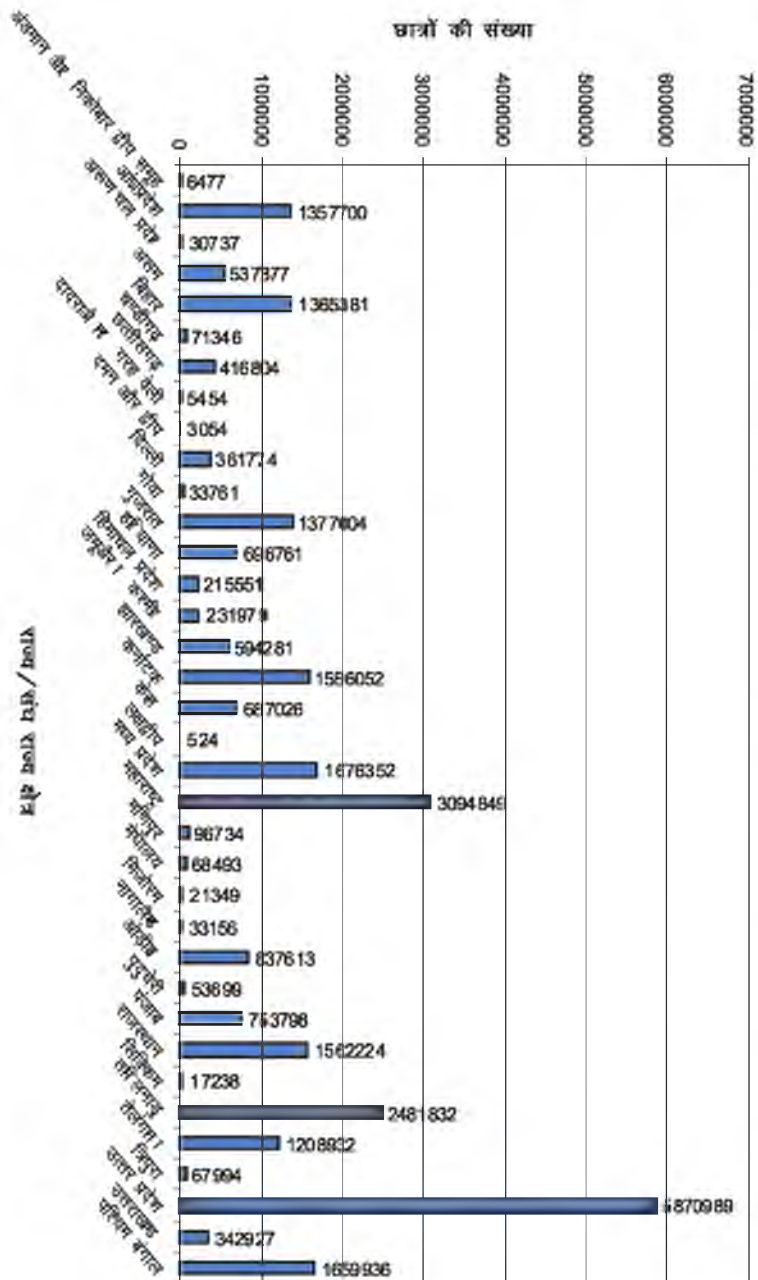
तालिका 2.2 (ख): वर्ष 2016–17 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्रों का राज्यवार नामांकन[^]:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिलाओं का प्रतिशत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,477	3,642	56.23
2	आंध्रप्रदेश	13,57,700	5,95,285	43.85
3	अरुणाचल प्रदेश	30,737	14,540	47.30
4	असम	5,37,377	2,69,690	50.19
5	बिहार	13,65,381	5,77,159	42.27
6	चण्डीगढ़	71,346	38,668	54.20
7	छत्तीसगढ़	4,16,804	2,10,650	50.54
8	दादरा और नगर हवेली	5,454	2,663	48.83
9	दमन और दीप	3,054	1,150	37.66
10	दिल्ली	3,61,774	1,77,397	49.04
11	गोवा	33,761	20,384	60.38
12	गुजरात	13,77,004	5,80,251	42.14
13	हरियाणा	6,96,761	3,46,699	49.76
14	हिमाचल प्रदेश	2,15,551	1,18,240	54.85
15	जम्मू और कश्मीर	2,31,979	1,25,938	54.29
16	झारखण्ड	5,94,281	2,91,888	49.12
17	कर्नाटक	15,86,052	8,00,899	50.50
18	केरल	6,87,026	4,06,622	59.19
19	लक्षद्वीप	524	375	71.56
20	मध्य प्रदेश	16,76,352	7,55,597	45.07
21	महाराष्ट्र	30,94,849	14,34,965	46.37
22	मणिपुर	96,734	49,023	50.68
23	मेघालय	68,493	35,066	51.20
24	मिजोरम	21,349	10,068	47.16
25	नागालैण्ड	33,156	17,321	52.24
26	ओड़ीशा	8,37,613	3,98,853	47.62
27	पुदुचेरी	53,699	28,879	53.78
28	पंजाब	7,53,798	3,89,083	51.62
29	राजस्थान	15,62,224	7,39,488	47.34
30	सिक्किम	17,238	9,344	54.21
31	तमिलनाडु	24,81,832	13,16,605	53.05
32	तेलंगाना	12,08,932	5,71,166	47.25
33	त्रिपुरा	67,994	30,666	45.10
34	उत्तर प्रदेश	58,70,989	28,13,226	47.92
35	उत्तराखण्ड	3,42,927	1,69,800	49.51
36	पश्चिम बंगाल	16,59,936	8,05,200	48.51
	कुल योग	294,27,158	14,15,64,90	48.11

[^]अनन्तिम आंकड़े



रेखाचित्र 2.2 (ख)(i): वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्रों का राज्यवार नानांकन :



रेखाचित्र 2.2 (ख)(ii): वर्ष 2016-17 के दौरान नानांकित छात्रों का राज्य-वार और लिंग-वार संवितरण

2.2(ग): स्तर-वार छात्र नामांकन

शिक्षा वर्ष 2016–2017 के दौरान नामांकन की स्थिति से पता चलता है कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली में स्नातकपूर्व स्तर पर विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों में सबसे अधिक छात्रों का नामांकन होता है। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों दोनों को मिलाकर, अन्तिम रूप से इस स्तर पर 86.39 प्रतिशत छात्र नामांकन प्राप्त करते हैं। ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों (पीओजीओ) में नामांकन दर्ज कराया है, उनका प्रतिशत 9.61 प्रतिशत रहा जबकि शोध (एमओफिलओ/पीओएचडीओ) पाठ्यक्रमों हेतु नामांकन करने वाले छात्रों की प्रतिशतता अत्यंत न्यून अर्थात् 0.79 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार, डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा समेकित पाठ्यक्रमों के लिए कुल छात्रों में से क्रमशः मात्र 2.60 तथा 0.61 प्रतिशत छात्रों ने ही नामांकन करवाया।

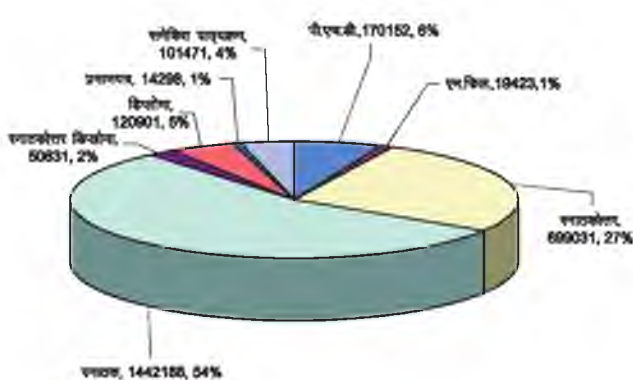
विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में छात्र नामांकन के संवितरण के संबंध में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत छात्रों का सर्वाधिक नामांकन महाविद्यालयों में हुआ। स्नातकपूर्व छात्रों के लगभग 94.33 प्रतिशत और सभी स्नातकोत्तर छात्रों के लगभग 75.28 प्रतिशत छात्रों ने महाविद्यालयों में नामांकन दर्ज करवाया। जबकि, शेष छात्र विश्वविद्यालयों में थे। इसके विपरीत, कुल शोध छात्रों में से मात्र 81.89 प्रतिशत छात्र विश्वविद्यालयों में नामांकित थे। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि छात्रों की कुल संख्या में से अधिकांश छात्रों ने संबद्ध महाविद्यालयों में नामांकन दर्ज करवाया है जहां उच्चतर शिक्षण की नींव रखी जाती है, विशेषरूप से तर्कसंगतता, पहुँच तथा समानता, गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता आदि के संवर्धन के लिए महाविद्यालय क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिये जाने तथा उसका अधिक वित्तपोषण किये जाने की आवश्यकता है।

तालिका 2.2(ग): वर्ष 2016–17 के दौरान स्तरवार छात्र नामांकन*

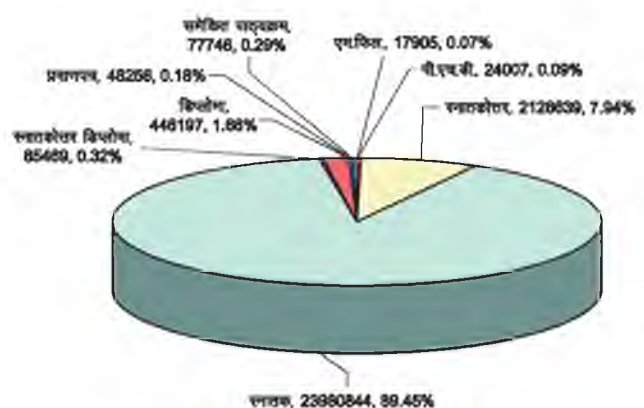
स्तर	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग		महाविद्यालय+		कुल		कुल प्रतिशत में से स्तर-वार प्रतिशत	महाविद्यालयों में छात्रों का प्रतिशत
	कुल	महिला	कुल	महिला	कुल	महिला		
पी.एच.डी.	170152	70277	24007	9603	194159	79880	0.66	12.36
एम.फिल.	19423	10105	17905	12425	37328	22530	0.13	47.97
स्नातकोत्तर	699031	328085	2128639	1190425	2827670	1518510	9.61	75.28
स्नातक	1442188	471736	23980844	11719338	25423032	12191074	86.39	94.33
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	50631	22273	85469	46805	136100	69078	0.46	62.80
डिप्लोमा	120901	24664	446197	145307	567098	169971	1.93	78.68
प्रमाणपत्र	14298	5663	48256	26018	62554	31681	0.21	77.14
समेकित पाठ्यक्रम	101471	40091	77746	33675	179217	73766	0.61	43.38
कुल	2618095	972894	26809063	13183596	29427158	14156490	100.00	91.10

*अन्तिम

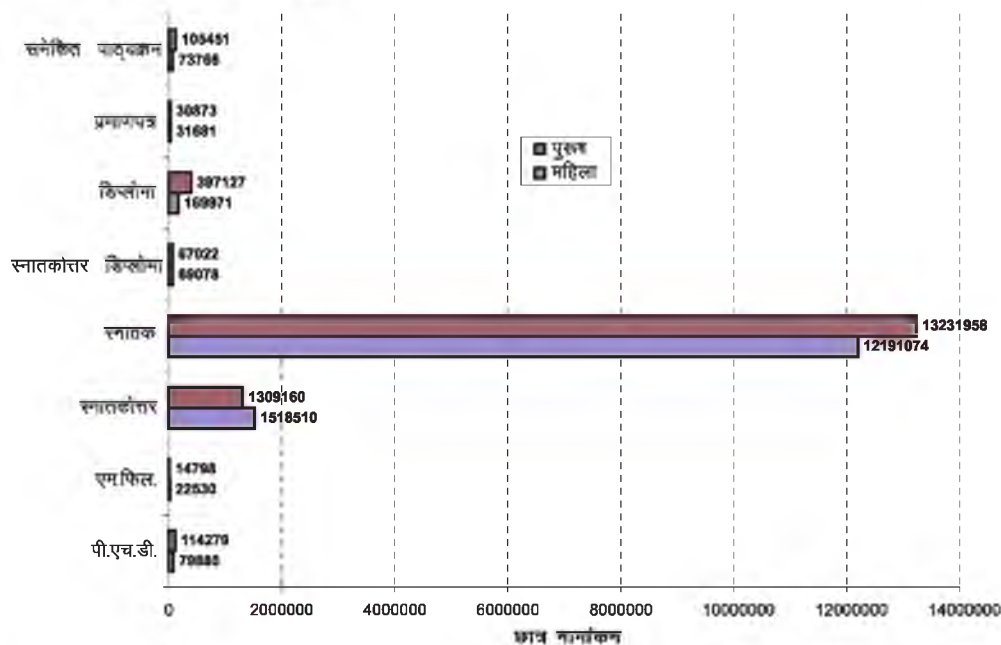
रेखाचित्र 2.2 (ग)(i): वर्ष 2016–17 के दौरान विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में स्तरवार छात्र नामांकन



रेखाचित्र 2.2 (ग)(ii): वर्ष 2016–17 के दौरान महाविद्यालयों में स्तरवार छात्र नामांकन



रेखाचित्र 2.2 (ग)(iii): वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में स्तरवार और लिंगवार छात्र नामांकन*



2.2 (घ) संकाय-वार छात्र नामांकन

शिक्षा वर्ष 2016-17 के दौरान संकाय-वार छात्रों नामांकन यह उद्घटित करता है कि छात्रों के कुल नामांकन (294.27 लाख) में से 35.15 प्रतिशत छात्र कला संकाय में थे, इसके बाद विज्ञान में 16.88 प्रतिशत, वाणिज्य/प्रबंध विज्ञान में 13.23 प्रतिशत छात्र थे। इस प्रकार, कुल नामांकन में से 65 प्रतिशत से अधिक छात्र नामांकन, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में थे, जबकि शेष 35 प्रतिशत व्यावसायिक संकायों में थे, जिनमें से अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में सर्वाधिक नामांकन अर्थात् 16.25 प्रतिशत था और उसके बाद चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 4.02 प्रतिशत तत्पश्चात् शिक्षा (अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) 4.04 प्रतिशत आदि था। भारत जैसे देश में जहाँ कृषि और संबद्ध व्यवसाय ही प्रमुख पेशे हैं, वहाँ कृषि पाठ्यक्रमों में नामांकन केवल 0.82 प्रतिशत और पशु-चिकित्साविज्ञान में यह नगण्य, 0.12 प्रतिशत रहा। इस प्रकार, जैसा कि संकाय-वार वितरण से स्पष्ट है कि पेशेवर की तुलना में गैर-पेशेवर नामांकन का अनुपात लगभग 1:2 रहा।

तालिका 2.2(घ): वर्ष 2016-2017 के दौरान संकाय-वार छात्र नामांकन*

क्र.सं.	संकाय	छात्र नामांकन		कुल की प्रतिशतता	कुल नामांकन में महिलाओं का प्रतिशत
		कुल	महिला		
1	कृषि	241303	68187	0.82	0.48
2	कला	10343541	5670875	35.15	40.06
3	वाणिज्य	3893213	1915443	13.23	13.53
4	कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान	968153	448118	3.29	3.17
5	शिक्षा	1187846	763496	4.04	5.39
6	अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी	4781913	1364660	16.25	9.64
7	विधि	475463	164293	1.62	1.16
8	प्रबंधन	997580	394462	3.39	2.79
9	चिकित्सा	1182971	717203	4.02	5.07
10	अन्य	353673	163706	1.20	1.16
11	विज्ञान	4966190	2474474	16.88	17.48
12	पशु-चिकित्साविज्ञान	35312	11573	0.12	0.08
	कुल	29427158	14156490	100.00	100.00

* अनन्तिम आंकड़े

कला संकाय में मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा भाषाएं आदि सम्मिलित हैं।

विज्ञान संकाय में गृह विज्ञान सम्मिलित हैं।

शिक्षा संकाय में शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, विद्या वरिधि एवं वाचस्पति आदि सम्मिलित हैं।

अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय में कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, डेबरी प्रौद्योगिकी एवं वास्तुकला आदि सम्मिलित हैं।

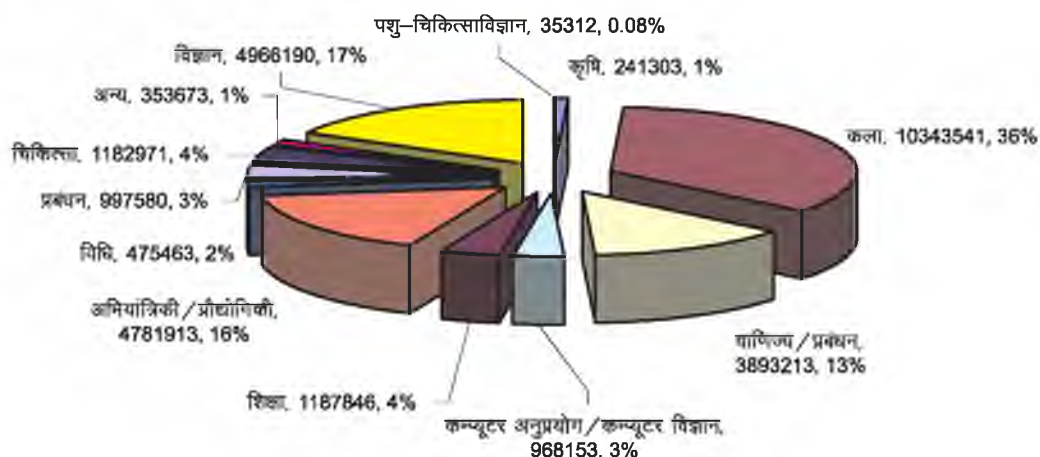
चिकित्सा संकाय में आयुर्वेद, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, परिचर्या, मेडजी, जन स्वास्थ्य/सामाजिक निवारक औषधि, यूनानी, तिबिया, भौतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, पेशे से संबंधित चिकित्सा और सिद्ध चिकित्सा आदि सम्मिलित हैं।

कृषि संकाय में बागवानी, रेशम उत्पादन एवं वानिकी आदि सम्मिलित हैं।

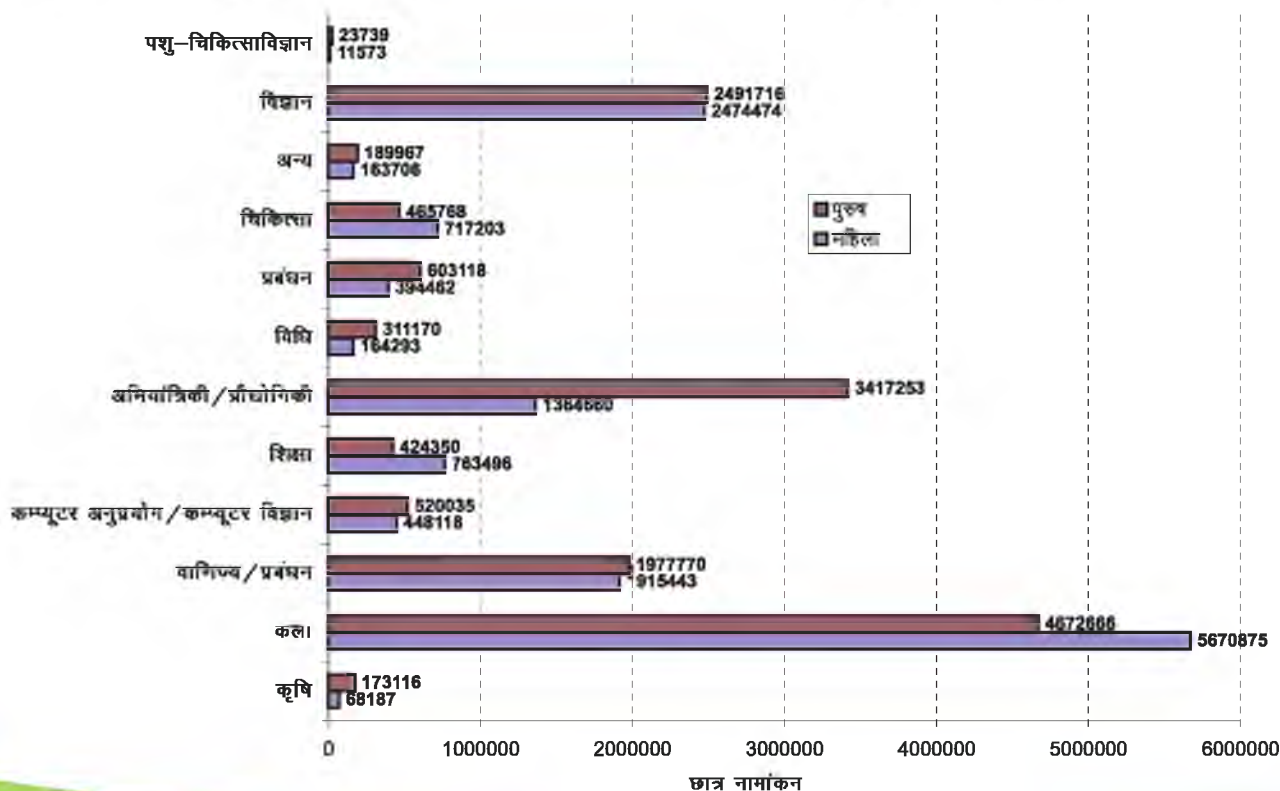
पशु-चिकित्साविज्ञान संकाय में मत्स्य पालन, डेबरी विज्ञान, पशु विज्ञान आदि सम्मिलित हैं।

अन्य में पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान, संगीत, प्रदर्शन/दृश्य कला, पत्रकारिता एवं जनसंचार, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक कार्य आदि सम्मिलित हैं।

रेखाचित्र 2.2(घ)(i): वर्ष 2016-2017 के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में संकाय-वार छात्र नामांकन



रेखाचित्र 2.2(घ)(ii): वर्ष 2016-2017 के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में संकाय-वार, लिंग-वार छात्र नामांकन



2.3 संकाय संख्या

शिक्षा वर्ष 2016–2017 के दौरान, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की कुल संख्या पिछले वर्ष की 14.38 लाख शिक्षकों की तुलना में 14.70 लाख थी। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लगभग 40.16 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं। [तालिका 2.3(ग)]। 14.70 लाख शिक्षकों में से 88.96 प्रतिशत शिक्षक महाविद्यालयों में थे तथा शेष 11.04 प्रतिशत शिक्षक विश्वविद्यालयों में थे –तालिका 2.3(ख) तथा तालिका 2.3(क)

तालिका 2.3(क): वर्ष 2016–2017 के दौरान पदनाम-वार विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों** के शिक्षण कर्मचारिवृद्धों का ब्यौरा

2016-17	आचार्य*	उपाचार्य / सह-आचार्य	व्याख्याता (चयन ग्रेड / वरिष्ठ वेतनमान)	सहायक आचार्य / व्याख्याता	अनुशिक्षक / निदर्शक	कुल
	34370 (21.17%)	25013 (15.41%)	1188 (0.73%)	96453 (59.42%)	5298 (3.27%)	162322 (100.0%)

*इनमें आचार्य के समकक्ष निदेशक तथा वरिष्ठ शिक्षक शामिल हैं।

** अनन्तिम आँकड़े

टिप्पणी : (क) लघु कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े कुल कर्मचारिवृद्धों की तुलना में संवर्गों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

(ख) अंशकालिक/तदर्थ/अनुबंधात्मक/अभ्यगत शिक्षक/शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आदि को सहायक आचार्य/व्याख्याता के तहत सम्मिलित किया गया है।

रेखाचित्र 2.3(क): वर्ष 2016–2017 के दौरान विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में शिक्षण कर्मचारिवृद्धों का स्तर-वार ब्यौरा



तालिका 2.3(ख): वर्ष 2016–2017 के दौरान पदनाम-वार महाविद्यालयों ** के शिक्षण कर्मचारिवृद्धों का ब्यौरा

2016-17	आचार्य*	उपाचार्य / सह-आचार्य	व्याख्याता (चयन ग्रेड / वरिष्ठ वेतनमान)	सहायक आचार्य / व्याख्याता	अनुशिक्षक / निदर्शक	कुल
	110879 (8.48%)	159912 (12.23%)	38901 (2.97%)	949925 (72.63%)	48251 (3.69%)	1307868 (100.0%)

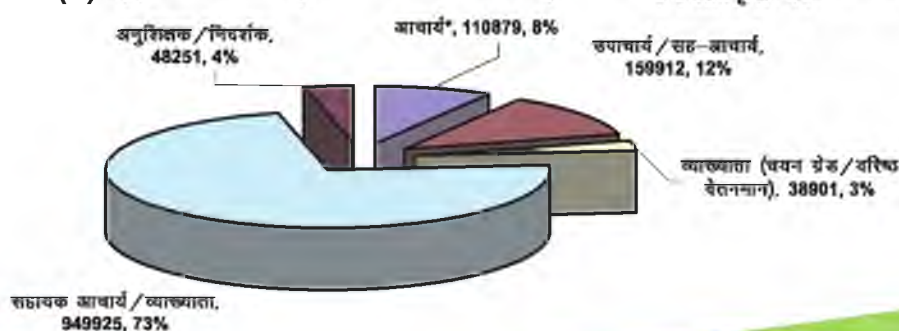
* इनमें प्राचार्य एवं वरिष्ठ शिक्षक सम्मिलित हैं जोकि आचार्य के समतुल्य हैं।

** अनन्तिम आँकड़े

टिप्पणी : (क) लघु कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े कुल कर्मचारिवृद्धों की तुलना में संवर्गों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

(ख) अंशकालिक/तदर्थ/अनुबंधात्मक/अभ्यगत शिक्षक/शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आदि को सहायक आचार्य/व्याख्याता के तहत सम्मिलित किया गया है।

रेखाचित्र 2.3(ख): वर्ष 2016–2017 के दौरान महाविद्यालयों के शिक्षण कर्मचारिवृद्धों का स्तर-वार ब्यौरा



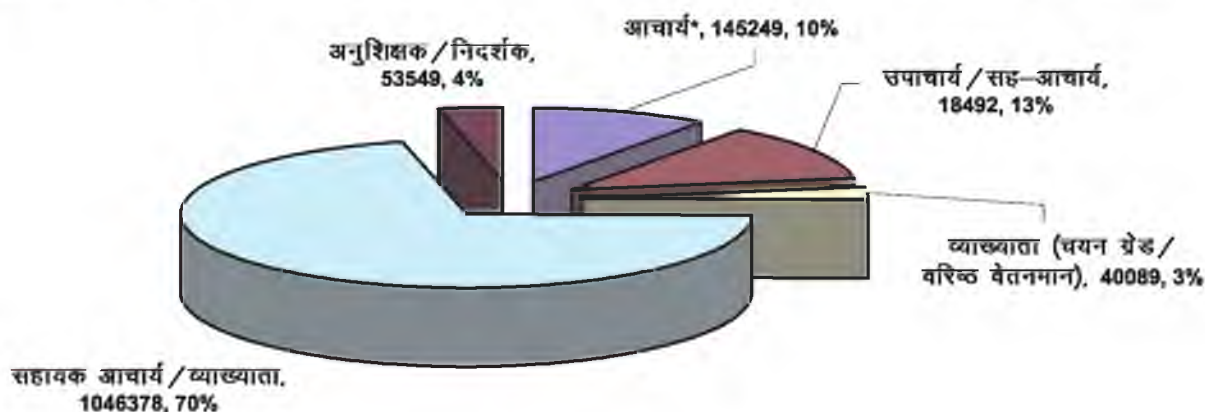
प्रतिशतता के आधार पर वर्ष 2016-2017 के दौरान, विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभागों और महाविद्यालयों में प्रतिशत के संदर्भ में शिक्षकों की श्रेणीवार स्थिति निम्नवत है:

तालिका 2.3(ग): वर्ष 2016-2017 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारिवृद्धों का पदनाम-वार संवितरण*

पदनाम	शिक्षण से जुड़े कर्मचारिवृद्धों की संख्या					
	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग		महाविद्यालय		कुल योग (कुल का प्रतिशत)	
	कुल	महिला	कुल	महिला	कुल	महिला
आचार्य*	34370	7646	110879	29197	145249 (9.88%)	36843 (6.24%)
सह-आचार्य/उपाचार्य	25013	7240	159912	58050	184925 (12.58%)	65290 (11.06%)
व्याख्याता (चयनग्रेड/वरिष्ठ वेतनमान)	1188	505	38901	15138	40089 (2.73%)	15643 (2.65%)
सहायक आचार्य/व्याख्याता	96453	35977	949925	404413	1046378 (71.17%)	440390 (74.58%)
अनुशिक्षक/निर्देशक	5298	2820	48251	29457	53549 (3.64%)	32277 (5.47%)
कुल	162322	54188	1307868	536255	1470190 (100.00 %)	590443 (100.00 %)

*अनंतिम आंकड़े

रेखाचित्र 2.3(ग): वर्ष 2016-2017 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षण कर्मचारिवृद्धों का स्तर-वार ब्यौरा



2.4 विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शोध का विकास

अनुसंधान लगभग सभी विषयों में ज्ञान के मौजूदा स्वरूप को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। हालांकि, इसके पारंपरिक चित्रण-वर्णन से पता चलता है कि शोध प्रयोगशालाओं में किया जाता है, वास्तव में यह लगभग सभी विषयों— अंग्रेजी से भौतिकी, स्वास्थ्य विज्ञान से लेकर इतिहास तक, रसायन विज्ञान से लेकर आपराधिक न्याय में किया जाता है। इसके लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी सबसे मौलिक स्तर पर अनुसंधान का अभिप्राय किसी विषय के संबंध में बोध में वृद्धि करना है।

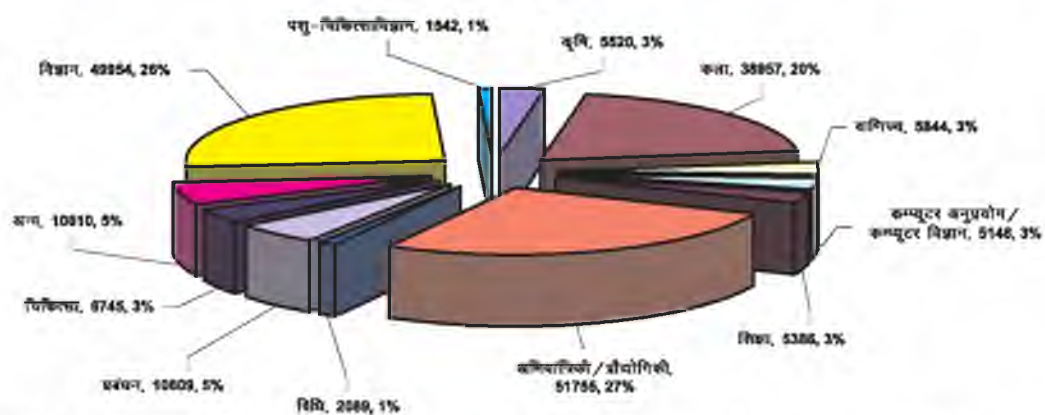
शिक्षण और अनुसंधान एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, वे एक दूसरे के पूरक क्रियाकलाप हैं। छात्रों को अनुसंधान में अनुभव प्राप्त करने से काफी लाभ होता है और उन्हें अपनी भागीदारी के फलस्वरूप बेशकीमती व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित होते हैं। शोध कार्य करने वाले संकाय, छात्रों के साथ नवीनतम जानकारीयां साझा करते हैं तथा उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्र में गहराई से अन्वेषण करने का अवसर प्रदान करते हैं।

2.4(क): विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पीएचडी/ एमफिल नामांकन

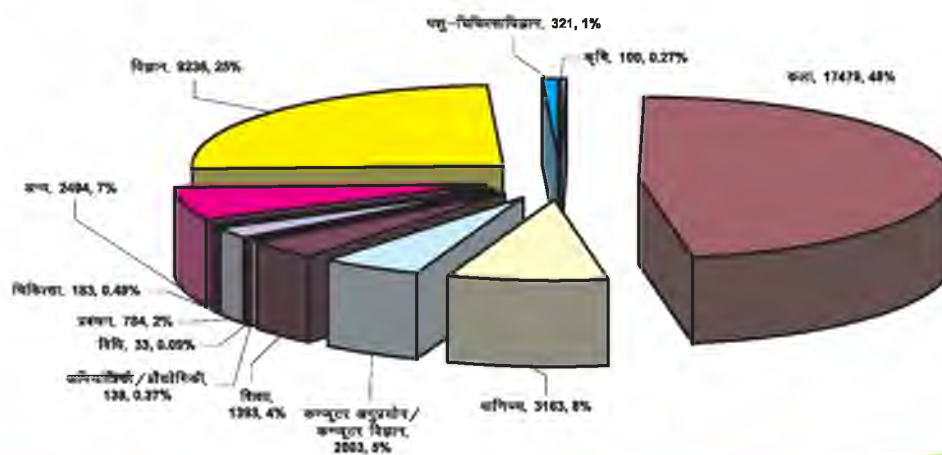
तालिका 2.4(क): वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शोध पाठ्यक्रमों में संकायवार नामांकन

क्र.सं.	संकाय	छात्र नामांकन					
		पी.एच.डी.			एम.फिल.		
		कुल	महिला	कुल का प्रतिशत	कुल	महिला	कुल का प्रतिशत
1	कृषि	5520	1932	2.84	100	42	0.27
2	कला	38957	17845	20.07	17479	9834	46.83
3	वाणिज्य	5844	2770	3.01	3163	2118	8.47
4	कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान	5148	2421	2.65	2003	1484	5.37
5	शिक्षा	5386	3099	2.77	1393	804	3.73
6	अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी	51755	15894	26.66	139	67	0.37
7	विधि	2089	954	1.08	33	19	0.09
8	प्रबंधन	10609	4754	5.46	784	454	2.1
9	चिकित्सा	6745	3034	3.47	183	137	0.49
10	अन्य	10610	4384	5.47	2494	1251	6.68
11	विज्ञान	49954	22215	25.73	9236	6189	24.74
12	पशु-चिकित्साविज्ञान	1542	578	0.79	321	131	0.86
	कुल	194159	79880	100.001	37328	22530	100.00

रेखाचित्र 2.4(क)(i): वर्ष 2016-2017 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पीएचडी पाठ्यक्रमों के संदर्भ में संकायवार छात्र नामांकन



रेखाचित्र 2.4(क)(ii): वर्ष 2016-2017 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में एमफिल पाठ्यक्रमों में संकायवार छात्र नामांकन



2.4 (ख) वर्ष 2015-16 के दौरान अवार्ड की गई पीएचडी/ एमफिल उपाधियां

विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त शोध उपाधियों (पीएचडी) की संख्या वर्ष 2014-2015 के दौरान 27327 से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 27671 हो गई और इस प्रकार 1.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2015-16 के दौरान प्रदत्त पीएचडी उपाधियों में विज्ञान संकाय संकाय में प्रदत्त उपाधियों की संख्या सर्वाधिक थी जो कि 7636 उपाधियां थी, उसके बाद 6711 उपाधियों के साथ कला संकाय का स्थान रहा, तथा अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी संकाय में 4772 उपाधियां प्रदान की गई। वाणिज्य/प्रबंधन संकाय में 1350 उपाधियां प्रदान की गई। शिक्षा संकाय में 876 उपाधियां, चिकित्सा संकाय में 1021 उपाधियां, कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ कम्प्यूटर विज्ञान में 698 उपाधियां तथा अन्य विधाओं में 2091 उपाधियां प्रदान की गई।

विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अवार्ड की गई उपाधियों की संख्या वर्ष 2014-15 में 22899 से बढ़कर 2015-16 में 24283 हो गई, इस प्रकार 6.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2015-16 में अवार्ड की गई कुल एम.फिल. उपाधियों में से कला संकाय में सबसे अधिक 10260 उपाधियां प्रदान की गई, इसके बाद विज्ञान संकाय में 5626 उपाधियां प्रदान की गई। वाणिज्य/ प्रबंधन संकाय में 2755 उपाधियां, कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ विज्ञान में 1724 उपाधियां, शिक्षा में 1217 उपाधियां, अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी में 67 उपाधियां, विधि में 47 उपाधियां तथा अन्य संकायों में 2161 उपाधियां प्रदान की गई।

महिलाओं को 42.38 प्रतिशत पी.एच.डी. उपाधियां तथा 67.11 प्रतिशत एम.फिल. की उपाधियां प्रदान की गई।

तालिका 2.4 (ख): वर्ष 2015-16 के दौरान संकाय-वार प्रदान की गई एमफिल और डाक्टोरल उपाधियां (पीएचडी)*

क्र.सं.	संकाय	प्रदान की गई एमफिल/ पीएचडी की संख्या (2015-16)			
		एम.फिल.		पी.एच.डी	
		कुल	महिला	कुल	महिला
1	कृषि	120	33	1350	493
2	कला	10260	6912	6711	3164
3	वाणिज्य	1995	1473	768	364
4	कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान	1724	1235	698	220
5	शिक्षा	1217	838	876	465
6	अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी	67	32	4772	1528
7	विधि	47	19	290	131
8	प्रबंधन	760	464	1175	532
9	चिकित्सा	157	129	1021	437
10	अन्य	2161	1115	2091	950
11	विज्ञान	5626	3998	7636	3377
12	पशु-चिकित्साविज्ञान	149	49	283	65
	कुल	24283	16297	27671	11726

*अनंतिम आंकड़े (वर्ष 2015-16 के दौरान विश्वविद्यालयों से एकत्रित किए गए एआईएसएचई तथा विओआओ के आंकड़ों पर आधारित)

कला संकाय में मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा भाषाएं आदि सम्मिलित हैं।

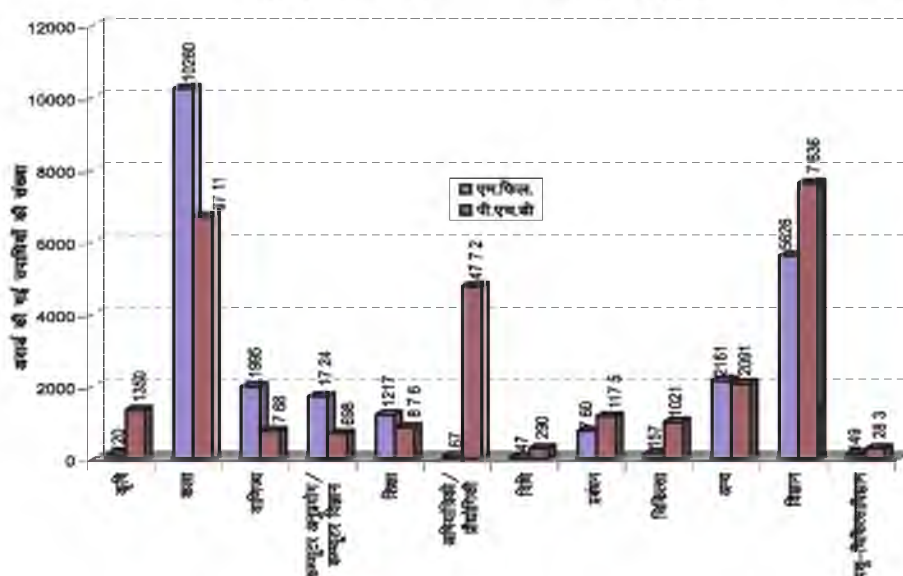
विज्ञान संकाय में गृह विज्ञान सम्मिलित हैं।

शिक्षा संकाय में विद्या वरिधि एवं वाचस्पति सम्मिलित हैं।

चिकित्सा संकाय में आयुर्वेद, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, परिचर्या, मेषजी, जन स्वास्थ्य/सामाजिक निवारक औषधि, यूनानी, तिबिया, भौतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा और सिद्ध चिकित्सा आदि सम्मिलित हैं।

अन्य में पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान, संगीत, प्रदर्शन/दृश्य कला, पत्रकारिता एवं जनसंचार, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक कार्य आदि सम्मिलित हैं।

रेखाचित्र 2.4(ख): वर्ष 2016-2017 के दौरान संकाय वार प्रदान की गई पी.एच.डी और एम.फिल. की उपाधियाँ



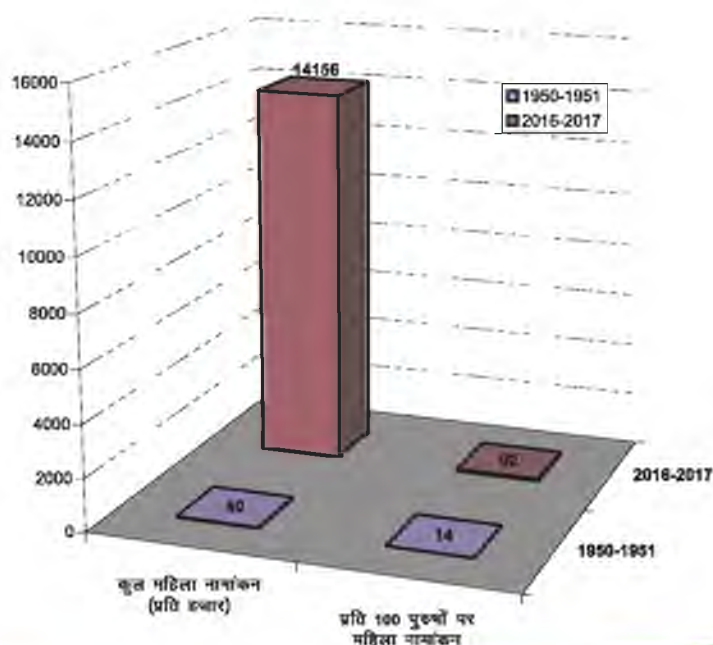
2.5 उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में वृद्धि

स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में व्यापक स्तर पर वृद्धि हुई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय महिलाओं का नामांकन, कुल नामांकन का 10 प्रतिशत से भी कम था वह शिक्षा वर्ष 2016-2017 के दौरान 48.11 प्रतिशत तक बढ़ गया। विशेषरूप से, पिछले दो दशकों के दौरान विकास की दर तीव्र रही है। जैसा कि तालिका 2.5(क) में दिये गए आंकड़े दर्शाते हैं, प्रति 100 पुरुषों की तुलना में नामांकित महिलाओं की संख्या में वर्ष 1950-51 की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान 92 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है।

तालिका 2.5(क): प्रति सौ पुरुष शिक्षार्थियों पर महिला शिक्षार्थियों की संख्या

वर्ष	कुल महिला नामांकन (प्रति हजार)	प्रति 100 पुरुषों पर महिला नामांकन
1950-1951	40	14
2016-2017	14156	92

रेखाचित्र 2.5(क): विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रति सौ पुरुष शिक्षार्थियों पर महिला शिक्षार्थियों का नामांकन (हजार में) (वर्ष 1950-51 : 2016-17)



2.5(ख) राज्य और संकाय-वार महिला शिक्षार्थियों का नामांकन

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्यों में महिला नामांकन का संवितरण यह दर्शाता है कि राज्यों में कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में महिला नामांकन के संदर्भ में लक्षद्वीप में सबसे अधिक (71.56 प्रतिशत) नामांकन रहा तत्पश्चात् गोवा में (60.38 प्रतिशत) नामांकन रहा। ऐसे कुल 23 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिनमें महिला नामांकन 48.11 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक रहा। शेष राज्यों में महिला नामांकन, राष्ट्रीय औसत से कम रहा जिसमें दमन और दीव में सबसे कम अर्थात् 37.66 प्रतिशत महिला नामांकन दर्ज किया गया। परिशुद्ध आंकड़ों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य छात्राओं के नामांकन के मामले में शीर्ष पर रहा है (28.13 लाख) जिसके बाद महाराष्ट्र (14.35 लाख) तत्पश्चात् तमिलनाडु (13.17 लाख) आदि हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन का संकाय-वार संवितरण नीचे तालिका 2.5(ख) में दिया गया है:

तालिका 2.5(ख): वर्ष 2016-2017 के दौरान संकायवार* महिला नामांकन

क्र.सं.	संकाय	महिला नामांकन*	कुल नामांकन में महिलाओं का प्रतिशत
1.	कृषि	68187	0.48
2.	कला	5670875	40.06
3.	वाणिज्य	1915443	13.53
4.	कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ कम्प्यूटर विज्ञान	448118	3.17
5.	शिक्षा	763496	5.39
6.	अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी	1364660	9.64
7.	विधि	164293	1.16
8.	प्रबंधन	394462	2.79
9.	चिकित्सा	717203	5.07
10.	अन्य	163706	1.16
11.	विज्ञान	2474474	17.48
12.	पशु-चिकित्साविज्ञान	11573	0.08
	कुल	14156490	100.00

* अनन्तिम आंकड़े

कला संकाय में मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा भाषाएं आदि सम्मिलित हैं।

विज्ञान संकाय में गृह विज्ञान सम्मिलित हैं।

शिक्षा संकाय में शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, विद्या वरिधि एवं वाचस्पति आदि सम्मिलित हैं।

अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय में कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी एवं वास्तुकला आदि सम्मिलित हैं।

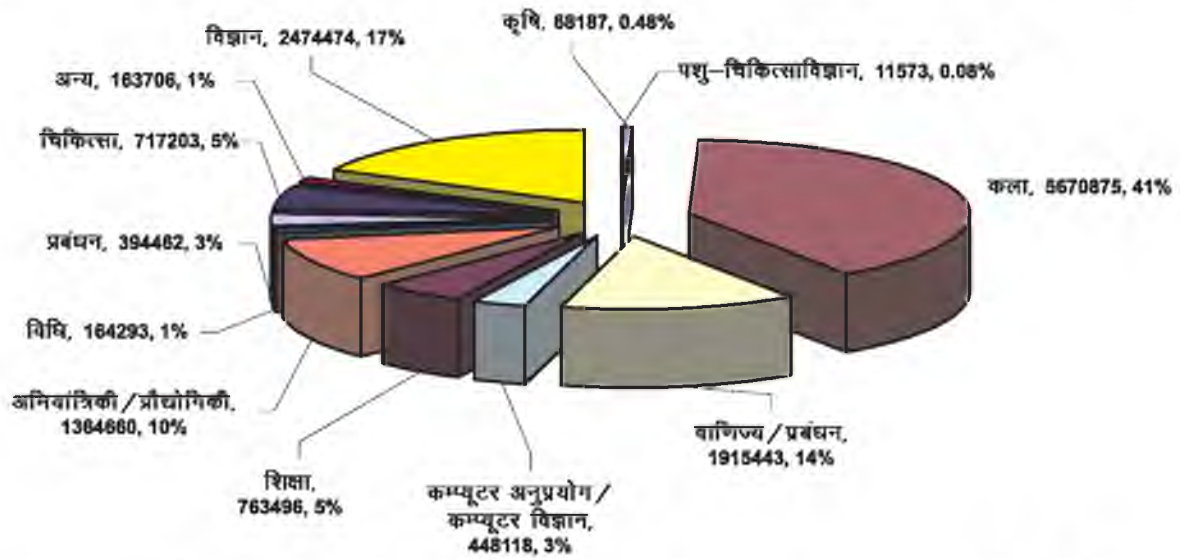
चिकित्सा संकाय में आयुर्वेद, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, परिचर्या, भेषजी, जन स्वास्थ्य/सामाजिक निवारक औषधि, यूनानी, तिबिया, भौतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, पेशे से संबंधित चिकित्सा और सिद्ध चिकित्सा आदि सम्मिलित हैं।

कृषि संकाय में बागवानी, रेशम उत्पादन एवं वानिकी आदि सम्मिलित हैं।

पशु-चिकित्साविज्ञान संकाय में मत्स्य पालन, डेयरी विज्ञान, पशु विज्ञान आदि सम्मिलित हैं।

अन्य में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, संगीत, प्रदर्शन/दृश्य कला, पत्रकारिता और जनसंचार, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक कार्य आदि सम्मिलित हैं।

रेखाचित्र 2.5(ख) : वर्ष 2016–2017 के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में संकायवार महिला शिक्षार्थियों का नामांकन

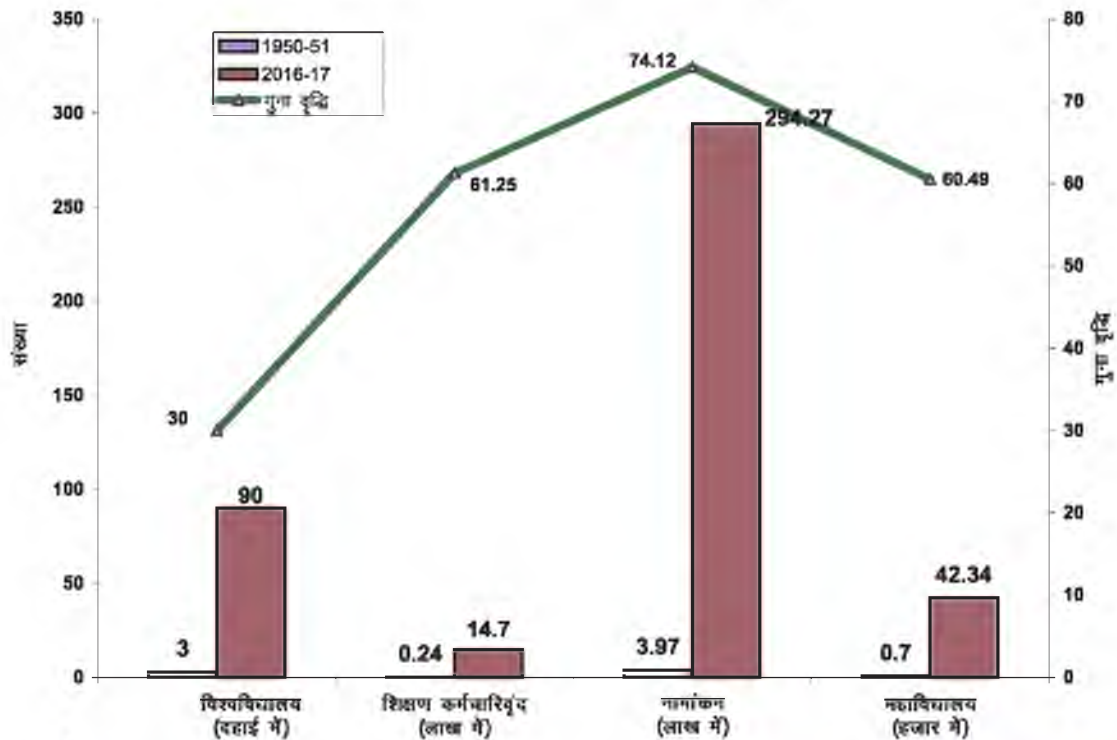


तालिका 2.5 (ख) दर्शाती है कि कला संकाय में कुल महिला नामांकन कुल नामांकन का 40.05 प्रतिशत रहा, जिसके बाद विज्ञान संकाय में 17.48 प्रतिशत, वाणिज्य/प्रबंधन संकाय में 13.53 प्रतिशत आदि रहा जो इन तीन गैर-पेशेवर संकायों में समस्त नामांकन का 71.06 प्रतिशत है। पेशेवर संकायों में महिला नामांकन, कुल महिला नामांकन का 28.99 प्रतिशत है।

2.6 उच्चतर शिक्षा में वृद्धि के संबंध में संक्षिप्त आंकड़े

वर्ष 1950–51 से लेकर 2016–17 तक उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/संस्थानों के संबंध में 30 गुना वृद्धि तथा महाविद्यालयों की संख्या में 60.49 गुना वृद्धि और छात्र नामांकन में 74.12 गुना तथा शिक्षकों की संख्या में 61.25 गुना वृद्धि दर्ज की गई।

रेखाचित्र 2.6: वर्ष 1950–51 से 2016–2017* के दौरान विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/छात्र नामांकन/शिक्षण कर्मचारियों के संदर्भ में उच्चतर शिक्षा का विकास



* अंतिम

➤ विश्वविद्यालयों को विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (गैर-योजनागत) सहायता

- केन्द्रीय विश्वविद्यालय
- राज्य विश्वविद्यालय
- सम विश्वविद्यालय
- निजी विश्वविद्यालय

3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय और सम विश्वविद्यालयों को योजनागत (विकास) और गैर-योजनागत (अनुरक्षण) दोनों अनुदान प्रदान करता रहा है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों के लिए सहायता केवल योजनागत (विकास) स्कीम/कार्यक्रमों के अन्तर्गत ही उपलब्ध कराई जा रही है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों को निर्धारित परिव्यय के आधार पर एवं विश्वविद्यालयों हेतु सामान्य योजना विकास अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है और इस संबंध में विश्वविद्यालयों को संसूचित किया जाता है। यह परिव्यय 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए चालू रहेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सामान्य योजनागत विकास सहायता के तहत पहुँच बढ़ाने, समानता सुनिश्चित करने, संगत शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता में सुधार करने, अपने विश्वविद्यालय के प्रशासन को और अधिक प्रभावशाली बनाने, अधिकाधिक संकाय सुधार कार्यक्रम चलाने, छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ाने, शोध सुविधाओं में वृद्धि करने सहित पहलुओं को सम्मिलित करते हुए सामान्य योजना विकास सहायता के अंतर्गत प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय के समग्र विकास के लिए सहायता देता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, सामान्य योजनागत विकास अनुदान के तहत इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों की अवसंरचना, स्टॉफ़, उपस्कर पुस्तकों और जर्नलों, पुस्तकालयों आदि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र विश्वविद्यालय को सामान्य योजनागत विकास सहायता के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

3.1 (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (गैर-योजनागत) दोनों ही प्रकार की सहायता उपलब्ध कराता है।

वर्तमान में, 47 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनमें से 7 विश्वविद्यालय नामतः (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, (iii) इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई (iv) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (v) नालन्दा विश्वविद्यालय, बिहार (vi) राजीव गांधी नेशनल एवियेशन यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश और (vii) रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है। इसलिए, 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजनागत (विकास) अनुदान तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य विशिष्ट योजना के तहत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। 03 नए परिवर्तित केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एक चिकित्सा महाविद्यालय सहित 24 पुराने केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची अध्याय-2 की तालिका 2.1(ड)(i) दी गई है।

3.1 (क)(i) योजनागत अनुदान

3.1 (क)(i)(i) सामान्य विकास अनुदान

चिकित्सा महाविद्यालय तथा उनके साथ संबद्ध अस्पताल सहित 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विकास हेतु योजनागत अनुदान दिया गया जाता है। इसके साथ-साथ एक चिकित्सा महाविद्यालय नामतः यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित किया जाता है। विकास सहायता का उद्देश्य न केवल विश्वविद्यालय की विद्यमान आधारभूत संरचना में सुधार करना और उसका समेकन करना है बल्कि कतिपय अभिज्ञात क्षेत्रों में उत्कृष्टता विकसित करना भी है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजनागत ब्लॉक अनुदान के रूप में विश्वविद्यालय को सामान्य विकास सहायता मुहैया करवाई जायेगी।

विश्वविद्यालय के लिए भवन के निर्माण/नवीकरण के लिए (जिसमें विरासत भवन का नवीकरण शामिल है) कैम्पस विकास, कर्मचारिवृंद, पुस्तकें एवं जर्नल, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अवसरचना, वार्षिक अनुरक्षण संविदा, नवोन्नेषी शोध क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय उद्योग संबंध, विस्तार क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य परिचर्या, छात्रावास, सहित छात्रों को सुविधाएं, छात्रों को गैर-एनईटी अध्येतावृत्ति, यात्रा अनुदान, सम्मेलन/संगोष्ठी/परिसंवाद/कार्यशाला, प्रकाशन अनुदान, अभ्यागत आचार्य/अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति तथा कैरियर एवं परामर्शदाता प्रकोष्ठ की स्थापना, दिवसीय देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिये मूलभूत सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम आदि के लिये होगी।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आमेलित योजनाओं की संकल्पना को समाप्त कर दिया गया है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आमेलित योजनाओं के तहत कोई पृथक अनुदान उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।

निम्नवत योजनाएं जो पूर्व में आमेलित योजना का भाग थीं उसे अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक समर्पित प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा तथा इन योजनाओं के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पृथक अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।

- (i) समान अवसर प्रकोष्ठ।
- (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु उपचारी अनुशिक्षण।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये नेट अनुशिक्षण।
- (iv) सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं।
- (v) निशक्त व्यक्तियों हेतु योजना।

सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ तथा महिलाओं के लिए छात्रावास योजना को एक स्वतंत्र योजना के रूप में लागू किया जा रहा है।

एनकोर नामक एक योजना जिसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था अब यह बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता योजना का भाग है। इस योजना के लिए कोई पृथक वित्तपोषण उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत प्रयोजनार्थ भी निधियां उपलब्ध कराई हैं:

3.1(क)(i)(ii) सच्यर समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

न्यायमूर्ति सच्यर समिति रिपोर्ट में शिक्षा क्षेत्र के संबंध में अनेक सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट की निष्कर्षों के आधार पर सिफारिशों पर कार्य योजना तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। माननीय मानव संसाधन मंत्री ने फातमी समिति की रिपोर्ट को उसमें अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया है।

फातमी समिति ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के संबंध में कतिपय विशिष्ट सिफारिशें की हैं।

3.1(क)(i)(iii) अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की अनुशिक्षण योजना

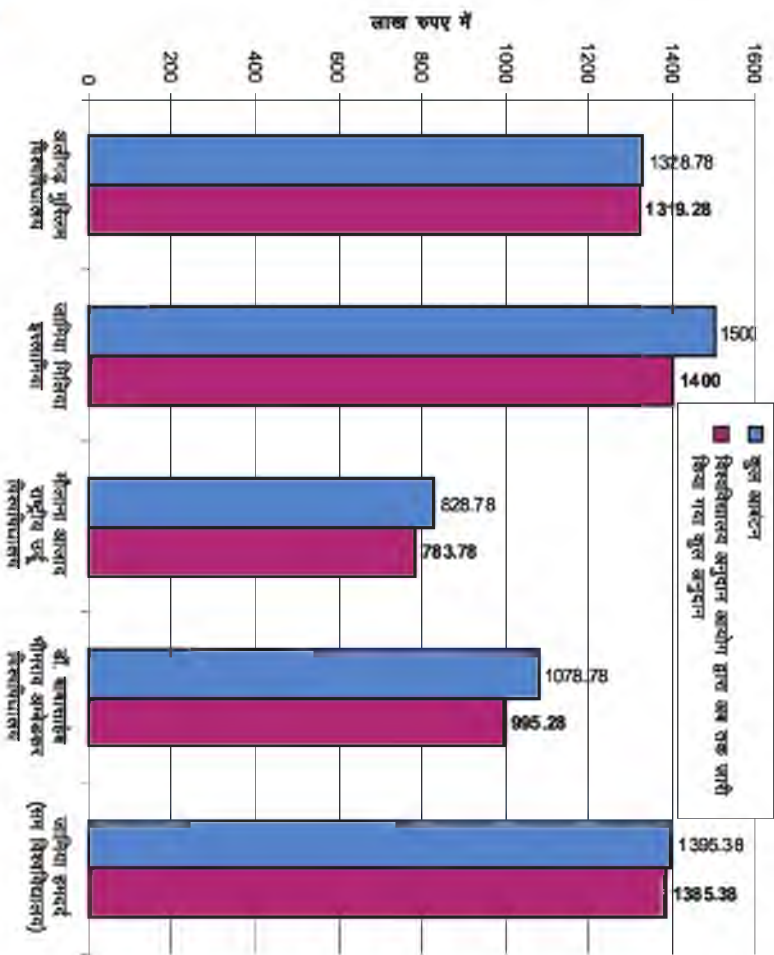
विश्वविद्यालय उपचारी अनुशिक्षण एवं सेवाओं में प्रवेश की योजनाओं के वांछित प्रभाव प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ और जामिया मिलिया इस्लामिया में अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आवासीय अनुशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई थी।

अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमी का उद्देश्य समान उन्नति के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है, जिससे अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित हो सके तथा निःशुल्क/नाममात्र शुल्क/बिना शिक्षण शुल्क पर छात्रावास की सुविधा प्रदान कर केन्द्र/राज्य सरकार, निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रवेश के लिए तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उपर्युक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को निःशुल्क शिक्षण की सुविधा प्रदान की जा सके।

क्रम सं.	विरविविद्यालय का नाम	कुल आवंटन	विरविविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवंटित किया गया कुल अनुदान
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विरविविद्यालय	1328.78	1319.28
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1500.00	1400.00
3.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विरविविद्यालय	828.78	783.78
4.	डॉ. बाबासाहेब मौनराव अम्बेडकर विरविविद्यालय	1078.78	995.28
5.	जामिया हनुदई (सम विरविविद्यालय)	1395.38	1385.38
कुल		6131.72	5883.72

योजना के तहत वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

रेखाचित्र 3.1(क)(i)(iii) : वर्ष 2016-17 के दौरान अनुसिद्ध अकादमियों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता



3.1(क)(i)(iv) पीठ

वर्ष 2016-17 के दौरान विरविविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विरविविद्यालयों में संस्कीकृत पीठों की स्थापना की स्थिति

क्र.सं.	पीठ का नाम	विरविविद्यालय का नाम
1.	स्वामी दयानंद सरस्वती पीठ	केन्द्रीय हरियाणा विरविविद्यालय
2.	गुरु नोबिंद सिंह पीठ	केन्द्रीय जम्मू विरविविद्यालय

योजना के तहत वर्ष 2016-17 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

3.1(क)(i)(v): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम से कम चार विनिर्दिष्ट विज्ञान अकादमियों के अध्येता शिक्षकों को 15,000 रुपये प्रतिमाह का विशेष मानदेय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन शिक्षकों को 15,000 रुपये प्रतिमाह का विशेष मानदेय प्रदान करने की योजना आरंभ की है जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया है अथवा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित निम्नवत चार अकादमियों में से कम से कम दो के अध्येता हों :

1. राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद
2. भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलुरु
3. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली
4. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान इंजीनियरिंग अकादमी, नई दिल्ली

कोई भी शिक्षक केवल एक मानदेय प्राप्त कर सकता है और एक से अधिक मानदेय प्राप्त नहीं कर सकता है अर्थात् सीएसआईआर से भटनागर अवार्ड प्राप्त कर सकता है अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना का लाभ उठा सकता है।

योजना के तहत वर्ष 2016-17 के दौरान पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय को 1.80 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

3.1(क)(i)(vi) उर्दू माध्यम के अध्यापकों के पेशेवर विकास के लिए केन्द्र की स्थापना :

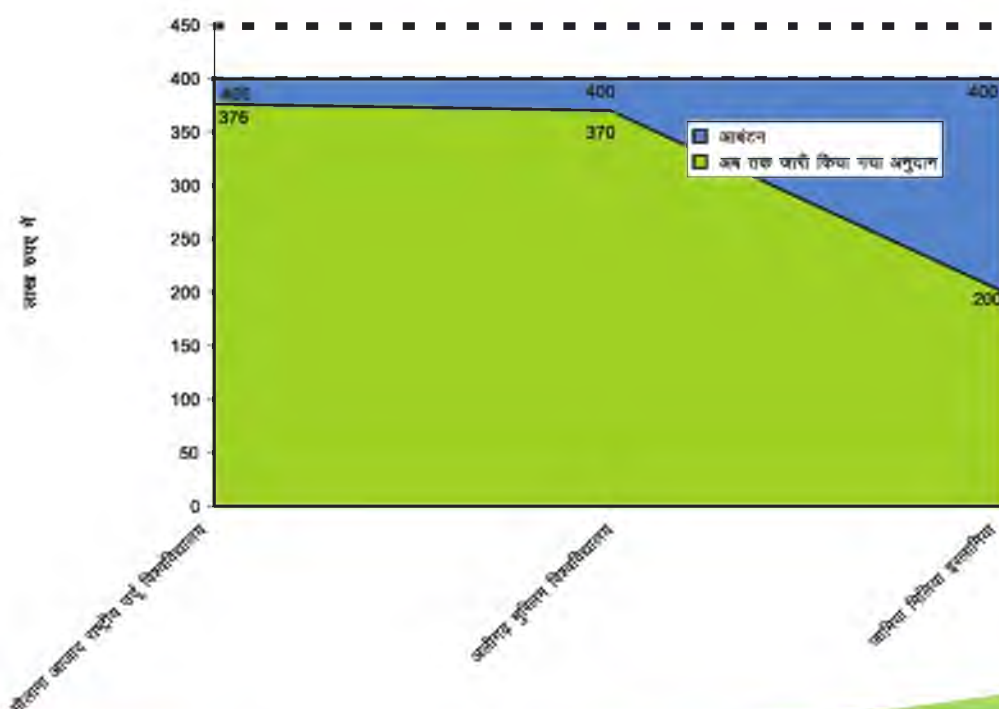
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उर्दू माध्यम के अध्यापकों के पेशेवर विकास हेतु केन्द्र की स्थापना करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया को निधियां उपलब्ध करवा रहा है। इन विश्वविद्यालयों को जारी अनुदान की स्थिति निम्नवत है:

(लाख रुपये में)

विश्वविद्यालय का नाम	आवंटन	अब तक जारी किया गया अनुदान
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	400.00	376.00
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी	400.00	370.00
जामिया मिलिया इस्लामिया	400.00	350.00

योजना के तहत वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

रेखाचित्र 3.1(क)(i)(vi) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्दू माध्यम के अध्यापकों के पेशेवर विकास के लिए जारी किया गया अनुदान



3.1(क)(i)(vii) : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) तथा 12 (ख) के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र सभी विश्वविद्यालयों को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए निधियां उपलब्ध करवा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आईक्यूएसी की स्थापना करने तथा उन्हें सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 5.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है (इस सहायता को कुल सहायता के 90 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत की दो किस्तों में जारी किया जाएगा)। निम्नवत मदों पर व्यय किया जा सकता है:-

क्र.सं.	अनुदान का उद्देश्य	राशि
1.	आईक्यूएसी के निदेशक/समन्वयक को 1000x12x5 रुपए की दर से मानदेय	160,000/-
2.	कार्यालय के उपस्कर	1,00,000/-
3.	सचिवालयी तथा तकनीकी सेवाएं प्राप्त करना	1,80,000/-
4.	आईसीटी संचार व्यय	80,000/-
5.	आकस्मिताएं	80,000/-
	कुल	5,00,000/-

योजना के तहत वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

3.1(क) (i) (viii): वर्ष 2016-17 के दौरान बारहवीं पंचवर्षीय योजनागत आवंटन से प्रदत्त अनुदान

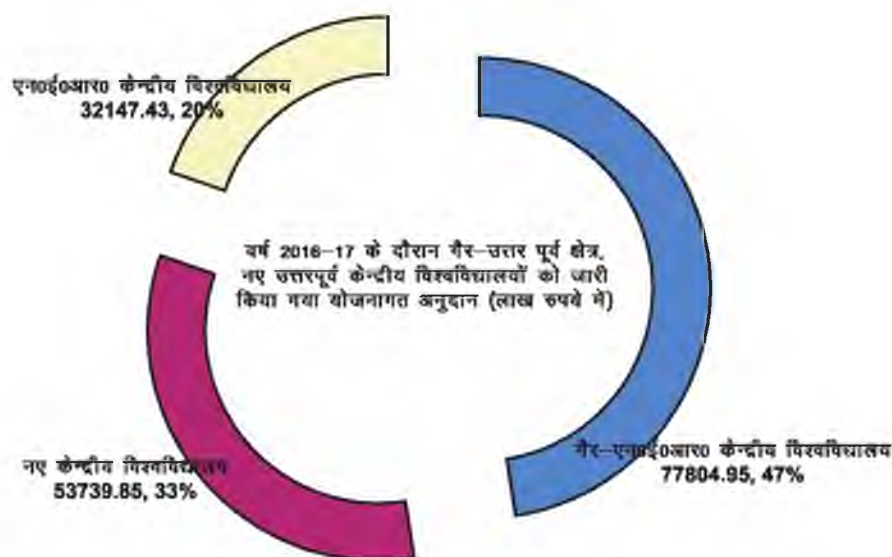
वर्ष 2016-17 के दौरान सामान्य विकास सहायता के तहत विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किये गये अनुदानों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2016-17) (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) के दौरान जारी किया गया अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन	वर्ष 2016-17 के दौरान जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4	5
	गैर-एन0ई0आर0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय			
1	तेलंगाना	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	20810.00	4410.00
2		हैदराबाद विश्वविद्यालय	22300.00	6500.00
3		द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी	13200.00	1690.00
4	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	17364.00	3764.00
5क	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	20800.00	0.00
5ख		यूसीएमएस	9050.00	0.00
6		जामिया मिलिया इस्लामिया	24500.00	4500.00
7		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	24700.00	2020.00
8	मध्य प्रदेश	डॉ० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय	16118.00	5570.61
9		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	40395.00	9637.00
10	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	14900.00	5160.00
11	पुदुचेरी	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	21421.83	6121.83
12	उत्तराखण्ड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	22300.00	3376.19

क्र.सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन	वर्ष 2016-17 के दौरान जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4	5
13	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	23200.00	4600.00
14		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	34755.32	8755.32
15		बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	12100.00	2800.00
16		इलाहाबाद विश्वविद्यालय	15700.00	5200.00
17	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	13212.50	3700.00
	कुल(I) (गैर-एनआईआरए केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		366826.65	77804.95
	नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय			
18	बिहार	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	33375.00	5584.00
19		महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय	6500.00	1800.00
20	गुजरात	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय,	15500.00	0.00
21	हरियाणा	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	42692.00	8000.00
22	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	12000.00	0.00
23	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	43749.00	3000.00
24		कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	35075.00	0.00
25	झारखंड	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय,	28700.00	1200.00
26	कर्नाटक	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	25825.00	3532.45
27	केरल	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	39720.00	7220.00
28	ओडीशा	ओडीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ओडीशा	29400.00	0.00
29	पंजाब	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	34350.00	11100.00
30	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	39675.00	6293.06
31	तमिलनाडु	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	35540.00	6480.00
	कुल -II (नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		422101.00	53739.85
	कुल (I + II)		788927.65	131544.80
	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालय			
32	असम	असम विश्वविद्यालय	13030.00	2541.34
33		तेजपुर विश्वविद्यालय	16513.00	788.63
34	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	9578.00	3278.00
35	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	13320.00	3565.75
36	मेघालय	नार्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी	13950.00	4681.13
37	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	21300.00	3405.92
38	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	10500.00	3469.42
39	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	34117.99	8607.47
40	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	13392.76	1809.77
	कुल (III) (उत्तर-पूर्व क्षेत्र)		145701.75	32147.43
	कुल योग(I+II+III)		934629.40	163692.23

[illegible]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 38 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए वाई-फाई परियोजना की लागत को अनुमोदित किया है। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परियोजना को लागू करने के लिए तुरंत कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था। 38 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हॉट-स्पॉट/वाई-फाई कैम्पस कनेक्ट के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा एनआईसीएसआई के बीच दिनांक 01 अगस्त, 2016 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

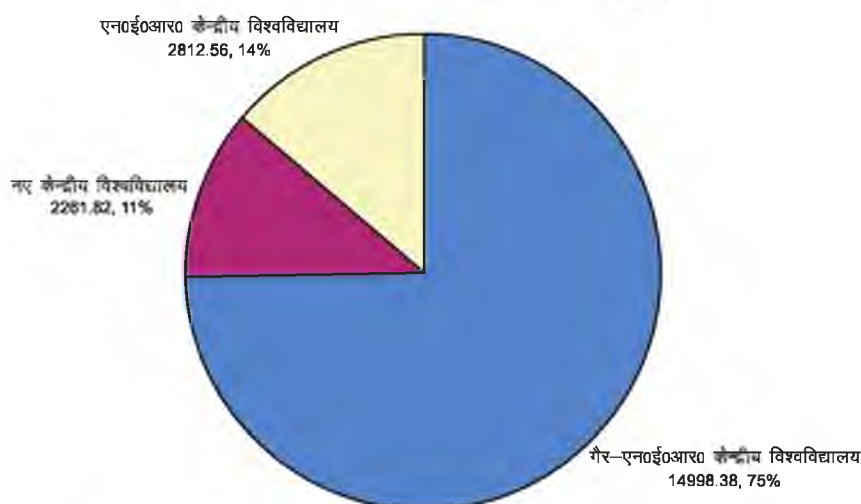
130

तालिका 3.1 (क)(i)(ix) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2016-17) के दौरान बाई-फाई परियोजना के लिए जारी किया गया अनुदान (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4
	गैर-एन0ई0आर0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
1	तेलंगाना	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	355.62
2		हैदराबाद विश्वविद्यालय	927.76
3		द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी,	306.53
4	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	1579.78
5		जामिया मिलिया इस्लामिया	699.28
6		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	919.71
7	मध्य प्रदेश	डॉ० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय,	650.10
8		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	894.86
9	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	393.32
10	पुदुचेरी	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	712.18
11	उत्तराखण्ड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	1676.84
12	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	2500.00
13		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	2214.81
14	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	1167.59
	कुल(I) (गैर-एन0ई0आर0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		14998.38
	नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
15	बिहार	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	220.74
16	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	130.86
17	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	356.88
18		कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	112.27
19	केरल	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	135.97
20	पंजाब	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	426.48
21	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	354.94
22	तमिलनाडु	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	523.68
	कुल -II (नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		2261.82
	कुल (I + II)		17260.20
	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
23	असम	तेजपुर विश्वविद्यालय	751.66
35	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	348.92
37	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	406.00
38	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	604.82
39	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	300.62
40	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	400.54
	कुल (III) (उत्तर-पूर्व क्षेत्र)		2812.56
	कुल योग(I+II+III)		20076.76

रेखाचित्र 3.1 (क)(i)(ix) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2016-17) के दौरान वाई-फाई योजना के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किया गया अनुदान



बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किए गए वर्षवार योजनागत अनुदान (सामान्य विकास सहायता) का ब्यौरा नीचे तालिका 3.1 (क)(i)(x) में दिया गया है।

तालिका 3.1(क)(i)(x) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किया गया वर्षवार योजनागत अनुदान (सामान्य विकास सहायता)

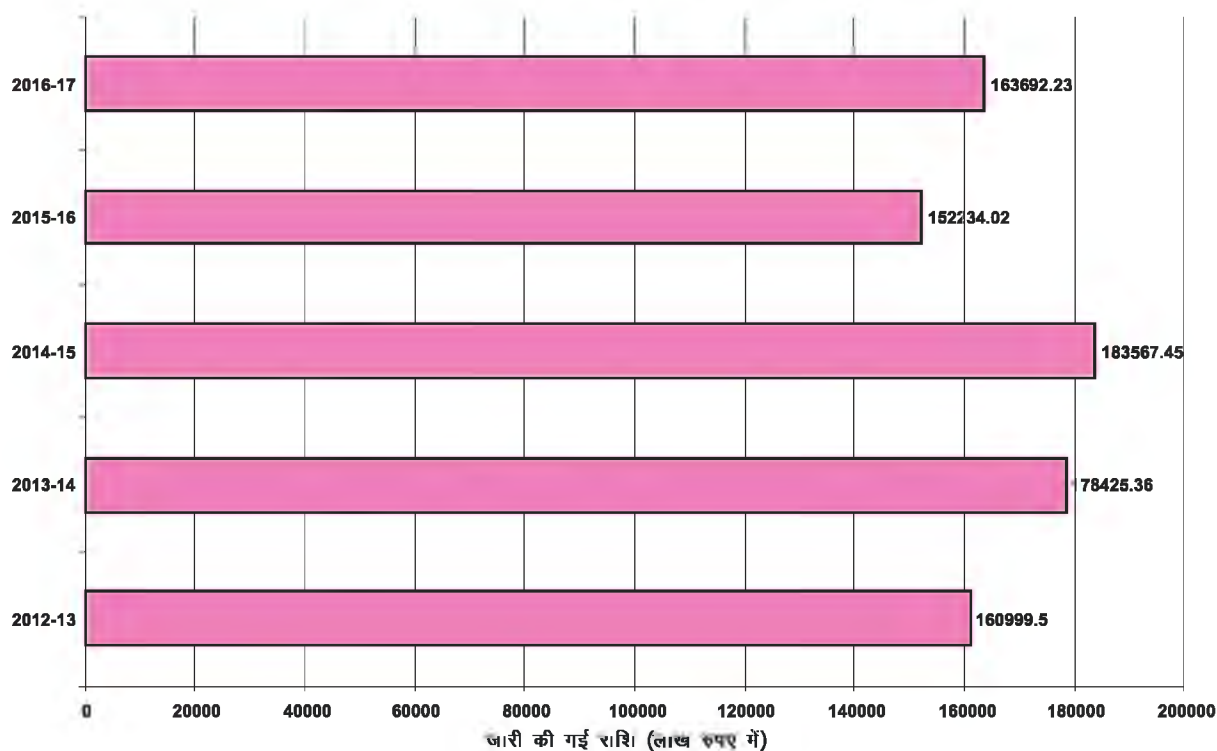
(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	योजनागत अनुदान (सामान्य विकास सहायता) के तहत जारी किया गया अनुदान					कुल
			2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
		गैर-एनआईओआरओ केन्द्रीय विश्वविद्यालय						
1	आंध्र प्रदेश	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	5112.5	4500	3087.5	3700	4410	20810
2		हैदराबाद विश्वविद्यालय	8175	3825	2000	1800	6500	22300
3		द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी	4700	2000	3400	500	1690	12290
4	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	6100	2500	2560	2440	3764	17364
5a	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	6975	10000	0	0	0	16975
b		यूसीएमएस	1500	3400	2070	1280	0	8250
6		जामिया मिलिया इस्लामिया	2600	7600	5800	4000	4500	24500
7		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	2100	4400	9460	5620	2020	23600
8	मध्य प्रदेश	डॉ० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय	1575	6972.4	0	2000	5570.6	16118
9		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	10075	9000	5864	5819	9637	40395
10	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	3250	2000	650	3840	5160	14900
11	पुदुचेरी	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	6775	4500	2325	1700	6121.8	21421.8

क्र.सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	योजनागत अनुदान (सामान्य विकास सहायता) के तहत जारी किया गया अनुदान					
			2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल
12	उत्तराखण्ड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	6150	5999.5	1700.5	3573.81	3376.2	20800
13	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	4975	6000	3225	4400	4600	23200
14		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	5425	9575	6400	4600	8755.3	34755.3
15		बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	3087.5	1000	1512.5	3700	2800	12100
16		इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1000	2500	3500	3500	5200	15700
17	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	525	3875	2112.5	3000	3700	13212.5
	कुल(I) (गैर-एन0ई0आर0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		80100	89647	55667	55472.8	77805	358692
	नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय							
18	बिहार	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2030	8218	7500	6000	5584	29332
19		महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	500	1800	2300
20	गुजरात	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3175	3046.5	5076	1058.35	-469.7	11886.2
21	हरियाणा	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2565	11000	5500	7372.1	8000	34437.1
22	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2575	0	0	5698.76	0	8273.76
23	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3037.5	7500	13463	13807.2	3000	40807.2
24		कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	781.25	2500	6191.8	6500	0	15973
25	झारखण्ड	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	5075	7925	2500	3783.23	1200	20483.2
26	कर्नाटक	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2575	0	11842	6500	3532.5	24449.7
27	केरल	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	4875	3625	16510	3580	7220	35810
28	ओडीशा	ओडीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2531.25	0	7256.3	6126.43	0	15913.9
29	पंजाब	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3075	5489	13436	0	11100	33100
30	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	10031.3	11500	6580.9	5269.75	6293.1	39675
31	तमिलनाडु	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	10031.3	6000	8988.8	3040	6480	34540
	कुल -II (नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		52357.5	66803	104844	69235.8	53740	346981
	कुल (I + II)		132458	156450	160511	124709	131545	705673
	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालय							
32	असम	असम विश्वविद्यालय	4372.5	500.75	2444.7	3170.76	2541.3	13030
33		तेजपुर विश्वविद्यालय	5808.75	3191.3	1400	3524.37	788.63	14713
34	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	506.25	1993.8	500	3300	3278	9578
35	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	4272.5	2000	1500	1981.74	3565.8	13320
36	मेघालय	नार्थ-इस्टर्न हिल यूनीवर्सिटी	1132	3500	1700	2086.87	4681.1	13100
37	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	5758.75	2100	4228.5	4622.77	3405.9	20115.9
38	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	678.75	1689.3	2162.6	1500	3469.4	9500

क्र.सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	योजनागत अनुदान (सामान्य विकास सहायता) के तहत जारी किया गया अनुदान					
			2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल
39	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	5172.5	4000	6520.3	3795.92	8607.5	28096.2
40	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	840	3000	2600	3542.99	1809.8	11792.8
कुल (III) (उत्तर-पूर्व क्षेत्र)			28542	21975	23056	27525.4	32147	133246
कुल योग			160999.50	178425.36	183567.45	152234.02	163692.23	838918.56

रेखाचित्र 3.1(क)(i)(x) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किया गया वर्षवार योजनागत अनुदान



तालिका 3.1(क)(i)(xi) : योजनावार जारी किया गया बारहवीं पंचवर्षीय योजना अनुदान

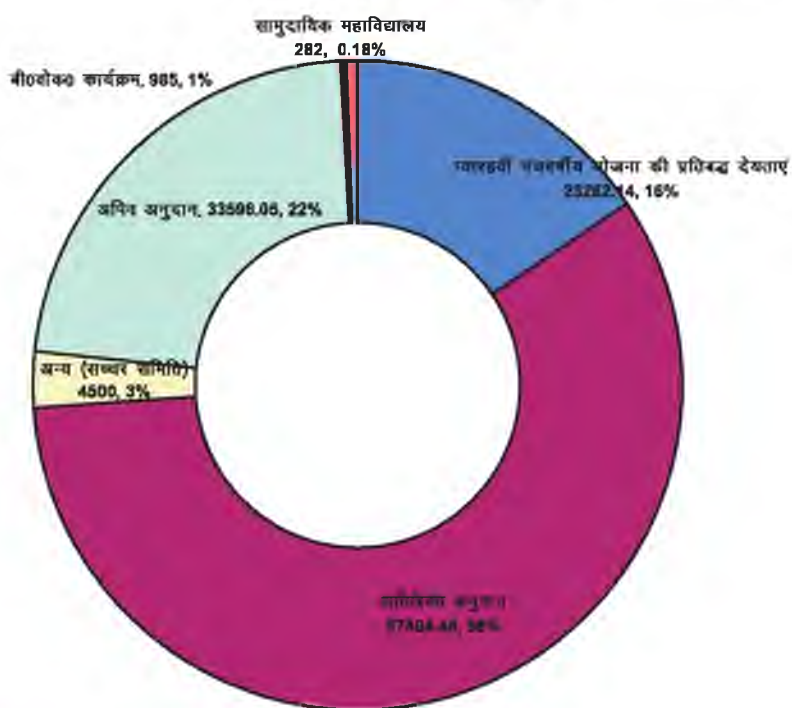
(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	योजनावार जारी किया गया अनुदान						
			ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की प्रतिबद्ध राशि	अतिरिक्त अनुदान	कोई अन्य (सम्वर समिति)	अपिव अनुदान	सामुदायिक महाविद्यालय	बीबीके कार्यक्रम	कुल (4 से 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
मुख्य भूमि में अवस्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय									
1	आंध्र प्रदेश	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	0	855.62	4500	0	0	0	5355.62
2		हैदराबाद विश्वविद्यालय	0	1452.76	0	0	0	0	1452.76
3		द इंग्लिश एण्ड फॉरेम लैंग्वेज युनिवर्सिटी	0	306.53	0	328	0	0	634.53

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	योजनावार जारी किया गया अनुदान						
			ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की प्रतिबद्ध देयताएं	अतिरिक्त अनुदान	कोई अन्य (सचवर समिति)	अपिव अनुदान	सामुदायिक महाविद्यालय	बीवोक कार्यक्रम	कुल (4 से 9)
4	छत्तीसगढ़	गुरु बासोदास विश्वविद्यालय	0	1000	0	0	0	0	1000
5a	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	1952.4	1645.78	0	21500	0	0	25098.18
b		यूसीएनएन	0	0	0	1983.11	0	0	1983.11
6		जामिया मिलिया इस्लामिया	0	6513.78	0	0	0	0	6513.78
7		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	0	944.71	0	0	0	0	944.71
8	मध्य प्रदेश	डॉ० हरि सिंह गौड विश्वविद्यालय	0	2591.54	0	0	43	0	2634.54
9		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	12652.29	6409.86	0	0	0	115	19177.15
10	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	0	1393.32	0	0	43	65	1501.32
11	पुदुचेरी	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	86.21	1212.18	0	0	0	105	1403.39
12	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	0	3876.84	0	0	0	0	3876.84
13	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1084.66	20032.14	0	0	0	25	21141.8
14		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	3241.73	9804.81	0	3000	0	0	16046.54
15		बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	1256.22	6940	0	0	0	0	8196.22
16		इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1000	40	0	2516.94	0	65	3621.94
17	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	0	1567.59	0	1669	0	0	3236.59
	कुल(I) (मुख्य भूमि में अवस्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		21273.51	66587.46	4500	30997.05	86	375	123819.02
	नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय								
18	बिहार	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	2938.74	0	0	0	90	3028.74
19		महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0
20	गुजरात	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	500	0	55	0	0	555
21	हरियाणा	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0
22	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	655.86	0	0	0	0	655.86
23	जम्मू और	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	381.88	0	0	34	0	415.88
24	कश्मीर	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	612.27	0	0	0	0	612.27
25	झारखंड	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	25	0	0	0	0	25
26	कर्नाटक	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	180	0	0	42	115	337
27	केरल	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	815.97	0	0	0	0	815.97
28	ओडीशा	ओडीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	525	0	0	0	0	525
29	पंजाब	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	926.48	0	0	0	0	926.48
30	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	1354.94	0	0	0	0	1354.94
31	तमिलनाडु	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	523.68	0	0	0	0	523.68
	कुल-II (नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		0	9439.82	0	55	76	205	9775.82
	कुल (I + II)		21273.51	76027.28	4500	31052.05	162	580	133594.84

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	योजनावार जारी किया गया अनुदान						
			ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की प्रतिबद्ध देयताएं	अतिरिक्त अनुदान	कोई अन्य (सचवर समिति)	अपिव अनुदान	सामुदायिक महाविद्यालय	बीवोक कार्यक्रम	कुल (4 से 9)
उत्तर-पूर्व क्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालय									
32	असम	असम विश्वविद्यालय	0	0	0	0	41	110	151
33		तेजपुर विश्वविद्यालय	588.63	3111.3	0	444	39	0	4182.93
34	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	900	3090	0	0	40	0	4030
35	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	0	1348.92	0	2100	0	95	3543.92
36	बेघालय	नार्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी	0	25	0	0	0	0	25
37	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	0	1406	0	0	0	100	1506
38	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	0	604.82	0	0	0	0	604.82
39	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	500	390.62	0	0	0	0	890.62
40	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	0	1400.54	0	0	0	100	1500.54
	कुल (III) (उत्तर-पूर्व क्षेत्र)		1988.63	11377.2	0	2544	120	405	16434.83
	कुल योग(I+II+III)		23262.14	87404.48	4500	33596.05	282	985	150029.67

रेखाचित्र 3.1(क)(i)(xi) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजनावार जारी किया गया अनुदान (लाख रुपए में)



3.1 (क)(ii) : गैर-योजनागत अनुदान

वर्ष 2016-17 के दौरान 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडीकल साइंस का अनुसंधान व्यय की पूर्ति करने के लिए 448593.00 लाख रुपए का गैर- योजनागत अनुदान जारी किया गया। चूंकि अन्य विश्वविद्यालय नए स्थापित किए गए केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, इसलिए वे अपने योजनागत तथा गैर- योजनागत व्यय की पूर्ति योजनागत अनुदान से कर रहे हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान गैर-योजनागत व्यय के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

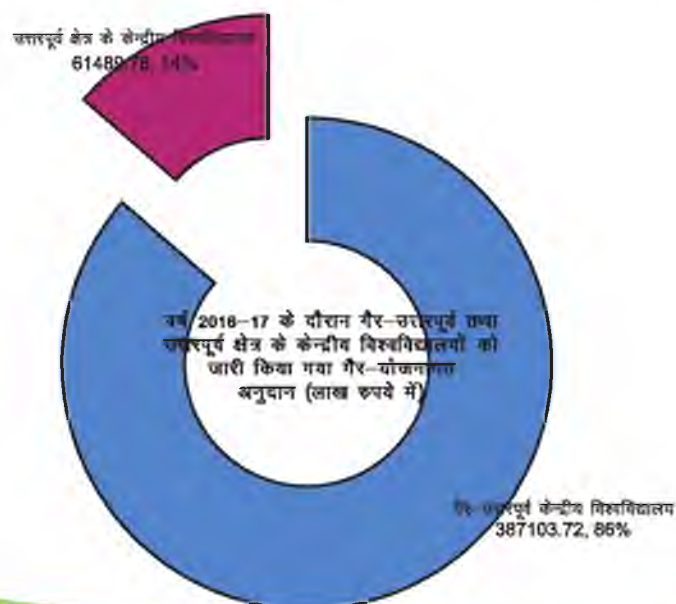
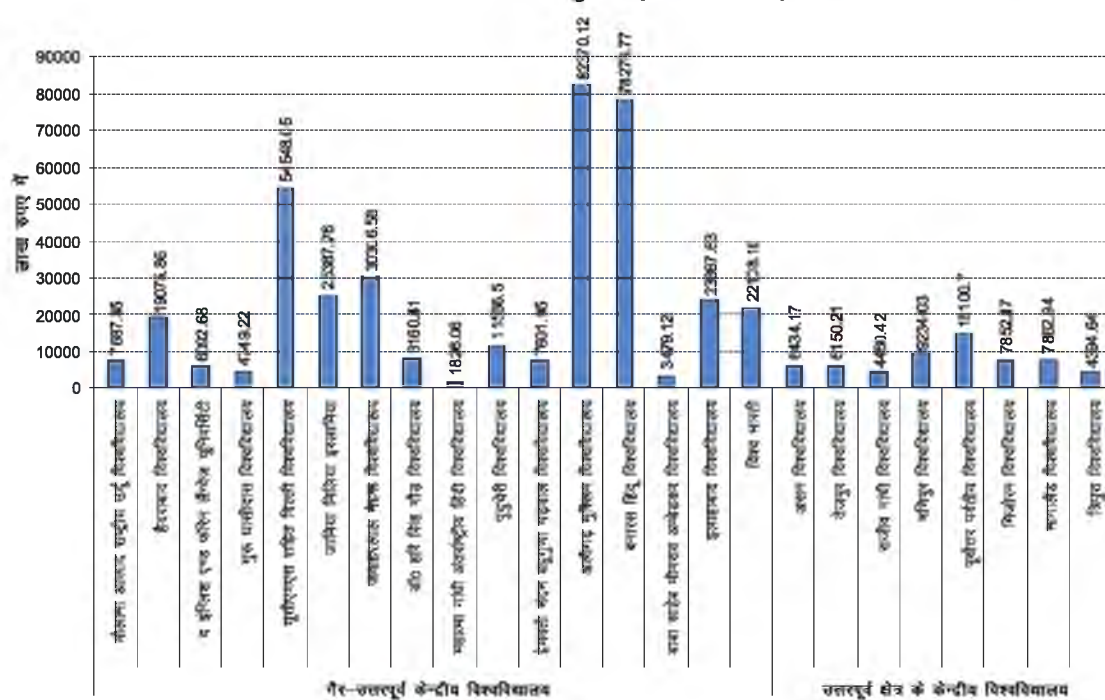
तालिका 3.1 (क)(ii) : वर्ष 2016-17 के दौरान (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किए गैर-योजनागत अनुदान का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
1	2	3
	गैर-एनआईओआर विश्वविद्यालय	
	तेलंगाना	
1	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	7687.35
2	हैदराबाद विश्वविद्यालय	19075.86
3	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी,	6092.68
	छत्तीसगढ़	
4	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	4749.22
	दिल्ली	
5	यूसीएमएस् सहित दिल्ली विश्वविद्यालय	54548.05
6	जामिया मिलिया इस्लामिया	25387.76
7	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	30306.58
	मध्य प्रदेश	
8	डॉ० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय,	8160.41
	महाराष्ट्र	
9	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,	1826.06
	पुदुचेरी	
10	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	11566.50
	उत्तराखंड	
11	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय,	7601.95
	उत्तर प्रदेश	
12	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	82370.12
13	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	78276.77
14	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	3479.12
15	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	23867.63
	पश्चिम बंगाल	
16	विश्व भारती	22108.16
	गैर-एनआईओआर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का योग	387103.72
	असम	
17	असम विश्वविद्यालय	6434.17
18	तेजपुर विश्वविद्यालय	6150.21
	अरुणाचल प्रदेश	
19	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	4460.42
	मणिपुर	
20	मणिपुर विश्वविद्यालय	9234.03
	मेघालय	
21	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	15100.70

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
1	2	3
	मिजोरम	
22	मिजोरम विश्वविद्यालय,	7852.17
	नागालैंड	
23	नागालैंड विश्वविद्यालय,	7862.94
	त्रिपुरा	
24	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	4394.64
	एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का योग	61489.78
	कुल योग (गैर-एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालय + एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालय)	448593.00

रेखाचित्र 3.1(क)(ii) : वर्ष 2016-17 के दौरान गैर-उत्तरपूर्व तथा उत्तरपूर्व क्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किया गया गैर-योजनागत अनुदान (लाख रुपए में)

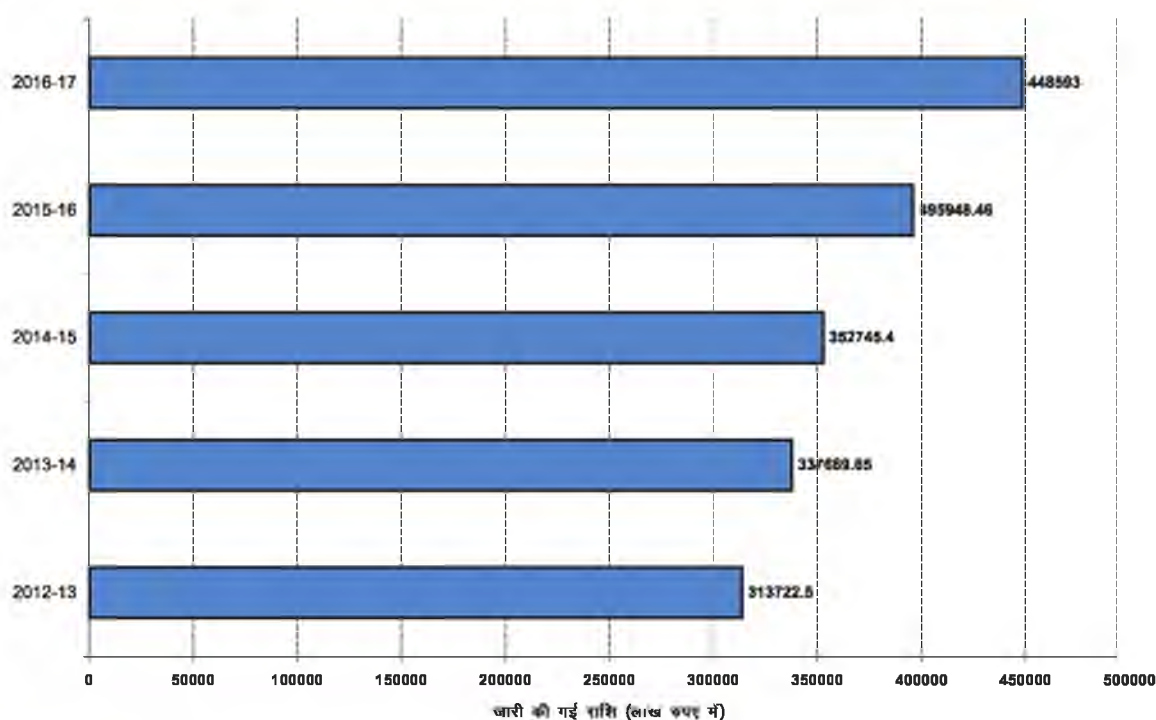


तालिका 3.1 (क)(ii)(i) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार जारी किया गया गैर-योजनागत अनुदान (लाख रुपए में)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

क्र.सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	गैर-योजना के तहत जारी किया गया अनुदान					कुल
			2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
1	2	3	4					
	गैर-उत्तरपूर्व केन्द्रीय विश्वविद्यालयों							
1	आंध्र प्रदेश	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	1995.85	2784.56	2764.52	5878.41	7687.35	21110.69
2		हैदराबाद विश्वविद्यालय	14783.76	14505.47	15881.05	16159.75	19075.86	80405.89
3		द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी	3725.47	4059.05	5270.03	5119.54	6092.68	24266.77
4	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	1219.62	3040.62	1716.56	2654.19	4749.22	13380.21
5a	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	33633.29	42997.05	39358.39	43394.79	43352.3	202735.82
b		यूसीएमएस	5547.46	8065.3	6728.18	9266.88	11195.25	40803.07
6		जामिया मिलिया इस्लामिया	18994.49	18764.01	20647.6	25326.28	25387.76	109120.14
7		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	20680.63	19660.91	24231.33	24510.55	30306.58	119390
8	मध्य प्रदेश	डॉ० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय	3968	8507.84	8512.15	8023.53	8160.41	37171.93
9		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0
10	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	1315.12	1662.56	1199.6	2312.16	1826.06	8315.5
11	पुदुचेरी	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	6737.02	7526.11	7427.86	8551.68	11566.5	41809.17
12	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	2830.31	6264.51	6836.68	7284.4	7601.95	30817.85
13	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	62696.84	61371.91	64173.39	73578.89	82370.12	344191.15
14		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	63753.06	62599.15	60551.11	70237.77	78276.77	335417.86
15		बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	1524.1	1854.56	1265.99	3139.57	3479.12	11263.34
16		इलाहाबाद विश्वविद्यालय	17926.68	18268.06	21762.96	18728.9	23867.63	100554.23
17	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	15001.24	16571.68	18557.49	19107.54	22108.16	91346.11
	कुल (I) (गैर-उत्तरपूर्व केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		276332.94	298503.35	306884.89	343274.83	387103.72	1612099.73
	नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय							
18	बिहार	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0
19		महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0
20	गुजरात	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0
21	हरियाणा	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0
22	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0
23	जम्मू और	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0
24	कश्मीर	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0
25	झारखंड	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0
26	कर्नाटक	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0

क्र.सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	गैर-योजना के तहत जारी किया गया अनुदान					कुल
			2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
1	2	3	4					
27	केरल	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0
28	ओडीशा	ओडीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0
29	पंजाब	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0
30	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0
	कुल -II (नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		0	0	0	0	0	0
	कुल (I + II)		276332.94	298503.35	306884.89	343274.83	387103.72	1612099.73
	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालय							
32	असम	असम विश्वविद्यालय	2394.03	4800.18	4531.46	6164.21	6434.17	24324.05
33		तेजपुर विश्वविद्यालय	2741.47	3172.38	3340.59	5156.96	6150.21	20561.61
34	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	2424.86	2238.02	3092.69	3564.3	4460.42	15780.29
35	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	3933.61	6891.69	6849.36	7911.41	9234.03	34820.1
36	मेघालय	नार्थ-इस्टर्न हिल यूनीवर्सिटी	13604.85	10432.7	14650.07	13374.28	15100.7	67162.6
37	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	4952.55	4187.82	4506.38	7501.53	7852.17	29000.45
38	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	4893.01	5010.09	6070.16	5372.1	7862.94	29208.3
39	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0
40	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	2445.18	2453.42	2819.8	3628.84	4394.64	15741.88
	कुल (III) (उत्तर-पूर्व क्षेत्र)		37389.56	39186.3	45860.51	52673.63	61489.28	236599.28
	कुल योग		313722.5	337689.65	352745.4	395948.46	448593	1848699.01

रेखाचित्र 3.1(क)(ii) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वर्षवार जारी किया गया गैर-योजनागत अनुदान



3.1(क)(iii) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई योजनाएं/नए कार्यक्रमों का शामिल किया जाना

3.1(क)(iii)(i) : मेटा विश्वविद्यालय की संकल्पना

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मेटा विश्वविद्यालय की संकल्पना आरंभ की; मेटा विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा ज्ञान अर्जन संसाधनों की सहभागिता करना है ताकि छात्र विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध ज्ञान अर्जन संसाधनों से लाभान्वित हो सके। मेटा विश्वविद्यालय द्वितीय पीढ़ी के विश्वविद्यालय का द्योतक है जोकि भौतिक सीमांकन स्थितियों से मुक्त है तथा जो ऐसे क्षेत्रों में नवोन्मेष तथा उपलब्ध लचीलेपन का लाभ उठाकर आभासी स्थान में चल सके।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

3.1(क)(iii)(ii) : बाह्य स्रोतों से वित्तपोषण की व्यवस्था करना

उच्चतर शिक्षा को सहायता प्रदान करने, अपनी परम्परा को पुनर्जीवित करने तथा विश्वविद्यालय के विकास में समाज की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान “बाह्य संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहन” नामक एक योजना आरंभ की थी। योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी एक विशिष्ट वर्ष में विश्वविद्यालय को प्राप्त योगदान के 25 प्रतिशत तक होगा जोकि अधिकतम 50.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगा।

ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना से लाभान्वित हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का ब्यौरा निम्नवत है:-

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	राशि (लाख रुपए में)		
		ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	बारहवीं पंचवर्षीय योजना	कुल
1.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	225.00	50.00	275.00
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया	19.43	0.00	19.43
3.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	300.00	0.00	300.00

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

3.1(क)(iii)(iii) : दाखिले में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने हेतु क्षमता विस्तार

केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के तहत अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त संस्थानों के अलावा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित अनुरक्षित अथवा सहायता प्राप्त केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों (सीईआई) में अनुसूचित जाति के लिये 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों (असम्पन्न वर्ग के अलावा) हेतु अध्ययन की प्रत्येक शाखा अथवा संकाय में अनुमेय वार्षिक संख्या का 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना परिकल्पित है जिसके माध्यम से शिक्षा सत्र 2006-07 के लिए अनुमेय वार्षिक क्षमता को शिक्षा सत्र 2008-09 से आरंभ कर अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के दौरान 54 प्रतिशत तक बढ़ाना अपेक्षित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अ.पि.व., अ.जा. तथा अ.ज.जा. को प्रत्येक शिक्षा सत्र में उपलब्ध अनारक्षित सीटों की संख्या उस सत्र के लिए अनुमेय क्षमता में वृद्धि के अनुरूप हो।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

3.1(क)(iii)(iv) : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालयों को स्थापित करना/सुदृढ़ करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य विश्वविद्यालयों से शिक्षा विभाग की स्थापना करने तथा शिक्षकों एवं अध्यापकों हेतु कार्यक्रम आयोजित करने हेतु बल देता आ रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा अध्यापकों की शिक्षा संबंधी न्यायमूर्ति वर्मा आयोग (2012) की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आलोक में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विश्वविद्यालयी प्रणाली में अध्यापकों की शिक्षा हेतु संस्थागत सहायता को विस्तार देने के लिये साथ ही उसमें विभिन्न गुणात्मक सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया। ऐसे कदम उठाने की दिशा में एक ऐसा पहलू देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय की स्थापना करना था। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को उनके भीतर एक शिक्षा विद्यालय स्थापित करने तथा सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के अलावा अध्यापकों की शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप आरंभ करने के लिये पत्र व्यवहार किया। इनमें पाठ्यचर्या शोध, नीतिगत तथा शैक्षणिक विकास, ज्ञानअर्जन तथा

शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन, निर्धारण तथा मूल्यांकन, अध्यापकों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों का पेशेवर विकास करना शामिल है। एक संबंधित मुद्दा जिस पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से कार्य करने का अनुरोध किया गया था वह अध्यापक शिक्षा (एनसीटीई), 2009 के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे की सिफारिशों के आलोक में विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या में सुधार करने से संबंधित था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा के विस्तार तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए निधियां संस्वीकृत की जिसके विभिन्न शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में सुधार हेतु कदमों को भी बल प्रदान करते हुए शैक्षणिक स्टाफ कालेजों से अध्यापक शिक्षकों को पुनश्चर्या तथा अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया ताकि अध्यापक शिक्षा विभागों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जा सके तथा समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाये जा सके।

उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप, वर्तमान में, 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय/विभाग हैं, जो विभिन्न सेवा-पूर्व तथा अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं तथा उन्होंने अध्यापक शिक्षा के अन्य संबंधित कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने के प्रयासों को तीव्र कर दिया है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

3.1(क)(iii)(v) : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को एकमुश्त अतिरिक्त अनुदान

वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत विश्वविद्यालयों के अवसंरचनात्मक विकास हेतु 3055.00 लाख रुपये का एकमुश्त अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया:

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	लाख रुपये में	प्रयोजन
1.	इंदिरा गांधी नेशनल ट्रॉइबल यूनिवर्सिटी,	500.00	योग विभाग की स्थापना हेतु अतिरिक्त अनुदान
2.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	2500.00	(i) 1500 छात्राओं के निवास हेतु हॉल का निर्माण (ii) निवास हेतु मौजूद हॉल का उन्नयन (iii) हरित विश्वविद्यालय
3.	केन्द्रीय गुजरात विश्वविद्यालय	55.00	बी0वोक0 कार्यक्रम
	कुल	3055.00	

3.1(क)(iii)(vi) : लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लुप्तप्राय भाषाओं के परिरक्षण तथा उनके संवर्धन हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्वदेशी भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना आरंभ करने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना हेतु रिपोर्ट तैयार करने तथा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिये एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। आयोग ने दिनांक 17.12.2012 को आयोजित बैठक में उक्त योजना की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत 09 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया है:-

1. तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
2. राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश
3. सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम
4. इंदिरा गांधी नेशनल ट्रॉइबल यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश
5. झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड
6. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
7. कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक
8. केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल
9. विश्व भारती, पश्चिम बंगाल

योजना के तहत, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय को लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्र की स्थापना हेतु 1.80 लाख रुपए का अनुदान जारी किया गया।

3.1(क)(iii)(vii) : विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों का निर्माण

महिलाओं का दर्जा बढ़ाने तथा व्यापक रूप से समाज के विकास की क्षमता का दोहन करने के लिए साथ ही, लिंग समानता और महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

इस योजना के तहत निम्नवत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है:

(लाख रुपए में)

महिला नामांकन	महानगर के अलावा अन्य क्षेत्र	महानगर/विशेष दर्जे वाले राज्य*
500 तक	100.00	200.00
500 से अधिक	120.00	240.00

* विशेष दर्जे वाले राज्यों में उत्तर-पूर्वी राज्य (सक्किम सहित), जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड, और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।

योजना के तहत, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

3.1(क)(iii)(viii) : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभागों की स्थापना

स्वास्थ्य, सामाजिक सौहार्द तथा अनुशासन को बढ़ावा देने में योग की भूमिका के बारे में सर्व विदित है। इस तथ्य को सभी स्वीकार करते हैं कि युवाओं में ज्ञानशील, विश्वास से भरपूर, संतुलित तक्ष्शील तथा नेतृत्व के गुणों से परिपूर्ण कर बेहतर नागरिक बनने के लिए कला और विज्ञान के विभिन्न रूपों में योग से परिचय करवाने की आवश्यकता है। योग हमारी सांस्कृतिक धरोहर है तथा यह शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।

योग के हमारे स्वास्थ्य तथा व्यवहार पर सटीक जैविक प्रभाव का आंकलन करने के लिए इस विषय पर अधिकाधिक मुख्य धारा का शोध किया जा रहा है। यह अनिवार्य है कि भारतीय विश्वविद्यालय भी मानव स्वास्थ्य पर योग तथा ध्यान के सकारात्मक प्रभावों के बारे में वैज्ञानिक साक्ष्यों को सुदृढ़ करें। योग में शिक्षा तथा उसे व्यवहारिक रूप से करने के लिए सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में योग विभागों / केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।

1. उद्देश्य : योग में अध्ययन का उद्देश्य निम्नवत है :

- योग में अध्ययन का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष तथा वैज्ञानिक अभिविन्यास के साथ योग के संपूर्ण पारम्परिक ज्ञान का अध्ययन करना है।
- योग के विभिन्न पहलुओं पर स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों को चलाना।
- योग में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा तथा स्नातक स्तरों के अनेक क्रमबद्ध पाठ्यक्रमों का विकास करना।
- विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कारपोरेट संगठनों, केन्द्रीय सेवाओं तथा सभी आयु वर्गों के व्यक्तियों को धर्मनिरपेक्ष तथा वैज्ञानिक अभिविन्यास के साथ योग सिखाने के लिए योग्य संसाधकों को तैयार करना।
- विभिन्न क्षेत्रों में योग तथा योग के अनुप्रयोग में शिक्षण पद्धतियों का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करना।
- अनुप्रयुक्त मानव शरीर विज्ञान और शरीर विज्ञान, भारतीय दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ जैसे आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्जूप्रेशर और शास्त्रीय योग ग्रंथों के ज्ञान को समझने और योग के सिद्धांत और व्यावहारिक योग से संबंधित योग चिकित्सा की बुनियादी समझ-बूझ विकसित करना ताकि योग का सैद्धांतिक और वैज्ञानिक पहलू से अवगत हो सकें।
- योग में शोध को बढ़ावा देना।
- स्व-रोजगार के रूप में योग के स्नातकोत्तर छात्रों से अपने योग केंद्रों को स्थापित करने और जनता के बीच स्वास्थ्य संबंधी चेतना को बढ़ावा देने में सक्षम बनाना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित छह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पूर्ण योग विभाग और पाठ्यक्रम स्वीकृत किए हैं –

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम	आबंटन	वर्ष 2016-17 के दौरान जारी किया गया अनुदान
1.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	विज्ञान स्नातक (योगिक विज्ञान) तथा पीएचडी (योगिक विज्ञान)	1000.00	0.00
2.	विश्वभारती, शांतिनिकेतन	विज्ञान स्नातक (योगिक विज्ञान) तथा विज्ञान निष्णात (योगिक विज्ञान)	1000.00	0.00
3.	केन्द्रीय राजस्थान विश्वविद्यालय	विज्ञान निष्णात (योग चिकित्सा) तथा योग में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा	1000.00	0.00
4.	केन्द्रीय केरल विश्वविद्यालय	योग में डिप्लोमा, कला निष्णात (योग चिकित्सा) तथा पीएचडी (योग)	1000.00	0.00
5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	विज्ञान स्नातक (योगिक विज्ञान) तथा योग में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा	1000.00	500.00
6.	मणिपुर विश्वविद्यालय	विज्ञान स्नातक (योगिक विज्ञान) तथा योग में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा	1000.00	0.00
कुल			6000.00	500.00

3.1(क)(iii)(ix) : विश्वविद्यालयों में सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र की स्थापना

देश में तकनीकी और उच्चतर शिक्षा संबंधी संचालन समिति की सिफारिशों के अनुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना में देश में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। जबकि अनेक संस्थान पहले ही एनएसएस जैसे कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं, जिन्हें वृहद रूप से समुदाय की मदद करने के लिये तैयार किया गया है। सामुदायिक भागीदारी के संबंध में नई पद्धति की सिफारिश, योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की जा रही है जिसमें समुदायों, सिविल समाज तथा देश के उच्चतर शिक्षा के संस्थानों के बीच आपसी लाभ तथा सम्मानपूर्ण भागीदारी पर बल दिया गया है।

सामान्यतः विश्वविद्यालयी प्रणाली में पहुंच/विस्तार क्रियाकलापों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इस प्रकार अधिकांश उच्चतर शिक्षा संस्थान व्यापक रूप से समाज से कटे हुए रहते हैं। इसलिये, यह महत्वपूर्ण है कि इस बात को स्पष्ट रूप से तथा पुरजोर ढंग से अधिदेशित किया जाये कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 'सामुदायिक भागीदारी' का मूल उद्देश्य समुदाय तथा संस्थानों दोनों के आपसी हितों की पूर्ति करना है। हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों में सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रों की स्थापना संबंधी दिशानिर्देश तैयार किये हैं। योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ (i) समुदाय को एक रूपरेखा उपलब्ध कराना/विश्वविद्यालयों की विश्वविद्यालय भागीदारी योजना (ii) इसमें लोगो के जीवन को शामिल करने के लिये ज्ञान को विकसित करने हेतु समुदाय/विश्वविद्यालयी भागीदारी को बढ़ावा देना तथा भागीदारी पूर्ण शोध को बढ़ावा देना (iii) परियोजनाओं की आयोजना और निष्पादन हेतु सहभागिता आधारित संगठनों के साथ कार्य करना। (iv) समुदाय की ज्ञान अर्जन संबंधी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा को डिजाइन करना तथा उसका विकास करना, और (v) विद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों में एक आपसी नेटवर्क तैयार करना तथा सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के मामले में नीतिगत सुझाव तथा तकनीकी सहायता मुहैया करवाना है।

वर्ष 2016-17 के दौरान अनुदान के रूप में कोई भुगतान नहीं किया गया।

3.1(क)(iii)(x) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा प्रदान करना

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को विशेष दर्जा प्रदान करने की योजना तैयार की थी और इस योजना के तहत ऐसे संस्थान जिन्होंने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं वे बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 10.00 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

योजना के तहत, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

3.1(क)(iii)(xi) : एनएएसी द्वारा प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का अनिवार्य प्रत्यायन

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शी तथा संसूचित बाह्य समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यांकन तथा प्रत्यायन, गुणवत्ता आश्वासन की प्रभावी पद्धतियाँ हैं जिससे छात्रों तथा अन्य को सामान्य संदर्भ ढाँचा उपलब्ध कराया जा सकता है तथा सभी संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिससे घरेलू के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में छात्रों के स्थानांतरण में सहायता प्राप्त हो सकेगी।

किसी संस्थान में शिक्षा कार्यक्रमों के प्रारंभ होने से पूर्व मूल्यांकन आरंभ किया जाता है। संस्थान द्वारा उसकी स्थापना के कतिपय वर्ष (6 वर्ष) पूर्ण होने पर/विनिर्दिष्ट संख्या में बैच (दो बैच) उत्तीर्ण होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, के पश्चात् प्रत्यायन आरंभ किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा संकाय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र अथवा इसके अंतर्गत कोई इकाई चाहे जिस नाम से इसे जानी जाए, यदि वह 31 दिसम्बर, 2015 को अथवा इससे पूर्व अपना निर्धारण तथा मूल्यांकन नहीं करवाती है तो वह दिनांक 01 अप्रैल, 2016 तथा इसके पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इसकी किसी भी योजना के लिये वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने अथवा प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होगी।

40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 33 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त किया है। एक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने पूर्व में प्रत्यायन प्राप्त कर लिया था परंतु उसकी प्रत्यायन अवधि समाप्त हो गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पुनर्प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है। पांच केन्द्रीय विश्वविद्यालय नामतः (i) दिल्ली विश्वविद्यालय (ii) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय (iii) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय (iv) झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय (v) ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने पहली बार प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है। एक नया स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय (अर्थात् महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी) प्रत्यायन हेतु पात्र नहीं है।

3.1(ख) राज्य विश्वविद्यालय

राज्य विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनिर्दिष्ट मानकों के ढाँचे तथा व्यापक परिव्यय के भीतर ऐसे सभी पात्र राज्य विश्वविद्यालय को सामान्य विकास सहायता मुहैया करवाता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यता प्राप्त हैं ताकि ऐसी अवसरचरणात्मक सुविधाएं प्रदान की जा सकें, जो सामान्यतः उन्हें राज्य सरकार अथवा सहायता प्रदान करने वाले निकायों से प्राप्त नहीं होती है। भवन, कर्मचारिवृंद, पुस्तकों तथा जर्नलों, उपस्करों एवं अन्य मदों आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

- विश्वविद्यालयों को बारहवों पंचवर्षीय सामान्य विकास सहायता योजनागत ब्लॉक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में, इसमें भवन का निर्माण, नवीकरण (विरासत भवनों का नवीकरण सहित) कैम्पस विकास, कर्मचारिवृंद, पुस्तकें तथा जर्नल, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अवसरचरणा वार्षिक अनुसंधान संविदा, नवोन्मेष शोध क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय-उद्योग संबंध, विस्तार क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य परिचर्या, छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं, यात्रा अनुदान/सम्मेलन/संगोष्ठियां/परिसंवाद/कार्यशाला, प्रकाशन अनुदान, अभ्यागत आचार्य, अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति तथा वृत्ति और परामर्श प्रकोष्ठ, दिवसीय देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिये मूलभूत सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम आदि शामिल होंगे।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई आमेलित योजना की संकल्पना को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समाप्त कर दिया गया है।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई एनकोर नामक योजना अब बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता का भाग होगी। इस योजना के लिए अलग से कोई निधियां प्रदान नहीं की गई हैं।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की पूर्ववर्ती योजना अर्थात् मानवाधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा को भी अब बारहवीं पंचवर्षीय सामान्य विकास सहायता योजना के तहत सम्मिलित किया गया है। इस योजना के लिये अलग से कोई निधियां मुहैया नहीं करवाई जायेंगी।
- अभ्यागत/अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति/मानदेय अब बारहवीं पंचवर्षीय सामान्य विकास सहायता योजना का भाग होगी।

- विश्वविद्यालयों में राजीव गांधी अध्यक्षपीठ की स्थापना, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों में अध्यक्षपीठ की स्थापना की योजना के तहत जारी रही। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विख्यात, नोबल पुरस्कार से सम्मानित तथा अपने योगदान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम पर नए पीठों को आरंभ किया है। योजना के तहत निम्नवत पीठों को सम्मिलित किया गया है :-

क्र.सं.	राष्ट्रीय पीठ का नाम	विषय/क्षेत्र
1.	मोतीलाल नेहरू	● विधिक शिक्षा ● स्वतंत्रता आंदोलन
2.	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद	● पत्रकारिता ● शिक्षा ● उर्दू और अरबी साहित्य ● स्वतंत्रता आंदोलन
3.	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद	● स्वतंत्रता आंदोलन ● अभिशासन
4.	लाल बहादुर शास्त्री	● धारणीय कृषि तथा ग्रामीण विकास ● आचार तथा अभिशासन ● स्वतंत्रता आंदोलन
5.	बाबू जगजीवन राम	● समाज में हाशिये पर जीवन व्यतीत कर रहे वर्ग का सशक्तिकरण
6.	राजीव गांधी	● पंचायती राज ● आईसीटी तथा कंप्यूटरीकरण ● युवाओं का सशक्तिकरण ● शांति तथा विवाद समाधान
7.	स्वामी विवेकानन्द	● राष्ट्रीय और सामाजिक जागरण ● दर्शन शास्त्र ● युवा विकास तथा नेतृत्व
8.	महात्मा गांधी	● शांति तथा अहिंसा ● स्वतंत्रता आंदोलन ● राष्ट्रीय एकता
9.	पं० जवाहर लाल नेहरू	● स्वतंत्रता आंदोलन ● अंतराष्ट्रीय सहयोग ● विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ● गुट-निरपेक्षता आंदोलन
10.	डॉ० बी० आर० अम्बेडकर	● सामाजिक समावेशन ● संविधान संबंधी अध्ययन
11.	डॉ० जाकिर हुसैन	● शिक्षा ● स्वतंत्रता आंदोलन
12.	डॉ० एस० राधाकृष्ण	● शिक्षा ● दर्शन शास्त्र
13.	सरदार वल्लभ भाई पटेल	● राष्ट्रीय एकता ● अभिशासन
14.	पं० मदन मोहन मालवीय	● शिक्षा ● सामाजिक सुधार ● स्वतंत्रता आंदोलन
15.	सर सैयद अहमद खान	● शिक्षा ● सामाजिक सुधार ● धर्म तथा संस्कृति
16.	रविन्द्र नाथ टैगोर	● साहित्य ● कला और सौन्दर्यशास्त्र ● संस्कृति ● संगीत

क्र.सं.	राष्ट्रीय पीठ का नाम	विषय/क्षेत्र
17.	सी०वी० रमन	- भौतिकी तथा प्रकाशिकी, स्पेक्ट्रमदर्शी तथा ध्वनिविज्ञान - रसायन शास्त्र
18.	मदर टैरिसा	- मानवाधिकार - महिला सशक्तिकरण - शांति - गरीबी उन्मूलन और परोपकारिता
19.	सुब्रह्मण्यम् चंद्रशेखर	- भौतिकी तथा खगोलविज्ञान - खगोलशास्त्र - चुंबकीय-द्रवगतिक विज्ञान
20.	हरगोबिन्द खुराना	- जीव विज्ञान - रसायन और जीव रसायन - शरीरक्रिया विज्ञान और औषधि
21.	अमर्त्य सेन	- आर्थिक व्यवस्था संबंधी विज्ञान - लोकहितकारी अर्थशास्त्र - सामाजिक विकल्प संबंधी सिद्धांत - मानव विकास - धार्मिक विकास
22.	वेंकटराम रामकृष्णन	- द्राचागत तथा आण्विक जीव विज्ञान - जीव रसायन और रसायन शास्त्र
23.	ई० श्रीधरन	- शहरी विकास - सड़क परिवहन
24.	डॉ० होमी जहांगीर भाभा	अंतरिक्ष विज्ञान
25.	लक्ष्मीकांत बेजबाराव	- साहित्य - कला - संस्कृति
26.	श्री अरविन्दो	- शिक्षा - दर्शन शास्त्र - योग - आध्यात्मिकता

- आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना तथा महिला छात्रावास के निर्माण की एक स्वतंत्र योजना को सभी राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित किया जायेगा तथा अब यह आमेलित योजना का भाग नहीं होगी और पृथक योजना के रूप में जारी रहेगी।
- ऐसे शिक्षकों को विशेष मानदेय की योजना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित चार में से कम से कम दो विज्ञान अकादमियों के अध्येता हों, यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पृथक योजना के रूप में जारी रहेगी।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों हेतु सामान्य विकास सहायता के तहत निम्नवत योजनाएं चलाई जा रही हैं:-

क्र.सं.	मद	क्र.सं.	मद
1.	सवनों का विनिर्माण और उनका नवोकरण	8.	विश्वविद्यालय-उद्योग संबंध
2.	कैम्पस विकास	9.	विस्तार क्रियाकलाप
3.	कर्मचारिवृंद	10.	सांस्कृतिक क्रियाकलाप संबंधी
4.	पुस्तकें और जर्नल	11.	आईसीटी का विकास
5.	प्रयोगशाला उपस्कर और अवसंरचना	12.	स्वास्थ्य परिचर्या
6.	वार्षिक अनुसंधान संविदा	13.	छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं
7.	नवोन्मेषी शोध क्रियाकलाप	14.	यात्रा अनुदान

क्र.सं.	मद
15.	सम्मेलन/संगोष्ठी/परिसंवाद/कार्यशाला
16.	प्रकाशन अनुदान
17.	अभ्यागत आचार्य/अभ्यागत अध्यापकों की नियुक्ति
18.	वृत्ति तथा परामर्श सेवा प्रकोष्ठ की स्थापना
19.	दिवसीय देखभाल केन्द्र
20.	महिलाओं हेतु मूलभूत सुविधाएं

क्र.सं.	मद
21.	संकाय विकास कार्यक्रम
22.	एनकोर
23.	मानवाधिकार और कर्तव्यों संबंधी शिक्षा
24.	अंशकालिक अभ्यागत शिक्षकों की नियुक्ति/मानदेय
25.	छात्रों को नेट के अलावा अन्य अध्यापकवृत्तियां

- निम्नवत योजनाएं जो पूर्व में आमेलित योजना का भाग थी, उन्हें अब इस प्रयोजनार्थ गठित एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिबद्ध प्रकोष्ठ द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित किया जायेगा तथा इन योजनाओं के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पृथक अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (i) समान अवसर प्रकोष्ठ।
 - (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण।
 - (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु नेट अनुशिक्षण।
 - (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु सेवाओं में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण कक्षाएं।
 - (v) निशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014-15 के दौरान "स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत" नामक नई योजना आरंभ की है। इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय पहले से ही आबंटित सामान्य विकास अनुदान का उपयोग करेंगे जो पहले ही राज्य विश्वविद्यालयों को आबंटित किया गया है।
- वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सामान्य विकास सहायता योजना के तहत राज्य विश्वविद्यालयों को 13913.15 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है।
- वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सामान्य विकास सहायता योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्य विश्वविद्यालयों को 15730.88 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत वाई-फाई कनेक्टिविटी उपलब्ध करवा रहा है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 58 राज्य विश्वविद्यालयों को 556.20 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।
- पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को गैर-योजनागत अनुदान (2016-17) वेतन शीर्ष के तहत 19773.00 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।

3.1(ग) सम विश्वविद्यालय संस्थान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (गैर-योजनागत) सहायता उपलब्ध कराता है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योजनागत/गैर-योजनागत/निर्धारित अनुरक्षण/विशेष अनुदान प्राप्त करने वाले 21 चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थान हैं। चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों का नाम नीचे दिया गया है:

योजनागत और गैर-योजनागत अनुदान (शत प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान) प्राप्त करने वाले सम विश्वविद्यालय

1. अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हॉयर एजुकेशन फॉर वूमेन, कोयंबतूर-641043 (तमिलनाडु)
2. दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, दयालबाग, आगरा-282005, (उ०प्र०)

3. गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम, डिंडिगुल-624302, (तमिलनाडु)
4. गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380014, (गुजरात)
5. *गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार-249404, (उत्तराखण्ड)
6. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति-517507, (अ०प्र०)
7. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, न्यू महरौली रोड, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016
8. टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, सियान ट्राम्बे रोड, देवनार, मुंबई-400088(महाराष्ट्र)

योजनागत और निर्धारित अनुसंधान अनुदान प्राप्त करने वाले सम विश्वविद्यालय

9. जमिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली-110062 (प्रत्येक वर्ष 8.00 करोड़ रुपये का योजनागत और निर्धारित अनुसंधान अनुदान प्राप्त कर रहा है)

केवल निर्धारित अनुसंधान अनुदान प्राप्त करने वाले सम विश्वविद्यालय

10. श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्वविद्यालय, इनाथुर, कांचीपुरम,-631552 (तमिलनाडु) (प्रत्येक वर्ष 7.00 करोड़ रुपये का निर्धारित अनुसंधान अनुदान प्राप्त कर रहा है)

केवल योजनागत अनुदान प्राप्त करने वाले सम विश्वविद्यालय

11. वनस्थली विद्यापीठ, पी०ओ० वनस्थली, विद्यानगर-304022, (राजस्थान)
12. सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी-221007, (उ०प्र०)
13. डेक्कन कॉलेज पी० जी० एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे,-411006 (महाराष्ट्र)
14. गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, शिवाजीनगर डेक्कन जिमखाना, बीएमसीसी रोड, पुणे,-411006, (महाराष्ट्र)
15. इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नथालाल पारेख मार्ग, मटंगा, मुंबई-400019, (महाराष्ट्र)
16. जैन विश्व भारती इंस्टिट्यूट लांडनू-341306(राजस्थान)
17. श्री सत्य साई इंस्टिट्यूट ऑफ हॉयर लर्निंग, प्रशांतनिलयम-515134, जिला अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)
18. चेन्नै मेथेमेटिकल इंस्टिट्यूट, एच-1 सिपकाट आईटी पार्क पादुर पोस्ट, सिरुसेरी-603103 (तमिलनाडु) (केवल बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए आवंटन किया गया है)
19. इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110001(केवल बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए आवंटन किया गया है)
20. रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल रिसर्च इंस्टिट्यूट बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल-711202 (केवल बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए आवंटन किया गया है)

मिश्र अनुदान प्राप्त करने वाले सम विश्वविद्यालय

21. नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110016
*आयोग ने दिनांक 22.12.2011 तथा 13.02.2012 को आयोजित बैठक में मा०सं०वि०मं० की समीक्षा समिति की "ग" श्रेणी के तहत आने वाले सम विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान संस्वीकृत नहीं करने का निर्णय लिया।

3.1(ग)(i) : योजनागत अनुदान

3.1(ग)(i)(i) : सामान्य विकास अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 18 चिह्नित सम विश्वविद्यालयों को योजनागत अनुदान उपलब्ध करवा रहा है। सामान्य विकास सहायता का उद्देश्य विश्वविद्यालय में मौजूदा अवसंरचना में सुधार तथा समेकन करना बल्कि कतिपय चिह्नित क्षेत्रों में उत्कृष्टता का विकास करना है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों को योजनागत ब्लॉक अनुदान के रूप में सामान्य विकास

सहायता प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालयों के मामले में, इसमें भवन का निर्माण, नवीकरण (विरासत भवनों का नवीकरण सहित) कैम्पस विकास, कर्मचारिवृंद, पुस्तकें तथा जर्नल, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अवसंरचना वार्षिक अनुसंधान संविदा, नवोन्मेष शोध क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय-उद्योग संबंध, विस्तार क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य परिचर्या, छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं, छात्रों को गैर-नेट अध्येतावृत्ति, यात्रा अनुदान, सम्मेलन/संगोष्ठियां/परिसंवाद/कार्यशाला, प्रकाशन अनुदान, अभ्यागत आचार्य /अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति तथा वृत्ति और परामर्श प्रकोष्ठ, दिवसीय देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिये मूलभूत सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम आदि शामिल होंगे।

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ तथा महिला छात्रावासों का निर्माण योजना को सभी चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों में स्वतंत्र योजना के रूप में लागू किया जा रहा है।

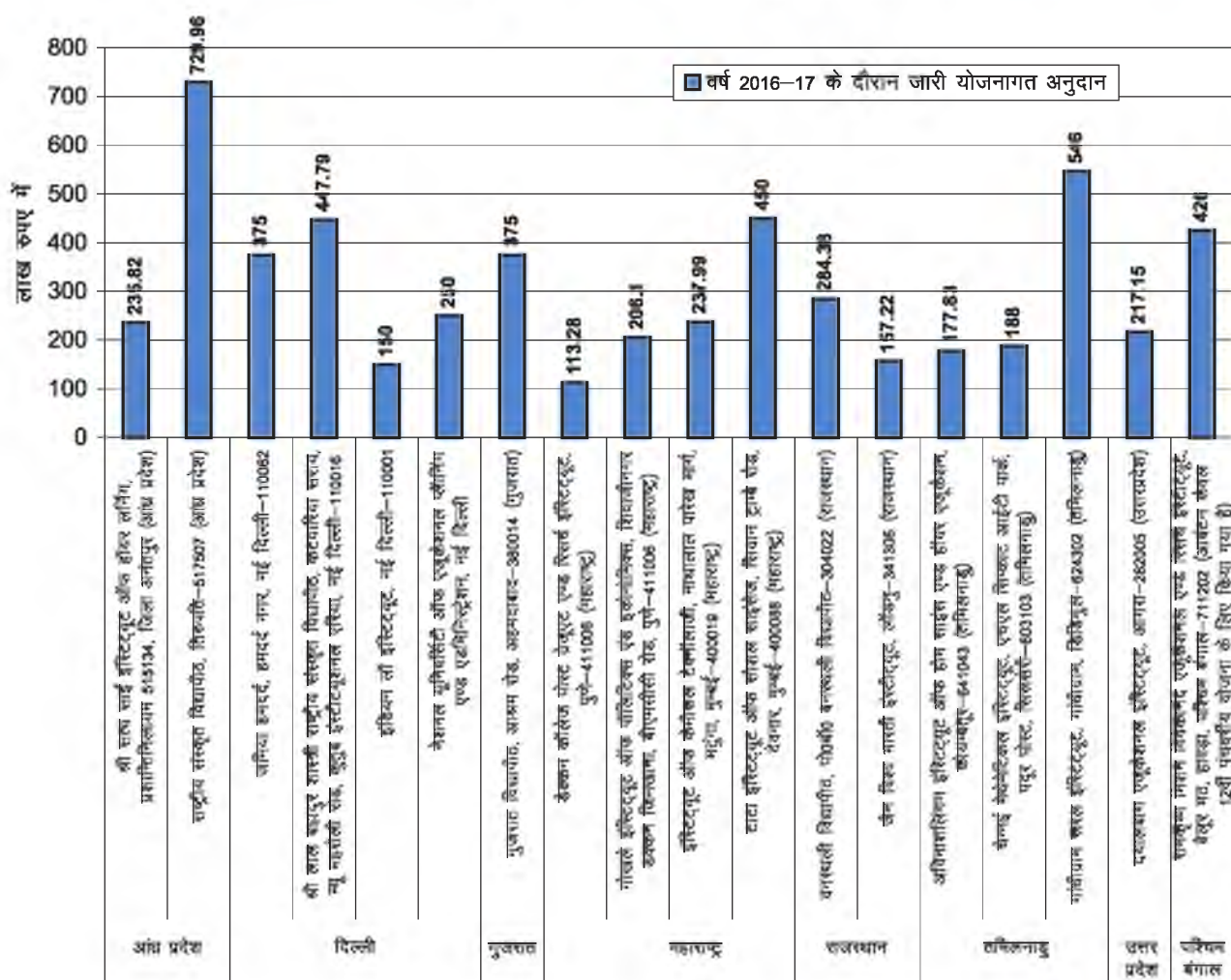
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2016-17 के दौरान बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता के तहत चिह्नित संस्थानों को 5567.52 लाख रुपये की राशि जारी की है। वर्ष 2016-17 के दौरान संस्वीकृत अनुदानों का ब्यौरा तालिका 3.1 (ग)(i)(i) में दिया गया है।

तालिका 3.1 (ग)(i)(i) : वर्ष 2016-17 के दौरान चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को जारी किया गया योजनागत अनुदान (लाख रुपए में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अनुदान सहायता सामान्य 31	अनुदान सहायता सामान्य 35	कुल शीर्ष 31 और 35
आंध्र प्रदेश				
1	श्री सत्य साईं इंस्टिट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशान्तिनिलायम-515134, जिला अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)	2.68	233.14	235.82
2	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति- 517507 (आंध्र प्रदेश)	180	549.96	729.96
दिल्ली				
3	जमिया हमदद, हमदद नगर, नई दिल्ली- 110062	84.59	290.41	375
4	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सशाय, न्यू महारौली रोड, कुतुब इंस्टीटयूशनल एरिया, नई दिल्ली- 110016	187.16	260.63	447.79
5	इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली- 110001	87	63	150
6	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली	100	150	250
गुजरात				
7	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380014 (गुजरात)	134	241	375
महाराष्ट्र				
8	डेक्कन कॉलेज फॉर पी0 जी. एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे-411006 (महाराष्ट्र)	66.28	47	113.28
9	गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, शिवाजीनगर डेक्कन जिमखाना, बीएमसीसी रोड, पुणे-411006 (महाराष्ट्र)	19	187.1	206.1
10	इंस्टिट्यूट ऑफ केमीकल टेक्नॉलाजी, नाथालाल पारेख मार्ग, मटुंगा, मुम्बई-400019 (महाराष्ट्र)	42	195.99	237.99
11	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, सियान ट्राम्बे रोड, देवनार, मुम्बई-400088 (महाराष्ट्र)	311	139	450
राजस्थान				
12	वनस्थली विद्यापीठ, पो0बॉ0 वनस्थली विद्यापीठ-304022 (राजस्थान)	32	252.38	284.38
13	जैन विश्व मारती इंस्टीट्यूट, लॉडनु-341306 (राजस्थान)	117.22	40	157.22

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अनुदान सहायता सामान्य 31	अनुदान सहायता सामान्य 35	कुल शीर्ष 31 और 35
तमिलनाडु				
14	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हॉयर एजुकेशन, कोयम्बतूर-641043 (तमिलनाडु)	60	117.83	177.83
15	येन्नाई मेथेमेटिकल इंस्टिट्यूट, एच एल सिष्काट आईटी पार्क, पदूर पोस्ट, सिरुसेरी-603103 (तमिलनाडु)	0	188	188
16	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम, डिडिगुल-624302 (तमिलनाडु)	173.3	372.7	546
उत्तर प्रदेश				
17	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा- 282005 (उत्तरप्रदेश)	138.43	78.72	217.15
पश्चिम बंगाल				
18	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल- 711202 (आबंटन केवल 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए किया गया है)	0	426	426
कुल		1734.66	3832.86	5567.52

रेखाचित्र 3.1(ग)(i)(i) : वर्ष 2016-17 के दौरान सम विश्वविद्यालयों को जारी किया गया योजनागत अनुदान



3.1(ग)(ii) : गैर-योजनागत (अनुरक्षण अनुदान)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 10 चिह्नित सम विश्वविद्यालयों को गैर-योजनागत अनुदान प्रदान कर रहा है। इन चिह्नित 10 सम विश्वविद्यालयों में से 8 चिह्नित सम विश्वविद्यालय, वेतन तथा भत्तों, सेवानिवृत्ति हित लाभों और वेतनेत्तर मदों के लिए शत-प्रतिशत गैर-योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। वेतनेत्तर घटकों में उपभोज्य वस्तुएं, विद्युत प्रभार, जल प्रभार, संपत्ति कर, गृह कर, आकस्मिक व्यय, भवनों का रखरखाव/मरम्मत और अन्य व्यय शामिल हैं। 8 चिह्नित किये गये सम विश्वविद्यालयों के बजट अनुमानों/संशोधित बजट अनुमानों को इन विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों तथा वित्त अधिकारियों के साथ चर्चा उपरांत निर्धारित किया जाता है।

शेष दो चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थान अर्थात् जामिया हमदर्द, नई दिल्ली और श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम प्रति वर्ष क्रमशः 800.00 लाख रुपये और 7.00 लाख रुपये की निर्धारित अनुरक्षण अनुदान राशि प्राप्त कर रहे हैं।

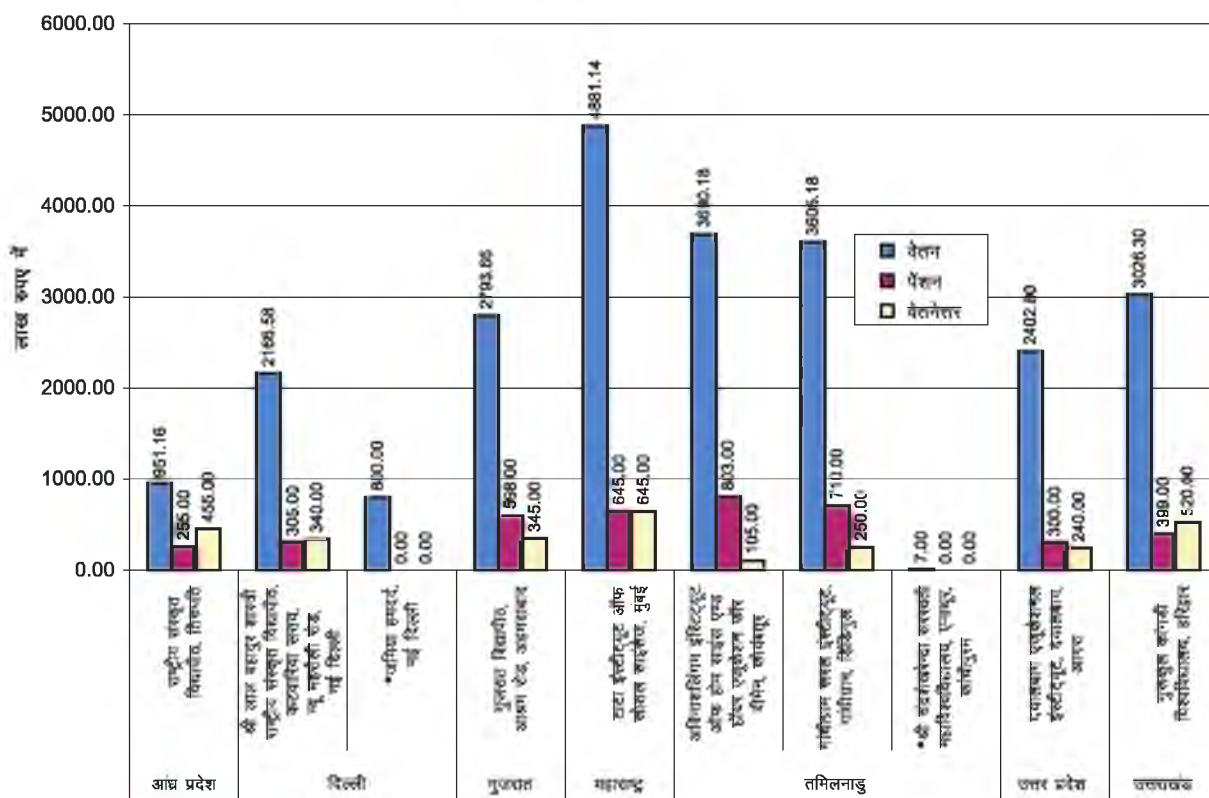
वर्ष 2016-17 के दौरान गैर-योजनागत अनुदान के तहत 31284.00 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। जिसका ब्यौरा तालिका 3.1 (ग)(ii) में दिया गया है :

तालिका 3.1(ग)(ii) : वर्ष 2015-2016 के दौरान सम विश्वविद्यालयों को जारी किया गया गैर-योजनागत अनुदान (अनुरक्षण अनुदान)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में)			
		वेतन	पेंशन	वेतनेत्तर	कुल
	आंध्र प्रदेश				
1	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	951.16	255.00	455.00	1661.16
	दिल्ली				
2	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली	2166.58	305.00	340.00	2811.58
3	*जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	800.00	0.00	0.00	800.00
	गुजरात				
4	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद	2793.66	598.00	345.00	3736.66
	महाराष्ट्र				
5	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई	4881.14	645.00	645.00	6171.14
	तमिलनाडु				
6	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हॉयर एजुकेशन फॉर वीमेन, कोयंबतूर	3690.18	803.00	105.00	4643.18
7	गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गांधीग्राम, डिंडिगुल	3605.18	710.00	250.00	4565.18
8	*श्री चंद्रशेखरेन्द्रा सरस्वती महाविश्वविद्यालय, एनाथूर, कांचीपुरम	7.00	0.00	0.00	7.00
	उत्तर प्रदेश				
9	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा	2402.80	300.00	240.00	2942.80
	उत्तराखंड				
10	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	3026.30	399.00	520.00	3945.30
	कुल	24324.00	4015.00	2945.00	31284.00

*निर्धारित अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

रेखाचित्र 3.1(ग)(iii) : वर्ष 2016-2017 के दौरान सभ विश्वविद्यालयों को जारी किया गया वेतन, पेंशन, वेतनेत्तर गैर-योजनागत (अनुरक्षण) अनुदान



3.1(घ) निजी विश्वविद्यालय

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, संबंधित राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी वेबसाइट www.ugc.ac.in पर निजी विश्वविद्यालयों की सूची का रखरखाव करता है। संबंधित राज्य सरकार से विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी अधिनियम तथा अधिसूचना की प्राप्ति होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निजी विश्वविद्यालय को निजी विश्वविद्यालयों की सूची में सम्मिलित कर लेता है।

दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार देश में 262 राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थापित किए गए निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 262 निजी विश्वविद्यालयों में से 195 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष 2010 के बाद हुई है।

निजी विश्वविद्यालयों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा मानदंडों का रखरखाव) विनियम, 2003 के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों को विनियमित करता है।
- इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्र समुदाय के हितों को सुरक्षित बनाने के लिए अधिसूचित किया गया था जिसमें उच्चतर शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता पर पर्याप्त बल दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण एक विशेषज्ञ समिति (जिसमें संबंधित सांविधिक परिषद्(दो) से प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, द्वारा किया जाता है ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकायों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों, संकाय, अवसंरचनात्मक सुविधाएं, वित्तीय व्यवहार्यता आदि के संबंध में न्यूनतम मानदंडों पर खरा उतरने के संबंध में आंकलन किया जा सके)।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुल 262 निजी विश्वविद्यालयों में से पहले ही 160 निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण कर चुका है तथा 31 और निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा चुका है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर रिपोर्ट को अपलोड भी किया गया है। शेष मामलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों से निरीक्षण संबंधी अपेक्षित जानकारी प्राप्त होनी बाकी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही

- विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचारार्थ रखा जाता है तथा निजी विश्वविद्यालयों को विशेषज्ञ समिति की टिप्पणियों/सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा जाता है। अनुपालन रिपोर्टों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जांच की जाती है तथा पुनः आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है।
- वैसे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।

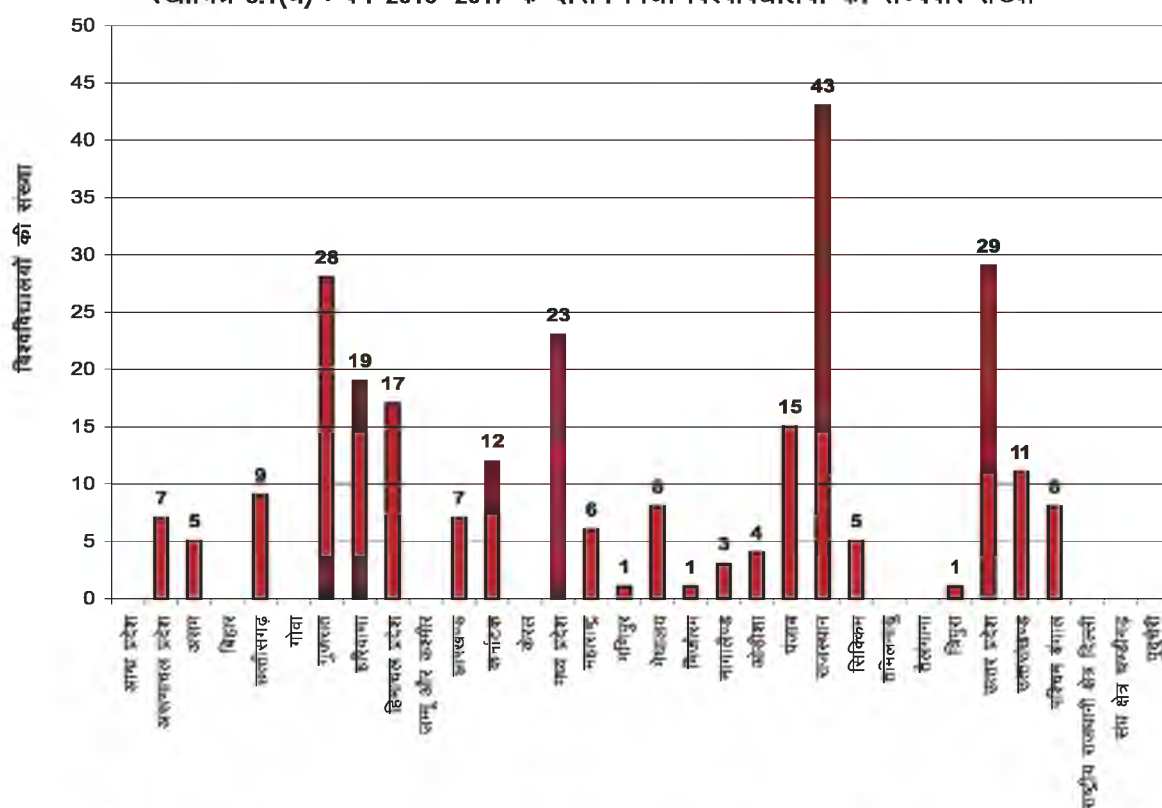
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2003 में संशोधन

उपर्युक्त विनियम, 2003 के लागू होने से भारत में उच्चतर शिक्षा में क्षमता के साथ-साथ संस्थानों की संख्या में लगातार हो रही तीव्र वृद्धि, जोकि व्यापक रूप निजी क्षेत्र में ही हुई है तथा नवीन विषयों के प्रादूर्भाव, शिक्षा में नवोन्मेष, अधिकाधिक गुणवत्तायुक्त शिक्षा की मांग तथा अभिशासन में जवाबदेही तथा पारदर्शिता की अधिकाधिक आशा, जिसका शिक्षा मानदंडों पर प्रभाव पड़ता है, के फलस्वरूप देश में उच्चतर शिक्षा में व्यापक परिवर्तन हुआ है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निजी विश्वविद्यालयों के बढ़ते बाजारीकरण, शिक्षा के मापदंडों में शिथिलता तथा संस्थागत स्थायित्व को खतरे की आशका, जिनमें भारतीय समाज को क्षतिग्रस्त करने की संभावना है, के संबंध में व्यापक रूप से जनसाधारण की चिंताओं पर ध्यान दिया है।

संशोधित किए गए विनियमों को भारत सरकार की अनुमति हेतु भेजा गया है।

रेखाचित्र 3.1(घ) : वर्ष 2016-2017 के दौरान निजी विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या



दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार राज्य निजी विश्वविद्यालयों की सूची अध्याय 2 की तालिका 2.1(ड)(iii) में दी गई है।

➤ महाविद्यालयों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (गैर-योजनागत) सहायता

- क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान
- सामान्य विकास सहायता
- महिला छात्रावासों का निर्माण
- स्वायत्त महाविद्यालय
- शिक्षकों हेतु लघु शोध परियोजनाएँ
- संगोष्ठियाँ/परिसंवाद/सम्मेलन
- संकाय विकास कार्यक्रम
- आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
- महाविद्यालयों में खेल-कूद अवसंरचना और उपकरणों का विकास
- विशेष धरोहर योजना
- दृष्टिबाधित शिक्षक
- दिल्ली के महाविद्यालय/बीएचयू के घटक महाविद्यालयों को अनुदान

4.1 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों के विकास पर विशेष बल

उच्चतर शिक्षा प्रणाली के स्तर को बनाए रखने, सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने, नवोन्मेष तथा परिवर्तन का संवर्धन करने, शिक्षा को उभरते करियर पैटर्न, पहुँच, से जोड़ने, समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराने की दृष्टि से महाविद्यालयों का विकास करना भारतीय उच्चतर शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि स्नातकपूर्व और काफी हद तक स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने में महाविद्यालयों की एक अहम भूमिका होती है। महाविद्यालयों को दी जानी वाली विकास सहायता पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संपर्क सुलभता आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना का उन्नयन करके सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को सहयोग देने की दिशा में केन्द्रित होनी चाहिए। तथापि, मौजूदा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार तथा समेकन करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तर बढ़ाने, करियर की संभावनाओं से जोड़ने के लिए विशेषकर स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को तर्कसंगत बनाने और उनका विविधिकरण करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

4.2 वित्तीय सहायता के लिए वि.वि.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय

दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 42,338 महाविद्यालय हैं, जिनमें से केवल 10,966 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त हैं। मान्यताप्राप्त 10,966 महाविद्यालयों में से केवल 8,993 महाविद्यालय ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

4.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 में एक चरणबद्ध ढंग से देश में अपने सात क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर अपने कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण किया है, ताकि महाविद्यालय, क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अधीन आसानी से शीघ्र अनुदान प्राप्त कर सकें तथा उन्हें तुरन्त जारी और कार्यान्वित किया जा सके। तत्पश्चात्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय तथा उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (एनआरओ), गाजियाबाद को "उत्तरी क्षेत्र महाविद्यालय ब्यूरो" में परिवर्तित कर दिनांक 25.09.2001 से गाजियाबाद से दिल्ली में 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके नाम, स्थिति, स्थापना की तिथि तथा राज्यों की कवरेज का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	स्थान	स्थापना की तिथि	कवर किए गए राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ)	हैदराबाद	28.04.1994	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ)	पुणे	11.11.1994	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव
3.	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ)	भोपाल	01.12.1994	मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनईआरओ)	गुवाहाटी	01.04.1955	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम
5.	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ)	कोलकाता	03.09.1996	पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडीशा, झारखण्ड
6.	दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ)	बंगलूरु	25.4.1999	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय कॉलेज ब्यूरो (एनआरसीबी)	गाजियाबाद	03.12.1994	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड
		नई दिल्ली	25.9.2001	

वर्ष 2016-17 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) के दौरान महाविद्यालयों के लिए कार्यान्वित की गई योजनाएं

दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नवत योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो संपूर्ण देश के सभी पात्र महाविद्यालयों को अनुदानों का सवितरण कर रहे हैं:

- 1) महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता**
- 2) महाविद्यालयों हेतु महिला छात्रावासों का निर्माण
- 3) स्वायत्त महाविद्यालय (केवल अनुदानों का जारी किया जाता है)
- 4) महाविद्यालयों हेतु लघु शोध परियोजनाएं
- 5) महाविद्यालयों हेतु संगोष्ठी/परिसंवाद/सम्मेलन
- 6) महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रम
- 7) महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
- 8) महाविद्यालयों में खेल अवसरचना और उपकरणों का विकास
- 9) महाविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा प्रदान करना
- 10) दृष्टिबाधित शिक्षक
- 11) प्रतिबद्ध देयताएं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं)

(**जीडीए में शिक्षा से जुड़े नवोन्मेष, क्षेत्र कार्य, / अध्ययन दौरे, विस्तार क्रियाकलाप, शिक्षा में आईसीटी, मौजूदा भवनों में सुविधाओं में सुधार, कॉमन रूम तथा महिलाओं के लिए शौच सुविधाएं, दिवसीय देखभाल केन्द्र, मानवाधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा, करियर तथा परामर्श प्रकोष्ठ शामिल हैं)

पात्रता संबंधी मानदण्ड:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपर्युक्त योजनाओं हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त पात्र महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। 12(ख) का दर्जा प्राप्त स्व-वित्तपोषित महाविद्यालय केवल शिक्षक/छात्र केन्द्रीत योजनाओं हेतु पात्र हैं।

4.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा योजनावार अनुदानों को जारी किया जाना

4.4.(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों में यथा विहित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है। योजना के तहत, महाविद्यालयों को मूलभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए तथा उनकी पुस्तकों और पत्रिकाओं (पुस्तक बैंक सहित), वैज्ञानिक उपकरणों, कैम्पस विकास, उपर्युक्त शिक्षण हेतु अनिवार्य शिक्षण उपकरण, मौजूदा भवन के विस्तार/नवीकरण तथा नए भवनों का निर्माण, विस्तार क्रियाकलापों, महिलाओं के लिए सुविधाओं, आदि के लिए योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

वर्ष 2016-17 और बारहवीं पंचवर्षीय योजना (01.04.2012 से 31.03.2017) के तहत सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदानों का राज्य-वार (तालिका-4.4(क)(i)) और क्षेत्रीय कार्यालय-वार (तालिका-4.4(क)(ii)) ब्यौरा निम्नवत है:-

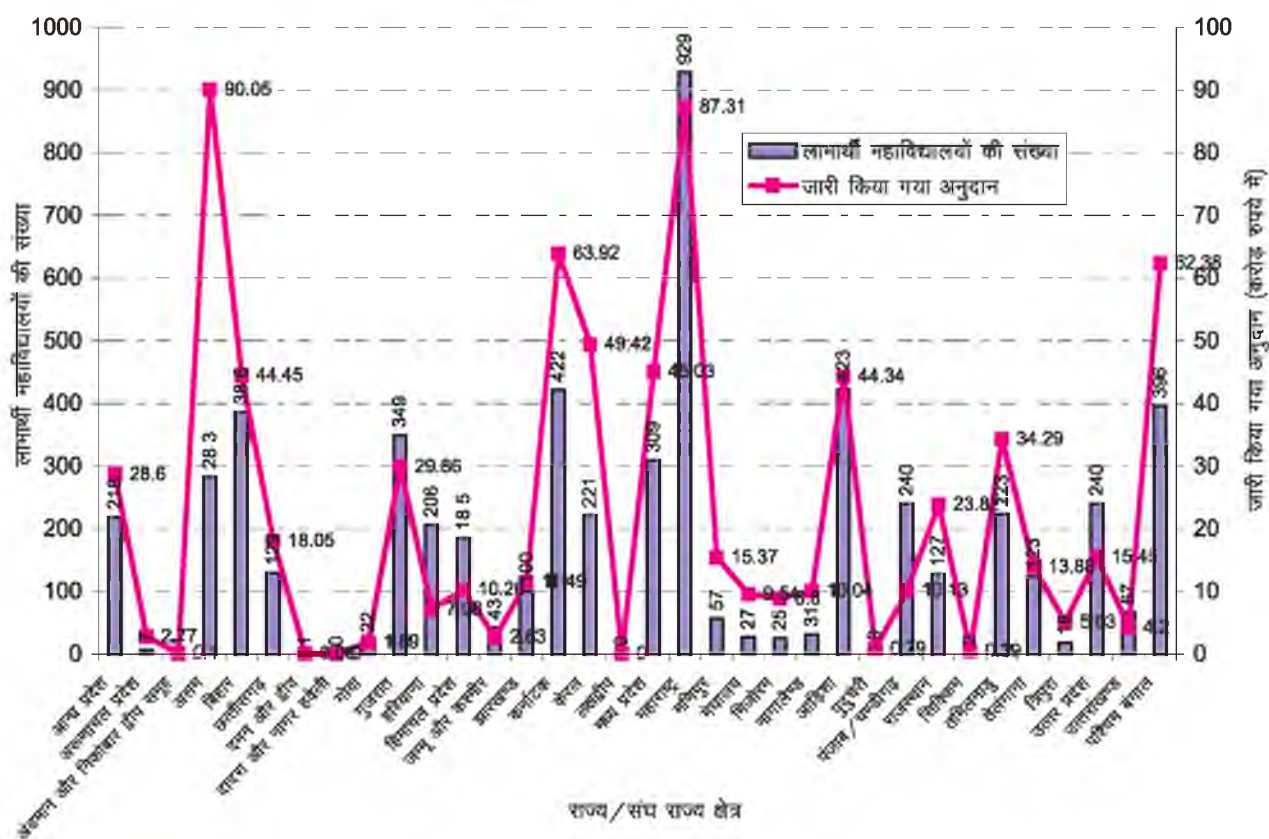
तालिका-4.4(क)(i): सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किए गए अनुदानों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान		बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2017)		
		लामार्थी महाविद्यालयों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	लामार्थी महाविद्यालयों की संख्या	आवंटन	जारी किया गया अनुदान
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	0.45	218	62.85	28.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	0.58	7	3.25	2.77
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	1	0	0.10
4.	असम	163	19.39	283	115.46	90.05
5.	बिहार	33	2.43	386	90.73	44.45
6.	छत्तीसगढ़	0	0	129	43.39	18.05
7.	दमन और द्वीव	0	0	1	0.23	0.06
8.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0
9.	गोवा	6	0.61	22	7.65	1.89
10.	गुजरात	96	10.04	349	112.30	29.86
11.	हरियाणा	19	0.58	206	0	7.08
12.	हिमाचल प्रदेश	0	0	185	0	10.26
13.	जम्मू और कश्मीर	1	0.02	43	0	2.63
14.	झारखण्ड	10	0.45	100	24.17	11.49
15.	कर्नाटक	46	3.56	422	119.18	63.92
16.	केरल	37	3.88	221	90.39	49.42
17.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	1	0.01	309	103.89	45.03
19.	महाराष्ट्र	353	33.93	929	274.76	87.31
20.	मणिपुर	46	2.83	57	18.48	15.37
21.	मेघालय	10	1.94	27	14.12	9.54
22.	मिजोरम	11	1.74	25	12.21	8.80

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान		बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2017)		
		लामार्थी महाविद्यालयों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	लामार्थी महाविद्यालयों की संख्या	आवंटन	जारी किया गया अनुदान
23.	नागालैण्ड	22	2.58	31	11.78	10.04
24.	ओडिशा	41	1.25	423	87.63	44.34
25.	पुदुचेरी	0	0	9	1.48	0.79
26.	पंजाब / चण्डीगढ़	10	0.35	240	0	10.13
27.	राजस्थान	0	0	127	55.68	23.82
28.	सिक्किम	1	0.05	2	0.6	0.39
29.	तमिलनाडु	4	0.43	223	74.14	34.29
30.	तेलंगाना	2	0.09	123	29.53	13.88
31.	त्रिपुरा	7	0.96	18	8.43	5.03
32.	उत्तर प्रदेश	29	1.49	240	0	15.45
33.	उत्तराखण्ड	3	0.28	67	0	4.20
34.	पश्चिम बंगाल	13	1.52	396	115.61	62.38
	कुल	975	91.44	5819	1477.94	751.42

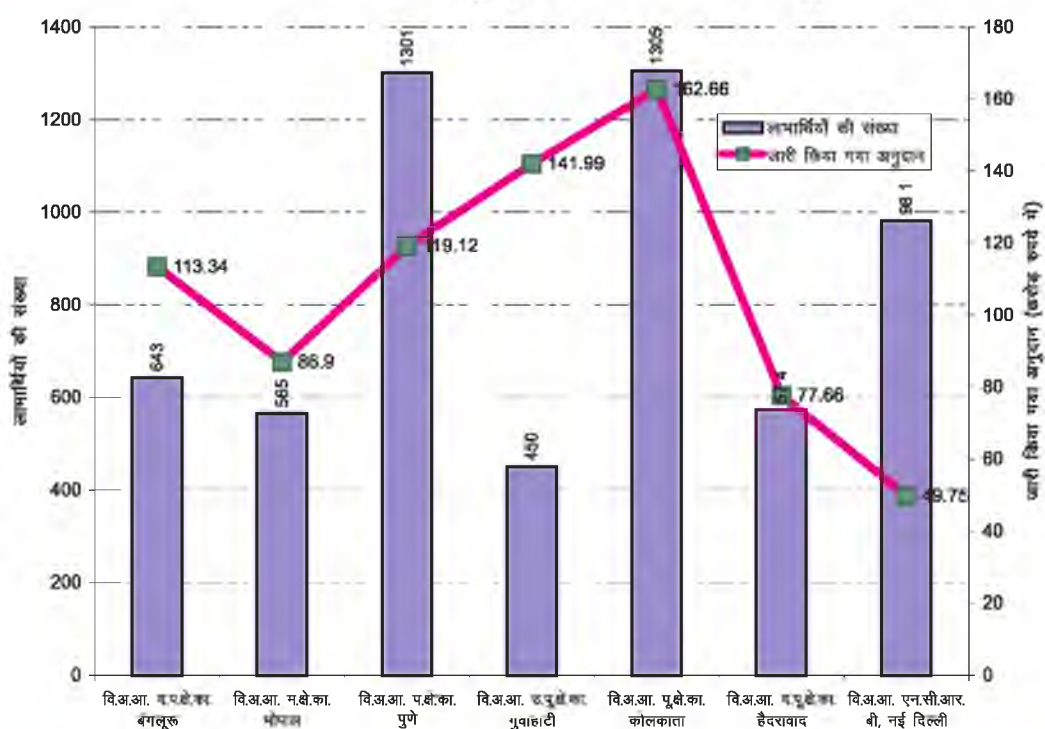
रेखाचित्र 4.4(क)(i): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में) तथा लामार्थी महाविद्यालयों की संख्या



तालिका-4.4(क)(ii): क्षेत्रीय कार्यालय-वार जारी किया गया बारहवीं पंचवर्षीय योजना अनुदान (सामान्य विकास सहायता) (करोड़ रुपए में) तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभार्थी महाविद्यालयों की संख्या (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (01.04.2016 से 31.03.2017)				बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2017)		
		वर्ष 2016-17 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालय) की संख्या	सामान्य अनुदान-सहायता-31	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ-35	कुल (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	आबंटन (करोड़ रुपए में)	जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरु	83	1.04	6.40	7.44	643	209.57	113.34
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	01	0	0.01	0.01	565	202.96	86.90
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	455	4.66	39.92	44.58	1301	394.94	119.12
4.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे. का. गुवाहाटी	265	6.02	24.05	30.07	450	184.33	141.99
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	97	0.99	4.67	5.65	1305	318.14	162.66
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	12	0.34	0.63	0.97	574	168.00	77.66
7.	वि.अ.आ. एन.सी. आर.बी. नई दिल्ली	62	0	2.72	2.72	981	0	49.75
कुल		975	13.05	78.40	91.44	5819	1477.94	751.42

रेखाचित्र-4.4(क)(ii): क्षेत्रीय कार्यालय-वार जारी किया गया बारहवीं पंचवर्षीय योजना अनुदान (करोड़ रुपए में) तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभार्थी महाविद्यालयों (महाविद्यालय) की संख्या



4.4(ख) महाविद्यालयों हेतु महिला छात्रवासों का निर्माण:-

महिलाओं का नामांकन बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों में महिला छात्रावास तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के मद्देनजर आयोग ने वर्ष 1995-96 के दौरान, महिला छात्रावासों के निर्माण की एक विशेष योजना आरंभ की थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र महाविद्यालय, इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नवत अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन शत-प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

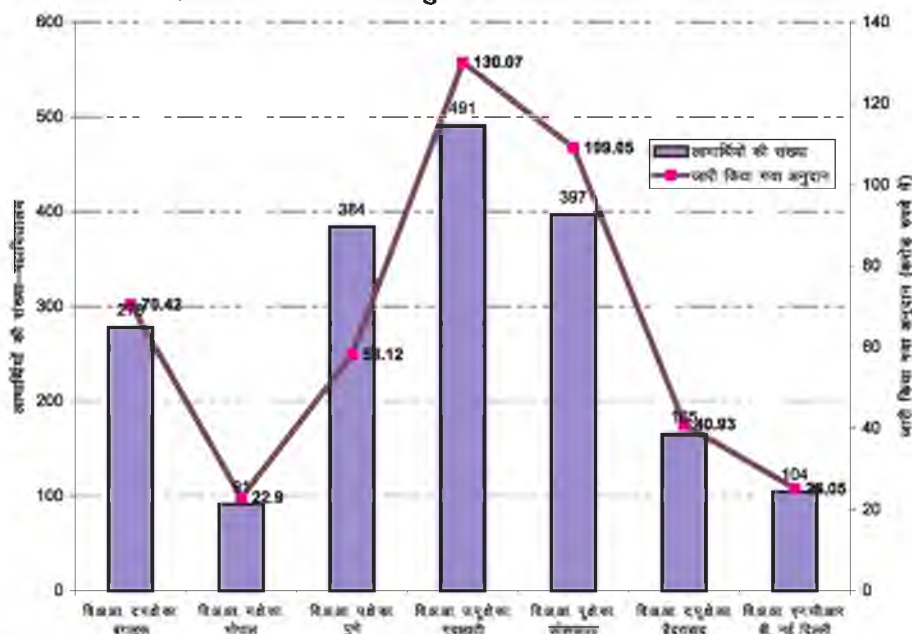
महिला नामांकन	महानगरों के अलावा अन्य क्षेत्रों के संबंध में राशि (लाख रुपये में)	महानगरों, जम्मू और कश्मीर, उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों तथा सिक्किम के संबंध में राशि (लाख रुपये में)
(क) 250 तक	40	80.00
(ख) 251-500	60	100.00
(ग) 500 से अधिक	80	120.00

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर वित्तपोषण को अनुमोदित करता है। योजना के तहत, वर्ष 2016-17 तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो द्वारा संस्वीकृत अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान महिला छात्रावास हेतु जारी किया गया अनुदान			बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला छात्रावास हेतु जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2017 तक)	
		वर्ष 2016-17 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालय) की संख्या	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ-35	कुल	लाभार्थियों (महाविद्यालय) की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरु	25	2.96	2.96	278	70.42
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. सोपल	6	1.14	1.14	91	22.9
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	25	7.33	7.33	384	58.12
4.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	91	13.46	13.46	491	130.07
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	32	6.8	6.8	397	109.05
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	35	4.12	4.12	165	40.93
7.	वि.अ.आ. एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली	7	0.62	0.62	104	25.05
	कुल	221	36.43	36.43	1910	456.54

रेखाचित्र 4.4(ख): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किया गया अनुदान तथा लाभार्थियों की संख्या



4.4(ग) स्वायत्त महाविद्यालय :-

स्वायत्त महाविद्यालय की योजना का उद्देश्य महाविद्यालयों को संबद्ध ढांचे से असंबद्ध करके स्नातकपूर्व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। जिन महाविद्यालयों को स्थापित हुए दस से अधिक वर्ष बीत गए हैं तथा जिनके पास एनएएससी ग्रेड 'बी' अथवा इससे बेहतर ग्रेड उपलब्ध है उन्हें कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान की गई है तथा उन्हें निम्नवत अधिकतम सीमा के अध्वधीन सहायता प्रदान की गई है:-

1. एकल संकाय स्नातकपूर्व महाविद्यालय हेतु 9.00 लाख रुपए
2. बहु संकाय स्नातकपूर्व महाविद्यालय हेतु 15.00 लाख रुपए
3. एकल संकाय वाले स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों हेतु 10.00 लाख रुपए
4. बहु संकाय वाले स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों हेतु 20.00 लाख रुपए

शिक्षा वर्ष 2013-14 से क्रेडिट प्वाइंट्स के साथ एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में आरंभ करने के लिए 1.00 लाख रुपए से 2.00 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

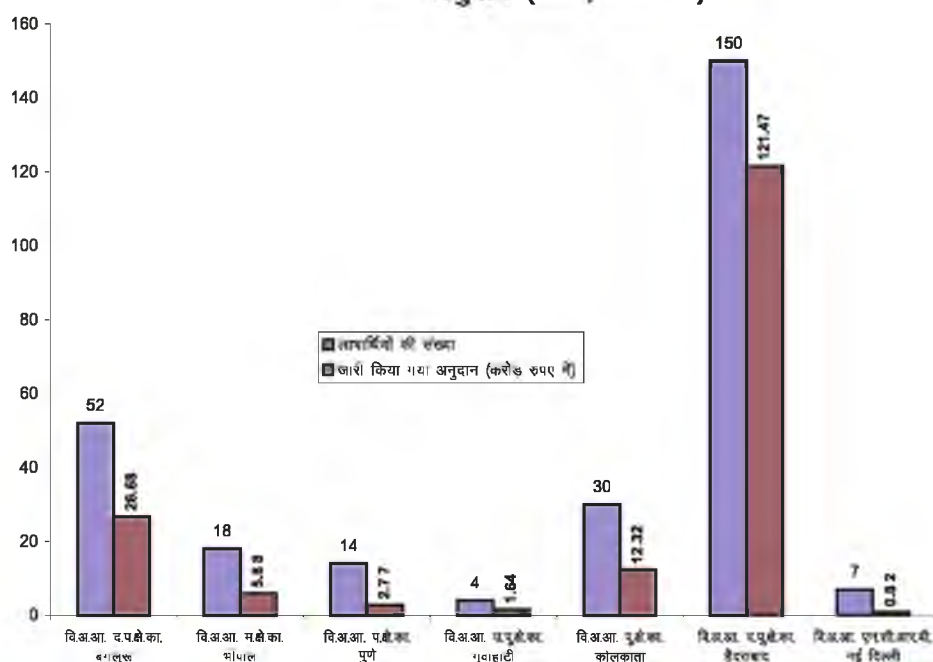
एक विशेषज्ञ समिति महाविद्यालय का दौरा करती है तथा उसे स्वायत्ता प्रदान करने के मुद्दे पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सिफारिश करती है। स्वायत्ता छह वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

योजना के तहत वर्ष 2016-17 तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो द्वारा संस्वीकृत अनुदान नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु जारी किया गया अनुदान				बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2017)	
		वर्ष 2016-17 के दौरान लाभार्थी (महाविद्यालय) की संख्या	सामान्य अनुदान-सहायता-31	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ-35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलुरु	40	2.93	4.32	7.25	52	26.68
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. मोपाल	05	0.54	0	0.54	18	5.88
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	8	1.19	0	1.19	14	2.77
4.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	3	0	0.47	0.47	4	1.64
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	18	1.16	0	1.16	30	12.32
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	103	19.16	0	19.16	150	121.47
7.	वि.अ.आ. एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली	1	0.02	0.01	0.03	7	0.82
	कुल	178	25	4.80	29.80	275	171.58

रेखाचित्र 4.4(ग): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वायत्त महाविद्यालयों (लाभार्थियों) को जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)



4.4 (घ) महाविद्यालयों के शिक्षकों हेतु लघु शोध परियोजनाएं:

योजना का उद्देश्य विभिन्न विधाओं में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करके उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता का संवर्धन करना है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पात्र शिक्षक लघु शोध परियोजना की योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान हेतु 3.00 लाख रुपये तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, भेषजी, कृषि आदि सहित विज्ञान में 5.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना के तहत केवल ऑनलाइन पद्धति से ही प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

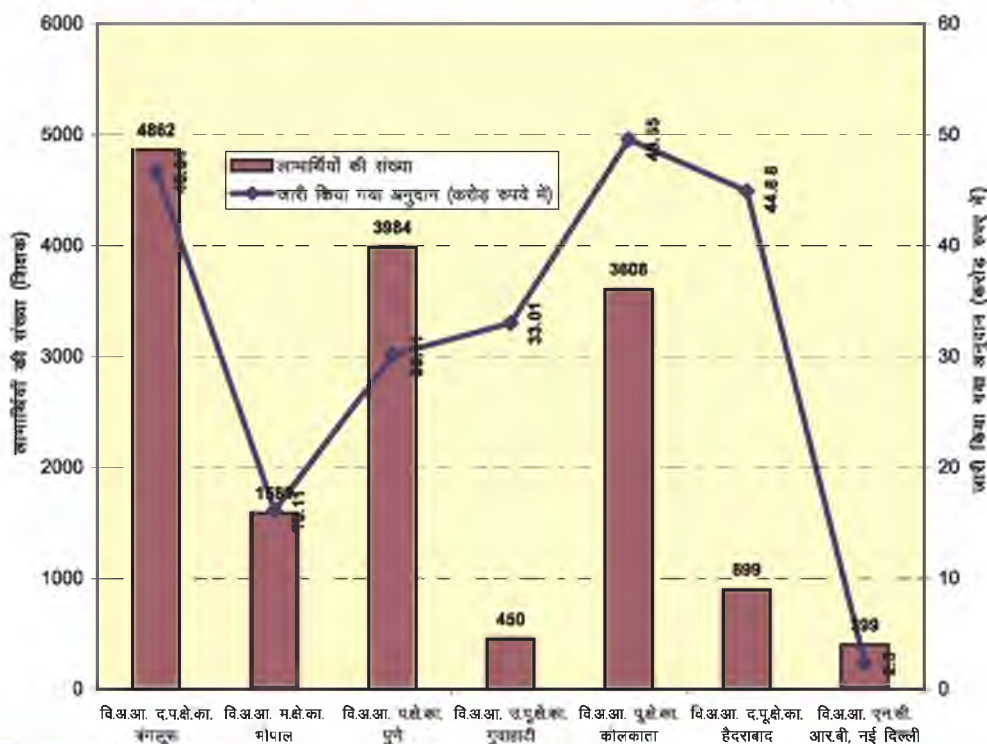
वर्ष 2016-2017 तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान लघु शोध परियोजनाओं हेतु जारी किया गया अनुदान								बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु शोध परियोजनाओं हेतु जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2017)	
		वर्ष 2016-17 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या		सामान्य अनुदान-सहायता-31		पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ-35		कुल			
		विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरु	134	193	0.48	0.43	0.08	0.03	0.56	0.46	4862	46.64
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. सोपल	44	125	0.31	0.68	0.27	0.64	0.58	1.32	1589	16.11
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	106	245	0.78	0.82	1.64	1.56	2.42	2.38	3984	30.11
4.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	82	99	0.47	2.57	0.79	0.36	1.26	2.93	450	33.01
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	373	353	2.45	1.63	4.09	1.99	6.54	3.62	3608	49.55
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	213	236	1.04	0.79	0.47	0.20	1.51	0.99	899	44.88
7.	वि.अ.आ. एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	23	44	0.17	0.18	0.13	0.15	0.30	0.33	399	2.30
कुल		975	1295	5.7	7.1	7.47	4.93	13.17	12.03	15791	222.6

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वित्तपोषण को अनुमोदन प्रदान करता है।

रेखाचित्र 4.4(घ) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए लघु शोध परियोजना योजना के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)



4.4(ड) महाविद्यालयों हेतु संगोष्ठियां/परिसंवाद/सम्मेलन:

इस योजना के तहत संस्थानों को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/परिसंवाद तथा सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, योजना का उद्देश्य शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपने ज्ञान, अनुभवों और शोध को बाँटने के लिए मंच प्रदान करके महाविद्यालयों में उच्च मानकों का संवर्धन करना है। योजना के तहत सभी महाविद्यालय आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत 1.00 लाख रुपये से 2.00 रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

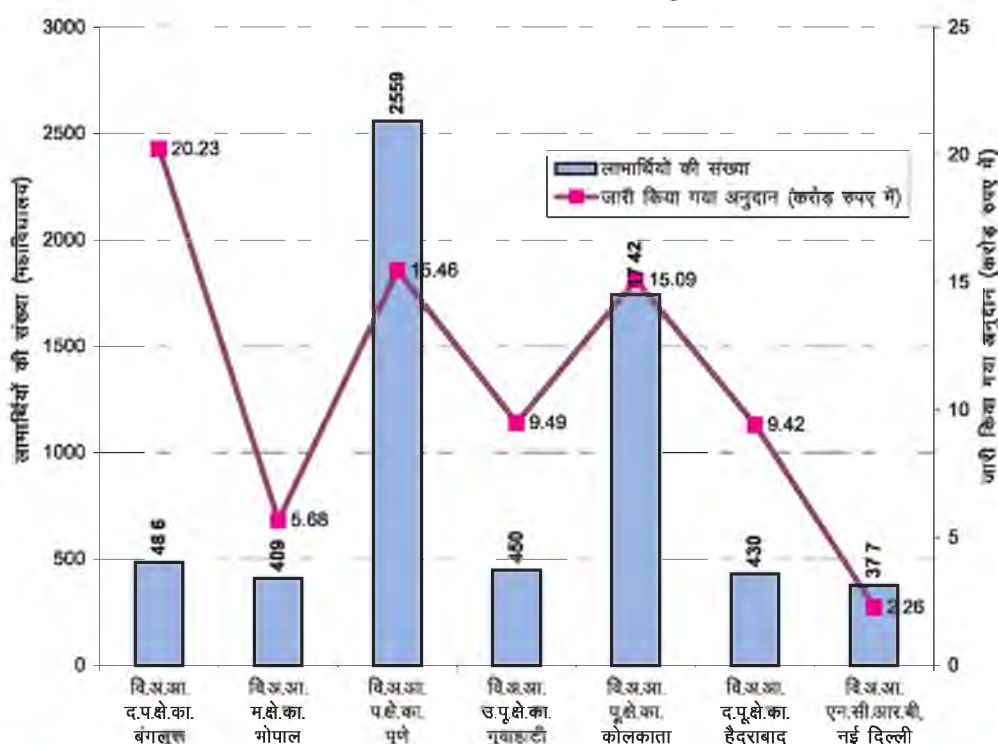
विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वित्तपोषण को अनुमोदन प्रदान करता है।

वर्ष 2016-2017 तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान संगोष्ठियां/परिसंवाद/सम्मेलन हेतु जारी किया गया अनुदान			बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संगोष्ठियां/परिसंवाद/सम्मेलन हेतु जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2017)	
		वर्ष 2016-17 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	सामान्य अनुदान-सहायता-31	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ. द.प.क्ष. का. बंगलूरु	89	0.75	0.75	486	20.23
2.	वि.अ.आ. म.क्ष. का. भोपाल	30	0.23	0.23	409	5.68
3.	वि.अ.आ. प.क्ष. का. पुणे	80	0.41	0.41	2559	15.46
4.	वि.अ.आ. उ.पू.क्ष.का. गुवाहाटी	107	1.59	1.59	450	9.49
5.	वि.अ.आ. पू.क्ष. का. कोलकाता	7	0.04	0.04	1742	15.09
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्ष. का. हैदराबाद	128	1.04	1.04	430	9.42
7.	वि.अ.आ. एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली	37	0.35	0.35	377	2.26
	कुल	478	4.41	4.41	6453	77.63

रेखाचित्र 4.4(ड) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों हेतु संगोष्ठियां/परिसंवाद/सम्मेलन की योजना के तहत जारी किया गया अनुदान



4.4(च) महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रम:-

इस कार्यक्रम का लक्ष्य संकाय सदस्यों को शोध करने के लिए संस्थानों में शैक्षणिक तथा बौद्धिक परिवेश का विकास करना तथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में सहभागिता का अवसर उपलब्ध करवाना है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने से संकाय सदस्यगण अपने शोध कार्य को अद्यतन तथा शैक्षणिक कौशल बढ़ाने में सक्षम होंगे।

संकाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नवत है:-

- (1) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों को उनके शिक्षा/शोध क्रियाकलापों को जारी रखने का अवसर प्रदान करना है जिससे वे एम0 फिल0 तथा पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त कर सकें।
- (2) शिक्षकों को शैक्षणिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुत करने तथा कार्यशालाओं में भाग लेने तथा ज्ञान और विचारों का आदान-प्रदान करने का एक अवसर प्रदान करना है।
- (3) युवा संकाय सदस्यों को बेहतर शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने के लिए उनकी पसंद के संस्थान में अल्पावधि व्यतीत करने (कम से कम दो सप्ताह तथा अधिकतम दो माह) का अवसर प्रदान करना।

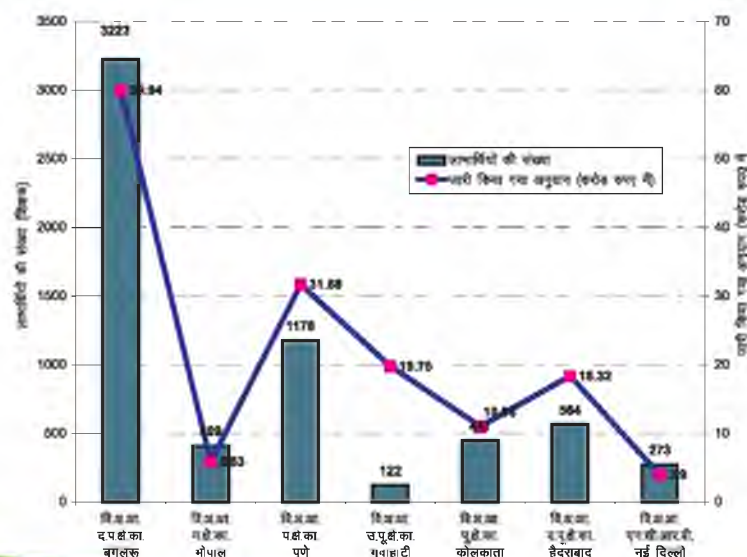
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षक अध्येता के स्थान पर तैनात एवजी शिक्षक को वेतन तथा साथ ही शिक्षक अध्येता को 15000 रुपए प्रतिवर्ष आकस्मिक राशि के रूप में उपलब्ध कराता है। महाविद्यालय के स्तर पर गठित चयन समिति, दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुरूप आवेदनों की संवीक्षा करती है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अभ्यर्थी की सिफारिश करती है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-2017 के लिए संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान संकाय विकास कार्यक्रम हेतु जारी किया गया अनुदान			बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संकाय विकास कार्यक्रम हेतु जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2017)	
		वर्ष 2016-17 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या	सामान्य अनुदान-सहायता-31	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरु	161	6.52	6.52	3223	59.94
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	40	0.93	0.93	409	5.83
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	164	5.23	5.23	1178	31.68
4.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे. का. गुवाहाटी	63	3.49	3.49	122	19.75
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	83	1.58	1.58	447	10.96
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	363	8.50	8.50	564	18.32
7.	वि.अ.आ. एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली	43	0.65	0.65	273	3.90
	कुल	917	26.90	26.90	6216	150.38

रेखाचित्र 4.4(च): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रम



4.4(छ) महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मानकों के महत्व को पहचानते हुए सभी महाविद्यालयों को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने के हेतु निदेश देने का नीतिगत निर्णय लिया है जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आईक्यूएसी की स्थापना तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए व्यय हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को 3.00 लाख रुपये की प्रारंभिक राशि (सीड मनी) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस योजना को वर्ष 2014-15 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) के दौरान महाविद्यालयों के लिए आरंभ किया गया था।

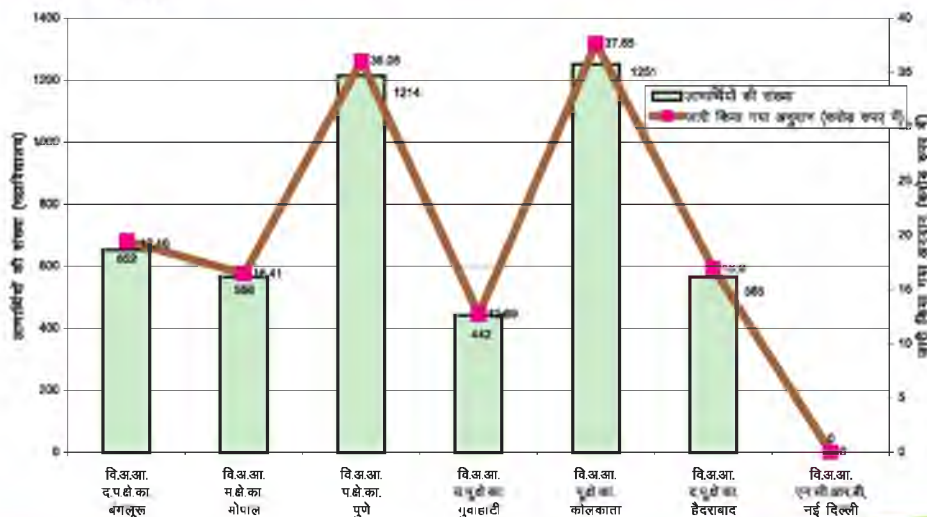
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(घ) और 12(ख) के तहत आईक्यूएसी की स्थापना तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए सभी महाविद्यालय वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। प्रत्येक महाविद्यालय को दो बैच के उत्तीर्ण होने अथवा छह वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, के पश्चात् प्रत्यायन एजेन्सी से प्रत्यायन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निम्नवत मदों पर व्यय किया जा सकता है:-

संख्या	अनुदान का उद्देश्य	राशि रुपये में
1.	आईक्यूएसी के निदेशक/समन्वयक को 1000x12x5 रुपये की दर से मानदेय	60,000
2.	कार्यालय उपस्कर	60,000
3.	सचिवालयी और तकनीकी सेवाओं हेतु सेवाओं प्राप्त करना	60,000
4.	आईसीटीएस संचार व्यय	70,000
5.	आकस्मिताएं	50,000
	कुल	3,00,000

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2016-2017 के लिए योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है: (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ हेतु जारी किया गया अनुदान				बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ हेतु जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2017)	
		वर्ष 2016-17 के दौरान लामार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	सामान्य अनुदान-सहायता-31	पूजीगत परिसम्पत्तियां-35	कुल	लामार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ. द.प.क्ष. का. बंगलूरु	0	0	0	0	652	19.46
2.	वि.अ.आ. म.क्ष. का. सोपल	0	0	0	0	566	16.41
3.	वि.अ.आ. प.क्ष. का. पुणे	0	0	0	0	1214	36.05
4.	वि.अ.आ. उ.पू.क्ष.का. गुवाहाटी	0	0	0	0	442	12.69
5.	वि.अ.आ. पू.क्ष. का. कोलकाता	0	0	0	0	1251	37.65
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्ष. का. हैदराबाद	0	0	0	0	565	16.90
7.	वि.अ.आ. एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली	0	0	0	0	0	0
	कुल	0	0	0	0	4690	139.16

रेखाचित्र 4.4(छ): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ



4.4(ज) महाविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना और उपकरणों का विकास:

योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रों के बीच एक स्वस्थ भागीदारी और सहयोग की भावना पैदा करना और खेलकूद में आपसी सहयोग से उपलब्धियाँ प्राप्त करना और द्रुतीपूर्ण स्थितियों का साहस और दृढ़ता के साथ सामना करने और उनसे प्रभावपूर्ण तरीके से निपटने की क्षमता पैदा करना है।

उपरोक्त उद्देश्यों के मद्देनजर योजना को निम्नवत की पेशकश करने के लिए तैयार किया गया है:

- (क) नई और मौजूदा ऑकूटडोर अथवा इंडोर अवसंरचना का विकास करने के लिए वित्तीय मदद प्रदान करना ताकि छात्रों की खेलों में और अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। जबकि, छात्रों को ऐसी खेलकूद सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा, इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नई पीढ़ी के युवकों को अवसर प्रदान करना है।
- (ख) किसी विशिष्ट खेलकूद में छात्रों को उनकी 'उत्कृष्टता प्राप्ति' के स्तर के आधार पर बेहतर उपस्कर और अवसंरचना की उपलब्धता के माध्यम से उसी अथवा खेलकूद के संबंध क्षेत्र में अधिक उन्नत स्तर पर भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं।
- (ग) जहाँ पहले से ही अवसंरचना उपलब्ध है, उसका सुधार/सुदृढ़ किया जाना है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को ऐसी मानक अवसंरचनात्मक तथा अविस्तारणीय उपकरण सुविधाओं के सृजन में सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने छात्रों हेतु ऐसे क्रियाकलापों का आयोजन कर सकें।

वित्तीय सहायता को तीन स्तरों में प्रदान किया जाता है, इन स्तरों की अधिकतम सीमा निम्नानुसार है:

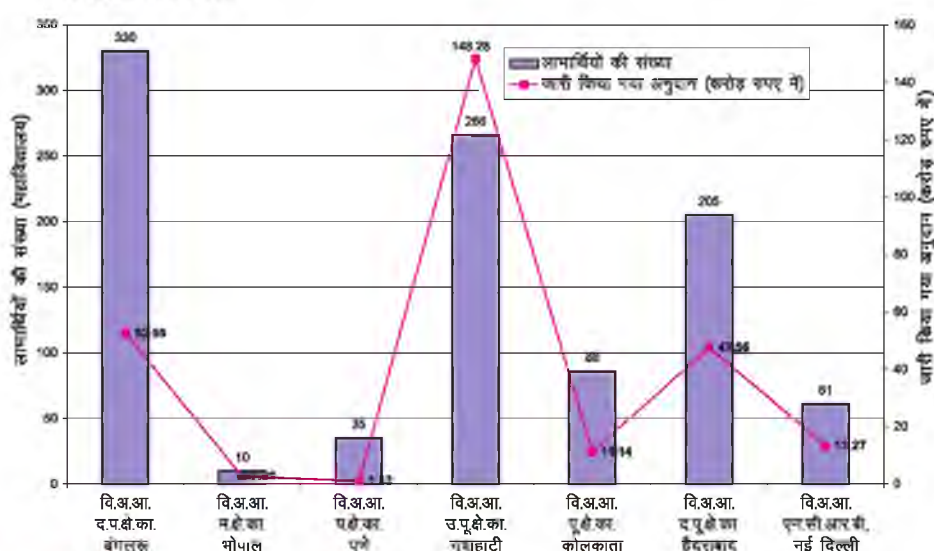
- (क) स्तर I : 12.00 लाख रुपए + उपकरण हेतु 10.00 लाख रुपए = 22.00 लाख रुपए
- (ख) स्तर II : 170.00 लाख रुपए + उपकरण हेतु 10.00 लाख रुपए = 180.00 लाख रुपए
- (ग) स्तर III : 240.00 लाख रुपए + उपकरण हेतु 10.00 लाख रुपए = 250.00 लाख रुपए

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2016-2017 के लिए योजना के अंतर्गत संसूचित किए गए अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान खेलकूद अवसंरचना और उपकरणों के विकास हेतु जारी किया गया अनुदान			बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खेलकूद अवसंरचना और उपकरणों के विकास हेतु जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2017)	
		वर्ष 2016-17 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ- 35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरु	20	1.74	1.74	330	52.55
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	0	0	0	10	2.53
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	4	0.09	0.09	35	1.03
4.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे. का. गुवाहाटी	45	6.00	6.00	266	148.28
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	4	0.87	0.87	86	11.14
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	69	23.02	23.02	205	47.56
7.	वि.अ.आ. एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	12	0.97	0.97	61	13.27
कुल		154	32.69	32.69	993	276.36

रेखाचित्र 4.4 (ज): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना और उपकरणों का विकास



4.4(झ) महाविद्यालयों को विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करना :

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है तथा गुणवत्ता तथा प्रमात्रा में भी वृद्धि दर्ज की गई है। जिससे गुणवत्तायुक्त शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि हुई है। तथापि, ऐसे महाविद्यालय भी हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं तथा लगातार लंबे समय तक गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षा प्रदान करते आए हैं। ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं तथा उन्होंने न केवल उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है बल्कि हमारे देश के लंबे इतिहास के सांस्कृतिक, सामाजिक तथा नैतिक ताने-बाने को सहेज कर रखा है। इसलिए, ऐसे धरोहर रूपी इन संस्थानों को पहचान प्रदान करने तथा पुरस्कृत करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि वे हमारी युवा पीढ़ी में 'वास्तविक शिक्षा' के मूल्यों का संचार करने में सक्षम हो सकें।

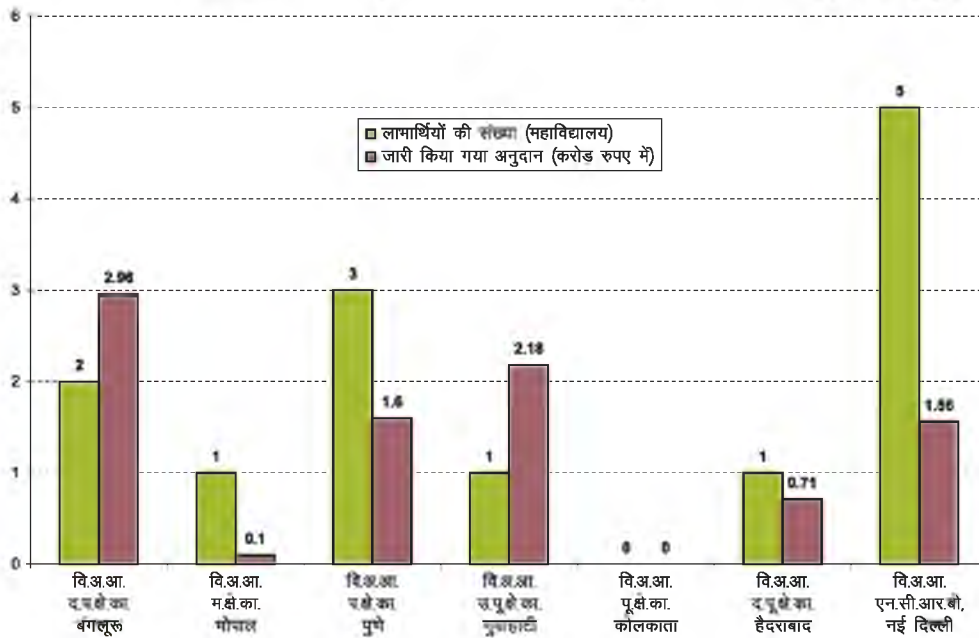
बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के तहत किसी महाविद्यालय के लिए सहायता की अधिकतम सीमा 5.00 करोड़ रुपए है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2016-2017 के लिए योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करने की योजना हेतु जारी किया गया अनुदान				बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करने की योजना हेतु जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2017)	
		वर्ष 2016-17 के दौरान लामार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	सामान्य अनुदान—सहायता—31	पूजीगत परिसम्पत्तियां—35	कुल	लामार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरु	1	0.15	1.89	2.04	2	2.96
2	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	0	0	0	0	1	0.10
3	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	2	0.17	0.10	0.27	3	1.60
4	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे. का. गुवाहाटी	0	0	0	0	1	2.18
5	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	0	0	0	0	0	0
6	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	1	0	0.71	0.71	1	0.71
7	वि.अ.आ. एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली	2	0.42	0.02	0.44	5	1.56
	कुल	6	0.74	2.72	3.46	13	9.11

रेखाचित्र 4.4 (झ): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों को विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान किया जाना



4.4(ज) दृष्टिबाधित शिक्षक:-

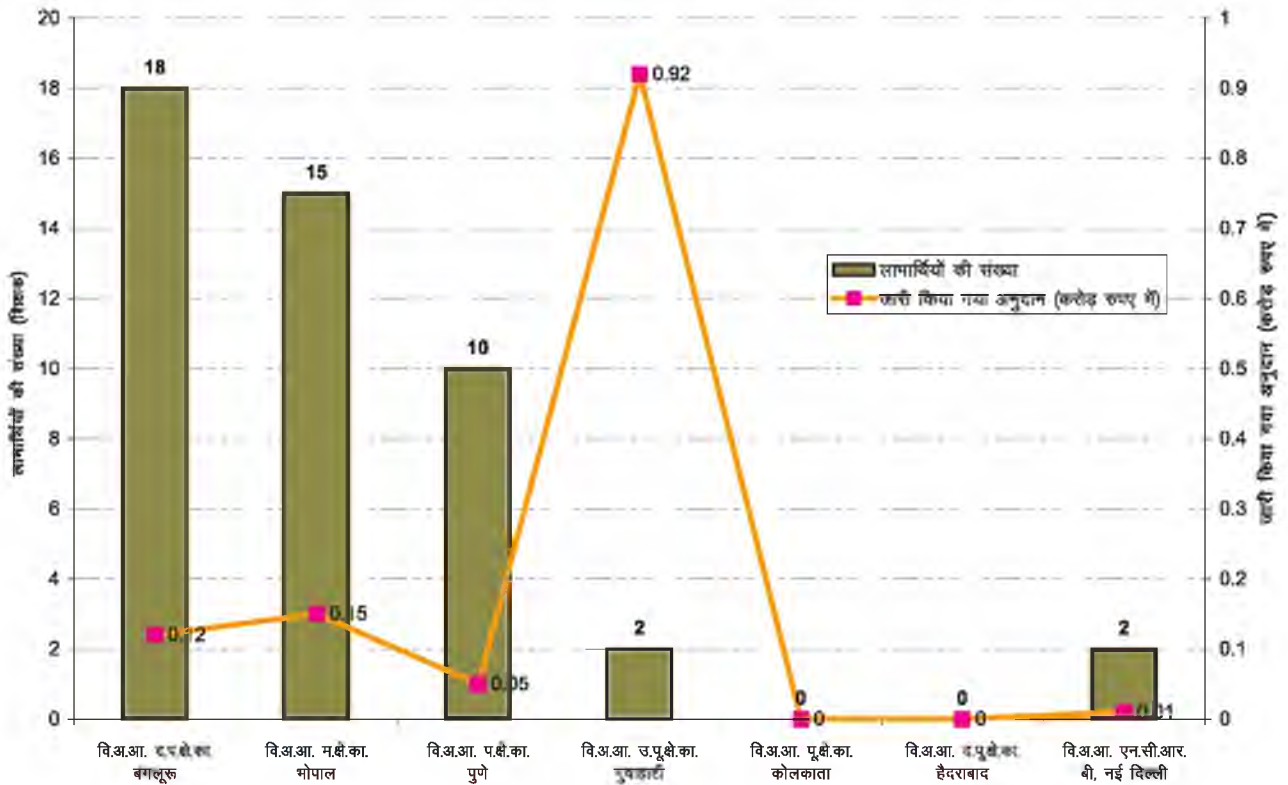
इस योजना को रीडर की सहायता से शिक्षण तथा ज्ञान अर्जन के उपकरणों का उपयोग कर तथा रीडर भत्ता तथा ब्रेल पुस्तकें, रिकार्ड की गई सामग्री आदि के क्रय हेतु निधियां उपलब्ध करवाकर स्थायी रूप से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षकों की मदद करने के लिए तैयार किया गया है। इस योजना का उद्देश्य स्थायी रूप से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षकों को शिक्षण तथा ज्ञान अर्जन तथा शोध करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर आत्म निर्भरता प्राप्त करने में मदद मिलती है। स्थायी रूप से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षक को 36,000 रुपए प्रतिवर्ष का भत्ता प्रदान किया जाता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2016-2017 के लिए योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	दृष्टिबाधित शिक्षकों को जारी किया गया अनुदान (01.04.2016 से 31.03.2017)				बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दृष्टिबाधित शिक्षकों को जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2017)	
		वर्ष 2016-17 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या	सामान्य अनुदान-सहायता-31	पूँजीगत परिसम्पत्तियां-35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरु	6	0.02	0	0.02	18	0.12
2	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	4	0.01	0	0.01	15	0.15
3	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	3	0.01	0	0.01	10	0.05
4	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे. का. गुवाहाटी	2	0.02	0	0.02	2	0.92
5	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	0	0	0	0	0	0
6	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	0	0	0	0	0	0
7	वि.अ.आ. एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली	0	0	0	0	2	0.01
कुल		15	0.06	0	0.06	47	1.25

रेखाचित्र 4.4 (अ): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दृष्टिबाधित शिक्षकों की योजना



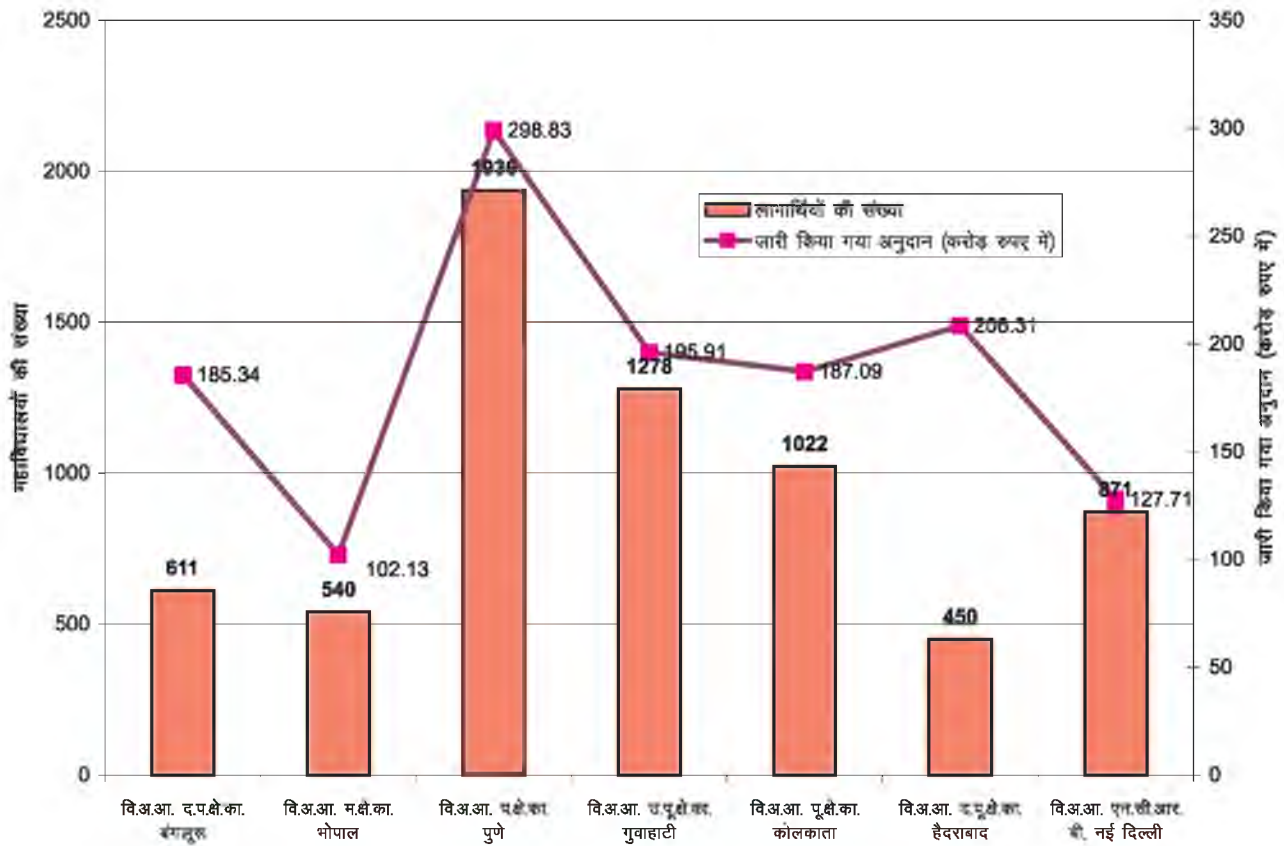
4.4(ट) प्रतिबद्ध देयताएं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं):

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2016-2017 के लिए बंद की गई योजनाएं जैसे एकमुश्त कैच-अप अनुदान, अतिरिक्त सहायता, आमेलित योजनाएं, स्वर्ण जयंती से संबंधित आयोजनों आदि के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को प्रदत्त अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान प्रतिबद्ध देयताओं हेतु जारी किया गया अनुदान				बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिबद्ध देयताओं हेतु जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2017)	
		वर्ष 2016-17 के दौरान लामार्थियों की संख्या	सामान्य अनुदान-सहायता-31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां-35	कुल	लामार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरु	34	0	3.31	3.31	611	185.34
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	51	0	2.56	2.56	540	102.13
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	292	0.33	17.30	17.63	1936	298.83
4.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे. का. गुवाहाटी	0	0	0	0	1278	195.91
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	12	0.09	0.24	0.33	1022	187.09
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	37	0	1.31	1.31	450	208.31
7.	वि.अ.आ. एन.सी.आर. बी, नई दिल्ली	56	0	2.88	2.88	871	127.71
कुल		482	0.42	27.60	28.02	6708	1305.32

रेखाचित्र 4.4 (ट): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिबद्ध देवताएँ
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएँ)



4.5 दिल्ली के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गैर-योजनागत अनुदान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध 53 महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 4 महाविद्यालयों और योजनागत अनुदान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के 64 महाविद्यालयों (53 महाविद्यालय और दिल्ली प्रशासन के 11 महाविद्यालयों) को वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है। इसके साथ-साथ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली के महाविद्यालयों/दिल्ली में स्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं करने के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराता है।

4.5(क) गैर-योजनागत स्कीम

4.5 (क1) दिल्ली के महाविद्यालय

दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 महाविद्यालयों में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 36 महाविद्यालयों को 95 प्रतिशत अनुसूचित अनुदान प्रदान करता है और शेष 17 महाविद्यालयों को शतप्रतिशत अनुसूचित अनुदान प्रदान करता है (08 साध्यकालीन महाविद्यालय + 09 विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित महाविद्यालय)। इन 36 महाविद्यालयों में से 16 महाविद्यालय दिल्ली प्रशासन से अनुसूचित अनुदान के 5 प्रतिशत प्रबंधन भाग को प्राप्त करते हैं और 20 महाविद्यालय संबंधित न्यासों/सोसायटियों से प्राप्त करते हैं।

दिल्ली के 53 महाविद्यालय, आयोग से प्राप्त अनुसूचित अनुदान से अपने वेतन और वेतनेतर, दोनों व्यय की पूर्ति करते हैं। प्रत्येक महाविद्यालय का बजट निर्धारित करने के लिए महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ वार्षिक बैठकों की जाती हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुसूचित अनुदान प्राप्त करने वाले दिल्ली के महाविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों के छात्रावासों की श्रेणी-वार सूची निम्नवत है।

तालिका 4.5(क1)

क्र.सं.	श्रेणी 1—दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत-प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है)	क्र.सं.	श्रेणी 2—सांध्यकालीन महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत-प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है)
1	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज	10	दयाल सिंह महाविद्यालय (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)
2	देशबन्धु कॉलेज (दिवसीय) *	11	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
3	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)	12	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (न्यास)
4	किरोड़ी मल कॉलेज #	13	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
5	मिराण्डा हॉउस #	14	श्याम लाल महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
6	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)	15	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
7	रामानुजन महाविद्यालय (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)	16	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
8	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)	17	जाकिर हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय (न्यास)#
9	आर्यभट्ट महाविद्यालय (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)		
क्र.सं.	श्रेणी 3—दिल्ली प्रशासन के अधीन महाविद्यालय (95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और 5 प्रतिशत दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाता है।)	क्र.सं.	श्रेणी 4—न्यास द्वारा प्रबन्धित महाविद्यालय (95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और 5 प्रतिशत अनुदान न्यास द्वारा प्रदान किया जाता है।)
18	भारती महाविद्यालय	34	श्री गुरु गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स
19	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कामर्स	35	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स
20	विवेकानन्द महाविद्यालय	36	लेडी इरविन महाविद्यालय #
21	गार्गी महाविद्यालय *	37	श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स #
22	कालिन्दी महाविद्यालय *	38	सेंट स्टीफेन्स महाविद्यालय #
23	कमला नेहरू महाविद्यालय *	39	आत्माराम सतानधर्म महाविद्यालय*
24	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय *	40	दौलतराम महाविद्यालय #
25	मैत्रेयी महाविद्यालय *	41	हंसराज महाविद्यालय #
26	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)*	42	हिन्दू महाविद्यालय #
27	राजधानी महाविद्यालय *	43	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय #
28	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)*	44	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय*
29	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)*	45	जीसस एण्ड मेरी महाविद्यालय*
30	शिवाजी महाविद्यालय*	46	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय #
31	श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय*	47	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय*
32	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (दिवसीय) *	48	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय) *
33	स्वामी श्रद्धानन्द महाविद्यालय*	49	रामजस महाविद्यालय #
		50	श्यामलाल महाविद्यालय (दिवसीय) *
		51	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय) *
		52	श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज
		53	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय*

* ऐसे विस्तारित महाविद्यालय जो 1000 छात्रों पर शत-प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले दिल्ली के महाविद्यालयों के छात्रावास

4.5 (क2) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालय

गैर-योजनागत अनुदान के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार महाविद्यालयों की सूची निम्नवत है:

तालिका 4.5(क2)

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम
1.	आर्य महिला डिग्री महाविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
2.	डी0ए0वी0 डिग्री महाविद्यालय, वाराणसी
3.	वसंत कन्या महाविद्यालय, कामाक्षा, वाराणसी
4.	वसंत महिला महाविद्यालय, किला राजगढ़, वाराणसी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गैर-योजनागत अनुदान के अंतर्गत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सम्मिलित 4 महाविद्यालयों को निम्नानुसार अनुसूचना अनुदान भी मुहैया करवाता है :

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 95 प्रतिशत अनुदान का वित्तपोषण
- महाविद्यालय के प्रबंधन द्वारा 5 प्रतिशत अनुदान

वर्ष 2016-2017 के दौरान दिल्ली और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को उपलब्ध करवाए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

(लाख रुपए में)

ब्यौरा	आबंटन	जारी किया गया अनुदान
दिल्ली के महाविद्यालय	169163.40	123051.28
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार महाविद्यालय	4674.21	4674.21

वर्ष 2016-17 के लिए दिल्ली के महाविद्यालयों और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को जारी किए गए गैर-योजनागत अनुदानों का महाविद्यालय-वार ब्यौरा तालिका 4.5(क1(i)), 4.5(क1(ii)) तथा 4.5(क2)(i) में नीचे दिया गया है :

तालिका 4.5(क1)(i): वर्ष 2016-17 के दौरान दिल्ली के महाविद्यालयों को जारी गैर-योजनागत अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	वेतन	पेंशन	वेतनेतर	कुल
1	आत्माराम सतानधर्म महाविद्यालय	2467.08	484.25	30	2981.33
2	भारती महाविद्यालय	1275.00	229.25	30	1534.25
3	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज	1387.50	176.75	34	1598.25
4	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)	4041.62	521.75	50	4613.37
5	दयाल सिंह कॉलेज (सांध्यकालीन)	1235.44	209.75	20	1465.19
6	दौलतराम महाविद्यालय	1923.85	671.75	40	2635.6
7	देशबंदु महाविद्यालय (दिवसीय)	3118.24	371.75	50	3539.99
8	रामानुजन महाविद्यालय	1111.06	304.25	38	1453.31
9	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कामर्स	1215.00	319.25	30	1564.25
10	श्री गुरु गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स	1117.53	49.25	50	1216.78
11	गार्गी महाविद्यालय	3114.02	521.75	50	3685.77
12	हंसराज महाविद्यालय	2310.00	607.25	50	2967.25
13	हिन्दू महाविद्यालय	1830.00	349.25	60	2239.25

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	वेतन	पेंशन	वेतनेत्तर	कुल
14	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय	1748.68	484.25	50	2282.93
15	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स	1402.19	237.5	40	1679.69
16	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय	1860.00	371.75	30	2261.75
17	जोजस एण्ड मेरी महाविद्यालय	1725.00	334.25	40	2099.25
18	कालिन्दी महाविद्यालय	1966.60	334.25	34	2334.85
19	कमला नेहरू महाविद्यालय	1575.00	559.25	50	2184.25
20	किरोड़ी मल कॉलेज	3971.04	521.75	50	4542.79
21	लेडी इरविन महाविद्यालय	1668.50	484.25	50	2202.75
22	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	1575.00	521.75	34	2130.75
23	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय	1582.50	424.25	50	2056.75
24	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय	2010.64	424.25	50	2484.89
25	मिराण्डा हॉउस	3391.64	559.25	50	4000.89
26	मैत्रेयी महाविद्यालय	2377.50	559.25	50	2986.75
27	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)	1837.50	544.25	40	2421.75
28	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	892.50	278.00	20	1190.50
29	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय)	1927.50	240.50	40	2208.00
30	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	973.59	214.25	20	1207.84
31	रामजस महाविद्यालय	2760.66	634.25	50	3444.91
32	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)	1010.08	221.75	20	1251.83
33	आर्यभट्ट महाविद्यालय	1417.88	221.75	36	1675.63
34	राजधानी महाविद्यालय	1912.50	446.75	30	2389.25
35	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)	1841.79	371.75	20	2233.54
36	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1152.04	259.25	14	1425.29
37	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज	1370.36	334.25	40	1744.61
38	श्री राम कालेज ऑफ कामर्स	1350.00	296.75	50	1696.75
39	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय)	3052.30	559.25	60	3671.55
40	श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज	1330.22	221.75	42	1593.97
41	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय	2604.30	521.75	60	3186.05
42	श्याम लाल महाविद्यालय (दिवसीय)	1825.47	353.00	20	2198.47
43	श्याम लाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	855.00	244.25	15	1114.25
44	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय	2355.00	476.75	30	2861.75
45	एस.पी.एम. कालेज फॉर वीमेन	1620.00	446.75	44	2110.75
46	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)	1687.50	274.25	40	2001.75
47	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1162.50	296.75	40	1499.25
48	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (दिवसीय)	2114.07	176.75	20	2310.82
49	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1255.90	79.25	14	1349.15
50	शिवाजी महाविद्यालय	2933.83	484.25	40	3458.08
51	विवेकानन्द महाविद्यालय	1462.5	334.25	40	1836.75
52	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)	2993.29	506.75	50	3550.04
53	जाकिर हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1088.29	278.00	20	1386.29
	कुल	99787.24	19949.5	2025	121761.70

4.5(क1(ii)): वर्ष 2016-17 के दौरान दिल्ली के महाविद्यालयों के छात्रावासों को जारी किए गए अनुदानों का ब्यौरा (लाख रुपए में)

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	वेतन	पेंशन	वेतनेत्तर	कुल
1	दौलतराम महाविद्यालय	60.24	10.50	0	70.74
2	हंसराज महाविद्यालय	71.75	16.78	0	88.53
3	हिन्दू महाविद्यालय	47.62	18.51	0	66.13
4	इन्द्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन	184.31	69.00	0	253.31
5	किरोड़ी मल कॉलेज	82.61	22.50	0	105.11
6	लेडी इरविन महाविद्यालय	119.41	16.61	0	136.02
7	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय	117.02	30.65	0	147.67
8	मिरान्डा हॉउस	63.10	51.64	0	114.74
9	रामजस महाविद्यालय	58.97	18.00	0	76.97
10	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज	90.86	24.49	0	115.35
11	श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स	64.09	27.56	0	91.65
12	जाकिर हुसैन महाविद्यालय	21.47	1.89	0	23.36
	कुल	981.45	308.13	0	1289.58
	कुल योग {4.5(क1)(i)+4.5(क2)(ii)}	100768.69	20257.63	2025.00	123051.28

4.5(क2)(i): वर्ष 2016-17 के लिए गैर-योजनागत अनुदान के तहत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदानों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालय का नाम	वेतन	पेंशन	वेतनेत्तर	उप-योग
1.	आर्य महिला डिग्री महाविद्यालय	1138.37	56.25	28.35	1222.97
2.	डी0ए0वी0 डिग्री महाविद्यालय	1185.48	150.00	37.57	1373.05
3.	वसंत कन्या महाविद्यालय	776.40	101.25	21.08	898.73
4.	वसंत महिला महाविद्यालय	1068.96	97.5	13.00	1179.46
	कुल योग	4169.21	405	100.00	4674.21

4.5 (ख) योजनागत स्कीम

वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य विकास सहायता, महिला छात्रावासों तथा भवन के निर्माण, खेलकूद अवसंरचना तथा आईक्यूएसी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है। राज्य-राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए भी अनुदान जारी किया गया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत योजनाओं के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय को अनुदान जारी किया:-

(लाख रुपए में)

विषय	जारी किया गया अनुदान		कुल
	31	35	
महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता	-	949.35	949.35
भवन निर्माण परियोजनाएं	-	2282.00	2282.00
विशेष योजना के तहत महिला छात्रावास	-	-	-
संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं	59.05	-	59.05
खेल-कूद अवसंरचना		56.00	56.00
आईक्यूएसी	96.00	-	96.00
कुल	155.05	3287.35	3442.40

तालिका 4.5(क1) में उल्लिखित 53 महाविद्यालयों के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालयों से संबंधित निम्नवत 11 महाविद्यालय योजनागत स्कीमों के तहत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं:

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम
1	भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय	7	आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय
2	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय	8	शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर एप्लाइड साइंस
3	अदिति महाविद्यालय	9	केशव महाविद्यालय
4	भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंस	10	भगिनी निवेदिता महाविद्यालय
5	दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय	11	दुर्गाबाई देशमुख महाविद्यालय
6	सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज		

तालिका 4.5(ख1): सामान्य विकास सहायता (2016-17) हेतु दिल्ली के महाविद्यालयों को जारी किए गए योजनागत अनुदान का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (जीडीए) (नवीकरण)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (भवन)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (महिला छात्रावास)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (खेल-कूद)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (आईक्यूएसी)	कुल
1	आत्माराम सत्तनधर्म महाविद्यालय					150000	150000
2	भारती महाविद्यालय	1729183				150000	1879183
3	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज					150000	150000
4	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)					150000	150000
5	दयाल सिंह कॉलेज (सांध्यकालीन)					150000	150000
6	दौलतराम महाविद्यालय	4550850	12500000			150000	17200850
7	देशबंदु महाविद्यालय (दिवसीय)					150000	150000
8	रामानुजन महाविद्यालय	2364750				150000	2514750

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (जीडीए) (नवीकरण)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (भवन)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (महिला छात्रावास)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (खेल-कूद)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (आईक्यूएसी)	कुल
9	दिल्लो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कामर्स					150000	150000
10	श्री गुरु गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स	3289500				150000	3439500
11	गार्गी महाविद्यालय					150000	150000
12	हंसराज महाविद्यालय	2951550				150000	3101550
13	हिन्दू महाविद्यालय	5778450				150000	5928450
14	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय	3685050	15000000			150000	18835050
15	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स	2144250	2500000			150000	4794250
16	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय	3413250				150000	3563250
17	जीजस एण्ड मेरी महाविद्यालय	2367000	15000000		5000000	150000	22517000
18	कालिन्दी महाविद्यालय	3460950				150000	3610950
19	कमला नेहरू महाविद्यालय					150000	150000
20	किरोड़ी मल कॉलेज	3266550				150000	3416550
21	लेडी इरविन महाविद्यालय	4950000				150000	5100000
22	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	2700000				150000	2850000
23	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय		7000000			150000	7150000
24	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय					150000	150000
25	मिरान्डा हॉउस	2652750	15000000			150000	17802750
26	मैत्रेयी महाविद्यालय	1957500	25000000			150000	27107500
27	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)	2828700				150000	2978700
28	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)					150000	150000
29	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय)					150000	150000
30	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन)					150000	150000
31	रामजस महाविद्यालय		26800000			150000	26950000
32	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)	2818800				150000	2968800
33	आर्यभट्ट महाविद्यालय		50000000		600000	150000	50750000
34	राजधानी महाविद्यालय	3413250				150000	3563250
35	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)					150000	150000

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (जीडीए) (नवीकरण)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (भवन)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (महिला छात्रावास)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (खेल-कूद)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (आईक्यूएसी)	कुल
36	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)					150000	150000
37	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज	4075200	25000000			150000	29225200
38	श्री राम कालेज ऑफ कामर्स	4615200				150000	4765200
39	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय)	3937050				150000	4087050
40	श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज		9400000			150000	9550000
41	श्री वैकटेश्वर महाविद्यालय					150000	150000
42	श्याम लाल महाविद्यालय (दिवसीय)		25000000			150000	25150000
43	श्याम लाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन)					150000	150000
44	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय	3987000				150000	4137000
45	एस.पी.एम. कालेज फॉर वीमेन	2664000				150000	2814000
46	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)	3795300				150000	3945300
47	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (सांध्यकालीन)					150000	150000
48	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (दिवसीय)	2468250				150000	2618250
49	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (सांध्यकालीन)					150000	150000
50	शिवाजी महाविद्यालय	3282750				150000	3432750
51	विवेकानन्द महाविद्यालय	2013750				150000	2163750
52	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)	3773700				150000	3923700
53	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (सांध्यकालीन)					150000	150000
54	आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय					150000	150000
55	भगिनी निवेदिता महाविद्यालय					150000	150000
56	भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंस					150000	150000
57	केशव महाविद्यालय					150000	150000
58	शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर एप्लाइड साइंस					150000	150000
59	भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय					150000	150000
60	दुर्गाबाई देशमुख महाविद्यालय					150000	150000

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (जीडीए)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (भवन)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (महिला छात्रावास)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (खेल-कूद)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (आईक्यूएसी)	कुल
61	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय					150000	150000
62	दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय					150000	150000
63	अदिति महाविद्यालय					150000	150000
64	सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज					150000	150000
	कुल	94934533	228200000		5600000	9600000	338334533

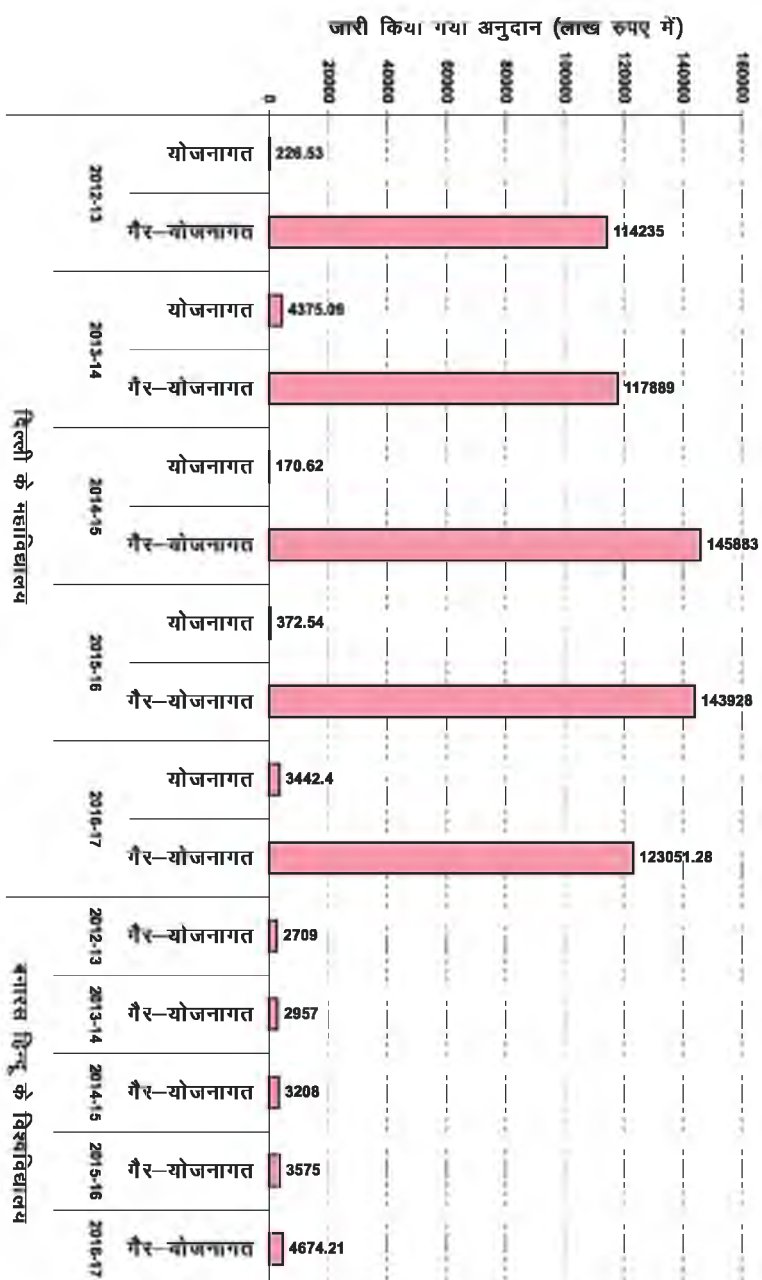
तालिका 4.5(ख2): वर्ष 2016-17 के लिए दिल्ली के महाविद्यालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों को संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए जारी किए गए अनुदानों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
1.	भारती महाविद्यालय	121073
2.	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)	15000
3.	दयाल सिंह कॉलेज (सांध्यकालीन)	123570
4.	देशबंधु महाविद्यालय (दिवसीय)	50000
5.	रामानुजन महाविद्यालय	30000
6.	श्री गुरु गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स	164000
7.	हंसराज महाविद्यालय	150000
8.	हिन्दू महाविद्यालय	150000
9.	जीजस एण्ड मेरी महाविद्यालय	115000
10.	कालिन्दी महाविद्यालय	120000
11.	किरोड़ीमल कॉलेज	185974
12.	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	17106
13.	मैत्रेयी महाविद्यालय	350000
14.	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)	150000
15.	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	386277
16.	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	180000
17.	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)	120000
18.	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज	120000
19.	श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज	960000
20.	श्री वैकटेश्वर महाविद्यालय	116893
21.	श्याम लाल महाविद्यालय (दिवसीय)	402000
22.	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)	200000
23.	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (दिवसीय)	120000
24.	शिवाजी महाविद्यालय	225000
25.	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)	742792
26.	भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंस	80000

महाविद्यालयों को विकास (योजनागत)
तथा अनुसंधान (गैर-योजनागत) सहायता

179



क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
27.	शाहीद राजगुरु कॉलेज फॉर एग्राईड साइंस	180000
28.	अदिति महाविद्यालय	150000
29.	मौलाना आजाद चिकित्सा महाविद्यालय	100000
30.	यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ मेडीकल साइंस	80000
कुल		5904085

तालिका 4.5: बारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान दिल्ली के 64 महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार महाविद्यालयों को जारी कुल योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदान का वर्षवार व्यौरा

(लाख रुपये में)

वर्ष	दिल्ली के महाविद्यालय (64)		बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालय (4)	
	योजनागत*	गैर-योजनागत**	योजनागत	गैर-योजनागत #
2012-13	226.53	114235.00	114461.53	2709.00
2013-14	4375.09	117889.00	122264.09	2957.00
2014-15	170.62	145883.00	146053.62	3208.00
2015-16	372.54	143928.00	144300.54	3575.00
2016-17	3442.4	123058.28	126500.68	4674.21
कुल	8587.18	644993.28	653580.46	17123.21

* 64 लाभार्थी महाविद्यालय # 4 लाभार्थी महाविद्यालय

** 53 लाभार्थी महाविद्यालय

रेखाचित्र 4.5 : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली के 64 महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार घटक महाविद्यालयों को जारी किये गये कुल योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदानों का वर्षवार व्यौरा (लाख रुपये में)

- राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र
- विश्वविद्यालयों में खेल-कूद अवसरचना और उपकरणों का विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता की प्राप्ति के प्रचुर स्वरूप विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खदानित विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध करवा रहा है ताकि उन्हें विश्वस्तरीय बनाया जा सके तथा देश में उत्कृष्टता की समाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई), उत्कृष्टता की समाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई) तथा किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की समाव्यता वाले केन्द्र (सीपीईपीए) की भांति अन्य संस्थानों के लिये ढ़ैचनार्क के रूप में कार्य करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन योजनाओं को आरंभ किया था जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी जारी हैं। इन योजनाओं का मूल उद्देश्य निम्नवत है:

- शिक्षण, शोध और पढ़ुंव कार्यक्रमों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक और वास्तविक अवसरचना को सुदृढ़ करना;
- सुशासन की लचीली और प्रभावी शैली को प्रोत्साहित करना;
- स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर लचीली क्रोशिट आधारित माईयूलर प्रणाली और विश्वभर में स्वीकार्य अनेक नवोन्मेवो प्रवृत्तियों के साथ ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया और शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करना;
- देश की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं हेतु संगत शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना;
- स्नातकोत्तर कार्यक्रम की इंटरफेसिंग के माध्यम से महाविद्यालयों में स्नातकपूर्व शिक्षा में सुधार करना;
- देश में अन्य केन्द्रों, विभागों और प्रयोगशालाओं को नेटवर्किंग से जोड़ने को प्रोत्साहन देना;
- शैक्षिकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करना।

अध्याय 5

➤ गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता

- उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई)
- किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सीपीईपीए)
- उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)
- विशेष सहन्यता कार्यक्रम (डीआरएस, डीएसए, सीएसए)
- स्वायत्त महाविद्यालय
- मानव संसाधन विकास केन्द्र तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र
- राजभाषा का संवर्धन
- द्विभाषीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
- संयुक्त शोध प्रस्ताव
- विदेशी भाषा शिक्षक
- राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षा
- यात्रा अनुदान
- अंतर्राष्ट्रीयविद्यालय केन्द्र

5.1 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षण तथा शोध क्रियाकलापों में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कुछ विश्वविद्यालयों की पहचान करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन योजनाओं को आरंभ किया था। यह पहल बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भी चालू है ताकि कुछ और ऐसे विश्वविद्यालयों की पहचान की जा सके जिनमें न केवल शिक्षण और शोध बल्कि सभी संबंधित क्रियाकलापों में उत्कृष्टता प्राप्ति की संभाव्यता है जिससे विश्वविद्यालय के समग्र विकास में योगदान दिया जा सके।

यूपीई योजना के तहत अब तक 16 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ मौजूदा यूपीई में से कुछ विश्वविद्यालयों की पहचान करना चाहता है जिन्होंने पहले पर्याप्त सीमा तक शिक्षण तथा शोध में उत्कृष्टता तथा नवोन्मेष प्राप्त किया है तथा योजना के तहत प्रथम/द्वितीय चरण पूर्ण किया तथा उन्हें उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालय (यूओई) का नाम दिया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ऐसे तीन विश्वविद्यालय हैं, जिन्होंने उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय के प्रथम/द्वितीय चरण को पूर्ण कर लिया है, उनके उत्कृष्ट निष्पादन/उपलब्धियों हेतु उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालय (यूओई) का दर्जा प्रदान करने के लिए उन्नयन किये जाने हेतु विचार किया जायेगा।

पात्रता मानदंड:

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निम्नवत योग्यताओं वाले विश्वविद्यालय यूपीई योजना के लिए पात्र हैं :

- एनएएससी द्वारा ग्रेड-‘ए’ का प्रत्यायन प्राप्त हो;
- सुस्थापित तथा नियमित ढंग से कार्यरत आईक्यूएसी प्रकोष्ठ, और;
- नियमित रूप से उच्च स्तर के शोध क्रियाकलाप किए जाने का साक्ष्य, उत्कृष्टता हेतु प्रतिबद्धता, विश्वविद्यालय तथा उद्योग का सहयोग तथा सामुदायिक पहुंच।

तालिका 5.1 : 16 (सोलह) यूपीई विश्वविद्यालय तथा उन्हें अब तक प्रदत्त अनुदान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

योजना अवधि	क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मल दिया जाने वाला क्षेत्र	अनुमोदित अनुदान (करोड़ रुपये में)		जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)	
				चरण-1	चरण-2	चरण-1	चरण-2
IX	1.	जादवपुर विश्वविद्यालय	1. नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2. कोगनिटिव साइंस	30.00	25.00 संशोधित कर 50.00 किया गया	30.00	44.58
	2.	पुणे विश्वविद्यालय	जैव प्रौद्योगिकी तथा नवीन पदार्थ और नैनो प्रणालियां	30.00	25.00 तथा संशोधित कर 50.00 किया गया	30.00	37.55
	3.	मद्रास विश्वविद्यालय	शाकीय विज्ञान (हर्बस विज्ञान)	30.00	25	30.00	15.20
	4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	शिक्षण तथा शोध में इंटरफेस अध्ययन	30.00	25.00 तथा संशोधित कर 50.00 किया गया	30.00	50.00
	5.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	1. भौतिकी तथा नैनोविज्ञान तकनीकों का उपयोग करते हुए जैविक तथा पर्यावरणीय उत्पत्ति के पदार्थों में जीनोमिक्स तथा प्रोटियोमिक्स का अध्ययन। 2. वैश्वीकरण, राष्ट्रीय विकास तथा ज्ञान प्रणालियां: एक दूसरे से संबंधित अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज तथा संस्कृति	30.00	60.00	30.00	30.00
X	6.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	जीव विज्ञान में नैनो विज्ञान	28.65	--	28.65	--
	7.	नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय (एनईएचयू)	जैव विज्ञान एवं क्षेत्र अध्ययन	30.00	--	25.00	--

योजना अवधि	क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बल दिया जाने वाला क्षेत्र	अनुमोदित अनुदान (करोड़ रुपए में)		जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)	
				चरण-1	चरण-2	चरण-1	चरण-2
	8.	कोलकाता विश्वविद्यालय	आधुनिक जीव विज्ञान	30.00	60.00	30.00	39.60
	9.	मुम्बई विश्वविद्यालय	हरित प्रौद्योगिकी	30.00 जिसे दिनांक 31.03.2015 तक बढ़ाया गया	--	20.85	--
XI	10.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	द्रव्य अनुसंधान— सामाजिक प्रासंगिकता	50.00	--	30.00	--
	11.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1. अत्याधुनिक किंवदन्ती द्रव्यमान (उर्जा द्रव्यमान, मल्टीफेरानिक्स, अत्याधुनिक पालीमर) 2. जीनोमिकी और प्रोटियोमिक्स	50.00	--	30.00	--
	12.	राजस्थान विश्वविद्यालय	पदार्थ और अभिसरणात्मक विज्ञान: नैनो-पदार्थ, नैनो-कंपोजिट तथा बहुपरतीय पदार्थ	50.00	--	25.00	--
	13.	मैसूर विश्वविद्यालय	1. अत्याधुनिक किंवदन्ती पदार्थों को संसाधित करना, लक्षण वर्णन तथा उनका अनुप्रयोग 2. मीडिया और सामाजिक विकास — कर्नाटक का एक अध्ययन मामला	50.00	--	30.00	--
	14.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	ट्यूनर-रोधी क्रियाकलाप — एक समेकित पद्धति	50.00	--	25.00	--
	15.	गुरुनानक देव विश्वविद्यालय	पदार्थ विज्ञान	50.00	--	30.00	--
XII	16.	अन्ना विश्वविद्यालय	जैव-चिकित्सा अभियांत्रिकी तथा यांत्रिकी	23.11	आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए	23.11	--

वि.अ.आ. के अध्यक्ष ने विश्वविद्यालयों की प्रगति/कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए मध्यावधि समीक्षा समिति गठित की। वर्ष 2016-17 के दौरान पुणे विश्वविद्यालय की समीक्षा की गई और स्थायी समिति ने यूपीई योजना के अंतर्गत पुणे विश्वविद्यालय पुणे के प्रतिनिधियों के साथ मध्यावधि समीक्षा समिति की रिपोर्ट/सिफारिशों पर चर्चा की और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। आयोग ने दिनांक 02.09.2017 को हुई अपनी बैठक में स्थायी समिति की सिफारिशें अनुमोदित की।

वर्ष 2016-17 के दौरान इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों को 70.11 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

5.2 किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीईपीए)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीईपीए)" योजना को आरंभ किया था ताकि शिक्षण तथा शोध क्रियाकलापों में उत्कृष्टता तथा अंतर्विषयक पद्धति को बढ़ावा दिया जा सके। आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। योजना का व्यापक उद्देश्य चयनित विश्वविद्यालयों में चुनिंदा विभागों को बढ़ावा देना तथा सुविधा प्रदान करना है ताकि वे क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उभरते हुए नवोन अथवा अत्याधुनिक क्षेत्रों में विभाग और/अथवा विधाओं की सीमाओं से इतर अपने कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों में संकाय सदस्यों को जोड़कर उनका सहयोग प्राप्त कर सकें। इस योजना का एक उद्देश्य यूपीई दर्जा प्रदान करने के लिए धीरे-धीरे इन विश्वविद्यालयों को तैयार करना है।

पात्रता मानदंड/सहायता की अधिकतम सीमा

सीपीईपीए योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक विश्वविद्यालयों हेतु पात्रता मानदंड/सहायता की अधिकतम सीमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/2758219_guideline-CPEPA.pdf पर उपलब्ध है।

सहायता की अवधि:

योजना के तहत किसी भी केन्द्र को अधिकतम तीन चरणों की अवधि के लिए दर्जा प्राप्त होगा। सहायता का प्रत्येक चरण पांच वर्षों की अवधि के लिए होगा जिसे विश्वविद्यालय द्वारा पर्याप्त आधार देकर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि, विस्तार की अवधि के लिए कोई अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

इन केन्द्रों के कार्य का मूल्यांकन मध्यावधि निगरानी समिति तथा अंतिम समीक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

आज की तिथि के अनुसार, इस योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों से 29 केन्द्रों को सहायता प्रदान की जा रही है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 5.2

राज्य	क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विशिष्टता का क्षेत्र	मौजूदा चरण	वर्तमान चरण में आवंटन (लाख रुपये में)	जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में)
आंध्र प्रदेश	1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	पारम्परिक शास्त्र	चरण - II	300.00	240.00
	2.	श्री वैकटेश्वर विश्वविद्यालय	एरोसोल वायुमंडलीय मॉडलिंग तथा दूरसंवेदी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का अध्ययन	चरण - I	494.25	280.00
तेलंगाना	3.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	“कतिपय महत्वपूर्ण चिकित्सा पादपों की स्वास्थ्य परिचर्या हेतु बायो-प्रोस्पेक्टिंग”	चरण - I	280.00	250.00
असम	4.	तेजपुर विश्वविद्यालय	“पूर्वोत्तर क्षेत्र में सांस्कृतिक स्मृति : टेक्सटुआक तथा दृश्यात्मक विवरणों के संबंध में एक शोध तथा प्रलेखन कार्यक्रम”	चरण - I	230.00	115.65
अरुणाचल प्रदेश	5.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	जैव विविधता	चरण - II	700.00	630.00
चण्डीगढ़	6.	पंजाब विश्वविद्यालय	जैव चिकित्सा विज्ञान	चरण - I	500.00	500.00
	7.	पंजाब विश्वविद्यालय	पंजाब और हरियाणा में लिंग संबंधी लेखापरीक्षा “कल्चरल फिक्सेशन ऑन ऑनर”	चरण - I	185.00	154.00
	8.	पंजाब विश्वविद्यालय	“नैनो पदार्थों, नैनो-कणों तथा नैनो संघटकों का अनुप्रयोग”	चरण - I	355.00	317.50
दिल्ली	9.	जामिया मीलिया इस्लामिया	देश में मीडिया तथा संचार अध्ययनों को सुदृढ़ करना	चरण - I	280.00	98.00
गुजरात	10.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	अनुप्रयुक्त पॉलीमर	चरण - II	670.00	454.00
हिमाचल प्रदेश	11.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	हिमालय अध्ययन	चरण - II	700.00	350.00
जम्मू और कश्मीर	12.	कश्मीर विश्वविद्यालय	कश्मीर हिमालयी जैव-चिकित्सा का दस्तावेजीकरण, जैव-प्रलेखन तथा संरक्षण	चरण - I	527.184	260.75
कर्नाटक	13.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	“चिकित्सीय निदान, उद्योगों तथा कृषि अनुप्रयोगों हेतु उन्नत पदार्थ”	चरण - I	685.00	342.50
	14.	बंगलुरु विश्वविद्यालय	“रोग प्रबंधन में लक्षित औषधि तथा कोशिकाओं में उसके प्रभाव का पता लगाने हेतु आणविक तथा नैनो उपकरणों का अनुप्रयोग”	चरण - I	575.00	287.50
	15.	मैसूर विश्वविद्यालय	“केरेक्ट्राईजेशन एन्ड एप्लीकेशन ऑफ एडवांस फंक्शनल नैनो मेटिरियल”	चरण - I	430.00	215.00
	16.	मंगलूर विश्वविद्यालय	“माइक्रोट्रॉन सुविधा का उपयोग करते हुए ‘पालीस्केल फंक्शनल मेटिरियल पर इलेक्ट्रॉन बीम इरेडिएशन का प्रभाव”	चरण - I	505.80	406.76
मध्य प्रदेश	17.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	ई-प्रबंधन अध्ययन	चरण - I	300.00	300.00
	18.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	“बुंदेल के जनजातीय क्षेत्रों में समेकित तथा सतत विकास”	चरण - I	250.00	—
महाराष्ट्र	19.	डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर महाराष्ट्र	“मराठवाड़ा के पिछड़े जिलों में ग्रामीण विकास”	चरण - I	250.00	70.00

राज्य	क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विशिष्टता का क्षेत्र	मौजूदा चरण	वर्तमान चरण में आवंटन (लाख रुपये में)	जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में)
पंजाब	20.	गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय	खेल-कूद विज्ञान	चरण - I	500.00	500.00
	21.	गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय	"पंजाब में कैंसर तथा मधुमेह के द्वितीय प्रकार का आनुवंशिक आधार"	चरण - I	615.00	307.50
तमिलनाडु	22.	अन्ना विश्वविद्यालय	पर्यावरणीय विज्ञान	चरण - II	500.00	450.00
	23.	मद्रास विश्वविद्यालय	"मानव कल्याण हेतु चिकित्सीय पादपों से औषधियों का विकास"	चरण -I	325.00	162.00
	24.	मद्रास विश्वविद्यालय	जलवायु परिवर्तन तथा क्षेत्र में मैनग्रोव पारिस्थितिकीय पर इसका प्रभाव	चरण -I	230.00	115.00
	25.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	"समुद्र विज्ञान संकाय में समुद्री जीव विज्ञान पर उच्च अध्ययन"	चरण -I	385.00	192.50
	26.	भारतीयार विश्वविद्यालय	"सौर ऊर्जा सामग्री तथा उपकरणों को विकसित करने के लिए भौतिकी में उन्नत शोध"	चरण -I	354.00	326.80
उत्तर प्रदेश	27.	भारतीदासन विश्वविद्यालय	"पशुओं पर प्रयोग के बिकल्प के संबंध में राष्ट्रीय केन्द्र"	चरण -I	500.00	246.38
	28.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	बिहेवियरल कॉग्नेटिव साइंस	चरण -II	700.00	526.50
	29.	कोलकाता विश्वविद्यालय	"इलेक्ट्रो फिजीयोलॉजीकल एण्ड न्यूरो इमेजिंग स्टडीज इन्कलूडिंग मैथेमेटिकल मॉडलिंग"	चरण -I	615.00	307.50

वि.अ.आ. के अध्यक्ष ने केन्द्रों की प्रगति/कार्य निष्पादन की समीक्षा के लिए विषय विशेषज्ञ समिति (मध्यावधि समीक्षा समिति) का गठन किया। वर्ष 2016-17 के दौरान 3 केन्द्रों की समीक्षा की गई और सीपीईपीए संबंधी स्थायी समिति ने अन्नामलाई विश्वविद्यालय के समुद्री विज्ञान संकाय में एडवांस स्टडी/मैरीन बायोलॉजी (2) गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर के —जेनेरिक बेसिस ऑफ कैंसर एण्ड टाइप-II डायबिटीज मेलिटस एन पंजाब" संबंधी केन्द्र और कर्नाटक विश्वविद्यालय के एडवांस मटेरियल फॉर तीन "थेरेप्यूटिक डाइग्नोस्टिक, इन्डस्ट्रियल एण्ड एग्रीकल्चरल अप्लीकेशन्स", संबंधी केन्द्रों की मध्यावधि समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसकी सिफारिशों का अनुमोदन किया। आयोग ने दिनांक 02.09.2016 को हुई अपनी बैठक में स्थायी समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया।

वर्ष 2016-17 के दौरान सीपीईपीए योजना के तहत केन्द्रों को 26.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

5.3 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)

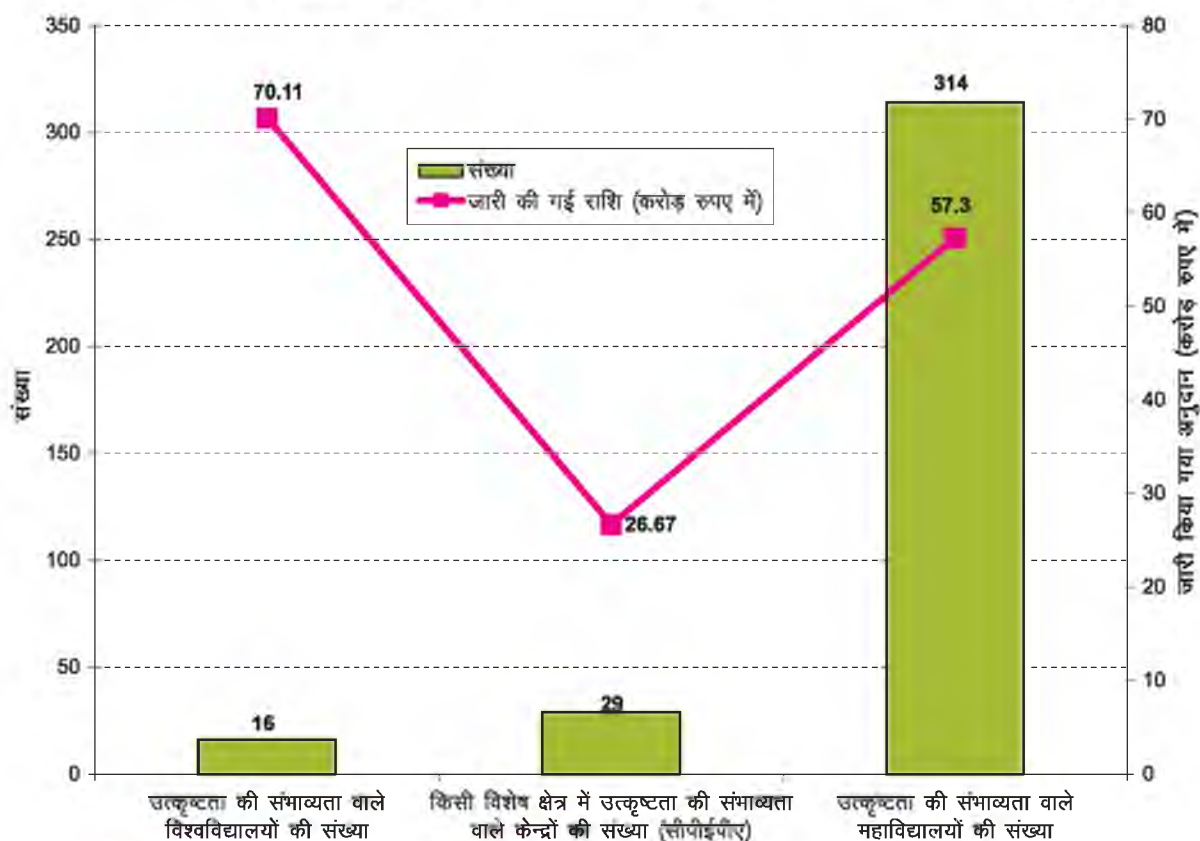
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सी.पी.ई योजना को आरंभ किया था। इस योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों को उनकी शैक्षणिक अवसंरचना में सुधार लाने, शिक्षण, प्रशिक्षण में नवोन्मेष को अपनाने के लिए तथा उपाधि स्तर पर पाठ्यक्रमों के चयन में एक लचीला दृष्टिकोण प्रस्तावित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कोई भी उत्कृष्टता की संभाव्यता वाला महाविद्यालय अपने समस्त कार्यक्षेत्र में विद्यमान अन्य सभी महाविद्यालयों के लिए एक आदर्श भूमिका अदा करता है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि चयनित महाविद्यालयों, विशेष रूप से शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में तथा एक शोध संस्कृति आरंभ करने में, सहायता प्रदान करना है। आयोग ने इस योजना के द्वितीय तथा तृतीय चरण में उत्कृष्टता के महाविद्यालय (सीई) के अतिरिक्त घटक के साथ बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान 123 नए महाविद्यालयों की पहचान सीपीई योजना के अंतर्गत की गई। इन सभी 123 महाविद्यालयों को अनुमोदन संबंधी पत्र जारी किए गए और अनुदान भी निर्गत किया गया। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष, वि.अ.आ. द्वारा सीपीई के अगले चरण की निरन्तरता हेतु प्रस्तावों पर विचार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने 84 सीपीई महाविद्यालयों की प्रगति/कार्यनिष्पादन की भी समीक्षा की। सीपीई योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर सीपीई/सीई महाविद्यालयों की सूची पहले ही अपलोड कर दी गई है।

वर्तमान में, 295 महाविद्यालयों को “उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय” (सीपीई) का दर्जा प्राप्त है तथा 19 महाविद्यालयों को “उत्कृष्टता वाले महाविद्यालय” (सीई) का दर्जा प्राप्त है। आज की स्थिति के अनुसार सीपीई योजना के तहत कुल 314 महाविद्यालय हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान सीपीई की इस योजना के तहत महाविद्यालयों को 57.30 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

वर्ष 2016-17 के दौरान उत्कृष्टता की संभाव्यता का दर्जा : संख्या :जारी किया गया अनुदान



5.4 नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना करना

उदारीकरण, वैश्वीकरण के संदर्भ में बदले आर्थिक परिवेश और नई उमरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्चतर शिक्षा प्रणाली से गुणवत्ता उत्पादों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वर्ष, 2001 के दौरान विश्वविद्यालय व्यवस्था के भीतर विज्ञान और मानविकी में विभिन्न अंतर-विषयक क्षेत्रों संबंधी अध्ययन और शोध में “उत्कृष्टता के नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना” नामक नई योजना आरंभ की थी।

वर्तमान में केवल एक केन्द्र कार्य कर रहा है, नामतः गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संबंध में राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र। वर्ष 2013-14 के दौरान केन्द्र को 4.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस योजना को बंद कर दिया गया है।

5.5 विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)

एसएपी कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1963 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध और शिक्षण में कुछ संभाव्यता वाले चुनिंदा विश्वविद्यालय विभागों को सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। कार्यक्रम का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की शीघ्रातिशीघ्र प्राप्ति के लिए उन्नत शिक्षण और शोध में समूह के रूप में कार्य करने तथा उत्कृष्टता प्राप्ति को प्रोत्साहित करना है। सर्वप्रथम, ऐसे कार्यक्रम को ‘उच्च अध्ययन केन्द्र’ (सीएस) के रूप में 1963 में आरंभ किया गया था। ऐसे कुछ केन्द्रों को यूएनडीपी/यूनेस्को से भी मान्यता और वित्तीय प्राप्त हुई है। “विशेष सहायता विभाग” (डीएसए) और “विभागीय शोध सहायता” (डीआरएस) कार्यक्रमों को क्रमशः वर्ष 1972 और 1977 में सीएस हेतु फीडर विभागों के संवर्ग का सृजन करने के लिए आरंभ किया गया था।

विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) स्तर

1. शोध सहायता विभाग (डीआरएस)
2. विशेष सहायता विभाग (डीएसए)
3. उच्च अध्ययन केन्द्र (सीएस)

विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं :-

- क) उन विश्वविद्यालय विभागों की पहचान करना और सहायता देना, जिनमें संबद्ध विषयों सहित, शैक्षिक विषयों में गुणवत्ता शिक्षण तथा शोध करने की क्षमता हो।
- ख) विश्वविद्यालयों में ऐसे शोध को बढ़ावा देना जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संगत हों तथा समाज और उद्योगों के बीच संपर्क स्थापित करना।
- ग) अच्छे शिक्षण के लिए शोध को उत्प्रेरक बनाना और बल दिये जाने वाले चिह्नित क्षेत्रों से संबंधित नए पाठ्यक्रमों की शुरूआत करना।
- घ) शोध संगठनों से संपर्क रखना और अपनी विशेषज्ञता को नवाचारी रूप में उपयोग करना, ताकि विश्वविद्यालयों में शोध को सहायता प्रदान की जा सके।
- ङ) अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करना।
- च) शोध के परिणाम का राष्ट्र और समाज के विकास के लिए उपयोग में लाना।
- छ) चिह्नित बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त मानव संसाधन को प्रशिक्षण तथा सृजन करना।
- ज) शोध हेतु नए/विशिष्ट क्षेत्र/क्षेत्रों की खोज करना और उनका संवर्धन तथा विकास करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों में शोध की सहायता के लिए शोध संगठनों जैसे डीएसटी, सीएसआईआर, डीआरडीओ आदि को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सभी क्षेत्रों में अंतर-विषयक शोध को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पात्रता

कोई भी विश्वविद्यालय/विभाग, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के अंतर्गत पात्र है और जिनमें गुणवत्तायुक्त शिक्षण और शोध की संभाव्यता है, एसएपी के अंतर्गत शामिल करने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। एसएपी के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र बनने हेतु विभाग में कम से कम छह शिक्षक (एक आचार्य सहित) होने चाहिए।

कार्यक्रम की अवधि

विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) की अवधि विशिष्ट चरण के लिए पांच वर्षों की होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डीआरएस और डीएसए के उसी स्तर पर तीन अवधियों से अधिक (प्रत्येक पांच वर्ष) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा। यदि विभाग के निष्पादन में डीआरएस/डीएसए के स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार होता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे अगले डीआरएस/सीएसए स्तर, जैसा भी मामला हो, पर उन्नयन करने पर विचार कर सकता है। यदि विभाग के निष्पादन में डीआरएस/डीएसए के स्तर पर तीन अवधियों के लिए अनुदान प्राप्त करने और चरण-चार के लिए समीक्षा द्वारा सिफारिश करने के पश्चात महत्वपूर्ण सुधार नहीं होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम को समाप्त कर सकता है। अनुमोदित चरण/अवधि के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि अगले आगामी वर्ष की पहली अप्रैल होगी। विभाग को अगले वित्त वर्ष की पहली अप्रैल की अनुमोदन की तिथि से छह महीने अथवा जो भी पहले के भीतर निबंधन और शर्तें स्वीकार करनी होंगी और कार्यक्रम कार्यान्वित करना होगा अन्यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम के अनुमोदन को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

सहायता का स्वरूप

कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों पर पांच वर्ष की अवधि के दौरान वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा निम्नवत होगी :

कार्यक्रम/स्तर	विज्ञान तथा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (लाख रु.में)	गणित, सांख्यिकी, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान (लाख रु.में)
सीएस	300	200
डीएसए	200	150
डीआरएस	150	120

सैप विभागों की वर्तमान स्थिति
तालिका 5.5: दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार विभागों की संख्या

स्तर / भाग	सैप-I (विज्ञान)	सैप-II (विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी)	सैप-III (मानविकी, सामाजिक विज्ञान और भाषाएँ)	कुल
सीएस	50	50	53	153
डीएस	34	19	19	72
डीआरएस	168	207	216	591
कुल	252	276	288	816

1.	विभाग, जिनकी वर्ष 2016-17 के दौरान समीक्षा की गई	:	194
2.	वर्ष 2016-17 के दौरान समान स्तर पर कार्य कर रहे विभाग	:	123
3.	वर्ष 2016-17 के दौरान चन्पयन किए गए विभागों की संख्या	:	2
4.	विभागों की संख्या जिन्हें समीक्षा के लिए संस्तुत किया गया	:	3
5.	अनुपस्थित विभागों की संख्या	:	18
6.	वर्ष 2016-17 के दौरान नए आरंभ किए गए विभाग	:	1
7.	बंद किए गए विभाग	:	63
8.	वर्ष 2016-17 के दौरान हुआ व्यय		82,43,83,189/- रुपए
			(8244 करोड़ रुपए)

वित्तीय सहायता में निम्नवत सम्मिलित होगा:

1. परियोजना अव्ययता का वेंतन।
2. व्यय की अनावर्ती के साथ-साथ आवर्ती मदें।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और परामर्श समिति की सिफारिशों के आधार पर दो से छह महीनों की अवधि के लिए विहित विदेशी विश्वविद्यालयों/शोध संस्थानों में एस्.ए.पी. विभागों से एक वर्ष में दो अव्ययकों को भेजने के लिए एक सुनिश्चित सहयोगात्मक शोध कार्यक्रम पर विचार कर सकता है।

व्ययन की प्रक्रिया

कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत् रूप से तैयार किए गए तथा विश्वविद्यालयों विभागों से विश्वविद्यालय से उपार्जित माध्यम से प्राप्त हुए सभी प्रस्तावों को विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा संवीक्षा तथा लघुसूचीबद्ध किया जाता है। लघुसूचीबद्ध किए गए प्रस्तावों पर विषय प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जाता है। समिति, विभाग में उत्कृष्टता के आधार पर सूझता से इतर 2 अथवा 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिह्नित करती है। समिति, संबंधित क्षेत्र से भी परामर्शदाता समिति के दो सदस्यों को भी चिह्नित करती है।

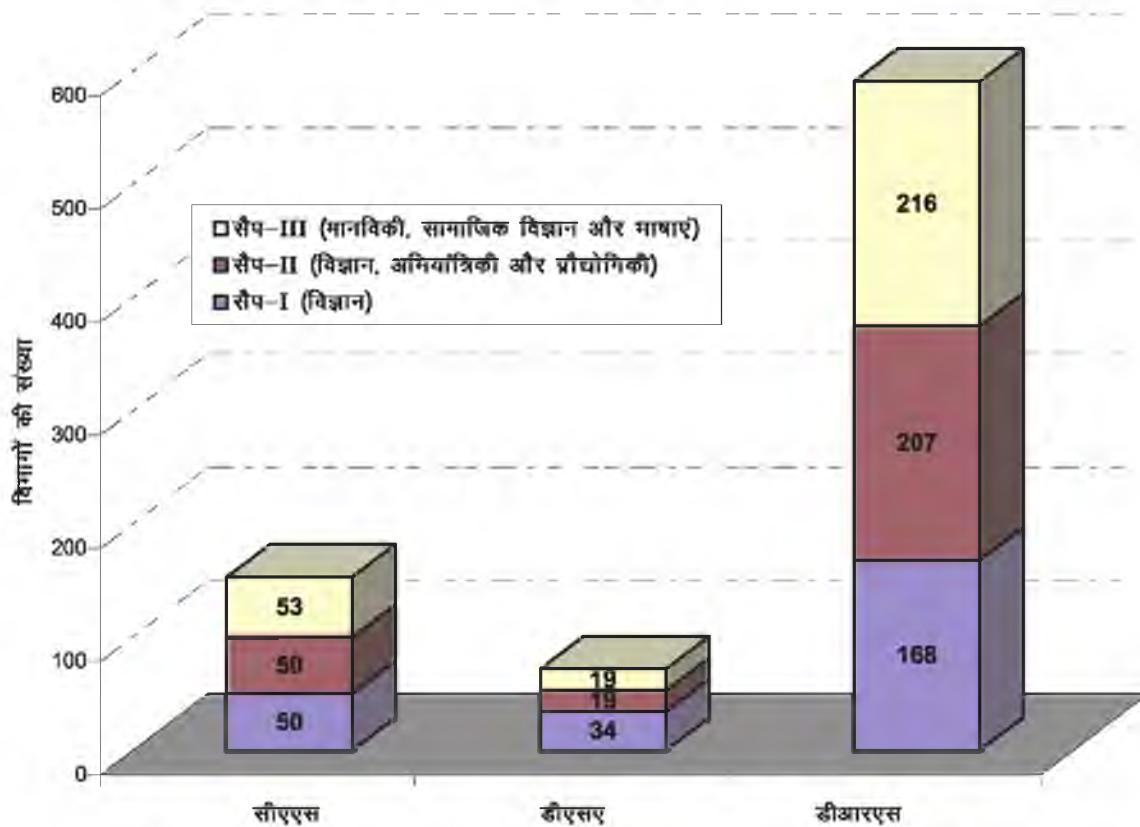
अनुदान जारी करना

प्रवेश समिति द्वारा सिफारिश किए जाने पर तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इसे स्वीकृति दिए जाने पर, कतिपय निबंधन और शर्तों के अधीन, संबंधित विश्वविद्यालय के चयनित विभाग को वित्तीय अनुमोदन/सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। निबंधन और शर्तों को स्वीकृत किए जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए आवर्ती तथा अनावर्ती अनुदान को संस्वीकृत करेगा। तथापि, चालू कार्यक्रम के मामले में, अनावर्ती अनुदान को केवल पिछले वर्ष के लेखा के निपटान के बाद ही जारी किया जाता है, जिसका दो वर्षों के भीतर निपटान किया जाना चाहिए।

विभागों की निगरानी/मूल्यांकन

एस्.ए.पी. के अंतर्गत सहायता प्राप्त विभागों द्वारा की गई निगरानी/मूल्यांकन और प्रगति निष्पादन, उपलब्धियों की समीक्षा परामर्श समिति, मध्यस्थ निगरानी और मूल्यांकन समिति और अंतिम समीक्षा समिति द्वारा की जाती है।

रेखाचित्र 5.5: दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार सैप विभागों की स्थिति



तालिका 5.5(क): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सैप विभागों को वर्षवार प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपए में)
2012-13	63.34
2013-14	15.34
2014-15	31.26
2015-16	37.17
2016-17	82.44

5.6 स्वायत्त महाविद्यालय

वर्ष 1964-66 के शिक्षा आयोग, ने यह इंगित किया था कि शिक्षकों की शैक्षिक स्वतंत्रता, हमारे देश के बौद्धिक परिवेश के विकास के लिए परमावश्यक है। जब तक ऐसा परिवेश मौजूद नहीं होगा तब तक उच्चतर शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता प्राप्त करना कठिन है। चूंकि छात्र, शिक्षक तथा प्रबंधन उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में सह-भागीदार हैं, इसलिए यह अनिवार्य है कि उन्हें वृहद उत्तरदायित्व का वहन करने में सहयोग करना चाहिए। इसलिए, शिक्षा आयोग (1964-66) ने महाविद्यालयों को स्वायत्तता की प्रदान करने की सिफारिश की थी। संक्षेप में, महाविद्यालयों को स्वायत्तता ही शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का एक माध्यम है।

स्वायत्त महाविद्यालयों की योजना के उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताएँ :

- स्थानीय जरूरतों के अनुकूल अपने अध्ययन पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण को निर्धारित एवं विहित करना, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन करना तथा उन्हें पुनः तैयार करना तथा इन्हें कार्य की अपेक्षा अनुरूप कौशल उन्मुखी बनाना।
- आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार/ राष्ट्रीय नीति के अनुरूप प्रवेश हेतु नियम निर्धारित करना।
- संगत क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देना।

- शिक्षार्थी के कार्य के मूल्यांकन के लिए परीक्षा संचालन की विधियां तैयार करना तथा परीक्षा परिणाम को अधिसूचित करना।
- उच्च स्तर प्राप्त करने तथा अधिक सृजनात्मकता प्राप्त करने के लिए शिक्षा-प्रौद्योगिकी के आधुनिक साधनों का प्रयोग करना।
- स्वास्थ्यकर पद्धतियों यथा-समाज सेवा, विस्तार गतिविधि, व्यापक रूप से समस्त समाज के लाभ के लिए परियोजनाओं, “नेबरहुड कार्यक्रमों” आदि को बढ़ावा देना।

स्वायत्त महाविद्यालय की योजना को वि०अ०आ० द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-73) के दौरान शिक्षा आयोग (1964-66) की सिफारिशों के अनुपालन में तैयार किया गया था।

क्षेत्र विस्तार :

संस्था को प्रदत्त स्वायत्तता संस्थागत है और इसमें सभी स्तरों पर सभी पाठ्यक्रम शामिल हैं। संस्था द्वारा स्वायत्तशासी दर्जा प्राप्त करने के पश्चात् आरम्भ किए गए पाठ्यक्रम स्वतः ही स्वायत्तता की परिधि में आ जाएंगे।

महाविद्यालय को स्वायत्तशासी दर्जा मिलने के उपरांत उसका मूल विश्वविद्यालय वि.अ.आ. से स्वीकृति पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अधिसूचना जारी करेगा।

विश्वविद्यालय छात्रों को स्वायत्तशासी महाविद्यालय की उपाधि प्रदान करेगा। तथापि, छात्रों को दिए जाने वाले प्रमाणपत्रों पर स्वायत्तशासी महाविद्यालय का नाम अंकित होगा।

मूल विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक संशोधन, यदि उनकी आवश्यकता होती है तो उनके नियमों और विनियमों में किए जाएंगे।

पात्रता

- वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत सभी महाविद्यालय (किसी भी विषय के) चाहे वे सहायताप्राप्त हों, आंशिक सहायता प्राप्त हो और गैर सहायता प्राप्त हो। स्व वित्त पोषित हो इस स्वायत्तशासी दर्ज के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
- महाविद्यालय अपने अस्तित्व के कम से कम 10 वर्ष पूरे करने के पश्चात् स्वायत्तता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- महाविद्यालय के पास न्यूनतम 'ए' श्रेणी का राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) का वैध प्रत्यायन नए स्वायत्तशासी दर्जे के लिए उसके विस्तार के लिए होना चाहिए।
- इंजीनियरिंग/तकनीकी/प्रबंध संबंधी महाविद्यालयों के संबंध में कम से कम तीन पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) की मान्यता अनिवार्य है।
- मौजूदा स्वायत्त महाविद्यालयों द्वारा स्वायत्तता के दर्जे को बढ़ाने के लिए आवेदन करने से पूर्व उन्हें एनएएसी द्वारा 'ए' श्रेणी का प्रत्यायन प्रदान किया गया हो।
- जिन महाविद्यालयों को पूर्व में एनएएसी द्वारा 'ए' श्रेणी की मान्यता दी गई है और वे स्वायत्तशासी दर्जे का विस्तार चाहते हैं उन्हें एनएएसी (एनबीए) से प्रत्यायन हेतु आवेदन करने का प्रमाण देना होगा। तथापि यह विस्तार महाविद्यालय को एनएएसी द्वारा 'ए' श्रेणी की मान्यता मिलने तथा इंजीनियरिंग/तकनीकी/प्रबंधन संबंधी महाविद्यालयों के मामले में कम से कम तीन पाठ्यक्रमों हेतु एनबीए द्वारा अनुमोदन के अध्वधीन होगा।
- संघटक महाविद्यालयों के मामले में ऐसे महाविद्यालय विचारण हेतु एनएएसी प्रत्यायन के लिए अलग से प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं।
- ऐसे महाविद्यालयों जिनके पास केवल एनबीए का प्रत्यायन हो, को स्वायत्तशासी दर्जे की प्राप्ति के 2 वर्षों के भीतर एनएएसी का प्रत्यायन प्राप्त करना होगा और
- वि.अ.आ. के नियमावली में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यताएं तथा समय-समय पर संशोधित उच्चतर शिक्षा ने मानक अनुस्क्षण हेतु उपाय, 2010 द्वारा यथाअपेक्षित महाविद्यालय में कुल संकाय संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक संविदात्मक संकाय संख्या नहीं होगी।

स्वायत्तशासी दर्जा के लिए नए सिरे से प्राप्त करने/विस्तार हेतु आवेदन की प्रक्रिया:

- (i) पात्र महाविद्यालय वर्ष भर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं।
- (ii) महाविद्यालय को संबद्ध विश्वविद्यालय को प्रस्ताव देना होगा जो ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उसे अग्रेषित करेगा। यदि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव निरस्त किया जाता है तो इस मामले का निर्णय "सकारण आदेश" के माध्यम से विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित किया जाएगा।
- (iii) यदि विश्वविद्यालय प्रस्ताव प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर किसी तरह का निर्णय लेने में असफल रहता है तो यह माना जाएगा कि विश्वविद्यालय को स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान करने हेतु वि.अ.आ. द्वारा प्रस्ताव को संसाधित करने में कोई आपत्ति नहीं है।
- (iv) महाविद्यालय वि.अ.आ. के अभिलेख हेतु यह इंगित करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्ताव की अग्रिम प्रति भेजेगा जिसमें मूल विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि हो।
- (v) विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार 30 दिनों के भीतर प्रसिद्ध शिक्षाविदों के नाम उपलब्ध कराएंगे जो यदि दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित हुआ तो उसके नाम कॉलेज के स्थल-दौरे हेतु वि.अ.आ. की विशेषज्ञ समिति शामिल किए जाएंगे।
- (vi) यदि विश्वविद्यालय और राज्य सरकार वि.अ.आ. विशेषज्ञ समिति हेतु नामितियों को उपलब्ध कराने में असफल रहते हैं तो वि.अ.आ. स्थल दौरान कर सकेगा और विश्वविद्यालय के ऐसे प्रस्ताव पर निर्णय ले सकेगा।

विश्वविद्यालय को अपने आवेदन में निम्न का अनुपालन करना होगा:—

- (i) प्रस्तावित पाठ्यक्रमों तथा उने पेशकश की समय-सीमा को दर्शाने वाली शैक्षणिक आयोजना।
- (ii) संकाय भर्ती संबंधी नीति और शैक्षणिक आयोजना आवश्यकता को पूरा करने की योजना।
- (iii) छात्र प्रवेश नीति और आयोजना।
- (iv) अनुसंधान संबंधी प्रयोगशालाओं और संस्थापित किए जाने वाली अन्य प्रस्तावित सुविधाओं (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों के लिए) को इंगित करते हुए अनुसंधान योजना। मानविकी, समाज विज्ञान और अन्य अंतर्विषयक संकायों के मामले में अनुसंधान योजना में व्यापक क्षेत्र तथा फील्ड कार्य का स्वरूप और किया जाने वाला शोध इंगित होना चाहिए।
- (v) प्रस्तावित अध्यापन और अनुसंधान सहयोग तथा साझेदारी उल्लेख करते हुए नेटवर्क आयोजना।
- (vi) अवसंरचना विकास संबंधी योजना जो प्रस्तावित शैक्षणिक और प्रवेश योजना तथा छात्र और अन्य सुविधाएं मुहैया कराती है।
- (vii) स्रोतों के विवरण सहित वित्तीय योजना।
- (viii) शासन संबंधी योजना जिसमें प्रस्तावित संस्थागत अवसंरचना और यह किस प्रकार से स्वामित्व, निर्णय प्रक्रिया और सामाजिक कार्यकलापों पर अतिव्याप्त रहती हो, का संकेत हों। इस योजना में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

किसी महाविद्यालय, जो दो लगातार चक्रों में एनएएसी के 4 अंक मान में से 3.25 और उससे अधिक अंको से प्रत्यायित हों और इसी प्रकार के अंक तीसरे चक्र में भी प्राप्त करते हों तो उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थल-दौरे के बिना भी स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान किया जाएगा। बशर्ते कि (क) उच्च शिक्षा संस्था रैंकिंग को समाप्त करने संबंधी विनियम, 2012 (ख) वि. अ.आ. (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता प्रोत्साहन) विनियम, 2012 (ग) वि.अ.आ. (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 आदि का अक्षरशः पालन करता हो। ऐसे महाविद्यालयों के आवेदन तथा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा जिसे विचार हेतु स्थायी समिति के समक्ष रखा जाएगा।

महाविद्यालय जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्यायन चरण की समाप्ति से पहले निर्धारित 6 माह पूर्व प्रत्यायन हेतु आवेदन करते हैं तो उनके संबंध में हो रहे निरंतर प्रत्यायनों के बीच की अवधि के अंतराल को माफ किया जाएगा। अन्य उन संस्थानों के मामले में जिन्होंने उपयुक्त दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन नहीं किया है माफ किए जाने की अधिकतम अवधि दो प्रत्यायन चक्रों के बीच एक वर्ष की होगी।

निगरानी की प्रक्रिया/स्वायत्तशासी दर्जे का विस्तार

- (i) प्रारंभ में स्वायत्तता दस वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
- (ii) प्रत्येक महाविद्यालय स्वायत्तशासी दर्जा प्राप्त करने पर दिशानिर्देशों में यथाउल्लिखित अपेक्षित कार्यकलापों को आरंभ करेगा।
- (iii) महाविद्यालय, वि.अ.आ. को सूचना देते हुए महाविद्यालय में आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ गठित करेगा। इस प्रकोष्ठ में आन्तरिक विशेषज्ञ दल होगा जिसमें प्रतिष्ठित शिक्षाविद् शामिल होंगे और वि.अ.आ. को महाविद्यालय के कार्यनिष्पादन के संबंध में रिपोर्ट भेजेगा। इस रिपोर्ट को महाविद्यालय की वेबसाइट पर जन अवलोकन हेतु डाला जाएगा। बाह्य विशेषज्ञ समीक्षा वर्ष में एक बार कराई जाएगी।
- (iv) आईक्यूएसी के आन्तरिक विशेषज्ञ दल द्वारा प्रतिकूल रिपोर्ट अथवा शिकायत के प्राप्त होने पर वि.अ.आ. के पास अपनी विशेषज्ञ समिति को रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के लिए गठित करने की शक्ति है तथा वह अधिसूचना और सकारण आदेश पारित करके प्रबंधन को सम्यक अवसर देकर महाविद्यालय के स्वायत्तशासी दर्जे को वापस ले सकता है।
- (v) आरंभिक 10 वर्षों के दौरान यदि विचाराधीन महाविद्यालय एनएएसी के 4 अंक मान (अर्थात् ए+ और ए++) में से 3.5 और ऊपर के अंक प्राप्त करता है तो महाविद्यालय को वि.अ.आ. द्वारा गठित स्थायी विशेषज्ञ समिति के समक्ष एनएएसी दल की रिपोर्ट और उसकी आईक्यूएसी की बाह्य विशेषज्ञ दल को रिपोर्ट रखने के पश्चात् बिना वि.अ.आ. विशेषज्ञ समिति के दौरे के अगले 10 वर्षों के लिए स्वायत्तशासी दर्जे के विस्तार को स्वीकृति दी जाएगी।
- (vi) शेष महाविद्यालय उक्त पैरा (v) में यथा उल्लिखित अंक प्राप्त नहीं करता तो, वि.अ.आ. महाविद्यालय के तत्स्थानिक विश्लेषण हेतु दिशानिर्देशों में यथा विनिर्धारित विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकता है। वि.अ.आ. द्वारा गठित स्थायी समिति के समक्ष वि.अ.आ. विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें रखी जाएगी। स्वायत्तता का विस्तार अगले पांच वर्ष की अवधि हेतु होगा।
- (vii) स्वायत्तशासी दर्जे के विस्तार की अनुमति हेतु प्रस्ताव की समीक्षा करते समय वि.अ.आ. द्वारा हुए किसी विलम्ब के मामले में महाविद्यालय का स्वायत्तशासी दर्जा जारी रहेगा।
- (viii) महाविद्यालय स्वायत्तता चक्र की समाप्ति के छह माह पूर्व स्वायत्तता के दर्जे के विस्तार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवेदन देगा। यदि वह विनिर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं देता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसे महाविद्यालय के स्वायत्तशासी दर्जे को वापस लेने की स्वतंत्रता होगी।

स्वायत्त महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता:-

1. योजना के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है:

क्र.सं.	महाविद्यालयों का स्वरूप	स्वायत्ता अनुदान हेतु पात्रता (रुपए में)
क	केवल स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले :	
	(क) कला/विज्ञान/वाणिज्य—मात्र एकल संकाय	9,00,000/-
	(ख) कला/विज्ञान/वाणिज्य—एक से अधिक संकाय	15,00,000/-
ख	स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले :	
	(क) एकल संकाय	10,00,000/-
	(ख) बहुल संकाय	20,00,000/-

मानव संसाधन विकास मंत्रालय/रक्षा मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मार्च, 2013 के दौरान चुनिंदा शैक्षिक संस्थानों (स्वायत्तशासी महाविद्यालय) में शिक्षा वर्ष 2013-14 से क्रेडिट प्वाइंट के साथ एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने के लिये एक कार्यशाला आयोजित की।

ऐसे स्वायत्तशासी महाविद्यालयों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया जो एनसीसी को क्रेडिट प्वाइंट के साथ वैकल्पिक विषय के रूप में आरंभ करेंगे।

शिक्षा वर्ष 2013-14 से क्रेडिट प्वाइंट के साथ एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में आरंभ करने हेतु स्वायत्त महाविद्यालय की वित्तीय सहायता में वृद्धि।

क्र.सं.	महाविद्यालय का स्वरूप	अनुदान की राशि (लाख रुपए में)	क्रेडिट प्वाइंट के साथ एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में आरंभ करने हेतु अतिरिक्त अनुदान (लाख रुपए में)	एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में आरंभ करने हेतु स्वायत्त महाविद्यालय हेतु कुल अनुदान (लाख रुपए में)
क	केवल स्नातकपूर्व स्तर :			
	(1) कला/विज्ञान/वाणिज्य-मात्र एकल संकाय	9.00	1.00	10.00
	(ख) कला/विज्ञान/वाणिज्य-एक से अधिक संकाय वाले	15.0	1.00	16.00
ख	स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर दोनों स्तरों के लिए:			
	(क) एकल संकाय	10.00	1.00	11.00
	(ख) बहुल संकाय	20.00	2.00	22.00

स्व-वित्तपोषित महाविद्यालय को उनकी स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है। तथापि, उन्हें बिना कोई स्वायत्तशासी अनुदान प्रदान किये स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान किया जायेगा। उन्हें अन्य महाविद्यालयों पर लागू समान प्रक्रिया से गुजरना होगा।

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 24 राज्यों में 104 विश्वविद्यालयों के 602 स्वायत्तशासी महाविद्यालय हैं।

अनुदान जारी किया जाना:

स्वायत्त महाविद्यालयों को यथा ग्राह्य स्वायत्त अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बंगलुरु तथा दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित एनआरसीबी ब्यूरो द्वारा जारी किया जा रहा है।

योजना का प्रभावी तथा निर्बाध कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए, प्रतिप्राप्ति के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर दिशानिर्देशों की समीक्षा करता है तथा उनमें संशोधन करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया

यदि किसी महाविद्यालय को दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र पाया जाता है तो अध्यक्ष, वि.अ.आ. निम्न सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा :

- (i) तीन विख्यात शिक्षाविद् जिनमें से एक अध्यक्ष होगा सदस्य
- (ii) मूल विश्वविद्यालय का एक शिक्षाविद् नामितो सदस्य
- (iii) राज्य सरकार का एक शिक्षाविद् नामिती सदस्य
- (iv) वि.अ.आ. का एक पदाधिकारी संयोजक

नोट : सदस्य/नामिती, आचार्य/प्रधानाचार्य के रैंक से नीचे के रैंक के नहीं होंगे।

अध्यक्ष, वि.अ.आ. उसके समक्ष सिफारिशें रखने से पूर्व महाविद्यालय को नए सिरे से स्वायत्तता का दर्जा देने/विस्तार करने के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की जांच करने हेतु 3-4 सदस्यों वाली स्थायी समिति गठित कर सकता है। इस स्थायी समिति को रिपोर्टों की जांच करने और रिपोर्टों में असंगतताओं, यदि कोई हो, सहित अपनी सिफारिशें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देने का अधिदेश प्राप्त होगा।

मूल विश्वविद्यालय के माध्यम से उपाधियां दिया जाना

स्वायत्तशासी महाविद्यालय द्वारा छात्रों का मूल्यांकन तथा सिफारिश किए जाने के पश्चात् महाविद्यालय की ओर से मूल विश्वविद्यालय उपाधियाँ प्रदान करेगा। उपाधि पत्र में महाविद्यालय का नाम अंकित रहेगा। इस प्रमाणपत्र में विशिष्ट आईडी/आधार सख्या. सहित छात्र का छायाचित्र अंकित होगा।

5.7 मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी)

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में शिक्षण के उच्च मानदण्ड बनाए रखने के लिए वर्ष 1986-87 में अकादमिक स्टॉफ कॉलेज की योजना आरम्भ की गई थी। वर्तमान में देशभर में 66 एएससी है। इस प्रकार से स्थापित महाविद्यालय नए नियुक्त हुए व्याख्याताओं के लिए चार सप्ताह का विशेषरूप से अभिविन्यास कार्यक्रम तथा सेवारत शिक्षकों के लिए तीन सप्ताह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

पात्रता

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत शामिल किया गया है जबकि वे धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित किए जाने के लिए उपर्युक्त नहीं हो, उनमें कार्यरत व्याख्याताओं को अभिविन्यास तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। ऐसे महाविद्यालयों के शिक्षक जो अभी धारा 2(च) के दायरे में नहीं आते परंतु पिछले कम से कम दो वर्षों से किसी महाविद्यालय से संबद्ध हों, उनके शिक्षकों को कार्यक्रम/पाठ्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान की अधिकतम सीमा

I.	वेतन	:	वास्तविक आधार पर
II.	पुस्तकें*	:	1.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष
III.	उपस्कर	:	1.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष
IV.	कार्यचालन व्यय	:	प्रतिवर्ष 3.50 लाख रुपए एकमुश्त/अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो
V.	भागीदारी की लागत	:	मानदंडों के अनुसार

भागीदारी की लागत में निम्नवत मदें शामिल होंगी:

- राज्य से बाहर से भागीदारी करने आए भागीदारों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा स्थानीय भागीदारों का आतिथ्य
- संसाधक को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा मानदेय
- पठन सामग्री
- अतिरिक्त कार्यचालन व्यय
- पाठ्यचर्या समन्वयक को मानदेय

*पुस्तकें, जर्नल, पत्रिकाएं, विश्वकोश, समाचारपत्र, श्रव्य-दृश्य संसाधन, ई-संसाधन आदि।

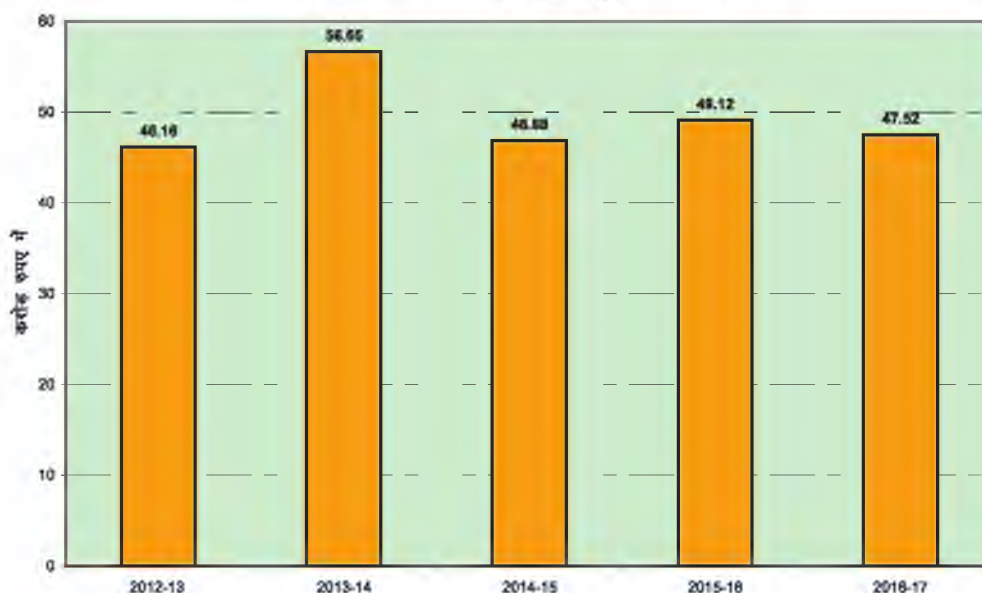
विज्ञान के प्रत्येक विषय के लिए 40,000/- तथा मानविकी के प्रत्येक विषय के लिए तथा अभिविन्यास (ओरियंटेशन कार्यक्रम) के लिए 30,000/-रुपए की दर से अतिरिक्त कार्यचालन व्यय।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एचआरडीसी योजना के तहत 66 मानव संसाधन विकास केन्द्रों को संपूर्ण देश में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास कार्यक्रम, अल्पावधि कार्यक्रम, समर-विंटर स्कूल प्रोग्राम तथा एएससी- गेस्ट हाउस आदि आयोजित करने के लिए अनुदान संस्वीकृत किए हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि अर्थात् 2012-13 से 2016-17 के दौरान मानव संसाधन विकास केन्द्र (जिसे पूर्व में अकादमिक स्टॉफ कॉलेज के नाम से जाना जाता था) योजना के तहत जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्षवार	संस्वीकृत अनुदान (करोड़ रुपए में)
2012-13	46.16
2013-14	56.65
2014-15	46.88
2015-16	49.12
2016-17	47.52
कुल रुपए	246.33

रेखाचित्र 5.7 : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षमता निर्माण संबंधी क्षेत्रीय केन्द्र (आरसीसीबी) को संस्वीकृत वर्षवार अनुदान



5.8 राजभाषा का संवर्धन

केन्द्र सरकार ने 1963 में राजभाषा अधिनियम के द्वारा हिन्दी को भारत संघ की सरकारी/कामकाजी भाषा घोषित किया तथा केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों को सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक 'राजभाषा सेल' स्थापित करने का निर्देश दिया, जिसे तत्पश्चात् वर्ष 1992 में पूर्ण राजभाषा अनुभाग बना दिया गया।

आयोग में राजभाषा हिन्दी के मुख्य पद न होने पर भी हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने का प्रयास कर रहा है। आयोग द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय में हिन्दी प्रकोष्ठ की स्थापना एवं आयोग द्वारा अनुदान प्राप्त केन्द्रीय/सम/राज्य विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग की स्थापना एवं उन्नयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले कागजात (सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसदीय प्रश्न आदि) द्विभाषी जारी करने के लिए परिपत्र जारी किए गए।
- वर्ष 2016-17 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें क्रमशः दिनांक 29.06.2016, 30.09.2016, 30.12.2016 एवं 30.03.2017 को आयोजित की गईं।
- वर्ष 2016-17 में 11 कर्मचारियों को हिन्दी टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया। सभी 11 कर्मचारियों ने प्रथम स्थान का पुरस्कार प्राप्त किया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट द्विभाषी है तथा अँग्रेजी एवं हिन्दी सामग्री का समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।
- आयोग के विभिन्न अनुभागों से अनुवाद के लिए प्राप्त सामग्री का हिन्दी में अनुवाद राजभाषा अनुभाग द्वारा किया गया है जैसे वार्षिक रिपोर्ट, 2015-16, वार्षिक लेखा, वर्ष 2015-16, प्रशासनिक निविदा सूचनाएँ, प्रशासन द्वारा निर्धारित विभिन्न अवकाशों के प्रारूप (अर्जित अवकाश/आकस्मिक/शिशु देख-रेख/चिकित्सा, अवकाश नकदीकरण, कार्यभार ग्रहण, त्यागपत्र इत्यादि), सूचना के अधिकार संबंधी सूचना एवं पत्र, प्रशासनिक कार्यालय आदेश, ज्ञापन, स्थानान्तरण, तैनातियाँ, सेवानिवृत्तियों, अनुशासन संबंधी आदेश, अर्द्धशासकीय पत्र एवं अनुभागों द्वारा प्राप्त विज्ञापन, परिपत्र।
- वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे हिन्दी निबंध, वाद-विवाद, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी टंकण आयोजित की गईं। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतियोगियों एवं प्रोत्साहन हेतु क्रमशः 5,000/-रुपए, 4,000/-रुपए, 3,000/-रुपए और 2,000/-रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए।

- सितम्बर माह में दिनांक 01 से 14 के मध्य 'हिन्दी पखवाड़ा' तथा दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को 'हिन्दी दिवस' का आयोजन किया गया। हिन्दी दिवस के आयोजन एवं पुरस्कार वितरण हेतु कुल 4,05,383.00 रुपए का व्यय किया गया।
- हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए आयोग में चार कार्यशालाओं का क्रमशः दिनांक 29.06.2016, 30.09.2016, 30.12.2016 एवं 30.03.2017 को आयोजन किया गया।
- 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति' की बैठकों में समय पर पत्र प्राप्त होने पर आयोग के उच्च अधिकारी भाग लेते हैं।
- नराकास की सदस्यता के लिए वर्ष 2016 की अंशदान राशि 5,100/- रुपए का भुगतान अध्यक्ष नराकास को किया गया है।
- वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग द्वारा अनुदान प्राप्त केन्द्रीय/राज्य/मानित विश्वविद्यालयों में 31 विश्वविद्यालयों में उन्नयन करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। आयोग द्वारा पुस्तकों/पत्र-पत्रिकाओं एवं गोष्ठी/सम्मेलन के लिए आवर्ती अनुदान 1,68,74,534/-रुपए तथा अनावर्ती व्यय के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु 1,40,00,000/- रुपए की राशि जारी की गई है।
- आयोग द्वारा अनुदान प्राप्त सभी केन्द्रीय/राज्य/मानित विश्वविद्यालयों में उन्नयन हेतु 13 विश्वविद्यालयों को अनुमोदन किया गया— जिसका लाभ अनेक शिक्षक, शिक्षणोत्तर कर्मचारी तथा छात्रों सहित सभी को मिलेगा।

बारहवी पंचवर्षीय योजना अवधि (2016-17) के दौरान रु0 1,65,00,000/- (रुपए एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र) की राशि जारी की गई।

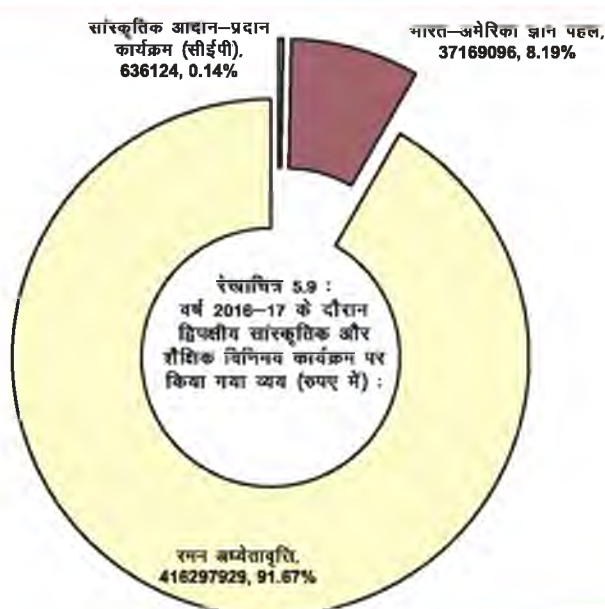
5.9 द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार की ओर से भारत और अन्य देशों के बीच विभिन्न सहयोगात्मक शैक्षिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अमेरिका, ब्रिटेन, इजरायल, नारवे और न्यूजीलैण्ड जैसे देशों के साथ संयुक्त शोध कार्यक्रम चला रहा है तथा आयोग ने स्टाईपेन्डीयम हंगेरिकम, अमेरिका में पोस्ट डॉक्टोरल शोध हेतु रमन अध्ययतावृत्ति, परियोजना आधारित कार्मिक विनिमय कार्यक्रम तथा वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान कार्यक्रमों में छात्रवृत्ति, अध्ययतावृत्ति तथा शोध कार्यक्रमों के माध्यम से विद्वानों को शोध क्षमता को प्राप्त करने में मदद की है।

वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों पर निम्नवत व्यय किया गया:

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी)	6,36,124/-
भारत-अमेरिका ज्ञान पहल	3,71,69,096/-
रमन अध्ययतावृत्ति	41,62,97,929/-
कुल व्यय	45,41,03,149/-



5.9(क)(v) परियोजना आधारित व्यक्तिगत आदान-प्रदान कार्यक्रम (वीपीपी):

जर्मन शैक्षणिक विनिमय सेवा (डीएएडी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विओआरओ) ने नई दिल्ली में शोध छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है, जो मुख्य रूप से मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सहयोगात्मक शोध परियोजनाओं में भाग लेंगे। युवा पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट वैज्ञानिकों और शोध छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष 2016 में एक परियोजना का चयन किया गया था।

5.9(क)(vi) छव्यंतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत-जर्मनी भागीदारियां (आईजीपी)

द्वितीय भारत-जर्मनी अंतर-सरकार परामर्श के अवसर पर बर्लिन में दिनांक 11 अप्रैल, 2013 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत और फ्रैंज़ल मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन एण्ड रिसर्च, जर्मनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों पक्ष उच्चतर शिक्षा में भारत-जर्मन साझेदारी (आईजीपी) नामक नए वित्तपोषण कार्यक्रम पर सहमत थे। इस कार्यक्रम की अवधारणा और वित्तीय तथा सांख्यिक प्रकाशन का उत्तरदायित्व वि.अ.आ. तथा डीएएडी पर है। इस संबंध में, कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित दोनों मंत्रालयों के बीच इस आशय की संयुक्त घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें दोनों पक्षों ने इस कार्यक्रम का वर्ष 2016 से 2020 तक चार वर्षों की अवधि हेतु वित्तपोषित करने और इस अवधि हेतु प्रत्येक पक्ष द्वारा 3.5 मिलियन यूरो आवंटित करने की इच्छा व्यक्त की गई है।

मंत्रालयों और जेडीआई के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौते के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.), भारत और जर्मन शैक्षिक प्रतिदान सेवा (डीएएडी), जर्मनी के बीच उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत-जर्मन भागीदारी (आईजीपी) पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 को एक समझौता किया गया तथा भारत के माननीय प्रधानमंत्री एवं जर्मनी के महामहिम चांसलर की उपस्थिति में उक्त समझौते का आदान-प्रदान किया गया।

प्रथम चरण में, वर्ष 2016 के दौरान 08 संस्थानगत भागीदारों को पुरस्कार प्रदान किया गया।

5.9(क) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां तथा विद्वानों का आदान-प्रदान

5.9(क)(i) संयुक्त राज्य अमेरिका में पोस्ट डॉक्टोरल शोध के लिए रमन अध्येतावृत्तियां :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उनरते हुए क्षेत्रों में उन्नत तकनीक और प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक शोध प्रशिक्षण के लिए युवा भारतीय शोधकर्ताओं और सभी विषयों के शिक्षकों को सुनहरा अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इन अध्येतावृत्तियों की पेशकश की है जिससे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उनकी शोध क्षमता और उच्चतर शिक्षा में उनके योगदान को और बढ़ावा जा सके और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ दीर्घकालिक संबंधों को विकसित किया जा सके। वर्ष 2016 के दौरान रमन अध्येतावृत्ति के तहत 177 अभ्यर्थियों के दौरे सम्पन्न हुए।

5.9(क)(ii) राष्ट्रमंडल विकिक्ला अध्येतावृत्तियां :

वर्ष 2016 के दौरान, राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ, यूनाइटेड किंगडम ने भारत के विश्वविद्यालयों और विकिक्ला महाविद्यालयों के प्रशिक्षावन संकाय सदस्यों को यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य करने के लिए 10 राष्ट्रमंडल विकिक्ला अध्येतावृत्तियां प्रदान की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन अध्येतावृत्तियों हेतु एक नामनिर्दिष्ट करने वाली एजेंसी के रूप में काम किया था। पिछले वर्ष, छह भारतीय विकिक्लाओं का इन राष्ट्रमंडल अध्येतावृत्तियों के लिए घयन किया गया था।

5.9(क)(iii) स्टार्टअप विद्यम हंगरीकन कार्यक्रम:

दिनांक 19 नवंबर, 2014 को हंगरी के 'हूदूमन कैपेसिटिज' मंत्रालय और भारत गणराज्य के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित भारत-हंगरी शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हंगरी में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए भारतीय छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए। वर्ष 2016 में इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत 105 भारतीय छात्रों का हंगेरियन छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा घयन किया गया था।

5.9(क)(iv) जर्मनी के साथ वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान कार्यक्रम:

इस कार्यक्रम मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में 10 वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान किया जाता है। आदान-प्रदान की अवधि न्यूनतम दो सप्ताह और अधिकतम चार सप्ताह होनी चाहिए। इस अवधि के दौरान, चार मेजबान संस्थानों का दौरा किया जा सकता है। प्रत्येक पक्ष अपने मेज़मान वैज्ञानिकों की यात्रा लागत को वहन करता है।

5.9(ख) संयुक्त शोध प्रस्ताव

5.9(ख)(i) वि०अ०आ०—यूकेआईईआरआई विषयगत भागीदारियां:

‘ब्रिटेन इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव’ (यूकेआईईआरआई) को दोनों देशों के बीच शैक्षिक संपर्क को बढ़ाने के उद्देश्य से अप्रैल, 2008 में आरंभ किया गया था।

इस पहल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सफलता को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को वर्ष 2018 तक बढ़ा दिया गया था।

भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों की ओर से तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समर्थन से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) और नई दिल्ली में स्थित यूकेआईईआरआई सांघवाल्य के माध्यम से ब्रिटिश काउंसिल (बीसी), कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

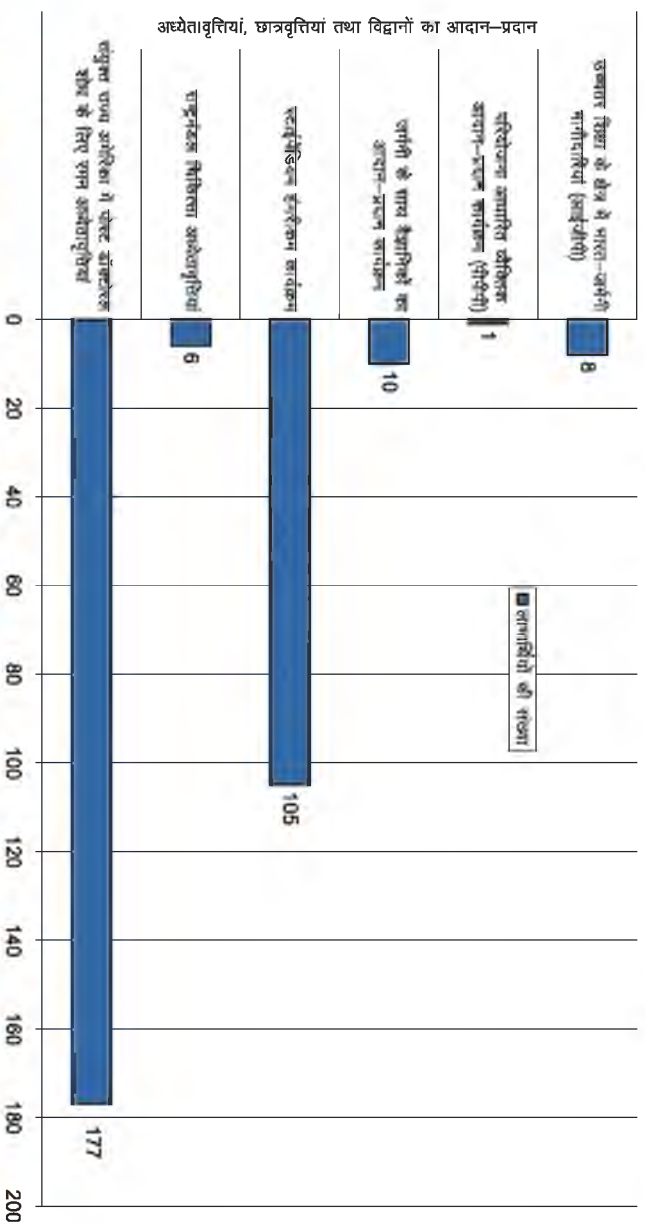
वि०अ०आ०—यूकेआईईआरआई विषयगत भागीदारियां ब्रिटेन और भारत की सिद्ध शोध क्षमता वाले संस्थान—आधारित शोध दलों को प्रदान किए जाने का विचार है। विषयगत भागीदारियों के अंतर्गत वर्ष 2018–17 के दौरान 25 संयुक्त शोध प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

5.9(ख)(ii) भारत—अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल :

शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्धित भारत—अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को तैयार करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि रखकर वर्ष 2008 में भारत—अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल की घोषणा की गई थी। इसके कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, वि०अ०आ० ने भारत—अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल के अंतर्गत एक खुली प्रतियोगिता की घोषणा की है और वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 2(घ) और 12ख के अंतर्गत मान्यताप्राप्त संस्थानों तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से निम्नलिखित क्षेत्रों में संयुक्त शोध हेतु प्रस्ताव आग्रीकृत किए हैं।

- ऊर्जा अध्ययन
- सात विकास

रेखाचित्र 5.9(क): वर्ष 2016 के दौरान अध्येतावृत्ति-छात्रवृत्ति-विद्वानों का आदान-प्रदान किए जाने हेतु लाभार्थियों की संख्या



5.9(क)(vii) स्रोत सामग्री संग्रह योजना के अंतर्गत विदेशों की यात्रा करने के लिए शिक्षकों को यात्रा अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्य हेतु स्रोत सामग्री एकत्रित करने के लिए शताप्रतिशत आधार पर यात्रा अनुदान प्रदान करता है। यह सहायता ऐसे शोध छात्रों को दी जाती है जिन्हें किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम दो माह की अवधि के लिए भरण-पोषण करने का आवश्यकता प्राप्त हुआ हो।

- जलवायु परिवर्तन
- पर्यावरणीय अध्ययन
- शिक्षा और शैक्षणिक सुधार,
- सामुदायिक विकास और नवोन्मेष

वर्ष 2016 में इस पहल के तहत प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे और अंततः 4 भारतीय पीआई के नेतृत्व तथा 4 अमेरिका पीआई के नेतृत्व वाली परियोजनाओं को वित्तपोषण हेतु अनुमोदित किया गया (पांचवां चरण)।

5.9(ख)(iii) भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त शोध परियोजनाएं:

भारत-न्यूजीलैंड शिक्षा परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वाधान में भारत तथा 'एजुकेशन न्यूजीलैंड' ने संयुक्त शोध परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण प्राप्त करने के इच्छुक भारत और न्यूजीलैंड के शिक्षाविदों से आवेदन आमंत्रित किये। ये परियोजनाएं किसी भी विधा पर केन्द्रीत हो सकती हैं लेकिन निम्नवत विषयों में से एक अथवा अधिक पर बल दिया जाना चाहिए:

1. खाद्य सुरक्षा (कृषि सहित), इतिहास, सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन।
2. सामुदायिक विकास और नवोन्मेष
3. रचनात्मक और संस्कृति उद्योग, पर्यटन और न्यू-लैन्ड्स-इकोनॉमी
4. स्वास्थ्य
5. पर्यावरण और धारणीयता (जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा अध्ययन सहित)
6. दक्षिण प्रशांत और एंटीपोड्स में बसे भारतीय मूल के व्यक्ति
7. भारत-न्यूजीलैंड व्यापार संबंध और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत की विदेश नीति
8. जानकारी की सुरक्षा
9. शहरी आयोजना और विकास, शहरी-ग्रामीण भूमि का उपयोग और संबंधित मुद्दे।

वर्ष 2014 में कार्यक्रम के अंतर्गत 7 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था।

5.9(ख)(iv) भारत-इजराइल संयुक्त शोध कार्यक्रम:

संयुक्त शोध कार्यक्रम का उद्देश्य इजराइली और भारत के वैज्ञानिकों के बीच शोध सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०आ०आ०) और इजराइल विज्ञान फौंडेशन (आईएसएफ) के बीच हुए एक सहयोग समझौते के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और भारतीय और इजराइल सरकार द्वारा दो वित्तपोषण एजेंसियों के माध्यम से, जिनमें से प्रत्येक अपने संबंधित विनियमों के अनुरूप अपने वैज्ञानिकों को वित्तपोषित करती है, के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। यह कार्यक्रम सभी विधाओं के लिए खुला है। वि०आ०आ०, भारत और इजराइल साइंस फौंडेशन (आईएसएफ), इजराइल ने कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत संयुक्त शोध परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए और अंततः और वर्ष 2016 में 10 प्रस्तावों को वित्तपोषण हेतु अनुमोदित किया गया।

5.9(ख)(v) भारत-नार्वे सहयोग कार्यक्रम (आईएनसीपी) :

उच्चतर शिक्षा और शोध के क्षेत्र में भारत-नार्वे सहयोग कार्यक्रम (आईएनसीपी) एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत और नार्वे के बीच उच्चतर शिक्षा के संपर्कों को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम दिनांक 14 फरवरी, 2014 को भारत और नार्वे के बीच हस्ताक्षरित उच्चतर शिक्षा में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत तथा शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु नार्वे केंद्र (एसआईयू) के बीच शैक्षणिक सहयोग संबंधी करार पर आधारित है।

आईएनसीपी का वित्तपोषण संयुक्त रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा०सं०वि०मं०) भारत और नार्वे के विदेश मंत्रालय (एमएफए) द्वारा समान अनुदान के माध्यम से किया जाता है। वि०आ०, भारत और एसआईयू, नार्वे इस कार्यक्रम हेतु कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

आईएनसीपी में दिनांक 01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि हेतु भारत और नार्वे के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को और बढ़ाने के उद्देश्य से नई परियोजनाओं के एक पोर्टफोलियो की स्थापना करना और उसका प्रशासन शामिल है।

पात्रता: विओआओ अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत विकास अनुदान पाने हेतु पात्र, मान्यताप्राप्त सार्वजनिक वित्तपोषित संस्थान और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

व्यापक विषयगत क्षेत्र: किसी भी शैक्षणिक विधा में सहयोग किया जा सकता है परंतु वह निम्नवत प्राथमिकता वाले क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए:

- ऊर्जा, विशेषरूप से स्वच्छ ऊर्जा
- समुद्री तथा आर्कटिक/ध्रुवीय शोध सहित जलवायु परिवर्तन
- स्वास्थ्य विशेषरूप से जन स्वास्थ्य
- सूचना प्रौद्योगिकी विशेषरूप से जानकारी से जुड़ी सुरक्षा
- शहरी आयोजना और विकास
- पर्यावरण
- जैव प्रौद्योगिकी तथा चिकित्सा विज्ञान
- वैश्विक विकास
- विकास अर्थशास्त्र
- समुद्र विज्ञान
- प्रबंधन अध्ययन विशेषरूप से नवोन्मेष के संबंध में
- सामाजिक विज्ञान, मानविकी और कला
- भौगोलिक खतरों
- अध्यापक शिक्षा

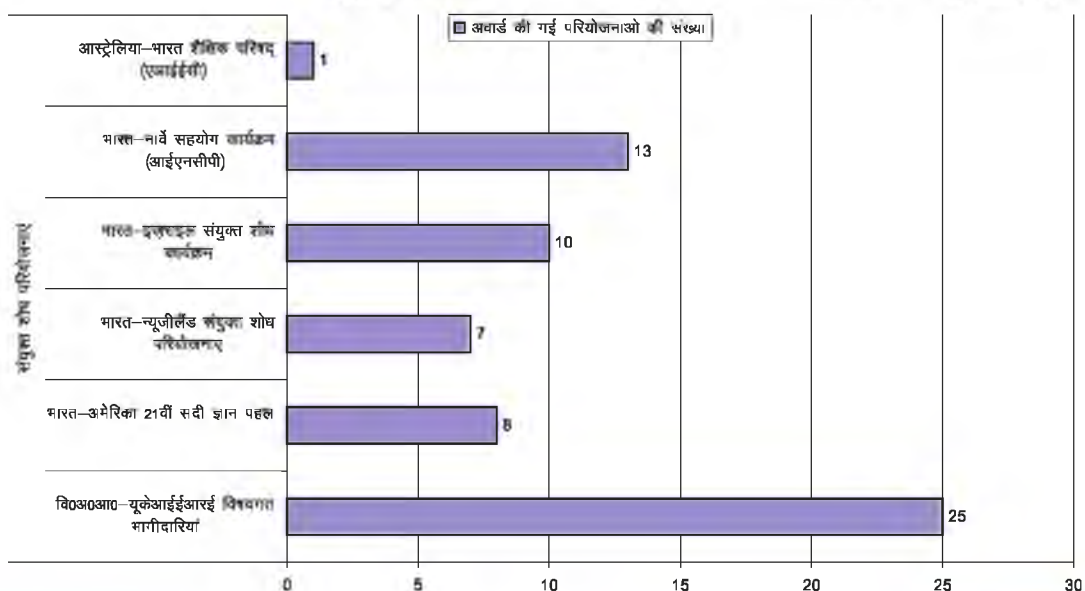
आईएनसीपी के अंतर्गत, विओआओ, भारत और एसआईयू, नार्वे ने संयुक्त शोध परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं और वर्ष 2014 में तीन वर्षों अर्थात् 01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2017 की अवधि के लिए 13 परियोजनाओं का चयन किया।

5.9(ख)(vi) आस्ट्रेलिया-भारत शैक्षिक परिषद् (एआईईसी) :

आस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा परिषद् की स्थापना पांच पहलुओं अर्थात् उच्चतर शिक्षा और शोध, कौशल, गुणवत्ता आश्वासन और मान्यता प्रदान करने, छात्रों का एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र में स्थानांतरण तथा विद्यालयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2011 में की गई थी। एआईईसी के तहत, 'स्टूडेंट मोबिलिटी' के विषय पर एक परियोजना जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली को प्रदान की गई है।

दिनांक 27 जनवरी, 2016 को ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा परिषद् (एआईईसी) उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान कार्य समूह की एक टेली-कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। बैठक में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनईयूपीए) के कार्य समूह ने 30600 आस्ट्रेलियाई डॉलर के कुल आवंटन के साथ उच्चतर शिक्षा शिक्षण और शिक्षा परियोजना के क्षेत्र में एक परियोजना को अनुमोदित किया।

रेखाचित्र 5.9 (ख): वर्ष 2016-17 के दौरान संयुक्त शोध प्रस्ताव तथा चालू परियोजनाओं के लाभार्थियों की संख्या



5.9(ग) विदेशी भाषा के शिक्षक

वि.अ.आ. के सहयोगात्मक कार्यक्रम हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाओं को पढ़ाने के लिए विदेशी भाषा के शिक्षकों को नियुक्त करने का प्रावधान है।

विश्वविद्यालयों में इनकी नियुक्ति संबंधित देश के मिशन और संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श से किया जाता है। किसी विश्वविद्यालय में भाषा संबंधी शिक्षक की नियुक्ति करते समय सामान्यतया यह सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त विश्वविद्यालय में विदेशी भाषाओं के अध्यापन के लिए उपर्युक्त अवसरचना मौजूद हो।

वर्ष 2016-17 के दौरान भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 22 विदेशी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति की गई। शिक्षकों का भाषा वार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

जर्मन - 3	स्पेनिश- 10	पश्तो - 1	बुलगारियाई - 1	चेक- 1
पुर्तगाली-2	हंगेरियाई- 1	क्रोएशियाई - 1	रोमानियन - 1	पोलिश- 1

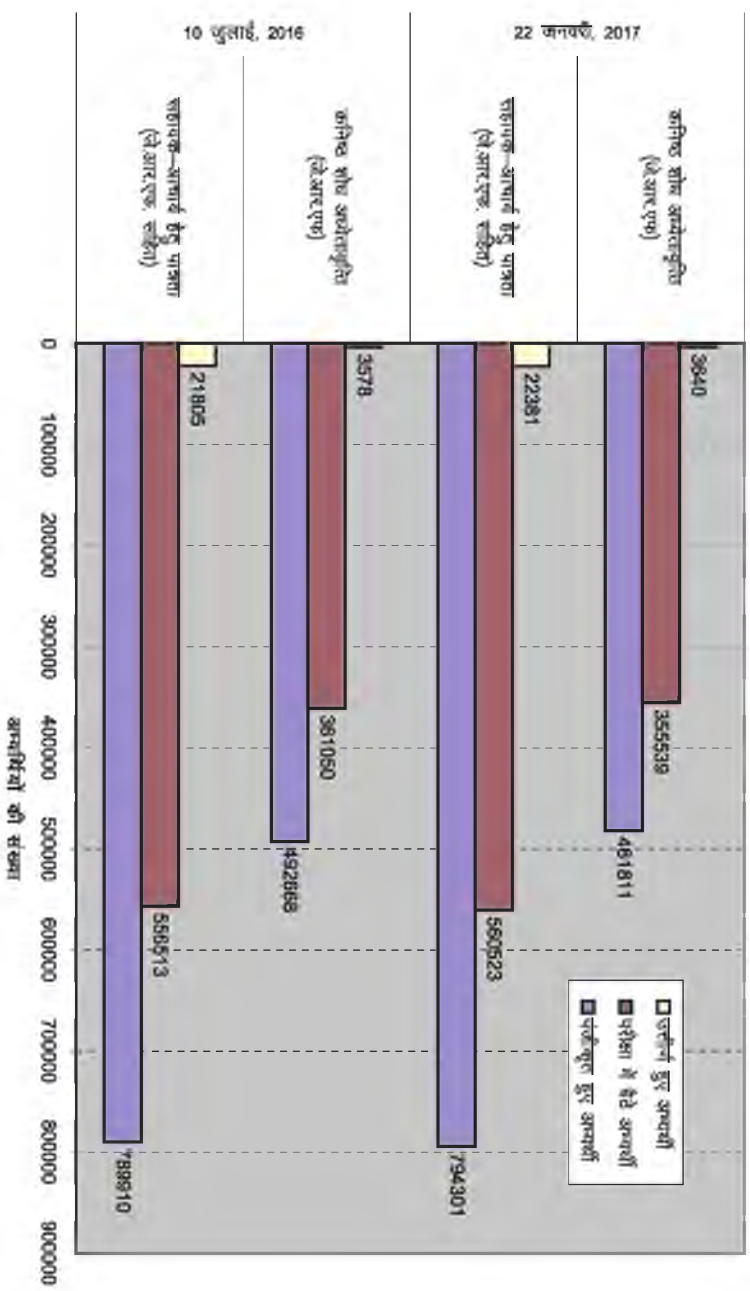
5.10 राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षा (नेट) : शोध तथा शिक्षण हेतु मानव संसाधन विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानविकी (इनमें भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं), सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान तथा पर्यावरणीय विज्ञान जैसे अनेक विषयों में शिक्षण और शोध में प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए सहायक आचार्य और कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) की पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा अर्थात् राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ऑफ़टसोर्स किया गया) आयोजित करता है। देशभर में 90 समन्वय संस्थानों और 80 विषयों (परीक्षा-एक के अलावा) में वर्ष में दो बार जून तथा दिसम्बर माह में परीक्षा आयोजित की जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शोध के क्षेत्र में व्यापक समतुलनीयता के साथ-साथ वैधता और विश्वसनीयता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने हेतु कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए वर्ष 1984 में नेट का आयोजन करना आरंभ किया था जिसे विशेष रूप से वि०अ०आ०-नेट परीक्षा के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात्, वर्ष 1986 में अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों हेतु मेहरोत्रा समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप वर्ष 1989 से इस परीक्षा को भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद के लिए पात्र उम्मीदवार घोषित करने के एक साधन के रूप में भी उपयोग किया गया था। इससे पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानविकी और भाषाओं सहित सामाजिक विज्ञान के साथ-साथ विज्ञान विषयों में इस परीक्षा को आयोजित कराता था। इसी समय, सीएसआईआर भी मुख्य विज्ञान विषयों में एक परीक्षा आयोजित कराता था। विज्ञान विषयों में प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए वि०अ०आ० ने हस्तक्षेप किया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए भी अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए सीएसआईआर के साथ एक समझौता किया। उस समय से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में वि०अ०आ०-नेट परीक्षा का आयोजन कर रहा है जबकि सीएसआईआर भी संयुक्त सीएसआईआर- वि०अ०आ० नेट परीक्षा के तहत प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर माह में 5 मुख्य विज्ञान विषयों अर्थात् रसायन विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान, जीवन विज्ञान, गणित विज्ञान और शारीरिक विज्ञान विषयों में इसका आयोजन करा रहा है।

ऐसे प्रत्याशी, जो शोध करना और वि०अ०आ० से अध्येतावृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे वि०अ०आ०-नेट के तहत कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे०आर०एफ०) परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे प्रत्याशी जिनकी योग्यता अधिक है तथा वि०अ०आ०-नेट परीक्षा में जे०आर०एफ० के लिए सफल जाते हैं, वे वि०अ०आ० द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य भी कर सकते हैं, वि०अ०आ० द्वारा प्रत्येक वि०अ०आ०-नेट परीक्षा के माध्यम से 3200 से अधिक कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियां तथा प्रत्येक सी०एस०आर०आई०-वि०अ०आ० संयुक्त नेट परीक्षा के माध्यम से लगभग 1200 (अभ्यर्थियों के समग्र निष्पादन के अध्यधीन) कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए अध्येतावृत्ति उपलब्ध है।

जुलाई, 2016 में आयोजित वि०अ०आ०-नेट परीक्षा में 3578 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति हेतु पात्र घोषित किया गया, जबकि जनवरी, 2017 में आयोजित वि०अ०आ०-नेट परीक्षा में 3640 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति हेतु पात्र घोषित किया गया।



गुणवत्ता तथा चतुष्टयता

नेट परीक्षा में निष्पादन

5.10(क): वि०अ०आ०-नेट परीक्षा:

वि०अ०आ०-नेट परीक्षा के तहत व्याख्याता एवं कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाने वाले, परीक्षा में बैठने वाले और सकल हुए अभ्यर्थियों का ब्यौरा निम्नवत तालिका-5.10(क) में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-5.10(क): वर्ष 2016-17 के दौरान वि०अ०आ०-नेट परीक्षा हेतु पंजीकरण करवाने वाले, परीक्षा में बैठने वाले तथा सकल हुए अभ्यर्थियों का ब्यौरा

वि०अ०आ०-नेट	पंजीकृत	परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी		परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी		
		संख्या	पंजीकृत का प्रतिशत	संख्या	पंजीकृत का प्रतिशत	
10 जुलाई, 2016	सहायक-आचार्य (जे.आर. एफ. सहित) हेतु पात्रता कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.)	789910	556513	70.45	21805	3.92
22 जनवरी, 2017	सहायक-आचार्य (जे.आर. एफ. सहित) हेतु पात्रता कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.)	794301	560523	70.57	22381	3.99
		481811	355539	73.79	3640	1.02

रेखाचित्र 5.10(क): वर्ष 2016-17 के दौरान वि०अ०आ०-नेट परीक्षा हेतु पंजीकृत हुए, परीक्षा में बैठे

तथा उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या

जिन विषयों में वि०अ०आ०-नेट परीक्षा आयोजित की जाती है उनका ब्यौरा नीचे तालिका 5.10 (क)(i) में दिया गया है:

तालिका 5.10 (क)(i) : विषय का नाम

क्र.सं.	विषय का नाम	क्र.सं.	विषय का नाम
1.	अर्थशास्त्र	35.	असमिया भाषा
2.	राजनीति विज्ञान	36.	गुजराती भाषा
3.	दर्शनशास्त्र	37.	मराठी भाषा
4.	मनोविज्ञान	38.	फ्रेंच भाषा
5.	समाज विज्ञान	39.	स्पेनिश भाषा
6.	इतिहास	40.	रशियन भाषा
7.	मानव-विज्ञान	41.	फारसी भाषा
8.	वाणिज्य	42.	राजस्थानी भाषा
9.	शिक्षा-शास्त्र	43.	जर्मन भाषा
10.	सामाजिक कार्य	44.	जापानी भाषा
11.	रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन	45.	प्रौढ़ शिक्षा/अनुवर्ती शिक्षा/एण्ड्रोगॉगी/अनौपचारिक शिक्षा
12.	गृह विज्ञान	46.	शारीरिक शिक्षा
13.	लोक प्रशासन	47.	अरबी संस्कृति तथा इस्लामिक अध्ययन
14.	जनसंख्या अध्ययन	48.	भारतीय संस्कृति
15.	संगीत	49.	श्रमिक कल्याण/कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/श्रमिक तथा समाज कल्याण/मानव संसाधन प्रबंधन
16.	प्रबंधन	50.	विधि शास्त्र
17.	मैथिली भाषा	51.	पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान
18.	बांग्ला भाषा	52.	बौद्ध, जैन, गौंधी तथा शांति अध्ययन
19.	हिन्दी भाषा	53.	धर्म का तुलनात्मक अध्ययन
20.	कन्नड़ भाषा	54.	जन संचार तथा पत्रकारिता
21.	मलयालम भाषा	55.	प्रदर्शित की जाने वाली कलाएं – नृत्य/नाटक/मंचन
22.	उड़िया भाषा	56.	संग्रहालय विज्ञान और संरक्षण
23.	पंजाबी भाषा	57.	पुरातत्त्व-विज्ञान
24.	संस्कृत भाषा	58.	अपराध विज्ञान
25.	तमिल भाषा	59.	जनजातीय तथा प्रादेशिक भाषा/साहित्य
26.	तेलुगू भाषा	60.	लोक साहित्य
27.	उर्दू भाषा	61.	तुलनात्मक साहित्य
28.	अरबी भाषा	62.	संस्कृत परंपरागत विषय (ज्योतिष/सिद्धांत ज्योतिष/नव्य व्याकरण/व्याकरण/मीमांसा/नव्य न्याय/सांख्य योग/तुलनात्मक दर्शन/शुक्ल यजुर्वेद/मध्य वेदांत/धर्मशास्त्र/साहित्य/पुराण इतिहास/अगम/अद्वैत वेदांत)
29.	अंग्रेजी भाषा		
30.	भाषा विज्ञान		
31.	चीनी भाषा		
32.	खोंगरी भाषा		
33.	नेपाली भाषा		
34.	मणिपुरी भाषा		

क्र.सं.	विषय का नाम
63.	महिला अध्ययन
64.	दृश्य कला (चित्रकला और चित्रांकन/ मूर्तिकला/ ग्राफिक्स/ अनुप्रयुक्त कला/ कला का इतिहास सहित)
65.	भूगोल
66.	समाजिक-आयुर्विज्ञान तथा सामुदायिक स्वास्थ्य
67.	न्यायालयिक विज्ञान
68.	पालि भाषा
69.	कश्मीरी भाषा
70.	कोंकणी भाषा

क्र.सं.	विषय का नाम
71.	कम्प्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग
72.	इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान
73.	पर्यावरण विज्ञान
74.	अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय अध्ययन
75.	प्राकृत भाषा
76.	मानवाधिकार तथा कर्तव्य
77.	पर्यटन प्रशासन तथा प्रबंधन
78.	बोडो भाषा
79.	संथाली भाषा
80.	योग

5.10(ख) संयुक्त सी0एस0आई0आर0-वि0अ0आ0 परीक्षा

तालिका-5.10(ख)(i) उन मुख्य विज्ञान विषयों को दर्शाती है जिसमें सीएसआईआर द्वारा संयुक्त सीएसआईआर-वि0अ0आ0-नेट परीक्षा आयोजित की जाती है तथा तालिका-5.11(ख)(ii) जे0आर0एफ0 के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या तथा संयुक्त सीआईएसआर-वि0अ0आ0 नेट के माध्यम से व्याख्याता हेतु पात्रता को दर्शाता है।

तालिका-5.10(ख)(i): संयुक्त सी0एस0आई0आर0-नेट के तहत शामिल विज्ञान के विषयों की सूची

क्र.सं.	विषय
1.	रसायन विज्ञान
2.	पृथ्वी, वायुमण्डल, महासागर एवं ग्रह विज्ञान
3.	जीव विज्ञान
4.	गणित विज्ञान
5.	शरीर विज्ञान

तालिका-5.10(ख)(ii): सी0एस0आई0आर0-वि0अ0आ0-नेट संयुक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों का निष्पादन

सीएसआईआर-वि0अ0आ0-नेट संयुक्त परीक्षा	परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या	
	वि0अ0आ0-जे0आर0एफ0	सहायक आचार्य हेतु पात्रता (जे0आर0एफ0 सहित)
जून, 2016	1500	6930
दिसम्बर, 2016	1500	6835

स्रोत: सीएसआईआर की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् csirhrdg.res.in

वर्ष 2016-2017 के दौरान वि0अ0आ0-नेट और नेट ब्यूरो के सभी आधिकारिक क्रियाकलापों के संचालन पर 61,37,416/- रुपए का व्यय हुआ। इसमें नेट ब्यूरो में तैनात वि0अ0आ0 के नियमित कर्मचारियों को वेतन के भुगतान पर किया गया व्यय शामिल नहीं है।

5.10(ग) : वंचित श्रेणियों को उपलब्ध कराई गई छूट/रियायत

(i) शुल्क में उपलब्ध कराई गई छूट/रियायत

भारत सरकार की नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समाज के सभी कमजोर वर्गों को वि0अ0आ0-नेट के लिए आवेदन करने हेतु शुल्क में काफी रियायत देता आ रहा है। जहां सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 600/- रुपए है, वहीं भारत सरकार की नीति के अनुरूप अन्य पिछड़ा वर्ग के असम्पन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए यह केवल 300/- रुपए है। अनुसूचित

जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल 150 रुपये नाममात्र शुल्क देना होता है।

(ii) जे0आर0एफ0 के लिए आयु में उपलब्ध कराई गई छूट/रियायत

सामान्य श्रेणी के लिए जे आर एफ में बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। अ0ज0/अ0ज0जा0/अपिव (असंपन्न वर्ग)/शारीरिक रूप से निशक्त श्रेणी और महिला आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है।

(iii) नेट हेतु पात्रता की शर्तों में उपलब्ध कराई गई छूट/रियायत

1	सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी	निष्णात उपाधि में 55 प्रतिशत अंक (बिना पूर्णांकित किए)
2	अ0पि0वर्ग (असम्पन्न वर्ग) शारीरिक रूप से निशक्त/ अ0जा0/अ0ज0जा0 श्रेणी के अभ्यर्थी	निष्णात उपाधि में 50 प्रतिशत अंक (बिना पूर्णांकित किए)

(iv) नेट हेतु अर्हक मानदण्ड में उपलब्ध कराई गई छूट/रियायत

अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से परिणाम तैयार करने हेतु विचार किये जाने के लिए प्रश्न पत्र-I, II और III में अलग-अलग नीचे दिये गये न्यूनतम अंक प्राप्त करने होते हैं जैसा कि तालिका-5.10(ग) में दर्शाया गया है:

तालिका 5.10(ग): अंतिम रूप से परिणाम तैयार करने हेतु विचार किये जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्राप्तांकों का श्रेणी-वार ब्यौरा

श्रेणी	अपेक्षित न्यूनतम अंक (प्रतिशत में)		
	प्रश्न पत्र-I	प्रश्न पत्र-II	प्रश्न पत्र-III
सामान्य	40 (40%)	40 (40%)	75 (50 %)
अ0पि0व0(असंपन्न)/शारीरिक रूप से निशक्त/अ0जा0/अ0ज0जा0	35 (35%)	35 (35%)	60 (40 %)

जैसा की यहां स्पष्ट है कि अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंक सामान्य श्रेणी के लिये अपेक्षित न्यूनतम अंकों से कम है। यहां तक कि कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) हेतु परिणामों का संकलन करते हुए इस सिद्धांत को विचाराधीन रखा गया तथा यह सुनिश्चित किया गया कि वंचित वर्गों के लिये विषयवार अंतिम न्यूनतम पात्रता अंक सामान्य श्रेणी से कम हों।

5.10(घ) : पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये की गई पहल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के अपने सतत प्रयासों के तहत परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिकाधिक परस्पर प्रभावशील एवं निष्पक्ष बनाने के लिए अनेक उपाय किये हैं। इन प्रयासों का निम्नवत पैराओं में खाका खींचा गया है।

- (क) दिसम्बर, 2011 तक परीक्षा पत्र-III, विवरणात्मक था। जून, 2012 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा से इसे वस्तुनिष्ठ बना दिया गया। इससे मूल्यांकन में समानता सुनिश्चित होती है तथा परीक्षा पत्र का मूल्यांकन करने में पक्षपात की संभावना नहीं रहती है।
- (ख) दिसम्बर, 2011 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा तक अभ्यर्थियों को अपने साथ प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं थी। खुलेपन की नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2012 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्रों को अपने साथ ले जाने की अनुमति प्रदान की।
- (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी ओएमआर शीट को संशोधित किया ताकि शीट के साथ इसकी कार्बन रहित कॉपी भी रखी जा सकें। अभ्यर्थी जून, 2012 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा से ओएमआर की कार्बन रहित प्रति अपने साथ ले जा सकते हैं।

- (घ) जून, 2012 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा से सभी प्रश्नपत्रों के उत्तर जनसाधारण की पहुंच में हैं चूंकि उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अभ्यर्थी जिनके पास उत्तर, प्रश्न पत्र एवं उनके ओएमआर शीट की कार्बनरहित प्रतियां हैं, वे अपने उत्तर पत्र की जांच कर सकते हैं। प्रश्नों में विसंगतियों अथवा किन्हीं गलत उत्तर के संबंध में अभ्यर्थियों से प्रश्नों के उत्तर तथा प्रश्नपत्र को अपलोड करने के एक सप्ताह से भी अधिक समय तक ऑनलाइन फीडबैक आमंत्रित किया जाता है। अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर विशेषज्ञ समितियों द्वारा पुनः जांच की जाती है तथा तदनुसार उत्तर को अद्यतन किया जाता है। अद्यतन किये गये उत्तर के आधार पर परिणाम तैयार किये जाते हैं।
- (ङ) प्रथम पहल के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट के परिणाम घोषित होने के बाद भी जिन अभ्यर्थियों को उत्तर के संबंध में कोई शिकायतें हैं, उन्हें अपनी लिखित शिकायत अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट ब्यूरो, साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, बेनिटो जुआरेज मार्ग, नई दिल्ली-110021 को अपने पक्ष के समर्थन में मानक पुस्तकों/साहित्य के साथ सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पक्ष में 5000 रुपये के डिमांड ड्रॉफ्ट के साथ, परिणाम घोषित होने की तिथि के एक माह के भीतर भेजनी होगी। यह अनोखी पद्धति जून, 2013 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा से आरंभ की गई थी। चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2012 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा से परीक्षा पत्र-III के ढांचे (विवरणात्मक से वस्तुनिष्ठ) में आशोधन कर दिया है, जून, 2012 तथा दिसम्बर, 2012 की परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थी जिन्हें इस प्रकार की शिकायतें थी, उन्हें अपनी शिकायतें दायर करने का यह अवसर प्रदान किया गया है।

इस प्रकार प्राप्त अनुरोधों को शिकायत की जांच के लिये विशेषज्ञ समिति(यों) के समक्ष रखा गया। संबंधित विषय की संबंधित समितियों ने अभ्यर्थी की शिकायतों की जांच की तथा जहां कहीं आवश्यक हुआ उत्तर को अद्यतन किया। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परिवर्तित उत्तर के आलोक में आंकड़ों को संसाधित किया तथा संबंधित विषयों में पूर्व-अनुमोदित न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर जेआरएफ और/अथवा सहायक-आचार्य के पद के लिये पात्रता हेतु अतिरिक्त अभ्यर्थियों को अर्हक घोषित किया। जेआरएफ और/अथवा सहायक आचार्य के लिये पूर्व में अर्हक अभ्यर्थियों के परिणाम अपरिवर्तित रहे। उपरोक्त उल्लिखित तीन वि०अ०आ०-नेट हेतु जे०आर०एफ० के लिए पूर्व अनुमोदित अर्हता-परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये विषय वार तथा श्रेणीवार न्यूनतम अंक तथा सहायक आचार्य के पद के लिये अर्हता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

यह प्रक्रिया जून, 2014 को आयोजित वि०अ०आ०-नेट परीक्षा में भी जारी रही तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इनका पालन करने का अनुरोध किया गया है।

5.10(ङ) : सार्वजनिक क्षेत्र में वि०अ०आ०-नेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को पहचान

पिछले कुछ वर्षों के दौरान वि०अ०आ०-नेट ने प्रतिभा के प्रामाणिक भण्डार के रूप में पहचान बनाई है; जिसे भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने औपचारिक रूप से कुछ उत्कृष्ट सरकारी निकायों से संपर्क किया जिनमें निम्नवत शामिल हैं:

- i) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
- ii) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी); और
- iii) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)
- iv) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
- v) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कुछ विधाओं में अपने अधिकारियों की मर्ती हेतु वि०अ०आ०-नेट प्राप्तियों के आंकड़ों का उपयोग करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले ही इस संबंध में आंकड़ों को साझा करने हेतु अपनी सहमति की जानकारी प्रदान की है।

5.10(घ) : राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)

राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार की दिनांक 22.07.1988 की अधिसूचना के माध्यम से वि.अ.आ. ने राज्य सरकारों को **राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)**, जिन्हें पूर्व में राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस.एल.ई.टी.) कहा जाता था, को आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है, जिन्हें एक निर्धारित अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित किया गया है। एस.ई.टी. का पैटर्न भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित नेट परीक्षा के समान है।

कुछ राज्यों/समूहों के नेट परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में वि०अ०आ० उनके प्रस्तावों की जांच करने के बाद ही व्याख्याता हेतु सेट परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रत्यायित करता है। एस०ई०टी० अभिकरणों के निष्पादन की वि०अ०आ० द्वारा आवधिक तौर पर विशेषज्ञों की सहायता से पुनरीक्षा की जाती है और निर्धारित अवधि के लिए उनके प्रत्यायन का नवीकरण किया जाता है। वि०अ०आ०-नेट ब्यूरो के प्रमुख, सेट अभिकरणों की विषय संचालन और आधुनिकीकरण समितियों के स्थायी सदस्य होते हैं, जिनका गठन परीक्षाओं को आयोजित करने और परिणामों को घोषित करने के समग्र पर्यवेक्षण करने के लिए किया जाता है।

जिन अभ्यर्थियों ने व्याख्याता हेतु दिनांक 01 जून, 2002 से पूर्व वि.अ.आ. द्वारा प्रत्यायित राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण की है उन्हें नेट परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है। जून, 2002 में या उसके बाद आयोजित होने वाली सेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी संबंधित राज्य के केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में व्याख्याता/सहायक आचार्य के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे जहाँ से उन्होंने अपनी सेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। तथापि, ऐसे उम्मीदवार यदि चाहें तो, नेट हेतु आवेदन करने के पात्र भी होंगे।

अब तक, निम्नवत राज्यों/राज्य समूहों ने सेट का संचालन किया है:

- i. आन्ध्र प्रदेश (पूर्व में स्वतंत्र रूप परीक्षा आयोजित करता रहा परंतु पिछले शिक्षा वर्ष से तेलंगाना राज्य के साथ संयुक्त रूप से परीक्षा आयोजित की है)
- ii. बिहार
- iii. छत्तीसगढ़
- iv. गुजरात
- v. हरियाणा
- vi. हिमाचल प्रदेश
- vii. जम्मू और कश्मीर
- viii. झारखण्ड
- ix. कर्नाटक
- x. मध्य प्रदेश
- xi. महाराष्ट्र और गोवा
- xii. उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्य (भागीदारी करने वाले राज्य: असम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम)
- xiii. राजस्थान
- xiv. तमिलनाडु
- xv. उत्तराखण्ड
- xvi. उत्तर प्रदेश
- xvii. पश्चिम बंगाल

इन राज्यों में से जिन राज्यों/राज्य समूहों ने वर्ष 2016-17 के दौरान सेट परीक्षा का आयोजन किया उनका ब्यौरा निम्नवत है:

- i. आन्ध्र प्रदेश

- ii. गुजरात
- iii. हिमाचल प्रदेश
- iv. जम्मू और कश्मीर
- v. मध्य प्रदेश
- vi. महाराष्ट्र और गोवा
- vii. पूर्वोत्तर राज्य
- viii. तमिलनाडु
- ix. पश्चिम बंगाल

इसके अतिरिक्त, निम्नवत राज्यों को भविष्य में राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रत्यायन प्राप्त हुआ है:

- i. आंध्र प्रदेश
- ii. छत्तीसगढ़
- iii. मध्य प्रदेश
- iv. पूर्वोत्तर राज्य
- v. कर्नाटक
- vi. तेलंगाना
- vii. पश्चिम बंगाल

सेट की परीक्षा आयोजित करने पर होने वाले व्यय को सम्बंधित सेट एजेंसियों द्वारा वहन किया जाता है।

5.11 यात्रा अनुदान

यात्रा अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त राज्य विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षकों तथा महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्षों एवं कुलपतियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रदान किया जाता है। योजना का उद्देश्य विदेशी शिक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्रों को प्रस्तुत करने तथा उन देशों में उच्चतर शिक्षा की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, यह सुविधा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के स्थायी शिक्षकों को वर्ष में अनुमोदित कुल मामलों की 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के साथ उपलब्ध है। शिक्षा अधिकारी/अवर सचिव के स्तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारी तथा आयोग के सदस्य इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के प्राप्त करने के पात्र हैं। महाविद्यालय के शिक्षक/महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा उनकी अधिवर्षिता की आयु है तथा कुलपतियों एवं आयोग के सदस्य के मामले में, उन्हें पद पर नियुक्त होना चाहिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत सम्मिलित महाविद्यालयों के स्थायी अध्यापकों/पुस्तकालय अध्यक्षों को उनकी यात्रा, पंजीकरण शुल्क, दैनिक भत्ता तथा वोजा शुल्क आदि हेतु 3 वर्ष में एक बार शत प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत सम्मिलित राज्य विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, वि०अ०आ० सदस्यों, वि०अ०आ० अधिकारियों एवं अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि०व० (असंपन्न वर्ग) के शिक्षकों को दो वर्ष में एक बार शतप्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत यात्रा अनुदान हेतु सहायता के लिये आवेदन को सम्मेलन के आरंभ होने से दो माह पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले पत्र तथा सम्मेलन के आयोजकों द्वारा स्वोक्ती पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।

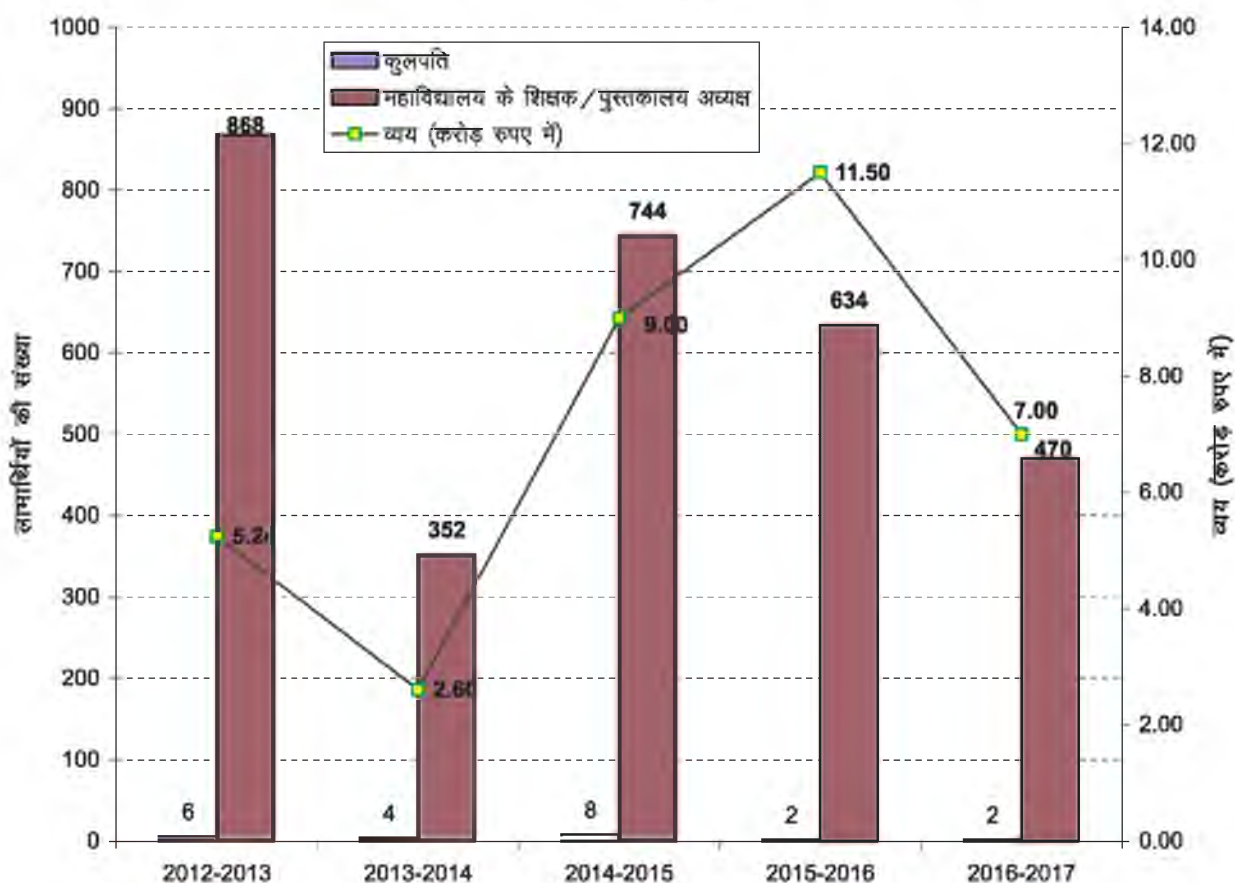
उक्त योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष द्वारा गठित यात्रा अनुदान समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। विषय विशेषज्ञ की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया जाता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभार्थियों की संख्या और किये गये व्यय का ब्यौरा निम्नवत है:

तालिका 5.11

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या			व्यय (करोड़ रुपये में)
	कुलपति	महाविद्यालय के शिक्षक/ पुस्तकालय अध्यक्ष	आयोग के सदस्यगण	
2012-2013	06	868	-	5.24
2013-2014	04	352	-	2.60
2014-2015	08	744	-	9.00
2015-2016	02	634	-	11.50
2016-2017	02	470	-	7.00

रेखाचित्र 5.11: बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यात्रा अनुदान योजना के तहत लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या तथा किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)



5.11(क) : यूनेस्को कार्यक्रम:

यूनेस्को द्वारा विश्व में विभिन्न सदस्य देशों में चलाये जाने वाले विभिन्न छात्रवृत्ति/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में परिपत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त होते हैं और इन्हें वि०अ०आ० द्वारा भारत में विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों में परिचालित किया जाता है। उच्चतर शिक्षा के विकास और सदस्य देशों के बीच समन्वय से संबंधित यूनेस्को के कुछ मामलों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वि०अ०आ० के विचार/टिप्पणी आमंत्रित करता है, जिन्हें वि०अ०आ० द्वारा भली-भांति विचार करने/दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद भेजा जाता है।

5.12 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (गगग) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्त निकायों के रूप में वर्ष 1984 से अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आईयूसी) की स्थापना की है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे शोधकर्ताओं के लाभ के लिए केन्द्रीय रूप से अत्याधुनिक उपस्कर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें जो समान्यतः लागत कारक के कारण कई विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुख्यतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे आठ केन्द्र स्थापित किए हैं। इन्टर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर (आईयूसी), नई दिल्ली (जो कि पूर्व में इस नाम से जाना जाता था) नाभिकीय विज्ञान केन्द्र, सन् 1984 में स्थापित किया जाने वाला इस तरह का पहला केन्द्र था। इन अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं :

- जो विश्वविद्यालय आधारभूत अवसंरचना तथा अन्य निवेशों में भारी पूंजी लगाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सामान्य अत्याधुनिक केन्द्रीयकृत उपस्कर तथा सुविधाएं सुविधाएं/सेवाएं उपलब्ध कराना।
- सम्पूर्ण देश में शिक्षकों तथा शोधकर्ताओं को सर्वोत्तम विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।
- शोधकर्ताओं तथा शिक्षण संकायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य आधुनिक उपस्कर, अत्याधुनिक उत्कृष्ट पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्यूनिकेशन (सी.ई.सी), नई दिल्ली में मार्गदर्शन एवं समन्वय द्वारा विश्वविद्यालयों में स्थापित, विभिन्न मीडिया केन्द्रों के माध्यम से एक हजार से भी अधिक शैक्षिक फिल्में तथा कार्यक्रम तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। देश में दूरदर्शन से दिनांक 15 अगस्त, 1984 को प्रथम देशव्यापी कक्षा (सीडब्ल्यू0सी0आर0) कार्यक्रम प्रारंभ हुआ।

तालिका 5.12(क): अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की सूची तथा उनके विशिष्ट उद्देश्य निम्नवत तालिका में दिए गए हैं:

क्र.सं.	केन्द्रों का नाम	स्थापना का वर्ष	उद्देश्य
1.	अंतर्विश्वविद्यालय एक्सीलेटर केन्द्र, (आईयूसी)	1984	एक्सीलेटर परक शोध
2.	अंतर्विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान तथा खगोल गैतिकी केन्द्र, पुणे-411007	1988	खगोल विज्ञान में शोध के लिए अत्याधुनिक यंत्रिकरण
3.	वि0अ0आ0-डीएई, वैज्ञानिक अनुसंधान कंसोर्टियम, इंदौर-452001	1989	आणविक ऊर्जा विभाग की सुविधाओं का उपयोग
4.	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्, बंगलूरु-560010	1994	उच्चतर शिक्षा के सरकारी तथा निजी संस्थानों का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन करना
5.	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (इन्फिलबनेट) गांधीनगर	1991	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों की नेटवर्किंग
6.	कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्यूनिकेशन, अरुण आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067	1993	टेलीविजन के माध्यम से देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम प्रसारित करना। वर्तमान में, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 21 शैक्षणिक मीडिया शोध केन्द्र स्थापित हैं।
7.	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र-अध्यापक शिक्षा, काकीनाड़ा	2013	साधारण रूप से शिक्षा में तथा विशेष रूप से अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में नए ज्ञान का सृजन
8.	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र-अध्यापक शिक्षा, वाराणसी	2014	कर अध्यापक शिक्षा के ज्ञान आधार को सुदृढ़ करना।



विभिन्न अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की मुख्य विशेषताएं

5.12(i) इंदर यूनिवर्सिटी एक्सलरेटर सेंटर-नई दिल्ली

केन्द्र के मुख्य क्रियाकारणों में एक्सलैटर फिजियस, नानिफाय, प्रदार्थ विज्ञान, आपातक भौतिकी, शिकरण जीवविज्ञान तथा संवत् क्षेत्रों में शोध और विकास करना शामिल है।

तालिका 5.12(ख) वर्ष 2016-17 के दौरान योजनागत तथा गैर-योजनागत दोनों अनुदानों के तहत बजटीय आबंटन तथा अनुदानों को जारी करने का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपए में)

क्र.स.	केन्द्र का नाम	योजनागत		गैर-योजनागत	
		बजटीय आबंटन	जारी किया गया अनुदान	बजटीय आबंटन	जारी किया गया अनुदान
1.	आईयूसीए, पुणे	1989.40	00.00	2185.00	2185.00
2.	आईयूसी, नई दिल्ली	3033.20	4974.47	3392.00	3392.00
3.	मि0अ0आ0-डीएई-सीएसआर, इंदौर	3225.00	1612.50	1939.00	1745.10
4.	एनएएस, बंगलूरु	600.00	0.00	641.00	480.75
5.	इन्फ्लेमेट, गांधीनगर	518.00	10.72	569.00	638.12
6.	आईयूसीटीई, बीएचयू, वाराणसी	00.00	00.00	50.00	50.00
7.	सीईसी / मीडिया केन्द्र	00.00	00.00	561.00	561.00
	सीईसी	00.00			
	टीएजी:-सीईसी / मीडिया केन्द्र	00.00			
	कुल	9365.60	6597.69	9337.00	9051.97

रेखाचित्र 5.12(ख): वर्ष 2016-17 के दौरान अंतर्विशेषालय केन्द्र हेतु योजनागत तथा गैर-योजनागत दोनों अनुदानों के तहत बजटीय आबंटन तथा जारी किया गया अनुदान (लाख रुपए में)

8000.00

केन्द्र ने परियोजना विधि में अत्याधुनिक त्वरक प्रणाली और प्रणालीगत सुविधाओं की एक श्रृंखला स्थापित की है जिसमें नाभिकीय भौतिकी, पदार्थ विज्ञान, परमाणु भौतिकी, विकिरण जीवविज्ञान, विकिरण भौतिकी और त्वरक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर के क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी अनुसंधान के लिए कई विश्वविद्यालय हैं।

- इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलरेटर सेंटर (आईयूएसी) की स्थापना अक्टूबर, 1984 को पहले योजना आयोग के विधिवत अनुमोदन और बाद में भारत के प्रधान मंत्री के अनुमोदन से नाभिकीय विज्ञान केन्द्र नामक प्रथम अंतःविश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गयी थी। यह केन्द्र भारत के सबसे बड़े टैंडम त्वरक जिसे 15यूडी पेलेट्रोन टैंडम त्वरक के नाम से जाना जाता है, के परिचालन मानकों के श्रृंखलाबद्ध बीम परीक्षण और इष्टतम उपयोग के पश्चात 8 जुलाई, 1991 को अपने तरह का प्रथम राष्ट्रीय उपयोगकर्ता सुविधा केन्द्र बना। बाद में, आईयूएसी ने कई अन्य त्वरकों को विकसित किया गया अत्याधुनिक सुपरकंडक्टिंग लिनियर एक्सीलेटर (एससी-एलआईएनएसी) जिसमें नायोबियम क्वार्टर वेव रिजोनेटर (क्यूडब्ल्यूआर), 1.7एमवी पेलेट्रोन टैंडम एक्सीलेटर, 0.5 एमवी पेलेट्रोन टैंडम एक्सीलेटर आधारित एक्सीलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमीटर (एएमएस), इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन रिसोनेंस (ईसीआर) आयन सोर्स आधारित बीम सुविधा, ऋणात्मक आयन बीम सुविधा आदि। एक हजार से अधिक अनुसंधान विद्वानों ने आईयूएसी में विश्वस्तरीय आयन एक्सीलेटर आधारित अनुसंधान सुविधाओं का उपयोग करते हुए अपनी पीएचडी को पूरा किया। वर्तमान में, आईयूएसी दिल्ली देश में प्रमुख आयन एक्सीलेटर सुविधा वाली संस्था है। यह 1500 से अधिक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसंधान कार्यों की जरूरतों को पूरा कर रहा है।
- विभिन्न ऑयन एक्सलरेटर सुविधाओं के अतिरिक्त, आईयूएसी नाभिकीय भौतिकी, पदार्थ विज्ञान, विकिरण जीव विज्ञान, परमाणु और आण्विक भौतिकी एवं पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान की अत्याधुनिक प्रायोगिक अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करता है। आईयूएसी में एक उच्च शक्ति संगणक (एचपीसी) सुविधा (70टीएफ) की स्थापना की गयी है। लगभग 300 अनुसंधान पत्रों को आईयूएसी में किए गए अनुसंधान कार्यों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के जर्नलों में वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान प्रयोगों हेतु कम्पेक्ट कम्प्यूटिंग इंटरफेस (एक्सपईवाईईएस), जिसे आईयूएसी में विकसित किया गया है, का शैक्षिक समुदाय द्वारा व्यापक इस्तेमाल किया गया है। देश भर के शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं को कंप्यूटर इंटरफेस युक्त विज्ञान प्रयोगों, पाथथन प्रोग्राम आधारित डेटा विश्लेषण, मुक्त स्रोत वाले शिक्षा साफ्टवेयर के विजुअलाइजेशन और इंस्टालेशन के संबंध में नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- आईयूएसी को तीन प्रमुख भावी परियोजनाओं की स्थापना में शामिल किया गया है जिन्हें अगले दशक हेतु अनुमानित रूपरेखा के अनुसार विकसित किया जा रहा है। ये सुपरकंडक्टिंग लाइनेक हेतु उच्च विभव इंजेक्टर (एचसीआई), मुक्त इलेक्ट्रॉन लेजर (एफईएल) प्रणाली जिसे दिल्ली लाइट सोर्स (डीएलएस) कहा जाता है, और जियोक्रोनोलॉजी हेतु व्यापक राष्ट्रीय सुविधा हैं।
- आईयूएसी, दिल्ली द्वारा प्रबंधित विश्वविद्यालय अनुसंधान अध्येता (यूएफआर) कार्यक्रम: वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 220 परियोजनाएं जिनमें 17 परियोजनाएं अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी से हैं, आईयूएसी के एक्सीलेटर यूजर समिति (एयूसी) द्वारा संस्वीकृत किये गए। आईयूएसी प्रयोगात्मक सुविधाओं का उपयोग करने के लिए कुल 47 पीएचडी परियोजनाओं को संस्वीकृत किया गया।

वर्ष 2016-17 के दौरान लाभार्थियों को जारी किया गया योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदान का ब्यौरा :

आबंटित अनुदान	: 1,90,00,000/- रुपए
जारी किया गया अनुदान	: 99,62.327/- रुपए

5.12(ii) वि0अ0आ0-डी0ए0ई0 कन्सोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इंदौर

आईयूसी-डीआई-सीएसआर का मुख्य उद्देश्य (i) विश्वविद्यालय तथा ज्ञान अर्जन के संस्थानों से छात्रों तथा शिक्षकों को सभी संभव सहायता मुहैया कराना ताकि नाभिकीय ऊर्जा विभाग की मुख्य शोध सुविधाओं का उपयोग किया जा सके। (ii) विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं तथा डीआई वैज्ञानिकों के बीच 'सेलीब्रेटिव रिसर्च' कार्यक्रम आरंभ करना (iii) पदार्थ विज्ञान, नाभिकीय भौतिकी, संपीड़ित पदार्थ भौतिकी तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों में मूलभूत शोध हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

इस संघ के पास विश्वविद्यालय प्रणाली में अनुसंधानकर्ताओं हेतु उपलब्ध डीएई की तीन प्रमुख “बिग साइंस” सुविधाओं को प्रदान करने का अधिदेश था। ये तीन सुविधाएं हैं— बार्क में ध्रुव रियेक्टर, कोलकाता में वेरियेबल एनर्जी सॉइक्लोट्रॉन, और इंदौर में सिंक्रोट्रॉन रेडियेशन सोर्स। तदनुसार, इस संघ ने इंदौर, कोलकाता और मुंबई में तीन कन्द्रों की स्थापना की जिसका मुख्यालय इंदौर में है। यह संघ रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अभियांत्रिकी विज्ञान जैसे अन्य विषयों को भी शामिल करने के लिए अपने कार्यकलापों में विस्तार करता है। बारहवीं योजना प्रस्ताव में इस नए अधिदेश का संज्ञान लेना है। हाल के समय में कलपक्कम में एक नोड की स्थापना की गयी है जो पदार्थ विज्ञान और आईजीसीएआर सुविधाओं के संगत आवश्यकताओं को पूरा करता है।

इस संघ ने इंदौर, कोलकाता और मुंबई के अपने तीन कन्द्रों में अत्याधुनिक और उन्नत अनुसंधान सुविधाओं को स्थापित किया है। ये सुविधाएं खर्चीली हैं और इन्हें बनाए रखने में कठिन है तथा ये अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं। इन वर्षों में इस संघ ने अपने दायरे को बढ़ाया भी है और विश्वविद्यालय अनुसंधानकर्ताओं को आईजीसीएआर कलपक्कम एवं आईओपी भुवनेश्वर में डीएई की निम्न ऊर्जा आयन एक्सीलेटर सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की गयी। वीईसीसी में एक निम्न ऊर्जा भारी आयन ईसीआर आधारित एक्सीलेटर को भी उपलब्ध कराया गया है। सामान्य रूप से सीएएसआर और विशेष रूप से इंदौर केंद्र को निम्न तापमान और उच्च चुम्बकीय क्षेत्र सुविधाओं, जो इन विश्वविद्यालयों में उपलब्ध हैं, हेतु देश में एक अद्वितीय स्थान के रूप में बनाया है।

5.12(iii) इफार्मेशन एण्ड लाइब्रेरी नेटवर्क (इफिलबनेट) सेंटर, गांधी नगर:

सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क (इफिलबनेट), की स्थापना मई, 1996 में वि०अ०आ० के एक स्वायत्त अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में हुई जो कि गुजरात के इन्फोसिटी में स्थित है। इस केंद्र के मुख्य क्रियाकलापों में अकादमिक ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों का आधुनिकीकरण, करना शामिल है जिससे जानकारी के अंतरण तथा पहुंच, छात्रवृत्तियों, ज्ञान अर्जन, तथा शैक्षिक क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जा सके। यह केंद्र, देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान और विकास संस्थानों में स्थित विभिन्न पुस्तकालयों एवं सूचना केंद्रों के साथ, नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

समकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी के एक आधारभूत कारक होने के कारण, केंद्र ने अपने भारत में शैक्षिक समुदाय के लाभ हेतु अनेक पहल की हैं। (i) इंडकैट, भारत में बड़े विश्वविद्यालय के ग्रंथालयों में उपलब्ध पुस्तकों, शोधप्रबंध तथा जर्नलों का एक ऑनलाइन कैटलॉग है; (ii) सोल 2.0 अत्याधुनिक समेकित ग्रंथालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है; (iii) ई-शोध सिंधु, विभिन्न विधाओं में पात्र विश्वविद्यालयों, केंद्र द्वारा वित्तपोषित संस्थानों तथा महाविद्यालयों को चयनित स्कॉलरली इलेक्ट्रॉनिक जर्नलों तथा डाटाबेस तक पहुंच प्रदान करवाता है; (iv) शोध गंगा, जो ओपल एक्सेस डिजिटल रिपोजिटरी में शोधकर्ता विद्वानों द्वारा डाक्टोरल शोध प्रबंध तथा शोध-निबंध को ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु सक्षम बनाता है; (v) शोध गंगोत्री, जो शोधकर्ता विद्वानों को विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत किये गये शोध प्रस्ताव का अनुमोदित सारांश प्रस्तुत करने हेतु सक्षम बनाता है; (vi) मुक्त जर्नल पहुंच प्रणाली (ओजेएस) जो भारतीय विश्वविद्यालय में संकायों तथा शोधकर्ताओं को ओजेएस प्लेटफॉर्म पर अपने मुक्त पहुंच के जर्नलों को डालने की सुविधा प्रदान करता है; (vii) इन्फोपोर्ट: भारतीय इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों हेतु इन्फलीवनेट का विषय गेटवे है; (viii) ई-पीजी पाठशाला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एनएमई-आईसीटी को सौंपी गई परियोजना है, जिसमें स्नातकोत्तर स्तर पर 77 विषयों में ई-विषयवस्तु विकसित की जा रही है; (ix) विद्वान, जो कि देश के महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य अनुसंधान और विकास संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक तथा संकाय सदस्यों का एक उत्कृष्ट डॉटाबेस है, जो देश में शिक्षण तथा शोध कार्य में लगे हुए है; (x) विद्यामित्र – एक समेकित ई-विषयवस्तु पोर्टल है: एक वेब आधारित पोर्टल है जिसमें एनएमई-आईसीटी, मा०सं०वि०मं० द्वारा वित्तपोषण से सभी ई-विषयवस्तु तैयार की जाती है; (xi) आईसीएसएसआर डाटा सेवा: रिपोजिटरी को स्थापित करने तथा डाटा रिपोजिटरी में एनएसएस तथा एसआई के डाटा को होस्ट करने के लिए सामाजिक विज्ञान डाटा रिपोजिटरी है; (xii) नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ), जोकि देशभर में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों की रैंकिंग करने हेतु मा०सं०वि०मं० द्वारा सौंपी गई एक परियोजना है; और (xiii) स्वयं प्रभा: एनएमई-आईसीटी के तहत मा०सं०वि०मं० की एक परियोजना है, जिसे 32 डीटीएच चैनलों के एक समूह के रूप में परिकल्पित किया गया था जोकि पूर्ण रूप से उच्च गुणवत्तायुक्त शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए प्रतिबद्ध है।

5.12(iv) इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीए), पुणे:

इसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1988 में उत्कृष्टता के एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी ताकि विश्वविद्यालय क्षेत्र में खगोल तथा खगोल भौतिकी में शिक्षण, शोध तथा विकास क्रियाकलापों को पोषित तथा उनका विकास करने में मदद की जा सके।

केन्द्र के मुख्य उद्देश्य तथा लक्ष्य हैं (1) आधारभूत शोध (2) उन्नत, शोध कार्यशाला तथा विद्यालय (3) आगन्तुक तथा संबद्ध कार्यक्रम (4) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा पीएचडी कार्यक्रम (5) विश्वविद्यालय में ए एण्ड ए हेतु केन्द्र के रूप में मदद करना (6) जीएमआरटी के साथ वार्ता (7) आगन्तुक प्रेक्षक कार्यक्रम (8) विज्ञान को लोकप्रिय बनाना।

अग्रणी बहुराष्ट्रीय खगोल भौतिकी बृहद परियोजना यथा भारत और अमेरिका में स्थित लेजर इंटरफरमेट्रिक गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला (एलआईजीओ), हवाई में थर्टी मीटर टेलिस्कोप (टीएमटी), दक्षिण अफ्रीका में सौंथ अफ्रीका लार्ज टेलिस्कोप (एसएलटी), चिली में लार्ज सिनाप्टिक सर्वे टेलिस्कोप (एलएसएसटी), आस्ट्रेलिया में स्कवायर किलोमीटर एरे और अंतरिक्ष में इसरो के एस्ट्रोसेट तथा भारत के भीतर छोटी प्रशिक्षण सुविधाओं में अग्रणी रूप में नेतृत्व प्रदान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनमें सभी पात्र वि.अ.आ. द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्य और छात्रगण इसमें भागीदारी करें, इसमें समग्र क्षेत्र में व्यापक आधारिक जनशक्ति विकास कार्य सम्मिलित है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश भर से कम से कम 50 विश्वविद्यालय अगले तीन वर्षों के भीतर अपने स्नातकोत्तर अथवा स्नातक पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में भौतिकी, गणित और/ अथवा अभियांत्रिकी के छात्रों को खगोल अथवा एस्ट्रोफिजिक्स पाठ्यक्रम के शिक्षण की व्यवस्था करें और यह सुविधा विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार उन्हें पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री को तैयार कर और प्रयोगशाला कार्यों को तैयार कर प्रदान किया जाए। प्रत्येक स्तर पर संपर्क को आईआईटी और आईआईएसईआर में इस क्षेत्र में बढ़ती गतिविधि के साथ स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

इन सुविधाओं की राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पटल पर खगोल शास्त्र और एस्ट्रोफिजिक्स में प्रयोगात्मक कार्यकलापों का विस्तार करना, भारत की बढ़ती ऑब्जर्वेशन संबंधी सुविधाओं में भागीदारी के लिए उपकरण बनाने में उपयोग हेतु योजना बनाना और उपयोग करना। विशेष रूप में विभिन्न परियोजनाओं के लिए अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों के साथ निकट सहकार्य की आवश्यकता है।

नवीकृत क्षेत्रीय केन्द्रों की पुनर्स्थापना करना और उनका समेकन करना जिनका लक्ष्य खगोल शास्त्र और एस्ट्रोफिजिक्स में क्षेत्रीय कार्यकलापों को सहायता पहुंचाना और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं और बैठकों को आयोजित करना तथा देशभर में विद्यालयों और लोगों हेतु पहुंच क्रियाकलाप हो।

आईयूसीए सदस्यों ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एस्ट्रोसेट (अंतरिक्ष स्थित वेधशाला) के निर्माण और प्रक्षेपण पश्चात कार्यकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मई, 2016 से एस्ट्रोसेट विज्ञान सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है जिसमें इसरो ने सहायता की और इसका लक्ष्य परियोजना प्रस्तावों को सौंपने तथा इस अद्वितीय सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करना और सहायता प्रदान करना है। आईयूसीए भी अमेरिका, कनाडा, जापान और चीन के सहयोग से अगले दशक में हवाई में विश्व में सबसे बड़ा टेलिस्कोप बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) एवं परमाणु ऊर्जा विभाग (डीईई) द्वारा वित्तपोषित थर्टी मीटर टेलिस्कोप (टीएमटी) परियोजना में एक शीर्ष संस्थान है। विश्वविद्यालयों के सदस्य आईयूसीए के सहयोग से इन परियोजनाओं में भाग ले रहे हैं।

आईयूसीए लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी (एलआईजीओ)— भारत परियोजना के वैज्ञानिक और तकनीकी निरीक्षण की एक शीर्ष संस्था है जिसका वित्तपोषण अमेरिका में एनएसएफ, एमआइटी और केलटेक के साथ साथ परमाणु ऊर्जा विभाग (डीईई) तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा किया जाता है। आईयूसीए को एकबार एलआईजीओ—भारत के निर्माण के बाद वैज्ञानिक परिचालन की एक शीर्ष प्रभारी संस्थान के रूप में भी मान्यता प्रदान की गयी है। सारथी, 2500 सीपीयू कोर की एक उच्च कार्यनिष्पादन वाली संगणक सुविधा, को आईयूसीए में बनाया गया और अभियान में विश्व भर के एलआईजीओ क्रियाकलापों हेतु टीयर-2 संगणक सुविधा के रूप में शामिल किया गया ताकि भारतीय विश्वविद्यालयों में संकाय सदस्य एवं छात्र इस उत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय सुविधा का उपयोग कर सकें।

5.12(v) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी):

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ने वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 12(गगग) के अंतर्गत दिनांक 16 सितम्बर, 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) की स्थापना की जिसका मुख्यालय बंगलूरु में है।

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं: एनएएसी का मुख्य कार्य उच्चतर शिक्षा के संस्थानों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों या एक अथवा एक से अधिक इकाइयों अर्थात् विभागों, विद्यालयों, संस्थानों, कार्यक्रमों इत्यादि का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करना है।

मूल्यांकन और प्रत्यायन मुख्य उद्देश्य निम्नवत है :

- क) उच्चतर शिक्षा संस्थानों एवं उनके कार्यक्रमों का ग्रेडीकरण करना;
- ख) इन सभी संस्थानों में अकादमिक परिवेश तथा अध्यापन व शोध की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाना;
- ग) संस्थानों द्वारा उनके अकादमिक लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होना;
- घ) उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयोजनार्थ उनमें आवश्यक रूप वाले परिवर्तनों को बढ़ावा देना, नवोन्मेषी एवं सुधारात्मक सभी प्रकार के पहलुओं को लागू करना;
- ङ) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में नवोन्मेष, आत्ममूल्यांकन तथा जवाबदेही को प्रोत्साहित करना।

अपने अधिदेश की पूर्ति के लिए एनएएसी निम्नवत क्रियाकलाप करेगा:

- मूल्यांकन की तकनीकों और क्रियाविधियों के आलोक में प्राप्त अनुभवों की आवधिक समीक्षा करना आवश्यक, होने पर इसमें संशोधन और अद्यतन करना;
- संबंधित संस्थान के लिए मूल्यांकन और ग्रेडिंग के परिणामों में सुधारात्मक कार्यवाही करने, शुद्धि करने और स्वयं सुधार करने हेतु सुसंगत तरीके से उसे संसूचित करना;
- संस्थानों को अपनी प्रक्रियाएं, तकनीकें और स्व-मूल्यांकन हेतु क्रियाविधियों को विकसित करने के लिए सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना;
- शैक्षिक संस्थानों, कार्यक्रमों इत्यादि की आयोजना और मूल्यांकन में अनुसंधान अध्ययनों को प्रवृत्त करना;
- उच्चतर शिक्षा के संस्थानों के पहचान किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना और संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना;
- एनएएसी समान स्वरूप का कार्य कर रहे भारतीय और विदेशी संस्थानों के साथ संयोजन कर सकती है और अनुरोध प्राप्त होने पर विदेशों में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन कर सकती है।

एनएएसी अपनी महा-परिषद् (जी.सी.) के माध्यम से तथा कार्यकारी समिति (ई.सी.) की सहायता से कार्यान्वयन करती है, जहाँ पर शैक्षिक प्रशासक, नीति निर्धारक तथा उच्चतर शिक्षा की प्रणाली से जुड़े पृथक वर्गों वाले वरिष्ठ शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ही एनएएसी की महा-परिषद् के अध्यक्ष हैं तथा कार्यकारी समिति का प्रमुख एक सुविख्यात शिक्षाविद होता है जिसे कि महा-परिषद् के प्रमुख द्वारा नामित किया जाता है। एनएएसी का निर्देशक ही शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा वह इन दोनों निकायों का सदस्य सचिव होता है, एनएएसी के विभिन्न क्रियाकलापों को निष्पादित करने के लिए एनएएसी के मूल कर्मचारिवृंदों को परामर्शदाता परामर्श प्रदान करते हैं

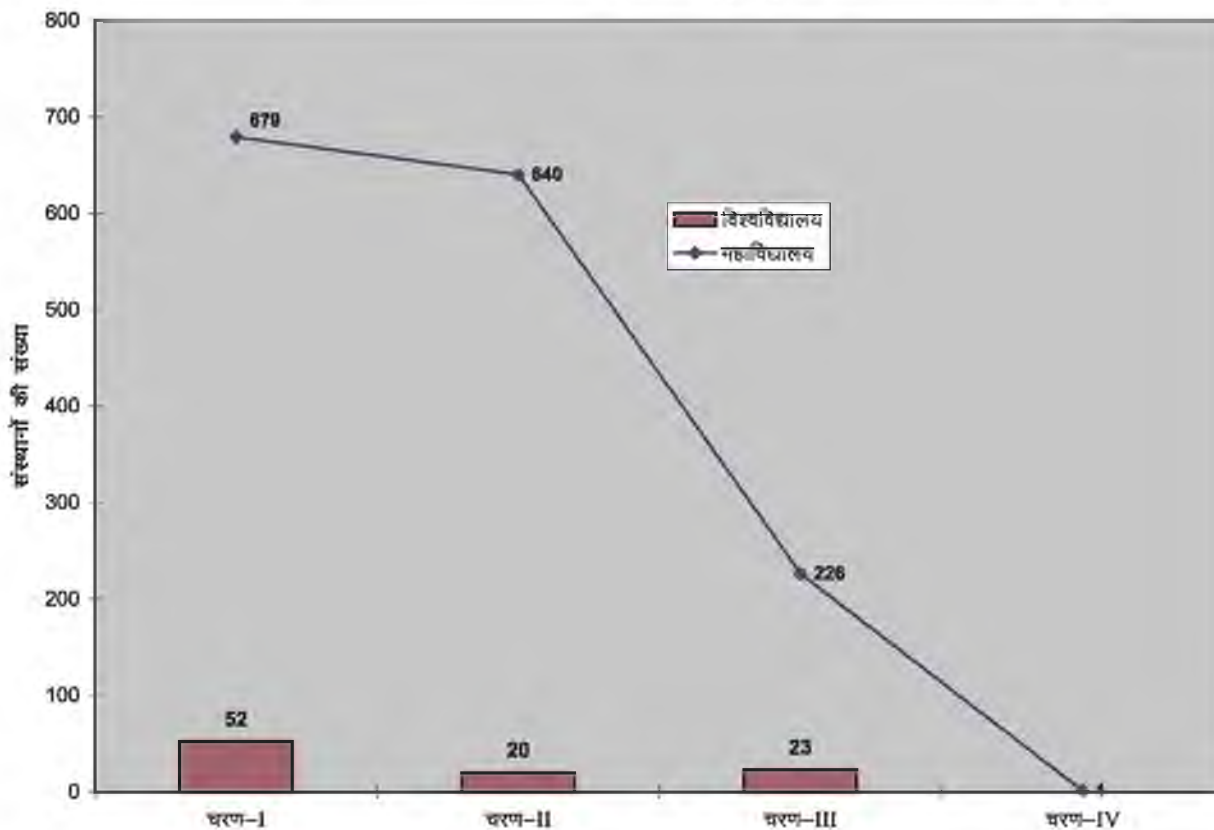
मूल्यांकन और प्रत्यायन, के प्रयोजनार्थ एनएएसी का लक्ष्य समूह भारत में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय हैं।

अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान प्रत्यायित संस्थानों की संख्या

प्रथम चरण/द्वितीय चरण /तृतीय चरण	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	कुल
चरण –I	52	679	731
चरण –II	20	640	660
चरण –III	23	226	249
चरण –IV	--	01	01
कुल	95	1546	1641

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 1641 उच्चतर शिक्षा संस्थानों (1546 महाविद्यालयों तथा 95 विश्वविद्यालयों) का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन किया गया। इस प्रकार, एनएएसी द्वारा कुल 10895 प्रत्यायन किए गए तथा उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की कुल संख्या 7220 थी।

रेखाचित्र 5.1(v): 01 अप्रैल, 2016 से 03 मार्च, 2017 के दौरान एनएएसी द्वारा प्रत्यायित संस्थानों की संख्या



एनएएसी ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों) के लिए ऑनलाइन आशय पत्र (एलओआई) एप्लीकेशन तथा महाविद्यालयों के लिए ऑनलाइन गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन योग्यता मानदण्ड (आईईक्यूए) जारी रखे हैं। एनएएसी की वेबसाइट www.naac.gov.in पर निरंतर विषयवस्तु डाली जा रहा है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से शैक्षणिक वर्षों के लिए वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (एक्यूआरआई) भेजी जा रही है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के अंतर्गत एनएएसी की नई पहल “नेशनल क्वालिटी रेनेसां इनिशिएटिव (एनक्यूआरआई)” हैं। एनएएसी द्वारा विश्वविद्यालय-वार तथा राज्य-वार महाविद्यालय प्रसार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए कार्यक्रमलाप इस प्रकार है:

(i) गुणवत्ता आश्वासन का प्रसार और उन्नयन—उच्चतर शिक्षा संस्थानों को दिशा देना

एनएएसी ने सभी राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से एनएएसी के लिए गुणवत्ता आश्वासन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है। दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक लगभग 18 विश्वविद्यालय एनएएसी के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। एक विश्वविद्यालय ने संस्वीकृत राशि लेकर कार्यशालाएं आयोजित की और इन कार्यशालाओं से मेजबान विश्वविद्यालय के संकाय तथा संबद्ध महाविद्यालयों के 200 प्रधानाचार्य तथा वरिष्ठ अधिकारी लाभान्वित हुए।

(ii) गुणवत्ता को बनाये रखना तथा उसमें वृद्धि करने संबंधी पहल:

संगोष्ठी/कार्यशाला/परिसंवाद/सम्मेलन आयोजित करने के लिये वित्तीय सहायता संस्वीकृत करने हेतु समिति की बैठक (दिनांक 06 जून, 2016 तथा 01 दिसम्बर, 2016) को आयोजित की गई तथा एनएएसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के

इच्छुक प्रत्यायित उच्च शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) से प्राप्त प्रस्तावों की छानबीन की। समिति की सिफारिशों के आधार पर प्राप्त 185 प्रस्तावों में से एनएएसी ने 100 उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता संस्वीकृत कर दी है।

(iii) आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय/ संकल्प

(क) बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थानों के संबंध में प्रत्यायन अवधि को 5 वर्ष से बढ़ा कर 7 वर्ष करना।

ऐसे संस्थान, जिन्होंने दो चरणों के साथ-साथ तीसरे चरण में भी उच्चतम ग्रेड हासिल किया है, को तीसरे चरण के लिए एनएएसी प्रत्यायन की वैधता को पांच वर्ष से सात वर्ष तक बढ़ा दिया गया बशर्ते कि संस्थान तृतीय चरण में भी उच्चतम ग्रेड प्राप्त करता है। यदि संस्थान, बाद के चरणों में भी लगातार उच्चतम ग्रेड प्राप्त करते हैं तो भी यही प्रावधान लागू होगा।

(ख) एनएएसी द्वारा मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए मुख्य कैम्पस से सम विश्वविद्यालयों के गैर संस्वीकृत कैम्पस को डिलिक करना

एनएएसी-ईसी ने दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को हुई अपनी 75वीं बैठक में संकल्प किया कि “एनएएसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय/ वि.अ.आ. द्वारा अनुमोदित संस्थानों/ सम विश्वविद्यालयों तथा उनके ऑफ-कैम्पस का मूल्यांकन और प्रत्यायन करने पर विचार करेगा। एनएएसी गैर अनुमोदित ऑफ कैम्पस पर मूल्यांकन तथा प्रत्यायन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं करेगा”।

5.12(vi) अध्यापक शिक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केन्द्र, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जिसे बीएचयू कहा जाता है; पूर्व में सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज के नाम से जाना जाता था, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित एक शासकीय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित बीएचयू एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है जिसमें 35000 छात्र हैं। इस विश्वविद्यालय में सभी जाति, पंथ, धर्म तथा लिंगों के छात्र हैं तथा यह राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों की सूची में है।

उद्देश्य

- संपूर्ण विश्व की सर्वसाधारण जनता और मुख्यतया हिन्दुओं के लाभार्थ हिन्दू शास्त्र तथा संस्कृत साहित्य की शिक्षा का प्रसार करना, जिससे प्राचीन भारत की संस्कृति और उसके उत्तम विचारों की रक्षा हो सके, तथा प्राचीन भारत की सम्यता में जो भी कुछ गहान तथा गौरवपूर्ण था, उसका निदर्शन हो।
- सामान्यतः कला तथा विज्ञान की समस्त शाखाओं में ज्ञान अर्जन और अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- भारतीय घरेलू उद्योगों की उन्नति और भारत की द्रव्य-संपदा के विकास में सहायक आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान से युक्त वैज्ञानिक तकनीकी तथा व्यावसायिक ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना।
- धर्म और नीति को शिक्षा का आवश्यक अंग मानकर नवयुवकों में बेहतर चरित्र का निर्माण करना।

5.12(vii) कन्सोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्प्यूनीकेशन/ मीडिया केन्द्र

संपूर्ण देश में ‘कन्ट्रीवाइड क्लासरूम’ (सीडब्ल्यूसीआर) हेतु देश के भीतर ही सतत आधार पर गुणवत्तायुक्त कार्यक्रम तैयार करने के लिये, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में मीडिया केन्द्र स्थापित किये हैं। आरंभ में 6 मीडिया केन्द्रों से भारतीय टेलीविजन नेटवर्क पर अपने ज्ञान को साझा करने के लिये विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षाविदों तथा प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया जाता था। अब इन मीडिया केन्द्रों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। कार्यक्रम को तैयार करने की सुविधा देश के विभिन्न भागों में अवस्थित शैक्षिक मीडिया शोध केन्द्रों (ईएमआरसी) के रूप में मौजूद हैं।

शैक्षिक संचार संघ जिसे सीईसी कहा जाता है जोकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) द्वारा स्थापित एक अंतर विश्वविद्यालयी केंद्र है। इसकी स्थापना ‘कन्ट्रीवाइड क्लासरूम’ (सीडब्ल्यूसीआर) के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों को आरंभ करने तथा उच्चतर शिक्षा में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (गगग) के तहत दिनांक 26 मई, 1993 को कन्सोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्प्यूनीकेशन (सीईसी) की स्थापना की। यह भारतीय उच्चतर शिक्षा की आवश्यकताओं

को पूरा करने के लक्ष्य को उमरती सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) के उचित उपयोग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक तथा नए मीडिया के प्रयोग के माध्यम से पूरा करता है। सीईसी प्रसारण और गैर प्रसारण तरीकों के माध्यम से उच्चतर शिक्षा के लिए मल्टीमीडिया विषयवस्तु तथा शैक्षिक वीडियो बनाकर तथा उनका प्रचार करके देश की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी है। कंसर्टियम सदस्य के रूप में इसके 21 शिक्षा और मल्टीमीडिया शोध केंद्र (ईएमआरसी) हैं जिन्हें मीडिया केंद्र के रूप में भी जाना जाता है।

अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में सीईसी का उत्तरदायित्व कार्यक्रम तैयार करना, शोध, प्रसारण की निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण तथा मीडिया केंद्रों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा दूरदर्शन के साथ अन्य संबद्ध मामलों में समन्वय करना है साथ ही साथ शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रसारण का समग्र प्रबंधन करना है।

उच्चतर शिक्षा के संदर्भ के कारण मिशन को नवीन शिक्षा तथा शैक्षणिक सामग्री और प्रक्रिया को देश के हर छात्र तक पहुंचाना है तथा ये पारम्परिक और सर्वव्यापी नए मीडिया के माध्यम से विषय वस्तु सृजन और विषय वस्तु प्रसार दोनों में यथा सम्भावित उच्चतम गुणवत्ता से बेहतर हैं।

सीईसी के उद्देश्य

इस संगठन के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में वि.अ.आ. द्वारा स्थापित मीडिया केंद्रों के कार्यकलापों का समन्वय, सुग्राही बनाने सम्पूर्ण मार्गदर्शन तथा निर्देशन।
- शैक्षिक कार्यक्रम (विशेषतौर पर दृश्य और श्रव्य) तथा संबंधित सहायक सामग्री तैयार करना और उचित सुविधाओं की प्रदान करना।
- प्रसारण तथा गैर-प्रसारण दोनों माध्यमों से शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रचार तथा कार्यक्रमों की प्रभाविकता के अनुकूलन से संबंधित अनुसंधान।
- शैक्षिक कार्यक्रमों के तैयार करने में शिक्षाविदों तथा विद्वानों की सक्रिय भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करना।
- नई तकनीकों/प्रौद्योगिकी का अध्ययन, उन्नयन तथा परीक्षण जो कि शैक्षिक संचार की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाती हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आईसीटी उपकरणों के प्रयोग द्वारा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने वाले अन्य कई कार्यकलाप।
- शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग पर प्रशिक्षण, कार्यशाला, संगोष्ठी एवं सम्मेलनों के आयोजन द्वारा डिजिटल ज्ञान अर्जन का परिवेश तैयार करना। सीईसी कार्यक्रम तैयार करने तथा श्रोतागणों से संबंधित विभिन्न प्रकार के मीडिया शोध भी करता है।
- इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सीईसी मीडिया केंद्रों के विकास हेतु समन्वय करता है, सॉफ्टवेयर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता है, कार्यक्रमों के प्रसारण का समन्वय करता है, तथा नवोन्मेष को बढ़ावा देता है, उसे प्रेरित और प्रोत्साहित करता है।

मीडिया केंद्रों की सूची निम्नवत है:

1. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर गुजरात विश्वविद्यालय गुरु नानक भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009	4. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी संकाय परिसर जोधपुर-342001
2. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर सेन्ट जेवियर कालेज, 50, सर्कस एवन्यू कोलकाता-700017	5. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, पालकालाई नगर, मदुरई-625021
3. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर द इंग्लिश एण्ड फारेन लैंग्वेज यूनीवर्सिटी हैदराबाद-500017	6. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखिन्ड पुणे-411007

7. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर द्वितीय तल, ओस्मानिया विश्वविद्यालय ग्रंथालय भवन, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500007	12. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला-147002
8. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ए0बी0 रोड, भंवर कुआ, इंदौर-452001	13. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर आईआईटी रुगकी, रुगकी-247667 (उ0 प्र0)
9. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय चिन्नेई-600025	14. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर-190006 (जम्मू और कश्मीर)
10. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर-570006	15. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर जनसंचार विभाग, कालीकट विश्वविद्यालय कालीकट-675635
11. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचोपुर इंफाल-7950003	16. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर डॉ0 हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर-470003 (मध्यप्रदेश)

वर्ष 2010-11 के दौरान देश के विभिन्न भागों में चार (4) नए मीडिया केन्द्रों को लघुसूचीबद्ध किया गया था, जिनकी सूची निम्नवत हैं :-

1. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय डिब्रूगढ़, असम-786004	3. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार, रायबरेली रोड लखनऊ-226005 (उत्तर प्रदेश)
2. मगध विश्वविद्यालय बोधगया, बिहार-824234	4. <i>ईएमएमआरसी, पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी-605014</i>

5.13 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र:-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र स्थापित किए हैं, जो निम्नवत हैं

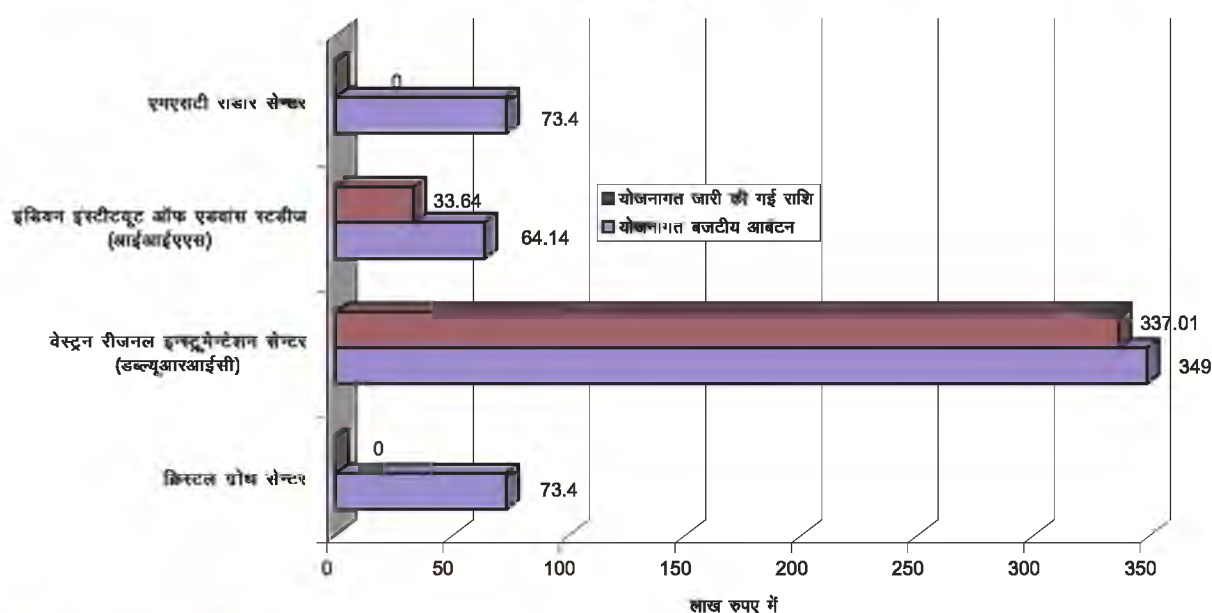
- क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई
- वेस्ट्रन रीजनल इन्स्ट्रुमेंटेशन सेन्टर (डब्ल्यूआरआईसी), मुंबई
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज (आईआईएस), शिमला
- एमएसटी राडार सेन्टर, एसवी विश्वविद्यालय, तिरुपति

तालिका 5.13: बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2016–17) के दौरान राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों का बजट, बजटीय आबंटन तथा जारी की गई राशि

(लाख रुपए में)

राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र	योजनागत बजट आबंटन	जारी की गई योजनागत राशि
क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर	73.40	0.00
वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रुमेंटेशन सेन्टर (डब्ल्यूआरआईसी)	349.00	337.01
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज (आईआईएस)	64.14	33.64
एमएसटी राडार सेन्टर	73.40	0.00

रेखाचित्र 5.13: दौरान बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत (वर्ष 2016–17 के दौरान) राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र हेतु बजटीय आबंटन तथा जारी की गई राशि



राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों की विशेषताएं

5.13(i) क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई

क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई की स्थापना वर्ष 1982 में निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई थी:—

1. प्रौद्योगिकीय एवं औद्योगिक महत्व के क्रिस्टल के विकास एवं कंसेंट्रेशन हेतु सुविधाओं को विकसित करना;
2. जरूरतमंद उद्योगों तथा शोध प्रयोगशालाओं के बीच की खाई को पाटना;
3. शोध हेतु विशेष क्रिस्टल की आवश्यकताओं के संबंध में देश के विभिन्न संस्थानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

5.13(ii) वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रुमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईसी), मुंबई

वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रुमेंटेशन सेंटर एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी स्थापना इंस्ट्रुमेंटेशन को बढ़ावा देने के लिए वि.अ.आ. के व्यापक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वर्ष 1977 में की गई। इसका पूर्ण वित्तपोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) द्वारा किया जाता है। डब्ल्यूआरआईसी एक पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य करती है जिसके शासी निकाय के पदेन सदस्य मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और वि०अ०आ० द्वारा अब इसे इंस्ट्रुमेंटेशन में राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

डब्ल्यूआरआईसी का प्रमुख उत्तरदायित्व देश के विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योगों के सहयोग से इंस्ट्रुमेंटेशन के क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलाप करना है।

वर्ष 2016-17 के दौरान टीएसडी में आरंभ की गई तथा पूर्ण की गई परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

● **डब्ल्यूआरआईसी में आंतरिक रूप से अभिकल्पित और विकसित यंत्र**

1. मोबाइल चार्जर को ऊर्जा स्रोत के रूप से प्रयोग करते हुए पीएच मीटर के लिए पोर्टेबल केलीब्रेटर।
2. थर्मल प्रोटेक्शन के साथ डीसी मोटर कंट्रोल के लिए कंट्रोल कार्ड को डिजाइन और विकास किया।
3. मोबाइल चार्जर को ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करते हुए अंशांकन तापमान नियंत्रक हेतु तापमान केलीब्रेटर स्रोत (थर्मोकपलस) को डिजाइन किया।

● **प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए डब्ल्यूआरआईसी में आंतरिक रूप से विकसित और डिजाइन किए गए यंत्र**

1. मोबाइल चार्जर को ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करते हुए एसी एनर्जी रेग्युलेटर हेतु माइक्रो कंट्रोलर आधारित टाइमर।
2. मिले वोल्ट सोर्स/थर्मोकपल तथा आरटीडी आधारित टेम्परेचर कंट्रोल सिमुलेटर।

● **डब्ल्यूआरआईसी में अपनी पाठ्यचर्या के एक भाग के रूप में छात्रों द्वारा अभिकल्पित और विकसित यंत्र**

1. आरजीबी एलईडी के स्पेक्ट्रल रिसर्प्स का अध्ययन करने के लिए करंट स्रोत (0-200 एमए)
2. पीआईडी के लिए डिजिटल टेम्परेचर केलीब्रेटर और पीआईसी माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग करते हुए डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर।
3. वायरलैस सेंसर नेटवर्क के उपयोग करते हुए कृषि में जल संरक्षण का एक अनूठा तरीका।
4. संस्थान के भीतर पीआईसी माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग करते हुए मल्टीपल पैरामीटर केलीब्रेटर (पीएच, कंडक्टिविटी, एमवी, थर्मोकपल आरटीडी, थर्मिस्टर) के प्रयोगशाला मॉडल का अभिकल्पन और विकास।

● **विकसित किए गए यंत्र**

1. ब्लू टूथ मॉड्यूल के उपयोग से आर्डयूनो आधारित होम ऑटोमेशन प्रणाली।
2. जीएसएम मॉड्यूल के प्रयोग वाली आर्डयूनो आधारित होम ऑटोमेशन प्रणाली।
3. आर्डयूनो आधारित सोलर ट्रेकर।
4. एटमेगा 32 के लिए टार्गेट बोर्ड।
5. सोलर ट्रेकर हेतु स्टेपर मोटर ड्रायवरेक्शन कंट्रोलर आधारित एवीआर।

● **माइक्रोकंट्रोलर विकास**

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए खरीदी गई किट:

1. एटमेगा 32 डेवलपमेंट बोर्ड।
2. आर्डयूनो।
3. एटमेगा 32 तथा आर्डयूनो के लिए सहायक उपकरण।

डब्ल्यूआरआईसी ने विभिन्न महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों विभागों तथा संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं संचालित की। इससे डब्ल्यूआरआईसी तथा विभिन्न अकादमिक संस्थानों और उद्योगों के बीच घनिष्ठ सहयोग का वातावरण बना जिससे सभी को लाभ हुआ।

इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला की मरम्मत संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान इलेक्ट्रिकल, एनॉलाइटिकल तथा ऑप्टिकल (माइक्रोस्कोप तथा अन्य) यंत्रों की मरम्मत की गई।

डब्ल्यूआरआईसी के पास विभिन्न प्रकार के अंशांकन मानक उपकरण हैं जिनका प्रयोग शैक्षिक संस्थानों, सरकारी संगठनों और उद्योगों से अलग-अलग उपकरणों का अंशांकन करने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट से संबंधित अवधि के लिए अंशांकन हेतु प्राप्त 258 उपकरणों में से 222 उपकरणों का अंशांकन किया गया, 11 की जांच की गई और 25 उपकरण प्रयोक्ताओं को वापस कर दिए गए क्योंकि उनकी मरम्मत संभव नहीं थी।

डब्ल्यूआरआईसी देश के विभिन्न महाविद्यालयों संस्थानों और विश्वविद्यालयों को प्रयोगशाला इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, एनॉलाइटिकल और ऑप्टिकल यंत्रों की देख-रेख और मरम्मत करने में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करता है। रिपोर्ट से संबंधित अवधि के दौरान मरम्मत के लिए प्राप्त 173 उपकरणों में से 143 की मरम्मत की गई।

डब्ल्यूआरआईसी के.जे. सौमझ्या महाविद्यालय में रखरखाव कैंप आयोजित करता है। इस कार्य का उद्देश्य सरती दरों पर उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव करना है।

कार्यशाला संबंधी क्रियाकलाप

मैकेनिकल कार्यशाला में डब्ल्यूआरआईसी ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, छात्र परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास प्रभाग, रखरखाव अनुभाग, अंशाकन अनुभाग तथा केन्द्र के अन्य कार्यकलापों के लिए आवश्यक विभिन्न मैकेनिकल उपकरणों को डिजाइन और निर्माण किया।

कार्य का विवरण :

1. ब्लू टूथ मॉडल वाली होम ऑटोमेशन प्रणाली हेतु बॉक्स तैयार करना।
2. ग्रीन हाउस पैरामीटर के लिए बक्सा तैयार करना।
3. स्टेपर मोटर पर सॉलर पैनल की मैकेनिकल फिटिंग
4. जीएसएम वाली होम आटोमेशन प्रणाली के लिए बॉक्स बनाना
5. कोलरीमीटर स्टेण्ड (न.10) का निर्माण
6. सॉलर पैनल वाली सर्वोमोटर के लिए एल्यूमिनियम स्टेण्ड की मैकेनिकल फिटिंग और निर्माण।
7. जीनॉन लैम्प के लिए स्टेण्ड वाले पोर्टेबल चैम्बर का विकास किया।
8. सिरिज प्लंजर में बेंड को हटाया गया।

पुस्तकालय और सूचना सेवाएं

पुस्तकालय में अब कुल 4538 पुस्तकें हैं। डब्ल्यूआरआईसी के स्टॉफ के अतिरिक्त, पुस्तकालय सेवाओं का प्रयोग छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किया गया। इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थापित की जा रही है और इसका उपयोग स्टॉफ के सदस्यों तथा अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है। इससे पूर्ण पाठ वाले ई-जर्नलों तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त होती है। सॉलर पैनल, सॉलर रोल, फोटो वोल्टिक्स, सॉलर सीम्यूलेटर, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों, यंत्रों, सर्किटों इत्यादि के बारे में आवश्यकता आधारित जानकारी प्राप्त होती है।

5.13(iii) : भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएस), शिमला

अंतर्विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएस), शिमला तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) तथा संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के साथ ही जनवरी, 1991 में हुई थी। अपने स्थापना के लगभग 48 वर्षों से भी अधिक समय में छात्रवृत्ति के क्षेत्र में उच्च शोध एवं विद्वतापूर्ण चिंतनमनन में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। इसमें 35 अध्येताओं का आवासीय समुदाय है जिनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के अनुसंधान में जुटा है परन्तु वहीं वे समुदाय के अकादमिक जीवन में सक्रियतापूर्वक भाग लेते हैं। अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र के एसोसियेटों को संपूर्ण देश भर के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से चुना जाता है और वे इस अकादमिक परिवेश से लाभान्वित होने के साथ-साथ वे यहां की अंतर्विधा संस्कृति से काफी कुछ सीखते हैं।

उद्देश्य

केन्द्र के अकादमिक कार्यक्रम के तीन मूलभूत घटक हैं (i) एसोशियेटशिप योजना (ii) देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान संगोष्ठियों का आयोजन करना; और (iii) शिमला स्थित संस्थान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर अध्ययन सप्ताह आयोजित करना।

एसोशिएटशिप

वर्ष 2016-17 के दौरान, समस्त भारत से आए इक्यासी (81) विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के शिक्षको ने संस्थान का आईयूसी एसोशियेट के रूप में एक माह के लिए दौरा किया। अब तक जो भी एसोशिएट संस्थान में आए उन्होंने दौरा करने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया में संस्थान के आईयूसी कार्यक्रम की मूरी-मूरी प्रशंसा की है। आईआईएस, एसोशियेट को पर्याप्त पुस्तकालय सुविधाओं के साथ एक शान्त एवं प्राकृतिक शैक्षिक परिवेश, सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक विद्वानों के साथ संपर्क करने का सुअवसर उपलब्ध कराता है तथा एसोशिएट अपने शिक्षण वृत्ति को जारी रखने के लिए बौद्धिक रूप से स्फूर्त होकर संस्थान से प्रस्थान करते हैं। एसोशिएट इस अवधि का उपयोग (क) अध्ययन को पूरा करने में करते हैं जिससे वे पिछले कुछ समय से जुड़े रहे हों; (ख) वाचस्पति शोध की समीक्षा करने में व्यतीत करते हैं; (ग) संस्थान के ग्रंथागार में वाचन क्षमता को प्राप्त करने; (घ) एक पत्र लिखने

के लिए उपयोग करते हैं जिसे वे अपने सहयोगियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें; (ड) संस्थान के अध्यक्षों तथा यदा-कदा देश-विदेश से आने वाले विशिष्ट विद्वानों के साथ बातचीत करने में सार्थक ढंग से व्यतीत करते हैं। एसोशिएट, संस्थान के नियमित क्रियाकलाप के रूप में होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भी भाग लेते हैं।

प्रकाशन

संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आईयूस कार्यक्रम के तहत मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान (एसएचएंडएसएस) में अध्ययन को एक द्वि-वार्षिक जर्नल के माध्यम से प्रकाशित करता है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान (2016-17) संस्थान ने एसएचएंडएसएस जर्नल के निम्नवत अंक का प्रकाशन किया है:

1. मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में अध्ययन खंड XIX, संख्या 1 और 2, समर एंड विंटर 2012
2. मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में अध्ययन खंड XXII, संख्या 2, विंटर 2015

प्राधिकारीगण

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के निदेशक, केन्द्र के भी निदेशक हैं। इस केन्द्र की एक अकादमिक समिति है जिसके अध्यक्ष भी निदेशक महोदय हैं जो उन्हें समस्त शैक्षिक मामलों पर परामर्श देती है। इस समिति में देश के विभिन्न भागों से आए हुए, विभिन्न विषयों के शिक्षाविद् शामिल होते हैं और इस समिति की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक आयोजित की जाती है। इस केन्द्र में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय एक समन्वय समिति होती है जिसके अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष है तथा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के निदेशक जिसके सह-अध्यक्ष होते हैं।

5.13(iv) एमएसटी राडार केन्द्र, तिरुपति

केन्द्र का उद्देश्य वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक राडार तथा अन्य यंत्र सुविधाओं के संभावित उपयोग के प्रति वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करना तथा एम.एस.टी.राडार सुविधा के उपयोग के प्रति मेधावी युवा शोधकर्ताओं को एमएसटी राडार, लीडर तथा एनएआरएल, गदांकी में भी मौजूद अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आकर्षित करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) ने एसवी विश्वविद्यालय, तिरुपति में वि०अ०आ०-एसयूवी केन्द्र की स्थापना की है जो देश की विश्वविद्यालयी प्रणाली में एक सामान्य प्लेटफार्म के रूप में कार्य कर सके ताकि वैज्ञानिक ज्ञान का आदान-प्रदान किया जा सके और यह केन्द्र वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे वैज्ञानिक तथा शोधकर्ताओं की पहुंच में हो।

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं

- वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे भारतीय विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए वि.अ.आ.—एस.वी.यू. केन्द्र खुला है।
- वि.अ.आ.—एस.वी.यू. केन्द्र ऐसे अनुसंधान करने के लिए आधारभूत कम्प्यूटेशनल तथा अन्य सहायता हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है।
- वि.अ.आ.—एस.वी.यू. केन्द्र वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में दोनों के आदान-प्रदान लिए एक मंच प्रदान करता है ताकि ऐसे सहयोग से भारतीय वायुमंडलीय वैज्ञानिक समुदाय लाभान्वित हो सके।
- वि.अ.आ.—एस.वी.यू. केन्द्र वायुमंडलीय भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कई चुनौतीपूर्ण कार्यों में स्नातकोत्तर छात्रों और शोधकर्मियों के प्रशिक्षण में मदद करता है।
- वि.अ.आ.—एस.वी.यू. केन्द्र वायुमंडलीय डायनेमिक्स के क्षेत्र में परिक्षणात्मक कार्यक्रम का समन्वय करने में सहायता करता है जिसमें इन सुविधाओं की स्थिति पर विशेष संदर्भ देते हुए एम.एस.टी. राडार और अन्य सह-अवस्थिति उपकरण सुविधाओं का प्रयोग किया जाता है।
- वि.अ.आ.—एस.वी.यू. एम.एस.टी. राडार और अन्य अवस्थिति सुविधाओं के प्राप्त प्रसंस्कृत वृहद आँकड़ों में से वायुमंडलीय विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में व्यापक नेशनल डेटा बैंक/अभिलेखों को सुनियोजित करता है।
- वि.अ.आ.—एस.वी.यू. केन्द्र भारतीय अक्षांश पर मध्य वायुमंडल हेतु मॉडल तैयार करने और अद्यतनीकरण में मदद करता है। ऐसे मॉडलों और आंकड़ों के प्रयोग से और आईएमडी तथा अन्य संबंधित राष्ट्रीय संगठनों को पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है।

5.14 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012–2017) के दौरान विश्वविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपकरणों का विकास

वि.अ.आ. ने वर्ष 2014 के दौरान विश्वविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपकरण के विकास की योजना आरंभ की जिसका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षमता निर्माण में वृद्धि करना है जिससे एक ऐसा व्यापक खेल आधार वाला पिरामिड तैयार हो सके जिससे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में देश को गौरव दिलाने के लिए भाग लेने हेतु पर्याप्त संख्या में खिलाड़ी मिल सकें। उपर्युक्त योजना के यथा उल्लिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजना निम्नलिखित की पेशकश करने के लिए तैयार किया गया है:

- क) विशिष्ट खेलों में छात्रों की भागीदारी को देखते हुए पर्याप्त खेल अवसंरचना के निरन्तर विकास हेतु चरणबद्ध सहायता;
- ख) अवसंरचना और उपकरण के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट खेल में छात्र के पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा।
- ग) जैसा कि चरण एक में उल्लेखित है, सभी पात्र विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, बशर्ते उनका प्रस्ताव एक विधिवत् रूप से गठित समिति द्वारा ठीक पाया जाए। तत्पश्चात् अनुदान को चरण 2 अथवा 3 तक उन्नयन, जैसा भी मामला हो, पहले ही प्रदान किए गए अनुदान/संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं के इष्टतम उपयोग के मद्देनजर किया जाएगा; और
- घ) इस योजना का संपूर्ण उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर उचित निगरानी करते हुए चरण-वार तरीके से अवसंरचना के विकास हेतु व्यवस्था करना है।

विश्वविद्यालयों से 101 खेल प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। विशेषज्ञ समिति ने 69 प्रस्तावों की सिफारिश की।

वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान 69 लाभार्थी विश्वविद्यालयों के लिए 54.22 करोड़ रुपए जारी किये गए।

अध्याय 6

➤ शोध को प्रोत्साहन

- शिक्षकों के लिए बृहद शोध परियोजनाएं
- शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक
- पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ
- एमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ
- शोध अध्येतावृत्तियाँ (एमफिल0/पीएचडी हेतु कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ तथा शोध एसोसिएटशिप)
- स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ
- स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियाँ
- खेल पदक विजेताओं को निःशुल्क शिक्षा
- विभिन्न शैक्षिक तथा शोध क्रियाकलापों हेतु शिक्षकों, विषय/विद्या आधारित संघों को प्रोत्साहन देना
- विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोध
 - फैकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम (एफआरपी)
 - नेटवर्किंग शोध केंद्र
 - नए मती हुए संकायों के लिए स्टार्टअप अनुदान
 - शिक्षकों को 'मिड करियर' अवार्ड
- महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विकास अनुदान

6.1 शिक्षकों के लिए वृहद शोध परियोजनाएं

सत्तर के दशक के उत्तरार्द्ध से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में कार्यरत स्थायी, नियमित, कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके चुने हुए क्षेत्र(ों) में शोध कार्य आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवा रहा है।

शिक्षकों के लिए वृहद शोध परियोजनाएं

शोध जिज्ञासु मन को जीवंत और ज्ञान को अद्यतन बनाए रखता है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे शिक्षक को तीन आधारभूत कर्तव्यों का पालन करना होता है—शिक्षण, शोध और विस्तार। इस प्रकार, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं से लैस विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शोधकर्त्ताओं के लिए प्रमुख प्रशिक्षण स्थल हैं। सत्तर के दशक के उत्तरार्द्ध से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय शोधकर्त्ताओं के लिए अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (घ) तथा 12 (ख) के तहत सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में स्थायी, नियमित, कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षकों के शोध प्रस्तावों को वित्तीय सहायता प्रदान करता आ रहा है। वृहद शोध परियोजना कार्यक्रम उन्हें उनकी नियमित नौकरी अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् विशिष्ट विषय क्षेत्रों में गहन और सूक्ष्मता से शोध अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। शोध परियोजना पर किसी एक शिक्षक अथवा शिक्षकों के समूह अथवा किसी विभाग द्वारा समग्र रूप से कार्य किया जा सकता है। इसे 70 वर्ष तक की आयु वाले किसी सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा भी किया जा सकता है बशर्ते कि आवेदन करते समय शिक्षक की आयु 67 वर्ष से अधिक न हो। अंतर्विधा शोध और अंतर्संस्थागत सहयोगात्मक शोध को प्राथमिकता दी जाती है।

परियोजनाओं का चयन :

शिक्षकों से ऑनलाइन प्रस्ताव प्राप्त होने पर, एक विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उनकी जांच और मूल्यांकन किया जाता है तथा संबंधित शिक्षक के साथ आमूख चर्चा के माध्यम से प्रस्तावों के गुणालगुण, विशिष्टता और व्यवहार्यता का पता लगाया जाता है। इसमें ऐसे

क्षेत्रों पर बल दिया जाता है जो स्वास्थ्य, जरा विज्ञान, पर्यावरण, जैव प्रौद्योगिकी, तनाव प्रबंधन, विश्व व्यापार संगठन और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव, विज्ञान का इतिहास, एशियाई दर्शन, रक्षा और रणनीतिक अध्ययन जैसे विषयों से आगे जाते हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों, बीमा और बैंकिंग तथा ऐसे बहुत से क्षेत्र जो विषय विशेषज्ञों द्वारा चुने जाएंगे, शामिल हैं।

सहायता की सीमा :

अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, भेषजी और कृषि सहित विज्ञान में वृहद शोध परियोजनाओं के लिए सहायता 20.00 लाख रुपए है।

मानविकी और सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, मानविकी, कला, विधि तथा संबद्ध विधाओं में वृहद शोध परियोजनाओं के लिए सहायता 15.00 लाख रुपए तक सीमित है।

किसी वृहद शोध परियोजना हेतु उपलब्ध कराई गई सहायता में उपकरण, पुस्तकों और पत्रिकाओं, रसायनों, आकस्मिक व्यय, यात्रा और फील्ड कार्य, तकनीकी सेवाएं किराए पर लेना, शोधार्थियों को अध्येतावृत्ति और परियोजना के लिए आवश्यक अन्य मदें शामिल हैं।

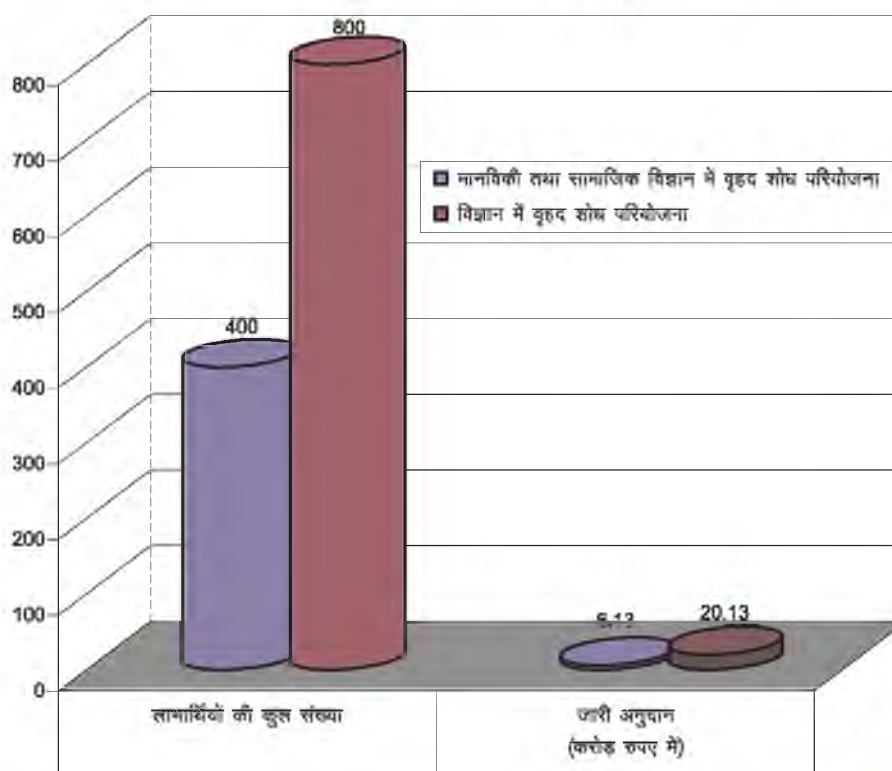
वर्ष 2016-17 के दौरान वृहद शोध परियोजनाओं हेतु जारी अनुदान का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	सामान्य अनुदान सहायता (31)			पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ-35			एनईआर सामान्य-31			एनईआर पूँजीगत-35			कुल
	सामान्य	अ0जा0	अ0ज0 जा0	सामान्य	अ0जा0	अ0ज0 जा0	सामान्य	अ0जा0	अ0ज0 जा0	सामान्य	अ0जा0	अ0ज0 जा0	
वृहद शोध परियोजना													
मानविकी	5.07	0.31	0.11	0.11	0.05	0.04	0.14	0.1	-	0.2	-	-	6.13
विज्ञान	18.41	0.63	0.03	0.34	0.06	-	0.63	-	0.03	-	-	-	20.13
कुल													26.26

वर्ष 2016-17 के दौरान मानविकी में 400 लाभार्थी (परियोजना/ शिक्षक) तथा विज्ञान में 800 लाभार्थी (परियोजना/ शिक्षक) कार्यरत थे।

रेखाचित्र 6.1 : वर्ष 2016-17 के दौरान वृहद शोध परियोजनाओं (एमआरपी) हेतु लाभार्थियों की संख्या तथा जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)



6.2 शोध अवार्ड / शोध वैज्ञानिक

6.2(i) शोध अवार्ड

शोध अवार्ड की योजना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों / संस्थानों में कार्यरत डॉक्टरल उपाधि धारक स्थायी शिक्षकों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में बिना कोई शोध मार्गदर्शन प्राप्त किये दो वर्ष की अवधि तक शोध कार्य हेतु अवसर प्रदान करना है जिसे अपवाद स्वरूप किन्हीं मामलों में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

ऐसे व्याख्याताओं, वरिष्ठ व्याख्याताओं, चयन ग्रेड के व्याख्याताओं तथा आचार्य जिनकी आवेदन प्रस्तुत करते समय आयु 45 से कम हो, केवल उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। महिला शिक्षक, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्मान वर्ग) शारीरिक रूप से निश्चकत शिक्षकों के मामले में आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। कोई भी शिक्षक केवल एक बार इस योजना का लाभ उठा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी में प्रत्येक दूसरे वर्ष 100 स्लॉट के लिए चयन किया जाता है।

उपलब्ध वित्तीय सहायता का स्वरूप निम्नवत है :

- अंशदायी भविष्य निधि / सामान्य भविष्य निधि के अलावा अवार्डधारी को ग्राह्य भत्तों के साथ पूर्ण वेतन प्रदान किया जायेगा।
- समग्र अवधि के दौरान पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, रसायनों एवं उपकरणों पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु शोध अनुदान की ब्यौरा निम्नवत है:

मानविकी एवं समाज विज्ञान	- 2.00 लाख रुपए
विज्ञान / अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	- 3.00 लाख रुपए

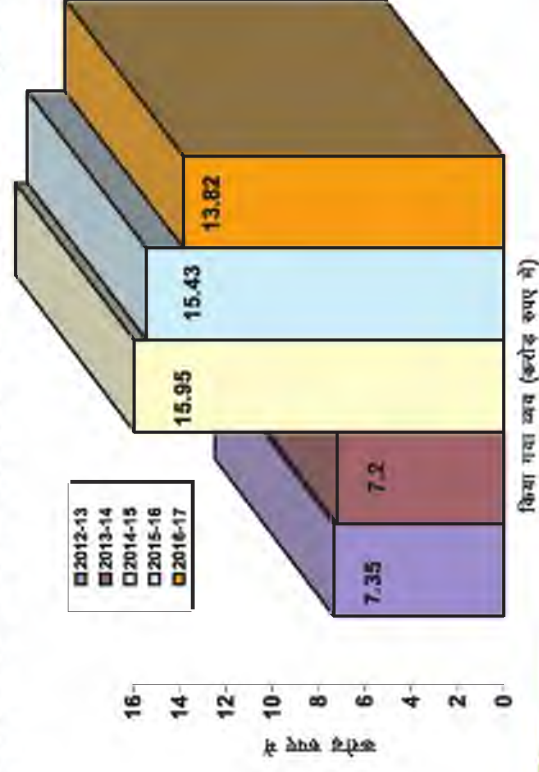
प्रत्येक दूसरे वर्ष ऑनलाइन पद्धति से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस योजना के तहत प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की छानबीन समिति द्वारा संवीक्षा की जाती है। तत्पश्चात, लघुसूचीबद्ध अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। अवार्ड हेतु चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।

रिपोर्टबीन वर्ष 2016-17 के दौरान 13.82 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

तालिका 6.2(i) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शोध अवाडों पर हुआ व्यय

वर्ष	लामार्थियों की संख्या	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
2012-13	95	7.35
2013-14	71	7.2
2014-15	160	15.95
2015-16	143	15.43
2016-17	207	13.82

रेखाचित्र 6.2(i) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शोध अवाडों पर हुआ वर्षवार व्यय (प्रत्येक दूसरे वर्ष 100 स्लॉट)



6.2(ii) शोध वैज्ञानिक

शोध वैज्ञानिक योजना को मूल रूप से वर्ष 1983 में आरंभ किया गया था ताकि इसका लक्ष्य विशिष्ट योग्यता वाले तथा विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान, अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी एवं मानविकी तथा समाज विज्ञान में तीन स्तरों पर पर उच्च गुणवत्तायुक्त शोध कार्य को बढ़ावा दिया जा सके।

1. शोध वैज्ञानिक 'क' (ब्याख्याता)
2. शोध वैज्ञानिक 'ख' (उपाचार्य)
3. शोध वैज्ञानिक 'ग' (आचार्य)

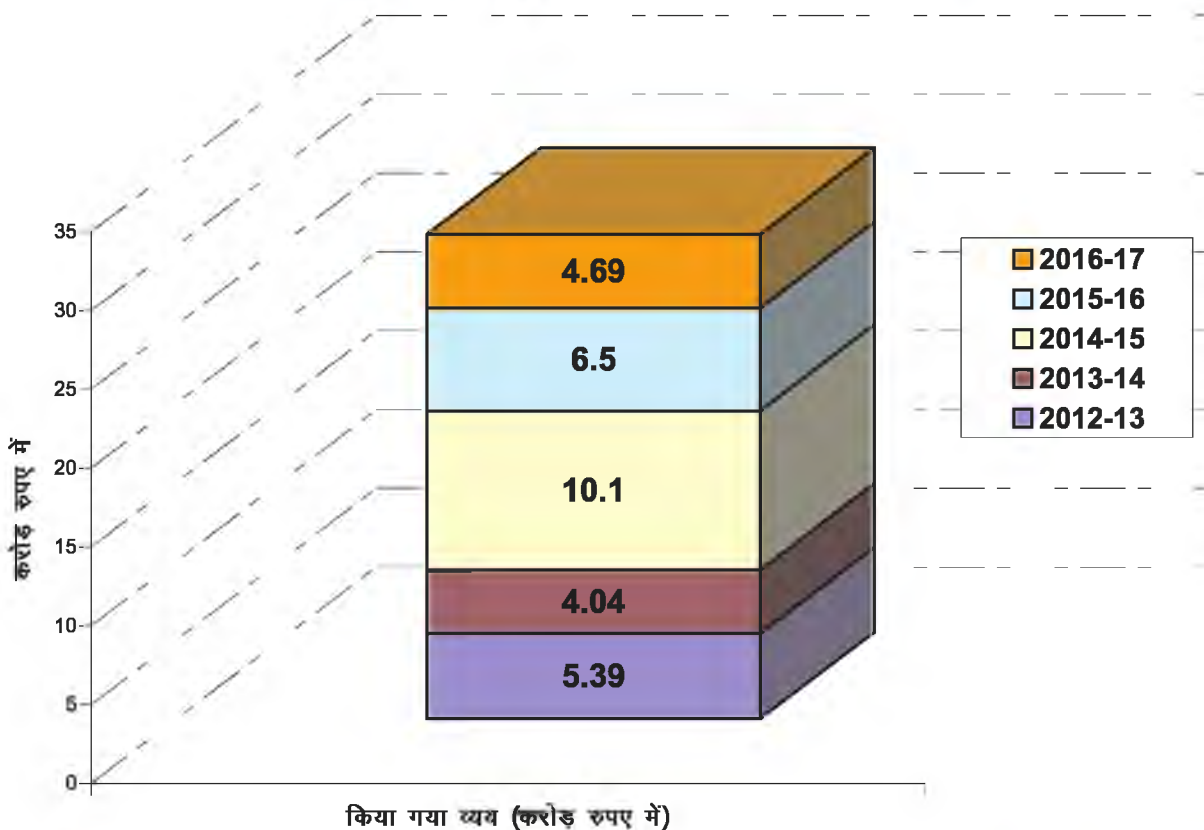
वर्तमान में, योजना के तहत विभिन्न संस्थानों में 57 शोध वैज्ञानिक कार्यरत हैं, जबकि इस योजना को बंद कर दिया गया है। आयोग ने अपनी 503वीं बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन के मामलों की भांति ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शोध वैज्ञानिकों को पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन के मामलों में सीधे ही वित्त प्रभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भुगतान किये जाने हेतु विचार किया तथा निर्णय लिया।

रिपोर्टधीन वर्ष 2016-17 के दौरान 4.69 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

तालिका (ii) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शोध वैज्ञानिकों पर हुआ व्यय

वर्ष	लामार्थियों की संख्या	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
2012-13	42	5.39
2013-14	25	4.04
2014-15	49	10.1
2015-16	31	6.50
2016-17	57	4.69

रेखाचित्र 6.2(ii) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शोध वैज्ञानिक योजना के लिए वर्षवार जारी किया गया अनुदान



6.3 पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ

6.3(i) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ

योजना का उद्देश्य डॉक्टरल (वाचस्पति) उपाधि धारक तथा शोध पत्र प्रकाशित करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में उच्च शोध करने के लिए सुविधा प्रदान करना है ताकि वे अपने चुने हुए क्षेत्रों में उच्च शोध कर सकें। इस प्रयोजनार्थ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष उनके लिए 100 स्लॉट उपलब्ध करवा रहा है।

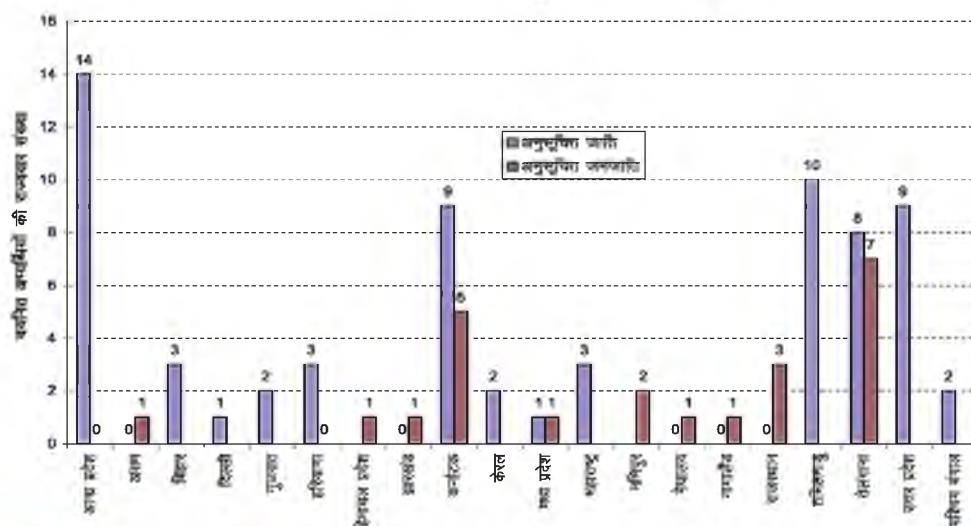
दिनांक 01.12.2014 से वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:

क्र.सं.	मद	अध्येतावृत्ति की संशोधित दर	
		अध्येतावृत्ति की दर	अध्येतावृत्ति की अवधि
1.	अध्येतावृत्ति	प्रथम दो वर्षों के लिए 38,800/- रु. प्रतिमाह की दर से तथा तीसरे वर्ष के पश्चात् 46,500/- रु. प्रतिमाह की दर से	5 वर्ष
2.	आकस्मिक राशि	पांच वर्षों के लिए 50,000/- रु. प्रतिवर्ष की दर से	
3.	विभागीय सहायता	—	
4.	सहायक/रीडर सहायता	शारीरिक रूप से निशक्त एवं दृष्टिबाधित प्रत्याशियों के लिए 2,000/- रु. प्रतिमाह (निर्धारित) की दर से	
5.	मकान किराया भत्ता	विश्वविद्यालय के नियमानुसार	

तालिका 6.3(i): वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति योजना के तहत वर्ष 2017-18 के लिए प्रदान की गई अध्येतावृत्तियों की राज्यवार/श्रेणी संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ0जा0	अ0ज0जा0	कुल	क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ0जा0	अ0ज0जा0	कुल
1	आन्ध्र प्रदेश	14		14	12	महाराष्ट्र	3		3
2	असम		1	1	13	मणिपुर		2	2
3	बिहार	3		3	14	मेघालय		1	1
4	दिल्ली	1		1	15	नागालैंड		1	1
5	गुजरात	2		2	16	राजस्थान		3	3
6	हरियाणा	3		3	17	तमिलनाडु	10		10
7	हिमाचल प्रदेश		1	1	18	तेलंगाना	8	7	15
8	झारखंड		1	1	19	उत्तर प्रदेश	9		9
9	कर्नाटक	9	5	14	20	पश्चिम बंगाल	2		2
10	केरल	2		2		कुल योग	67	23	90
11	मध्य प्रदेश	1	1	2					

रेखाचित्र 6.3(i) : वर्ष 2016-17 के दौरान पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों की राज्यवार संख्या



वर्ष 2016-17 के दौरान 502 अध्येता, पोस्ट डाक्टोरल फेलोशिप पर कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान उपर्युक्त योजना के अंतर्गत 3394.42 लाख रुपए का व्यय हुआ।

6.3(ii) महिलाओं के लिए पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां

इस योजना का उद्देश्य पी.एच.डी उपाधि धारक बेरोजगार महिलाएं, जिनका पूर्णकालीन आधार पर पोस्ट-डाक्टोरल शोध की ओर रुझान है, उन्हें शोध कार्य का अवसर प्रदान करना है। वर्तमान में इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 100 स्लॉट उपलब्ध हैं।

संगत विषय में डॉक्टोरेट (वाचस्पति) उपाधि धारक अभ्यर्थी तथा सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में स्नातकपूर्व स्तर पर 55 प्रतिशत अंक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 60 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित श्रेणी (अ0जा0/अ0ज0जा0/अपिव/शारीरिक रूप से निशक्त) अभ्यर्थियों के मामले में स्नातकपूर्व स्तर पर 50 प्रतिशत अंक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अध्येतावृत्ति के लिए पात्र हैं। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष तथा अ0जा0/अ0ज0जा0/अपिव/शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा 60 वर्ष है।

इस योजना की अवधि पांच वर्ष है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस योजना के तहत अध्येतावृत्ति को दिनांक 01.12.2014 से संशोधित किया गया है। वित्तीय सहायता का पैटर्न नीचे 6.3(i) के अनुरूप ही है।

इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा छानबीन समिति द्वारा की जाती है। तत्पश्चात्, लघुसूचीबद्ध अभ्यर्थियों को वि0अ0आ0 द्वारा गठित चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। अवार्ड हेतु चयन वि0अ0आ0 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।

रिपोर्टधीन वर्ष, 2016-17 के दौरान 32.57 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

तालिका 6.3(ii): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के महिलाओं के लिए पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां पर हुआ व्यय

वर्ष	लामार्थियों की संख्या	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
2012-13	138	5.86
2013-14	184	5.34
2014-15	460	21.2
2015-16	648	34.13
2016-17	550	32.57

6.3(iii) भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में डॉ0 एस0 राधाकृष्णन पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति

योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में उच्च अध्ययन तथा शोध करने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 200 स्लॉट उपलब्ध हैं।

संगत विषय में वाचस्पति उपाधि धारक अभ्यर्थी तथा सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में स्नातकपूर्व स्तर पर 55 प्रतिशत अंक प्राप्तकर्ता तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 60 प्रतिशत अंक हों तथा आरक्षित श्रेणी (अ0जा0/अ0ज0जा0/अपिव/शारीरिक रूप से निशक्त) अभ्यर्थी, जिनके स्नातकपूर्व स्तर पर 50 प्रतिशत अंक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत अंक है वे इस अध्येतावृत्ति के लिए पात्र हैं। यह अध्येतावृत्ति 35 वर्ष से कम आयु (अ0जा0/अ0ज0जा0/अपिव/शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों के मामले में पांच वर्षों की छूट है) के शोधकर्ताओं के लिए पूर्णकालिक शोध हेतु खुली है।

इस योजना के तहत अवार्ड की अवधि तीन वर्ष है जिसे बढ़ाया नहीं जायेगा। वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नानुसार है:

1.	अध्येतावृत्ति	प्रथम वर्ष के दौरान 38,800/- रु. प्रतिमाह की दर से, दूसरे वर्ष के दौरान 40,300/- रु. प्रतिमाह की दर से तथा तीसरे वर्ष के दौरान 41,900/- रु. प्रतिमाह की दर से	3 वर्ष
2.	आकस्मिक राशि	तीन वर्षों के लिए 50,000/- रु. प्रतिवर्ष की दर से	
3.	सहायक/रीडर सहायता	शारीरिक रूप से निशक्त एवं दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए 2,000/- रु. प्रतिमाह (निर्धारित) की दर से	
4.	मकान किराया भत्ता	भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार	

इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन पद्धति से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा छानबीन समिति द्वारा की जाती है। तत्पश्चात्, लघुसूचीबद्ध अभ्यर्थियों को वि०अ०आ० द्वारा गठित चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। अवार्ड हेतु चयन वि०अ०आ० द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।

तालिका 6.3(iii) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभार्थियों की संख्या तथा किया गया व्यय

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
2014-15	180	12.00
2015-16	351	13.57
2016-17	540	25.23

वर्ष 2016-17 के दौरान 25.23 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

6.3(iv): डॉ० डी० एस० कोठारी पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ

इस योजना के तहत मूलभूत विज्ञान/चिकित्सा/अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में पोस्ट डॉक्टरल शोध करने के लिए शोध अध्येताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। चयन प्रक्रिया वर्ष भर चलती रहती है। अध्येतावृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए एक विनिर्दिष्ट वेबसाइट ugcdskpdf.unipune.ac.in है। प्रत्येक आवेदन के प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने या तो पीएचडी उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा जिन्होंने अपने पीएचडी शोध प्रबंध जमा कर दिये हैं वे आवेदन करने के लिये पात्र हैं। आज तक, 2103 अभ्यर्थियों को अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है तथा 1173 पीडीएफ कार्यरत हैं। जनवरी, 2013 से अध्येतावृत्ति प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) योजना के माध्यम से संवितरित की जाती है (जहां अध्येतावृत्ति सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाती है)।

वित्तीय सहायता

	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	प्रतिमाह 43,400 रुपये	प्रतिमाह 45,000 रुपये	प्रतिमाह 46,500 रुपये
उच्चतर पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	प्रतिमाह 46,500 रुपये	प्रतिमाह 46,500 रुपये	प्रतिमाह 46,500 रुपये

वर्ष 2016-2017 के दौरान 38.97 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6.3(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत सेवानिवृत्ति की आयु के समीप, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रतिभावान शिक्षकों को मूलभूत विज्ञान में शोध कार्य जारी रखने का अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति” नामक एक योजना आरंभ की है। योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति की आयु के समीप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रतिभावान शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् तीन अतिरिक्त वर्षों तक सार्थक शोध कार्य जारी रखने तथा युवा शोधकर्ताओं एवं पीएचडी छात्रों के लिए निगरानीकर्ता की भूमिका निभाने हेतु सुविधा प्रदान करना है।

वित्तीय सहायता

- अध्येतावृत्ति के अंतर्गत 50,500/- रुपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति राशि तथा 5,00,000/- प्रतिवर्ष का शोध अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो पेंशन और/अथवा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के अतिरिक्त है।
- शोध अनुदान को उपस्कर, कम्प्यूटर/ लैपटॉप, प्रिंटर, रसायन, कांच का सामान तथा उपभोग्य वस्तुएं, आकस्मिताओं, परियोजना/ तकनीकी सहायक की सेवाएं प्राप्त करने, क्षेत्र कार्य, यात्रा (देश के भीतर) आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- अवार्ड प्राप्तकर्ता को विश्वविद्यालय के साथ अध्येतावृत्ति में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शपथपत्र देना होगा तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा तथा द्विवर्षीय प्रगति रिपोर्ट देनी होगी।
- 18 बीएसआर संकाय अध्येताओं को 0.69 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6.3(vi) एमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके द्वारा उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में शोध कार्य करने का अवसर अवसर प्रदान करना है।

लक्षित समूह में मान्यताप्राप्त संस्थानों के ऐसे उच्च अर्हता वाले अनुभवी शिक्षक हैं अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर चुके हों अथवा आगामी छह माह की भीतर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की संभावना है। संबंधित शिक्षक द्वारा उसके सेवाकाल के दौरान किए गए शोध अथवा प्रकाशित कार्य की गुणवत्ता ही इस अध्येतावृत्ति के लिए पात्रता मानदण्ड है। अवार्ड प्राप्तकर्ता एक सुपरिभाषित समयबद्ध कार्ययोजना के तहत 70 वर्ष की आयु तक अथवा दो वर्ष, (जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है) इसमें से जो भी अवधि पहले पूर्ण हो, तक कार्य कर सकता है। इस योजना के तहत 200 स्लॉट उपलब्ध हैं (100 स्लॉट विज्ञान विधा के लिए तथा 100 मानविकी विधा के लिए उपलब्ध हैं)। इस योजना के तहत अध्येतावृत्ति राशि को दिनांक 01.12.2014 से बढ़ा दिया गया है। अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत है:

मानदेय	: 31,000/—रुपए प्रतिमाह (आगे नहीं बढ़ाया जा सकता) की दर से दो वर्षों के लिये
आकस्मिक अनुदान (अव्यपगत)	: 50,000/—रुपए प्रतिवर्ष

आकस्मिक अनुदान का उपयोग, सचिवीय सहायता, देश के भीतर यात्रा तथा जो कि शोध परियोजना के संबंध में हो, लेखन सामग्री, डाक सामग्री, उपभोज्य, पुस्तक तथा पत्रिकाएँ एवं उपस्कर के लिए किया जा सकता है। अवार्ड प्राप्तकर्ता के अनुमोदित शोध कार्य के साथ जुड़े स्थानों पर वर्ष में एक बार विदेश यात्रा की अनुमति है, जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित उस संस्थान की अनुमति, जहाँ वह परियोजना कार्य किया जा रहा है, प्राप्त की जानी चाहिए। इसके संबंध में वि०अ०आ० का कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा। एमेरिटस अध्येताओं को आवास व्यवस्था के अलावा ऐसी समस्त सुविधाएँ, जिनमें चिकित्सा सुविधाएँ भी सम्मिलित हैं, उपलब्ध होंगी जो कि विश्वविद्यालय संकाय सदस्यों को उपलब्ध है।

एमेरिटस अध्येताओं के लिए आवेदन ऑनलाइन पद्धति से आमंत्रित किये जाते हैं तथा आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है। चयन हेतु अ०ज०आ०/अ०ज०आ०/अ०पि०व० (असम्पन्न वर्ग)/शारीरिक रूप से निशक्त तथा अल्पसंख्यक व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।

रिपोर्टाधीन वर्ष 2016-17 के दौरान अध्येताओं को भुगतान करने पर 11.69 करोड़ रुपये की राशि का व्यय हुआ।

तालिका 6.3(vi) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ हेतु लाभार्थियों की संख्या तथा किया गया व्यय

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
2012-13	120	3.14
2013-14	129	2.85
2014-15	189	4.92
2015-16	355	10.3
2016-17	200	11.69

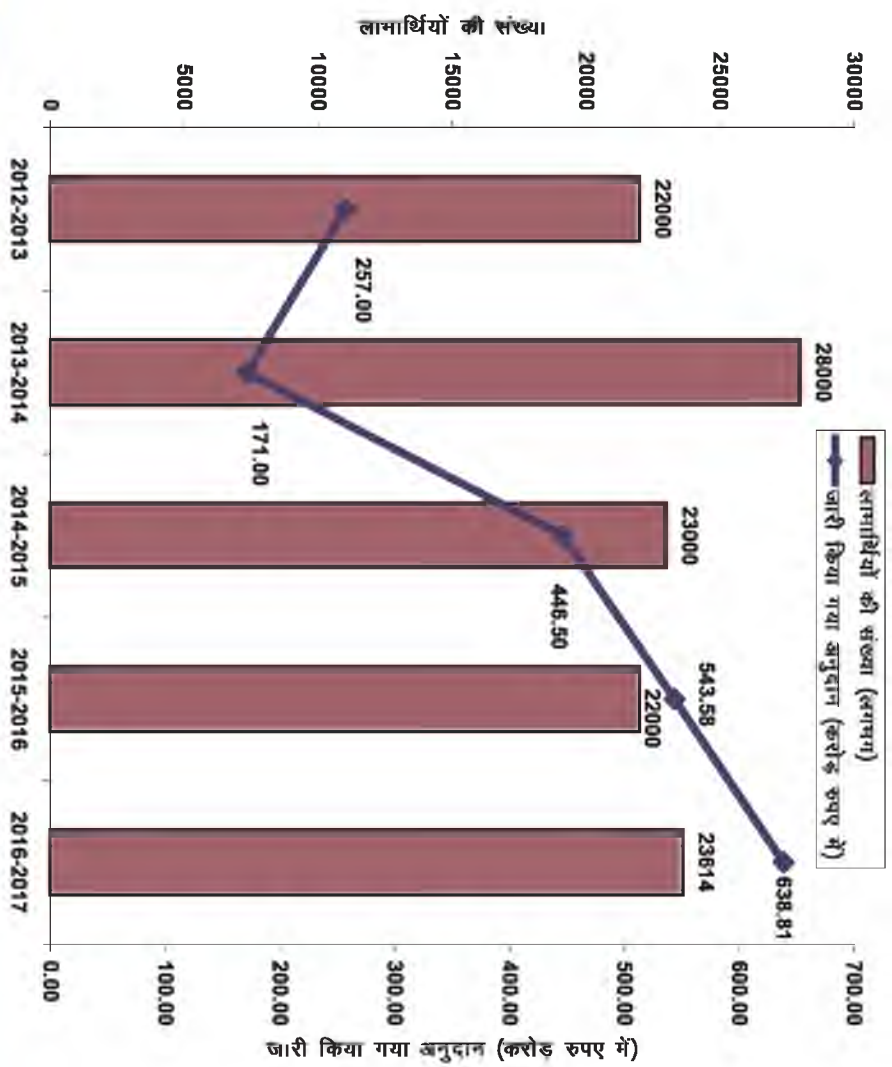
6.4 शोध अध्येतावृत्तियाँ (एम०फिल०/पी०एच०डी हेतु)

6.4(i) भारतीय नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ

विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान में कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ (जेआरएफ)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्वानों को उच्च शोध एवं अध्ययन करने के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि वे भाषाएँ एवं विज्ञान सहित विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान में एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधियाँ प्राप्त कर सकें। वि०अ०आ० एवं वि०अ०आ०-सी.एस.आई.आर. की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट/जेआरएफ) को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जे.आर.एफ. प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई अध्येतावृत्ति का उद्देश्य न केवल इन शोधकर्ताओं को वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करना है बल्कि उन्हें अत्यंत गंभीरता तथा स्वतंत्ररूप से अपना डॉक्टोरल शोध जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अध्येतावृत्ति की कुल अवधि 5 वर्ष है।

दिनांक 01.12.2014 से जेआरएफ/एसआरएफ अध्येतावृत्ति की दर को क्रमशः 16,000/— रुपये से बढ़ाकर 25,000/— रुपये तथा 18,000/— रुपये से बढ़ाकर 28,000/— रुपये कर दिया गया है। अन्य निबंधन और शर्तें, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। इस अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत है :-



अध्येतावृत्ति	प्रारंभ में दो वर्ष के लिए 25,000/-रु. प्रतिमाह की दर से	जे आर एक (2 वर्ष)
आकरिमक-क	शेष अवधि के लिए 28,000/-रु. प्रतिमाह की दर से प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/-रु. प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/-रु. प्रतिवर्ष की दर से	एस आर एक (3 वर्ष) मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकरिमक-ख	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/-रु. प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25,000/-रु. प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान
विभागीय सहायता	मेजबान संस्था को अवसरचना उपलब्ध कराने के लिए 3,000/- रु. प्रतिवर्ष प्रति छात्र की दर से	
सहायक/सीडर सहायता	शाश्वतिक रूप से निशक्त तथा दृष्टिहीन प्रत्याशियों के लिए 2,000/-रु. प्रतिमाह की दर से	
मकान किराया भत्ता	विराविद्यालय/भारत सरकार के नियमानुसार	

दिनांक 01.04.2012 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) से भुगतान किए गए अनुदान का ब्याज निम्नवत है:-

क्र.सं.	वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)	उपलब्ध रत्नाटों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1.	2012-2013	257.00	8,800	22,000
2.	2013-2014	171.00	8,800	28,000
3.	2014-2015	446.50	8,800	23,000
4.	2015-2016	543.58	8,800	21,588
5.	2016-2017	638.81	8,800	23,614

रेखाचित्र 6.4(i): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ
(लाभार्थी संख्या) हेतु वर्षवार जारी किया गया अनुदान

वर्ष 2016-17 के दौरान विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में जेआरएफ के तहत 638.81 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। जेआरएफ के तहत प्रतिवर्ष 8800 स्लॉट हैं। वर्तमान में, जेआरएफ के तहत 23614 (लगभग) विद्वान एम0फिल0/पी0एच0डी0 में अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिसम्बर, 2012 के बाद से सीधे जेआरएफ/एसआरएफ के खाते में ई-भुगतान करना आरंभ कर दिया है और 01 जुलाई, 2016 से पुरानी सभी जेआरएफ/एसआरएफ अध्येतावृत्तियों को सीधे खाते में अंतरण कर भुगतान किया जा रहा है।

6.4(ii) विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) तथा शोध एसोसिएटशिप (आर.ए.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विदेशी नागरिकों के चयन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा किये गये प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ने वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान विदेशी नागरिकों से प्राप्त आवेदनों में से वर्ष 2015-16 के लिए 58 कनिष्ठ शोध अध्येताओं का चयन किया गया। यह विदेशी नागरिक एशिया/अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के छात्र तथा शिक्षक है जो भारतीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों में एम.फिल./पी.एच.डी. करने के इच्छुक हैं। अध्येतावृत्ति चार वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी (जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है)। दिनांक 01.12.2014 से वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:-

विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति

दिनांक 01.12.2014 से बढ़ी हुई दर लागू हैं

अध्येतावृत्ति	18,600/-रु. प्रतिमाह की दर से 21,700/-रु. प्रतिमाह की दर से	प्रारंभिक दो वर्षों की अवधि के लिए शेष अवधि के लिए
आकस्मिक अनुदान	10,000/- रु. प्रतिवर्ष की दर से 12,000/- रु. प्रतिवर्ष की दर से 25,000/- रु. प्रतिवर्ष की दर से 20,500/- रु. प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए विज्ञान के लिए विज्ञान की शेष अवधि के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान की शेष अवधि के लिए
विभागीय सहायता	3,000/- रु. प्रतिवर्ष की दर से	प्रति जेआरएफ सहायता
सहायक/निशक्तता भत्ता	2,000/- रु. प्रतिमाह की दर से	प्रति जेआरएफ
मकान किराया भत्ता	संबंधित संस्थान के नियमानुसार	

विदेशी नागरिकों के लिए शोध एसोसिएटशिप:

किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान की किसी भी विधा में पोस्ट-डॉक्टोरल शोध करने के इच्छुक विदेशी नागरिकों से वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान प्राप्त आवेदनों में से वि0अ0आ0 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर आठ (निर्धारित अध्येतावृत्तियाँ) अभ्यर्थियों का वर्ष 2015-16 के लिए शोध एसोसिएटशिप हेतु चयन किया गया। अध्येतावृत्ति चार वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी (जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है)।

अध्येतावृत्ति	25,000/- रु. प्रतिमाह की दर से	4 वर्ष के लिए (निर्धारित)
आकस्मिक	30,000/-रु. प्रतिवर्ष की दर से	4 वर्ष के लिए (निर्धारित)
विभागीय सहायता	मेजबान संस्थान को अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए एसोसिएटशिप के 10 प्रतिशत (निर्धारित) की दर से	4 वर्ष के लिए (निर्धारित)
मकान किराया भत्ता	संबंधित संस्थान के नियमानुसार	4 वर्ष के लिए (निर्धारित)

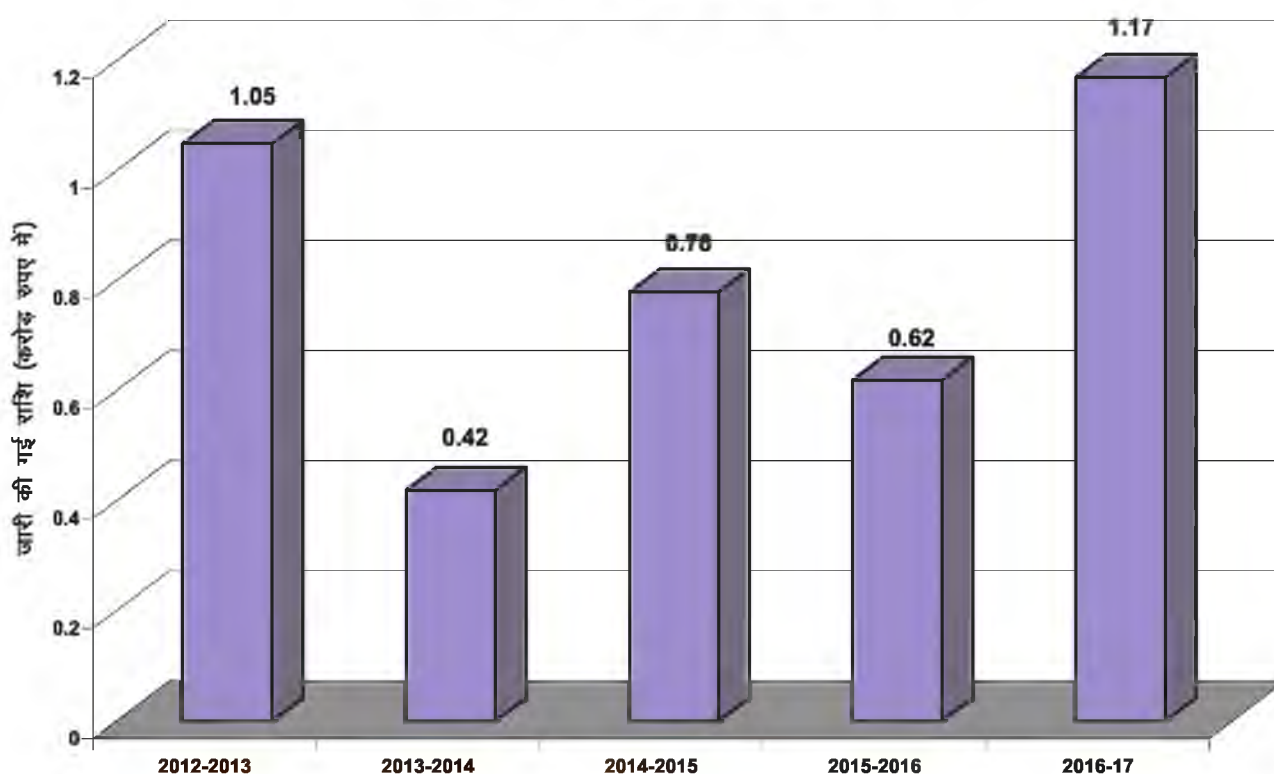
वर्तमान में, इस योजना के तहत लगभग 60 विदेशी नागरिक पीएचडी/पोस्ट डॉक्टोरल शोध कर रहे हैं।

दिनांक 01.04.2012 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) से जेआरएफ तथा आरए (विदेशी नागरिक) को भुगतान किए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)	जेआरएफ + आरए हेतु उपलब्ध स्लॉटों की संख्या
1.	2012-2013	1.05	20+7
2.	2013-2014	0.42	20+7
3.	2014-2015	0.78	20+7
4.	2015-2016	0.62	20+7
5.	2016-2017	1.17	20+7

योजना के तहत वर्ष 2016-17 के दौरान 1.17 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

रेखाचित्र 6.4(ii): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी नागरिकों के लिए जेआरएफ तथा आरए हेतु वर्षवार जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)



6.4(iii) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां

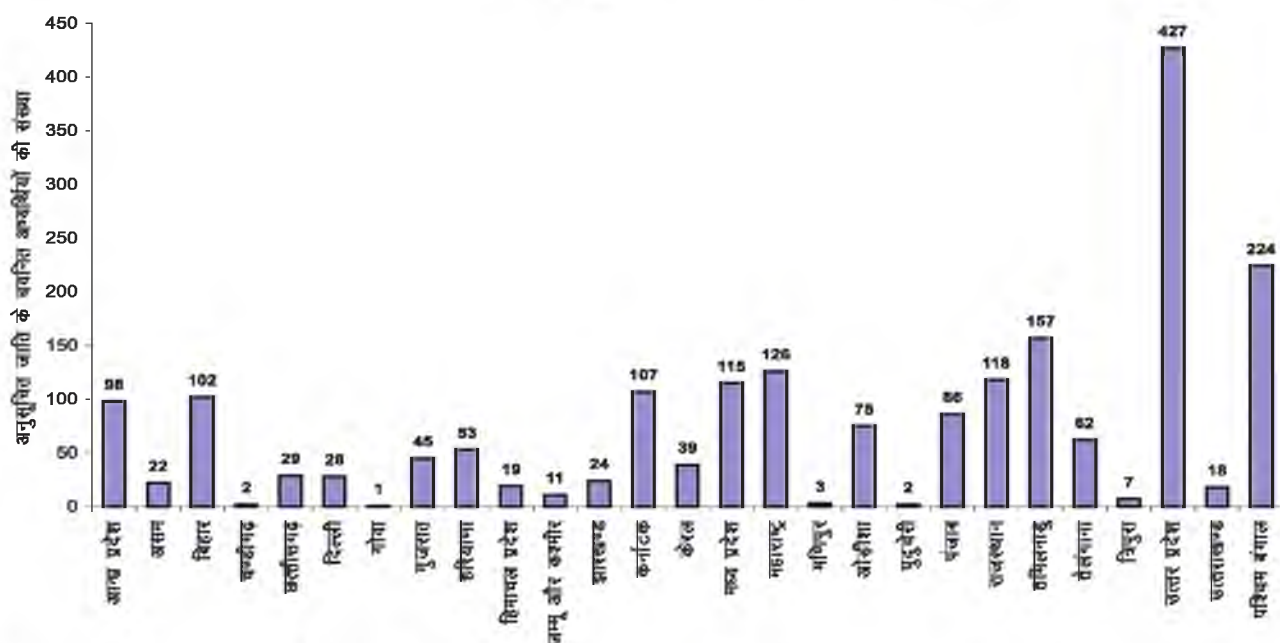
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रतिवर्ष 2000 स्लॉट उपलब्ध करवाकर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (जिसे पूर्व में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के नाम से जाना जाता था) को कार्यान्वित करने का कार्य वि०अ०आ० को सौंपा है और इसे वित्तपोषित किया है ताकि उच्चतर शिक्षा में सामाजिक विषमता को कम किया जा सकें। केन्द्र सरकार, वि०अ०आ० के माध्यम से अनुसूचित जाति की श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है ताकि वे भाषाओं तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में उच्च अध्ययन तथा शोध कर सकें ताकि वे एम०फिल० तथा पी०एच०डी० की उपाधि अर्जित कर सकें। इस अध्येतावृत्ति की अवधि पाँच वर्ष है।

दिनांक 01.12.2014 से अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों की योजना के लिए वित्तीय सहायता का पैटर्न 6.4(i) के समान है:

तालिका 6.4(iii) : अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों की योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दिनांक 01.04.2010 से भारत सरकार के अनुसार-आबंटित स्लॉटों की संख्या	वर्ष (2017-18) के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	89	98
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	
3	अरुणाचल प्रदेश	0	
4	असम	22	22
5	बिहार	157	102
6	चण्डीगढ़	2	2
7	छत्तीसगढ़	29	29
8	दादरा और नागर हवेली	0	
9	दमन और द्वीव	0	
10	दिल्ली	28	28
11	गोवा	1	1
12	गुजरात	43	45
13	हरियाणा	49	53
14	हिमाचल प्रदेश	18	19
15	जम्मू और कश्मीर	9	11
16	झारखण्ड	38	24
17	कर्नाटक	103	107
18	केरल	38	39
19	लक्षद्वीप	0	
20	मध्य प्रदेश	110	115
21	महाराष्ट्र	119	126
22	मणिपुर	1	3
23	मेघालय	0	
24	मिजोरम	0	
25	नागालैण्ड	0	
26	ओड़ीशा	73	75
27	पुदुचेरी	2	2
28	पंजाब	84	86
29	राजस्थान	117	118
30	सिक्किम	0	
31	तमिलनाडु	142	157
32	तेलंगाना	59	62
33	त्रिपुरा	7	7
34	उत्तर प्रदेश	422	427
35	उत्तराखण्ड	18	18
36	पश्चिम बंगाल	220	224
	कुल	2000	2000

रेखाचित्र 6.4(iii): वर्ष 2016-17 के दौरान अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को अवार्ड की गई राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना की राज्य वार संख्या



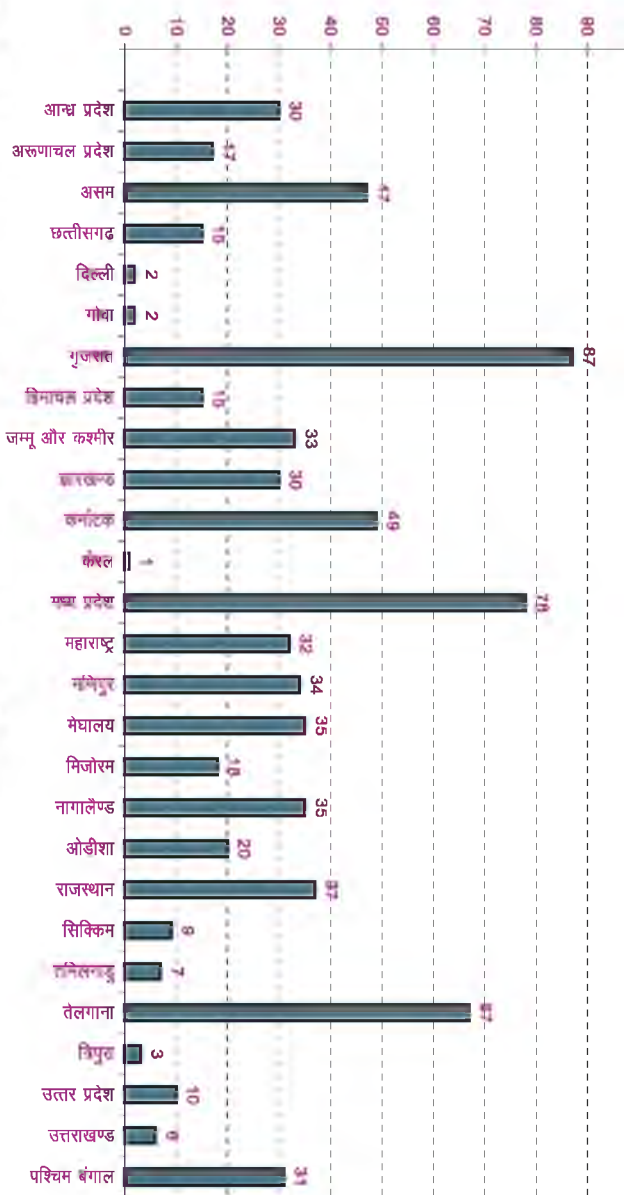
वर्ष 2016-17 के दौरान उपर्युक्त योजना के अंतर्गत 24891.92 लाख रुपए का व्यय हुआ।

66.4(iii) (क) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रतिवर्ष 750 स्लॉट उपलब्ध करवाकर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना कार्यान्वित करने का कार्य वि०अ०आ० को सौंपा है और इसे वित्तपोषित किया है ताकि उच्चतर शिक्षा में सामाजिक विषमता को कम किया जा सकें। केन्द्र सरकार, वि०अ०आ० के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाती है ताकि वे भाषाओं तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में उच्च अध्ययन तथा शोध कर सकें ताकि वे एम०फिल० तथा पी०एच०डी० की उपाधि अर्जित कर सकें। इस अध्येतावृत्ति की अवधि पाँच वर्ष है। दिनांक 01.12.2014 से अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति सहायता का पैटर्न नीचे 6.4(i) के अनुरूप है।

तालिका 6.1(iii)(क): वर्ष 2016-17 के लिए "अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु उच्चतर शिक्षा राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना" (एनएफएचई) अध्येतावृत्ति के अवार्ड के लिए चयनित अभ्यर्थियों की राज्य/लिंग/विषयवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला			कुल महिलाएं	पुरुष				कुल पुरुष	कुल योग
		मानविकी	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान		अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	मानविकी	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान		
1	आन्ध्र प्रदेश	2	5	2	9	1	6	7	7	21	30
2	अरुणाचल प्रदेश	5		7	12		1	1	3	5	17
3	असम	8	8	11	27	1		11	8	20	47
4	छत्तीसगढ़		2	6	8		3	3	1	7	15
5	दिल्ली		1	1	2						2
6	गोवा							2		2	2
7	गुजरात	27	2	13	42		28	3	14	45	87
8	हिमाचल प्रदेश	1	4	1	6		1	3	5	9	15
9	जम्मू और कश्मीर	2		2	4		7	11	11	29	33



उपयुक्त योजना के तहत वर्ष 2016-17 के दौरान 5651.10 लाख रुपए का व्यय किया गया।

राज्य की प्रोत्साहन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला			कुल	अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	पुरुष			कुल	कुल योग
		गानधिकी	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान			गानधिकी	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान		
10	झारखण्ड	9	6	7	22		4	2	2	8	30
11	कर्नाटक	2	3	3	8	3	11	11	16	41	49
12	केरल			1	1						1
13	मध्य प्रदेश	2	1	22	25		8	8	37	53	78
14	महाराष्ट्र	3	2	4	9		6	7	10	23	32
15	गणिपुर	10	3	5	18		3	3	10	16	34
16	मेघालय	3	14	5	22		1	10	2	13	35
17	मिजोरम	1	4	3	8	1	1	7	1	10	18
18	नागालैण्ड	15	2	8	25		4	2	4	10	35
19	ओड़ीशा		1	2	3		9	2	6	17	20
20	राजस्थान	7	2	5	14		12	5	6	23	37
21	सिक्किम	2		5	7		1	1		2	9
22	तमिलनाडु							5	2	7	7
23	तेलंगाना	1	2	11	14	5	11	12	25	53	67
24	त्रिपुरा		1		1			2		2	3
25	उत्तर प्रदेश	1		2	3		1	2	4	7	10
26	उत्तराखण्ड			3	3		1	1	1	3	6
27	पश्चिम बंगाल	10		9	19	1	5	4	2	12	31
कुल योग		111	63	138	312	12	124	125	177	438	750

रेखाचित्र 6.4 (iii) (क): वर्ष 2016-17 के दौरान अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रदान की गई राष्ट्रीय अव्योतावृत्तियों

की राज्यवार संख्या

वर्ष 2017-18 से चयन प्रक्रिया स्वयं जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा चलाई की जा रही है।

6.4(iv) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्रतिवर्ष 756 स्लॉट उपलब्ध करवाकर केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् (i) मुस्लिम (ii) सिक्ख (iii) ईसाई (iv) बौद्ध (v) पारसी और (vi) जैन (वर्ष 2014 में सम्मिलित किया गया) के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को कार्यान्वित करने का कार्य वर्ष 2009 से वि०अ०आ० को सौंपा और इसे वित्तपोषित किया है। केन्द्र सरकार, वि०अ०आ० के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाती है ताकि वे भाषाओं तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में उच्च अध्ययन तथा शोध कर सकें तथा एम०फिल० तथा पी०एच०डी० की उपाधि अर्जित कर सकें। इस अध्येतावृत्ति की अवधि पाँच वर्ष है।

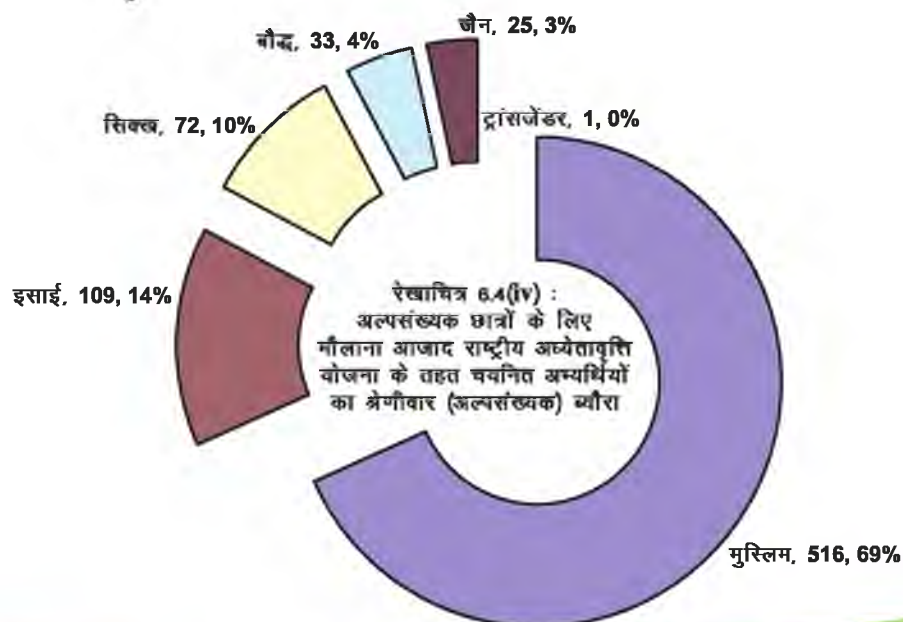
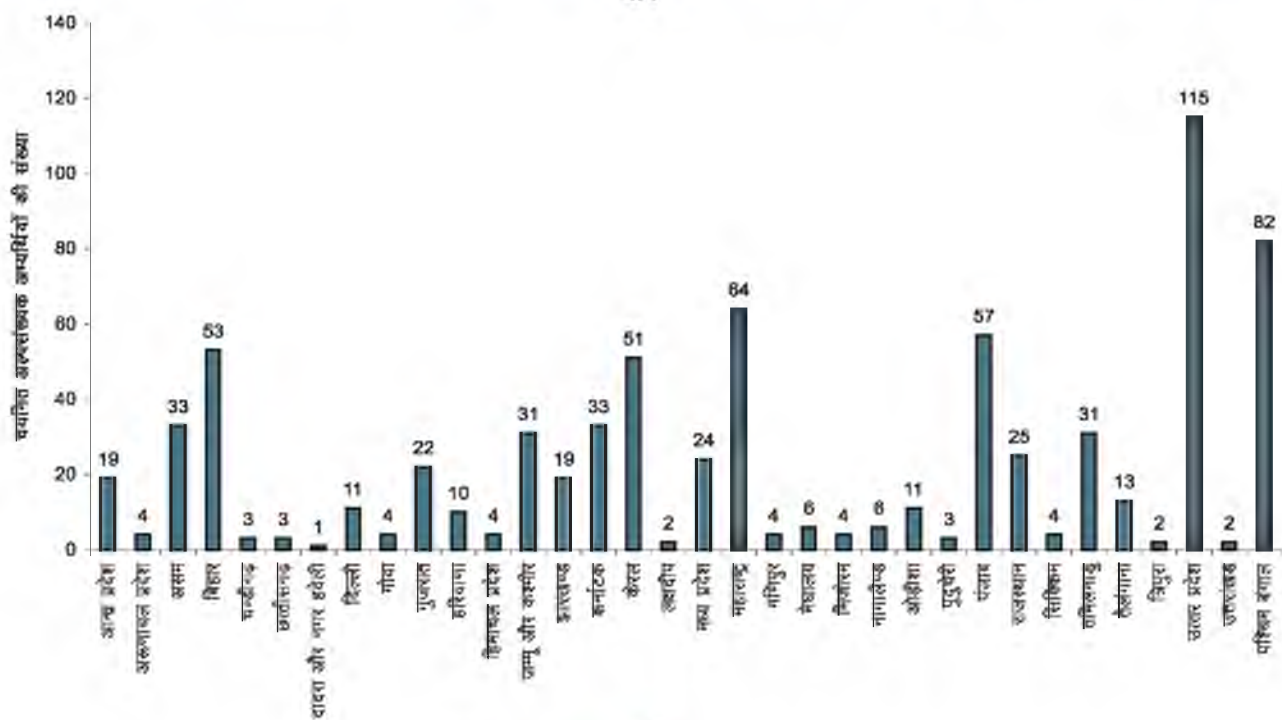
दिनांक 01.12.2014 से एमएनएफ हेतु वित्तीय सहायता का पैटर्न 6.4(i) के अनुरूप है।

तालिका 6.4 (iv): वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत वर्ष 2017-18 के लिए राज्य-वार, वर्ष-वार/समुदाय-वार/लिंग वार अवार्ड की गई अध्येतावृत्ति की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला					कुल महिलाएं	पुरुष					कुल पुरुष	ट्रांसजेंडर मुस्लिम	ट्रांसजेंडर कुल	कुल योग
		बौद्ध	इसाई	जैन	मुस्लिम	सिक्ख		बौद्ध	इसाई	जैन	मुस्लिम	सिक्ख				
1	आन्ध्र प्रदेश		3		8		11	1	7		8					19
2	अरुणाचल प्रदेश	1	1		1		3	1			1					4
3	असम		2		18		20	1	12		13					33
4	बिहार				22		22			31	31					53
5	चण्डीगढ़			1			1			1	1	2				3
6	छत्तीसगढ़								1	2		3				3
7	दादरा और नगर हवेली		1				1									1
8	दिल्ली			1	2	1	4			6	1	7				11
9	गोवा		2		1		3	1				1				4
10	गुजरात		4	1	9		14	1	2	5		8				22
11	हरियाणा				1	4	5			4	1	5				10
12	हिमाचल प्रदेश	1				1	2			1	1	2				4
13	जम्मू और कश्मीर				16	1	17			13		13	1	1		31
14	झारखण्ड		1		10		11	3		5		8				19
15	कर्नाटक	1	2	2	16		21	1	1	1	9	12				33
16	केरल		21		20		41	3		7		10				51
17	लक्षदीप									2		2				2
18	मध्य प्रदेश	1	2	2	8	1	14		2	8		10				24
19	महाराष्ट्र	10	3	2	25	1	41	10	1	2	10	23				64
20	मणिपुर							2	1		1	4				4
21	मेघालय		5				5	1				1				6
22	मिजोरम		2				2	2				2				4
23	नागालैण्ड		3				3	3				3				6
24	ओड़ीशा		1		4		5	4		2		6				11
25	पुदुचेरी		2				2			1		1				3
26	पंजाब			1	2	45	48			1	8	9				57
27	राजस्थान			3	10	2	15			9	1	10				25

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	महिला					पुरुष					कुल पुरुष	ट्रांसजेंडर मुरिलग	ट्रांसजेंडर कुल	कुल योग
		बौद्ध	इसाई	जैन	मुस्लिम	सिक्ख	कुल महिलाएं	बौद्ध	इसाई	जैन	मुस्लिम	सिक्ख			
28	सिक्किम	2	1				3	1				1			4
29	तमिलनाडु		13		12		25	3			3				31
30	तेलंगाना		2		10		12				1				13
31	त्रिपुरा		1				1	1							2
32	उत्तर प्रदेश		2	2	60	2	66	1		1	46	1			115
33	उत्तराखंड		2				2								2
34	पश्चिम बंगाल	1	3	1	34		39	1	2		40				82
	कुल योग	17	79	16	289	58	459	16	30	9	227	14	296	1	756

रेखाचित्र 6.4(iv) : अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों की राज्य वार संख्या



उपर्युक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान 12580.39 लाख रुपए का व्यय हुआ।

6.4(v) अन्य पिछड़े वर्गों (अपिब) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वित्तपोषित और कार्यान्वयन हेतु सौंपी गई योजना नामतः अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिब) हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (रा0अ0) योजना को वर्ष 2014 से कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिब) के अभ्यर्थियों के लिए है जो विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी में पूर्णकालिक तथा नियमित एमफिल तथा पीएचडी उपाधि आदि उच्चतर अध्ययन करना चाहते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के शोध विद्वानों से सभी विषयों पर ऑनलाइन पद्धति से प्राप्त किए गए आवेदनों हेतु अध्येतावृत्ति अवार्ड करने हेतु प्रति वर्ष 300 स्लॉट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के निशक्त श्रेणी से शोध विद्वानों को अध्येतावृत्ति अवार्ड करने हेतु 3 प्रतिशत स्लॉटों के आरक्षण का उपबंध है।

दिनांक 01.12.2014 से अन्य पिछड़े वर्गों (अपिब) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए वित्तीय सहायता का पैटर्न 6.4(i) के अनुरूप है।

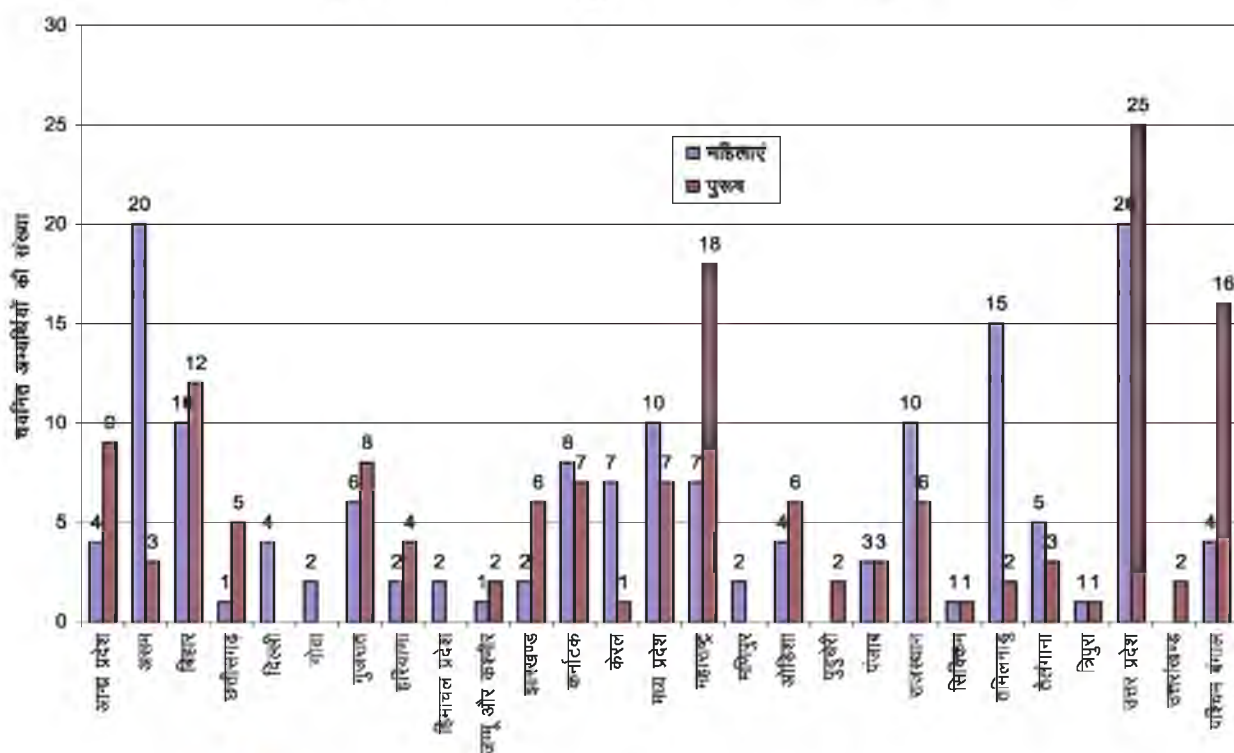
तालिका 6.4(v) : वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों (अपिब) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत वर्ष 2017-18 के लिए अध्येतावृत्ति के अवार्ड की गई अध्येतावृत्तियों की राज्यवार, लिंगवार तथा विषयवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार	महिलाएं		कुल महिलाएं	पुरुष		कुल पुरुष	कुल योग
		अवार्ड की गई	शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों को अवार्ड की गई		अवार्ड की गई	शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों को अवार्ड की गई		
1	आन्ध्र प्रदेश	4		4	8	1	9	13
2	असम	20		20	3		3	23
3	बिहार	10		10	12		12	22
4	छत्तीसगढ़	1		1	5		5	6
5	दिल्ली	4		4				4
6	गोवा	2		2				2
7	गुजरात	5	1	6	8		8	14
8	हरियाणा	2		2	4		4	6
9	हिमाचल प्रदेश	2		2				2
10	जम्मू और कश्मीर	1		1	2		2	3
11	झारखण्ड	2		2	6		6	8
12	कर्नाटक	7	1	8	7		7	15
13	केरल	7		7	1		1	8
14	मध्य प्रदेश	10		10	6	1	7	17
15	महाराष्ट्र	7		7	17	1	18	25
16	मणिपुर	2		2				2
17	ओडिशा	4		4	6		6	10
18	पुदुचेरी				2		2	2
19	पंजाब	3		3	3		3	6
20	राजस्थान	9	1	10	6		6	16
21	सिक्किम	1		1	1		1	2

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार	महिलाएं		कुल महिलाएं	पुरुष		कुल पुरुष	कुल योग
		अवार्ड की गई	शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों को अवार्ड की गई		अवार्ड की गई	शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों को अवार्ड की गई		
22	तमिलनाडु	15		15	1	1	2	17
23	तेलंगाना	5		5	3		3	8
24	त्रिपुरा	1		1	1		1	2
25	उत्तर प्रदेश	20		20	24	1	25	45
26	उत्तराखण्ड				2		2	2
27	पश्चिम बंगाल	4		4	15	1	16	20
कुल योग		148	3	151	143	6	149	300

उपर्युक्त योजना के अंतर्गत रिपोर्टाधीन वर्ष 2016-17 के दौरान 2448.66 लाख रुपए का व्यय हुआ।

रेखाचित्र 6.4(v) : अन्य पिछड़े वर्गों (अपिब) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों की राज्यवार और लिंगवार संख्या



6.4(vi) निशक्त छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वर्ष 2002 से निशक्त छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने हेतु अवसरों में वृद्धि करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, निशक्तता कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ने निशक्त छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व सौंपा है, ताकि वे एम.फिल. और पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त कर सकें। यह योजना, 01 अप्रैल, 2012 से लागू है। यह योजना, भारत में विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों तथा वैज्ञानिक संस्थानों में शोध उपाधि प्राप्त करने हेतु निशक्त छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सभी विषयों हेतु प्रत्येक वर्ष 200 स्लॉट हैं जिसमें अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 7½ प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।

चयनित अभ्यर्थियों को भुगतान स्वयं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, निशक्तता कार्य मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है।

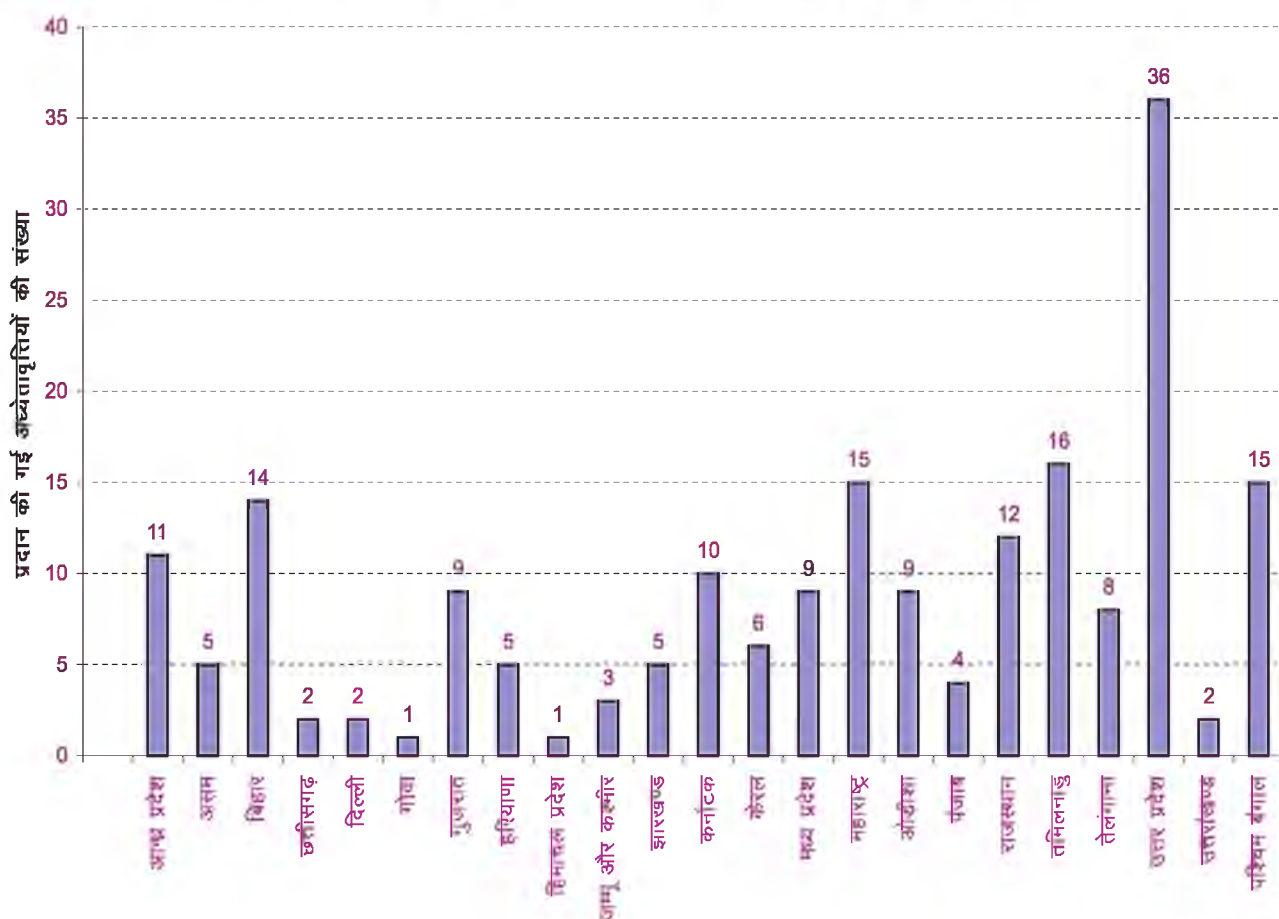
दिनांक 01.04.2012 से वित्तीय सहायता का स्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के पैटर्न के अनुरूप है।

क्र.सं.	मद	अध्येतावृत्ति
1.	अध्येतावृत्ति (सभी विषयों हेतु)	प्रारम्भिक 2 वर्षों के लिए 25,000/- रु0 प्रतिमाह की दर से (जे.आर.एफ.) शेष कालावधि के लिए 28,000/- रु0 प्रतिमाह की दर से (एस.आर.एफ.)
2.	आकस्मिक राशि की दर (मानविकी, समाजिक विज्ञान और वाणिज्य हेतु)	प्रारम्भिक 2 वर्षों के लिए 10,000/- रु0 प्रतिवर्ष की दर से और शेष तीन वर्षों के लिए 20,500/- रु0 प्रतिवर्ष की दर से
3.	आकस्मिक राशि (विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी हेतु)	प्रारम्भिक 2 वर्षों के लिए 12,000/- रु0 प्रतिवर्ष की दर से, शेष तीन वर्षों के लिए 25,000/- रु0 प्रतिवर्ष की दर से
4.	विभागीय सहायता	मेजबान संस्थान को 3,000/- रु0 प्रतिवर्ष प्रतिछात्र की दर से
5.	सहायक/रीडर की सहायता	शारीरिक रूप से निशक्त एवं दृष्टिबाधित प्रत्याशियों के लिए 2,000/- रु0 प्रतिमाह की दर से
6.	मकान किराया भत्ता	विश्वविद्यालय/संस्थान के नियम के अनुसार

तालिका 6.4(vi) : वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान निशक्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत अवार्ड की गई अध्येतावृत्तियों की राज्यवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	महिलाएं			कुल महिलाएं	पुरुष			कुल पुरुष	कुल योग
		सामान्य	अ0जा0	अ0ज0 जा0		सामान्य	अ0जा0	अ0ज0 जा0		
1	आन्ध्र प्रदेश		2		2	6	3		9	11
2	असम	3			3	2			2	5
3	बिहार	1	1		2	12			12	14
4	छत्तीसगढ़	1			1	1			1	2
5	दिल्ली	1			1	1			1	2
6	गोवा					1			1	1
7	गुजरात	1			1	6	2		8	9
8	हरियाणा	1			1	3	1		4	5
9	हिमाचल प्रदेश					1			1	1
10	जम्मू और कश्मीर					3			3	3
11	झारखण्ड					4		1	5	5
12	कर्नाटक	1			1	6	2	1	9	10
13	केरल	2			2	4			4	6
14	मध्य प्रदेश	3			3	4	2		6	9
15	महाराष्ट्र		1		1	10	3	1	14	15
16	ओड़ीशा	1			1	7	1		8	9
17	पंजाब	1			1	2	1		3	4
18	राजस्थान	5			5	4	3		7	12
19	तमिलनाडु	3			3	10	3		13	16
20	तेलंगाना	1	1	1	3	4	1		5	8
21	उत्तर प्रदेश	12	3		15	18	3		21	36
22	उत्तराखण्ड					2			2	2
23	पश्चिम बंगाल	6			6	7	2		9	15
	कुल योग	43	8	1	52	118	27	3	148	200

रेखाचित्र 6.4(vi) : वर्ष 2016-17 के दौरान निशक्त व्यक्तियों को प्रदान की गई अध्येतावृत्तियों की राज्यवार संख्या



6.4(vii): सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका अध्येतावृत्ति

स्वामी विवेकानंद एक महान सामाजिक विचारक और भारत में सामाजिक सुधारों के प्रणेता थे। वे संत रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे। सिर्फ 39 वर्षों के छोटे से जीवनकाल में, उन्होंने पश्चिमी दुनिया का वेदांत और योग से परिचय करवाया। स्वामीजी ने धर्म के विभिन्न पहलुओं, शिक्षा चरित्र निर्माण और भारत से संबंधित सामाजिक मुद्दों पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद का मानना ​​​​छथा कि "शिक्षा मानव में पहले से व्याप्त पूर्णता की प्रतीक है"। उनके लिए शिक्षा मात्र जानकारी का संग्रह ही नहीं है, लेकिन यह कहीं अधिक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य-निर्माण, जोवनदान और चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षा महान विचारों का एकीकरण है। उन्होंने पश्चिम के गतिशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने देश की आध्यात्मिकता के साथ संयोजित करने पर जोर दिया। महिला शिक्षा में के लिए वे निर्भयता से काम करने पर जोर देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं को शक्ति का अवतार माना और पुरुषों से कहा कि वे हर प्रकार से उनका सम्मान करें। उनका मानना ​​​​छथा कि देश तभी आगे बढ़ सकता है, जब देश की महिलाओं को सम्मान प्राप्त हो। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को बराबर माना। उनका मानना ​​​​छथा कि पुरुषों की तरह महिलाओं को स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और उत्तरदायित्व वहन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

भारत सरकार एकल बालिका वाले परिवारों को विशेष लाभ दे रही है। परिवार में एकल बालिका को बढ़ावा देने का मतलब है कि समाज में लड़कियों को बढ़ावा देना, महिलाओं के पक्ष में लिंग अनुपात बढ़ाने और समाज में छोटे परिवार के आदर्शों को बढ़ावा देना है। महिलाओं की शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचारों को ध्यान में रखते हुए और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक विज्ञान में शोध के लिए स्वामी विवेकानंद एकल महिला बालिका अध्येतावृत्ति को आरंभ किया है ताकि उच्च शिक्षा की प्रत्यक्ष लागत को विशेष रूप से ऐसी लड़कियों के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके, जो केवल अपने परिवार की केवल एकल बालिकाएं हैं।

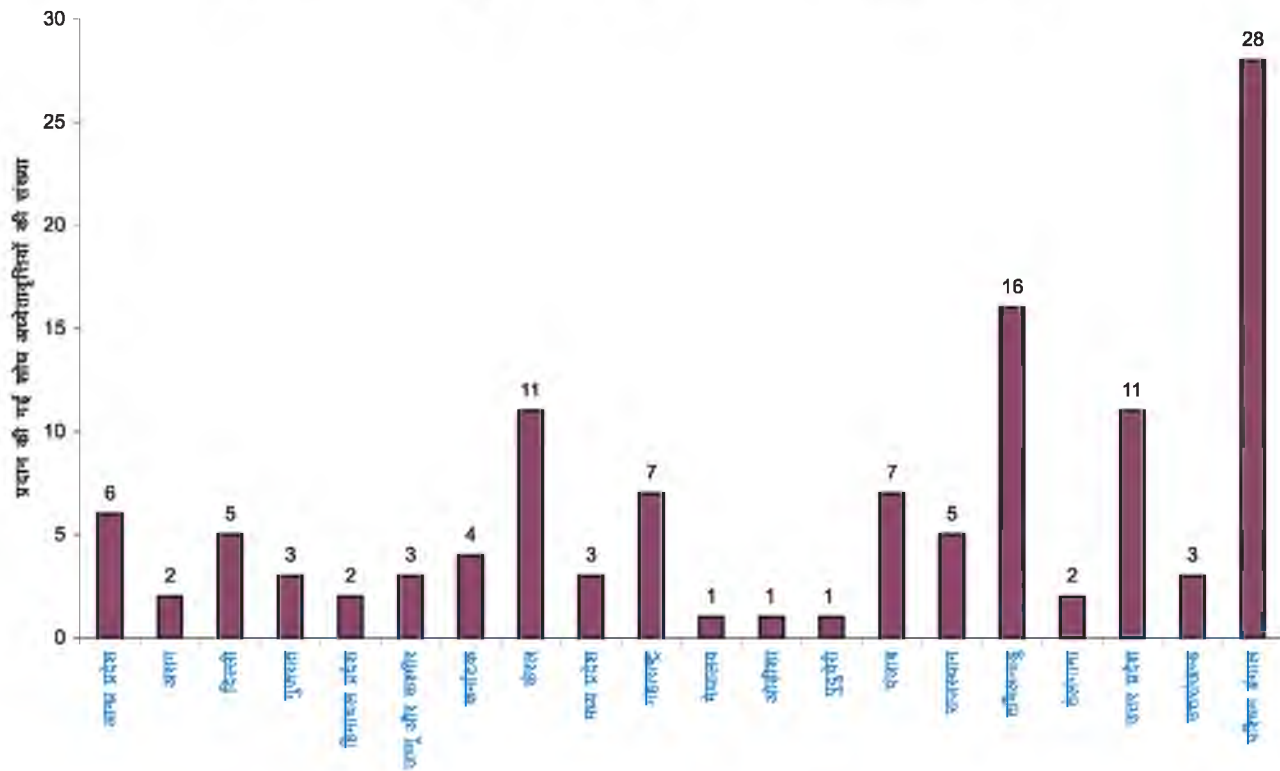
अध्येतावृत्ति	प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए 25,000/- रु0 प्रतिमाह की दर से (जे.आर.एफ) शेष कालावधि के लिए 28,000/- रु0 प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक राशि	प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए 10,000/- रु0 प्रतिवर्ष की दर से और शेष तीन वर्षों के लिए 20,500/- रु0 प्रतिवर्ष की दर से
सहायक/रीडर की सहायता	शारीरिक रूप से निशक्त एवं दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए 2,000/- रु0 प्रतिमाह की दर से

तालिका 6.4(vii) : वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका अध्येतावृत्ति योजना के तहत वर्ष 2017-18 के लिए प्रदान की गई अध्येतावृत्तियों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	6	12	कर्नाटक	1
2	असम	2	13	पुदुचेरी	1
3	दिल्ली	5	14	पंजाब	7
4	गुजरात	3	15	राजस्थान	5
5	हिमाचल प्रदेश	2	16	तमिलनाडु	16
6	जम्मू और कश्मीर	3	17	तेलंगाना	2
7	कर्नाटक	4	18	उत्तर प्रदेश	11
8	केरल	11	19	उत्तराखण्ड	3
9	मध्य प्रदेश	3	20	पश्चिम बंगाल	28
10	महाराष्ट्र	7		कुल योग	121
11	ओड़ीशा	1			

वर्ष 2016-17 के दौरान 271.88 लाख रुपए का व्यय हुआ।

तालिका 6.4(vii) : सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका अध्येतावृत्ति योजना के तहत राज्य वार संख्या



6.4(viii) बी0एस0आर0 अध्येतावृत्तियां (आरएफएसएमएस)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 'विज्ञान में प्रतिभावान छात्रों हेतु शोध अध्येतावृत्ति, "बीएसआर अध्येतावृत्ति योजना" (आरएफएसएमएस) ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना में पहले ही दी गई प्रक्रिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण हेतु चयनित हैं। बीएसआर योजना का उद्देश्य विज्ञान में पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिये उच्च अध्ययन तथा शोध आरंभ करने हेतु प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अवसर उपलब्ध कराना है।

अभ्यर्थियों का चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय/उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र/उच्च अध्ययन केन्द्र तथा विशेष सहायता विभाग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना में पहले ही दी गई प्रक्रिया के माध्यम से नियमित प्रवेश प्रक्रिया द्वारा विश्वविद्यालय के पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण करवाने हेतु प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। प्रवेश के उपरान्त पीएचडी हेतु पंजीकरण किया जाता है। आज तक, सैप/गैर-सैप विभागों को 9355 अध्येतावृत्तियां आवंटित की गई हैं तथा 8165 कनिष्ठ शोध अध्येता कार्यरत हैं। दिसम्बर, 2013 से अध्येतावृत्ति सीधे ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के माध्यम से संवितरित की जाती हैं (जिसमें अध्येतावृत्ति की राशि का सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरण किया जाता है)।

वित्तीय सहायता:

गेट अर्हता से वंचित अभ्यर्थियों हेतु	
अध्येतावृत्ति राशि	प्रारंभिक दो वर्ष के लिए 21,700/-रुपए प्रतिमाह की दर से अगले तीन वर्षों के लिए 24,800/-रुपए प्रतिमाह की दर से (दिनांक 01.12.2014 से)
आकस्मिक राशि	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/-रुपए प्रतिवर्ष की दर से अगले तीन वर्षों के लिए 25,000/-रुपए प्रतिवर्ष की दर से (दिनांक 01.04.2010 से)
मकान किराया भत्ता	सभी किस्तों के लिए विश्वविद्यालय/संस्थानों के नियमानुसार
नेट/गेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु	
अध्येतावृत्ति राशि	प्रारंभिक दो वर्ष के लिए 24,800/-रुपए प्रतिमाह की दर से, और अगले तीन वर्षों के लिए 27,900/-रुपए प्रतिमाह की दर से (दिनांक 01.12.2014 से)
आकस्मिक राशि	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/-रुपए प्रतिवर्ष की दर से अगले तीन वर्षों के लिए 25,000/-रुपए प्रतिवर्ष की दर से (दिनांक 01.04.2010 से)
मकान किराया भत्ता	सभी किस्तों के लिए विश्वविद्यालय/संस्थानों के नियमानुसार

वर्ष 2016-2017 के दौरान 105.15 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

6.5(i) पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

समाज के वंचित वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन का अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया है। उपाधि पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर इन छात्रवृत्तियों की अवधि 2/3 वर्ष है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रत्याशियों के लिए स्लॉटों की संख्या 1000 प्रति वर्ष है।

दिनांक 01.12.2014 से वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है :

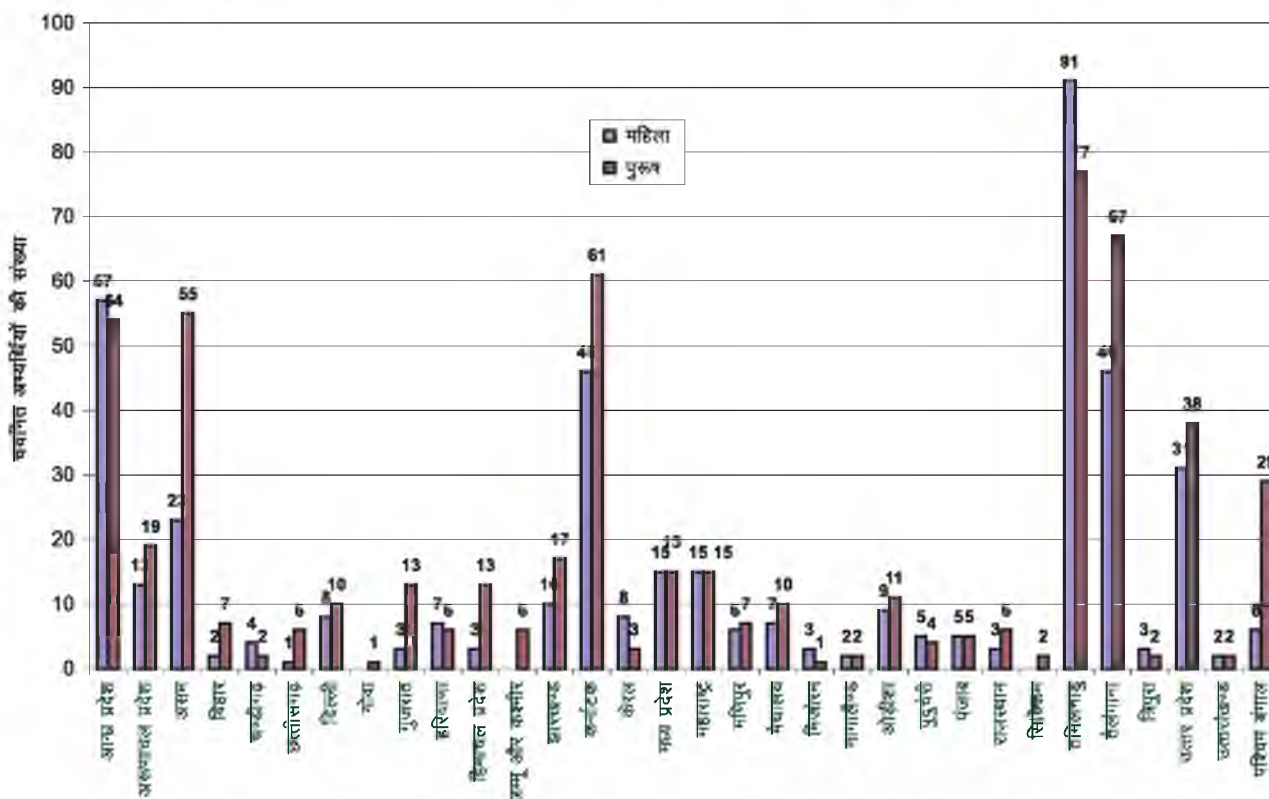
एम0टेक0 छात्रों हेतु	7,800/- रुपये प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक राशि	15,000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से
अन्य पाठ्यक्रम	4,700/- रुपये प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक राशि	10,000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से

तालिका 6.5(i) : वर्ष 2016-17 के लिए 'पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना' के तहत अवार्ड की गई छात्रवृत्तियों की राज्यवार/लिंगवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गहिलाएं			पुरुष			कुल योग
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	
1	आन्ध्र प्रदेश	47	10	57	38	16	54	111
2	अरुणाचल प्रदेश		13	13	1	18	19	32
3	असम	5	18	23	15	40	55	78
4	बिहार	2		2	5	2	7	9
5	चण्डीगढ़	1	3	4	2		2	6
6	छत्तीसगढ़		1	1	4	2	6	7
7	दिल्ली	6	2	8	8	2	10	18
8	गोवा				1		1	1
9	गुजरात	2	1	3	8	5	13	16
10	हरियाणा	7		7	6		6	13
11	हिमाचल प्रदेश	3		3	6	7	13	16
12	जम्मू और कश्मीर				2	4	6	6
13	झारखण्ड	5	5	10	5	12	17	27
14	कर्नाटक	34	12	46	45	16	61	107
15	केरल	8		8	3		3	11
16	मध्य प्रदेश	10	5	15	11	4	15	30
17	महाराष्ट्र	12	3	15	11	4	15	30
18	मणिपुर	1	5	6S		7	7	13
19	मेघालय		7	7	1	9	10	17
20	मिजोरम		3	3		1	1	4
21	नागालैण्ड		2	2		2	2	4
22	ओड़ीशा	7	2	9	8	3	11	20
23	पुदुचेरी	4	1	5	3	1	4	9
24	पंजाब	3	2	5	5		5	10
25	राजस्थान	1	2	3	4	2	6	9
26	सिक्किम					2	2	2
27	तमिलनाडु	87	4	91	66	11	77	168
28	तैलंगाना	32	14	46	30	37	67	113
29	त्रिपुरा	3		3		2	2	5
30	उत्तर प्रदेश	27	4	31	35	3	38	69
31	उत्तराखण्ड	2		2	2		2	4
32	पश्चिम बंगाल	6		6	27	2	29	35
	कुल योग	315	119	434	352	214	566	1000

वर्ष 2016-17 के दौरान योजना स्कीम के तहत 489.38 लाख रुपए का व्यय हुआ।

रेखाचित्र 6.5 (i): वर्ष 2016-17 के दौरान पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों की राज्यवार संख्या



6.5(ii) एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

भारत सरकार द्वारा महिलाओं के स्तर को उठाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा मूलभूत शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाना शामिल है। इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना भी एक ऐसी ही योजना है जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए किया गया व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से व्यय हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति की जाये विशेषकर के ऐसी लड़कियों के मामले में जो कि अपने-अपने परिवारों में एकमात्र संतान हैं।

इस योजना के उद्देश्य गैर-पेशेवर पाठ्यक्रमों में एकमात्र बालिका संतान के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए समर्थन तथा छोटे परिवार के मानदण्ड के महत्व को पहचान प्रदान करना।

यह योजना स्नातकोत्तर शिक्षा सत्र 2005-07 से आरंभ की गयी थी। अपने माता-पिता की एकल बालिका संतान जिसने नियमित पूर्णकालिक, निष्णात पाठ्यक्रम (गैर-पेशेवर पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश लिया है। यह छात्रवृत्ति पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय 30 वर्ष तक की आयु की छात्राएं पात्र हैं। सभी पात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्तियों की कोई अधिकतम संख्या नहीं है।

वि०अ०आ० अधिनियम के धारा 2(च) एवं 12(ख) के अन्तर्गत सम्मिलित संस्थानों से यह आशा की जाती है कि उनके संस्थान में छात्राओं द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों में प्राप्त किये गये दाखिले के लिए कोई शिक्षण शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा।

दिनांक 01.12.2014 से वित्तीय सहायता के पैटर्न का स्वरूप निम्नवत है:

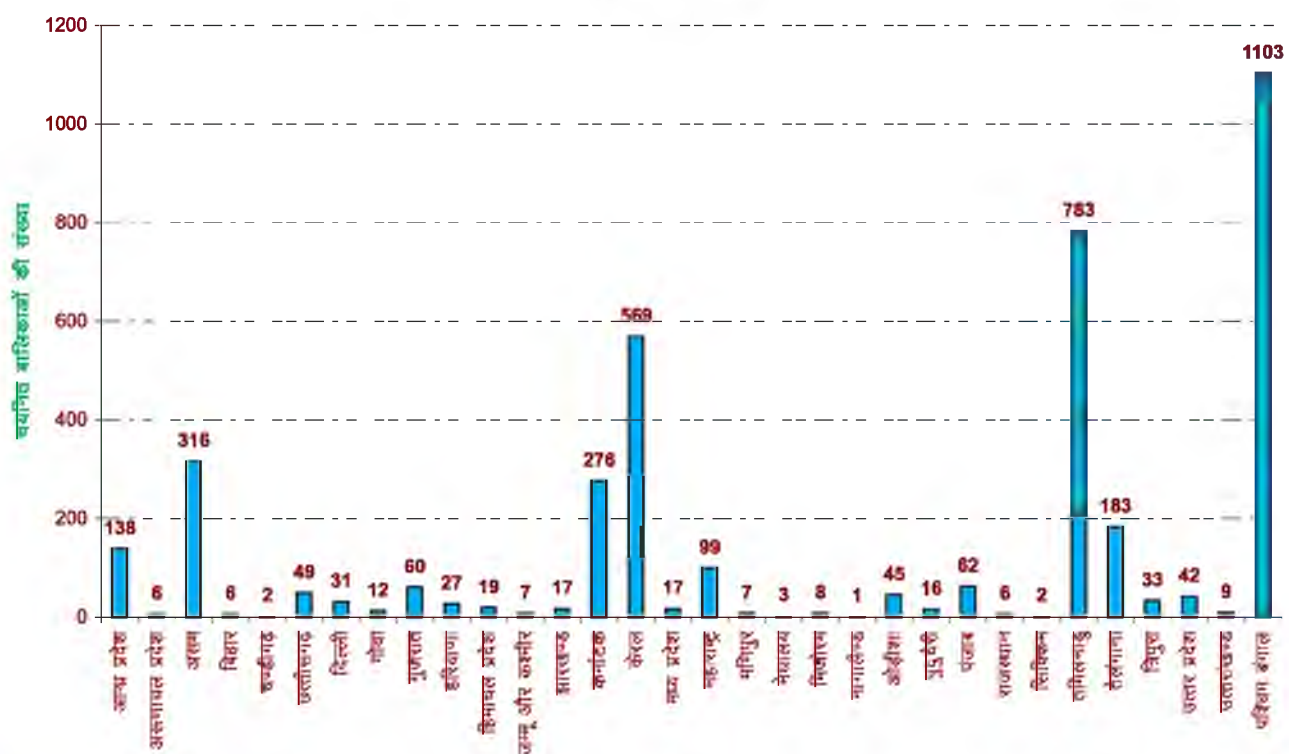
व्योरा	छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति की अवधि
छात्रवृत्ति	3,100/-रुपये प्रतिमाह की दर से	केवल दो वर्ष (केवल 20 माह) अर्थात् पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए

तालिका 6.5(ii): वर्ष 2016-17 के दौरान एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2016-17	क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2016-17
1	आन्ध्र प्रदेश	138	18	मणिपुर	7
2	अरुणाचल प्रदेश	6	19	मेघालय	3
3	असम	316	20	मिजोरम	8
4	बिहार	6	21	नागालैण्ड	1
5	चण्डीगढ़	2	22	ओड़ीशा	45
6	छत्तीसगढ़	49	23	पुदुचेरी	16
7	दिल्ली	31	24	पंजाब	62
8	गोवा	12	25	राजस्थान	6
9	गुजरात	60	26	सिक्किम	2
10	हरियाणा	27	27	तमिलनाडु	783
11	हिमाचल प्रदेश	19	28	तेलंगाना	183
12	जम्मू और कश्मीर	7	29	त्रिपुरा	33
13	झारखण्ड	17	30	उत्तर प्रदेश	42
14	कर्नाटक	276	31	उत्तराखण्ड	9
15	केरल	569	32	पश्चिम बंगाल	1103
16	मध्य प्रदेश	17		कुल योग :	3954
17	महाराष्ट्र	99			

रिपोर्टाधीन वर्ष 2016-17 के दौरान 1082.08 लाख रुपए का व्यय हुआ।

रेखाचित्र 6.5(ii): वर्ष 2016-17 के दौरान एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों की राज्यवार संख्या



6.5(iii) स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति

देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिभावान छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में समुचित प्रोत्साहन उपलब्ध करवाकर स्नातकोत्तर शिक्षा पद्धति की शिक्षा प्राप्त करने हेतु आकर्षित किया जाये। इसलिए, वि०अ०आ० ने विश्वविद्यालय में स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय रैंक धारकों हेतु स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति को आरंभ तथा कार्यान्वित किया है।

उस छात्रवृत्ति की अवधि 2 वर्ष होगी ताकि प्रत्येक विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले स्नातक स्तर के छात्र निष्णात उपाधि को जारी रख सकें। बी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.कॉम इनमें सामान्य एवं ऑनर्स पाठ्यक्रमों में, संपूर्ण विश्वविद्यालय (महाविद्यालय के स्तर के अलावा) में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ताओं को सभी सम्बद्ध विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा रैंक संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने होंगे। अवार्डधारक देश के किसी भी उच्चतर अधिगम संस्थान में किसी भी विशिष्टता के क्षेत्र में अपना स्नातकोत्तर कार्यक्रम जारी रख सकते हैं।

इस योजना के निम्नवत लक्ष्य हैं :

- प्रतिभा का संवर्धन एवं उसका पोषण करना;
- ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातक स्तर पर उत्कृष्ट निष्पादन किया है ऐसे मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जाये ताकि वे स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन को जारी रख सकें;
- स्नातकोत्तर स्तर पर सामान्य एवं ऑनर्स दोनों श्रेणियों में मूलमूल विषयों में अध्ययन को बढ़ावा देना;
- देशभर में सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षणिक उत्कृष्टता को तैयार करना।

पात्रता :

किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में जिन्हें प्रवेश पाने वाले स्नातक स्तर के प्रथम या द्वितीय शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। इस प्रकार के अवार्ड प्राप्तकर्ताओं को अपनी योग्यता के परिणाम को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना पड़ेगा। तथापि, यह छात्रवृत्ति स्नातक स्तर पर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी।

योजना ऐसे छात्रों पर लागू है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त राज्य/सम विश्वविद्यालय और स्वायत्त अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पूर्णकालीन निष्णात उपाधि पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है। छात्रवृत्ति केवल स्नातकोत्तर डिग्री के छात्रों को ही उपलब्ध है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय छात्रों की आयु सीमा 30 वर्ष है। छात्रवृत्ति हेतु दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर विचार नहीं किया जाता है।

प्रथम शिक्षा वर्ष के दौरान सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या प्रतिवर्ष 3000 होगी। छात्रवृत्ति की अवधि केवल दो वर्ष होगी। किसी भी स्थिति में इस छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्षों से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

केवल उन सबद्ध विश्वविद्यालयों से रैंक धारकों पर विचार किया जाएगा जहां कम से कम 100 छात्र हैं और सम विश्वविद्यालयों/स्वायत्त/गैर-संबद्ध महाविद्यालयों में जहां कम से कम 25 छात्र स्नातकपूर्व स्तर पर परीक्षा में बैठे हों।

दिनांक 01.12.2014 से वित्तीय सहायता का स्वरूप निम्नवत है:

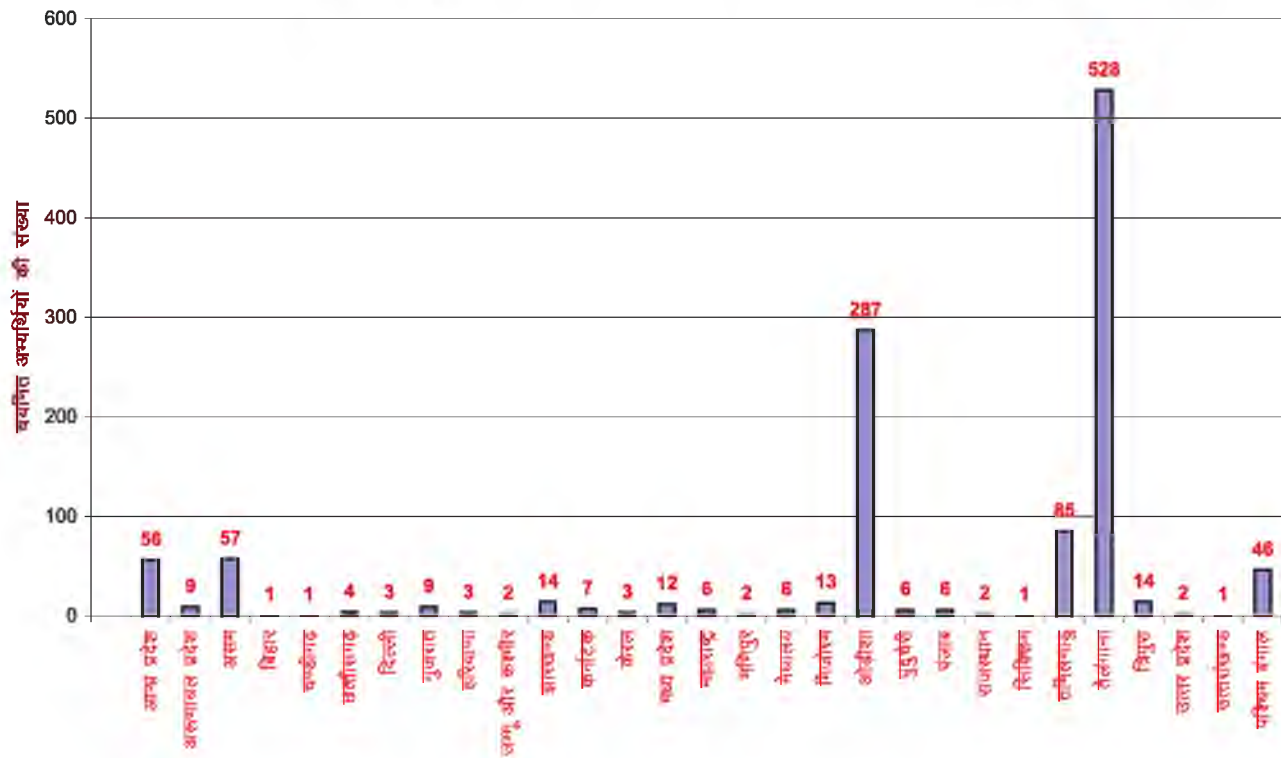
ब्यौरा	छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति की अवधि
छात्रवृत्ति	3,100/-रुपये प्रतिमाह की दर से	केवल दो वर्ष (केवल 20 माह) अर्थात् पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए

तालिका 6.5(iii): वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 'स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति योजना' के तहत वर्ष 2016-17 के लिए अवार्ड की गई छात्रवृत्तियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2016-2017	क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2016-2017
1.	आन्ध्र प्रदेश	56	16.	मणिपुर	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	9	17.	मेघालय	6
3.	असम	57	18.	मिजोरम	13
4.	बिहार	1	19.	ओड़ीशा	287
5.	चण्डीगढ़	1	20.	पुदुचेरी	6
6.	छत्तीसगढ़	4	21.	पंजाब	6
7.	दिल्ली	3	22.	राजस्थान	2
8.	गुजरात	9	23.	सिक्किम	1
9.	हरियाणा	3	24.	तमिलनाडु	85
10.	जम्मू और कश्मीर	2	25.	तेलंगाना	528
11.	झारखण्ड	14	26.	त्रिपुरा	14
12.	कर्नाटक	7	27.	उत्तर प्रदेश	2
13.	केरल	3	28.	उत्तराखण्ड	1
14.	मध्य प्रदेश	12	29.	पश्चिम बंगाल	46
15.	महाराष्ट्र	6		कुल:	1186

रिपोर्टधीन वर्ष, 2016-17 के दौरान 486.67 लाख रुपए का व्यय हुआ।

रेखाचित्र 6.5(iii): शिक्षा वर्ष 2016-18 के दौरान 'स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति योजना' के तहत चयनित अभ्यर्थियों की राज्य-वार संख्या



6.5(iv): गेट अर्हता प्राप्त एम.ई./एम.टेक./एम.फार्मा छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गेट/जीपीएटी अर्हता प्राप्त एम.ई./एम.टेक./एम. फॉर्मा पाठ्यक्रमों और समेकित दोहरी उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को लागू कर रहा है। योजना का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी शिक्षा को जारी रखने हेतु प्रतिभावान स्नातक उपाधि धारक युवा छात्रों को आकर्षित करने में मदद करना है।

योजना के आरंभ से तकनीकी कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता हेतु प्रतिवर्ष 1200 छात्रवृत्तियों के लिये दावा प्रस्तुत कर रहे हैं।

दिनांक 01.12.2014 से वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:

ब्यौरा	छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति की अवधि
गेट/जीपीएटी में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति	12,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से	केवल दो/तीन वर्ष
आकस्मिक राशि	5,000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से	
गेट/जीपीएटी में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति	10,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से	
आकस्मिक राशि	5,000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से	

वर्ष 2016-17 के दौरान लाभार्थियों की संख्या

वित्त वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
2016-17	1500 (लगभग)

रिपोर्टाधीन वर्ष 2016-17 के दौरान 1014.56 लाख रुपए का व्यय हुआ।

6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियाँ

6.6(i) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए 'ईशान उदय' नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विशेष रुचि दिखाई है। जीईआर में वृद्धि करने तथा उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा सत्र 2014-15 से उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु एक विशेष छात्रवृत्ति योजना "ईशान उदय" को आरंभ करने का निर्णय लिया है। योजना आरंभ करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकार, केन्द्र तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्य विश्वविद्यालयों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उत्तर-पूर्व परिषद्, शिलांग तथा अन्य हितधारकों के साथ व्यापक रूप से परामर्श किया।

योजना के तहत वित्तीय सहायता का स्वरूप निम्नवत है:-

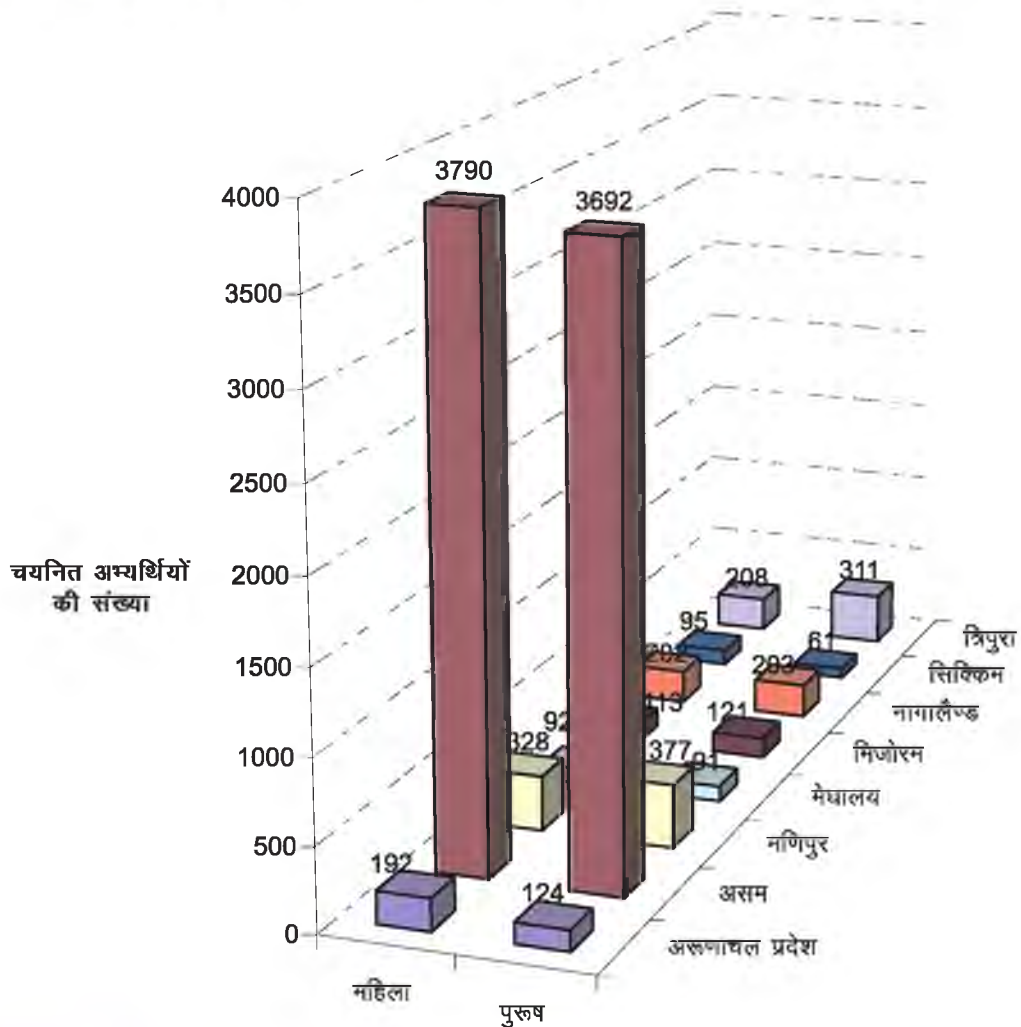
क्र.सं.	ब्यौरा	दिनांक 01.12.2014 से छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति की अवधि
1.	छात्रवृत्ति की राशि (सामान्य उपाधि के कार्यक्रमों के लिए)	5,400/- रुपए प्रतिमाह	स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए
2.	छात्रवृत्ति की राशि (चिकित्सीय और अर्ध-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों सहित तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों हेतु)	7,800/- रुपए प्रतिमाह	

तालिका 6.6(i) : वर्ष 2016-17 के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु "ईशान उदय" नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति हेतु चयन की स्थिति

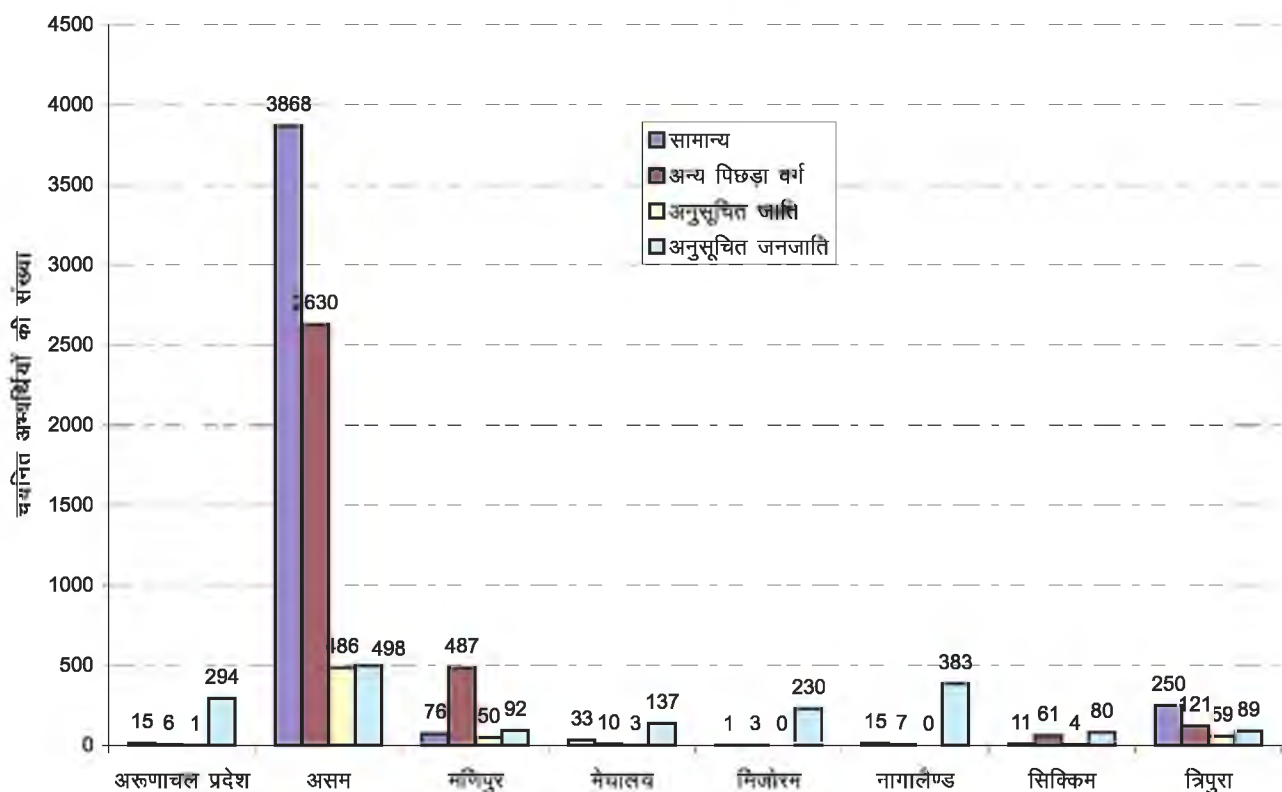
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला					पुरुष					कुल योग
		सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	
1	अरुणाचल प्रदेश	8	1	1	182	192	7	5		112	124	316
2	असम	1861	1428	225	276	3790	2007	1202	261	222	3692	7482
3	मणिपुर	28	233	22	45	328	48	254	28	47	377	705
4	मेघालय	12	3	1	76	92	21	7	2	61	91	183
5	मिजोरम	1			112	113		3		118	121	234
6	नागालैण्ड	8	4		190	202	7	3		193	203	405
7	सिक्किम	5	34	1	55	95	6	27	3	25	61	156
8	त्रिपुरा	117	33	14	44	208	133	88	45	45	311	519
	कुल योग	2040	1736	264	980	5020	2229	1589	339	823	4980	10000

रिपोर्टधीन वर्ष 2016-17 के दौरान 8899.00 लाख रुपए का व्यय हुआ।

रेखाचित्र 6.6(i): उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए "ईशान उदय" नामक योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों की राज्य तथा लिंगवार संख्या



रेखाचित्र 6.6(i): उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए “ईशान उदय” नामक योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों की राज्य तथा श्रेणीवार संख्या



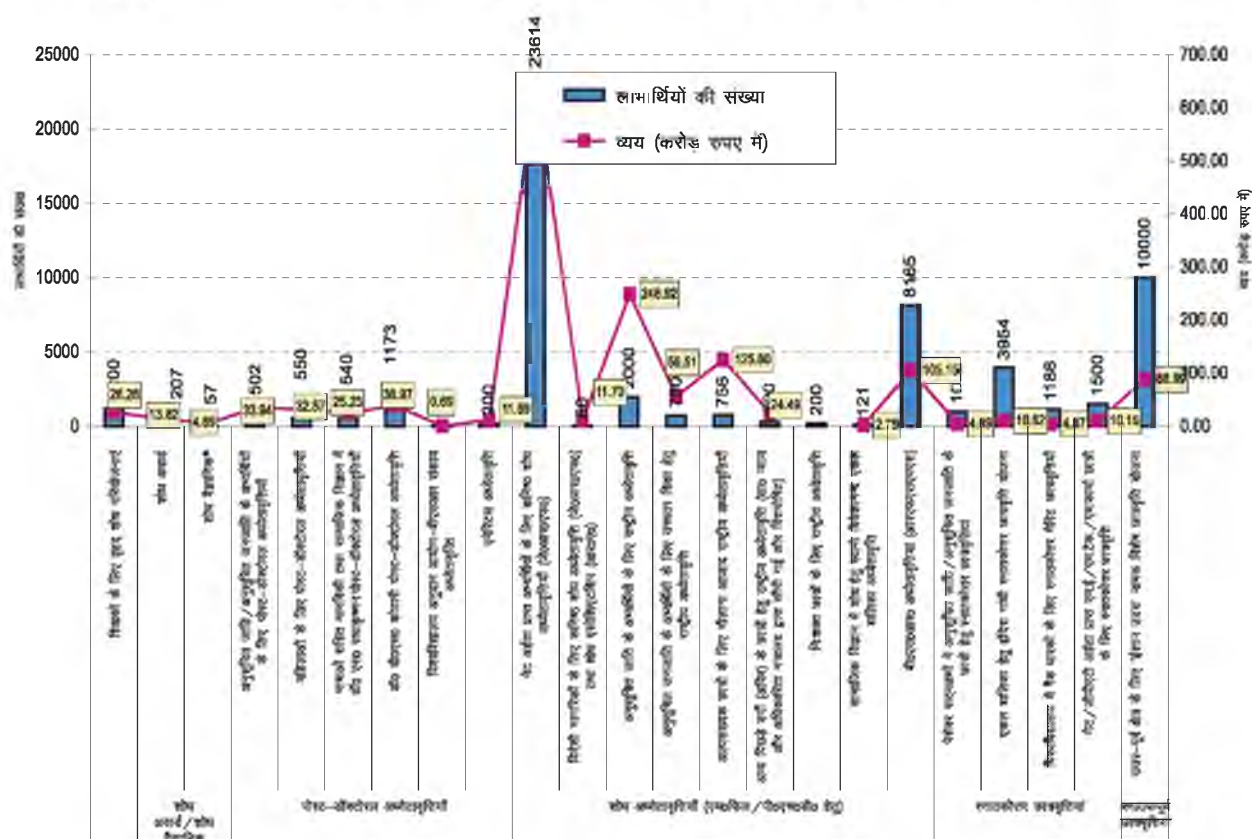
वर्ष 2016-17 के दौरान शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक, पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति, शोध अध्येतावृत्ति, स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति, स्नातकपूर्व छात्रवृत्ति योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना को प्रारंभ करने का वर्ष	प्रतिवर्ष स्लॉटों की संख्या	अध्येतावृत्ति/ छात्रवृत्ति की अवधि	लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2016-17 के दौरान जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में)
6.1	शिक्षकों हेतु वृहद शोध परियोजनाएं				1200	2626.00
6.2 शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक						
6.2(i)	शोध अवार्ड		100	2 वर्ष	207	1382.00
6.2(ii)	शोध वैज्ञानिक*	1983			57	469.00
6.3 पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ						
6.3(i)	पेशेवर पाठ्यक्रमों में अ0ज0/अ0ज0ज0 के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	2006-07	100	5 वर्ष	502	3394.42
6.3(ii)	महिलाओं के लिए पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	1998	100	5 वर्ष	550	3257.00
6.3(iii)	भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में डॉ0 एस0 राधाकृष्णन पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	2014-15	200	3 वर्ष	540	2523.00
6.3(iv)	डॉ0 डी0एस0 कोठारी पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति	2008-2009	500	3 वर्ष	1173	3897.00
6.3(v)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-बीएसआर सकाय अध्येतावृत्ति	2010-11	(कोई सीमा नहीं)	3 वर्ष	18	69.00

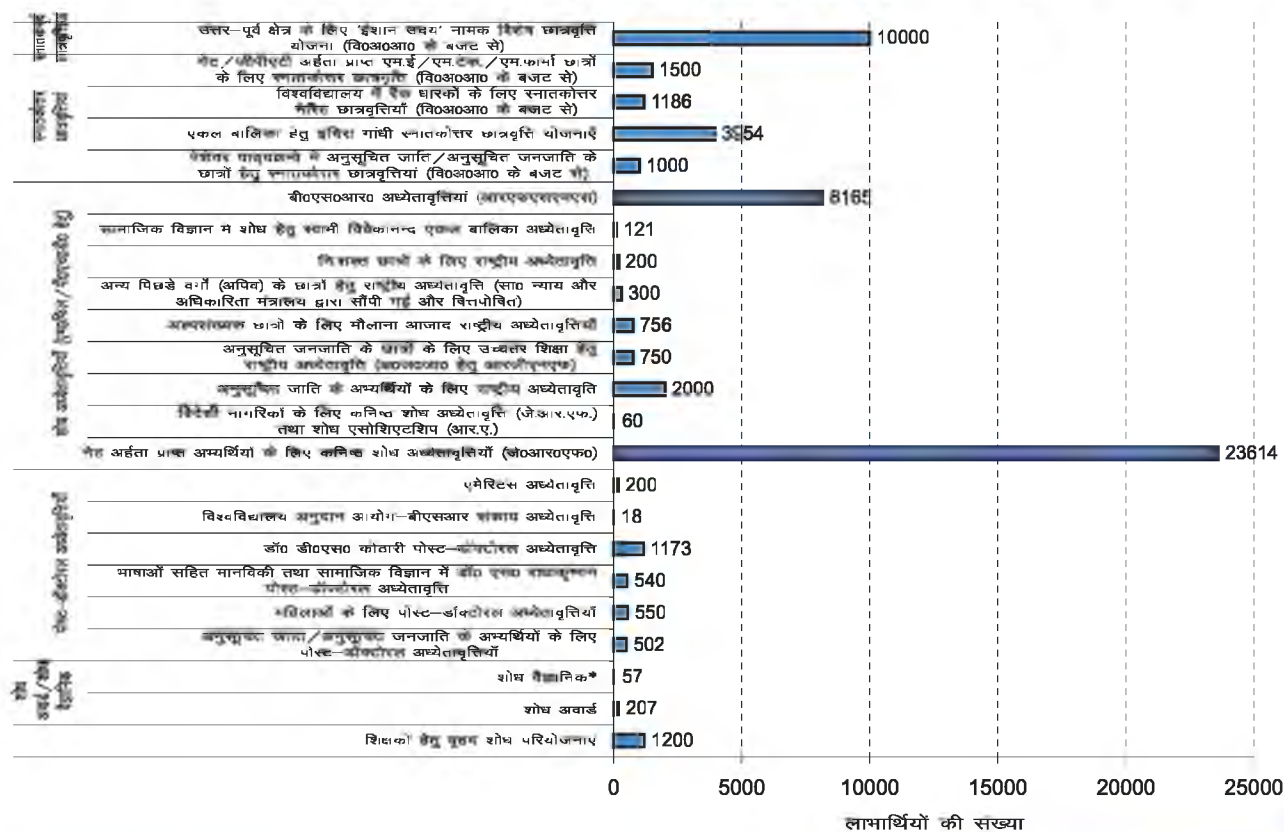
क्र.सं.	योजना का नाम	योजना को प्रारंभ करने का वर्ष	प्रतिवर्ष स्लॉटों की संख्या	अध्येतावृत्ति / छात्रवृत्ति की अवधि	लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2016-17 के दौरान जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में)
6.3(vi)	एंगरेटस अध्येतावृत्तियाँ	किसी एक दिए गए समय पर दो वर्षों के लिए 200		2 वर्ष	200	1169.00
6.4 शोध अध्येतावृत्तियाँ (एम0फिल0/पी0एच0डी हेतु)						
6.4(i)	नेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ (जे0आर0एफ0)	1957-58	8800	5 वर्ष	23614	63881.00
6.4(ii)	विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) तथा शोध एसोशिएटशिप (आर.ए.)	1957-58	20+7	4 वर्ष	60	117.00
6.4(iii)	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ	2005-2006	2000	5 वर्ष	2000	24891.92
6.4(iii)(क)	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (अ0ज0जा0 हेतु आरजीएनएफ)	2005-06		5 वर्ष	750	5651.10
6.4(iv)	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (वर्ष 2009-2010 से नई योजना आरंभ की गई तथा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित की गई)	2009-2010	756	5 वर्ष	756	12580.39
6.4(v)	अन्य पिछड़े वर्गों (अपिब) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (सा0 न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सौंपी गई और वित्तपोषित की गई)	2014-15	300	5 वर्ष	300	2448.66
6.4(vi)	निशक्त छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निशक्तता विभाग द्वारा सौंपी गई और वित्तपोषित की गई)	2012-13	200	5 वर्ष	200	
6.4(vii)	सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका अध्येतावृत्ति	2014-15	300	4-5 वर्ष	121	271.88
6.4(viii)	बी0एस0आर0 अध्येतावृत्तियाँ (आरएफएसएमएस)	2006-07	1500	5 वर्ष	8165	10515.00
6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ						
6.5(i)	पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	2006-07	1000	2/3 वर्ष	1000	489.38
6.5(ii)	एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	2005-07	कोई सीमा नहीं	2 वर्ष	3954	1082.08
6.5(iii)	स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय में रैक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	2005-07	3000	2 वर्ष	1186	486.67
6.5(iv)	गेट/जीपीएटी अर्हता प्राप्त एम.ई./एम.टेक./एम.फार्मा छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	लंबे समय से	1500	2/3 वर्ष	1500	1014.56
6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियाँ						
6.6(i)	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए "ईशान उदय" नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	2014-15	10000	स्नातकपूर्व स्तर की पूर्ण अवधि के लिए	10,000	8899.00

*योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बंद कर दिया गया है, केवल पुराने मामलों को ही वित्तपोषित किया जा रहा है। वर्तमान में, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में 57 शोध वैज्ञानिक ही कार्यरत हैं।

रेखाचित्र 6.1 से 6.6(ख): वर्ष 2016-17 के दौरान लाभार्थियों की योजना-वार संख्या और किया गया व्यय :



रेखाचित्र 6.1 से 6.6: वर्ष 2016-17 के दौरान अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, योजना-वार लाभार्थियों की संख्या (शिक्षक/छात्र)



6.1 से 6.6 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया, अनुदानों के अंतरण की प्रणाली में परिवर्तन करने का प्रयास है। डीबीटी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभ सीधे व्यक्ति विशेष के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुँचे तथा भुगतान में शामिल चरणों को कम से कम करके भुगतान में विलम्ब को कम किया जा सके, तथा लाभार्थी को सटीक ढंग से लक्षित किया जा सके तथा चोरी और दोहरे भुगतान को रोका जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सभी अध्येतावृत्तियों तथा छात्रवृत्ति योजनाओं का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है।

6.7 खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए निशुल्क शिक्षा योजना

खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए निशुल्क शिक्षा योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया गया है। योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों सहित पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत तथा राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं अथवा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस, अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति तथा एशिया ओलम्पिक समिति (ओसीए) द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों/ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्र की पात्रता के अध्यधीन, प्रत्येक मामले में प्राप्त व्योरे के आधार पर राष्ट्रीय महत्त्व के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों को वित्तीय सहायता की प्रतिपूर्ति की जाती है। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रारूप के अनुरूप विधिवत् रूप से अनुप्रमाणित तथा सत्यापित संगत दस्तावेजों को जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम के अंतर्गत 70 लाभार्थी हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभार्थियों को भुगतान करने पर हुए व्यय का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
2014-15	0.39
2015-16	0.45
2016-17	—

योजना के तहत वर्ष 2016-17 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

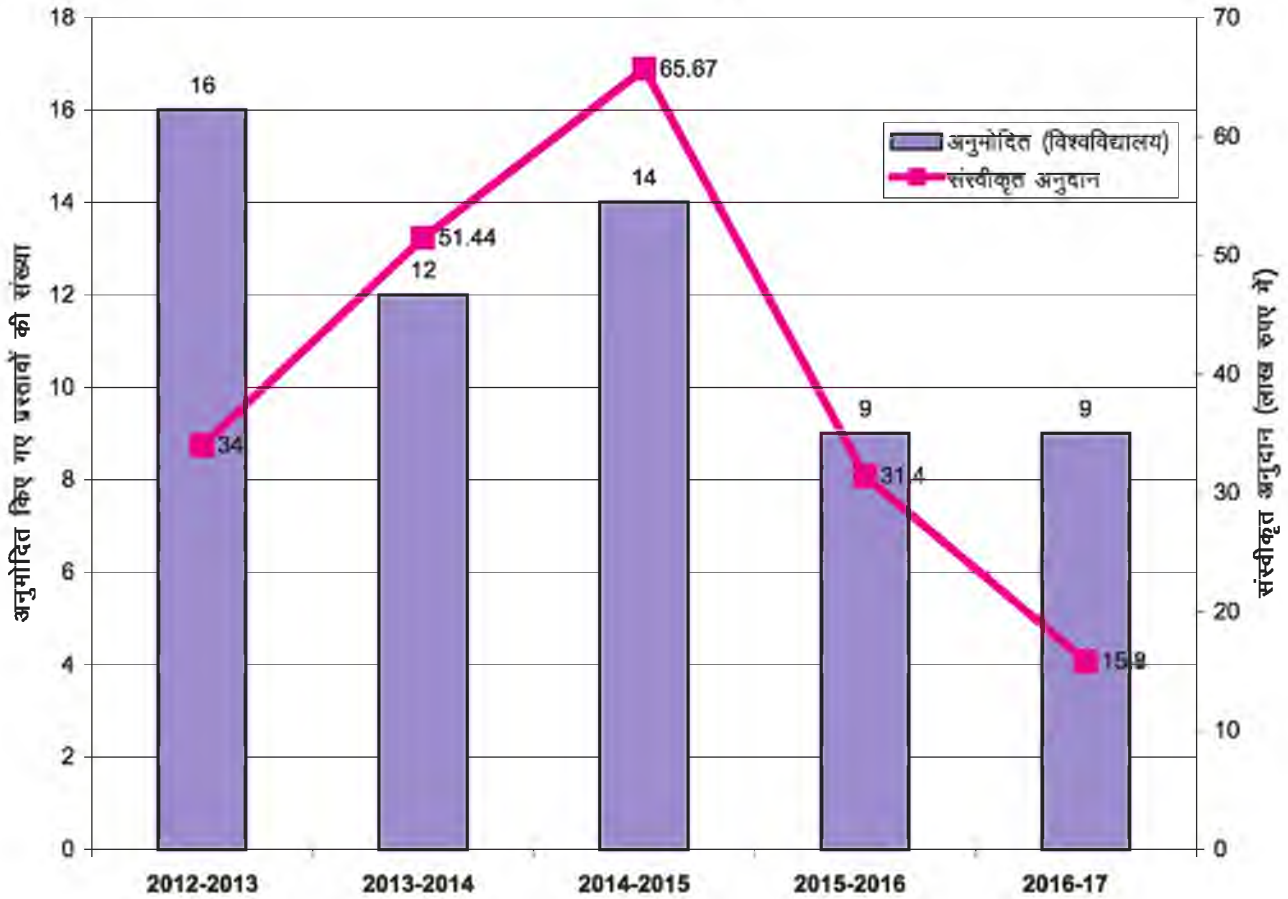
6.8 विभिन्न शैक्षिक तथा शोध क्रियाकलापों हेतु शिक्षकों, विषय/विद्या आधारित संघों को प्रोत्साहन देना।

योजना का उद्देश्य सामाजिक विज्ञान, मानविकी तथा भाषाओं में विशिष्ट क्रियाकलापों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विषय आधारित संघों को सहायता प्रदान करना है ताकि शिक्षकों तथा शोधार्थियों को पत्र प्रस्तुत करने हेतु सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके जिससे पत्रों का प्रकाशन हो सके।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् वर्ष 2012-17 के दौरान संस्वीकृत अनुदान

वर्ष	प्रस्तावों की संख्या		संस्वीकृत अनुदान की राशि (लाख रुपए में)
	प्राप्त (विश्वविद्यालय)	अनुमोदित (विश्वविद्यालय)	
2012-2013	19	16	34
2013-2014	24	12	51.44
2014-2015	19	14	65.67
2015-2016	15	9	31.4
2016-2017	9	9	15.80
कुल:	86	60	198.31

रेखाचित्र 6.8: बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित किए गए प्रस्तावों (विश्वविद्यालय) की वर्षवार संख्या तथा संस्वीकृत अनुदान



6.9 विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूआईसीटी, मुंबई के पूर्व निदेशक, प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोध को पुनर्जीवित करने के लिए एक कृतबल का गठन किया था। यूआईसीटी, मुंबई के पूर्व निदेशक, प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में मई, 2005 में कृतबल की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु प्रथम अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। समिति ने मार्च, 2014 तक लगभग 8 वर्ष तक की अवधि तक कार्य किया। तत्पश्चात्, कृतबल की सिफारिशों को लागू करने के लिए नवम्बर, 2014 में डॉ० अनिल सहस्रबुद्धि की अध्यक्षता में दूसरी अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया।

कृतबल की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिकार प्राप्त समिति के मार्गदर्शन में निम्नवत योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

6.9(i) फैकल्टी रीचार्ज प्रोग्राम (एफआरपी)

‘ऑपरेशन फैकल्टी रीचार्ज’ को वर्ष 2011 में आरंभ किया गया है जिसके तहत 1000 संकाय के पदों का सृजन किया गया है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक विज्ञापन द्वारा भरा गया। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु जेएनयू में एक प्रकोष्ठ की भी स्थापना की जा चुकी है जिसमें प्रो० आर० पी० गांधी राष्ट्रीय समन्वयक तथा प्रो० सुदेश नागिया सहायक समन्वयक नियुक्त किये गये हैं। वर्तमान में, 373 संकाय अर्थात् आचार्य/सहायक आचार्य/सह आचार्यों का चयन किया जा चुका है जिसमें से 126 ने कार्य ग्रहण कर लिया है।

संकायों अर्थात् आचार्य/सहायक आचार्य/सह-आचार्य की नियुक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष है जिसके पश्चात् सहकर्मी समीक्षा (पीयर-रीव्यू) की जायेगी। सिद्धांत रूप में “फैकल्टी रिचार्ज” पदों को अधिवर्षिता की आयु (65 वर्ष) तक जारी रखा जा सकता है। पांच वर्ष के प्रत्येक कार्यकाल में मध्यावधि मूल्यांकन का उपबंध है।

वित्तीय सहायता:

वेतन: वि०अ०आ० संकाय को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संकाय के समकक्ष परिलब्धियां प्राप्त होती हैं।

अतिरिक्त अनुदान:

संकाय पदधारियों को शोध हेतु 10.00 लाख रुपये तक का स्टार्ट-अप अनुदान प्राप्त होता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों से चयनित 123 चयनित संकायों को वेतन तथा स्टार्ट-अप अनुदान के लिए 11.19 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

आयोग ने दिनांक 2 सितम्बर, 2016 को हुई बैठक में आधारभूत वैज्ञानिक शोध की योजना के तहत भविष्य में एफआरपी को वापस लेने का संकल्प लिया।

6.9(ii) नेटवर्किंग शोध केन्द्र: समर-विंटर स्कूल

नेटवर्किंग शोध केन्द्र की स्थापना के उद्देश्य निम्नवत है:

1. समय-समय पर चर्चा, कार्यशाला तथा ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन विद्यालयों के माध्यम से संकाय तथा शोध विद्वानों का शोध प्रशिक्षण तथा कौशल विकास।
2. संकाय एवं विभागों को उनके शोध कौशल में वृद्धि करने तथा उन्हें परामर्श प्रदान करने के लिए क्षमता निर्माण।
3. महत्वपूर्ण प्रयोग करने के लिए अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से शोधकर्ताओं को आमंत्रित करना तथा उन्हें सुविधा प्रदान करना।
4. अन्य संस्थानों/शोधकर्ताओं को गुणवत्तायुक्त शोध सूचना उपलब्ध करवाने के लिए विभाग की सूचना संसाधन सुविधा में वृद्धि करना।
5. विभाग के भीतर अत्याधुनिक शोध अवसंरचना तथा अन्य शोध सुविधाओं में वृद्धि करना तथा उनका निर्माण करना।
6. बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत नेटवर्किंग शोध केन्द्रों की स्थापना के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निम्नवत 10 विभागों को अनुमोदित किया गया है :

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विभाग	स्थापना का वर्ष
1.	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	जीव विज्ञान	2008
2.	कोलकाता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	रेडियो भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स	2008
3.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, तेलंगाना	रसायन	2008
4.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु	पदार्थ अभियांत्रिकी	2008
5.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई	रसायन अभियांत्रिकी	2008
6.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु	जीव विज्ञान का एक भाग	2008
7.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	भेषज विज्ञान	2008
8.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	भौतिकी	2008
9.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	स्कूल ऑफ लाइफ साइंस	2008
10.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, तेलंगाना	भौतिकी	2014-2015

वर्ष 2016-17 के दौरान सात विभागों को 0.80 करोड़ रुपए जारी किए गए।

6.9(iii) भर्ती हुए नये सकाय सदस्यों हेतु 'स्टार्ट-अप' अनुदान

इस योजना के तहत ऐसे सभी शिक्षक पात्र हैं, जो सहायक आचार्य के पद पर नये भर्ती हुए हों और जो पी0एच0डी0 उपाधि धारक हों तथा जिनके अनुमोदित/उद्धृत जर्नलों में कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित हो चुके हों। विश्वविद्यालय की विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए मूलभूत विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संकायों में स्थायी पद के समस्त विभाग/विश्वविद्यालयों में कार्यग्रहण करने की तिथि से छह माह के भीतर की अवधि के भीतर आवेदन करने वाले सहायक आचार्य, योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

- क) इस योजना के तहत सहायता की सीमा 10 लाख रुपए है।
- ख) अनुदान का उपयोग छोटे सामान, उपभोग्य सामग्रियों को क्रय करने, आकस्मिकताओं (अधिकतम 50,000/- प्रतिवर्ष), क्षेत्र कार्य (अधिकतम 50,000/- प्रतिवर्ष), यात्रा आदि के लिए किया जा सकता है।
- ग) अनुदान का उपयोग अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने के लिए अथवा परियोजना सहायक या शोध अध्येता की नियुक्ति के लिए नहीं किया जा सकता है।
- घ) इन शीर्षों के तहत निधियों की प्रमात्रा के बारे में प्रधान अन्वेषक द्वारा उसकी आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के 184 नए नियुक्त संकाय सदस्यों को 13.35 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

6.9(iv) बीएसआर कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को मिड करियर अवार्ड

मिड करियर अवार्ड योजना के तहत, एक शिक्षक को शोध कार्य करने के लिए 10.00 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं। अनुदान का उपयोग लघु उपकरणों, रसायनों, आकस्मिकताओं और क्षेत्र कार्यों के लिए किया जा सकता है।

शिक्षकों को एकमुश्त अनुदान देने का उद्देश्य उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में शोध को जारी रखने में मदद देना है। न्यूनतम पात्रता मानदंड निम्नानुसार है :-

- क) आवेदक ने सफलतापूर्वक 15 पूर्णकालिक अभ्यर्थियों के 05 पीएचडी शोध ग्रंथों की निगरानी की हो। जिनमें से 5 अभ्यर्थियों को पिछले 5 वर्षों में अपनी उपाधि प्राप्त हुई हो।
- ख) आवेदक ने राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय सरकार या निजी एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित कम से कम 5 प्रायोजित शोध परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर किया हो।
- ग) आवेदक द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को विश्वविद्यालय में कम से कम 3 वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए।
- घ) आवेदक द्वारा प्रकाशित पत्रों का संचयी प्रभाव कारक > 30 होना चाहिए (थॉमसन रायटर्स के जर्नल उद्धरण रिपोर्ट के अनुसार)।

विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अपना शोध जारी रखने वाले 12 शिक्षकों को 0.79 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

6.9(v) महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विकास अनुदान

शोध में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान तथा अभियांत्रिकी विज्ञान के स्नातकोत्तर स्तर पर शोध सहित अन्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अपेक्षित ऊर्जा आपूर्ति, जलापूर्ति, सुरक्षा उपकरणों, प्रयोगशालाओं, कार्य करने हेतु मेज़ और अपेक्षित अन्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय विभागों को विकास अनुदान उपलब्ध करवाया गया है।

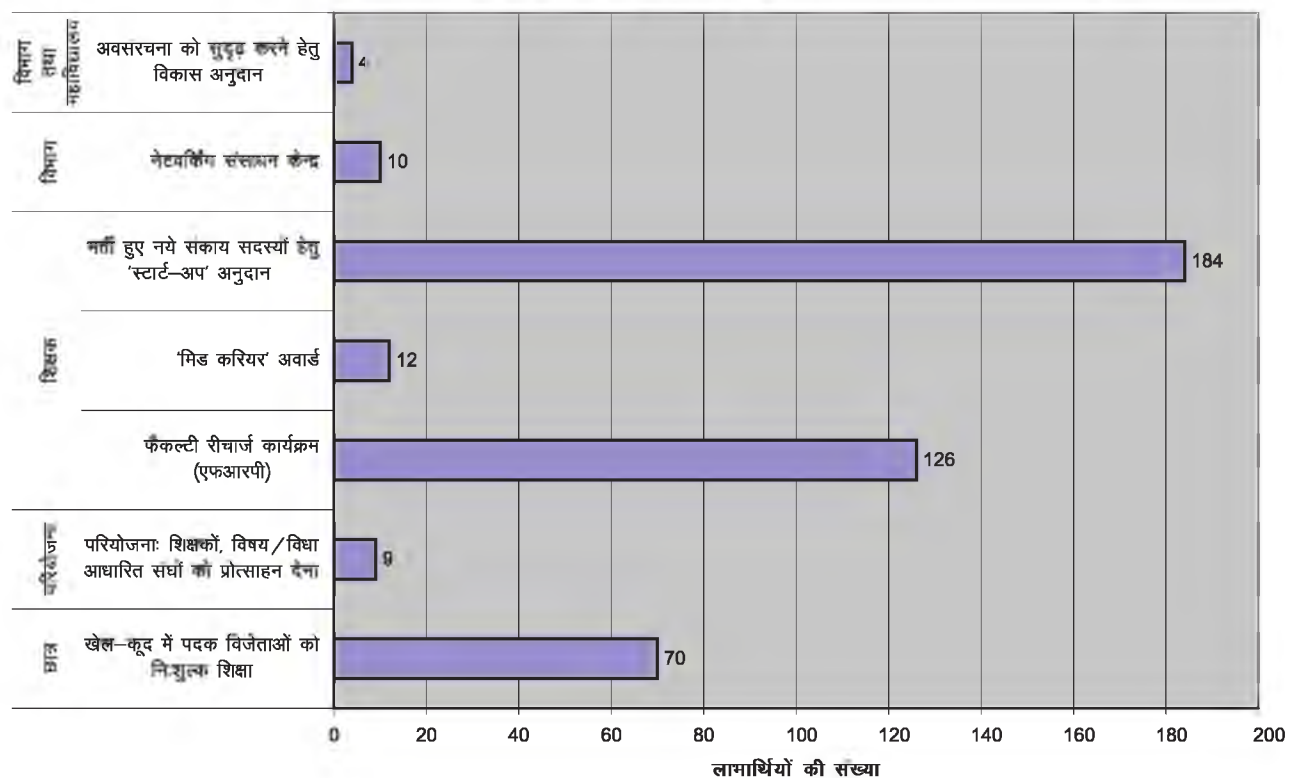
वर्ष 2016-17 के दौरान एसएपी विभागों, स्वायत्त महाविद्यालयों, उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालयों, गैर-एसएपी विभागों, एनएएसी प्रत्यायित महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	योजना का नाम	अनुमानित परिणाम	लक्ष्यार्थियों की संख्या
1.	एसएपी विभागों (सीएस विभागों/डीएस विभागों/डीआरएस विभागों) के लिए अवसंरचना विकास अनुदान	डीएस हेतु प्रथम किस्त : 20 लाख रुपये दूसरी और तीसरी किस्त : 20 लाख रुपए डीएस/सीएस हेतु प्रथम किस्त : 20 लाख रुपये दूसरी और तीसरी किस्त : 30 लाख रुपए	डीआरएस हेतु 02 विभाग
2.	गैर-सैप विभागों हेतु अवसंरचना अनुदान	गैर-सैप (पी0एच0डी0 प्रस्तुत किए जाने पर) प्रथम किस्त संकाय सदस्यों पिछले 5 वर्षों के सस्तुत अवसंरचनात्मक की संख्या दौरान प्रदत्त अनुदान (राशि रू0 में) पी0एच0डी0 की संख्या 5 और अधिक 10 और अधिक 10 लाख 10 और अधिक 20 और अधिक 15 लाख 15 और अधिक 25 और अधिक 25 लाख उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर अनुदान की समान राशि द्वितीय किस्त के रूप में संस्वीकृत की जा चुकी है।	गैर-सैप हेतु शून्य
3.	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय की अवसंरचना	सीपीई के दर्जे वाले विज्ञान महाविद्यालयों हेतु अवसंरचनात्मक 02 महाविद्यालय विद्युत आपूर्ति, संरक्षा उपकरण, फ्यूम हूड और काम करने की मेज आदि की व्यवस्था करने के लिए विज्ञान विभागों को प्रथम किस्त के रूप में प्रति विज्ञान विभाग 5.00 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं।	
4.	स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु अवसंरचनात्मक अनुदान	स्वायत्त दर्जे वाले विज्ञान महाविद्यालयों हेतु अवसंरचनात्मक विद्युत आपूर्ति, संरक्षा उपकरण, फ्यूम हूड और काम करने की मेज आदि की व्यवस्था करने के लिए स्वायत्त महाविद्यालयों को प्रथम किस्त के रूप में 10.00 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं।	शून्य
5.	एनएएसी प्रत्यायित स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालयों हेतु अवसंरचना अनुदान	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पुरानी पद्धति के अनुसार न्यूनतम बीबी++स्तर तथा नई पद्धति के अनुसार न्यूनतम बी स्तर के एनएएसी प्रत्यायित विज्ञान के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने हेतु 10 लाख रू0 की एकमुश्त अनुदान राशि उपलब्ध कराता है।	शून्य
कुल			4

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2016-2017 के लिए जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)
1.	डीआरएस	0.40
2.	गैर-सैप	-
3.	सीपीई	1.02
4.	स्वायत्त महाविद्यालय	-
5.	एनएएसी महाविद्यालय	-
कुल:		1.42

दिनांक 03 सितंबर, 2015 को आयोजित 71वीं बैठक में अधिकार प्राप्त समिति ने विभिन्न बीएसआर योजनाओं के तहत अवसरचनात्मक अनुदान को बंद करने का निर्णय लिया है।

रेखाचित्र 6.7 – 6.9 : वर्ष 2016-17 के दौरान शोध संवर्धन हेतु अन्य योजनाएं तथा लाभार्थियों की संख्या



➤ लिंग तथा सामाजिक समानता

- भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास
- उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों का क्षमता निर्माण
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक छात्रों तथा निशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम और आरक्षण की नीति का कार्यान्वयन
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अनुशिक्षण योजनाएं
- निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं
- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ
- सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशन की नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना

7.1(i) भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास

योजना के निम्नवत उद्देश्य हैं :-

- (i) शिक्षण, शोध तथा क्षेत्र कार्यवाही के माध्यम से महिला अध्ययन के विस्तार हेतु महिला अध्ययन केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- (ii) सामाजिक परिवर्तन, विकास तथा शोषण की प्रक्रियाओं के संबंध में महिलावादी दृष्टिकोण को उजागर करते हुए समाज के संबंध में शोध को बढ़ाने के लिए अंतर विषयक पद्धति तथा सिद्धांत को समझना।
- (iii) क्षेत्र कार्यवाही कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र की वास्तविकता के साथ लगातार संपर्क को बढ़ावा देना जिससे इसका उपयोग अकादमिक क्रियाकलापों में किया जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) तथा 12ख के तहत मान्यताप्राप्त तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के तहत सामान्य विकास अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

वर्तमान में, विभिन्न विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में “भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययन के विकास की योजना” के तहत 163 महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गई है।

दिनांक 24 सितम्बर, 2014 से प्रभावी बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष 2016-17 से विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययनों केन्द्रों हेतु वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नवत है:

विश्वविद्यालय

चरण	आवर्ती आबंटन (प्रतिवर्ष)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनावर्ती आबंटन
चरण-I	31,00,000/- रुपए	5,00,000/- रुपए
चरण-II	46,50,000/- रुपए	5,00,000/- रुपए
चरण-III	63,00,000/- रुपए	5,00,000/- रुपए
उच्च केन्द्र:	73,00,000/- रुपए	10,00,000/- रुपए

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वितीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है

कार्यशाला	मद	लागत प्रति कार्यशाला (रुपय में)
30 मागीदारों के लिए 5 दिनों तक संवेदनशील बनाने/जानगरुकता पैदा करने/अभिप्रेरणा (एस.ए.एम.) संबंधी गैर-आवासीय कार्यशालाएँ		2,00,000
30 मागीदारों के लिए 5 दिनों तक संवेदनशील बनाना/जानगरुकता पैदा करना/अभिप्रेरणा (एस.ए.एम.) संबंधी आवासीय कार्यशालाएँ		4,00,000
30 मागीदारों के लिए 5 दिनों तक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण(टीओओटीओ). संवेदनशील बनाना/जानगरुकता पैदा करना/अभिप्रेरणा (एस.ए.एम.) कार्यशालाएँ		4,00,000
30 मागीदारों के लिए 6 दिनों तक प्रबंधन कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला जिसमें प्रति मॉड्यूल 2 कार्य दिवसों का होता है		4,00,000
30 मागीदारों के लिए 3 दिन तक पुनःश्रवण कार्यक्रम		2,00,000
30 मागीदारों के लिए 6 दिन तक शोध उत्प्रेरण कार्यशाला		4,00,000

दसवीं पंचवर्षीय योजना तक, दो पृथक योजनाएँ चल रहीं थीं एक "भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययन के विकास की योजना" थी तथा दूसरी योजना उच्च शिक्षा में महिला प्रबंधकों की क्षमता निर्माण हेतु योजना थी। तथापि, मई 2013 में आयोग ने यह निर्णय लिया कि "भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययन के विकास की योजना" के दायरे को बढ़ाकर उच्च शिक्षा में महिला प्रबंधकों की क्षमता निर्माण हेतु योजना को भी इसमें ही जोड़ दिया जाए। इस प्रकार आयोग के अनुमोदन से दोनों योजनाओं के लिए समेकित बारहवीं पंचवर्षीय दिशानिर्देश तैयार किए गए और आयोग की दिनांक 22 सितम्बर,

महाविद्यालय

वर्ण	प्रतिवर्ष आबंटन
वर्ण-I	5.00 लाख
वर्ण-II	8.00 लाख
वर्ण-III	12.00 लाख

वर्ष 2016-17 के दौरान 13.62 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला अध्ययन केन्द्रों को वर्षवार जारी किया गया योजनागत अनुदान

वर्ष	जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)
2012-13	12.48
2013-14	1.77
2014-15	9.68
2015-16	6.37
2016-17	13.62
कुल	43.92

7.1(ii) उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों का क्षमता निर्माण

इसके निम्नवत उद्देश्य हैं:

- बेहतर लिंग संतुलन करने के लिए उच्चतर शिक्षा प्रबंधन में भागीदारी को बढ़ाना।
- उच्चतर शिक्षा के प्रशासकों को नीतियों तथा प्रक्रियाओं के माध्यम से संवेदनशील बनाना जो महिलाओं की समानता तथा विविधता को मान्यता प्रदान करते हैं तथा उनकी उन्नति का संवर्धन करते हैं।
- प्रशासन बनने हेतु सक्षम महिलाओं की प्रतिभा के उपयोग नहीं किए गए पूल को शामिल कर उच्चतर शिक्षा के गुणात्मक विकास में मदद करना।

2014 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 15 जनवरी, 2015 के आदेश संख्या 4017/2005-यू.1ए द्वारा पुनर्गठित महिला अध्ययन संबंधी स्थायी समिति दोनों योजनाओं के कार्य की देखरेख करेगी। योजना हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशानिर्देश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी), पुनश्चर्या कार्यशाला, संवेदीकरण/ जागरूकता/ अभिप्रेरण (एसएएम), कार्यशाला एवं प्रबंधन कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला हेतु 07 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जब कभी भी स्थायी समिति की बैठक आयोजित होगी, तब यह प्रस्ताव समिति के विचारार्थ रखा जाएगा।

7.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग के अलावा), अल्पसंख्यकों तथा निशक्त व्यक्तियों हेतु कार्यक्रम

भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों तथा विश्वविद्यालय/संस्थान में सभी स्तरों पर सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की सतत् रूप से निगरानी कर रहे हैं।

अनुसूचित जाति/संकाय सदस्यों केन्द्रिय विश्वविद्यालय/सम विश्वविद्यालयों को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा सहायक आचार्य, सह आचार्य तथा आचार्य के पद पर अनुसूचित जातियों को 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को 7.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना अनिवार्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा शिक्षण पदों पर केवल सहायक आचार्य के स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देना अनिवार्य है। तथापि, राज्य विश्वविद्यालय तथा उनके घटक/संबद्ध महाविद्यालय तथा अन्य संस्थान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सथा विहित आरक्षण के प्रतिशत का पालन कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लगातार, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव के निवारण के लिए सतत् रूप से प्रयासरत है। वर्ष 2016-17 के दौरान सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों से निम्नवत कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया:-

1. आधिकारिक/संकाय सदस्यों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ उनके सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव करने से बचना चाहिए।
2. विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय को अपनी वेबसाइट पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा जाति संबंधी भेदभाव की शिकायत करने के लिए एक पेज विकसित करना चाहिए साथ ही इस प्रयोजनार्थ कुल सचिव/प्राचार्य के कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर रखा जाना चाहिए। यदि प्राधिकरणों के ध्यान में ऐसा कोई मामला आता है तो चूक करने वाले अधिकारी/संकाय सदस्यों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए।
3. विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी अधिकारी/संकाय सदस्य छात्र के किसी समुदाय या श्रेणी के विरुद्ध किसी प्रकार का भी भेदभावपूर्ण कार्य नहीं करे।
4. विश्वविद्यालय/संस्थान को अपने अधिकारियों/संकाय सदस्यों को जातिगत भेदभाव की ऐसी घटनाओं पर कार्यवाही करने के समय अधिक संवेदनशील होना चाहिए तथा ई-मेल : sctsection@gmail.com या विहित प्रारूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को की गई रिपोर्ट भेजनी चाहिए।

जून, 2015 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर संपर्क अधिकारी का नामांकन करने तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय/सम विश्वविद्यालय में पदों तथा सेवाओं में आदेशों के प्रवर्तन हेतु एक प्रकोष्ठ की स्थापना करने के संबंध में दिनांक 4 जनवरी, 2013 के का.ज्ञा. सं. 43011/153/2010-स्था0 (आरएंडएस) के कार्यालय ज्ञापन की प्रति परिचालित की। का.ज्ञा. में आगे संपर्क अधिकारी के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का ब्यौरा दिया गया है। विश्वविद्यालय/संस्थान से उनके विश्वविद्यालय के सभी घटक तथा संबद्ध महाविद्यालयों में इसे परिचालित करने तथा इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही करने का भी अनुरोध किया।

विश्वविद्यालय/संस्थान को दिनांक 30.11.2016 के पत्र संख्या 1-8/2014 (एससीटी) में विहित प्रारूप में आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट उपलब्ध कराने तथा वर्ष 2016-17 के लिए शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों के साथ-साथ सभी स्तरों पर पाठ्यक्रमों तथा छात्रावास आवास में प्रवेश देने के संबंध में आंकड़ों की जानकारी देने का अनुरोध दिया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में स्थापित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अनुभाग प्रवेश, शिक्षण तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षणेत्तर पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निशक्त अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु आरक्षण नीति के प्रभाव की कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान शिक्षण, शिक्षणोत्तर पदों, छात्रों के प्रवेश तथा छात्रावास में निवास कर रहे छात्रों के संबंध में 30 केन्द्रीय, 82 राज्य सार्वजनिक, 14 सम विश्वविद्यालयों द्वारा जानकारी भेजी गई, जो निम्नवत है:-

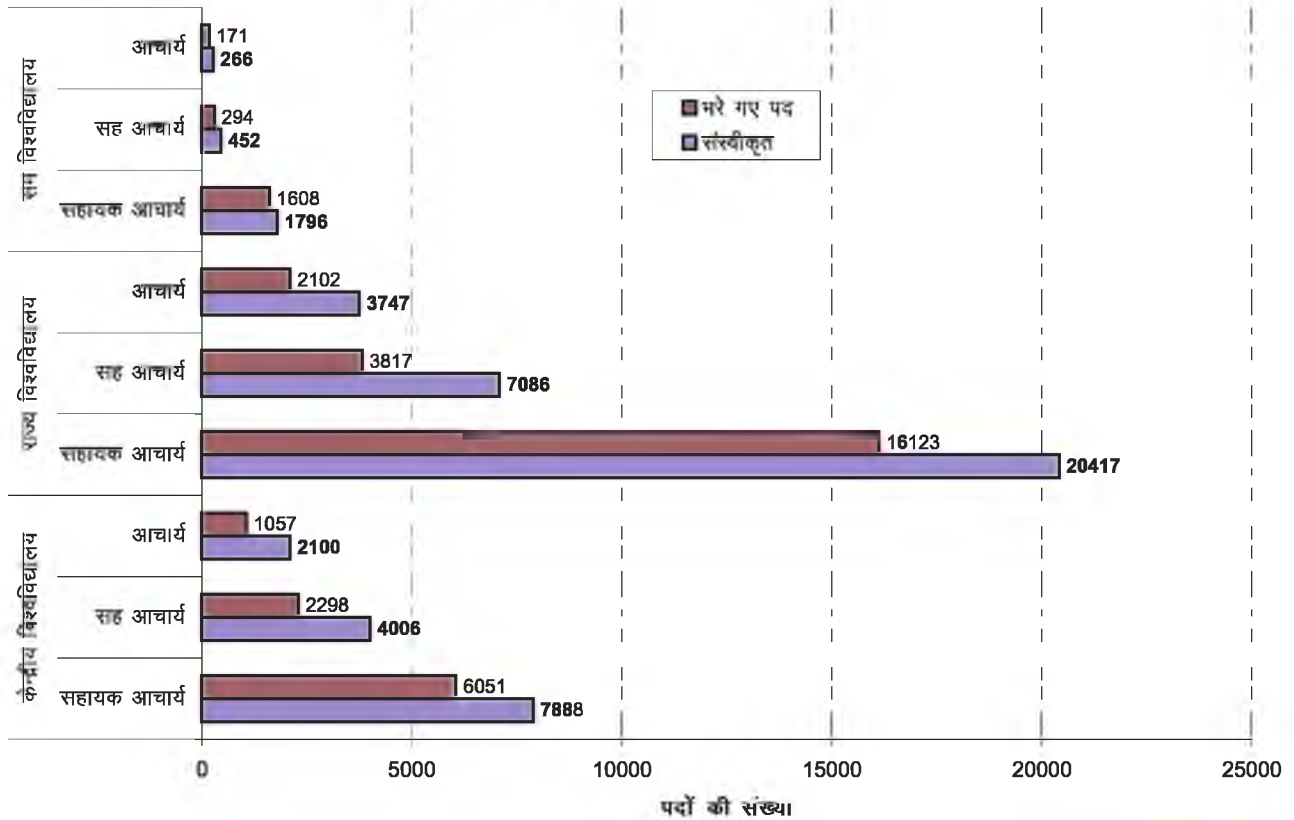
7.2(i) शिक्षण से जुड़े कर्मचारिवृद्ध** : वर्ष 2016-17

विश्वविद्यालय का स्वरूप	पद	पदों की संख्या	कुल भरे गए स्थानों में से कितने स्थान					*कुल स्थानों में से		
		संस्वीकृत	सामान्य	अ0पि0व	अ0जा0	अ0ज0 जा0	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्प संख्यक समुदाय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	सहायक आचार्य	7888	4112	839	701	399	6051	107	1108	369
	सह आचार्य	4006	2118	28	113	39	2298	16	344	86
	आचार्य	2100	999	12	34	12	1057	9	168	37
राज्य विश्वविद्यालय	सहायक आचार्य	20417	10754	2961	1981	427	16123	73	243	204
	सह आचार्य	7086	2804	608	354	51	3817	9	52	60
	आचार्य	3747	1531	337	205	29	2102	8	32	39
सम विश्वविद्यालय	सहायक आचार्य	1796	1103	327	137	41	1608	17	17	45
	सह आचार्य	452	227	53	13	1	294	1	5	9
	आचार्य	266	150	19	2	0	171	0	4	1

नोट: *विश्वविद्यालय द्वारा यथा प्रस्तुत आंकड़े

** यह जानकारी 30 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 80 राज्य विश्वविद्यालय और 14 समविश्वविद्यालयों के संबंध में है।

रेखाचित्र 7.2(i): वर्ष 2016-17 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालयों में संस्वीकृत** तथा भरे गए** शिक्षण पदों की स्तरवार संख्या

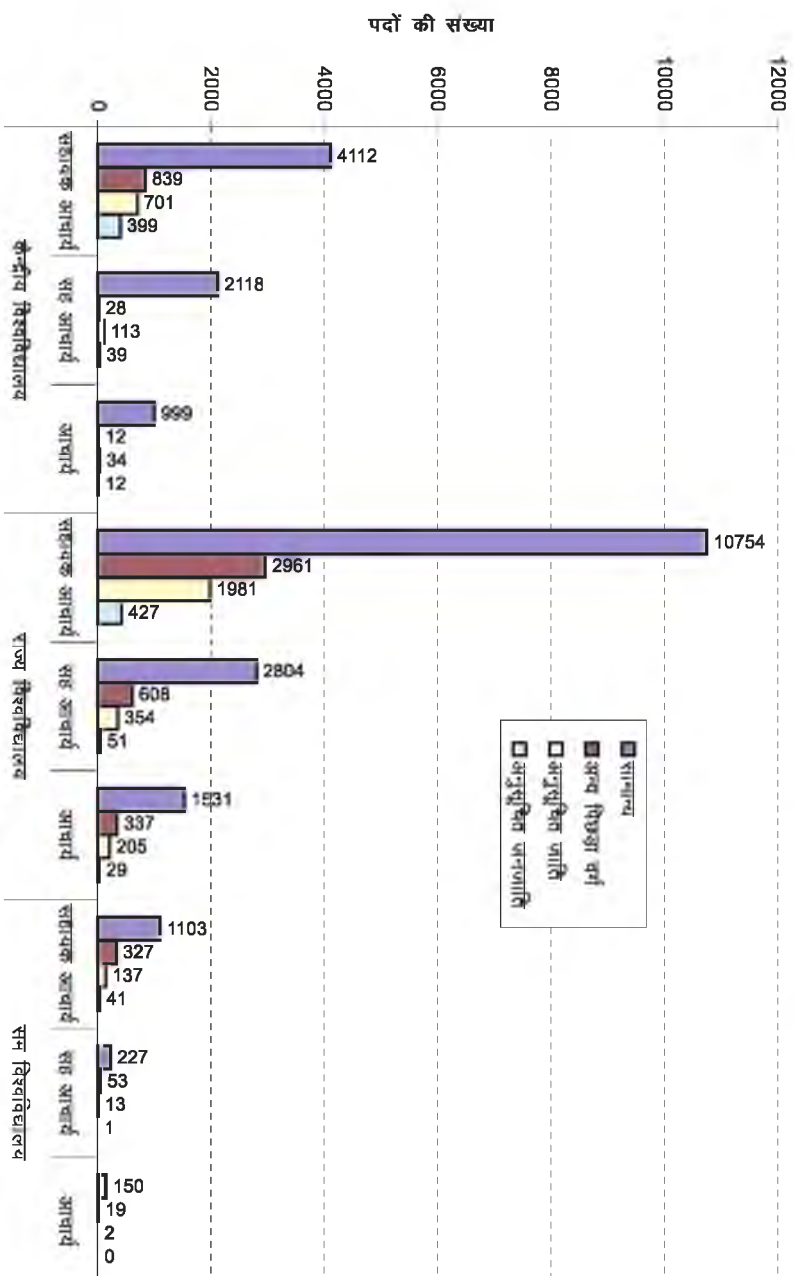


विश्वविद्यालय का स्वरूप	पद	कुल भरे गए पदों में निम्नवत श्रेणी के कर्मचारी						*कुल पदों में से		
		पदों की संख्या	सामान्य	अ0पि0व	अ0जा0	अ0ज0 जा0	कुल*	सांख्यिक रूप से निराकृत	गुरिलग	अन्य व्यक्त संख्याक समुदाय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	संगठन 'क'	1683	894	115	87	64	1160	17	59	67
	संगठन 'ख'	3855	2103	301	207	185	2796	21	130	173
	संगठन 'ग'	21424	10283	2591	1947	847	15668	170	591	848
	संगठन 'घ'	1507	269	99	118	380	866	7	19	211
राज्य विश्वविद्यालय	संगठन 'क'	2958	1471	281	186	59	1997	10	47	38
	संगठन 'ख'	11360	4651	2075	924	141	7791	129	359	297
	संगठन 'ग'	31251	10564	5798	2573	766	19701	328	578	600
	संगठन 'घ'	19274	6962	4761	2770	683	15176	133	274	115
समा विश्वविद्यालय	संगठन 'क'	214	103	24	12	3	142	1	4	3
	संगठन 'ख'	535	295	117	38	8	458	1	0	13
	संगठन 'ग'	1352	571	276	164	33	1044	16	12	25
	संगठन 'घ'	949	199	330	316	17	862	6	6	2

नोट: *विश्वविद्यालय द्वारा यथा प्रस्तुत आंकड़े

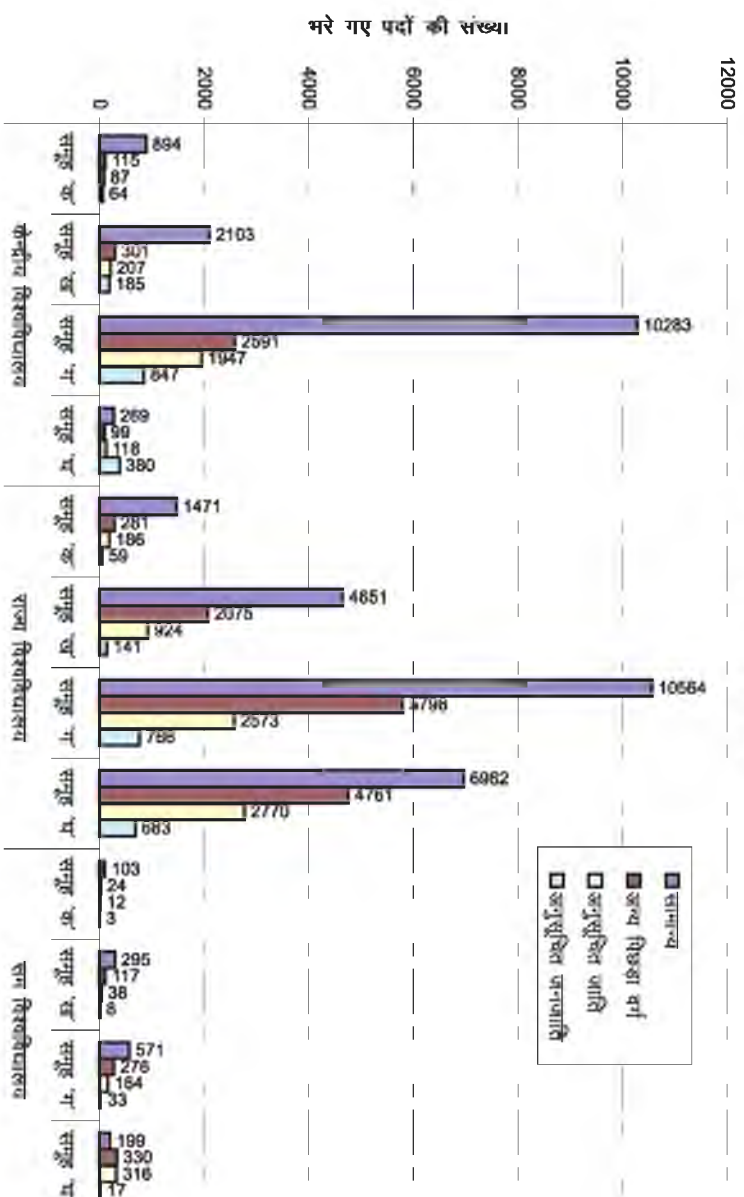
* * यह जानकारी 30 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 82 राज्य विश्वविद्यालयों और 14 समविश्वविद्यालयों के संबंध में है।

रेखाचित्र 7.2(i)(क): वर्ष 2016-17 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालयों में भरे गए शिक्षण पदों का श्रेणीवार सविवरण

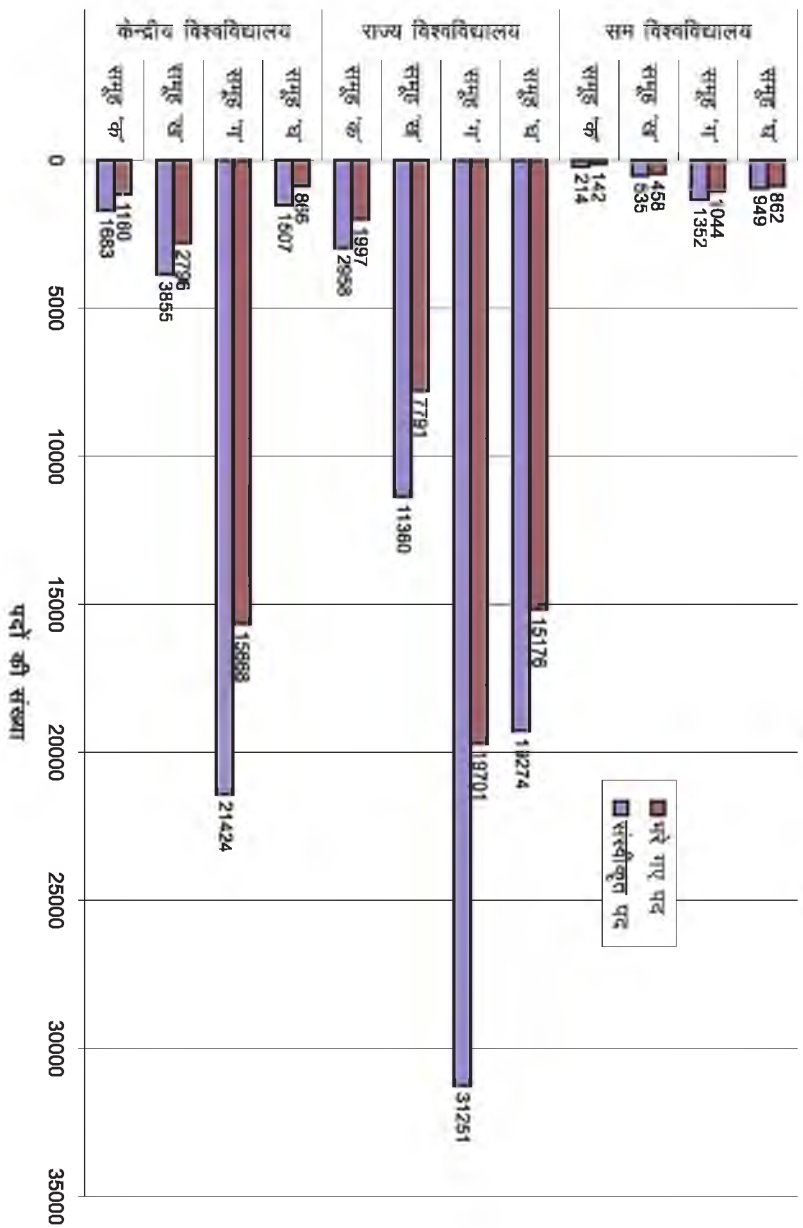


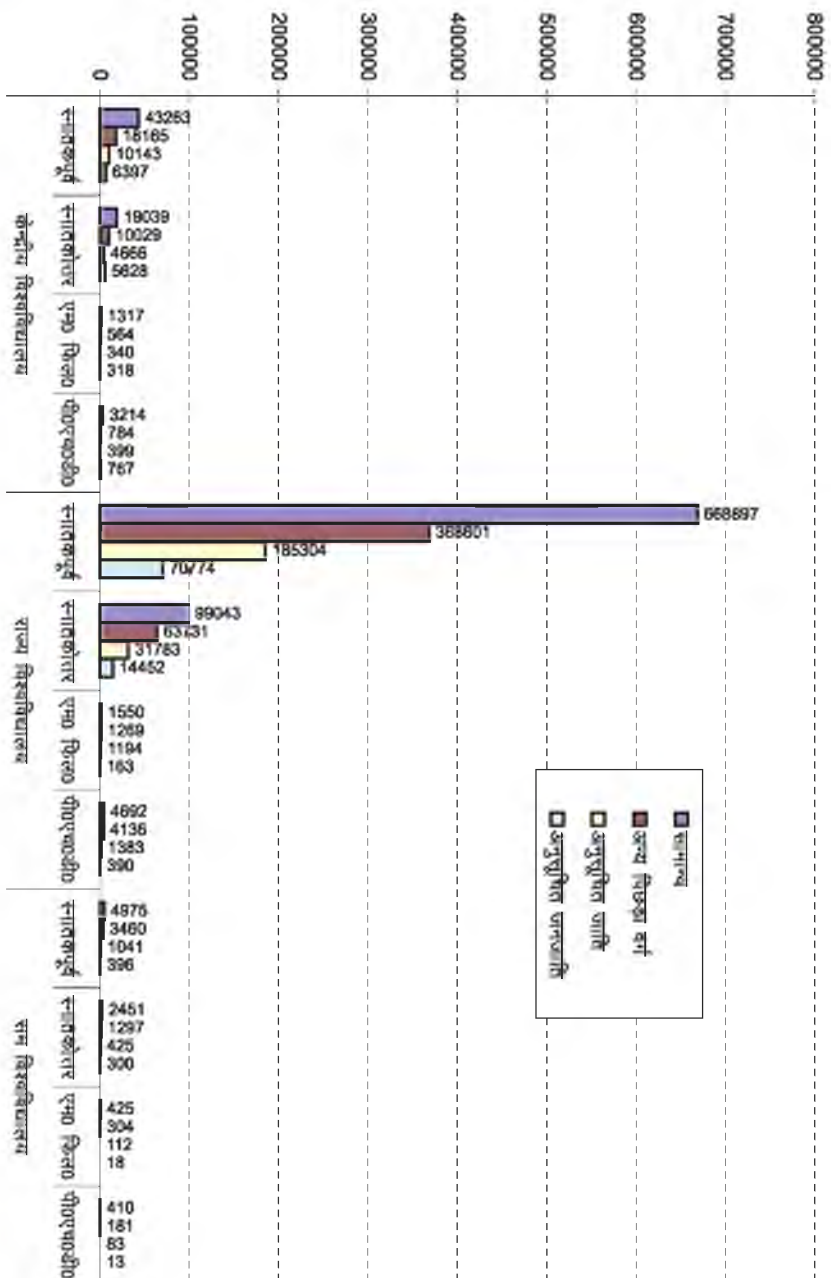
तालिका 7.2(ii) : शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृत्त ** : वर्ष 2016-17

रेखाचित्र 7.2(ii)(क): वर्ष 2016-17 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और समीक्षित विश्वविद्यालयों में शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का श्रेणीवार संचितरण



रेखाचित्र 7.2(II): वर्ष 2016-17 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालयों में संस्वीकृत तथा भरे गए शिक्षणोत्तर पदों की स्तरवार स्थिति





तालिका 7.2(iii): वर्ष 2016-17 के दौरान दाखिला प्राप्त करने वाले छात्रों की श्रेणीवार संख्या (प्रवेश का प्रथम वर्ष)

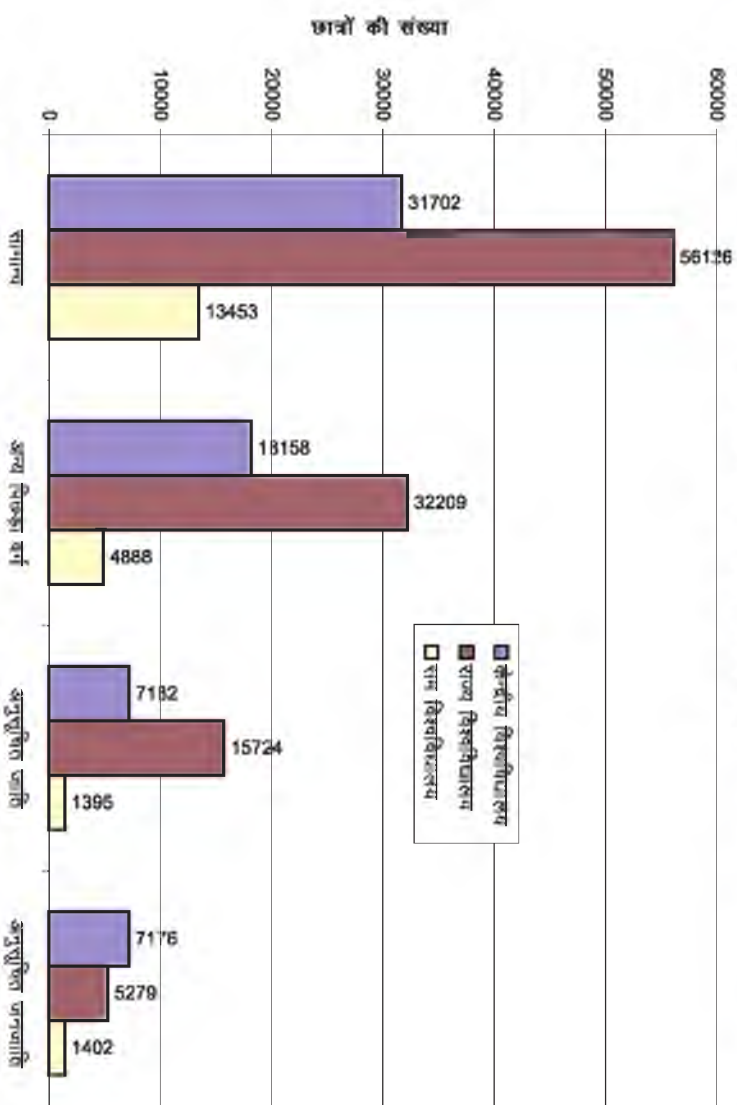
विश्वविद्यालय का स्वरूप	स्तर	दाखिला प्राप्त करने वाले छात्रों की श्रेणीवार संख्या (प्रवेश का प्रथम वर्ष)					*कुल पदों में से		अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
		सामान्य	अ0पि0व	अ0जा0	अ0ध0 जा0	कुल*	सार्वजनिक रूप से निराकाश	गुरिलम	
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	स्नातकपूर्व	43263	18165	10143	6397	77968	1046	5576	3591
	स्नातकोत्तर	19039	10029	4666	5628	39362	432	4826	3420
	एम0 फिल0	1317	564	340	318	2539	54	122	174
	पी0एच0डी0	3214	784	399	767	5164	47	148	632
राज्य विश्वविद्यालय	स्नातकपूर्व	668897	368601	185304	70774	1293576	3173	65714	16573
	स्नातकोत्तर	99043	63731	31783	14452	209009	1177	7171	3133
	एम0 फिल0	1550	1269	1194	163	4176	12	47	74
	पी0एच0डी0	4692	4136	1383	390	10601	47	183	122
सम विश्वविद्यालय	स्नातकपूर्व	4975	3460	1041	396	9872	27	205	255
	स्नातकोत्तर	2451	1297	425	300	4473	13	36	66
	एम0 फिल0	425	304	112	18	859	6	10	11
	पी0एच0डी0	410	181	83	13	687	2	3	5

नोट: *यह जानकारी 30 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 79 राज्य विश्वविद्यालय और 14 तनविश्वविद्यालयों के संबंध में है।

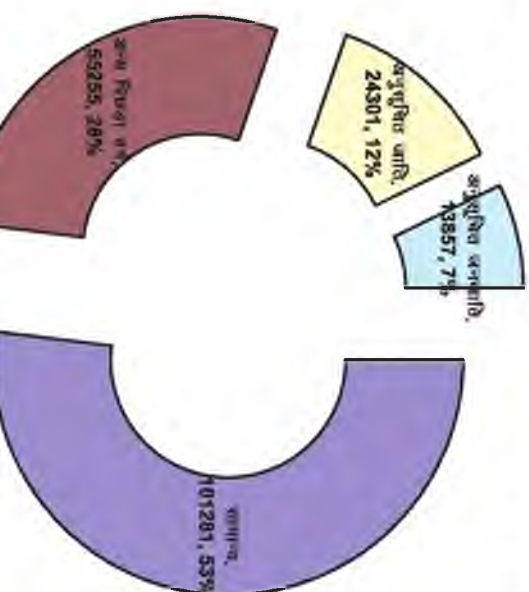
रेखाचित्र 7.2(iii) : वर्ष 2016-17 के दौरान दाखिला प्राप्त करने वाले छात्रों की श्रेणीवार संख्या (प्रवेश का प्रथम वर्ष)

केन्द्रीय विश्वविद्यालय	28	364	58483	31702	18158	7182	7176	64218	1244	13723	3503
राज्य विश्वविद्यालय	70	389	103663	56126	32209	15724	5279	109338	479	3000	1859
राम विश्वविद्यालय	14	97	17762	13453	4888	1395	1402	21138	48	138	373

रेखाचित्र 7.2(IV): वर्ष 2016-17 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और समन्वय विश्वविद्यालयों में निवास करने वाले छात्रों की श्रेणीवार संख्या



रेखाचित्र 7.2(IV)(क): वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालयों में निवास करने वाले छात्रों का श्रेणीवार प्रतिशत



7.2(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)/अल्पसंख्यकों हेतु अनुशिक्षण योजनाएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में विशेष अनुशिक्षण योजनाओं के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों के लिए सामाजिक समानता तथा सामाजिक आर्थिक उत्थान की दिशा में योगदान दे रहा है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभिक वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से महाविद्यालय को योजनागत अनुदान जारी किया गया था। वर्ष 2014-15 के पश्चात् विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के लिए अनुशिक्षण योजनाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आमेलित योजनाओं से हटाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वतंत्र अनुभाग अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अनुभाग में अंतरित कर दिया गया है।

7.2(v)(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण योजनाएं

आयोग ने वर्ष 1994 में स्नातकपूर्व (यूजी)/स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रों के लाभ हेतु उपचारी अनुशिक्षण का आयोजन किया था ताकि विभिन्न विषयों में उनके ज्ञान, शैक्षणिक कौशल तथा भाषायी प्रवीणता में सुधार किया जा सके तथा उसे सुदृढ़ बनाया जा सके तथा परीक्षा में समग्र निष्पादन में सुधार किया जा सके।

7.2(v)(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए नेट/सेट हेतु अनुशिक्षण

आयोग ने वर्ष 2004-05 में नेट/सेट हेतु अनुशिक्षण आरंभ किया था ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा राज्य पात्रता परीक्षा (सेट), जोकि किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में सहायक आचार्य बनने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, हेतु प्रशिक्षण दिया जा सके।

7.2(v)(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं

'क', 'ख', और 'ग' समूह की केन्द्रीय सेवाओं, राज्य प्रांतीय सेवाओं अथवा निजी क्षेत्र में समकक्ष स्तर का लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आयोग ने वर्ष 2004-05 में अनुशिक्षण की योजना आरंभ की।

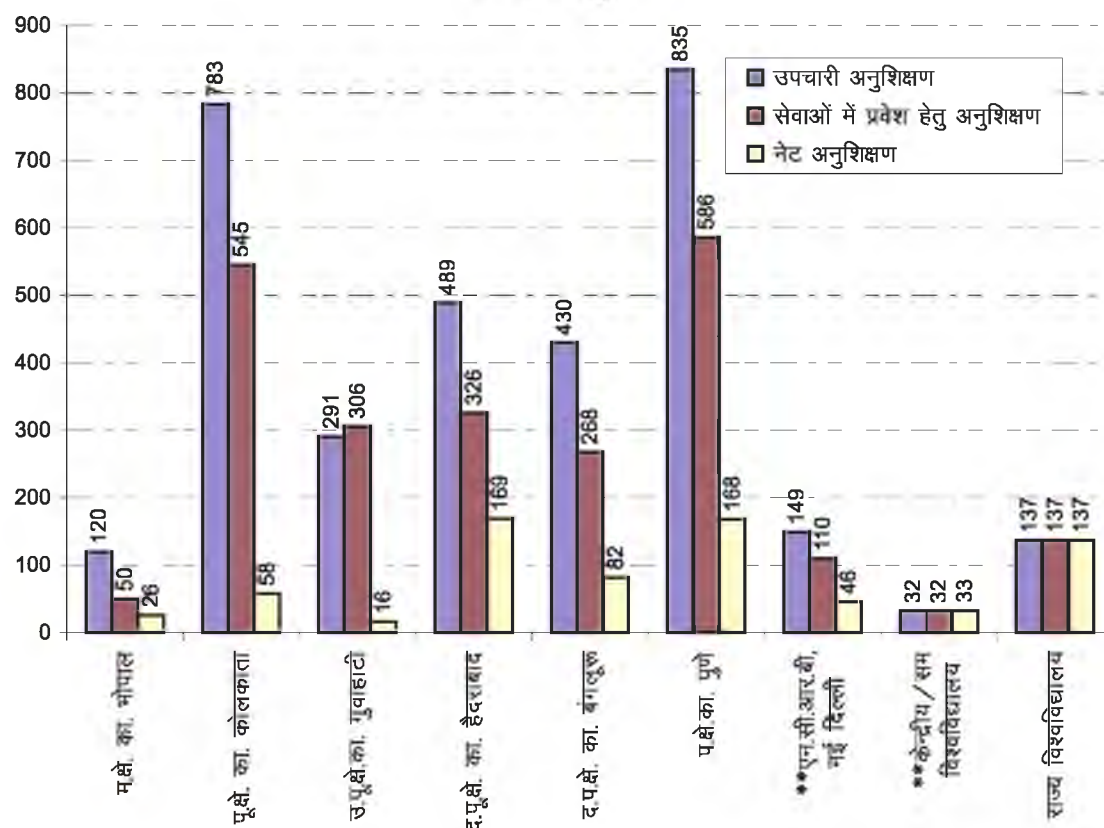
7.2(v)(क) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) अवधि के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए अनुशिक्षण योजनाओं हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान (संस्वीकृत/ जारी) (करोड़ रुपए में)

योजना	संस्वीकृत/ जारी की गई राशि
उपचारी अनुशिक्षण	93.85
सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण योजनाओं	68.11
नेट अनुशिक्षण	23.48
कुल	185.44

तलिका 7.2(v) (ख): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभार्थी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की क्षेत्रवार/योजनावार संख्या

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	उपचारी अनुशिक्षण	सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण	नेट अनुशिक्षण
म.क्षे. का. भोपाल	120	50	26
पू.क्षे. का. कोलकाता	783	545	58
उ.पू.क्षे. का. गुवाहाटी	291	306	16
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	489	326	169
द.प.क्षे. का. बंगलूरु	430	268	82
प.क्षे. का. पुणे	835	586	168
एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	149	110	46
केन्द्रीय/ सम विश्वविद्यालय	32	32	33
राज्य विश्वविद्यालय	137	137	137
कुल	3266	2360	735

रेखाचित्र 7.2 (ख): बारहवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012-17) के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लाभार्थियों की संख्या



7.2(vi) निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

भारत का संविधान सभी व्यक्तियों के लिए गुणवत्तायुक्त जीवन, स्वतंत्रता, न्याय एवं सम्मान सुनिश्चित करता है तथा संविधान अन्तर्निहित तौर से यह अधिदेशित करता है कि निशक्त व्यक्तियों सहित समस्त व्यक्तियों के लिए समानता समाज बने। पिछले कुछ वर्षों से निशक्त व्यक्तियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में काफी बढ़ा एवं सकारात्मक परिवर्तन आया है। ऐसा अनुभव किया गया है कि निशक्तता से ग्रस्त ऐसे अधिकांश व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने तथा उन्हें प्रभावी पुर्नवास उपाय उपलब्ध कराये जाने पर वे जीवन को बेहतर ढंग से निर्वाह कर सकते हैं।

निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसार पृथक रूप से शारीरिक क्षमता रखने वाले व्यक्तियों की शिक्षा के सभी स्तरों तक पहुँच होनी चाहिए। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है तथा उन्हें विशेष शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों में शामिल कर निशक्त व्यक्तियों को सशक्त बना रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर समस्त विश्वविद्यालयों और सम-विश्वविद्यालयों को समस्त नीति-विषयक निर्णयों से अवगत कराया जाता रहा है जिनमें कि निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए दाखिले एवं रोजगार के संबंध में भारत सरकार द्वारा विहित आरक्षण नीतियाँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस विषय में आयोग के स्तर पर जो भी निर्णय लिए गए हैं तथा जो दिशानिर्देश जारी हुए हैं, उन्हें भी कार्यान्वयन के लिए समस्त विश्वविद्यालयों को जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा, सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को भी विश्वविद्यालयों को परिपत्र द्वारा प्रेषित कर दिया गया था तथा उनसे अनुरोध किया था कि वे उनमें शामिल प्रावधानों का कड़ाई के साथ अनुपालन करें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निशक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए योजनागत योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा है।

7.2(vi) (क): विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों हेतु उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन)

एचईपीएसएन योजना का उद्देश्य मूल रूप से उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में एक परिवेश तैयार करना है ताकि निशक्त व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा ज्ञान अर्जन के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। निशक्त व्यक्तियों की सक्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करना,

विनिर्माण का उद्देश्य पहुंच में सुधार करना, शिक्षण अनुभव को सम्पन्न बनाने के लिए उपस्कर का क्रय करना—इस योजना के तहत सहायता की बृहद श्रेणियां हैं।

निशक्त व्यक्तियों हेतु उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन) की योजना के तहत वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एससीटी अनुभाग) द्वारा 1,24,66,000/— रुपये का अनुदान जारी किया गया।

7.2(vi) (ख): विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना (टीईपीएसई)

विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने (टीईपीएसई) की योजना का उद्देश्य विशेष तथा समावेशी परिवेश में निशक्त छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा में विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम आरंभ करना है। योजना के अंतर्गत किसी एक निशक्तता के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ बी०एड० तथा एम०एड० उपाधि पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने (टीईपीएसई) की योजना के तहत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दो केन्द्रों को अनुमोदन प्रदान किया।

7.2(vi) (ग) (iii) : दृष्टिबाधित शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता

योजना को दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को रीडर तथा शिक्षण और अधिगम उपकरणों की सहायता से तथा ब्रेल पुस्तकें, रिकार्ड की हुई सामग्री आदि के क्रय हेतु रीडर भत्ते तथा निधियां उपलब्ध करवा कर शिक्षण तथा शोध कार्य जारी रखने के लिए तैयार किया गया है। योजना का उद्देश्य दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को शिक्षण, अधिगम तथा शोध हेतु विभिन्न सहायक उपकरणों का उपयोग कर आत्म निर्भर बनने में सहायता प्रदान करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना है। दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को 18,000/— रुपये प्रतिवर्ष का भत्ता प्रदान किया जायेगा।

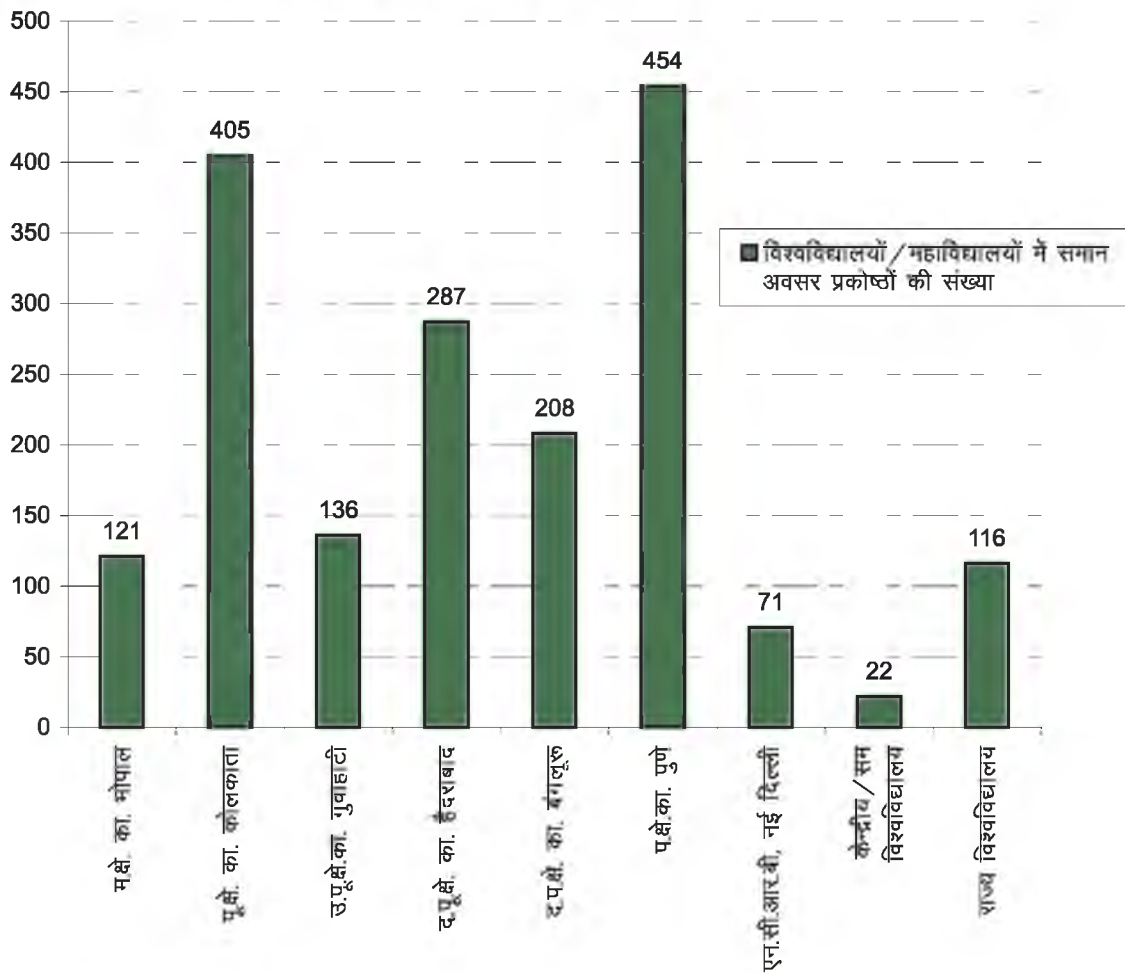
7.2(vii): विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियात्मक बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वंचित वर्गों के लिए नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करने तथा शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करने के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ (ई.ओ. सी.) का गठन करने की योजना तैयार की है। समान अवसर प्रकोष्ठ के कार्यालय की स्थापना हेतु 2.00 लाख रुपये का एकमुस्त अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2016–17 के दौरान विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्थापित किए गए ईओसी का ब्यौरा नीचे तालिका 7.2 (vii) में दिया गया है:

तालिका 7.2 (vii) : विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ (वर्ष 2016–17)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों की संख्या
1	म.क्षे. का. भोपाल	121
2	पू.क्षे. का. कोलकाता	405
3	उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	136
4	द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	287
5	द.प.क्षे. का. बंगलूरु	208
6	प.क्षे.का. पुणे	454
7	एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली	71
8	केन्द्रीय/सम विश्वविद्यालय	22
9	राज्य विश्वविद्यालय	116
	कुल	1820

रेखाचित्र 7.2 (vii) : वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों तथा लाभार्थियों की संख्या



बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के अंतर्गत 1820 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को 8.55 करोड़ रुपए के अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

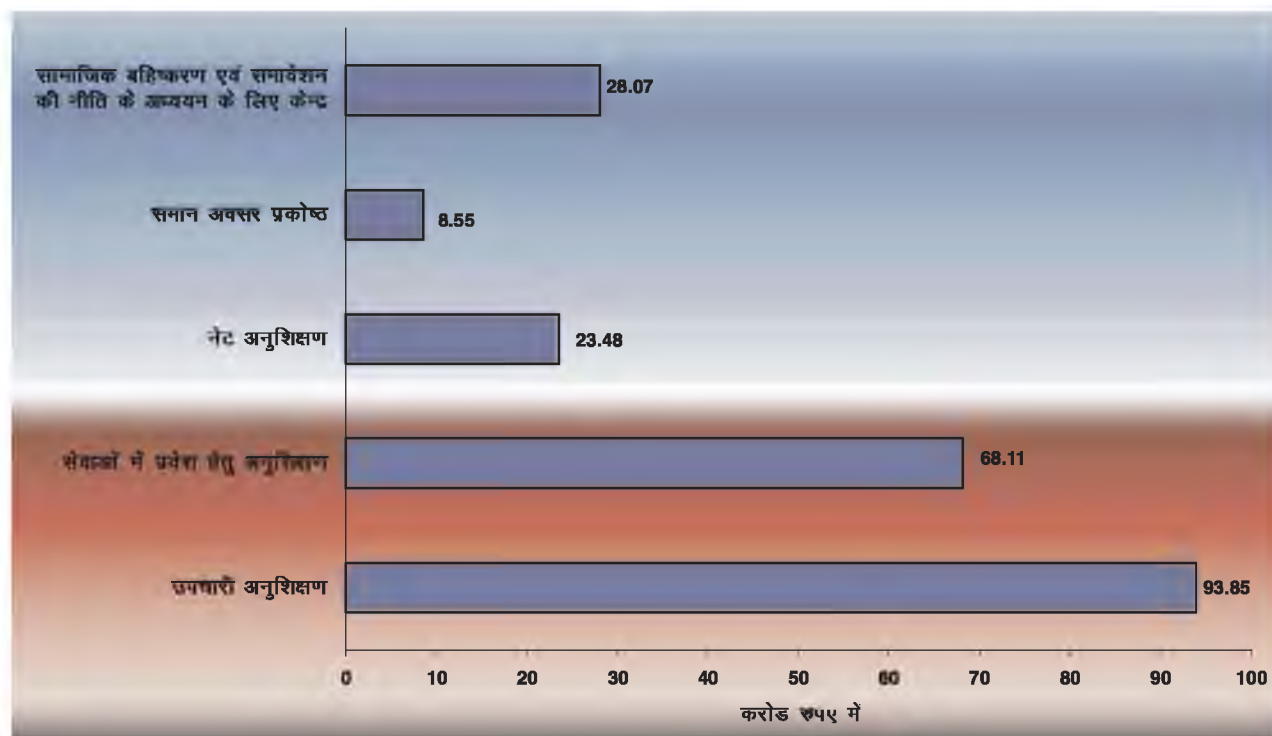
7.2(viii) सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशन की नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना

सामाजिक बहिष्करण से केवल तनाव, हिंसा और विघटन ही पैदा नहीं होता है अपितु इससे समाज में असमानता और सुविधावंचन भी पैदा होता है। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कुछ समुदायों को विकास के लाभ प्राप्त करने के मामले में प्रणालीगत बहिष्करण का सामना करना पड़ता है। सामाजिक बहिष्करण एक जटिल और बहु-आयामी संकल्पना है जिसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव होते हैं। गरीबी, बेरोजगारी और स्वेच्छा से प्रवास जैसी आर्थिक-समष्टिभाव कारकों के परिणामतः इस व्यवस्था से पीड़ित लोगों को आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्रियाकलापों से वंचित रखा जाता है। बहिष्करण के जिस मुख्य स्थान का अध्ययन किया जा सकता है, उसे भली-भांति समझा जा सकता है और इसका अनुभव किया जा सकता है, वे हैं हमारे विश्वविद्यालय जो समाज के लिए आदर्श होने चाहिए और आदर्श रूप में कार्य कर सकते हैं। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक बहिष्करण के मुद्दे पर किए जाने वाले शोध को सहायता देने का निर्णय लिया है। यह अध्ययन सैद्धांतिक रूप से और नीतिगत महत्व के रूप में किया जाएगा। इन योजनाओं के अनुसरण के लिए विश्वविद्यालयों में कई शिक्षण-सह-शोध केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। योजना के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/2118716_social-exclusion-colleges.pdf पर उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रों के उपर्युक्त कार्यकरण हेतु चयनित विश्वविद्यालयों को शतप्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता (आवर्ती तथा अनावर्ती) उपलब्ध कराता है।

- योजना के आरंभ होने से लेकर आज तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में 35 केन्द्र स्थापित किये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रों को 28.07 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है।

रेखाचित्र 7.2 : बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु समान अवसर प्रकोष्ठ और सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशन की नीति के अध्ययन के लिए केन्द्रों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान (संस्वीकृत/जारी किया गया) (करोड़ रुपए में)



➤ प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा

- क्षेत्र अध्ययन केन्द्र
- भारतीय युग प्रवर्तक सामाजिक चिंतक
- मानवाधिकार शिक्षा

8.1 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र

आयोग ने वर्ष 1963 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रमों को आरंभ किया। पिछले पांच दशकों में यह अपनी विशेषताओं तथा सीमाओं के साथ उभरा कर आगे आया है। यह केन्द्र निम्नवत मुख्य उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं :

- क्षेत्रों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत विशिष्टियों के संपूर्ण बोध को बढ़ावा देना।
- उपनिवेशवाद के बाद के समाज के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र अध्ययनों के वैकल्पिक प्रतिमानों को बढ़ावा देना।
- क्षेत्र और अन्य मुद्दों के संबंध में भारतीय परिप्रेक्ष्य में योगदान देना।
- विशेषरूप से देश के आर्थिक, कार्यनीतिक तथा राजनीतिक हितों में नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराना।
- विश्व के क्षेत्रों के ज्ञान को बौद्धिक विधाओं का मुख्य अंग बनाना।
- अंतर्देशीय तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए शोध करना।

वर्ष 2016-17 के दौरान, 47 केन्द्र कार्य कर रहे हैं तथा उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम के तहत 14 केन्द्रों को 1.21 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों को 14.26 करोड़ रुपए का कुल अनुदान जारी किया गया।

तालिका 8.1(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अनुदान का वर्षवार सवितरण (करोड़ रुपए में)

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
जारी किया गया अनुदान	5.44	2.60	4.29	0.72	1.21

तालिका 8.1(ख) वर्ष 2016-17 के दौरान क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र अध्ययन केन्द्र का नाम
1	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	रूसी, मध्य एशियाई तथा पूर्वी यूरोपीय अध्ययनों हेतु केन्द्र
2	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	अफ्रीकी अध्ययन हेतु केन्द्र
3	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	पाकिस्तान संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
4	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन हेतु केन्द्र
5	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	आंतरिक एशिया अध्ययन हेतु केन्द्र
6	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	यूरोपीय अध्ययन केन्द्र
7	जामिया मिलीया इस्लामिया विश्वविद्यालय	मध्य एशियाई अध्ययन संबंधी केन्द्र
8	जामिया मिलीया इस्लामिया विश्वविद्यालय	पाकिस्तान संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
9	जामिया मिलीया इस्लामिया विश्वविद्यालय	चीन संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
10	जामिया हमदद	संघीय अध्ययन संबंधी केन्द्र

15	कोलकाता विश्वविद्यालय	दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशियाई अध्ययन केन्द्र
16	कोलकाता विश्वविद्यालय	पाकिस्तान और पश्चिम एशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र
17	दिल्ली विश्वविद्यालय	कनाडाई अध्ययन संबंधी केन्द्र
18	दिल्ली विश्वविद्यालय	पूर्वी एशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र (डीईएस)
19	दिल्ली विश्वविद्यालय	अफ्रीकी अध्ययन संबंधी केन्द्र
20	दिल्ली विश्वविद्यालय	विकासशील देशों संबंधी शोध केन्द्र
21	मुंबई विश्वविद्यालय	यूरेशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र
22	मुंबई विश्वविद्यालय	अफ्रीकी अध्ययनों हेतु केन्द्र
23	गोवा विश्वविद्यालय	लैटिन अमेरिकी अध्ययन हेतु केन्द्र
24	केरल विश्वविद्यालय	कनाडाई अध्ययन संबंधी केन्द्र
25	एमएस विश्वविद्यालय, बडोदा	कनाडाई अध्ययन संबंधी केन्द्र
26	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	रणनीतिक तथा क्षेत्रीय अध्ययन हेतु केन्द्र
27	राजस्थान विश्वविद्यालय	दक्षिण एशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र
28	कश्मीर विश्वविद्यालय	मध्य एशिया अध्ययन केन्द्र
29	नार्वे बंगाल युनिवर्सिटी	हिमालय संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
30	हैदराबाद विश्वविद्यालय	भारतीय ख़ासपोरा संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
31	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	दक्षिण एशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र
32	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	सांख्यिक अध्ययन हेतु केन्द्र
33	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	बांग्लादेश और म्यांमार संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
34	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	भारतीय ख़ासपोरा संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
35	मणिपुर विश्वविद्यालय	मणिपुर संबंधी अध्ययन केन्द्र
36	मणिपुर विश्वविद्यालय	म्यांमार संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
37	मद्रास विश्वविद्यालय	दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया अध्ययन हेतु केन्द्र
38	हेमचंद्र आचार्य नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय	भारतीय ख़ासपोरा एवं सांस्कृतिक अध्ययन हेतु केन्द्र
39	आंध्र विश्वविद्यालय	सार्क अध्ययन हेतु केन्द्र
40	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	नेपाल संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
41	एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय	कनाडाई संबंधी अध्ययन केन्द्र
42	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	आस्ट्रेलियाई तथा न्यूजीलैंड संबंधी अध्ययन केन्द्र
43	एस्को वी० विश्वविद्यालय, तिरुपति	दक्षिण एशियाई तथा प्रशांत सागर संबंधी अध्ययन केन्द्र
44	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील अध्ययन हेतु केन्द्र
45	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय	इंडीक तथा एशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र
46	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	समसामयिक चीनी अध्ययनों संबंधी केन्द्र (आईसीसीएस)
47	केन्द्रीय तिब्बतन विश्वविद्यालय	तिब्बती साहित्य के अध्ययन हेतु केन्द्र

8.2 भारतीय युग प्रवर्तक सामाजिक चिंतक

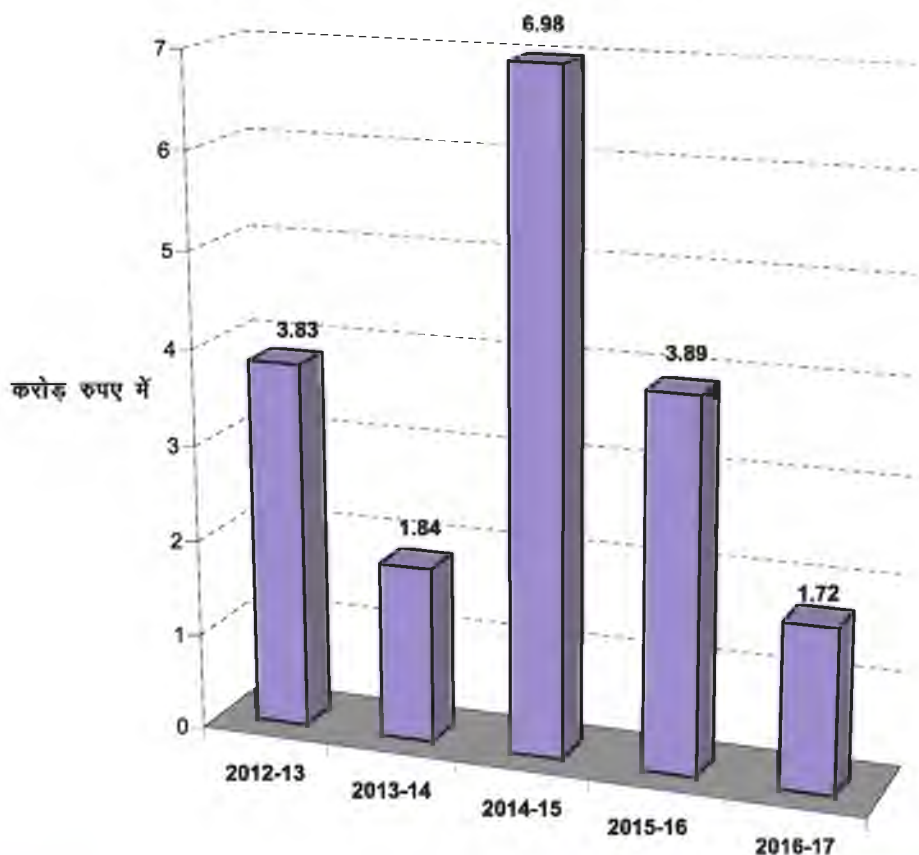
भारत में अनेक बुद्धिजीवी और महान नेता हुए हैं जिन्होंने अपने क्रान्तिकारी और उत्कृष्ट विचारों और कार्यों से न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने नवीन विचार विकसित किये तथा भारत को सांस्कृतिक तथा सदाचारी देश की पहचान प्रदान की है। शिक्षकों और विद्यार्थियों को उनके विचारों और कार्यों और अध्ययन शोध और क्षेत्र आधारित विस्तार सेवा कार्यक्रमों के सृजनात्मक कार्यों से परिचित कराने की अत्यंत आवश्यकता है। भारतीय युग प्रवर्तक सामाजिक चिंतकों पर विशेष अध्ययन योजना (विशेष अध्ययन) को वर्ष 1983 में आरंभ किया गया था तथा यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी जारी है।

‘भारत के युगप्रवर्तक सामाजिक चिंतकों’ संबंधी योजना के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में 394 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गई है।

तालिका 8.2(i) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के युग प्रवर्तक सामाजिक चिंतक योजना के तहत वर्षवार भुगतान किए गए अनुदानों (करोड़ रुपये में) का ब्यौरा

वर्ष	भुगतान किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)
2012-13	3.83 करोड़ रुपये
2013-14	1.84 करोड़ रुपये
2014-15	6.98 करोड़ रुपये
2015-16	3.89 करोड़ रुपये
2016-17	1.72 करोड़ रुपये
कुल	18.26 करोड़ रुपये

रेखाचित्र 8.2(ii) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ‘भारत के युग प्रवर्तक सामाजिक चिंतकों’ संबंधी योजना के अंतर्गत वर्ष-वार भुगतान किए गये अनुदान (करोड़ रुपये में)



तालिका 8.2(ii) : वर्ष 2016-17 के दौरान अध्ययन केन्द्रों की राज्यवार और नामवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	अध्ययन केन्द्र																											
		बी.बी. श्री अरविन्दो	गोपीयन	कै.आर.ओ. नारायणन	रवामी विवेकानंद	नेहरू	रवामी दयानंद	गुरु नानक देव	इंदिरा गांधी अध्ययन	रवीन्द्र नाथ टैगोर	सुई-का-फा	राजा राममोहन राय	डॉ० अम्बेडकर	सुभाष चन्द्र बोस	डॉ० एस० रामाकृष्णन	डॉ० जगजिंदर हुसैन	सरदार वल्लभ भाई पटेल	मदन मोहन मालवीय	शहीद भगत सिंह	जो० के० कृष्ण भूषि	स्वामी विनयवानंद	महात्मा बापेसवर	वी०आर० शिन्डे	महात्मा ज्योतिबा फुले	मंगवान महावीर	राजश्री शाहू	सैयद अब्दुल नसिक	शंकर देव	कुल
1	आन्ध्र प्रदेश	1	4						1			3																	9
2	अरुणाचल प्रदेश																												0
3	असम	4	13	1	1			2	2	2		13															1	3	42
4	बिहार	1	5	2								5																	13
5	छत्तीसगढ़																												0
6	दिल्ली	2					1					1																	4
7	गोवा																												0
8	गुजरात		1	1																									2
9	हरियाणा		6		2	2						1																	11
10	हिमाचल प्रदेश																												0
11	जम्मू और कश्मीर		1		1																								2
12	झारखण्ड		1																										1
13	कर्नाटक	1	5	1								4		1															12
14	केरल		2	2	1																								5
15	मध्य प्रदेश		1	2																									3
16	महाराष्ट्र	7	46	11	6			1				31	1	1	1	2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		113
17	मणिपुर																												0
18	मेघालय																												0
19	मिज़ोरम																												0
20	नागालैण्ड		1																										1
21	ओडीशा	1	1	1				1				2																	6
22	पंजाब	3	8	6	5	6	1					8						1											38
23	राजस्थान	2	1		6																								9
24	सिक्किम																												0
25	तमिलनाडु	3	5	1	2							3																	14
26	तेलंगाना	1	2					1				1																	5
27	त्रिपुरा																												0
28	उत्तर प्रदेश	11	3	33	8	3		3	1		1	26	2	1			1												93
29	उत्तराखण्ड	3																											3
30	पश्चिम बंगाल	2	1	1		2		1		1																			8
31	चण्डीगढ़																												0
32	प्रद्वर्ग																												
	कुल योग	41	5	137	2	34	24	5	10	10	4	2	1	98	2	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	394

8.3 मानवाधिकार शिक्षा

मानवाधिकार अपने आप से माध्यम भी है और लक्ष्य भी हैं। मानवाधिकार प्राप्त किए जाने वाले मानदण्डों के संदर्भ में लक्ष्य है तथा माध्यम भी है चूंकि वे लोगों को अपने अधिकारों का उपयोग करने और उनका लाभ उठाने के लिए सशक्त तथा सक्षम बनाते हैं। यह अकादमिक जांच का विषय होने के साथ-साथ समाज के सदस्यों के रूप में मानव जीवन के दैनिक जीवन के अनुभवों का भाग भी है। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1985 में विश्वविद्यालय में मानवाधिकार शिक्षा आरंभ की। तब से, उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का मानवाधिकारों मूल्यों तथा मानव विकास का भी संवर्धन करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवायी गई है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, मानवाधिकार शिक्षा योजना के तीन घटक हैं:

- मानवाधिकार और कर्तव्य
- मानवाधिकार और मूल्य
- मानवाधिकार और मानव विकास

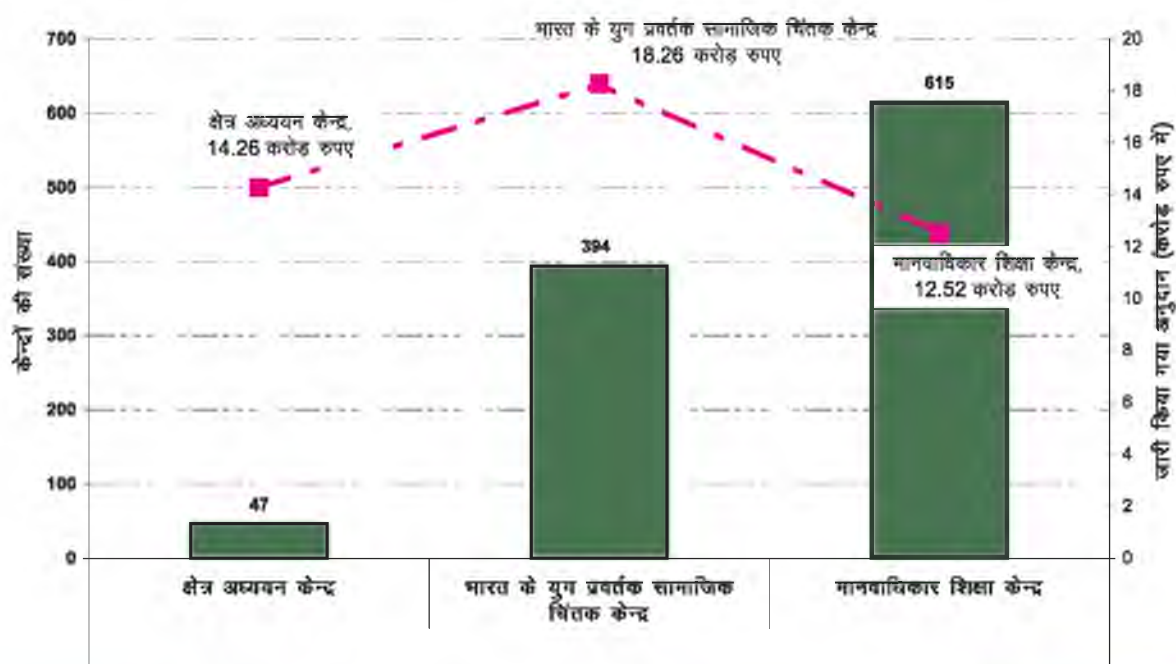
मानवाधिकार शिक्षा योजना के वर्ष 2016-17 के दौरान 52 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को 1,09,29,981/- रुपए के अनुदान संस्वीकृत किए गए/जारी किए गए।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 615 विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा वर्षवार संस्वीकृत अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	संस्वीकृत अनुदान
2012-13	4,11,00,000/- रुपए
2013-14	40,000/- रुपए
2014-15	4,43,00,000/- रुपए
2015-16	2,88,00,000/- रुपए
2016-17	1,09,29,981/- रुपए
कुल	12,51,69,981/- रुपए

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम के तहत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को कुल 12.52 करोड़ रुपए का कुल अनुदान संस्वीकृत/जारी किया गया।

रेखाचित्र 8 : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संगत और मूल्य आधारित शिक्षा केन्द्रों का विकास तथा जारी किया गया अनुदान



➤ सूचना और संचार प्रौद्योगिकीयों का समेकन

- ई-गवर्नेंस
- स्नातकोत्तर विषयों के लिए ई-विषयवस्तु माध्यसामग्री तैयार करना
- लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)
- लोक शिकायत

9.1 ई-गवर्नेंस

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विकेन्द्रीयकृत कार्यान्वयन मॉडल हेतु विभिन्न ई-गवर्नेंस एप्लीकेशनों की अंतर्प्रचालनता के उद्देश्य को प्राप्त करने के एक केन्द्रीयकृत पहल के माध्यम से ई-गवर्नेंस परियोजना के कार्यान्वयन की पहल की है। ई-गवर्नेंस परियोजना का कार्य वर्ष 2013 में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) को सौंपा गया था।

9.1(क) ई-कार्यालय कार्यान्वयन : ई-गवर्नेंस के भाग के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ई-कार्यालय को भी लागू किया गया है ताकि फाइलों की प्राप्ति और चालन, वेतन पर्चों का रखरखाव, ई-अवकाश, व्यक्तिगत जानकारी प्रणाली, कर्मचारियों (ज्ञान प्रबंधन प्रणाली आदि के संबंध में कागजरहित परिवेश तैयार किया जा सके।

9.1(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं हेतु वेब आधारित एप्लीकेशन: एनआईसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु वेब आधारित ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारूपों का विकास कर रहा है। उपयोगकर्ता नियम पुस्तिका का भी विकास किया गया है जो एप्लीकेशन के बारे में प्रत्येक चरण हेतु चरणबद्ध अनुदेश उपलब्ध कराता है जिसे निम्नवत योजनाओं के लिए भी तैयार किया गया है यथा (i) केन्द्रीय, राज्य तथा सम विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता योजना (ii) भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययन के विकास संबंधी योजना (iii) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ, (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों हेतु उपचारी अनुशिक्षण (v) महिला छात्रावास का निर्माण (vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक छात्रों हेतु सेवाओं में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण कक्षाएं (vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक छात्रों हेतु नेट/सेट अनुशिक्षण (viii) विशेष शिक्षा हेतु अध्यापकों को तैयार करना (ix) विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन) (x) महाविद्यालयों में समेलन, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां आयोजित करना (xi) विभिन्न शैक्षिक तथा शोध क्रियाकलापों हेतु शिक्षकों, विषय/विधा आधारित संघों को प्रोत्साहन देना (xii) सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशन की नीति के अध्ययन के लिए केन्द्रों की स्थापना (xiii) दृष्टिबधित शिक्षक (xiv) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए सामुदायिक महाविद्यालयों की योजना (xv) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई), उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालय (यूओई) (xvi) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई), उत्कृष्टता वाले महाविद्यालय (सीओई) (xvii) बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012 से 2017) के दौरान किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्रों हेतु दिशानिर्देश (सीपीईपीए) (xviii) मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी) हेतु दिशानिर्देश और (xix) व्यक्ति विशेष हेतु यात्रा अनुदान योजना। आवेदनों को एनआईसी के सर्वर पर अपलोड किया गया है तथा यूआरएल <http://eschemesugc.gov.in> के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है।

9.1(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न योजनाओं हेतु ऑनलाइन प्रणाली को आरंभ किया जाना

वर्ष 2016-17 की रिपोर्टधीन अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ई-योजना पोर्टल पर आठ योजनाओं को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल (<http://eschemesugc.gov.in>) के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

1. विभिन्न शैक्षिक तथा शोध क्रियाकलापों हेतु शिक्षकों, विषय/विधा आधारित संघों को प्रोत्साहन देना।
2. सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशन की नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना।
3. दृष्टिबधित शिक्षक।
4. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए सामुदायिक महाविद्यालयों की योजना।
5. उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई), उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालय (यूओई)।
6. उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई), उत्कृष्टता वाले महाविद्यालय (सीओई)।
7. किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्रों हेतु दिशानिर्देश (सीपीईपीए)।
8. मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी) हेतु दिशानिर्देश।

तालिका 9.1(ख): वि०अ०आ० की योजनाओं की सूची जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मौजूद है

क्र.सं.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाएं	वेबसाइट हेतु यूआरएल	ऑनलाइन कार्यान्वयन की तिथि
1	विज्ञान विषय में डॉ० डी०एस० कोठारी पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति	http://ugcdskpdf.unipune.ac.in/	जनवरी, 2008
2	फैकल्टी रिवार्ज कार्यक्रम	http://www.ugcfrp.ac.in/	मई, 2011
3	अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	http://www.ugc.ac.in/manf/	08/06/2011
4	अनुसूचित जाति/जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ	http://www.ugc.ac.in/rgnf/	29/07/2011
5	एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	http://www.ugc.ac.in/sgc/	18/08/2011
6	अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	http://www.ugc.ac.in/pdfss/	25/08/2011
7	पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	www.ugc.ac.in/pgsprof/	25/08/2011
8	विश्वविद्यालय-रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मैरिट छात्रवृत्ति	http://www.ugc.ac.in/urh/	08/09/2011
9	महिला अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	http://www.ugc.ac.in/pdfw/	11/01/2012
10	शिक्षकों के लिए शोध अवार्ड	http://www.ugc.ac.in/ra/	01/05/2012
11	अमेरिका स्थित भारतीय विद्वानों के लिए पोस्ट-डॉक्टोरल शोध हेतु रमन अध्येतावृत्तियाँ	http://www.ugc.ac.in/pdfindous/	12/05/2012
12	एमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ	http://www.ugc.ac.in/ef/	31/08/2012
13	अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ	http://www.ugc.ac.in/jrfet/	25/04/2013
14	निशक्त छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	http://www.ugc.ac.in/rgnfd/	28/06/2013
15	नए भर्ती हुए संकायों के लिए स्टार्ट-अप अनुदान	http://ugcfrps.ac.in/uohyd/start-up-research-grant/	अप्रैल, 2013
16	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-बी०एस०आर० संकाय अध्येतावृत्तियाँ	http://ugcfrps.ac.in/uohyd/the-ugc-bsr-faculty-fellowship/	अप्रैल, 2013
17	संकायों को एकमुश्त शोध अनुदान	http://ugcfrps.ac.in/uohyd/one-time-grant/	अप्रैल, 2013
18	वृहद् शोध परियोजनाएं	http://www.ugc.ac.in/mrp/	08/08/2013
19	अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	http://www.ugc.ac.in/nfobc/	01/06/2014
20	पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु ईशान उदय छात्रवृत्ति	http://www.ugc.ac.in/ner/	06/07/2014
21	विशेष सहायता कार्यक्रम	http://www.ugc.ac.in/sap/	10/10/2014
22	केंद्रीय, राज्य और सम विश्वविद्यालयों हेतु सामान्य विकास सहायता योजनाएं	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	अक्टूबर, 2014
23	भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्रों का विकास	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	अक्टूबर, 2014
24	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) और अल्पसंख्यक शिक्षार्थियों हेतु उपचारी अनुशिक्षण	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	फरवरी, 2016

क्र.सं.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाएं	वेबसाइट हेतु यूआरएल	ऑनलाइन कार्यान्वयन की तिथि
25	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला छात्रावासों का निर्माण	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	फरवरी, 2016
26	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सगान अवसर प्रकोष्ठ/केन्द्र	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	फरवरी, 2016
27	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	मार्च, 2016
28	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए नेट अनुशिक्षण	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	मार्च, 2016
29	विशेष शिक्षा हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना (टीईपीएसई)	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	मार्च, 2016
30	विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों हेतु उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएम)	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	मार्च, 2016
31	महाविद्यालयों हेतु सम्मेलन/संगोष्ठियों/परिसंवाद	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	मार्च, 2016
32	विभिन्न शैक्षिक तथा शोध क्रियाकलापों हेतु शिक्षकों, विषय/विद्या आधारित संघों को प्रोत्साहन देना	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	अक्टूबर, 2016
33	सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशन की नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	अक्टूबर, 2016
34	दृष्टिबधित शिक्षक	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	अक्टूबर, 2016
35	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए सामुदायिक महाविद्यालयों की योजना	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	अक्टूबर, 2016
36	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई), उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालय (यूओई)	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	मार्च, 2017
37	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई), उत्कृष्टता वाले महाविद्यालय (सीई)	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	मार्च, 2017
38	बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012 से 2017) के दौरान किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्रों (सीपीईपीए) हेतु दिशानिर्देश	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	मार्च, 2017
39	मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी) हेतु दिशानिर्देश	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	मार्च, 2017
व्यक्ति विशेष हेतु योजना			
40	यात्रा अनुदान	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	मार्च, 2014

9.2 स्नातकोत्तर विषयों के लिए ई-विषयवस्तु पाठ्यसामग्री तैयार करना

ई-स्नातकोत्तर पाठशाला : सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमई-आईसीटी) को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 'किसी भी समय किसी भी स्थान पर' पद्धति पर सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में आईसीटी की संभावना का लाभ उठाने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में परिकल्पना की गई है।

वर्ष 2011 के दौरान एनएमईआईसीटी-एमएचआरडी द्वारा 77 स्नातकोत्तर विषयों में “स्नातकोत्तर विषयों के लिए ई-विषयवस्तु तैयार करने” संबंधी परियोजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक नोडल एजेन्सी के रूप में प्रदान किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को परियोजना लागत स्वरूप 84 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

योजना का उद्देश्य शिक्षकों तथा छात्रों के लाभ हेतु भारतीय विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त ई-विषयवस्तु उपलब्ध कराता है। यह अमीर/गरीब, शहरी/ग्रामीण, जाति तथा धर्म आधारित विषमताओं, भौगोलिक विषमताओं, क्षेत्रीय विषमताओं आदि विभिन्न प्रकार की विषमताओं को दूर करेगा। छात्रों द्वारा अपनी कक्षाओं, शिक्षण तथा स्नातकोत्तर स्तर पढाये जाने वाले विभिन्न विषयों के अनुपूरक के रूप में ई-विषयवस्तु को उपयोग किया जा सकता है। ई-विषयवस्तु शिक्षकों हेतु लाभप्रद भी होगा चूंकि वे ई-पाठशाला कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ई-विषयवस्तु की गुणवत्ता को देखकर शिक्षण में सुधार कर सकते हैं।

इस ई-पीजी पाठशाला नामक पहल के तहत विकसित की जा रही विषयवस्तु सामाजिक विज्ञान, कला, ललितकला, नैसर्गिक तथा गणित विज्ञान, भाषा विज्ञान तथा भाषा की सभी विधाओं में अलग-अलग विषयों में उच्च गुणवत्तायुक्त, पाठ्यचर्या आधारित और परस्पर प्रभावशील है। ई-पाठशाला हेतु अधिगम प्रबंधन प्रणाली (<http://epgp.inflibnet.ac.in/>) पर उपलब्ध है तथा मुक्त पहुंच हेतु उपलब्ध है तथा इन्फ्लिबनेट सर्वर पर होस्ट की गई है साथ ही साक्षात पोर्टल के माध्यम से भी इस तक पहुंचा जा सकता है। अब तक विकसित किए गई ई-विषयवस्तु की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पीआई/ विषयवस्तु का ब्यौरा	संख्या
1	पीआई की संख्या जिन्होंने विषयवस्तु का योगदान किया (आंशिक)	67
2	पत्रों (पाठ्यक्रम) की संख्या जिनके लिए विषयवस्तु का विकास किया जा रहा है	968
3	सर्वर पर अपलोड की गई स्टैटिक विषयवस्तु की संख्या	13834
4	अपलोड की गई वीडियो/स्व-ज्ञान अर्जन सामग्री की संख्या	11038
5	इसमें शामिल संस्थानों/विश्वविद्यालयों की संख्या	40
6	शैक्षिक विशेषज्ञों की संख्या	3200

वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना इन्फ्लिबनेट ई-विषयवस्तु पर कुल 10,45,71,531.57 रुपए की लागत आई।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ई-पीजी पाठशाला कार्यक्रम के तहत विकसित ई-विषयवस्तु को एमओओसीएस (वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम) के साथ पुनः जोड़ने के लिए 14,00,00,000/-रुपए (चौदह करोड़ रुपए) की अतिरिक्त राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संस्वीकृत की है ताकि एसडब्ल्यूवाईएएम प्लेटफार्म (स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग बॉय यंग एण्ड एस्पायरिंग माईड्स) के माध्यम से पारम्परिक शिक्षा को वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम के साथ निर्बाध रूप से समेकित किया जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गैर-प्रौद्योगिकीय, स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय समन्वयक है। एमओओसी के विकास तथा कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2016 को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा प्रधान अन्वेषक(कों) को परिचालित किया जा चुका है और ई-पाठशाला की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (‘स्वयं’ के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढाँचा) विनियम, 2016 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इन्हें दिनांक 20.07.2016 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम के प्रथम चरण के लिए 72 गैर-प्रौद्योगिकीय स्नातकोत्तर वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को स्वयं प्लेटफार्म पर होस्ट किया गया है।

9.3 लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आयोग से प्रत्येक प्रकार के अनुदान के संचितरण हेतु लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को कार्यान्वित किया है। लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) सरकारी लेन-देन के भुगतानों, लेखांकन और लेखा समाधानों के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जो मौजूदा अनेक स्टैण्डालोन प्रणालियों का समेकन करती है। यह सरकारी सेवाओं को अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन एक वित्तीय प्रबंधन पोर्टल है तथा सभी प्राप्तकर्ता एजेंसियों के डॉटाबेस के रूप में कार्य करता है, योजनागत निधियों को प्रबंधन करते हुए बैंकों के कोर बैंकिंग साल्यूशन तथा निधियों के प्रवाह पर कुशलता से तथा प्रभावी ढंग से नजर रखने के लिए राज्यों के राजकोष के साथ एकीकृत होता है। पीएफएमएस के उपयोगकर्ताओं को अनेक मॉडयूलों को चलाने के लिए ऑनस्क्रीन जानकारी प्राप्त होती है। तथापि, उपयोगकर्ता पुस्तिका के माध्यम से सभी प्रक्रियाओं को कवर करने के प्रयास किए गए हैं।

अब यह अनिवार्य है कि प्रदाता संस्थान पीएफएमएस पर पंजीकृत होना चाहिए तथा उसके द्वारा उपर्युक्त योजना को जोड़ा जाना चाहिए जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के लिए योजना कोड संख्या 0875 जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

वित्तपोषण एजेंसी होगी तथा वही खाता संख्या होगा जो आवेदन/प्रस्ताव देने के समय अनुदान प्रदान करने वाले ब्यूरो के पास जमा किया गया हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्तकर्ता विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को जानकारी प्रदान की है कि वे संबंधित योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वित्तपोषण पोर्टल पर प्रदत्त किए गए लॉग-इन-आई डी तथा पासवर्ड के साथ पंजीकृत करें। पीएफएमएस आधारित अनुदानों के संवितरण हेतु निर्बाध रूप से अंतरण करने के लिए हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र में आने वाले महाविद्यालयों के लिए नए संस्थागत पंजीकरण तथा योजना पंजीकरण कर रहा है जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय विश्वविद्यालयों को सुविधा प्रदान कर रहा है।

- आज की तिथि के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तीन योजनाओं यथा 0873,0874 तथा 0875 के लिए पीएफएमएस के माध्यम से योजनागत निधियां प्राप्त कर रहा है तथा सीपीएसएमएस के तहत मा0सं0वि0मं0 द्वारा तदनुसार मैप किया जाता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी ब्यूरो में तीन नोडल अधिकारियों तथा मास्टर ट्रेनरों की पहचान की है जो पीएफएमएस के माध्यम से जारी किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों हेतु निर्बाध अंतरण के लिए कर्मचारियों को पीएफएमएस से अवगत कराएंगे तथा प्रशिक्षित करेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत सभी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के लिए शतप्रतिशत अनुदानों का संवितरण पीएफएमएस के माध्यम से किया जाता है।

9.4 लोक शिकायत

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सीपीजीआरएमएस अर्थात् भारत सरकार के लोक शिकायत पोर्टल से सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एसईयूजीसी) की आईडी पर ऑनलाइन लोक शिकायतें प्राप्त होती हैं तथा शिकायतकर्ताओं द्वारा pgportal.gov.in पर शिकायतों को दर्ज किया जाता है तथा इन्हें लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), राष्ट्रपति सचिवालय, पेंशन और पेंशनमोगी कल्याण विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा जाता है। इस पहल का उद्देश्य जनसाधारण/छात्रों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का समाधान करता है। ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त लोक शिकायतों के निवारण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न ब्यूरो/अनुभागों के लिए 20 यूजर आईडी तैयार किए गए हैं। सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पोर्टल पर शिकायतों के उत्तर डाले जाते हैं जहां शिकायतकर्ताओं के सूचनार्थ इन्हें उच्च अधिकारियों को भेजा जाता है।

दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 के बीच 5195 ऑनलाइन शिकायतों का निपटान किया गया। इसी प्रकार शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के निवारण के लिए ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त हुई शिकायतों का ऑफलाइन माध्यम से उत्तर दिया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों से संबंधित मुद्दों साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं के दर्जे के संबंध में समय-समय पर सार्वजनिक नोटिस जारी करता रहा है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का लोक शिकायत अनुभाग, शिकायतों के समय से निपटान हेतु सभी अनुभागों में लंबित लोक शिकायतों की स्थिति के संबंध में जानकारी प्रदान करता है।

तालिका 9.4 : दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 की अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट

शिकायत का स्रोत	अग्रणीत शेष	अवधि के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित मामले	दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार अंत शेष
डीएआरपीजी	9	153	162	154	8
डीपीजी	7	229	236	215	21
स्थानीय/इंटरनेट	163	2411	2574	2432	142
पेंशन और पेंशनमोगी कल्याण विभाग	0	14	14	10	4
प्रधानमंत्री कार्यालय	112	2298	2410	2264	146
राष्ट्रपति सचिवालय	13	112	125	120	5
कुल	304	5217	5521	5195	326

➤ कौशल विकास पहल

- वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम
- सामुदायिक महाविद्यालय
- वी0वोक0 उपाधि कार्यक्रम
- डी0डी0 कौशल केन्द्र

10.1 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वृत्ति उन्मुख पाठ्यक्रम

आठवीं योजना (वर्ष 1994-95) के दौरान स्नातकपूर्व स्तर पर आरंभ किए गए व्यावसायिक कार्यक्रम को वर्ष 2003-04 में शिक्षा के लिए वृत्ति उन्मुखीकरण/वृत्ति उन्मुखी कार्यक्रम/वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों की संशोधित योजना के अंतर्गत नया स्वरूप प्रदान किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के पश्चात शिक्षा पूर्ण करने वाले स्नातकों के पास सामान्य तौर पर पारिश्रमिक से जुड़े क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार हेतु और विशेष रूप से स्वरोजगार हेतु ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचि हो, जिससे निष्णात उपाधि कार्यक्रम प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थानों पर से दबाव कम किया जा सके। यह पाठ्यक्रम परंपरागत बी.ए., बी. कॉम और बी. एससी उपाधि के साथ समानांतर रूप से संचालित होते हैं। ये पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा के रूप में प्रदान किए जाते हैं, जिनके लिए छात्र अपनी परंपरागत बी.ए./बी. कॉम/बी.एस.सी. उपाधियों के साथ-साथ इन्हें चुन सकते हैं।

जिन पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है वे अन्तर्विषयक स्वरूप के होते हैं। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी, जो जरूरी नहीं है कि उसके मुख्य विषय से संबंधित हो जैसे विज्ञान का कोई छात्र साथ ही साथ इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकता है, और कला के छात्र के पास विज्ञान पत्रकारिता आदि के पाठ्यक्रम को अपनाने का विकल्प है।

फरवरी, 2013 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) में 522 महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को अनुमोदित पाठ्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था और वर्ष 2016-17 के दौरान 21 महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को करियर उन्मुख पाठ्यक्रमों की योजना के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 2,52,63,900 रुपए की राशि के अनुदान जारी किए गए हैं।

तालिका 10.1 : बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान संस्वीकृत/जारी किया गया अनुदान

वर्ष	संस्वीकृत अनुदान (करोड़ रुपए में)
2012-13	13.96
2013-14	
2014-15	28.53
2015-16	7.59
2016-17	2.53
कुल	52.61

10.2 एनएसक्यूएफ के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कौशल विकास योजना

10.2 (क) सामुदायिक महाविद्यालय (सीसी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक निर्देश पर वर्ष 2013-14 के दौरान प्रायोगिक आधार पर सामुदायिक महाविद्यालयों की योजना की शुरुआत की थी। कुल मिलाकर, सामुदायिक महाविद्यालय समुदाय के अधिसंख्य लोगों की पहुंच में होगा, स्थानीय स्तर पर कम लागत और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करेगा जिसमें व्यावसायिक कौशल विकास के

वर्ष 2016-17 [तालिका 10.2(क)(i)] के दौरान आर्बटित धनराशि तथा जासी किए गए अनुदान की स्थिति :

योजना का नाम	संस्थानों की कुल संख्या	आर्बटन (करोड़ रुपए में) वर्ष 2016-17	जासी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में) वर्ष 2016-17
सामुदायिक महाविद्यालय			
● प्रमाणपत्र	199	137.24 रुपए	22.68 रुपए
● डिप्लोमा	(स्व-वित्तपोषित-2)	(वर्ष 2016-17 तक)	
● उच्च डिप्लोमा			

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(घ) और 12(ख) के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय, जो सामान्य विकास सहायता प्राप्त कर रहे हैं वे सामुदायिक महाविद्यालय की योजना को कार्यान्वित करने के लिए करने हेतु पात्र हैं।

सामुदायिक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय विभाग का अंग नहीं होना चाहिए। यह राज्य तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय दोनों पर लागू है। तथापि, यदि इसे विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया जाता है तो इसकी पृथक पहचान होनी चाहिए। शिक्षा को संगत बनाने तथा 'उद्योग के लिये उपर्युक्त कुशल जनशक्ति का सृजन करने के लिये, सामुदायिक महाविद्यालय को लगातार उद्योग के संपर्क में रहना होगा ताकि वे स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिये जनशक्ति की आवश्यकताओं के संबंध में अवगत रहें। इन महाविद्यालयों को स्व-रोजगार तथा उद्यमिता विकास सहित रोजगार के संबंध में उपर्युक्त आशासन, उपर्युक्त रूप से तैयार की गई पाठ्यक्रमों के साथ स्थानीय क्षेत्र की संस्कृति तथा विरासत, चाहे वह कला, शिल्प, हस्तशिल्प, संगीत, वारसु अथवा अन्य कुछ ऐसा ही क्यों न हो, को परिरक्षित करना चाहिए तथा बढ़ावा देना चाहिए।

साथ-साथ परंपरागत पाठ्यक्रम कार्य शामिल होगा जिससे शिक्षार्थियों के पास सीधे रोजगार क्षेत्र में जाने अथवा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में जाने के अवसर उपलब्ध होंगे। वह एक लचीली और खुली शिक्षा प्रणाली उपलब्ध कराता है जो समुदाय आधारित जीवनपर्यंत शिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसका समुदाय, सामुदायिक महाविद्यालय और रोजगार बाजार के बीच एक सहक्रियाशील संबंध है।

बाद में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित किया और इसे एक स्वतंत्र योजना के रूप में अंगीकार किया। यह योजना विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों दोनों के लिए है। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सामान्य विकास सहायता प्राप्त कर रहे मौजूदा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू किया जाएगा।

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- उच्चतर शिक्षा को शिक्षार्थी और समुदाय के संगत बनाना;
- संगत कौशलों को उच्चतर शिक्षा प्रणाली के साथ एकीकृत करना;
- वर्तमान में उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे, लेकिन वास्तव में जितना जल्दी हो सके कार्यबल में प्रवेश करने के इच्छुक छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना;
- उच्चतर नाभ्यमिक विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले तथा मौजूदा उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आगे न पढ़ने के इच्छुक छात्रों को आवश्यक सामान्य शिक्षा के साथ रोजगार प्राप्त करने और प्रमाणित किए जाने योग्य कौशल उपलब्ध कराना;
- शिक्षार्थियों की आयु पर ध्यान नहीं देते हुए परंपरागत/मौजूदा कौशलों के उन्मयन और प्रमाणन हेतु सहायता प्रदान करना;
- व्यक्तिगत विकास और रुचि हेतु समुदाय की सामान्य रुचि के पाठ्यक्रमों को प्रदान कर समुदाय आधारित जीवन पर्यन्त शिक्षण हेतु अवसर उपलब्ध कराना;
- भविष्य में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना; और सामान्य/व्यावसायिक शिक्षा के प्रमाण पत्र धारकों को संक्षिप्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना ताकि उन्हें समुचित एनवीईक्यूएफ के समकक्ष लाया जा सके।

सामुदायिक महाविद्यालयों की योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 7500 शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

सामुदायिक महाविद्यालय, स्थानीय भागीदारी उद्योग के साथ परामर्श कर अध्ययन बोर्ड के समग्र मार्गदर्शन तथा महाविद्यालय के मामले में प्रबंधन बोर्ड के समग्र मार्गदर्शन में पाठ्यचर्या विकसित करेगा। तथापि, महाविद्यालय के मामले में विश्वविद्यालय मौजूदा पद्धति का पालन कर सकते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें संबंधित क्षेत्र कौशल परिषद् द्वारा विकसित राष्ट्रीय वृत्ति मानदण्डों के अनुरूप पाठ्यचर्या को ढालने के लिए कार्य करना चाहिए। इससे ज्ञान अर्जन करने वालों की राष्ट्रीय तथा वैश्विक गतिशीलता होगी। साथ ही, रोजगार के प्रयोजनार्थ उद्योग द्वारा उच्च स्वीकार्यता को बढ़ावा मिलेगा। केन्द्रीय महाविद्यालय, एनवीईक्यूएफ/एनएसक्यूएफ के साथ पाठ्यक्रम के ढांचे तथा पाठ्यचर्या के डिजाइन को अनुरूप बनाने की दिशा में भी कार्य करेगा।

इस योजना के तहत ज्ञान अर्जन करने वालों के लिये प्रति छात्र प्रतिमाह 1000 रुपए की छात्रवृत्ति की व्यवस्था है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान की अधिकतम सीमा अवधि	प्रति पाठ्यक्रम 50.00 लाख रुपए दो वर्ष
चयन प्रक्रिया	सामुदायिक महाविद्यालय को मौजूदा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में चलाया जाएगा। सामुदायिक महाविद्यालय हेतु मेजबान संस्थान का चयन करते हुए ऐसे महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी जो स्थानीय उद्योग भागीदार के समीप हैं। किसी स्वायत्त महाविद्यालय को सामुदायिक महाविद्यालय का मेजबान बनाने में पाठ्यचर्या डिजाइन, मूल्यांकन तथा अभिशासन आदि के अतिरिक्त लाभ हो सकते हैं और इसलिए, उसे योजना के तहत प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भुगतान किए गए अनुदान 2012-17	96.21 करोड़ रुपए (दिनांक 31.03.2017 तक भुगतान किए गए कुल अनुदान)
बारहवीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्य, विकास कार्यनीतियों को दर्शाते हुए भावी कार्य योजना का उल्लेख करें	प्रत्येक वर्ष 100 नए सामुदायिक महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ताकि छात्रों की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में पर्याप्त रूप से संवर्धन किया जा सके। पाठ्यचर्या तैयार करने, शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए उद्योग भागीदार को शामिल किया जा सकता है। पाठ्यक्रम को पूर्ण करने वाले छात्र उद्योग की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे।
आयोजित किए गए सम्मेलन, विदेशी शिष्टमंडलों का दौरा तथा आयोजित किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम, यदि आयोजित किए गए हों तो। अन्य देशों/सहयोग/अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ करार	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संयुक्त रूप से आस्ट्रेलियाई-भारतीय व्यावसायिक शिक्षा नेतृत्व प्रशिक्षण (वीईएलटी) परियोजना के साथ वर्ष 2016-17 के लिए आस्ट्रेलियाई उच्चायोग में इंडियन कम्यूनिटी कॉलेज लीडर के साथ व्यावसायिक शिक्षा नेतृत्व प्रशिक्षण के भाग-III का आयोजन किया। आस्ट्रेलियाई-भारतीय व्यावसायिक शिक्षा नेतृत्व प्रशिक्षण (वीईएलटी) परियोजना के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग

10.2(क)(ii) सामुदायिक महाविद्यालय योजना के तहत विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम
आन्ध्र प्रदेश	
1.	आन्ध्रा लोयोला कॉलेज (स्वायत्त), विजयवाड़ा-520008, कृष्णा जिला, आन्ध्र प्रदेश
2.	चौधरी एस.डी. सेंट थरेसिया आटोनामस कॉलेज फॉर वीमेन, साानिवारपूट पोस्ट एलूरु - 534003, पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश
3.	गर्वनमेंट कॉलेज (स्वायत्त) सेंट्रल जेल रोड, राजामुन्द्री, 534001, पूर्वी गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश
4.	काकरपार्थी बी.एन. कॉलेज, विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)
5.	पीथापुर राजेश कॉलेज, मेक्लॉरियन हाई स्कूल के सामने, काकीनाडा, ई.जी. जिला, आन्ध्र प्रदेश-533001
6.	एस.वी.ए. गर्वनमेंट कॉलेज (एम0) पिट्चतुर रोड, श्रीकालाहस्ती -517644, आन्ध्र प्रदेश
7.	श्री वेणुगोपाल रामकृष्णा मेमोरियल कॉलेज, नाग्राम-542268, गूंटूर (जिला), आन्ध्र प्रदेश

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम
अरुणाचल प्रदेश	
8.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश
असम	
9.	ए.डी.पी. कॉलेज, साउथ हैब्रोगांव, आरआरबी रोड, नागांव- 782002, असम
10.	बाहोना कॉलेज, पी.ओ. बाहोना जिला जोरहाट असम-785101
11.	दक्षिण कामरूप कॉलेज, मिर्जा, कामरूप-782410, असम
12.	जागीरोड कॉलेज, जागीरोड, पी.ओ. - जागीरोड, मोरीगांव, असम - 782410
13.	जेंगरीमुख कॉलेज, पी.ओ. - जेंगरीमुख, माजुली, जोरहाट जिला, असम, पिन-785105
14.	नामरूप कॉलेज, पी.ओ. प्रभातपुर, जिला डिब्रूगढ़ (असम) पिन 786623
15.	नार्थ लखीमपुर कॉलेज, (स्वायत्त) खेलमाटी, नार्थ लखीमपुर-787031, असम
16.	राहा कॉलेज, पी.ओ राहा, जिला-नौगांव, पिन-782103, असम
17.	रूपाही कॉलेज, एट/पीओ-रूपाही, जिला नागांव, पिन-782125, असम
18.	तिहू कॉलेज, तिहू, जिला नलबारी (असम)
*19.	उत्तर कामपीठ महाविद्यालय, गांव एवं पीओ जगारा, जिला नलबारी, असम-781310
20.	काचर कॉलेज, ट्रंक रोड, सिल्चर, पिन 788001 (असम)
21.	अमयपुरी कॉलेज, अमयपुरी, जिला बोंगाईगांव, असम - 783384
22.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर, असम
23.	डिम्बोई कॉलेज, पीओ डिम्बोई, जिला तिनसुकिया, असम-786171
24.	दिखोमुख कॉलेज, पी.ओ. भोरोलुआ तिनाली, सिबसागर (असम)-785664
25.	हाजी अफार अली कॉलेज, नागांव, असम
26.	जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, पी.ओ. बोको, पी.एस. बोको, जिला कामरूप-781123 (असम)
27.	जोरहाट केन्द्रीय महाविद्यालय, केन्दुगुरि, पी.ओ. चेंगली गांव, जिला जोरहाट-785010 (असम)
28.	एल.टी.के. कॉलेज, पी.ओ. आजाद, जिला लखीमपुर-787031 (असम)
29.	माधब चौधरी कॉलेज, बरपेटा, असम
30.	पब कामरूप कॉलेज, बेटहाटा चारली, जिला कामरूप, असम 781381
31.	एसबीएमएस कॉलेज, सौलकुची, जिला कामरूप, असम
32.	साइंस कॉलेज, पीओ एवं जिला, कोकराझार, असम 783370
33.	सिबसागर कॉमर्स कॉलेज, जिला सिबसागर, पी.ओ. सिबसागर-785640, असम
34.	सिबसागर गर्ल्स कॉलेज, सिबसागर टाउन, पी.ओ. सिबसागर, जिला सिबसागर, असम-785640
35.	तेजपुर विश्वविद्यालय, पी.ओ. नापायम, जिला सोतिपुर, तेजपुर, असम - 784028
बिहार	
36.	गया कॉलेज, गया - 803001 (बिहार)
37.	गर्वनमेंट वूमैन्स कॉलेज, गरधानी बाग पीएस, जिला पटना (बिहार) 800002
38.	जे.डी. वूमैन्स कॉलेज, पटना
39.	लघंट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर-842001 (बिहार)
40.	राजेन्द्र मिश्रा कॉलेज, तिवारी टोला, सहरसा (बिहार)
41.	रामा कृष्णा कॉलेज, मधुबनी (बिहार)
चंडीगढ़	
42.	डीएवी कॉलेज, सेक्टर 10, चंडीगढ़
छत्तीसगढ़	
43.	गर्वनमेंट डी.बी. गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, कालीबाडी चौक, छत्तीसगढ़

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम
दिल्ली	
44.	महाराजा अग्रसेन कॉलेज, वसुन्धरा एन्क्लेव, दिल्ली-110096
गुजरात	
45.	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन - 384265 गुजरात
46.	एन.एस. पटेल आर्ट्स कॉलेज, भालेज रोड आनन्द, गुजरात - 388001
47.	प्रमुख स्वामी साइंस एंड एच.डी. पटेल आर्ट्स कॉलेज, सर्व विद्यालय कैम्पस, जिला मैसाणा-382715 (उत्तरी गुजरात)
हरियाणा	
48.	आर्य कॉलेज, पानीपत, हरियाणा - 132103
49.	दीनबन्धु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुखल-131039 (सोनीपत)
50.	गीता विद्यामंदिर गर्ल्स कॉलेज मुखल रोड, सोनीपत, हरियाणा
51.	गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, संतपुरा, यमुनानगर
52.	गुरु नानक खालसा कॉलेज, नियर फाऊन्टेन चौक, सिटी सेंटर रोड, यमुनानगर -135001 (हरियाणा)
53.	गुरु नानक खालसा कॉलेज, रेलवे रोड, करनाल - 132001
54.	कन्या महाविद्यालय, खारकोडा, सोनीपत, हरियाणा
55.	कंविए डीएवी महिला कॉलेज, रेलवे रोड, करनाल (हरियाणा)
56.	वाईएमसीए यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेक्टर-6, फरीदाबाद-121006 (हरियाणा)
हिमाचल प्रदेश	
57.	गर्वमेंट कॉलेज, नालागढ़ जिला-सोलन हिमाचल प्रदेश, 174101
58.	श्री गुरु गोविंद सिंह जी गर्वमेंट कॉलेज, पोंटा साहिब (हिमाचल प्रदेश)
जम्मू और कश्मीर	
59.	बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, राजोरी, जम्मू और कश्मीर
60.	सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सांबा, जम्मू और कश्मीर - 181143
61.	गर्वमेंट कॉलेज फॉर वूमेन, परेड ग्राउंड, जम्मू 180001
झारखण्ड	
62.	ए.एस. कॉलेज, सत्संग नगर, बी. देवघर-814112 (झारखण्ड)
63.	डोरांडा कॉलेज, कृष्णा सिंह पार्क के सामने, डोरन्दा, पी.ओ. हिन्नु, रांची, झारखण्ड
64.	के.बी. वूमेन्स कॉलेज, नियर सिविल कोर्ट, हजारीबाग-825301, झारखण्ड
65.	एस.एस.एल.एन.टी. महिला महाविद्यालय, लूबी सकुलर रोड, धनबाद-826001-झारखण्ड
66.	टाटा कॉलेज, चिलबासा
कर्नाटक	
67.	बीएलडीईए न्यू आर्ट कालेज, तिकोटा- 586130 जिला बीजापुर (कर्नाटक)
68.	बीएमएस महिला कालेज, बुगले रॉक रोड, बासावनागुडी, बंगलूरु- 560004
69.	सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्गा, कर्नाटक
70.	गर्वमेंट रामनारायण चेलाराम्ज कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रेस कोर्स रोड, बंगलूरु - 560001
71.	जेएसएस ब्रनशंकर आर्ट्स, कॉमर्स एंड एस.के. गुब्बी साइंस कॉलेज, विद्यागिरी, धारवाड
72.	कनकदास शिक्षण समिति के.एस.एस. आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कॉलेज एंड पी.जी. सेंटर विद्यानगर, मसारी, गडक-582101 (कर्नाटक)
73.	महारानी साइंस कॉलेज फॉर वूमेन, मैसूर
74.	श्रीमती भाग्यलक्ष्मी रात्तेली राम्पा महाराज फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, जलयालाकश्मीपुरम, मैसूर - 570012
75.	श्रीमती वी.एच.डी. सेट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, सेसाद्री रोड, बंगलूरु-560001

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम
76.	सेंट जोसेफ इवनिंग कॉलेज #55 म्यूजियम रोड, बंगलुरु - 560025
77.	सेंट फिलोमेन्स कॉलेज (स्वायत्त) पी.पी. बॉक्स 30, बानीमन्ताप, मैसूर-570015, कर्नाटक
78.	तेरेसाई कॉलेज, बानू रोड, सिद्धार्थनगर, मैसूर - 570011
कैरल	
79.	एसम्पशन कॉलेज, छंगनसेरी, पी.ओ. कोट्टायम जिला, कैरल
80.	बिशप चूलापरम्बेली मेमोरियल कॉलेज फॉर वूमेन, कोट्टायम-686001, कैरल
81.	बिशप कुरियलचेरी कॉलेज फॉर वूमेन अमलागिरी पी.ओ.-कोट्टायम, कैरल -686561,
82.	कारमेल कॉलेज, माला, कैरल - 680732, थिसूर-जिला, कैरल
83.	गर्वमेंट कॉलेज, नाट्टाकॉम, पी.ओ. कोट्टायम-686013
84.	गर्वमेंट कॉलेज, अंटीगल (कैरल)
85.	हेनरी बेकर कॉलेज, मेलुकावू (कैरल)
86.	एमईएस कॉलेज, मारम्पल्ली पी.ओ. नार्थ वाझाकुलम, अलुवा - 683107, कैरल
87.	नेवामान कॉलेज, थोडुपुझा, थोडुपुझाईस्ट पीओ, इडुक्की जिला, कैरल-685585
88.	पवनात्मा कॉलेज, मुरिकेसरी, इडुक्की जिला, कैरल-685604
89.	पोक्काया थंगल मेमेरियल गर्वमेंट कॉलेज, पेरिनाथलमाना, पाथीक्कारा-679322, मालापुरम जिला, (कैरल)
90.	प्रोविडेंस वूमेन कॉलेज, कालीकट
91.	श्री नीलकान्ता गर्वमेंट संस्कृत कॉलेज, पाट्टम्बी, मेलेपाट्टम्बी पीओ. पालाक्काडा, जिला कैरल-679306
92.	श्री सी. अच्युतन मेनन गर्वमेंट कॉलेज, कुट्टनेल्लूर, थिसूर-680014 (कैरल)
93.	सेंट मेरी कॉलेज, कॉलेज, कुप्पाडी पी.ओ., सल्व्थन बेशी, वॉयनाड, जिला, कैरल-673592
94.	सेंट माईकल कॉलेज, माईआथारा, चेरथाला, कैरल
95.	सेंट टेरेसा कॉलेज (स्वायत्त), पार्क एवेन्यू, एर्णाकुलम-682011, कैरल
96.	सेंट थॉमस कॉलेज, पाला, अरुणापुरम, कोट्टायम-686574, कैरल
97.	सेंट थॉमस कॉलेज, कॉलेज रोड, थिसूर, कैरल - 680001
मध्य प्रदेश	
98.	डॉ. हरि सिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश
99.	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर 'कम्युनिटी सेंटर' विद्या विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर-474011
100.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, सरस्वती विहार, पचपेदी, जबलपुर-482001, मध्य प्रदेश
101.	शास्त्रीय कन्या महाविद्यालय, दशहरा मैदान, बंधारी रोड, बदवानी-454551, (मध्य प्रदेश)
महाराष्ट्र	
102.	अहमदनगर कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नं. 21, स्टेशन रोड, अहमदनगर, 414001, एम.एस.
103.	अरविन्दबाबू देखमुख महाविद्यालय, पीओ-भरसिंगी, तालुक-नारखेद, नागपुर-441305 एम.एस.
104.	भारतीय जैन संघटन आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, वाघोली रोड, बाकोरी फाटा, पुणे-412207 (एमएस)
105.	बिरला कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, कल्याण, थाणे (एमएस)
106.	दत्ताजी कदम आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, शिवाजी नगर, नियर शाहू पुटला, इचलकरजी-416115, जिला कोल्हापुर, तालुक हटकांगले, एमएस
107.	धोते बंधु साइंस कॉलेज, कूडवा रोड, जिला गोंदिया - 441614 (महाराष्ट्र)
108.	डॉ० अम्बेडकर कॉलेज, दीक्षाभूमि, नागपुर
109.	जी एस टोम्पे आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, चांदूर, बाजार, जिला अमरावती, एमएस-444704
110.	जी.डी.ए.बी. आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, किदवई रोड, जिला नासिक-423203, महाराष्ट्र
111.	गुरु नानक कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, जी.टी.बी. नगर, मुम्बई-400037, एम.एस.

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम
112.	जयसिंहपुर कॉलेज, जयसिंह नगर-416001, जिला कोल्हापुर
113.	के.टी.एस.पी. मंडल हुतात्मा राजगुरु महाविद्यालय, पुणे-नासिक हाइवे, नियर खेड पुलिस स्टेशन
114.	केआरटी आर्ट्स, बीएच कॉमर्स एंड एएम साइंस कॉलेज, नासिक (महाराष्ट्र)
115.	लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, 17, मल्हार पथ, सतारा - 415002 (महाराष्ट्र)
116.	मधुकरराव पवार आर्ट्स कॉलेज, मूतिजापुर, जिला अकोला (महाराष्ट्र)
117.	महात्मा गांधी आर्ट्स साइंस एंड लेट एन.पी. कॉमर्स, कॉलेज, वडसा रोड, तालुक अरमोरी, जिला गढ़चिरोली, महाराष्ट्र-441208
118.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, (महाराष्ट्र)
119.	मत्स्योद्री शिक्षण संस्थान आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, नियर मोतीबाग फ्लाईओवर ब्रिज, जालना-431203 (महाराष्ट्र)
120.	एमएसएस आर्ट्स कॉलेज, तीर्थपुरी, जालना-431209 (महाराष्ट्र)
121.	न्यू आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, मिरि रोड, शेवगांव, तालुक-शेवगांव, जिला-अहमदनगर (महाराष्ट्र)
122.	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, पोस्ट बॉक्स नं. 80, अगावीनगर, जलगांव, महाराष्ट्र - 425001
123.	पीडीइए बाबूरावजी घोलाप कॉलेज, संगवी, पुणे, 411027
124.	पद्मश्री विखे पाटिल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, लोनी केडी-413713, राथाटा, अहमदनगर (महाराष्ट्र)
125.	प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, शिवाजीनगर, पुणे-411005
126.	सद्गुरु गादगे महाराज कॉलेज, काराड, जिला सतारा, महाराष्ट्र
127.	शरदचन्द्र आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, पी-16, एमआईडीसी भूटीबोरी, जिला नागपुर-441122
128.	शिक्षणमहर्षि डॉ० बापूजी सालुंके महाविद्यालय, पंधारपुर रोड, मिराज-416410, महाराष्ट्र
129.	श्री आसारामजी भंडवाल्लर आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, देवगांव, जिला औरंगाबाद-431115, महाराष्ट्र
130.	श्री एस.एच. केलकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)
131.	श्री शिवाजी महाविद्यालय, शिवाजीनगर, बारशी-413411 जिला सोलापुर (महाराष्ट्र)
132.	श्री वैकटेश आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, डेलूगांव राजा, जिला बुलगाना (महाराष्ट्र) - 443204
133.	श्रीमती शकुन्तलाबाई दहाबकर महाविद्यालय, कारंजा (लेड) जिला वाशिम
134.	एसएनजेबी के.के.एच.ए. आर्ट्स, एम.एम.जी.एल. कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, नेमीनगर, चांदवाड, जिला नासिक-423101 महाराष्ट्र
135.	विवेकानन्द आर्ट्स, सरदार डेलीपसिंग कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, समर्थनगर, औरंगाबाद-431001, महाराष्ट्र
136.	विवेकानन्द कॉलेज, 2130, ई, ताराबाई पार्क, तालुक कारवीर कोल्हापुर - 416416 महाराष्ट्र
मणिपुर	
137.	चनमबाम इबोम्या (सी.आई) कॉलेज, बिशनपुर जिला, मणिपुर
138.	यूडयन्मपुर कॉलेज, यूडयन्मपुर (मणिपुर)
139.	मणिपुर यूनिवर्सिटी, कांचीपुर-795003
140.	पेटग्यू कॉलेज, उखरुल, मणिपुर-795142
141.	सेंट कूला महिला महाविद्यालय, कोंगखाम्पेट, डाकघर तथा थाना नामबोल, विष्णुपुर, जिला मणिपुर - 795134
142.	वाईखोम मणि गर्ल्स कॉलेज, थोम्बई ओकरम, पीओ एव जिला थोलाब, मणिपुर- 795138
मिजोरम	
143.	पाचुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज, कॉलेज वेंग, आईजोल, मिजोरम-796001
नागालैण्ड	
144.	दीमापुर गर्वमेंट कॉलेज, ओरिएंटल कालोनी, दीमापुर-797112
145.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, जुनहेबोटो, नागालैण्ड

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम
146.	साकुर मिशन कॉलेज, लैंडमार्क कालोनी, दीमापुर-797112
147.	सेंट जोसेफ कॉलेज, जाखम, पीओ बॉक्स-39, कोहिमा (नागालैंड)
ओड़ीशा	
148.	डी.डी. (स्वायत्त) कॉलेज, क्यॉंझर-758001
149.	फकीर मिशन (स्वायत्त) कॉलेज, बालासोर-756001 (ओड़ीशा)
150.	गर्वमेंट (स्वायत्त) कॉलेज, भवानीपटना-766001, जिला कालाहांड, ओड़ीशा
151.	गर्वमेंट (स्वायत्त) कॉलेज, राउरकेला-769004 (ओड़ीशा)
152.	खालीकोटे (स्वायत्त) कॉलेज, ब्रह्मपुर, गंजम-760001
153.	महाराजा पूर्णा चन्द्रा कॉलेज, ताकतपुर, बारीपाडा, मयूरभंज-757003- ओड़ीशा
154.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कथाजोडी कैम्पस, सेक्टर-13, सीडीए, कटक, ओड़ीशा
155.	विक्रम देव कॉलेज, जयपुर, कोरापूट-764001, ओड़ीशा
पुदुचेरी	
156.	पुदुचेरी यूनिवर्सिटी कम्युनिटी कॉलेज, कालापेट, पुदुचेरी-605014
पंजाब	
157.	बी.बी.के. डी.ए.वी. महिला कॉलेज, लारेंस रोड, अमृतसर, पंजाब - 143001
158.	सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, मांसा रोड, मटिंडा-151001, पंजाब
159.	डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स, गढ़शंकर-144527
160.	गर्वमेंट गोहिन्द्रा कॉलेज पटियाला-147001
161.	गर्वमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, राखबाग, लुधियाना-141001, पंजाब
162.	हंसराज महिला महाविद्यालय, महात्मा हंस राज मार्ग, जालंधर, पंजाब 144001
163.	जेसी डीएवी कॉलेज दसूया, होशियारपुर
164.	कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, फगवाड़ा कपूरथला, पंजाब - 144401
165.	लायलपुर खालसा कॉलेज, जी.टी. रोड, जालंधर, पंजाब - 144001
166.	माता गुजरी कॉलेज, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब - 140406
167.	प्रेम चन्द मारकंडेय एस.डी. कॉलेज फॉर वूमेन, नेहरू गार्डन रोड, जालंधर-144001, पंजाब
168.	आर.आर. बाबा डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स, समग्र रोड, बटाला-143505, पंजाब
169.	एस.सी.डी. गर्वमेंट कॉलेज, सिविल लाइन, लुधियाना-141001
राजस्थान	
170.	बनस्थली विद्यापीठ, डाकघर बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली - 304022, राजस्थान
तेलंगाना	
171.	जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज, मार्केट रोड, बेमुलवाड़ा-505302, करीमनगर (जिला) तेलंगाना
तमिलनाडु	
172.	अय्या नादर जानकी अम्मल कॉलेज (स्वायत्त) श्रीविल्लीपुत्तूर रोड, सिवकासी वेस्ट-626124, वीरुधुनगर, तमिलनाडु
173.	सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, थिरुवरुर
174.	द्वारका दास गोवर्धनदास विश्व कॉलेज (स्वायत्त) नं. 833, पेरियार ईवीआर सलाई, अरुम्बाक्कम, चेन्नई
175.	जयराज अन्नापकिम कॉलेज फॉर वूमेन, (स्वायत्त) पेरीकुलम-625501, थेनी जिला, तमिलनाडु-625601
176.	लेडी डॉक कॉलेज, मदुरई, 625002 (तमिलनाडु)
177.	मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, (स्वायत्त) ईस्ट ताम्बरम, चेन्नई 600059
178.	मदुरई इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, 9, अलगर कोविल रोड, मदुरई-625002
179.	मनोमणियम सुन्दरनार यूनिवर्सिटी, तिरुनेवेली, तमिलनाडु

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम
180.	नेशनल कॉलेज (स्वायत्त) डिंडीगुल रोड, करुमन्डपम, तिरुचरापल्ली-620001, तमिलनाडु
181.	पीएसजीआर कृष्णाम्मल महिला महाविद्यालय, पीलामेडु, कोयम्बटूर, तमिलनाडु - 641004
182.	सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज (स्वायत्त), तिरुचरापल्ली, तमिलनाडु
183.	श्री जी.वी.जी. वैसालक्ष्मी कॉलेज फॉर वूमेन (स्वायत्त), उदुमलपेट
184.	श्री कालेश्वरी कॉलेज (स्वायत्त), ए. मीनाक्षीपुरम अनीकुलटम, पोस्ट, शिवकाशी - 626130, विरुधनगर
185.	दि अमेरिकन कॉलेज, मदुरई, 625002, तमिलनाडु
उत्तर प्रदेश	
186.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
187.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)
188.	इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, गंधट, मुथीगंज, इलाहाबाद-211003
189.	एस.एस. खन्ना गर्ल्स कॉलेज, 179-डी, अटरसूया, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
190.	सेंट एंड्रयूस कॉलेज, जिला न्यायालय के सामने, गोरखपुर-273001, उत्तर प्रदेश
उत्तराखण्ड	
191.	एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी, चौरास कैपस, श्रीनगर गढ़वाल-249161 (उत्तराखण्ड)
192.	कुमारू यूनिवर्सिटी, सिल्पी हॉलो, नैनीताल-263001 (उत्तराखण्ड)
पश्चिम बंगाल	
193.	आशुतोष महाविद्यालय, 92, श्यामाप्रसाद मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700026
194.	भातार कॉलेज, एटी. + पो.ओ. दांतन पश्चिम मिदिनापुर-721426 पश्चिम बंगाल
*195.	सिटी कॉलेज, 102/1, राजा राममोहन सराय, कोलकाता-700009 (पश्चिम बंगाल)
196.	डेरोजिओ मेमोरियल कॉलेज, राजाराहत रोड, गोपालपुर, नॉर्थ 24, परगना, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
197.	मायानागूरी कॉलेज, जलपाईगुड़ी, (पश्चिम बंगाल)
198.	मुगबेरिया गंगाधर महाविद्यालय, पीओ भूपतीनगर, जिला पूर्वी मिदिनापुर, पश्चिम बंगाल - 721425
*199.	सिल्दा चन्द्र शेखर कॉलेज, पीओ सिल्दा, जिला पश्चिम मिदिनापुर-721414

*मामले की जांच करने के लिए समीक्षा समिति द्वारा की गई किसी भी पूछताछ के संबंध में समिति का गवर्न किया जाएगा।

10.2(ख) बी0वोक0 उपाधि कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कौशल विकास हेतु एक अन्य महत्वपूर्ण योजना अर्थात् व्यावसायिक स्नातक (बी0वोक0) उपाधि कार्यक्रम को लागू कर रहा है। उच्चतर शिक्षा को अर्थव्यवस्था की उमरती आवश्यकताओं के साथ जोड़ने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली के स्नातकों के पास रोजगार और उद्यमशीलता हेतु पर्याप्त जानकारी और कौशल हो। कौशल विकास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में वित्त मंत्रालय ने नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) हेतु एक अधिसूचना जारी की जो एनवीईक्यूएफ को अधिक्रमित करती है। इससे बी0वोक0 पूर्ण करने वाले स्नातक समुचित रोजगार प्राप्त कर, उद्यमी बनकर और समुचित ज्ञान का सृजन कर भारत की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में सक्षम होंगे।

संगत संस्थानों को आबंटित तथा जारी किये गये अनुदान की स्थिति निम्नानुसार है :-

तालिका 10.2(ख)(i)

योजना का नाम	कुल (महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय)	तीन वर्षों के लिए आबंटित अनुदान (करोड़ रुपये में)	जारी किया गया अनुदान (2016-17) (करोड़ रुपये में)
बी0वोक0 उपाधि कार्यक्रम	162	241.06	10.00

व्यवसाय स्नातक उपाधि कार्यक्रम की योजना के तहत प्रत्येक वर्ष में 1000 शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) तथा 12ख के तहत सम्मिलित किए गए सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं उन्हें योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

बी0वोक0 के तहत प्रवेश हेतु अर्हता की शर्त किसी भी विषय में 10+2 अथवा समकक्ष है।

प्रत्येक वर्ष के लिए सुझाए गए क्रेडिटों को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

तालिका 10.2(ख)(ii)

एनएसक्यूएफ स्तर	अवार्ड हेतु संचयी क्रेडिट		सामान्य कलेण्डर अवधि	निकास बिंदु/उपाधि
	कौशल घटक के क्रेडिट	सामान्य शिक्षा के क्रेडिट		
प्रथम वर्ष	36	24	छह सेमेस्टर	डिप्लोमा
द्वितीय वर्ष	72	40	चार सेमेस्टर	उच्च डिप्लोमा
तृतीय वर्ष	108	72	दो सेमेस्टर	व्यवसाय स्नातक उपाधि

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान की अधिकतम सीमा	1.70 करोड़ रुपए
अवधि	तीन वर्ष
चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक नोटिस जारी करके इच्छुक महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों से विहित प्ररूपों में प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। प्रस्तावों को मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संबंधित संस्थान का विशेषज्ञ समिति के साथ आमुख वार्ता कराने का भी निर्णय ले सकता है जो योजना के तहत संस्थान की सिफारिश करेगी।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के दौरान भुगतान किए गए अनुदान	122.51 करोड़ रुपए (दिनांक 31.03.2017 तक भुगतान किया गया कुल अनुदान)
बारहवीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्य, विकास कार्यनीतियों को दर्शाते हुए भावी कार्य योजना का उल्लेख करें	प्रत्येक वर्ष 100 नए वी0वोक0 उपाधि संस्थानों को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ताकि छात्रों की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में पर्याप्त रूप से संवर्धन किया जा सके। पाठ्यचर्या तैयार करने, शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए उद्योग भागीदार को शामिल किया जा सकता है। पाठ्यक्रम को पूर्ण करने वाले छात्र उद्योग की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे।

तालिका 10.2(ख)(iii) : वी0वोक0 उपाधि प्रदान करने वाले 162 महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	संस्थान का नाम
आन्ध्र प्रदेश	
1.	आन्ध्रा लोयोला कॉलेज, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश
2.	सी.एच. एस.डी. सेंट थेरेसिया आटोनोमस कॉलेज फॉर वीमेन, एलूरु सनीवारापुपेट, पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश
3.	पिथपुर राजा गवर्नमेंट कॉलेज, काकीनाडा
4.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति
5.	सेंट फ्रांसिस महिला कॉलेज, स्ट्रीट नं. 6, उमानगर, बेगमपेट, हैदराबाद - 500016
असम	
6.	अमयपुरी कॉलेज, अभयपुरी, जिला बोंगाईगांव
7.	वैदूर कॉलेज, असम

क्र.सं.	संस्थान का नाम
8.	जागीरोड कॉलेज, डाकघर जागीरोड, मोरीगांव (असम)
9.	कालीयाबोर कॉलेज, डाकघर कुवारीतोल, जिला नागांव, असम
10.	नाजिरा कॉलेज, नागा अलौ नाजिरा, सिबसागर (असम)
11.	पीयूबी कामरूप कॉलेज, डाकघर बैहाटा चारेली, कामरूप
12.	तेजपुर विश्वविद्यालय, पो.ओ. नापायम, जिला सोनितपुर, तेजपुर, असम – 784028
13.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर
14.	डीके कॉलेज मिर्जा, कामरूप
15.	मंगलदर्ई कॉलेज, जिला दरंग, असम
16.	उत्तरी गुवाहाटी कॉलेज, कॉलेज नगर, गुवाहाटी
17.	रंगिया कॉलेज सुलाकुची, कामरूप, असम
18.	एसबीएमएस कॉलेज सुलकुची, कामरूप, असम
बिहार	
19.	कलावती स्नातक महाविद्यालय, रानीगंज अररिया, बिहार – 854334
20.	केन्द्रीय दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़	
21.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ – 491881
22.	पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
चण्डीगढ़	
23.	डीएवी कॉलेज, सेक्टर-10, चण्डीगढ़
दिल्ली	
24.	जीजस एण्ड मेरी कॉलेज, नई दिल्ली
25.	कालिन्दी कालेज, ईस्ट पटेल नगर, दिल्ली
गुजरात	
26.	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन – 384265 गुजरात
27.	एन.एस. पटेल आर्ट्स कॉलेज, आनन्द
28.	प्रमुख स्वामी साइंस एंड एच.डी. पटेल आर्ट्स कॉलेज, सर्व विद्यालय, कैम्पस, जिला मैसाणा
29.	तोलानी कॉमर्स कॉलेज, आदिपुर कच्छ, गुजरात
30.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
हरियाणा	
31.	अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़
32.	आर्य कॉलेज, जी.टी. रोड, पानीपत, हरियाणा – 132103
33.	कंवीए डीएवी महिला कॉलेज, करनाल
34.	कन्या महाविद्यालय खारकोडा, सोनीपत
जम्मू	
35.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय जम्मू, त्रिकूटा नगर, जम्मू
36.	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय
झारखण्ड	
37.	सेंट जेवियर कॉलेज, रांची, डॉ. कामली बुल्के पथ, (पुरुलिया रोड), रांची
कर्नाटक	
38.	ज्योति निवास कॉलेज (ए), होसूर रोड, बंगलुरु

क्र.सं.	संस्थान का नाम
39	महारानी लक्ष्मी अम्मानी महिला महाविद्यालय, बंगलुरु- 560012
40	माउंट कारमेल कॉलेज, स्वायत्त, 58, पैलेस रोड, बंगलुरु - 560052
41	सेंट जोसेफ कॉलेज (स्वायत्त) लालबाग रोड, बंगलुरु - 560027
42	तुमकूर विश्वविद्यालय, साइंस कॉलेज कैम्पस, बी.एच. रोड, तुमकूर
43	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक
44	बीएमएस कॉलेज फॉर वूमेन, बुगल रॉक रोड, बंगलुरु
45	सेन्ट फिनोमेन कॉलेज, बन्नीमनताप, मैसूर, कर्नाटक
केरल	
46	अल्फोंसा कॉलेज, कोट्टायम, केरल
47	कारमेल कॉलेज, माला, केरल
48	फारुख कॉलेज, कोझीकोड
49	कौरीकोस इलायस कॉलेज, जिला - कोट्टयम, केरल
50	एगईएस कॉलेज, मारमपल्ली पो.ओ. नार्थ वाझाकुलम, अलुवा - 683107, केरल
51	सेंट एलबर्ट कॉलेज, एर्णाकुलम, कोच्चि
52	सेंट मेरी कॉलेज, कॉलेज रोड, थिरुसूर
53	सेंट माईकल कॉलेज, माईआथारा, चेथाला, केरल
54	सेंट थॉमस कॉलेज, पाला, अरुणापुरम
55	सेंट थॉमस कॉलेज, थिरुसूर, केरल
56	सेंट ऑलोसियस कॉलेज, एल्युरुथ, त्रिसूर - 680611
57	सुल्लामुसालम साइंस कॉलेज
58	बिशप हर्बर कॉलेज, त्रिचिरापल्ली
59	सेन्ट बर्चमिन कॉलेज, चनगानाचेरी, केरल
60	सेन्ट थेरेसा कॉलेज, एर्नाकुलम, कोच्चि
मध्य प्रदेश	
61.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
62.	द इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र	
63	देवगिरि कॉलेज, औरंगाबाद, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)-431005
64	धोते बंधु साइंस कॉलेज, तिरोरा रोड, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) - 441614
65	ध्यानोपासक शिक्षण मंडल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, परमनी - 431401
66	फरगसन कॉलेज, डेक्कन जिमखाना, पुणे, महाराष्ट्र
67	एच.आर. कॉलेज ऑफ कामर्स एंड इकोनॉमिक्स, चर्चगेट, मुंबई
68	जयसिंहपुर कॉलेज, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)
69	जे.एम. पटेल आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, मंडारा - 441904
70	जीवन विकास महाविद्यालय, थुगोनोदेव, तहसील नारखेड, जिला नागपुर - 431301
71	कमला कॉलेज, कोल्हापुर
72	कमला नेहरू महाविद्यालय, सक्करदारा स्क्वेयर, उमरेर रोड, नागपुर - 470024
73	खांदेश कॉलेज एजुकेशन सोसायटी मूलजी जेटा कॉलेज, जिला पेथ, जलगांव
74	केआरटी आर्ट्स, बीएच कॉमर्स एंड एएम साइंस कॉलेज, शिवाजी नगर, गंगापुर रोड, नासिक (महाराष्ट्र)
75	कंवीपी किसान आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निकट, एट. पो. ताल, पारोला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र - 425111

क्र.सं.	संस्थान का नाम
76	लेट एसओडब्ल्यू कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय, जिंतूर रोड, पोस्ट बॉक्स नं. 34, परभनी - 431401
77	लोकनेते वेंकटराव हिरे आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज (महाराष्ट्र)
78	पी.ई.एस. मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, गणेशखिंद महाराष्ट्र - 411053
79	पीडीईए बाबूरावजी गोलप कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, नई सांगवी, पुणे
80	प्रो. रामकृष्ण मोर आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, सेक्टर नं. 28, गंगानगर, प्राधिकरण, अकरुणि, पुणे - 411044, महाराष्ट्र
81	आरजे कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कामर्स, घाटकोपर रेलवे स्टेशन के सामने, मुंबई - 400086
82	संगमनेर नगरपालिका आर्ट्स, डी.जे. मालपानी कॉमर्स एंड बी.एन. सारदा साइंस कॉलेज, पुणे नासिक हाइवे, घुलेवाडी, संगमनेर, अहमदनगर
83	शंकर महर्षि लेट भास्करराव सिंधे आर्ट्स कॉलेज बुलढाना (महाराष्ट्र)
84	संत रामदास आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, घंसावांगी जिला, जालना
85	शरद चन्द्र आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, पी-16, एमआईडीसी बूटीबोरी, जिला नागपुर
86	सेंट जेवियर कॉलेज, महापालिका मार्ग, मुंबई - 400001
87	तुलजाराम चतुरचंद कॉलेज, बॉक्स नं. 51, ए.पी. तहसील-बारामती, जिला पुणे - 413102, महाराष्ट्र
88	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
89	विकास नाइट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, मुंबई
90	विवेकानन्द कॉलेज, 2130, ई, ताराबाई पार्क, तालुक कारवीर कोल्हापुर
91	वीएमवी कॉमर्स, जेएमटी आर्ट्स एंड जेजेपी साइंस कॉलेज, वर्धमाननगर, नागपुर (महाराष्ट्र)
92	वाघिरे कॉलेज, ए/पी : सासवाद, तहसील-पुरंदर, जिला पुणे, पिन 412301, महाराष्ट्र
93	वाईसीएसपी मंडल्स दादासाहेब दिगम्बर शंकर पाटिल आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, जलगांव (महाराष्ट्र)
94	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा
95	डिग्री कॉलेज ऑफ फिजीकल एजुकेशन, महाराष्ट्र
96	डॉ० अन्नासाहेब जीडी बंदेल महिला महाविद्यालय, जलगांव
97	जयहिन्द कॉलेज, ए० रोड, चर्च गेट, मुंबई
98	कोहिनूर आर्ट्स, कामर्स एंड साइंस कॉलेज, कुलटाबाद, औरंगाबाद
99	श्री शिवाजी कॉलेज अमरावती, शिवाजीनगर, मोर्शी रोड, अमरावती
मणिपुर	
100	खा मणिपुर कॉलेज, मणिपुर
101	नाम्बोल एल. सनोई कॉलेज, नाम्बोल, दिब्रुपुर, मणिपुर
102	नौराम बीराहरी कॉलेज, खुदराकापम इम्फाल, मणिपुर - 795144
103	एस. कूला महिला महाविद्यालय, कोंगखाम्पेट, मणिपुर
104	सौंउथ ईस्ट मणिपुर कॉलेज, कोमलथाबी, पो.ओ. पल्लेल, चंदेल जिला, मणिपुर - 795135
105	थोबाल कॉलेज, थोबाल वांगमाताबा, डाकघर एवं पुलिस स्टेशन थोबाल, 795138 मणिपुर
106	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल
107	श्रीश्री गौड़गोबिन्द बालिका महाविद्यालय, खुरई, पूर्वी इम्फाल, मणिपुर
108	मणिपुर महाविद्यालय, सिंगईमेई, इम्फाल, मणिपुर
मिजोरम	
109	मिजोरम विश्वविद्यालय
नागालैण्ड	
110	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, बागवानी विभाग, एसएसएसआरडी, मेदजीफेमा कैम्पस, मेदजीफेमा - 797106 नागालैण्ड
111	मार्डन कॉलेज, कोहिमा, नागालैण्ड

क्र.सं.	संस्थान का नाम
	पुदुचेरी
112	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, माहे परिसर
	पंजाब
113	ए.एस. कॉलेज, समराला रोड, खन्ना जिला, लुधियाना पिन- 141402, पंजाब
114	एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, महावीर मार्ग, जालंधर, पंजाब - 144004
115	बी.बी.के. डी.ए.वी. महिला कॉलेज लारेंस रोड, अमृतसर, पंजाब
116	दोआबा कॉलेज, विद्यालय मार्ग, देवी तालाब मंदिर के सामने, जालंधर शहर, जिला जालंधर, पंजाब - 144004
117	गुरु नानक कॉलेज, बुलढाहा, मनसा, पंजाब-151502
118	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय कॉलेज, पट्टी, तरण-तारण
119	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय कॉलेज, वरका, जिला - अमृतसर, पिन 143501
120	हंसराज महिला महाविद्यालय, महात्मा हंस राज मार्ग, जालंधर, पंजाब
121	कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, फगवाड़ा कपूरथला, पंजाब - 144401
122	खालसा महिला कॉलेज, अमृतसर
123	लायलपुर खालसा कॉलेज, पंजाब
124	माता गुजरी कॉलेज, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब - 140406
125	अमर शहीद बाबा अजीत सिंह जुझर सिंह मेमोरियल कॉलेज, ग्राम बेला तहसील चमकौर साहिब, जिला रोपण, पंजाब
126	जीएचजी खालसा कॉलेज, लुधियाना
127	मुल्तानी मल मोदी कॉलेज, सुनामी गेट के समीप, पटियाला, पंजाब
128	शांति देवी आर्य महिला कॉलेज, बीना नगर, गुरुदासपुर, पंजाब
129	श्री गुरु तोग बहादुर खालसा कॉलेज, आनंद पुर साहिब, पंजाब
	राजस्थान
130	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली
131	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
	तमिलनाडु
132	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी, तमिलनाडु
133	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर - 608002 (तमिलनाडु)
134	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर - 641046, तमिलनाडु
135	मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, (स्वायत्त) ताम्बराम ईस्ट, चेन्नई 600059
136	पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, कोयम्बटूर
137	पीएसजीआर कृष्णम्मल महिला महाविद्यालय, पीलामेडु, कोयम्बटूर - 641004
138	सेंट जोसेफ महिला महाविद्यालय, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु
139	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, कोयम्बटूर
140	लेडी डोएक कॉलेज, मदुरई, तमिलनाडु
141	लिटल फ्लावर कॉलेज, मदुरई, तमिलनाडु
142	पेरियार यूनिवर्सिटी, सालेम, तमिलनाडु
143	स्टेला मारिस कॉलेज, चिन्नई, तमिलनाडु
144	विरुद्धनगर हिन्दू नाडर शांतिकुरा, नाडर महाविद्यालय, तमिलनाडु
	तेलंगाना
145	हिन्दी महाविद्यालय, ओयू रोड, हैदराबाद
	त्रिपुरा
146	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला

क्र.सं.	संस्थान का नाम
उत्तराखण्ड	
147	कुमाऊ विश्वविद्यालय, मल्लीताल, नैनीताल
उत्तर प्रदेश	
148	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)
149	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ, 226025
150	हामीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सुल्तानपुर मावा, नूरुउल्लाह रोड, इलाहाबाद – 211003
151	श्री अग्रसेन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुलेनाला, परमानंदपुर, वाराणसी
152	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ – 226007 (उत्तर प्रदेश)
153	धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज, वाराणसी, उत्तरप्रदेश
154	स्कूल ऑफ मेनेजमेन्ट साइंस, कासिमपुर बिरुहा, डाकघर काशिमपुर, गोसाईगंज, लखनऊ
155	इलाहाबाद विश्वविद्यालय
156	इर्विंग क्रियशचन कॉलेज, मुठ्ठीगंज, इलाहाबाद
157	ईश्वर सरन डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
पश्चिम बंगाल	
158	आशुतोष महाविद्यालय, 92, श्यामाप्रसाद मुखर्जी रोड, कोलकाता – 700026, पश्चिम बंगाल
159	बेल्दा कॉलेज, पो.ओ. बेल्दा, जिला पश्चिम मिदिनापुर पिन – 721424, पश्चिम बंगाल
160	डेरोज़िओ मेमोरियल कॉलेज, परगना – 700136, पश्चिम बंगाल
161	महिषादल गिरी महाविद्यालय, रांगीबासन, डाकघर महिषादल, पूर्वी मिदिनापुर (पश्चिम बंगाल) पिन
162	रामनगर कॉलेज पूर्वी मिदिनापुर, पश्चिम बंगाल – 721453

10.2(ग) डीडीयू कौशल केन्द्र

इन केन्द्रों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है:

- (क) उद्योगों की आवश्यकता के लिए विभिन्न स्तरों पर कुशल जनशक्ति को तैयार करना। इस योजना में लघु अवधि के प्रमाणन पाठ्यक्रमों से लेकर पूर्ण स्नातकपूर्व उपाधि कार्यक्रम और विशेषीकृत क्षेत्रों में आगे शोध करना शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों को विभिन्न स्तरों से लेकर शोध उपाधि स्तर तक प्रवेश और निकास करने के प्रावधान के अनुसार बनाया/डिजाइन किया जाएगा। इनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सामुदायिक महाविद्यालय और बी0वोक0 कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे।
- (ख) निम्नवत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार करना; (i) विशेषीकृत क्षेत्रों में उद्योगों (ii) कौशल विकास के क्षेत्रों में निर्देशात्मक डिजाइन, पाठ्यक्रम डिजाइन और विषयवस्तु; (iii) अध्यापन, कौशल विकास शिक्षा और प्रशिक्षण का आंकलन; (iv) कौशल विकास के क्षेत्रों में प्रशिक्षित संकाय, और (v) उद्यमशीलता; आदि।
- (ग) विशेषीकृत क्षेत्रों में कौशल विकास हेतु एक उत्कृष्टता केन्द्र बनाने के लिए उच्चतर शिक्षा प्रणाली और उद्योग के बीच समन्वय हेतु कार्य।
- (घ) अपने क्षेत्र में सामुदायिक महाविद्यालयों और बी0वोक0 कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे अन्य ऐसे केन्द्रों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के साथ नेटवर्क बनाना और कौशल उन्मुख शिक्षा के लक्षित विकास हेतु उनके साथ समन्वय बनाना।
- (ङ) स्नातकोत्तर और शोध स्तरों पर कौशल शिक्षा और विकास, उद्यमशीलता, रोजगार प्रवणता, श्रम बाजार के रुझानों आदि से संबंधित क्षेत्रों में शोध और विकास करना।
- (च) पूरक मॉड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराकर परिष्करण विद्यालय के रूप में कार्य करना ताकि कोई विद्यार्थी, भले ही वह किसी भी प्रशिक्षण पृष्ठभूमि से आता हो, को आवश्यक कार्य कुशलता (सॉफ्ट, संचार, आईसीटी कौशल आदि) के साथ रोजगार हेतु तैयार किया जा सके और क्यूपी/एनओसी के लिए आंकलित डोमेन कौशल में अंतर को पाटा जा सके।

- (छ) संबंधित सेक्टर स्किल कौंसिलों (एस0एस0सी0)/रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीईटी) के साथ मूल्यांकन तथा प्रमाणन कर एनएसक्यूएफ के स्तर तथा उसके उत्तरवर्ती स्तर पर नियोजन के संबंध में रिकोगनिशन ऑफ प्रॉयर लर्निंग (आर0पी0एल0) की उपलब्ध कराना।
- (ज) अन्य सरकारी संस्थाओं और उद्योग संघों के समन्वय में संबंधित क्षेत्रों हेतु श्रम बाजार सूचना का रख-रखाव
- (झ) विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास हेतु पाठ्यक्रम, विषयवस्तु और शिक्षण सामग्रियों का विकास और संकलन।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के अंतर्गत मान्यताप्राप्त और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सामान्य विकास सहायता प्राप्त कर रहे और एनएएसी/एनबीए द्वारा प्रत्यायित सभी विश्वविद्यालयों को इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता पर विचार किया जाएगा। निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं:-

- श्रेणी-एक : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृत सामुदायिक महाविद्यालय और/अथवा बी0वोक0 उपाधि हेतु कार्यक्रम आयोजित कर रहे संस्थान।
- श्रेणी-दो : अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय।
- श्रेणी-तीन : एनएएसी/एनबीए द्वारा प्रत्यायित स्व-वित्तपोषित संस्थान, जोकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सामान्य विकास सहायता प्राप्त करने के लिए अपात्र संस्थान हैं।

संगत संस्थानों को आवंटित एवं जारी किए गए अनुदान की स्थिति निम्नवत है:-

तालिका 10.2(ग)(i)

योजना का नाम	कुल	आबंटित अनुदान (करोड़ रुपए में)	जारी किया गया अनुदान (2016-17) (करोड़ रुपए में)
डीडीयू कौशल	63 (स्व-वित्तपोषित -16)	71.75	8.93
अनुदान की सीमा	5.00 करोड़ रुपए		
अवधि	3 वर्ष		
चयन प्रक्रिया	योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों को ज्ञानअर्जन तथा कौशल विकास के क्षेत्र में सक्षमता तथा सतत रूप से प्रतिबद्धता दर्शायी हो। संस्थानों के पास केन्द्र की स्थापना के लिए पर्याप्त स्थान, भवन आदि होना चाहिए। तथापि, संस्थानों की प्राथमिकता दी जाएगी - (क) विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त महाविद्यालय (ख) ऐसे संस्थान को पहले ही सफलतापूर्वक बी. वोक. कार्यक्रम तथा सामुदायिक महाविद्यालय चला रहे हों; (ग) एनएएसी ग्रेड तथा सीजीपीए; (घ) ऐसे संस्थान जिनके कौशल विकास, रोजगार आदि के लिए उद्योग जगत के साथ संबंध हो, आदि; (ड.) उद्योग तथा रोजगार के अवसरों का मौजूद होना।		
बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के दौरान भुगतान किए गए अनुदान की राशि	107.63 करोड़ रुपए		
रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान नई योजनाएँ/ कार्यक्रम यदि कोई हों तो, को जोड़ा जाना आयोजित किए गए सम्मेलन, विदेशी शिष्टमंडलों का दौरा तथा आयोजित किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम, यदि आयोजित किए गए हों तो।	दिनांक 5 जुलाई, 2014 तथा 23 जुलाई, 2015 के भारत के शासकीय राजपत्र में अधिसूचित मास्टर ऑफ वोकेशन (एम0वोक0) इस परियोजना के तहत टीएफई डेयरेक्टर्स आस्ट्रेलियाई (टीडीए) के साथ भारतीय व्यावसायिक शिक्षा नेतृत्व प्रशिक्षण (वीईएलटी) आयोजित किया गया। इसके अलावा, यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनीशियेटिव के तहत यूकेईआरआई कौशल कार्यक्रम में डीडीयू कौशल केन्द्र के अंतर्गत अनुमोदित चिह्नित कौशल विकास छात्रों ने भाग लिया।		
अन्य देशों/सहयोग/अंतराष्ट्रीय संगठनों के साथ करार/ सहयोग	वीईएलटी कार्यक्रम तथा यूकेईआरआई कौशल कार्यक्रम में भागीदारी द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आस्ट्रेलिया तथा यूके के साथ सहयोग किया गया।		

महत्वपूर्ण समितियों का गठन

आयोग द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय/संकल्प

समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—एनएसडीसी—एसएससी समन्वय समिति का गठन किया गया। कौशल विकास निगरानी प्रणाली (एसडीएमएस) के कार्यान्वयन के माध्यम से एनएसडीई के तहत एनएसडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

कौशल केन्द्रों के तहत अनुमोदित संस्थानों ने क्षेत्र में आरपीएल (रीकोगनिशन ऑफ प्रॉयर लर्निंग) का उपबंध किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—एनएसडीसी समन्वय समिति ने 'व्यावसायिक प्रशिक्षक' तथा 'व्यावसायिक मूल्यांकक' हेतु एनओएस अंतिम मसौदे को साझा किया है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा यह वीडियो में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा मूल्यांकन करने के लिए एक आधार बनेगा। एसएससी, संस्थानों के साथ समन्वय कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित संस्थानों में संकायों के लिए 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण' (टीओटी) तथा कौशल सक्षमताओं के लिए शिक्षार्थियों का मूल्यांकन कर रहा है।

10.2(ग)(ii) : डीडीयू कौशल केन्द्रों के लिए संस्तुत अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों की सूची

क्र.सं.	संस्थान का नाम
1.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग, विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश — 485334
2.	कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबुल श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर — 190006
3.	मार इवॉनियस कॉलेज, बेथनी हिल्स, नालन्धीरा, तिरुवनन्तपुरम — 695015
4.	डी.ए.वी. कॉलेज फॉर गर्ल्स, यमुना नगर, हरियाणा
5.	गुलाम नबी आजाद आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज बारशी तकाली, जिला अकोला — 444401
6.	बी.वी.के. कॉलेज, द्वारकानगर, विशाखापत्तनम—530016
7.	पटकाई क्रिश्चियन कॉलेज, चमूकेडिमा, सैथरम, बीपीओ—पटकाई—797103, दीमापुर, नागालैंड
8.	देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर—452001
9.	जेएसएस कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, ऊंटी रोड, मैसूर — 570025
10.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा 282110, उत्तर प्रदेश
11.	मास्थीदासन यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु
12.	सोनापुर कॉलेज, कामरूप, असम
13.	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केरल
14.	जामिया मिलिया इस्लामिया (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) मौलाना जामिया नगर, नई दिल्ली — 110025
15.	सीपी पटेल एंड एफएच शाह कॉमर्स कॉलेज, एनएस पटेल सर्कल, आणंद, गुजरात
16.	श्री रामाकृष्णन मिशन विद्यालय कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस
17.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
18.	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
19.	रामनारायण रुइया कॉलेज, एलएन रोड, माटुंगा, मुंबई—40019
20.	कन्या महाविद्यालय, जालन्धर
21.	दि गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु
22.	नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश—226001
23.	जनरल शिवदेव सिंह दीवान गुरुबचन सिंह खालसा कॉलेज, पटियाला, पंजाब
24.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़, हरियाणा
25.	सेंट अलोसियस कॉलेज, मैंगलोर, कर्नाटक
26.	लोयोला कॉलेज, नॉगम्बक्कम, चेन्नई — 600034
27.	देव समाज कॉलेज फॉर वूमन, फिरोजपुर शहर — 152002, पंजाब
28.	रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मेरठ

क्र.सं.	संस्थान का नाम
29.	रामानुजम कॉलेज, कालकाजी, नई दिल्ली
30.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, बाई-पास रोड, पलवल-121102, हरियाणा
31.	आनन्दा कॉलेज, कोर्ट रोड, हजारीबाग, झारखण्ड-825301
32.	श्री शंकरा कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नं. 1, कालाडी-683574, एर्नाकुलम जिला, केरल
33.	गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, चंडीगढ़
34.	एन.जी. (गर्वमेंट) कॉलेज, लाम्फलपेट, मणिपुर
35.	एम.ई.एस. अबासाहेब गरवारे कॉलेज, कार्वे रोड, जिला पुणे, महाराष्ट्र
36.	सावित्रीबाई फूले, पुणे यूनिवर्सिटी, गणेशखिन्ड, पुणे
37.	घनमंजूरी कम्युनिटी कॉलेज (मणिपुर सरकार), इम्फाल, मणिपुर
38.	महिशादल राज कॉलेज, महिशादल, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम बंगाल-721628
39.	श्री अग्रसेन पी.जी. कॉलेज और एजुकेशन, केशव विद्यापीठ समिति जामडोली, जयपुर
40.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
41.	तैंगखाट कॉलेज, पीओ टैकघाट, जिला डिब्रूगढ़, पिन-786103, असम
42.	श्री मणिमाई विरानी, श्रीमती नवलबेन विरानी साइंस कॉलेज, योगीधाम गुरुकुल, कलावाड रोड-360005, राजकोट, गुजरात
43.	सनातन धर्म कॉलेज, अम्बाला कैट, हरियाणा - 133001
44.	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय
45.	विवेकानन्द कॉलेज, कन्याकुमारी, तमिलनाडु
46.	रामपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
47.	सरदार भगत सिंह गर्वमेंट पीजी कॉलेज, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड

10.2(ग)(iii) : स्व-वित्तपोषित श्रेणी के तहत डीडीयू कौशल केन्द्रों हेतु संस्तुत संस्थानों की सूची

क्र.सं.	संस्थान का नाम
1.	डॉ0 सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, विलासपुर, छत्तीसगढ़
2.	आत्मीया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, योगीधाम गुरुकुल, कलावाड रोड - 360005, राजकोट, गुजरात
3.	एसजीटी विश्वविद्यालय, गुडगांव-बादली रोड, चंदु-बुढ़ेरा, गुडगांव, हरियाणा
4.	पद्मश्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस, #149, पद्मश्री कैम्पस, कोमघट्टा, सुलीकेरे (पोस्ट), कोंगेरी, बंगलौर-60, कर्नाटक
5.	स्वामी विवेकानन्द योगा अनुसंधान समस्थान बंगलौर-560019
6.	अमृत विश्व विद्यापीठम्, अमृतपुरी कैम्पस, कलाप्पना, कोल्लम, केरल
7.	राजीव गांधी कॉलेज, शाहपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश
8.	सेचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, गाजापट्टी, ओड़ीशा
9.	डॉ. एन.जी.पी. आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
10.	एनएसएस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, साथ्य मेन रोड, एसएनएस काल्वी नगर, सर्वनमपट्टी पोस्ट, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
11.	श्री रामकृष्ण कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस फॉर वूमेन, 395, सरोजनी नायडू रोड, सिद्धपुंछूर, कोयम्बटूर-641044, तमिलनाडु
12.	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, एनाथूर, काचीपुरम-631561
13.	वी.ओ. चिदम्बरम कॉलेज, थूथुकुडी, तमिलनाडु
14.	श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, सरस्वती विहार, शिकारपुर-202395, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश
15.	श्री जी बाबा इंस्टीट्यूट, सेमारी, छत्ता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश
16.	राजीव गांधी मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एनएच-18, नरवादा क्रॉस रोड, नंदयाल-581501, कुरनूल जिला, आन्ध्र प्रदेश

10.2 एनएसइए के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौशल विकास योजना की योजनावार स्थिति का सारांश
(बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अर्थात् वर्ष 2013 से 2017)

प्रारंभ की गई योजना : सामुदायिक महाविद्यालय – वर्ष 2013–14, बी०वोक० – वर्ष 2014–15, कौशल केन्द्र – वर्ष 2015–16

योजना	संस्थानों की संख्या	दाखिले की अनुमोदित संख्या	वर्ष 2016–17 तक कुल अनुदान (करोड़ रुपए में)	आबंटित	संवितरित
सामुदायिक महाविद्यालय :	199 (एसएफ 02)	15550	137.24		96.21
बी०वोक० डिग्री संस्थान :	162 (एसएफ 03)	19050	241.06		122.51
डीडीयू कौशल केन्द्र :	63 (एसएफ 16)	8600	170.45		107.63
कुल	424	43200	548.75		326.35

सामुदायिक महाविद्यालय, बी०वोक० डिग्री संस्थान तथा डीडीयू कौशल केन्द्रों के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जारी किए गए अनुदान का वर्षवार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

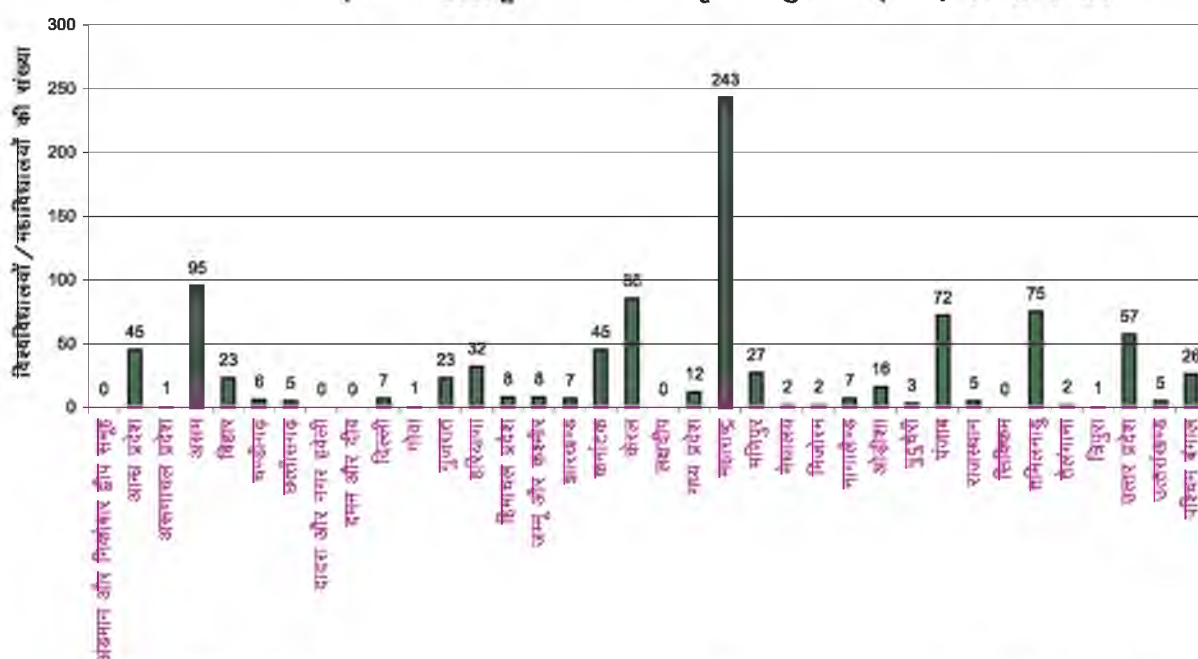
योजना	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सामुदायिक महाविद्यालय :	4.28	35.89	33.36	22.68
बी०वोक० डिग्री संस्थान :	--	80.64	31.87	10.00
डीडीयू कौशल केन्द्र :	--	--	98.70	8.93

10.1 से 10.2: दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में कौशल विकास केन्द्रों की राज्यवार संख्या

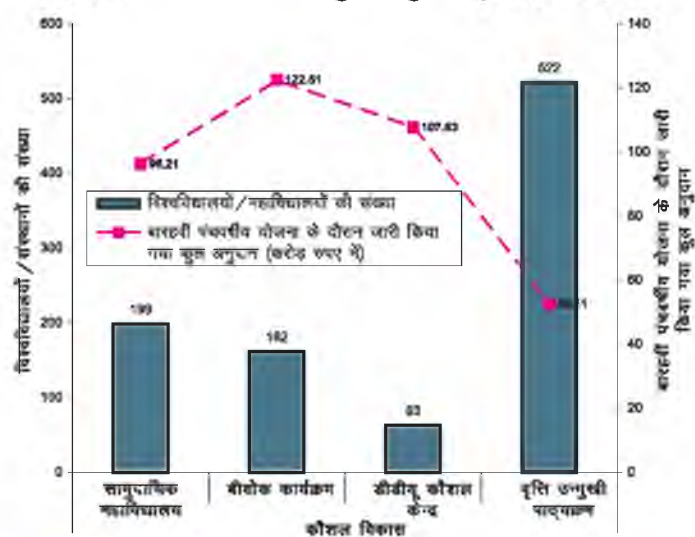
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम	सामुदायिक महाविद्यालय	बी०वोक० पाठ्यक्रम	डीडीयू कौशल केन्द्र	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह					0
2	आन्ध्र प्रदेश	31	7	5	2	45
3	अरुणाचल प्रदेश		1			1
4	असम	53	27	13	2	95
5	बिहार	15	6	2		23
6	चण्डीगढ़	3	1	1	1	6
7	छत्तीसगढ़	1	1	2	1	5
8	दादरा और नागर हवेली					0
9	दमन और दीव					0
10	दिल्ली	2	1	2	2	7
11	गोवा	1				1
12	गुजरात	12	3	5	3	23
13	हरियाणा	14	9	4	5	32
14	हिमाचल प्रदेश	5	2		1	8
15	जम्मू और कश्मीर	2	3	2	1	8
16	झारखण्ड		5	1	1	7
17	कर्नाटक	21	12	8	4	45
18	केरल	48	19	15	3	85
19	लक्षद्वीप					0
20	मध्य प्रदेश	4	4	1	3	12
21	महाराष्ट्र	165	35	37	6	243
22	मणिपुर	10	6	9	2	27
23	मेघालय	2				2
24	मिजोरम		1	1		2
25	नागालैण्ड		4	2	1	7
26	ओड़ीशा	7	8		1	16
27	पुदुचेरी	1	1	1		3

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम	सामुदायिक महाविद्यालय	बी0वोक0 पाठ्यक्रम	डीडीयू कौशल केन्द्र	कुल
28	पंजाब	39	13	17	3	72
29	राजस्थान		1	2	2	5
30	सिक्किम					0
31	तमिलनाडु	38	14	13	10	75
32	तेलंगाना		1	1		2
33	त्रिपुरा			1		1
34	उत्तर प्रदेश	35	5	10	7	57
35	उत्तराखण्ड		2	2	1	5
36	पश्चिम बंगाल	13	7	5	1	26
	कुल	522	199	162	63	946

रेखाचित्र 10 : वर्ष 2016-17 के दौरान कौशल विकास केन्द्रों (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय) (सामुदायिक महाविद्यालय+ बी0वोक0 पाठ्यक्रम+ डीडीयू कौशल केन्द्र+ वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम) की राज्य वार संख्या



कौशल विकास : विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की संख्या (लामार्थी) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया कुल अनुदान (करोड़ रुपए में)



पात्र विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मान्यता पर विचार करने के प्रयोजनार्थ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहली बार बड़े पैमाने पर एक कवायद शुरू की। प्रस्तावों को 'ऑन लाइन पद्धति' से आर्गनाइज किया गया। आवेदक विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ आमुख बैठकें करने के लिए अनेक बाह्य विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की गईं। विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर पात्र विश्वविद्यालयों/संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई। विश्वविद्यालयों के मामले में, मान्यता दो शिक्षा वर्षों अर्थात् वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए प्रदान की गई। तथापि, स्टैण्डालोन संस्थानों के मामले में केवल एक शिक्षा वर्ष अर्थात् वर्ष 2016-17 के लिए मान्यता प्रदान की गई।

तालिका 11.1(क) : दूरस्थ शिक्षा पद्धति से कार्यक्रमों की वेबकाश करने के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सूची :

तालिका 11.1(क)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	राज्य	विश्वविद्यालय / संस्थान का स्वरूप	वर्ष जिसके लिए मान्यता प्राप्त है
1.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय	आन्ध्र प्रदेश	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
2.	आन्ध्र विश्वविद्यालय	आन्ध्र प्रदेश	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
3.	गर्गरी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट (जीआईटीएम)	आन्ध्र प्रदेश	सम विश्वविद्यालय	2016-17 एवं 2017-18

➤ मुक्त और दूरस्थ शिक्षा

- दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
- छात्र नामांकन

11.1 दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 10.06.2015 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6-1/2013 (भारत के राजपत्र में दिनांक 25.07.2015 को प्रकाशित) के द्वारा यह अधिसूचित किया है कि—“संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से तकनीकी शिक्षा सहित प्रदान किए गए डिप्लोमा/उपाधियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पद्यों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन स्वतः ही मान्यताप्राप्त हैं बशर्ते उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो।”

इससे पूर्व, दिनांक 01.03.1995 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 44 प्रभावी थी। इसके अनुसार, शिक्षा के ओडीएल माध्यम के द्वारा प्राप्त की गई अर्हताओं की मान्यता हेतु दूरस्थ शिक्षा परिषद् (डीईसी) की अनुमति आवश्यक थी।

प्रो० एन०आर० माधव मेनन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षण के क्षेत्र में मानकों को विनियमित करने और उनको बनाए रखने के लिए ओडीएल के विनियमों के मसौदे को अंतिम रूप दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित ओडीएल के विनियमों के मसौदे को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहमति के लिए भेजा गया। इसके उपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच अनेक पत्राचार हुए। चूंकि ओडीएल के विनियम अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में थोड़े इस्तेमाल उस दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्णय लिया कि वर्ष 2016-17 के लिए उन विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मान्यता को बरकरार रखा जाए जिन्हें वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 के दौरान मान्यता प्राप्त थी।

5.	राजस्थाना महिला विश्वविद्यालय	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
6.	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालयम्	आन्ध्र प्रदेश	2016-17 एवं 2017-18
7.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	अरुणाचल प्रदेश	2016-17 एवं 2017-18
8.	ऑल इंडिया मेनेजमेंट एसोसिएशन,	दिल्ली	2016-17
9.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2016-17 एवं 2017-18
10.	इंस्टीट्यूट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट	दिल्ली	2016-17
11.	जामिया हमदर्द,	दिल्ली	2016-17 एवं 2017-18
12.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फेमली वेलफेयर	दिल्ली	2016-17
13.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	दिल्ली	2016-17 एवं 2017-18
14.	टेक्नीया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज	दिल्ली	2016-17
15.	टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज	दिल्ली	2016-17 एवं 2017-18
16.	दिल्ली विश्वविद्यालय	दिल्ली	2016-17 एवं 2017-18
17.	आईएफआईएम बिजनेस स्कूल	कर्नाटक	2016-17
18.	कुवेम्पू विश्वविद्यालय	कर्नाटक	2016-17 एवं 2017-18
19.	मैंगलोर विश्वविद्यालय	कर्नाटक	2016-17 एवं 2017-18
20.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी	कर्नाटक	2016-17 एवं 2017-18
21.	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान	कर्नाटक	2016-17 एवं 2017-18
22.	आईएनकेड गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय	पंजाब	2016-17 एवं 2017-18
23.	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी	पंजाब	2016-17 एवं 2017-18
24.	पंजाबी विश्वविद्यालय	पंजाब	2016-17 एवं 2017-18
25.	पंजाब विश्वविद्यालय	पंजाब	2016-17 एवं 2017-18
26.	यूपी राजश्री टंकन मुक्त विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश	2016-17 एवं 2017-18
27.	स्वामी विवेकानन्द सुमारती विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश	2016-17 एवं 2017-18
28.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश	2016-17 एवं 2017-18
29.	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय	तमिलनाडु	2016-17 एवं 2017-18
30.	तमिल विश्वविद्यालय	तमिलनाडु	2016-17 एवं 2017-18
31.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा	तमिलनाडु	2016-17 एवं 2017-18
32.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट	उत्तर प्रदेश	2016-17 एवं 2017-18
33.	आईएमटी डिस्टेंस एण्ड ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	2016-17
34.	इंटीग्रल यूनिवर्सिटी	उत्तर प्रदेश	2016-17 एवं 2017-18
35.	तेजपुर विश्वविद्यालय	असम	2016-17 एवं 2017-18

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	राज्य	विश्वविद्यालय/ संस्थान का स्वरूप	वर्ष जिसके लिए मान्यता प्राप्त है
36.	असम डॉउन टाउन विश्वविद्यालय	असम	राज्य निजी	2016-17 एवं 2017-18
37.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	असम	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
38.	असम डॉन बास्को विश्वविद्यालय	असम	राज्य निजी	2016-17 एवं 2017-18
39.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय	असम	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
40.	कृष्णाकान्त हान्डीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	असम	राज्य मुक्त	2016-17 एवं 2017-18
41.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय	गुजरात	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
42.	मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश	राज्य मुक्त	2016-17 एवं 2017-18
43.	जीवाजी विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
44.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
45.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
46.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	त्रिपुरा	केंद्रीय	2016-17 एवं 2017-18
47.	पंडित सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय	छत्तीसगढ़	राज्य मुक्त	2016-17 एवं 2017-18
48.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	हरियाणा	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
49.	गहर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय	हरियाणा	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
50.	गुरु जम्भेश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	हरियाणा	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
51.	कश्मीर विश्वविद्यालय	जम्मू और कश्मीर	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
52.	जम्मू विश्वविद्यालय	जम्मू और कश्मीर	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
53.	कन्नूर विश्वविद्यालय, केरल	केरल	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
54.	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई	महाराष्ट्र	सम विश्वविद्यालय	2016-17 एवं 2017-18
55.	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई	महाराष्ट्र	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
56.	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नान्देड़	महाराष्ट्र	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
57.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटिरियल मैनेजमेंट, नवी मुंबई	महाराष्ट्र	निजी संस्थान	2016-17
58.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नाशिक	महाराष्ट्र	राज्य मुक्त	2016-17 एवं 2017-18
59.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई	महाराष्ट्र	सम विश्वविद्यालय	2016-17 एवं 2017-18
60.	वेलींकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एण्ड रिसर्च, मुंबई	महाराष्ट्र	निजी संस्थान	2016-17
61.	सिम्बॉयसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, पुणे	महाराष्ट्र	निजी संस्थान	2016-17
62.	भारती विद्यापीठ, पुणे	महाराष्ट्र	सम विश्वविद्यालय	2016-17 एवं 2017-18
63.	एमआईटी स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, पुणे	महाराष्ट्र	निजी संस्थान	2016-17
64.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	महाराष्ट्र	राज्य	2016-17 एवं 2017-18

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	राज्य	विश्वविद्यालय/ संस्थान का स्वरूप	वर्ष जिसके लिए मान्यता प्राप्त है
65.	महात्मा गंधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	महाराष्ट्र	केन्द्रीय	2016-17 एवं 2017-18
66.	डॉ० डी० वाई० पाटिल विद्यापीठ, पुणे	महाराष्ट्र	सम विश्वविद्यालय	2016-17 एवं 2017-18
67.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	पुदुचेरी	केन्द्रीय	2016-17 एवं 2017-18
68.	युनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड	राज्य निजी	2016-17 एवं 2017-18
69.	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	उत्तराखण्ड	राज्य मुक्त	2016-17 एवं 2017-18
70.	देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार	उत्तराखण्ड	राज्य निजी	2016-17 एवं 2017-18
71.	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा	हरियाणा	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
72.	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	बिहार	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
73.	मगध विश्वविद्यालय, बिहार	बिहार	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
74.	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना	बिहार	राज्य मुक्त	2016-17 एवं 2017-18
75.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	ओडिशा	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
76.	एशियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, भुवनेश्वर	ओडिशा	निजी संस्थान	2016-17
77.	जगन्नाथ विश्वविद्यालय	राजस्थान	राज्य निजी	2016-17 एवं 2017-18
78.	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय	राजस्थान	राज्य मुक्त	2016-17 एवं 2017-18
79.	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय	राजस्थान	राज्य निजी	2016-17 एवं 2017-18
80.	नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	तेलंगाना	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
81.	द इंग्लिश एण्ड फारेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	तेलंगाना	केन्द्रीय	2016-17 एवं 2017-18
82.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलेपमेंट (एनआईआरडी) हैदराबाद	तेलंगाना	केन्द्र सरकार का संस्थान	2016-17
83.	आईसीएफएआई फाउंडेशन फॉर हॉयर एजुकेशन, हैदराबाद	तेलंगाना	सम विश्वविद्यालय	2016-17 एवं 2017-18
84.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना	केन्द्रीय	2016-17 एवं 2017-18
85.	पोट्टी श्रीमुलु तेलगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
86.	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	राज्य मुक्त	2016-17 एवं 2017-18
87.	रविन्द्र मारती विश्वविद्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
88.	कल्याणी विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
89.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	पश्चिम बंगाल	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
90.	वर्धमान विश्वविद्यालय, वर्धमान	पश्चिम बंगाल	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
91.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
92.	ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	ओडिशा	राज्य मुक्त	2016-17 एवं 2017-18

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	राज्य	विश्वविद्यालय / संस्थान का स्वरूप	वर्ष जिसके लिए मान्यता प्राप्त है
93.	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, लाडनू	राजस्थान	सम विश्वविद्यालय	2016-17 एवं 2017-18
94.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना	केंद्रीय	2016-17 एवं 2017-18
95.	युनिवर्सिटी ऑफ नार्थ बंगाल, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
96.	डॉ० भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना	राज्य मुक्त	2016-17 एवं 2017-18
97.	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय	राजस्थान	राज्य निजी	2016-17 एवं 2017-18
98.	नॉर्थ ओडिशा युनिवर्सिटी, भुवनेश्वर	ओडिशा	राज्य	
99.	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (राज्य निजी विश्वविद्यालय)	राजस्थान	राज्य निजी	2016-17 एवं 2017-18
100.	बेंगलूर विश्वविद्यालय	कर्नाटक	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
101.	डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	राज्य निजी	2016-17 एवं 2017-18
102.	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनांशियल एनॉलिस्ट ऑफ इंडिया (आईसीएफएआई), देहरादून	उत्तराखण्ड	राज्य निजी	2016-17 एवं 2017-18
103.	केरल विश्वविद्यालय, केरल	केरल	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
104.	कालीकट विश्वविद्यालय, केरल	केरल	राज्य	2017-18 एवं 2018-19
105.	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
106.	डा. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर	मध्य प्रदेश	केंद्रीय	2016-17 एवं 2017-18
107.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज	महाराष्ट्र	सम विश्वविद्यालय	2016-17 एवं 2017-18
108.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय	ओडिशा	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
109.	आईसीएफएआई – अगरतल्ला	त्रिपुरा	राज्य निजी	2016-17 एवं 2017-18
110.	एसएसटीआरए युनिवर्सिटी	तमिलनाडु	सम विश्वविद्यालय	2016-17 एवं 2017-18
111.	थापर विश्वविद्यालय	पंजाब	सम विश्वविद्यालय	2016-17 एवं 2017-18
112.	काकातिया विश्वविद्यालय, वारंगल	तेलंगाना	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
113.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,	मध्य प्रदेश	राज्य	2016-17 एवं 2017-18
114.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	आन्ध्र प्रदेश	राज्य	2016-17 एवं 2017-18

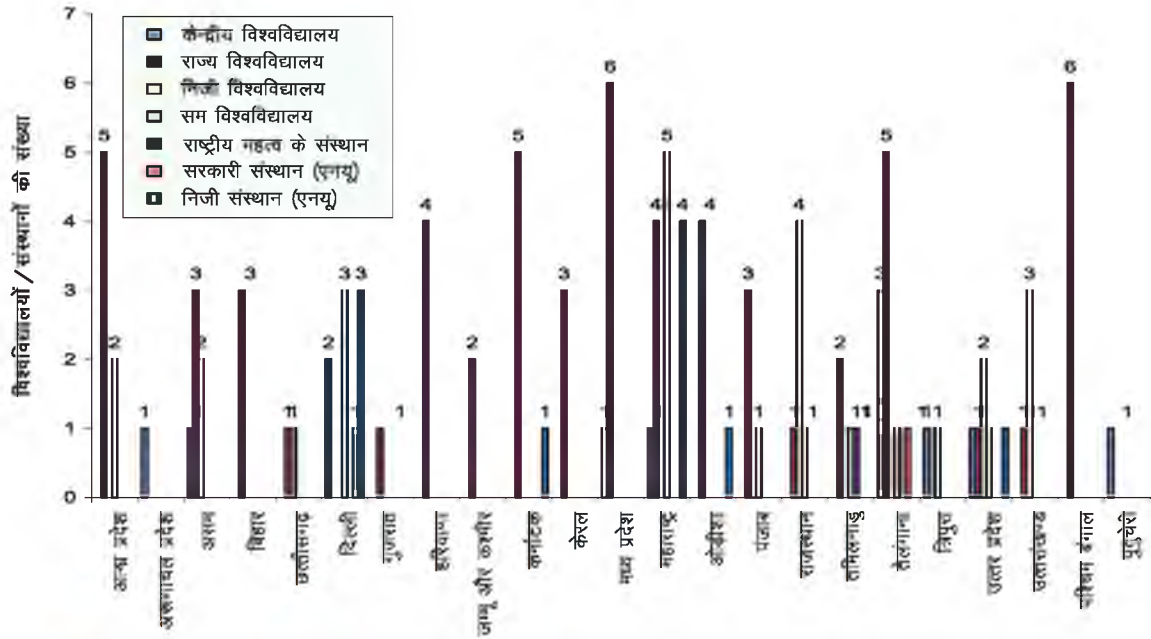
वर्ष 2016-17 के दौरान केवल 12 (ख) का दर्जा प्राप्त दो मुक्त विश्वविद्यालयों को 75 लाख रुपए का विकास अनुदान प्रदान किया गया नामतः (i) यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक तथा (ii) तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, चेन्नई।

वर्ष 2016-17 के दौरान दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों की राज्यवार संख्या तालिका 11.1(ख) में दी गई है।

तालिका 11.1(ख): शिक्षा वर्ष 2016-17 के दौरान दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थानों/निजी संस्थानों (विश्वविद्यालयेतर) की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालयों की संख्या					संस्थान (विश्वविद्यालयेतर)		कुल
		केन्द्रीय	राज्य/ राज्य मुक्त	निजी	सम विश्व- विद्यालय	राष्ट्रीय महत्व के संस्थान	सरकारी	निजी	
1	आन्ध्र प्रदेश		5		2				7
2	अरुणाचल प्रदेश	1							1
3	असम	1	3	2					6
4	बिहार		3						3
5	छत्तीसगढ़		1	1					2
6	दिल्ली	2			3		1	3	9
7	गुजरात		1						1
8	हरियाणा		4						4
9	हिमाचल प्रदेश								
10	जम्मू और कश्मीर		2						2
11	कर्नाटक		5					1	6
12	केरल		3						3
13	मध्य प्रदेश	1	6						7
14	महाराष्ट्र	1	4		5			4	14
15	मेघालय								
16	मिजोरम								
17	ओड़ीशा		4					1	5
18	पंजाब		3	1	1				5
19	राजस्थान		1	4	1				6
20	सिक्किम								
21	तमिलनाडु		2		1	1			4
22	तेलंगाना	3	5		1		1		10
23	त्रिपुरा	1		1					2
24	उत्तर प्रदेश	1	1	2	1			1	6
25	उत्तराखण्ड		1	3					4
26	पश्चिम बंगाल		6						6
27	संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़								
28	पुदुचेरी	1							1
	कुल	12	60	14	15	1	2	10	114

रेखाचित्र 11.1(ख): वर्ष 2016-17 के दौरान मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों/संस्थानों की राज्यवार तथा स्वरूपवार संख्या



11.1(ग) : वर्ष 2016-17 के दौरान दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में छात्र नामांकन

शिक्षा वर्ष 2016-17 के दौरान, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों में सभी स्तरों पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में 40.28 लाख * छात्र नामांकित थे। विभिन्न संकायों और स्तरवार छात्रों के संवितरण को नीचे तालिका 11.1(ग)(i) और 11.1(ग)(ii) में दिया गया है :

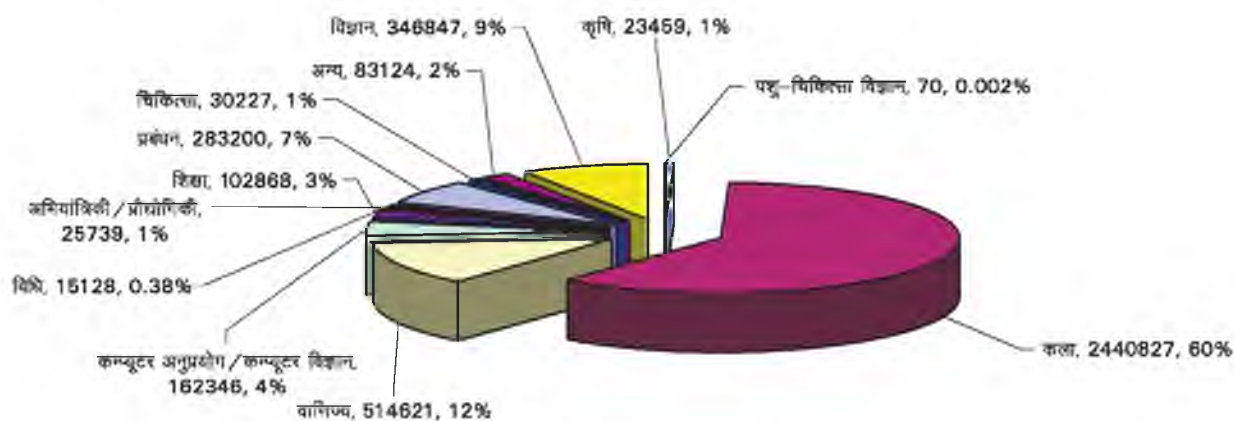
(*एआईएसएचई पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अंतिम आंकड़े)

तालिका 11.1(ग)(i) : वर्ष 2016-17 के दौरान दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में संकायवार छात्र नामांकन

क्र.सं.	संकाय	छात्र नामांकन*		कुल का प्रतिशत
		पुरुष	महिला	
1	कृषि	23459	6423	0.58
2	कला	2440827	1163069	60.59
3	वाणिज्य	514621	239248	12.78
4	कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ कम्प्यूटर विज्ञान	162346	52893	4.03
5	शिक्षा	102868	55354	2.55
6	अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी	25739	6005	0.64
7	विधि	15128	3274	0.38
8	प्रबंधन	283200	108240	7.03
9	चिकित्सा	30227	12560	0.75
10	अन्य	83124	42635	2.06
11	विज्ञान	346847	138739	8.61
12	पशु-चिकित्सा/विज्ञान	70	23	0.002
13	कुल	4028456	1828463	100

(*एआईएसएचई पोर्टल पर उपलब्ध दूरस्थ शिक्षा आंकड़ों के अनुसार अनुमानित अंतिम आंकड़े)

रेखाचित्र 11.1(ग)(i) : वर्ष 2016-17 के दौरान दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संकायवार छात्र नामांकन



तालिका 11.1(ग)(ii) : वर्ष 2016-17 के दौरान दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में स्तरवार छात्र नामांकन

स्तर	छात्र नामांकन*		कुल का प्रतिशत
	पुरुष	महिला	
पीएचडी			
एमफिल			
स्नातकोत्तर	1250539	675707	31.04
स्नातक	2569091	1074140	63.77
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	68332	27341	1.7
डिप्लोमा	90579	32409	2.25
प्रमाणपत्र	49673	18811	1.23
समेकित पाठ्यक्रम	242	55	0.01
कुल	4028456	1828463	100.00

(*एआईएसएचई पोर्टल पर उपलब्ध दूरस्थ शिक्षा आंकड़ों के अनुसार अनुमानित अंतिम आंकड़े)

रेखाचित्र 11.1(ग)(ii) : वर्ष 2016-17 के दौरान दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में स्तरवार छात्र नामांकन

